


भारत के  
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन


मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)  
निष्पादन मूल्यांकन  
2000 की संख्या 3



विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v
<b>अध्याय I : खाद्य तथा उपभोक्ता कार्य मंत्रालय</b>		
<b>खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग</b>		
सार्वजनिक वितरण प्रणाली	1	1
<b>अध्याय II : मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>		
<b>शिक्षा विभाग</b>		
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पौषणिक सहायता कार्यक्रम	2	103
<b>महिला एवं बाल विकास विभाग</b>		
एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	3	147
<b>अध्याय III : ग्रामीण विकास मंत्रालय</b>		
<b>ग्रामीण विकास विभाग</b>		
ग्रामीण रोजगार उत्पादन कार्यक्रम	4	229





## प्राक्कथन


31 मार्च 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए संघ वित्त लेखाओं तथा संघ विनियोग लेखाओं पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा संघ मंत्रालयों और संघ राज्य क्षेत्रों के वित्तीय लेन-देनों तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामले नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 2000 के प्रतिवेदन सं. 1 तथा 2 में शामिल किए गए हैं।

वर्तमान प्रतिवेदन में निम्नलिखित केन्द्र द्वारा प्रवर्तित/निधिबद्ध योजनाओं के निष्पादन मूल्यांकन से उद्भूत मामले शामिल किए गए हैं। इन अखिल भारतीय पुनरीक्षणों में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों एवं संघ सरकार के नियन्त्रण मंत्रालयों के भी अभिलेखों की गई नमूना जांच के परिणाम शामिल हैं।

- |    |   |                                   |
|----|---|-----------------------------------|
| 1. | सार्वजनिक वितरण प्रणाली                           | खाद्य तथा उपभोक्ता कार्य मंत्रालय |
| 2. | राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पौषणिक सहायता कार्यक्रम | मानव संसाधन विकास मंत्रालय        |
| 3. | एकीकृत बाल विकास सेवा योजना                       | - वही -                           |
| 4. | ग्रामीण रोजगार उत्पादन कार्यक्रम                  | ग्रामीण विकास मंत्रालय            |

संघ सरकार-अन्य स्वायत्त निकाय (सं.4), वैज्ञानिक विभाग (सं.5), डाक एवं दूरसंचार (सं.6), रक्षा मंत्रालय-सेना तथा आयुध कारखाने (सं.7), वायु सेना तथा नौ सेना (सं.8), रेलवे (सं.9), संघ सरकार की प्राप्तियां-अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क (सं.10), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर (सं.11), तथा प्रत्यक्ष कर (सं.12), के लिए भी पृथक प्रतिवेदन जारी किए गए हैं।



## विहंगावलोकन

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के इस भाग में चार केन्द्र प्रवर्तित/निधिगत कार्यक्रमों (i) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (ii) ग्रामीण रोजगार उत्पादन कार्यक्रम (iii) एकीकृत बाल विकास सेवा योजना तथा (iv) राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पौषणिक सहायता कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है।

जबकि एकीकृत बाल विकास सेवा का उद्देश्य आगंनवाड़ी संस्था के माध्यम से गर्भवती माताओं तथा छः वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को स्वास्थ्यकर तथा पौषणिक सहायता के लिए सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराना था, प्राथमिक शिक्षा पौषणिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय जाने वाले बच्चों को निःशुल्क भोजन वितरण की सहायता से पौषणिक सहायता 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जारी रही। सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आम जनता को खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को इमदादी अनाज की आपूर्ति करना था। ग्रामीण रोजगार उत्पादन के एक अन्य कार्यक्रम जिसमें मुख्यतः जवाहर रोजगार योजना तथा रोजगार आश्वासन योजना शामिल है, के अन्तर्गत इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के लोगों तथा जो दैनिक मजदूरी करते हैं, को आय अन्तरण के माध्यम से बढ़ती हुई खरीद शक्ति उपलब्ध कराना था। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार का इरादा गरीब लोगों को उनके जन्म के समय से ही भोजन सुरक्षा तथा पौषणिक सहायता प्रदान करना था। तथापि, जैसा कि निम्नलिखित से यह देखा जा सकता है कि विभिन्न प्रणालीबद्ध तथा व्यक्तिगत कमियों तथा विफलताओं के कारण कार्यक्रमों के श्रेष्ठ उद्देश्य अधिकांशतः बिना प्राप्त हुये रह गए।

इसी प्रकार की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित/निधिगत कार्यक्रमों की अखिल भारतीय आधार पर निष्पादन लेखापरीक्षा पहले भी की जा चुकी है तथा प्रतिवेदन संसद तथा सम्बद्ध विधान सभाओं के पटल पर रखे जा चुके हैं। कार्यक्रमों, जिन पर हाल ही के वर्षों में निष्पादन लेखापरीक्षा की गई है, में अन्यों के साथ-साथ आपदा राहत निधि, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, जन-जातीय उप योजना तथा अनुसूचित जातियों को विशेष केन्द्रीय सहायता, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय पेय जल मिशन, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, पूर्ण साक्षरता अभियान आदि शामिल हैं सभी पिछली निष्पादन लेखापरीक्षाओं ने कार्यक्रमों की विफलताओं की एक ही प्रकार की पद्धति जैसे डिजाइन की कमियों, धन के मूल्य के लिए निश्चिन्तता, कार्यक्रम अधिकतर उद्देश्य पूरा करने की बजाए धन खर्च करने के उद्देश्य से चलाए गए, कार्यक्रम आऊट पुट तथा आऊट कम का इनपुट से सम्बन्ध बनाए बिना चलाए गए, कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए कसौटी का अभाव, लक्षित जनसंख्या तक न पहुंचने वाले लाभ अथवा लाभों के अप्रमाणित दावे, जटिल कार्यक्रम प्रबन्धन/निष्पादन ढांचा, राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय तथा प्रत्यक्ष निष्पादन की गलत रिपोर्ट तथा उनकी शुद्धता का सत्यापन करने में मंत्रालयों की विफलता, केन्द्रीय नियन्त्रण तथा उनके द्वारा मानीटरिंग में प्रमाणित असम्भाव्यता के बावजूद केन्द्र द्वारा चलाए जा रहे तथा



उसके नियन्त्रण के अधीन मंत्रालयों की दृढ़ता तथा अधिकतर उत्तर दायित्व की प्रक्रिया के अभाव को उजागर किया। इन कमियों के परिणामस्वरूप सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों पर, जो कि साधारण सामाजिक विकास के लिए निष्पादित किये जाते हैं अथवा जिनका विशेष लक्ष्य समाज के कमजोर/गरीब वर्ग का सामाजिक तथा आर्थिक विकास करना होता है: पर किये गए व्यय ने धन का बहुत थोड़ा परिमाण दिया।

इस प्रतिवेदन में शामिल चार केन्द्र प्रवर्तित/निधिगत योजनाओं को निष्पादन लेखापरीक्षा ने फिर दुबारा उसी प्रकार की कमियों को प्रकट किया जिससे लाभभोगियों को कम लाभ हुआ तथा परिणामतः धन का बहुत कम मूल्य प्राप्त हुआ।

- सभी चारों कार्यक्रमों को गम्भीर लक्ष्य की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इनमें से प्रत्येक में कवरेज लक्षित आऊटपुट से बहुत कम थी।
- राज्य सरकारों द्वारा कार्यक्रमों का निष्पादन उनके द्वारा स्वामित्व की अनुभूति के अभाव से पूरा नहीं किया जा सका। राज्य सरकारों द्वारा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के तरीके ने यह धारणा दी कि ये अधिकतर अनिवार्य रूप से लक्षित जनसंख्या को लाभ सुनिश्चित करने की बजाए धन खर्च करने के उद्देश्य से चलाए गए।
- इन कार्यक्रमों के वास्तविक आऊटपुट का या तो संघ/राज्य सरकारों द्वारा नियत किये गए लक्ष्यों अथवा किसी स्वीकार्य/निर्धारित कसौटी के साथ परस्पर सम्बन्ध बनाने के लिए या तो निष्पादित एजेन्सियों/राज्य सरकारों द्वारा अथवा केन्द्र सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था।
- कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध करवाये गए संसाधनों का भारी विपथन तथा दुरुपयोग हुआ था।
- पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से कृताकृत इंगित किये जाने के बावजूद राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष तथा वित्तीय निष्पादन के गलत रिपोर्ट करने तथा दावा किये गए निष्पादन को प्रमाणित करने में विफलता जारी रही। मंत्रालय रिपोर्टों की शुद्धता को सत्यापित करने में अथवा उनकी शुद्धता को सुनिश्चित करने में रिपोर्ट करने में जानबूझ कर की गई गलती के लिए कोई उत्तरदायित्व निर्धारित करने अथवा उन्हें प्रमाणित करने में विफल होने पर कोई उपाय करने में असमर्थ थे।
- कार्यक्रम के संदेहास्पद निष्पादन तथा घटिया अथवा अपुष्ट निर्गम एवं निधियों के दुरुपयोग/विपथन के बावजूद किसी भी कार्यक्रमों के अन्तर्गत उत्तरदायित्व के लिए औपचारिक रूप से कोई प्रक्रिया/प्रणाली स्थापित नहीं की गई है। इसने कार्यक्रम के निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन के प्रति व्यक्तियों तथा अभिकरणों की विश्वसनीयता उत्तरदायित्व के स्तर को हताश किया तथा वास्तव में घटिया निष्पादन को प्रोत्साहित किया।



- सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों में परिनियोजित ससांधन, यद्यपि अपने आप में अधिक थे, वे एक तरह से महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए समान रूप से अपर्याप्त थे। बताए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बजट प्रावधान तथा आधारभूत अवसंरचना कभी भी कुल आवश्यकताओं के तुल्य नहीं थी।
- कार्यक्रम की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण जटिल निष्पादन तंत्र तथा प्रतिवेदन प्रणाली था, जिसने एक ओर कार्यक्रम को चलाने वाले व्यक्तियों के विशिष्ट उत्तरदायित्व की व्यवस्था नहीं की तथा दूसरी ओर उनके निष्पादन के केन्द्रीय अनुश्रवण को अत्यन्त कठिन, बल्कि असंभव बना दिया।
- अन्तिम परिणाम यह था कि जबकि सरकार ने इन चार कार्यक्रमों पर वार्षिक औसतन 13790 करोड़ रु. के बराबर राशि खर्च की लाभ या तो लक्ष्यों तक संकल्पित अर्थ में नहीं पहुंचे अथवा उपलब्ध कराए गए दावित लाभ अवास्तविक रहे। शुद्ध लाभ, सांस्थानिक सहायता तथा लक्षित जनसंख्या को खाद्य सुनिश्चितता में अन्तर स्थापित करने के लिए नितांत अपर्याप्त थे।

जब तक सरकार वास्तविक सत्य के प्रति जागृत नहीं होती तथा प्रभावी उपचारात्मक कार्यवाही नहीं करती, व्यय के अत्यधिक घटिया स्तर के कारण मुद्रा का अल्प मूल्य की ओर अग्रसर होना, उत्तरदायित्व का पूर्णतः अभाव तथा आगत एवं निर्गम के बीच अस्तित्वहीन संबंध, संघ सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में बने रहने की आशंका है।

**खाद्य तथा उपभोक्ता कार्य मंत्रालय**  
(खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग)

### सार्वजनिक वितरण प्रणाली

नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबंधन तथा कार्यान्वयन की समीक्षा से लाभभोगियों के लक्ष्यीकरण, खाद्य पर्याप्तता तथा पोषण सुरक्षा, लक्षित समूहों को अल्प आय अंतरण, प्रचालन की भारी लागत, उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य प्रभारण, घटिया गुणवत्ता तथा उपयुक्त सतर्कता तंत्र के अभाव से सम्बन्धित कई कमियां प्रकट हुईं जिन्होंने खाद्यान्न की उपलब्धता, सामर्थ्यता, सुलभता तथा स्वीकार्यता के लक्ष्यों की पूर्णता पर प्रभाव डाला।

कुल खाद्य सहायता 1992-93 में 2800 करोड़ रु. से धीरे-धीरे बढ़कर 1998-99 के दौरान 8700 करोड़ रु. हो गई। इसके अतिरिक्त कुछ राज्य सरकारों ने उनकी अपनी खाद्य सहायता योजनाओं पर भारी राशि खर्च की। फिर भी, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आशवासित अधिप्राप्ति ने किसानों को लाभान्वित किया, प्रणाली ने



सामान्य जनता को लाभ नहीं पहुंचाया तथा गरीबी रेखा से नीचे की जनता को बहुत कम लाभान्वित किया।

भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्न के सुरक्षित भंडार मानकों से बहुत अधिक थे। जिसके परिणामस्वरूप रखाव लागत बहुत अधिक थी, जो कि उसी अवधि में 450 करोड़ रु. और 1853 करोड़ रु. के बीच रही। यह भारतीय खाद्य निगम द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आशवासित अधिप्राप्ति का परिणाम था। चीनी के सुरक्षित भंडारों की रखाव लागत 1994-95 में सिर्फ 1.46 करोड़ रु. से बढ़कर 1997-98 में 177.49 करोड़ रु. हो गई।

सामान्य जनता के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्यान्न का प्राथमिक स्रोत नहीं थी। सामान्य जनता के लिए, विशेषतया फसल कटाई ऋतु के दौरान उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न का मूल्य बाजार मूल्य से काफी अधिक था। सामान्य जनता तथा गरीबी रेखा से नीचे के परिवार अपनी आवश्यकता के बहुत थोड़े भाग के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर थे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिट्टी के तेल का वितरण विषम था। यह जनसंख्या या अन्य किसी आधार से कोई सम्बन्ध नहीं रखता था। 1998-99 के दौरान उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के पिछड़े राज्यों को मिट्टी के तेल का प्रति व्यक्ति वार्षिक आबंटन पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, चण्डीगढ़ तथा गोवा के समृद्ध राज्यों की तुलना में काफी कम था। इसने रियायती दरों पर निर्धनों को मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर गंभीर रूप से प्रभाव डाला।

नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार के बिना, सुदूर क्षेत्रों में खाद्यान्न पहुंचाने का उद्देश्य था, विफल रही।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मध्यस्थता के कारण परिवारों को आय अंतरण इतना कम था कि यह परिवारों को कोई महत्वपूर्ण अन्तर प्रदान नहीं कर पाया।

31 राज्यों तथा सं.रा.क्षे. में से 18 में गरीबी रेखा से नीचे की पहचान भी पूर्ण नहीं हो पाई। जहां पहचान पूरी हो भी गई थी, गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की एक बड़ी जनसंख्या को राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए।

गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को राशन कार्डों के अभाव में विशिष्ट राशन प्राप्त नहीं हुआ था, अन्य ने निर्धारित मात्रा से कम प्राप्त किया।

संघ सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदानों के प्रति गोदामों के निर्माण तथा चल-गाड़ियों की खरीद के लिए अधिकतर राज्य सरकारों का निष्पादन काफी कम था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुश्रवण ढीला था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पर्यवेक्षण हेतु कई राज्यों में सतर्कता समितियां नहीं बनाई गई थी।



सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्नों, रिसावों, दुर्विनियोग, मार्गस्थ/भण्डारण में हानि तथा नकली राशन-कार्डों आदि के दुरुपयोग तथा विपथन के प्रति काफी सुभेद्य थी।

लाभभोगियों के ज्ञान के आकलन हेतु सर्वेक्षण करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा अधिकृत ओ.आर.जी.-एम.ए.आर.जी. की सेवाओं से राशन कार्ड प्राप्त करने, अधिक मूल्य वसूल करने, उचित दर दुकानों को यथासमय न खोलने, निरन्तर स्टॉक-आऊट स्थितियों, उचित दर दुकान स्वामियों द्वारा कम तोलने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से घटिया खाद्यान्नों की आपूर्ति, उनकी पात्रता हेतु जागरूकता की कमी आदि की समस्याओं का पता चला।

अतः इस योजना को केवल सुरक्षा-भण्डार के अनुरक्षण तक सीमित करने तथा राज्य सरकारों, जिन्हें खाद्यान्नों की उनकी अपनी आवश्यकता के भण्डारण हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, को परिवहन तथा परचून-बिक्री के उत्तरदायित्व के अन्तरण की दृष्टि से उसके पुनर्गठन की आवश्यकता है।

(अध्याय-I)

**ग्रामीण विकास मंत्रालय**  
(ग्रामीण विकास विभाग)

**ग्रामीण रोज़गार उत्पादन कार्यक्रम**

जवाहर रोज़गार योजना तथा रोज़गार आश्वासन योजना के निष्पादन पुनरीक्षण से लक्ष्य निर्धारण, निरर्थक रोज़गार उत्पादन के लिये प्रमुख संसाधन की पर्याप्तता, वास्तव में उत्पादित रोज़गार के प्रमाण तथा सर्जित की गई बताई गई परिसंपत्तियों के प्रमाण के अभाव के क्रांतिक क्षेत्रों में गम्भीर कमियों का पता चला।

ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम के लिए जारी अपर्याप्त राशि का अप्राधिकृत उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया गया था। 33380 करोड़ रु. के कुल व्यय में से, 9436.10 करोड़ रु. की लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई थी। इनमें से राज्य सरकारों/कार्यकारी एजेंसियों ने 3250 करोड़ रु. का विपथन किया जो कि कुल व्यय का लगभग 30 प्रतिशत बनता था। इससे ग्रामों के गरीब लोग रोज़गार के अवसरों से वंचित रहे।

कार्यक्रम हेतु प्रदत्त वित्तीय संसाधनों ने एक वर्ष में रोज़गार के इच्छुक लोगों को औसतन केवल 16 दिन का ही रोज़गार दिया।

इन योजनाओं का पहले लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण किया गया था तथा 1990, 1995 तथा 1997 के दौरान रिपोर्टें संसद को प्रस्तुत की गई थी। लोक लेखा समिति तथा आकलन समिति ने भी पहले कार्यान्वयन तथा



नियन्त्रण प्रणालियों को मजबूत करने की सिफारिश भी की थी। इसके बावजूद, कार्यक्रम उपचारी उपायों के बिना ही चल रहे हैं। इससे पूर्व क्रांतिक क्षेत्रों में इंगित की गई कमियां अभी भी विद्यमान हैं जो कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं।

कार्यान्वयन एजेंसियों तथा राज्य सरकारों द्वारा रोजगार को मौखिक रूप से बताने की प्रवृत्ति अभी भी चल रही है। सूचित रोजगार उत्पादन, प्रामाणिक नामावलियों की वास्तविक गणना के आधार की बजाए, बताए गए व्यय के न्यूनतम मजदूरी से विभाजित मजदूरी संघटन की सैद्धान्तिक गणना पर आधारित है। गलत सूचना देने के लिए कड़े उपाय करने के बजाए मंत्रालय ने इन सूचनाओं को स्वीकार कर के एक प्रकार से कुप्रबन्ध को बढ़ाया जो कि गलत निरूपण/धोखेबाजी को निश्चित करता है।

जानबूझ कर गलत सूचना देना इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि बहुत से मामलों में कार्यान्वयन एजेंसियां नामावलियों तथा परिसम्पत्तियों की सूची, जिन पर दैनिक मजदूरों का कार्य कराना अपेक्षित था, के आधार पर अपनी रिपोर्टों को प्रमाणित करने में समर्थ नहीं थी। इस प्रकार मुख्य प्रमाण अर्थात् नामावलियां तथा दूसरा प्रमाण अर्थात् परिसम्पत्तियों की सूची संदिग्ध थे। परिणामस्वरूप, रोजगार उत्पादन के दावे संदेहास्पद थे।

पहले इंगित की गई अन्य गम्भीर कमियां जैसे कि मजदूरी-सामग्री अनुपात का पालन न करना, मजदूरी के भुगतान में विलम्ब, न्यूनतम मजदूरी दर से कम अदा की गई मजदूरी, अधूरे तथा छोड़ दिए गए निर्माण कार्य, निर्माण कार्य का अनुरक्षण न करना आदि भी विद्यमान थीं।

ओ.आर.जी.-एम.ए.आर.जी. द्वारा किए गए सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त लाभभोगियों के ज्ञान के माध्यम से बहुत सी उपर्युक्त तथा और अधिक उनके दृष्टिकोण से जिनके लिए कार्यक्रम चल रहा था, कमियों का पता चला। उनमें से कुछ लाभभोगियों के बीच योजनाओं के सामान्य तत्वों के बारे में जानकारी का अभाव, विकास कार्यों पर निर्णयों के लिए ग्राम सभा बैठकों में लाभभोगियों द्वारा भाग न लेना, निर्माण कार्य के निष्पादन में बड़ी संख्या में ठेकेदारों की उपस्थिति, प्रभावशाली व्यक्तियों की निजी भूमि पर परिसम्पत्तियों का सृजन तथा गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों के लिए रोजगार थीं।

(अध्याय-III)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(महिला एवं बाल विकास विभाग)

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना; जिसका लक्ष्य बाल स्वास्थ्य में सुधार, बाल-पोषण, मातृ स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शिक्षा



को एकल योजना में समेकन के द्वारा छः वर्षों से कम आयु के बच्चों का विस्तृत विकास करना था, व्यय के अपर्याप्त स्वरूप एवं निष्पादन तथा कार्यक्रम के विस्तार हेतु सरकार द्वारा पर्याप्त साधन उपलब्ध करने में असफल रहने के कारण बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार, मातृ-संरक्षण में विफल रहीं। सम्पूर्ण देश को आवृत्त करने के उद्देश्य से 5618 में से केवल 4200 परियोजनाएं ही परिचालित थी। कार्यक्रम के 25 वर्षों से प्रचलन में रहने के उपरान्त भी लक्षित वर्ग का 25 प्रतिशत अनावृत्त रहा।

पूरक पोषण कार्यक्रम, राज्य सरकारों द्वारा लाभभोगियों की पहचान में विफलता, लाभभोगियों का अपर्याप्त विस्तार, संभरण में भारी व्यवधान, भोजन में पोषक तत्वों का अभाव एवं राज्य सरकारों द्वारा अपर्याप्त बजट सहायता, इत्यादि के कारण अकर्मण्य रहा।

बच्चों तथा गर्भवती माताओं हेतु निर्दिष्ट सेवाओं के कार्यान्वयन को, उनकी पहचान के आधारभूत सर्वेक्षण में कमी, अभिलेखों का अनुरक्षण न करने इत्यादि के कारण हानि हुई।

किशोर बालिकाएँ सबसे अधिक उपेक्षित लाभभोगियों में से थी क्योंकि इस घटक के निष्पादन को अनुश्रवण करने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया।

यहां तक कि विश्व बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध की गई सहायता का या तो अधिकतम उपयोग नहीं हुआ या फिर अकार्यक्रमों में विपथन किया गया। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों को उठाने एवं उपयोग करने में राज्य स्तर पर अव्यवस्था के कई मामले भी जानकारी में आये।

अधिकांश राज्यों में विटामिन 'ए' घोल की कोई आपूर्ति नहीं की गई थी। आंगनवाड़ी केन्द्रों को औषधि बस्तों की आपूर्ति, कय तथा वितरण प्रणालियों में त्रुटियों तथा उनको केन्द्रीय रूप से प्राप्त करने के मंत्रालय के आग्रह के कारण निराशाजनक थी।

चलचित्रों/चित्रपटिकाओं की अनुपलब्धता, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी, प्रक्षेपकों की अप्राप्ति, दोषपूर्ण उपस्करों आदि ने पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा घटक को गंभीर रूप से प्रभावित किया।

(अध्याय-II)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(शिक्षा विभाग)

राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पौषणिक सहायता कार्यक्रम

प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के नामांकन एवं अवधारण को प्रोत्साहित करने तथा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभोमीकरण की दृष्टि से उनकी पौषणिक स्थिति को सुधारने के लिए अगस्त 1995 में आरंभ किया गया राष्ट्रीय प्राथमिक



शिक्षा पौषणिक सहायता कार्यक्रम, परियोजना की संकल्पना, निष्पादन, अपर्याप्त निधियों तथा योजना के अनुश्रवण आदि में गंभीर कमियों के कारण प्रायः विफल रहा।

सरकार द्वारा नियत लक्ष्य, कार्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु अनिवार्य से समानता से कम थे। यहां तक कि वास्तविक व्यापकता भी कम थी। आहार सामग्री के वास्तविक वितरण के अनुसार कम से कम 58 प्रतिशत इस लाभ से वंचित रह गए। योजना के अंतर्गत राज्यों को खाद्यान्न का आवश्यकता से कम आबंटन किया गया। इसके बावजूद, राज्यों द्वारा बिल्कुल कम खाद्यान्न उठाया गया।

राज्य सरकारें पौषणिक स्तर को सुनिश्चित नहीं कर सकीं क्योंकि खाद्यान्नों की मात्रा 1995-99 में 1.17 कि.ग्रा. प्रति विद्यार्थी प्रति मास तक कम कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों के पौषणिक स्तर का अनुरक्षण करने के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किया गया था।

कार्यक्रम के आरंभ होने के दो वर्षों के भीतर स्थानीय व्यवस्था करके तैयार भोजन उपलब्ध कराने का प्रबन्ध नहीं किया गया। 11.50 करोड़ बच्चों में से लगभग 20 प्रतिशत मात्र को ही तैयार भोजन उपलब्ध कराया बताया गया था।

बहुत बड़े पैमाने पर हानियां, खाद्यान्नों का दुर्विनियोग, बच्चों के बाल भोज तथा वन विहार के लिए खाद्यान्नों की बिक्री आय का उपयोग करके लाभांश का अप्राधिकृत रूप से रोकना, लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई अन्य कमियां थीं।

(अध्याय-II)

खाद्य तथा उपभोक्ता कार्य मंत्रालय

सार्वजनिक वितरण प्रणाली





## अध्याय-I : खाद्य तथा उपभोक्ता कार्य मंत्रालय

### खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग

#### 1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली

##### विशिष्टताएं

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न प्राप्ति का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आपूर्ति करना है। यह व्यवस्था खाद्यान्नों की खुले बाजार मूल्यों में उतार-चढ़ाव को संतुलित करने के अतिरिक्त खाद्यान्नों तथा कुछ अन्य अनिवार्य वस्तुओं की कम मूल्यों पर निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयत्न करती है। सा.वि.प्र. की मध्यस्थता का उद्देश्य खाद्यान्नों की सुलभता के अतिरिक्त, सभी के लिए उनकी उपलब्धता, समर्थता तथा स्वीकार्यता को सुधारना है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबन्धन/कार्यान्वयन के पुनरीक्षण से लाभभोगियों की पहचान, खाद्य तथा पोषक सुरक्षा की पर्याप्तता, पहचाने गए समूहों को अपर्याप्त आय के अन्तर्गत, कार्यों की उच्च लागत, उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूलने, हल्की गुणवत्ता तथा अविद्यमान सतर्कता प्रणाली आदि, जिनसे सा.वि.प्र. के विचारित उद्देश्यों की पूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, से संबंधित कई कमियां सामने आईं।

1992-99 के दौरान, खाद्य, चीनी तथा मिट्टी के तेल की कुल आर्थिक सहायता 77379 करोड़ रु. हो गई। इसके अतिरिक्त, पांच राज्य सरकारों ने खाद्यान्न वितरण की उनकी अपनी योजना पर 6896 करोड़ रु. की आर्थिक सहायता प्रदान की। जबकि सतत खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रति वर्ष लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य एक बड़ी सीमा तक प्राप्ति कर लिया गया है, कुल मिलाकर उपभोक्ताओं, विशेषकर कम दरों पर कमजोर वर्गों को, आपूर्ति तथा वितरण के अन्य उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए हैं।

अप्रभावी लक्ष्य निर्धारित करने से सा.वि.प्र. प्रभावित हुई है जिसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले घरों को सामान्य सा.वि.प्र. मूल्य से लगभग आधे मूल्य पर प्रति परिवार प्रति मास 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किए जाने थे। कई राज्य सरकारें इस उद्देश्य को कार्यरूप देने में विफल रही। गरीबी के परिवारों की पहचान हेतु 31 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में से 18 में सर्वेक्षण पूरे नहीं किए गए थे। उन राज्यों में भी जिनमें पहचान कार्य पूरा कर लिया गया था, एक बड़ी संख्या में गरीबी के परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

इसके अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तथा गुजरात में योजना आयोग के विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुमानित संख्या की तुलना में काफी अधिक लोगों को गरीबी श्रेणीबद्ध किया गया था। इसके परिणामस्वरूप गरीबी जनसंख्या की निर्धारित हकदारी कम हो गई थी क्योंकि

भा.खा.नि. द्वारा गरेनी के परिवारों के लिए आबंटन विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुमानित संख्या के आधार पर निर्धारित किए गए थे।

बहुत से मामलों में, गरेनी के परिवारों ने विशेष सहायता दरों पर 10 कि०ग्रा० राशन की निर्धारित मात्रा प्राप्त नहीं की थी तथा उनसे अधिक दरें वसूल की गई थी। राज्य सरकारों ने संघ सरकार द्वारा संचालन, परिवहन आदि के प्रति प्रदान की गई लागत के अतिरिक्त आई लागत वहन नहीं की तथा उपभोक्ताओं से उच्च लागत ली गई जिसके परिणामस्वरूप ल.सा.वि.प्र. का मुख्य उद्देश्य विफल हो गया।

विशेष गरेनी के मूल्य पर प्रति परिवार केवल 10 कि.ग्रा. की मात्रा, वहनीय मूल्य की खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सार्थक नहीं थी क्योंकि यह पांच सदस्यों वाले औसत आकार के परिवार के लिए लगभग 53 कि.ग्रा. खाद्यान्न की मासिक आवश्यकता के 20 प्रतिशत से भी कम को पूरा करती थी। इस प्रकार कम कीमत पर गरेनी के परिवारों को खाद्यान्नों की सीमित मात्रा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा इस मध्यस्थता से उनके द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों की समस्त मात्रा के लिए 1.05 रु. के प्रति केवल 75 पै. के गरेनी के परिवार द्वारा दिए गए प्रति कि.ग्रा. औसत मूल्य में कमी की जा सकती थी। प्रति परिवार प्रति मास वितरण केवल 6.5 कि.ग्रा. ही था। इस प्रकार, जबकि राजकोष पर पड़नेवाली लागत बहुत अधिक थी, उपभोक्ता को लाभ बहुत कम था।

उपभोक्ताओं को खाद्यान्न सहायता वितरण के लाभ नगण्य थे। सा.वि.प्र. मध्यस्थता के कारण मासिक प्रति परिवार आय अन्तरण, उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़ कर, महत्वहीन 30 रु. से भी कम था। ल.सा.वि.प्र. के आरम्भ होने के बाद भी, गरेनी के लोगों के लिए प्रति परिवार प्रति मास अन्तरित आय 22 रु. से 46 रु. के बीच थी। पंजाब में यह सात रु. से भी कम थी।

चावल तथा गेहूं के आबंटन में महत्वपूर्ण अन्तर्राज्यीय अन्तर देखे गए। गरीब लोगों की अधिक जनसंख्या वाले राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल, जिनकी गरेनी की जनसंख्या देश की कुल गरेनी की जनसंख्या का 60 प्रतिशत थी, में निष्पादन अपेक्षाकृत कम था।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मिट्टी के तेल के प्रति व्यक्ति आबंटन में काफी अन्तर था। बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तथा उत्तर प्रदेश के अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों को 10 कि०ग्रा० प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आबंटन की तुलना में चण्डीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा पंजाब के सुसम्पन्न राज्यों/सं.शा.क्षे. को 17 कि०ग्रा० तथा 34 कि०ग्रा० प्रति वर्ष के बीच प्रति व्यक्ति आबंटन था, जो इस सहायता वस्तु के पर्याप्त विपथन की ओर संकेत करते हैं।

दिल्ली को उसके उपभोक्ताओं के लिए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 9.6 कि.ग्रा. की वास्तविक हकदारी के प्रति चीनी के प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 15 कि०ग्रा० आबंटन का असमानुपातिक रूप से अधिक कोटा आबंटित किया गया था। अधिकतर अन्य राज्यों में चीनी का आबंटन केवल 5 कि०ग्रा० प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष था।

पोषक स्थिति पर किए गए कई अध्ययनों से बड़ी मात्रा में चल रहे कुपोषणों का पता चला है, जो यह बताता है कि आम लोग, विशेषकर गरीबों के लोग कम मूल्य पर सा.वि.प्र. तन्त्र के माध्यम से खाद्यान्नों की उपलब्धता के बावजूद पोषण के अभीष्ट स्तर को प्राप्त नहीं कर सके।

योजना के पुनरीक्षण से मिट्टी के तेल सहित बड़ी संख्या में सा.वि.प्र. पदार्थों के विपथन, कुछ राज्यों विशेषकर असम में मिलमालिकों को अनुचित लाभ, पारगमन तथा भण्डारण में क्षति, बड़ी संख्या में नकली राशन कार्डों की विद्यमानता, उपभोक्ताओं से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य प्रभारित करने, सा.वि.प्र. के माध्यम से आपूर्त खाद्यान्नों की घटिया गुणवत्ता आदि का पता चला जिसने सा.वि.प्र. की प्रभावोत्पादकता को कम कर दिया।

खाद्यान्नों के वितरण तथा भण्डारण हेतु अवसंरचना, तथा उचित मूल्य दुकानों को उन्हीं के स्थान पर सुपुर्दगी प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने 1983-99 के दौरान गोदामों के निर्माण तथा चल-वाहनों की खरीद के लिए क्रमशः 58.73 करोड़ रु. तथा 62.96 करोड़ रु. जारी किए। तथापि, राज्य सरकारों के उत्तर उत्साही नहीं थे। बड़ी संख्या में गोदामों का निर्माण नहीं किया गया जिनके लिए केन्द्रीय सरकार ने निधियां प्रदान की थी, तथा बहुत से गोदामों का अभिप्रेत उपयोग नहीं किया गया था। कई राज्य सरकारों ने वे चल-गाड़ियां, नहीं खरीदी, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निधियां जारी की गई थी,। बड़ी संख्या में गाड़ियां खराब थी अथवा खाद्यान्नों के द्वार वितरण के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु प्रयोग की गई थी। इससे यह पता चला कि इन योजनाओं के प्रतिपादन तथा कार्यान्वयन दोषपूर्ण थे।

सतर्कता तथा अनुश्रवण तन्त्र ने या तो बिल्कुल काम नहीं किया या फिर सभी स्तरों जैसे राज्य, जिला तथा उचित मूल्य दुकान के स्तरों पर डिजाइन के अनुरूप काम नहीं किया। समुचित अनुश्रवण तथा सतर्कता प्रणाली को लागू करने में राज्य सरकारों की विफलता ने सरकार को कार्यक्रम के निष्पादन पर समवर्ती प्रतिप्राप्ति से वंचित कर दिया।

सा.वि.प्र. के विषय में लाभभोगियों के प्रत्यक्ष ज्ञान के आकलन हेतु सर्वेक्षण करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा ऑर्ग-मार्ग की सेवाएं प्राप्त की गई थी। योजना का लाभभोगी बोध सामान्य असंतोष में से एक था। उन्होंने राशन कार्ड प्राप्त करने में अक्षमता, अधिक मूल्य प्रभारित करने, उचित दर दुकानों के कभी कभी खुलने, आम तौर पर स्टॉक न होने, उचित दर दुकानों के मालिकों द्वारा कम तोलने, सा.वि.प्र. के माध्यम से घटिया किस्म के खाद्यान्न उपलब्ध कराने, उनकी हकदारी का पता न होने, तथा शिकायत सुधार प्रक्रिया विद्यमान न होने आदि की समस्याएं बताईं।



### प्रस्तावना

1.1 सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत में सरकार की खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। सा.वि.प्र.<sup>1</sup> में अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति का प्रबन्ध तथा लोगों को वहनीय मूल्य पर बिना रुकावट के उनके प्रवाह को बनाए रखना शामिल है। यह खाद्य के लिये खुले बाजार भाव को संतुलित रखने के लिये भी एक साधन है। सा.वि.प्र. के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार ने अनिवार्य वस्तुओं के प्रापण तथा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से उचित दर दुकानों के एक तंत्र द्वारा लोगों को लगभग एक जैसे मूल्य पर वितरण के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को आपूर्ति का उत्तरदायित्व दिया है।

1.1.1 अनिवार्य वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण भारत में अंतर्गुहकाल से विद्यमान था। सा.वि. प्र., शहरी दुर्लभता क्षेत्रों में खाद्यान्नों के वितरण पर 1960 के वर्षों से गम्भीर खाद्य कमियां प्रकट होने पर संकेन्द्रित की गई थी। सा.वि.प्र. ने तब से खाद्य मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए बहुत काम किया तथा शहरी उपभोक्ताओं को अधिक खाद्य सामग्री सुनिश्चित की थी। चूंकि हरित क्रान्ति के परिणाम से राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी, 70 तथा 89 के वर्षों में सा.वि.प्र. की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों, जनजातीय समूहों तथा अत्यधिक गरीब क्षेत्रों में बढ़ा दी गई थी। वर्तमान समय में इसका संकेन्द्रण सभी क्षेत्रों में गरीब लोगों पर है। नवी योजना (1997-2002) का लक्ष्य विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे का है तथा इसमें खाद्य सुरक्षा का विस्तृत परिदृश्य प्रतिज्ञापित है, जिसमें सभी के लिए सन्तुलित भोजन की उपलब्धता, सुलभता, स्वीकार्यता तथा वहनीयता तथा सभी के लिये पोषण को सुनिश्चित करते हुए पोषक सुरक्षा भी शामिल है। खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई उपलब्धता के साथ-साथ सा.वि.प्र. के साथ एक और आयाम जोड़ा गया था। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिस पर भारतीय खाद्य निगम ने किसानों से खरीद की थी, नियत करके खाद्य उत्पादन का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए था। इस प्रकार सा.वि.प्र. खाद्य उत्पादन को बनाए रखने तथा साथ में उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों की सहायता मूल्य पर आपूर्ति का साधन बन गई।

1.1.2 सा.वि.प्र., 1992 तक, बिना किसी विशेष लक्ष्य के, सभी उपभोक्ताओं के लिए एक सामान्य हकदारी योजना थी। सा.वि.प्र. ने उचित दर दुकानों के तंत्र से उपभोक्ताओं को खुली बाजार कीमतों से कम कीमतों पर मूल खाद्य मदों (चावल, गेहूं, चीनी तथा खाद्य तेल) तथा अन्य अखाद्य उत्पादों (मिट्टी का तेल तथा कोयला) की अनुभक्त मात्रा प्रदान की।

प्रणाली की पहुंच लगभग सार्वभौमिक थी। सा.वि.प्र. का कार्यान्वयन केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों/सं.शा.क्षे.<sup>2</sup> प्रशासनों का संयुक्त उत्तरदायित्व था। केन्द्रीय सरकार, सा.वि.प्र. की वस्तुओं की खरीद, उनके भण्डारण तथा केन्द्रीय गोदामों तक उनके परिवहन तथा उन्हें राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी थी। भा.खा.नि.<sup>3</sup> खाद्यान्नों की खरीद, भण्डारण, आवाजाही तथा वितरण के लिए उत्तरदायी है। इनके अतिरिक्त, 12 राज्यों में खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति निगम अथवा सहकारी विपणन एजेंसियां थी जो भा.खा.नि. की ओर से खरीद अथवा बिक्री करती थी। कार्यान्वयन एजेंसियों के राज्यवार विवरण अनुबन्ध II में दिए गए हैं। शेष राज्यों/सं.शा.क्षे. में सा.वि.प्र. का कार्य राज्य सरकारों/सं.शा.क्षे. प्रशासनों द्वारा चलाया तथा

<sup>1</sup> सार्वजनिक वितरण प्रणाली

<sup>2</sup> संघ शासित क्षेत्र

<sup>3</sup> भारतीय खाद्य निगम



नियंत्रित किया गया था। भा.खा.नि. ने केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए आबंटनों के आधार पर सा.वि.प्र. को खाद्यान्न जारी किए।

1.1.3 अभी हाल ही में 1997-98 खरीफ विपणन सत्र से अपनाई गई विकेन्द्रीकृत प्रापण योजना के अन्तर्गत, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने धान/चावल की खरीद प्रारम्भ की थी। चावल की आर्थिक लागत तथा केन्द्रीय निर्गम मूल्य के बीच अन्तर राज्य सरकारों को जारी कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने भी उक्त योजना के अन्तर्गत गेहूँ की खरीद की इच्छा व्यक्त की थी।

उ.द.दु.<sup>4</sup> के तन्त्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को वास्तविक वितरण का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/सं.शा.क्षे. का था। जून 1999 तक देश में 4.53 लाख उ.द.दु. थी।

1.1.4 सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारम्भ में सार्वभौमिक लक्ष्य था। जबकि सार्वभौमिक लक्ष्य निर्धारण सा.वि.प्र. के अन्तर्गत चालू था, भारत सरकार ने देश भर में लाभ प्राप्त न करने वालों तथा गरीबों का पता लगाने की दृष्टि से 1775 ब्लॉकों में जून 1992 में नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा जून 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारम्भ की। न.सा.वि. प्र. तथा ल.सा.वि.प्र. की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

	न.सा.वि.प्र.	ल.सा.वि.प्र.
1. लक्षित समूह	गरीब क्षेत्रों में सभी व्यक्ति। इसने जनजातीय तथा पहाड़ी, सूखा ग्रस्त तथा दूरस्थ क्षेत्रों में 1775 ब्लॉकों को आवृत्त किया।	समस्त क्षेत्रों में गरीब व्यक्ति। सारे देश में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों पर केन्द्रित की गई। प्रारम्भ में ल.सा. वि.प्र. में उन गरीब परिवारों की संख्या को अपनाया जैसा कि योजना आयोग के विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुमान लागया गया था।
2. राशन मान	5 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति, अधिकतम 20 कि. प्रति परिवार प्रति मास	ग.रे.नी. <sup>5</sup> के प्रत्येक परिवार के लिए प्रति मास 10 कि.ग्रा.
3. निर्गम मूल्य	खाद्यान्न के.नि.मू. <sup>6</sup> से 50 पैसे कम पर जारी किए गए थे तथा राज्यों को उन्हें अधिकतम 25 पैसे प्रति कि.ग्रा. के लाभ पर बेचने के लिए कहा गया था।	चावल तथा गेहूँ की क्रमशः 350 रु. तथा 250 रु. प्रति क्विंटल की विशेष सहायता दर

1.1.5 ग.रे.नी. के परिवारों, जिनमें गुणात्मक प्राचलों जैसे परिवार का व्यवसाय, आवास स्थितियां, कमाने वालों की संख्या, परिचालित/स्वामित्व वाली भूमि का कब्जा, पशुधन, टी.वी., रेफ्रिजरेटर, मोटर साइकिल/स्कूटर, तिपहिए, ट्रैक्टर, बिजली के कर्णदण्ड, संयुक्त गाहने की मशीनें आदि शामिल हों, वर्गीकरण के लिए एक बहुदृश्यीय मापदण्ड अपनाया गया था। गरीब लोगों तक पहुंचने के लिए डिजाइनिंग तथा लक्ष्य तन्त्र के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य

<sup>4</sup> उचित दर दुकान

<sup>5</sup> गरीबी रेखा से नीचे

<sup>6</sup> केन्द्रीय निर्गम मूल्य

सरकारों का था। उन्हें गरीब लोगों की पहचान करनी, विशेष कार्ड जारी करने तथा अभिप्रेत लाभभोगियों को खाद्यान्न वितरित करने थे।

**1.1.6** इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार सा.वि.प्र. आधारभूत अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए दो प्रमुख केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं चला रही थी ; (i) गोदामों के निर्माण हेतु सहायता की योजना तथा (ii) न.सा.वि.प्र. के भाग के रूप में चलगाड़ियों/ट्रकों की खरीद हेतु सहायता योजना। गोदामों के निर्माण की योजना का अभीष्ट 1991-92 तक 25 प्रतिशत आर्थिक सहायता तथा 75 प्रतिशत कर्ज, जिसे 1992-93 से 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता तथा 50 प्रतिशत कर्ज के रूप में संशोधित किया गया था, पर भण्डारण अवसंरचना के सृजन हेतु आर्थिक सहायता दी जानी थी। चल गाड़ियों की खरीद की योजना का लक्ष्य उ.द.दु. तथा उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से खाद्यान्नों की द्वार वितरण सुनिश्चित करना था। केन्द्रीय सरकार ने 1983-99 के दौरान 2.99 लाख टन की कुल क्षमता के 551 गोदामों के निर्माण के लिए 58.73 करोड़ रु. तथा 1985-99 के दौरान 1536 गाड़ियों/ट्रकों की खरीद के लिए 26 राज्यों/सं.शा.क्षे. को 62.96 करोड़ रु. की आर्थिक सहायता जारी की।

## 1.2. लेखापरीक्षा का कार्य-क्षेत्र

**1.2.1** निम्नलिखित के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक निष्पादन पुनरीक्षण किया गया था;

- यह निर्धारित करना कि किस सीमा तक सा.वि.प्र., न.सा.वि.प्र. तथा ल.सा.वि.प्र. के कथित कार्य-नीति उद्देश्य पूरे हुए थे;
- लक्षित लोगों के लिए परिवार स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में इन योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रभाव का आकलन करना;
- सा.वि.प्र. के माध्यम से वितरित वस्तुओं की गुणवत्ता, सुलभता, उपलब्धता, वहनीयता तथा स्वीकार्यता से संबंधित मामलों सहित वितरण तंत्र में आपूर्ति पक्ष की अड़चनों तथा विपथनों की पहचान करना;
- अनिवार्य वस्तुओं, परिवहन गतिरोधों, अप्रभावी सतर्कता प्रबन्धों, अनुश्रवण तथा निरीक्षण तंत्र की कमियों, विपथन तथा चोरी का पता लगाना;
- सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. में आने-जाने वाली वस्तुओं की पद्धति का विश्लेषण करना तथा उसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभों का मूल्यांकन करना; तथा
- खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में पड़ने वाले दबावों का पता लगाना जैसे कि मोटै तौर पर समझा गया है, जिसमें नागरिकों को सक्रिय तथा निरोग जीवन सुनिश्चित करने के लिए पोषक सुरक्षा भी शामिल है।

**1.2.2** 1992-97 की आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि तथा नवीं पंचवर्षीय योजना अवधि अर्थात् 1997-1999 के दो वर्षों को आवृत करते हुए खाद्य तथा उपभोक्ता कार्य मंत्रालय तथा भारतीय खाद्य निगम तथा 25 राज्यों तथा 6 सं.शा.क्षे. में कार्यान्वयन एजेंसियों में मई से सितम्बर 1999 के दौरान नमूना जांच द्वारा सा.वि.प्र. का एक पुनरीक्षण किया गया था। लेखापरीक्षा पुनरीक्षण के लिये नमूने में इन राज्यों/सं.शा.क्षे. में 172 जिलों तथा 4661 उ.द.दु. को आवृत किया गया था।

**1.2.3** सा.वि.प्र. से होने वाले लाभ का पता लगाने के लिए एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण करने के लिए ऑर्ग-मार्ग अनुसंधान लिमिटेड की सेवाएं अधिकृत की गई थी। ऑर्ग-मार्ग द्वारा किए गए सर्वेक्षण में सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. को शामिल किया गया। सर्वेक्षण के नमूने में 140 जिलों के

285 शहरों तथा 1223 गांवों को शामिल किया गया। अपने सर्वेक्षण में ऑर्ग-मार्ग ने 64292 घरों से सम्पर्क किया जिनमें से 43205 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 21087 शहरी क्षेत्रों में थे। सर्वेक्षकों ने जुलाई 1999 से अक्टूबर 1999 के दौरान क्षेत्र-कार्य किया।

पुनरीक्षण में आवृत्त समुचित प्रकरणों/उप-प्रकरणों सहित सर्वेक्षण के परिणाम पुनरीक्षण में शामिल किए गए हैं। सर्वेक्षण की उपलब्धियों का सारांश अनुबन्ध 2 में दिया गया है। लेखापरीक्षा परिणामों को लेखापरीक्षा के लिए चुने गए नमूने के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

### 1.3. खाद्य सहायता

1.3.1 कुल खाद्य सहायता, जो कि 1992-93 में 2800 करोड़ रु. के लगभग थी, धीरे-धीरे बढ़कर 1998-99 के दौरान 8700 करोड़ रु हो गई। योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार, भा.खा.नि. ने केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत एकरूप केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर राज्यों को एक औसत के आधार पर 15-16 मिलियन टन खाद्यान्न वार्षिक रूप से जारी किए। आर्थिक लागत, जो किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जमा रखाव लागत को निरूपित करती है तथा के.नि.मू. जो वह मूल्य है जिस पर भा.खा.नि. राज्य सरकार को खाद्यान्न जारी करता है, के बीच का अन्तर उपभोक्ता की आर्थिक सहायता है। आर्थिक सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाती है। इसके अतिरिक्त, भा.खा.नि. ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आपाती स्थिति से निपटने, जैसे फसल पैदा न होने, प्राकृतिक आपदा तथा खाद्यान्नों की आपूर्ति तथा मूल्य को अन्तर्मौसमी स्थिरता प्रदान करने के लिए खाद्यान्नों का बड़ा प्रतिरोधक भण्डार बनाए रखा। भा.खा.नि. ने भारत सरकार की ओर से खाद्यान्नों का प्रतिराधी भण्डार बनाए रखा। भाड़ा, संचालन खर्च, भण्डारण प्रभार, ब्याज प्रभार तथा मार्गस्थ तथा भण्डारण कमियां तथा प्रशासनिक खर्च समाविष्ट करते हुये प्रतिरोधक भण्डारण की लागत वहन करने हेतु भा.खा.नि. को प्रतिपूर्त किए गए थे। उपभोक्ता आर्थिक सहायता तथा प्रतिरोधी भण्डार की रखाव लागत दोनों को मिलाने से कुल खाद्य आर्थिक सहायता बन गई। खाद्य आर्थिक सहायता, जो कुल मिलाकर 1992-99 के दौरान 41081 करोड़ रु थी, भारत सरकार की ओर से एक अति महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता थी। इसके अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तथा गुजरात की राज्य सरकारों ने 1992-99 के दौरान उनकी अपनी खाद्य आर्थिक सहायता योजनाओं पर 6896 करोड़ रु का अतिरिक्त खर्च किया जिनका विवरण अनुबन्ध-3 में दिया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की गई खाद्य आर्थिक सहायता के विवरण निम्नलिखित थे:

(करोड़ रु में)

वर्ष	खाद्यान्नों पर आर्थिक सहायता (प्रतिरोधी भण्डार को बनाए रखने के लिए आर्थिक सहायता सहित)
1992-93*	2800
1993-94*	5537
1994-95	5100
1995-96	5378
1996-97	6066
1997-98	7500
1998-99	8700
जोड़	41081**

\* चीनी के वितरण पर आर्थिक सहायता सहित।

\*\* खाद्यान्न आर्थिक सहायता के प्रति 4109.14 करोड़ रु के दावे मार्च 1999 तक भा.खा.नि. को किए जाने वाले भुगतानों के लिए बकाया थे।

1992-99 के  
दौरान खाद्य  
सहायता कुल  
मिलाकर 41081  
करोड़ रु थी।

भा.खा.नि. तथा राज्य सरकार दोनों की सा.वि.प्र. की संचालन की लागत बढ़ रही थी।

**1.3.2** केवल खाद्य आर्थिक सहायता ही संघ सरकार के 1987-88 तथा 1998-99 के बीच के 12 वर्षों में से 10 वर्षों में बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे का सात प्रतिशत से भी अधिक हो गई। बढ़ती हुई आर्थिक सहायता के कारण मोटे तौर पर दो प्रकार के थे। भा.खा.नि. तथा राज्यों/सं.शा.क्षे. दोनों द्वारा सा.वि.प्र. के संचालन की बढ़ती हुई लागत के अतिरिक्त प्रति वर्ष घोषित किए गए चावल तथा गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रत्येक उर्ध्वगामी संशोधन सहित के.नि.मू. का संशोधन न करना, एक महत्वपूर्ण अंशदायी कारण था।

### 1.3.3 न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा केन्द्रीय निर्गम मूल्य

**1.3.3.1** भा.खा.नि. ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदे तथा केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर उन्हें राज्यों/सं.शा.क्षे. को वितरित कर दिया। कृषि लागत तथा मूल्य आयोग (कृ.ला.मू.आ.) राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों, की सिफारिशों के आधार पर कृषि मंत्रालय ने किसानों द्वारा उत्पादकता को बढ़ाने के साथ-साथ सन्तुलित तथा एकीकृत मूल्य ढांचे को विकसित करने की दृष्टि से विभिन्न फसलों का वार्षिक न्यू.स.मू.<sup>7</sup> नियत किया। समर्थन मूल्य ने निम्नतम कीमत का उद्देश्य पूरा किया तथा सरकार ने इसे उस मूल्य पर जो भी प्रस्तावित हुआ खरीद के द्वारा सुनिश्चित किया।

**1.3.3.2** गेहूँ तथा साधारण चावल का न्यू.स.मू., के.नि.मू. तथा बाजार मूल्य की श्रृंखला पैराग्राफ 1.3.3.5 के नीचे तालिका I में वर्षवार दिए गए हैं।

**1.3.3.3** 1992-93 तथा 1998-99 के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य, गेहूँ का 85 प्रतिशत तथा चावल की आम किस्म का 63 प्रतिशत तक काफी बढ़ गया था। परिणामस्वरूप किसानों ने बाजार /भा.खा.नि. खरीद केन्द्र पर भारी भण्डार उतारे। चूंकि भा.खा.नि. के पास उसके पास आने वाले माल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था, उसे उस मात्रा से अधिक गेहूँ तथा चावल खरीदना पड़ा जिसकी वह सही ढंग से व्यवस्था कर सकता था। वर्षवार खरीदे गए चावल तथा गेहूँ की मात्रा का विवरण पैराग्राफ 1.3.3.5 के नीचे तालिका II में दिया गया है।

**1.3.3.4** इसके अतिरिक्त, एक उपाय के रूप में 1992-93 के दौरान उद्घोषित गेहूँ के लिए केन्द्रीय बोनस<sup>8</sup> एक आवर्ती घटना बन गई जो 1993-94 तथा उसके पश्चात् 1997-98 तथा 1998-99 में क्रमशः 25 रु, 60 रु, तथा 55 रु प्रति क्विंटल पर चालू रही। उन वर्षों में भी जब बोनस की उद्घोषणा नहीं हुई थी, न्यू.स.मू. पिछले वर्षों के खरीद मूल्य (अर्थात् न्यू.स.मू. जमा केन्द्रीय बोनस) की तुलना में उच्च स्तर पर तय किया गया था। 11 अप्रैल 1998 को गेहूँ के लिए 55 रु प्रति क्विंटल के बोनस सहित 510 रु के न्यू.स.मू. की उद्घोषणा की गई थी। कृषि लागत तथा मूल्य आयोग ने 1998-99 के दौरान बोई गई फसलों के लिए उनके प्रतिवेदनों में यह देखा था कि 1998-99 के सत्र के लिए गेहूँ का सरकारी खरीद मूल्य प्रचलित बाजार दर से अधिक निर्धारित किया गया था तथा यह अंशदायी तत्व था जिसके परिणामस्वरूप गेहूँ के विपण्य आधिक्य का बड़ा भाग निजी व्यापार से केन्द्रीय पूल को भेज दिया गया तथा इसके

<sup>7</sup> न्यूनतम समर्थन मूल्य

<sup>8</sup> केन्द्रीय बोनस, वांछित खरीद-स्तर को प्राप्त करने के लिए उद्घोषित न्यू.स.मू. से अधिक अदा किया गया अतिरिक्त मूल्य है।



तत्काल परिणाम के रूप में उसकी समस्त विद्यमान दीर्घ-आर्थिक उलझनों तथा गरीब<sup>9</sup> लोगों पर उसके प्रतिकूल प्रभाव सहित खरीद के पश्चात् के सप्ताहों के दौरान लगभग सभी बाजारों में गेहूँ के थोक मूल्यों में तेज वृद्धि देखी गई थी।

**1.3.3.5** पिछले कई वर्षों से न्यूनतम समर्थन मूल्यों में हुई वृद्धि के अतिरिक्त, सा.वि.प्र. में भी उपभोक्ता मूल्यों में तदनुरूपी वृद्धि थी (तालिका I)। वास्तव में, खाद्यान्नों के के.नि.मू. में वृद्धि के कारण ही बाजार मूल्यों की तुलना में सा.वि.प्र. के अन्तर्गत खाद्यान्न अपेक्षाकृत अनाकर्षक हो गए। उदाहरणार्थ, जब केन्द्रीय निर्गम मूल्य 1994 में चावल के लिए 60 रु तथा गेहूँ के लिए 38 रु प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया था, खुले बाजार मूल्य तथा सा.वि.प्र. निर्गम मूल्य के बीच मूल्य में अंतर कम हो गया था। यह सा.वि.प्र. से निकास को कम करने के लिए एक अंशदायी कारण माना गया था।

गेहूँ तथा साधारण चावल के लिए वर्ष-वार न्यू.स.मू., के.नि.मू. तथा खुली बाजार कीमत दरें नीचे दी गई हैं:

तालिका I

(रु. प्रति क्विंटल)

वर्ष	साधारण चावल			गेहूँ		
	न्यू.स.मू.	के.नि.मू.	बाजार मूल्य	न्यू.स.मू.	के.नि.मू.	बाजार मूल्य
1992	270	377	450-650	275	280	260-575
1993	310	437	420-780	330	330	260-580
1994	340	537	390-850	350	402	350-600
1995	360	537	550-950	360	402	375-750
1996	380	537	650-1250	380	402	460-825
1997	415	550 (ग.रे.ऊ) 350 (ग.रे.नी.)	650-1150	475	450 (ग.रे.ऊ) 250 (ग.रे.नी.)	500-850
1998	440	550 (ग.रे.ऊ) 350 (ग.रे.नी.)	650-1020	510	450 (ग.रे.ऊ) 250 (ग.रे.नी.)	525-1100
1999	490	700 (ग.रे.ऊ) 350 (ग.रे.नी.)	700-1280	550	650	550-1100

तालिका - II

1992-99 के दौरान गेहूँ तथा चावल की वर्षवार प्राप्ति तथा निकासी

(लाख टन में)

वर्ष	प्राप्ति			निकासी		
	चावल	गेहूँ	जोड़	चावल	गेहूँ	जोड़
1992-93	114.51	63.79	178.30	91.577	72.18	163.75
1993-94	131.75	128.16	259.91	87.35	57.64	144.99
1994-95	115.32	118.68	234.00	78.99	46.97	125.96
1995-96	88.09	123.06	211.15	93.38	51.60	144.98
1996-97	128.20	81.82	210.02	110.19	83.71	193.90
1997-98	137.37	92.98	230.35	97.62	69.37	166.99
1998-99	80.35	126.45	206.80	97.39	72.39	169.78

<sup>9</sup> 1998-99 सत्र के दौरान बोर्ड हुई फसलों के लिए कृषि लागत तथा मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1998 के प्रतिवेदन के अध्याय VI से।

तालिका III : प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को प्रतिरोधक भण्डार  
प्रतिमान तथा वास्तविक भण्डार

वर्ष	प्रतिरोधक प्रतिमान			वास्तविक भण्डार		
	चावल	गेहूँ	जोड़	चावल	गेहूँ	जोड़
1992	92.00	131.00	223.00	73.68	64.82	138.50
1993	92.00	131.00	223.00	92.73	148.89	241.62
1994	92.00	131.00	223.00	132.61	174.88	307.49
1995	92.00	131.00	223.00	164.43	192.21	356.64
1996	92.00	131.00	223.00	128.82	141.31	270.13
1997	92.00	131.00	223.00	109.50	114.20	223.70
1998	92.00	131.00	223.00	120.39	164.76	285.15
1999	100.00	143.00	243.00	उ.न.	उ.न.	उ.न.

तालिका IV: प्रतिरोधक भण्डार की रखाव लागत

वर्ष	(करोड़ रु में)
1992-93(वास्तविक)	450.69
1993-94(वास्तविक)	1245.48
1994-95(वास्तविक)	1853.48
1995-96(वास्तविक)	1493.91
1996-97(वास्तविक)	803.32
1997-98 (अनन्तिम)	1104.00

खाद्यान्नों का प्रतिरोधक भण्डार 1993-96 तथा 1998 के दौरान प्रतिमानों से बहुत अधिक था जिसके कारण अधिक रखाव लागत आई जो कि 1993-98 के दौरान 450 करोड़ रु. तथा 1853 करोड़ रु. के बीच थी।

**1.3.3.6** इस संदर्भ में, मुकुलित प्रतिरोधक भण्डार भी एक महत्वपूर्ण कारण था। जबकि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को खाद्यान्नों का अनुशासित भण्डार 223 लाख टन था, भा.खा.नि. के पास 1993-99 के दौरान खाद्यान्नों का भण्डार 223.70 लाख टन तथा 356.64 लाख टन के बीच था। इतने बड़े प्रतिरोधक भण्डार को बनाए रखने के लिए रखाव लागत की आवश्यकता होती है, जो 1992-93 में 450.69 करोड़ रु. से बढ़ कर 1994-95 में 1853.48 करोड़ रु. हो गई थी। 1993-98 के दौरान प्रतिरोधक भण्डार तथा रखाव लागत के प्रतिमान पैराग्राफ 1.3.3.5 के नीचे तालिका-III तथा तालिका IV में हैं।

इस प्रकार, वर्ष दर वर्ष प्राप्ति के स्तर में वृद्धि, घटते हुए निकास, प्रतिरोधक भण्डार की रखाव लागत में वृद्धि, तेजी से बढ़ रहे न्यूस.मू. की प्रवृत्ति आदि भा.खा.नि. के माध्यम से खाद्य प्रबन्ध के पुनरीक्षण तथा यौक्तिकीकरण की आवश्यकता की ओर संकेत करते हैं। गंभीर संवीक्षा की आवश्यकता तेजी से फैल रही मान्यता, की दृष्टि से कि सा.वि.प्र. ने उत्पादन करने वाले तथा अधिक खाद्य वाले राज्यों के हितों को ही पूरा किया, सर्वोपरि है क्योंकि सा.वि.प्र. का कार्यान्वयन कई अक्षमताओं द्वारा क्षतिग्रस्त है जैसा कि इस पुनरीक्षण में बाद में उल्लेख किया गया है।

### 1.3.4 भा.खा.नि. के संचालनों की लागत

**1.3.4.1** भारत सरकार प्रशासनिक खर्चों, भाड़े, भण्डारण तथा भण्डारण प्रभारों के संबंध में भा.खा.नि. द्वारा खर्च की गई लागत की पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति करती है। 1992-99 के लिए चावल तथा गेहूँ के लिए भा.खा.नि. की संघटक-वार पूर्ण तथा प्रति क्विंटल लागत क्रमशः अनुबन्ध 4 तथा अनुबन्ध-5 में दी गई है। खाद्यान्नों की प्राप्ति तथा वितरण की आर्थिक लागत निकालने के लिए लागतों के कुछ महत्वपूर्ण संघटकों की प्रति क्विंटल औसत दरें तथा 1992-99 के दौरान भा.खा.नि. द्वारा संचालित मात्रा निम्नलिखित<sup>10</sup> थी।

<sup>10</sup> भा.खा.नि. के वार्षिक लेखाओं को 1995-96 से अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

## भा.खानि. द्वारा भाड़े, भण्डारण, ब्याज आदि की लागत के तत्व

(रु प्रति क्विन्टल)

वर्ष	खरीदी/बेची गई मात्रा		प्रशासनिक व्यय				भाड़ा प्रभार		भण्डारण प्रभार		ब्याज प्रभार	
	गेहूँ	चावल	भा.खानि.		राज्य एजेसियां		गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल
1991-92	184.90	199.56	-	-			29.35	29.35	-	-	-	-
1992-93	144.31	213.49	13.98	13.98	5.71	2.05	32.24	32.24	12.53	12.53	39.95	39.95
1993-94	219.63	226.64	10.95	10.94	4.68	2.26	50.22	41.82	8.11	8.07	33.06	42.96
1994-95	224.61	215.32	9.21	9.21	5.78	3.17	47.45	28.90	7.94	7.94	25.23	33.77
1995-96	249.28	220.33	12.07	12.07	6.44	4.20	44.21	42.65	10.97	10.97	28.88	35.88
1996-97	225.27	261.69	12.01	12.67	7.71	3.86	44.07	55.81	11.44	14.45	24.98	42.20
1997-98	171.10	259.57	19.58	19.64	7.31	2.29	66.31	61.73	19.90	16.94	40.32	49.75
1998-99	227.04	195.61	16.95	16.95	8.18	4.90	57.26	60.35	12.52	12.52	26.72	33.75

## 1992-99 के दौरान भा.खानि. को प्रतिपूर्त प्रतिरोधक भण्डार के रखाव-लागत के संघटक

(रु. प्रति क्विन्टल)

मद	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99 स.अ.
संचालन खर्चे	8.51	8.02	8.73	10.62	13.66	18.58	17.25
भण्डारण प्रभार	40.13	24.32	23.83	32.91	43.36	51.51	37.43
ब्याज प्रभार	36.70	62.97	72.06	78.37	74.51	74.88	85.99
प्रशासनिक खर्चे	10.65	8.21	6.91	9.05	9.51	12.06	12.68

स्रोत: भा.खानि. का संबंधित वर्षों का निष्पादन बजट

## 1.3.4.2 उपर्युक्त औसत लागत के तत्वों के विश्लेषण से निम्नलिखित बातों का पता चला:

- प्रति यूनिट प्रशासनिक खर्चों, भाड़ा प्रभारों, भण्डारण प्रभारों तथा ब्याज प्रभारों में वर्ष दर वर्ष काफी उतार चढ़ाव था तथा प्रति इकाई लागत में कोई सामंजस्य नहीं था।
- प्रतिरोधक भण्डार के भण्डारण प्रभारों में भी वर्ष दर वर्ष उतार-चढ़ाव था जबकि ब्याज प्रभारों में समनुरूप न्यूनाधिक वृद्धि हुई थी।

## 1.3.5 चीनी पर आर्थिक सहायता

1.3.5.1 इसके अतिरिक्त, चीनी पर आर्थिक सहायता, भारत की समेकित निधि से एक और प्रमुख निर्गम था। चीनी की दोहरी मूल्य नीति थी जिसके अन्तर्गत चीनी मिलों द्वारा चीनी की कुल उत्पादित मात्रा का 40 प्रतिशत उद्ग्रहण के प्रति सरकार को दिया जाना अपेक्षित था तथा शेष 60 प्रतिशत खुली बिक्री के लिए रखा जाना था। संघ सरकार 12 राज्यों तथा 2 सं.शा.क्षे. में चीनी के वितरण हेतु भा.खानि. को तथा राज्य सरकारों तथा सं.शा.क्षे. को उसी सिद्धान्त पर जैसे कि खाद्यान्नों के लिए अर्थात् चीनी की आर्थिक लागत तथा निर्गम मूल्य के अन्तर के लिए

आर्थिक सहायता दे रही थी। जहां राज्य चीनी की प्राप्ति तथा वितरण के प्रभारी थे, वहां आर्थिक सहायता भा.खा.नि. द्वारा अदा की गई थी तथा उसका दावा भारत सरकार से किया गया था। वर्ष-वार दी गई आर्थिक सहायता तथा 1992-93 के दौरान भा.खा.नि. द्वारा चीनी की प्राप्ति तथा वितरण पर आई लागत के विभिन्न संघटकों पर व्यय निम्न प्रकार से था:

### लेवी चीनी

वर्ष	वेची गई मात्रा (लाख टन में)	दी गई आर्थिक सहायता (करोड़ रु में)	भाड़ा		संचालन खर्चे		प्रशासनिक खर्चे		भण्डारण प्रभार	
			दर प्रति क्विंटल (रु में)	कुल व्यय (करोड़ रु में)	दर प्रति क्विंटल (रु में)	कुल व्यय (करोड़ रु में)	दर प्रति क्विंटल (रु में)	कुल व्यय (करोड़ रु में)	दर प्रति क्विंटल (रु में)	कुल प्रभार (करोड़ रु में)
1992-93	12.04	--#	53.87	64.85	12.10	14.56	17.14	20.63	6.21	7.48
1993-94	12.15	--#	78.76	95.66	13.07	15.88	15.01	18.24	3.15	3.82
1994-95	8.57	566.00	88.85	76.13	17.55	15.04	15.33	13.13	3.10	2.66
1995-96	10.61	422.00	99.82	105.86	22.25	23.60	20.04	21.25	3.52	3.74
1996-97	12.55	900.00	100.37	125.96	16.83	21.12	21.24	26.66	5.63	7.06
1997-98	12.27	400.00	105.05	128.90	17.62	21.62	17.86	21.91	6.30	7.73
1998-99	12.30	463.20*	112.24	138.05	19.00	23.38	19.99	24.59	6.54	8.04

\* अनुमानित

// मंत्रालय द्वारा आर्थिक सहायता के विवरण अलग से नहीं रखे गए।

चीनी का प्रतिरोधक भण्डार बनाए रखने के लिए वर्षवार आर्थिक सहायता भी 1994-99 के दौरान निम्न प्रकार से बढ़ गई थी।

1994-99 के दौरान चीनी के प्रतिरोधक भण्डार के अनुरक्षण हेतु दी गई वर्षवार आर्थिक सहायता :

संचालन, प्रशासनिक तथा भण्डारण प्रभारों में काफी उतार-चढ़ाव थे। प्रतिरोधक भण्डार की रखाव.लागत 1994-95 में 1.46 करोड़ रु से बढ़कर 1997-98 में 177.49 करोड़ रु हो गई।

वर्ष	आर्थिक सहायता की राशि (करोड़ रु में)
1994-95	1.46
1995-96	7.72
1996-97	69.98
1997-98	177.49
1998-99 (सं.अ.)	133.00

मिट्टी के तेल पर आर्थिक सहायता 1994-95 से इसके मूल्य में वृद्धि न करने के कारण बढ़ गई थी।

1.3.5.2 लागत के विभिन्न तत्वों पर व्यय की औसत यूनिट दरों में काफी अन्तर थे। 1992-93 से 1995-96 के दौरान संचालन प्रभार 84 प्रतिशत तक बढ़ गए। प्रशासनिक खर्चे तथा भण्डारण प्रभारों में वर्ष दर वर्ष काफी उतार-चढ़ाव थे।

### 1.3.6 मिट्टी के तेल पर आर्थिक सहायता

1.3.6.1 सा.वि.प्र. के अन्तर्गत मिट्टी के तेल का वितरण भी इमदादी था। मिट्टी के तेल पर आर्थिक सहायता बजट से नहीं थी बल्कि संचालित मूल्य तंत्र के अन्तर्गत पेट्रोल, ए.टी.एफ आदि जैसे कच्चे उत्पादों में से एक मूल्य निर्धारण द्वारा प्रति-आर्थिक सहायता के द्वारा अधिक दरों पर प्राप्त की गई थी। मूल्य-निर्धारण का ढांचा इस प्रकार से है कि कम कीमत वाले उत्पादों से होने वाली हानि तेल पूल में राजस्व की पूलिंग के द्वारा ऊंची कीमत वाले उत्पादों से पूरी की जाती



है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अलग-अलग मानों पर प्रत्येक राज्य को मिट्टी के तेल का आबंटन किया। शहरी तथा ग्रामीण लोगों के बीच मिट्टी के तेल की मात्रा 60:40 के अनुपात में आबंटित की जानी थी हालांकि 75 प्रतिशत परिवार तथा शायद इससे भी काफी अधिक उपभोक्तियों की प्रतिशतता ग्रामीण लोगों की होगी। आबंटित मात्रा विभिन्न तेल कम्पनियों के डिपो से थोक व्यापारियों को आपूर्त की गई थी। दो बैरल एल पी जी सिलेण्डरों वाले उपभोक्ता मिट्टी के तेल के पात्र नहीं थे। मिट्टी के तेल की कीमत 1994-95 से नहीं बढ़ाई गई थी जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी के तेल पर कुल आर्थिक सहायता बढ़ गई।

**1992-99 के दौरान वर्षवार राज्यों/सं.शा.क्षे. को मिट्टी के तेल की आबंटित मात्रा, वहन की गई आर्थिक सहायता तथा पूर्व भण्डारण स्थान पर कीमत।**

वर्ष	आबंटित मात्रा (लाख टन में *)	दी गई आर्थिक सहायता (करोड़ रु में)	प्रति टन आर्थिक सहायता (रु)	पूर्व भण्डारण स्थान पर कीमत (रु प्रति टन) ***
1992-93	82.31	3304	4014.09	2201.54
1993-94	85.80	3773	4397.44	2201.54
1994-95	88.25	3740	4237.96	2001.40
1995-96	87.98	4190	4762.45	2001.40
1996-97	94.80	6540	6898.01	2001.40
1997-98	97.52	5820	5968.01	2001.40
1998-99	104.63	5790**	5533.79	2001.40

\* एक टन मिट्टी का तेल 1285 लीटर के बराबर है।

\*\* अनन्तम

\*\*\* 1 अप्रैल 2000 से संशोधित

मिट्टी के तेल का वार्षिक आबंटन, उपभोक्तियों को गैस कनेक्शनों के आबंटन में वृद्धि के कारण घटने के बजाए 1992-93 में 82.31 लाख टन से बढ़ कर 1998-99 में 104.63 लाख टन हो गया।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/सं. शा.क्षे. को मिट्टी के तेल के प्रति व्यक्ति वार्षिक आबंटन के लिए किन्हीं प्रतिमानों का अनुसरण नहीं किया। समृद्ध राज्यों/सं.शा.क्षे. को प्रति व्यक्ति आबंटन अधिक पाए गए थे।

**1.3.6.2** पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/सं.शा.क्षे. को मिट्टी के तेल के प्रति व्यक्ति वार्षिक आबंटन के लिये एकरूप प्रतिमान का अनुसरण नहीं किया। विभिन्न राज्यों/सं.शा.क्षे. को प्रति व्यक्ति वार्षिक आबंटन में बहुत सी विभिन्नताएं थी जो कि 1995-99 के दौरान 7.19 कि.ग्रा. तथा 33.92 कि.ग्रा. के बीच थी। 1998-99 के दौरान उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तथा उत्तर प्रदेश जैसे अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों में मिट्टी के तेल के 10 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति वार्षिक आबंटन के प्रति, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, चंडीगढ़ तथा गोवा के तुलनात्मक रूप से आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राज्यों में प्रति व्यक्ति आबंटन क्रमशः 16.88 कि.ग्रा., 19.97 कि.ग्रा., 20.13 कि.ग्रा. 26.36 कि.ग्रा., 33.92 कि.ग्रा. तथा 24.18 कि.ग्रा. था।

मिट्टी के तेल के प्रति व्यक्ति कम तथा अधिक आबंटन वाले राज्यों के लिए गैस कनेक्शनों की संख्या की तुलना नीचे दी गई है:

राज्य	मिट्टी के तेल का कि.ग्रा. में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष कम आबंटन		राज्य	मिट्टी के तेल का कि.ग्रा. में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष अधिक आबंटन	
	प्रति व्यक्ति मिट्टी के तेल का आबंटन	प्रति सौ व्यक्ति गैस कनैक्शनों की संख्या		प्रति व्यक्ति मिट्टी के तेल का आबंटन	प्रति सौ व्यक्ति गैस कनैक्शनों की संख्या
उड़ीसा	7.56	1.19	पंजाब	16.88	5.55
बिहार	7.86	1.01	महाराष्ट्र	19.97	5.74
मध्य प्रदेश	8.05	2.11	गुजरात	20.13	4.12
राजस्थान	8.22	2.29	दिल्ली	26.36	17.8
उत्तर प्रदेश	8.47	2.55	चण्डीगढ़	33.92	20.42
			गोआ	24.18	13.43

\* गैस कनैक्शनों की संख्या 1 अप्रैल 1997 को जबकि मिट्टी के तेल का प्रति व्यक्ति आबंटन 1997-98 के लिए है।

तुलना स्पष्टतः दर्शाती है कि वे राज्य, जिनके पास अधिक एल.पी.जी. गैस कनैक्शन घनत्व था, प्रति व्यक्ति मिट्टी के तेल का उच्च आबंटन प्राप्त कर रहे थे।

इसके अतिरिक्त, गैस कनैक्शनों की संख्या 1995 में 2.31 करोड़ से बढ़कर 1 जनवरी 2000 को 4.39 करोड़ हो गई है। यह सम्पूर्ण राष्ट्र में लगभग 25 प्रतिशत परिवारों को आवृत्त करती है। फिर भी, राज्य सरकारों को आबंटित किए जा रहे रियायती मिट्टी के तेल की मात्रा में कोई कमी नहीं हुई।

उपभोक्ताओं की एक बड़ी संख्या सा.वि.प्र. से मिट्टी का तेल नहीं खरीद रही थी।

लाभभोगी सर्वेक्षण से प्रकट हुआ कि पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, चण्डीगढ़ तथा गोआ, जहां मिट्टी के तेल का आबंटन अधिकतम था, उपभोक्ताओं का एक बड़ा वर्ग सा.वि.प्र. से मिट्टी का तेल नहीं खरीद रहा था। दिल्ली में केवल 25 प्रतिशत, चण्डीगढ़ में 31 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 57 प्रतिशत, गुजरात में 63 प्रतिशत, गोआ में 72 प्रतिशत तथा पंजाब में 75 प्रतिशत जनता सा.वि.प्र. से मिट्टी का तेल खरीद रही थी, जो इस रियायती वस्तु के अधिकांश विपथन का संकेत देता है।

#### 1.4. ग.रे.नी. परिवारों की पहचान - ल.सा.वि.प्र.

1.4.1 1992 में न.सा.वि.प्र. ने "गरीब क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों" पर जोर देते हुए लक्ष्य निर्धारण में सुधार करना चाहा। जून 1997 में प्रारम्भ की गई, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने "सभी क्षेत्रों में गरीब" सिद्धांत को अपनाते हुए कार्यक्षेत्र एवं विस्तार में और अधिक सुधार किया। इसीलिए, ल.सा.वि.प्र. के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की पहचान क्रान्तिक थी।

1.4.1.1 राज्य सरकारों को वर्ष 1993-94 के लिए "अनुपात तथा गरीबों की संख्या के अनुमानों पर विशेषज्ञ समूह" की रिपोर्ट के आधार पर योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए ग.रे.नी. परिवारों के अन्तरिम अनुमान अपनाने के लिए कहा गया। ग्रामीण गरीबी रेखा को अद्यतन करने हेतु खेतीहर मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा शहरी गरीबी रेखा को अद्यतन करने हेतु औद्योगिक मजदूरों तथा शहरी गैर-शारीरिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के भारित वस्तु सूचकांक का साधारण औसत लेते हुए विशेषज्ञ समूह ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए पृथक रूप से गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या वाले राज्य विशेष की अनुशांसा की थी। अभी तक अपनाई गई आधिकारिक कार्य प्रणाली के अनुसार, 1993-94 में

गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या के आकड़ें तथा प्रतिशत क्रमशः 14.98 करोड़ व्यक्ति तथा 16.8 प्रतिशत संगणित किए गए। विशेषज्ञ समूह की कार्यप्रणाली के अनुसार यह 32.03 करोड़ व्यक्ति तथा कुल जनसंख्या का 35.97 प्रतिशत संगणित किया गया। ये अनुमान पर्याप्त रूप से वास्तविकता के सन्निकट पाए गए। विशेषज्ञ समूह की कार्यप्रणाली के अनुसार अनुमान, अब तक अपनाई गई आधिकारिक कार्यप्रणाली के अनुसार पूर्व अनुमानों की तुलना में राज्यों के लिए अधिक उपयोगी थे। योजना आयोग के विशेषज्ञ समूह द्वारा निर्धारित किए गए ग.रे.नि. जनसंख्या के राज्य-वार अनुमान अनुबन्ध 6 में दर्शाए गए हैं।

1.4.2 7 जनवरी 1997 को भारत सरकार ने राज्य सरकारों एवं सं.रा.क्षे. प्रशासनों को सर्वेक्षण करने तथा ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत विशेष कार्ड जारी करने के लिए 26 जनवरी 1997 तक ग.रे.नि. परिवारों की पहचान की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश जारी किए। पात्र परिवारों की प्रारंभिक पहचान के लिए ग्राम पंचायतों तथा ग्राम सभाओं को शामिल किया जाना था तथा अन्तिम चयन संदेहास्पद मामलों के सत्यापन के पश्चात् किया जाना था। शहरी जनसंख्या में सम्मिलित झुग्गी वासियों, पल्लेदारों, कुलियों, रिक्शा तथा हाथ-रिक्शा चालकों, फल तथा फूल विक्रेताओं को गरीबी रेखा सुनिश्चित करने वाले समूह में शामिल किए जाने के लिए पात्रता सिद्ध करनी अपेक्षित थी। फरवरी 1997 में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह परिपूर्ण नहीं था तथा राज्य सरकारों को ग.रे.नि. परिवारों की पहचान सूक्ष्म स्तर पर करनी चाहिए।

1.4.3 लेखापरीक्षा में, राज्य सरकारों द्वारा पहचान प्रक्रिया के समापन में महत्वपूर्ण समय हानि पाई गई। सितम्बर 1999 तक केवल 10 राज्य सरकारों तथा तीन सं.रा.क्षे. प्रशासनों ने पहचान कार्य पूर्ण किया तथा यह प्रक्रिया 18 राज्यों/सं.रा.क्षे. में पूर्ण नहीं की गई। जिन राज्यों में सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया उनकी ग.रे.नि. परिवारों की संख्या अनुबन्ध 7 में दी गई है। उन दोनों राज्यों में जहां ग.रे.नि. परिवारों की पहचान पूर्ण कर ली गई थी तथा जहां यह पूर्ण नहीं की गई थी, राशन कार्ड धारकों की अनुपस्थिति की घटनाएं अधिक थी। यह संकेत देता है कि ग.रे.नि. परिवारों की पहचान के पश्चात् भी, लाभभोगियों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई थी। आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात, की चार राज्य सरकारों, जिन्होंने पहचान प्रक्रिया पूर्ण कर ली थी, में ग.रे.नि. जनसंख्या, विशेषज्ञ समूह के अनुमान की तुलना में अधिक थी। इससे यह संकेत मिलता था कि पहचान प्रक्रिया के आधार क्षीण थे। पहचान किए गए ग.रे.नि. परिवारों की अधिकतर संख्या ने इन राज्यों में एक परिवार की रियायती ग.रे.नि. राशन की पात्रता को भी कम कर दिया, चूंकि विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुमानित ग.रे.नि. व्यक्तियों की संख्या के आधार पर केन्द्र सरकार ने ग.रे.नि. आबंटन को सीमित कर दिया था।

सर्वेक्षण के अभाव में, लक्ष्य निर्धारण का उद्देश्य विफल हो गया चूंकि असम, केरल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, गोआ, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, बिहार, मिजोरम, मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश राज्यों/सं.रा.क्षे. में प्रामाणिक ग.रे.नि. की जनसंख्या रियायती राशन से वंचित हो गई थी।

1.4.3.1 लाभभोगी सर्वेक्षण की जांच से प्रकट हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर 18 प्रतिशत ग.रे. नि. परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं थे तथा वे सा.वि.प्र. लाभों तक पहुंच से वंचित थे। आन्ध्र प्रदेश में 21 प्रतिशत, मेघालय में 50 प्रतिशत, जम्मू एवं कश्मीर में 23 प्रतिशत, असम में 35 प्रतिशत, मणिपुर में 64 प्रतिशत, सिक्किम में 26 प्रतिशत, बिहार में 21 प्रतिशत, चण्डीगढ़ में 20 प्रतिशत तथा नागालैण्ड में 88 प्रतिशत परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं थे।

18 राज्यों/ सं.रा.क्षे. ने ल.सा.वि.प्र. के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पूर्वपक्षित ग.रे.नि. परिवारों की पहचान पूरी नहीं की।

राष्ट्रीय स्तर पर 18 प्रतिशत जनसंख्या एवं नागालैण्ड, मणिपुर तथा मेघालय में क्रमशः 88 प्रतिशत, 64 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं थे।

1.4.3.1.1 सर्वेक्षण से आगे प्रकट हुआ कि 1000 रु प्रतिमाह से कम मासिक व्यय स्तर के न्यूनतम व्यय समूह में सब से कम 76 प्रतिशत राशन कार्ड धारक थे। बढ़ते हुए मासिक व्यय के साथ राशन कार्ड धारिता बढ़ती गई तथा 4000 रु मासिक से अधिक व्यय स्तर के बहुत बड़े समूह के लिए, राशन कार्ड धारिता 89 प्रतिशत तक बढ़ गई। इसने, सर्वाधिक निर्धन लोगों की सा.वि.प्र. तक पहुंच उपलब्ध करवाने में सरकार की असमर्थता को प्रकट किया। सर्वेक्षण के अनुसार, कुछ अन्य महत्वपूर्ण विरूपण निम्न प्रकार थे:-


लाभभोगी सर्वेक्षण में ग.रे.उ. तथा ग.रे.नी. परिवारों से प्रभारित किए जाने वाले मूल्यों के बीच नगण्य अन्तर प्रकट हुआ, यद्यपि ग.रे.नी. परिवारों के लिए निर्गम मूल्य ग.रे.उ. परिवारों से लगभग आधा था।

- सा.वि.प्र. के माध्यम से खरीदे जाने वाले खाद्यान्न की कुल मात्रा के प्रति ग.रे.नी. तथा ग.रे.उ. परिवारों के बीच मूल्यों में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं था यद्यपि ग.रे.नी. श्रेणी के लिए निर्गम मूल्य ग.रे.उ. परिवारों से आधा था। औसत आधार पर सभी राज्यों/सं.रा.क्षे. के लिए ग.रे.उ. परिवार, चावल के लिए 6.10 रु प्रति कि.ग्रा. तथा गेहूँ के लिए 6.40 रु प्रति कि.ग्रा. का भुगतान कर रहे थे तथा यह ग.रे.नी. जनसंख्या के लिए चावल 5.70 रु प्रति कि.ग्रा. तथा गेहूँ 5.40 रु प्रति कि.ग्रा. पर थोड़ा ही कम था। इससे यह संकेत मिला कि या तो ग.रे.नी. परिवारों की उपयुक्त ढंग से पहचान नहीं की गई थी और/या उचित दर दुकानें ग.रे.नी. परिवारों से अधिक प्रभारित कर रही थी। इससे यह भी पता चला कि ग.रे.उ. परिवारों की एक महत्वपूर्ण संख्या या तो ग.रे.नी. दरों पर राशन प्राप्त कर रही थी और/या उ.द.दु. ल.सा.वि.प्र. वस्तुओं का विपथन कर रही थी तथा इन्हें ग.रे.उ. परिवारों को बेच रही थी। कुल खरीद पर भुगतान किए गए औसत मूल्य में बहुत कम अन्तर, विशेष ग.रे.नी. मूल्यों पर ग.रे.नी. परिवारों को केवल 10 कि.ग्रा. आपूर्त किए जाने पर भी आरोप्य था, जबकि शेष सामान्य ग.रे.उ. मूल्यों पर आपूर्त किया गया।
- तमिलनाडु, गोआ, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात में ग.रे.नी. परिवारों द्वारा भुगतान किया गया मूल्य ग.रे.उ. परिवारों द्वारा भुगतान किए गए मूल्य से अधिक था, जो लक्ष्य निर्धारण के अधिक विषम होने का संकेत देता था।
- बिहार के मामले में बिल्कुल लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया, चूंकि सभी परिवारों को ग.रे.नी. परिवारों के लिए निर्गम मूल्य से थोड़े ही अधिक मूल्य पर चावल एवं गेहूँ उपलब्ध किया गया। इसके अतिरिक्त, बिहार में प्रति परिवार चावल तथा गेहूँ की औसत उपलब्धता क्रमशः 4.70 कि.ग्रा. तथा 6.60 कि.ग्रा. मात्र थी, जो यह संकेत करती है कि ल.सा.वि.प्र. राशन वास्तव में सभी परिवारों को उनकी आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना अनुमत किया गया था, जिससे यह विरूपण हुआ। अनुबन्ध 13 में लेखापरीक्षा जांच की पृष्ठभूमि में देखे जाने पर कि ग.रे.उ. खाद्यान्न लगभग उठाए ही नहीं गए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि राज्य में ग.रे.नी. खाद्यान्न की सभी वर्गों में भागीदारी है।

बिहार में ग.रे.नी. परिवारों का कोई लक्ष्य निर्धारण नहीं था, चूंकि सभी परिवारों को खाद्यान्न समान मूल्यों पर उपलब्ध कराया जा रहा था।

### मानचित्र 1

राशन कार्ड रखने वाले परिवारों का प्रतिशत - अखिल भारतीय



उपर्युक्त राज्य/राष्ट्रीय सीमाएं केवल सूचक हैं तथा हो सकता है कि वे राजनैतिक सीमाओं को सही स्थिति में निरूपित न करती हों।

### 1.4.3.2 लक्ष्य समूह का विस्तार

लेखापरीक्षा में पहचान किए गए अत्यधिक विस्तार की लक्ष्य निर्धारण में विफलता तथा विभिन्न राज्यों में लक्ष्य प्राप्ति में विफलता (ई. तथा एफ. त्रुटियां) के उदाहरण निम्न प्रकार से थे:-

मंत्रालय तथा कुछ राज्य सरकारें, ग.रे.नी. परिवारों की पहचान तथा पहचान किए गए परिवारों को राशन कार्ड जारी करने के लिए एक प्रभावी क्रियाविधि स्थापित करने में विफल रही।

- मध्य प्रदेश में, मार्च 1999 तक ग.रे.नी. परिवारों के रूप में पहचान किए गए 0.78 लाख परिवारों को राशन कार्ड जारी नहीं किए गए।
- राजस्थान में, 11000 रु के मानक के प्रति शहरी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष पांच सदस्यों वाले परिवारों को लेते हुए, ग्रामीण क्षेत्र में 20,000 रु तथा शहरी क्षेत्र में 21405 रु वार्षिक आय वाले पहचान किए गए परिवारों को सम्मिलित किया गया। जबकि पश्चिम बंगाल में 15000 रु प्रति वर्ष का आय मानक अपनाया गया। ग.रे.नी. परिवारों की पहचान के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों का आय प्रमाणपत्र पंचायत से प्राप्त नहीं किया गया।
- आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य में रियायती दरों पर अनाज जारी करने के लिए पहचान किए गए कुल 139.37 लाख परिवारों में से 113 लाख ग.रे.नी. 81 प्रतिशत परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न जारी किया। यह विशेषज्ञ समूह द्वारा राज्य में 32.65 लाख से 37.78 लाख ग.रे.नी. परिवारों के अनुमानों की तुलना में निर्धारित सीमा से अधिक था, जो कि कुल परिवारों का 22.19 से 25.68 प्रतिशत था। यहां तक कि हाल ही में अप्रैल 1999 में पूर्ण हुए एक सर्वेक्षण में भी राज्य में ग.रे.नी. परिवारों की प्रतिशतता केवल 39.91 अनुमानित की गई। इसके बावजूद नमूना जांच से प्रकट हुआ कि अदिलाबाद जिले में, जो कि मुख्य रूप से जनजातीय है, 18444 परिवारों को राशन कार्ड जारी नहीं किए गए, फलस्वरूप, उन्हें सा.वि.प्र. वस्तुओं की रियायती आपूर्ति के लाभों से वंचित किया गया।
- तमिलनाडु तथा उड़ीसा में, विशेषज्ञ समूह द्वारा पहचान किए गए 45.79 लाख तथा 31.82 लाख परिवारों के विपरीत क्रमशः 55 लाख तथा 42.37 लाख ग.रे.नी. परिवारों की पहचान की गई थी। नमूना जांच से प्रकट हुआ कि उड़ीसा के चार जिलों में, पहचान किए गए 1373 ग.रे.नी. परिवारों के सम्बन्ध में, व्यवसाय तथा आय के बारे में जानकारी का पहचान फार्म में संकेत नहीं था।
- हरियाणा सरकार ने सर्वेक्षण अक्टूबर 1998 में पूर्ण कर लिया था तथा राज्य में ग.रे.नी. 6.95 लाख परिवारों की पहचान कर ली थी। तथापि, एक जिले (पंचकुला) तथा करनाल, कुरुक्षेत्र एवं सोनीपत जिले में प्रत्येक में एक ब्लाक में 16876 सर्वेक्षण फार्मों में किए गए नमूना जांच से प्रकट हुआ कि भारत सरकार द्वारा रखे गए मानकों के आधार पर कुल का केवल 36.21 प्रतिशत, 6111 परिवार ग.रे.नी. स्तर के लिए सुपात्र थे। असम में, 140210 में से 110755 परिवारों के सम्बन्ध में, जो कि 9 जिलों में कुल का 79 प्रतिशत थे, पहचान संदेहास्पद थी, चूंकि सर्वेक्षण अभिलेखों में



व्यवसाय, वार्षिक आय, पता, आदि का संकेत नहीं था तथा वहाँ पर संपुष्टि करने के लिए भी कोई प्रमाण नहीं था कि ग.रे.नी. परिवारों की पहचान पंचायतों तथा जि.ग्रा.वि.ए. के संगत अभिलेखों से सत्यापित करने के पश्चात् की गई थी।

- केरल में, राज्य में 76 प्रतिशत परिवारों को उनके राशन कार्ड में 6000 रु से कम वार्षिक आय प्राप्त करने वाला दर्शाया गया था। राशन कार्ड रजिस्ट्रारों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि राशन कार्ड के अनुसार 50 रु से 3000 रु मासिक आय वाले घोषित किए गए परिवारों के पास एल.पी.जी. कनेक्शन थे।
- कर्नाटक सरकार, विशेषज्ञ समूह के 28.75 लाख परिवारों के अनुमान की तुलना में राज्य सरकार द्वारा पहचान किए गए 31.46 लाख ग.रे.नी. परिवारों की संख्या को संशोधित करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध करती रही थी। इसके बावजूद राज्य सरकार ने ग.रे.नी. परिवारों को 64.76 लाख राशन कार्ड जारी किए गए थे।
- हिमाचल प्रदेश में, यद्यपि दिसम्बर 1998 में, शहरी विकास विभाग ने 48 नगर निगमों/नगर पंचायतों में 11734 ग.रे.नी. परिवारों की पहचान कर ली थी, मार्च 1999 तक ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत उन्हें लाभ प्रदान नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश में 4 नमूना जांच किए गए जिलों में, 6.78 लाख झुग्गी वासियों को लक्ष्य में नहीं रखा गया तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 9000 रु प्रतिवर्ष तक की आय वाले परिवारों की ग.रे.नी. वर्गीकरण के लिए पहचान की गई थी, फलस्वरूप, परिवारों की एक बड़ी संख्या को रियायती खाद्यान्न के लाभों से वंचित रखा गया। जम्मू एवं काश्मीर में ग.रे.नी. परिवारों के रूप में पहचान किए गए 5.09 परिवारों में, गरीबी सीमा से अधिक आय वाले अपात्र लाभभोगी जैसे कि पेंशन भोगी, सरकारी कर्मचारी, स्वरोजगार युक्त व्यक्ति तथा व्यवसायी शामिल थे।

**1.4.3.3** अतः यद्यपि ल.सा.वि.प्र. की प्रभावकारिता तथा दक्षता, ग.रे.नी. परिवारों को उन तक पहुंचने वाले रियायती खाद्यान्न के वितरण के लाभ को सुनिश्चित करने के लिए, उपयुक्त लक्ष्य निर्धारण पर निर्भर थी, मंत्रालय तथा राज्य सरकारें, ग.रे.नी. परिवारों की पहचान के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने में सफल नहीं हुईं, जो कि ल.सा.वि.प्र. के सफलतापूर्ण प्रचालन के लिए पूर्वपिहित था। राज्यों द्वारा 3 सप्ताह की निर्धारित अवधि के भीतर लक्षित जनसंख्या की पहचान सहज रूप से सुलभ नहीं थी तथा इसका प्रबंधन कठिन था। यह ग.रे.नी. परिवारों की पहचान करने के लिए नीति के पुनः प्रतिपादन की अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता को अधोरेखांकित करता है, एक ऐसा कार्य जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय अनुभवों से सीख लेनी चाहिए तथा जो लागत प्रभावी रूप से प्रबंधन में भी आसान हो।

## 1.5. सा.वि.प्र. वस्तुओं का आबंटन एवं निकासी

**1.5.1** जून 1997 में ल.सा.वि.प्र. के प्रारंभ से पूर्व, सभी राज्यों/सं.रा.क्षे. को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आबंटन, अंतर्मंत्रालयी समिति की सिफारिशों तथा उनकी संगत आवश्यकताओं, निकास प्रवृत्ति, केन्द्रीय पूल में भण्डार तथा मौसमी उपलब्धता इत्यादि को ध्यान में रखने के पश्चात् माह प्रति माह ऐतिहासिक आधार पर किए जाते थे, ल. सा.वि.प्र. के अन्तर्गत, चावल तथा गेहूँ का मासिक कोटा राज्यों/सं.रा.क्षे. से प्राप्त मांग से संयोजित नहीं किया गया,

ग.रे.नी. परिवारों का कोटा तय कर दिया गया ताकि प्रति ग.रे.नी. परिवार को प्रति माह 10 कि.ग्रा. खाद्यान्न विशेष रियायती के.नि.मू. पर उपलब्ध कराया जा सके। ग.रे.नी. श्रेणी के अन्तर्गत खाद्यान्न की 100 प्रतिशत निकासी का लक्ष्य प्राप्त करना अपेक्षित था। ग.रे.उ. परिवारों का कोटा पूर्व काल में उठाए गए खाद्यान्न के आधार पर तय किया गया था। इसके अतिरिक्त सामान्य ग.रे.नी. तथा ग.रे.उ. कोटा, राज्यों/सं.रा.क्षे. को उनसे प्राप्त मांगों, केन्द्रीय पूल में भण्डार की उपलब्धता तथा संसाधन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त आबंटन भी किया गया था। ल.सा.वि.प्र. के प्रारंभ के पश्चात, राज्यों सरकारों/सं.रा.क्षे. प्रशासनों से प्राप्त मांगों, केन्द्रीय पूल में राज्यों को किए गए आबंटन के प्रति न उठाए गए स्टॉक की उपलब्धता तथा आर्थिक सहायता सीमा को अव्यवस्थित किए बिना, अतिरिक्त आबंटन किया गया। ल.सा.वि.प्र. के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों/सं.रा.क्षे. प्रशासनों को राज्य में उपभोक्ताओं की खाद्य अभ्यस्तता के आधार पर मासिक कोटे में चावल तथा गेहूँ की मात्रा के अनुपात का निर्णय करने की छूट दी गई थी। कुछ राज्य सरकारों/सं.रा.क्षे. प्रशासनों ने उनके सम्पूर्ण कोटे के रूप में चावल या गेहूँ को चुना। चावल और/या गेहूँ का आबंटन एक विशिष्ट राज्य/सं.रा.क्षे. द्वारा चुने गए चावल या गेहूँ की प्रमात्रा पर निर्भर करते हुए किया गया।

**1.5.2** राज्य-वार आबंटन तथा 1992-99 की अवधि के लिए खाद्यान्न की निकासी के विवरण क्रमशः अनुबन्ध 8, 9, 10, 11, 12 और 13 में दिए अनुसार थे।

### 1.5.3 आबंटन की प्रवृत्ति

#### 1.5.3.1 1992-97 के दौरान आबंटन एवं निकासी (अनुबन्ध 8) सा.वि.प्र. (1992-97)

1992-97 के दौरान चार दक्षिणी राज्यों आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चावल की निकासी कुल निकासी का 60.51 प्रतिशत था। निकासी की प्रवृत्ति में तुलनात्मक उत्प्लावन भी इस तथ्य के कारण था कि ये राज्य के.नि.मू. की तुलना में घटी हुई खुदरा कीमत के माध्यम से अथवा पृथक रियायती खाद्य योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार थे।

एक अन्य असाधारण लक्षण यह था कि खाद्यान्न की निकासी स्पष्ट रूप से उन राज्यों के लिए कम थी जहां अधिक ग.रे.नी. जनसंख्या थी। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में 1992-97 की अवधि में गेहूँ की संचयी निकासी उनके आबंटन की केवल 57.57 प्रतिशत थी तथा चावल के लिए, यह केवल 45.62 प्रतिशत थी। देश भर में, यह गेहूँ के लिए कुल निकासी का 46 प्रतिशत तथा चावल के लिए 14.92 प्रतिशत थी, यद्यपि देश में ग.रे.नी. समस्त परिवारों की संख्या का 60.56 प्रतिशत इन राज्यों में था।

पंजाब तथा हरियाणा, दो खाद्य अधिशेष राज्यों में चावल तथा गेहूँ दोनों के लिए, 1992-97 की अवधि के लिए निकासी काफी कम थी तथा यह पंजाब के लिए गेहूँ और चावल के आबंटन का क्रमशः 12 तथा 18 प्रतिशत के बीच थी तथा हरियाणा के लिए गेहूँ तथा चावल का क्रमशः 45 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत थी।

खाद्य अधिशेष पंजाब तथा हरियाणा एवं साथ ही बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में सा.वि.प्र. के माध्यम से खाद्यान्न की निकासी बहुत कम थी।



**न.सा.वि.प्र. 1992-97 (अनुबन्ध 9 एवं 10)**

न.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत, 1992-97 के दौरान उठाव समान रूप से अधिक था। पांच में से चार वर्षों के दौरान अर्थात् 1992-93, 1993-94, 1994-95 तथा 1996-97 के लिए, निकासी या तो 90 प्रतिशत थी या आबंटन से अधिक थी। 1995-96 के दौरान, उठाव, आबंटन का केवल 66 प्रतिशत था। सिवाय उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के, सभी राज्यों के लिए निकासी 89 प्रतिशत से अधिक थी।

**1 जून 1997 से मार्च 1999 तक ल.सा.वि.प्र. (अनुबन्ध 11,12, और 13)**

1 जून 1997 से, ल.सा.वि.प्र. के प्रारंभ के पश्चात्, अधिकांश राज्यों में निकासी की प्रवृत्ति में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ, सिवाय ग.रे.नी. बड़ी जनसंख्या वाले बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में जहाँ उठाव प्रतिशत में महत्वपूर्ण सुधार हुआ जो कि गेहूँ के ग.रे.नी. आबंटन का 85 से 90 प्रतिशत था। तथापि, जून 1997 से मार्च 1999 के दौरान हरियाणा, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में निकासी कम होकर क्रमशः 50 प्रतिशत, 52 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत थी। पंजाब में यह 20 प्रतिशत से कम थी। तब भी चावल के मामले में, ग.रे.नी. के लिए निकासी बड़े राज्यों में अधिक अच्छी नहीं थी, सिवाय उड़ीसा, कर्नाटक, केरल तथा आन्ध्र प्रदेश के जहाँ यह 90 प्रतिशत से अधिक थी।

लाभभोगी सर्वेक्षण से यह भी ज्ञात हुआ कि सा.वि.प्र. के माध्यम से कम खरीद मुख्यतः लक्ष्य निर्धारण की विस्तारित प्रकृति के कारण थी जो कि इस तथ्य से समर्थित थी कि समाज के कमजोर वर्गों द्वारा की गई खरीद का अनुपात अन्य वर्गों से अधिक मात्रा में भिन्न नहीं था। सा. वि.प्र. के माध्यम से विभिन्न खण्डों द्वारा खरीदी गई औसत मात्रा शहरी तथा ग.रे.ऊ. वाले परिवारों द्वारा ही खरीदी गई थी।

वास्तव में, कुल मिलाकर खाद्यान्न निकासी ल.सा.वि.प्र. के प्रारंभ के पश्चात् घट गई थी। 1996-97 के दौरान न.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत 194 लाख टन से, कुल मिलाकर निकासी घटकर 1997-98 तथा 1998-99 में क्रमशः 167 तथा 169 लाख टन रह गई।

**1.5.3.2** विभिन्न राज्यों/सं.रा.क्षे. में कम निकासी के प्रमुख कारण भा.खा.नि. के पास स्टॉक की अनुपलब्धता, खुले बाजार की कीमतों की तुलना में सा.वि.प्र. मूल्यों के बीच नगण्य अन्तर, स्वनिर्भरता/खाद्यान्न की उपलब्धता, तदर्थ/अयथार्थ/कम आबंटन सा.वि.प्र. खाद्यान्नों के लिए प्राथमिकता की कमी; खाद्यान्नों की कम मांग; सा.वि.प्र. के माध्यम से वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की घटिया किस्म इत्यादि को आरोपित किए गए थे।

**1.5.4 चीनी का आबंटन तथा निकासी**


**1.5.4.1** अनाज की तुलना में, लगभग सभी राज्यों ने 1992-99 के दौरान अपने चीनी के कोटे का 100 प्रतिशत उठाया था। सभी राज्यों के लिए कोटा आबंटन मोटे तौर पर 5 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष की व्यक्तिगत पात्रता पर आधारित था। तथापि, दिल्ली को 1992-93 में 10 कि.ग्रा. तथा 1998-99 में 15 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष के बीच प्रति व्यक्ति आबंटन कर चीनी का अनुपातहीन रूप से अधिक कोटा दिया गया था। 15 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष का आबंटन तथा उठाव, राज्य सरकार द्वारा 1998-99 में 9.6 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पात्रता दर की तुलना में बहुत अधिक था।

खाद्यान्न का कम निकास, स्टॉक की अनुपलब्धता, कम आबंटन, घटिया किस्म आदि को आरोपित किया गया था।

अन्य राज्यों/सं.रा.क्षे. की तुलना में दिल्ली में चीनी का आबंटन अनुपातहीन रूप से अधिक था।

मानचित्र 2


राशन की दुकानों से प्रति मास प्रति परिवार खरीदी गई औसत मात्रा (कि.ग्रा.) - चावल



उपर्युक्त, राज्य/राष्ट्रीय सीमाएं केवल सूचक हैं तथा हो सकता है कि ये राजनैतिक सीमाओं को सही स्थिति में निरूपित न करती हों

मानचित्र 3

राशन की दुकानों से प्रति मास प्रति परिवार खरीदी गई औसत मात्रा (कि.ग्रा.) - गेहूं



8 तक      8-15      15+

उपर्युक्त राज्य/राष्ट्रीय सीमाएं केवल सूचक हैं तथा हो सकता है कि वे राजनैतिक सीमाओं को सही स्थिति में निरूपित न करती हों।



उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शनों तथा सिलैण्डरों के आबंटन में वृद्धि के पश्चात् भी मिट्टी के तेल का आबंटन प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा था।

लाभभोगी सर्वेक्षण से प्रकट हुआ कि उ.द.दु. से सा.वि.प्र. खाद्यान्नों तथा चीनी की खुले बाजार की तुलना में कम खरीद हुई।

13 राज्यों/सं.रा. क्षे. में सा.वि.प्र. से खाद्यान्नों की निकासी लाभभोगियों की आवश्यकता के 10 प्रतिशत से कम थी।

### 1.5.5 मिट्टी के तेल का आबंटन तथा निकासी

**1.5.5.1** 1992-99 के दौरान, लगभग सभी राज्यों/सं.रा.क्षे. में मिट्टी के तेल के आबंटन में एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई दी। *आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश* तथा *पश्चिम बंगाल* में आबंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। इसे पैराग्राफ 8.2.3 में दिखाई गई कमियों की अत्यधिक घटनाओं के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। वास्तव में, गैस सिलैण्डरों की बढ़ती हुई आपूर्ति का संगत अधोमुखी प्रभाव मिट्टी के तेल के आबंटन पर होना चाहिए था (अनुबन्ध 14)।

### 1.5.6 खुले बाजार तथा सा.वि.प्र. के माध्यम से खरीद

**1.5.6.1** इस संदर्भ में, आवश्यक वस्तुओं की खरीद के सम्बन्ध में, लाभभोगी सर्वेक्षण की जांच सुसंगत है, चूंकि वे लाभभोगियों के स्तर पर सा.वि.प्र. के सामर्थ्य को इंगित करती हैं। जांच से प्रकट हुआ कि मिट्टी के तेल के अलावा, राशन की दुकानों से खरीदी जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की औसत मात्रा, खुले बाजार से खरीद की तुलना में काफी कम थी।

	खुला बाजार	राशन की दुकान
चावल	30 कि.ग्रा.	12.6 कि.ग्रा.
गेहूँ	31 कि.ग्रा.	7.8 कि.ग्रा.
चीनी	5.0 कि.ग्रा.	2.4 कि.ग्रा.
खाद्य तेल	3.6 कि.ग्रा.	1.9 कि.ग्रा.
मिट्टी का तेल	5.4 लीटर	5.3 लीटर

वास्तव में, सर्वेक्षण के अनुसार खुले बाजार से निकासी की तुलना में, सा.वि.प्र. से निकासी निश्चित रूप से कम पायी गई। असम, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में लोग सा.वि.प्र. से खाद्यान्नों की उनकी आवश्यकता का 10 प्रतिशत से भी कम खरीद/ले रहे थे। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि आर्थिक सहायता की बड़ी राशि के बावजूद सा.वि.प्र. खाद्यान्नों तथा अनिवार्य वस्तुओं के लिए उपभोक्ताओं की मांग का केवल एक हिस्सा ही पूरा कर पाई थी।

### 1.6. सूक्ष्म स्तर खाद्य सुरक्षा

**1.6.1** सा.वि.प्र. का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सूक्ष्म स्तर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इसका पता लगाने के लिए, खाद्यान्नों का प्रति व्यक्ति वितरण तथा लाभभोगियों के पक्ष में आय अन्तरण का विश्लेषण किया गया था। इस उद्देश्य के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल निकासी, प्रति मास प्रति परिवार औसत वितरण, चावल तथा गेहूँ के केन्द्रीय निर्गम मूल्य, चावल तथा गेहूँ के परचून मूल्य का 1993-94, 1994-95 तथा 1998-99 के लिए विश्लेषण किया गया था जिसका विवरण अनुबन्ध 15,16,17 तथा 18 में दिया गया है।

**1.6.1.1** प्रति परिवार वितरण, प्रति परिवार आय अन्तरण तथा प्रति परिवार खाद्य सहायता की निम्नलिखित आधार पर गणना की गई है:

**प्रति परिवार वितरण :**

औसत प्रति व्यक्ति मासिक वितरण, एक मास में खाद्यान्नों की कुल निकासी को प्रत्येक राज्य में राशन कार्डों की कुल संख्या से भाग कर के निकाला गया था।

**प्रति परिवार आय अन्तरण:** प्रति परिवार आय अन्तरण, प्रति परिवार वितरण को खुले बाजार तथा सा.वि.प्र. के बीच मूल्य अन्तर<sup>11</sup> से गुणा करके निकाला गया था।

**प्रति परिवार खाद्य सहायता :**

देश के लिए औसत प्रति परिवार प्रति मास खाद्य आर्थिक सहायता, भा.खा.नि. को दी गई औसत मासिक आर्थिक सहायता को राशन कार्डों की कुल संख्या से भाग करके निकाली गई थी।

राज्यों के लिए औसत प्रति परिवार सहायता, खाद्यान्नों के प्रति परिवार वितरण को खाद्यान्नों पर प्रति कि.ग्रा. सहायता के साथ गुणा करके परिकलित की गई थी।

**1.6.2 प्रति परिवार वितरण**

ल.सा.वि.प्र. के शुरू होने के पश्चात्, सा.वि.प्र. के अंतर्गत चावल तथा गेहूँ का प्रति परिवार वितरण 1993-94 में 4.53 कि.ग्रा. तथा 2.99 कि.ग्रा. की तुलना में घटकर 1998-99 में क्रमशः 3.18 कि.ग्रा. तथा 2.27 कि.ग्रा. प्रति मास हो गया।

राशन कार्ड धारकों को अखिल भारतीय प्रति परिवार वितरण 1993-94 में चावल के लिए केवल 4.53 कि.ग्रा. तथा गेहूँ के लिए 2.99 कि.ग्रा. प्रति मास था, जो कि 1994-95 में घट कर चावल तथा गेहूँ के लिए क्रमशः 4.09 कि.ग्रा. तथा 2.43 कि.ग्रा. प्रति मास हो गया। ल.सा. वि.प्र. के प्रारम्भ होने के पश्चात्, सामान्य सा.वि.प्र. के अन्तर्गत प्रति परिवार वितरण 1998-99 में और घटकर चावल तथा गेहूँ के लिए क्रमशः 3.18 कि.ग्रा. तथा 2.27 कि.ग्रा. प्रति मास हो गया। ग.रे.नी. के परिवारों के लिए चावल तथा गेहूँ के लिए यह क्रमशः 3.87 कि.ग्रा. तथा 3.03 कि.ग्रा. प्रति मास के अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर था। 1993-94 तथा 1994-95 में उत्तर पूर्वी राज्यों का खाद्यान्नों का प्रति परिवार वितरण अधिकतम था जो कि 19 कि.ग्रा. तथा 160 कि.ग्रा. प्रति मास के बीच था। दूसरे राज्यों में, गोवा, केरल तथा आन्ध्र प्रदेश का प्रति परिवार वितरण 13 कि.ग्रा. प्रति मास से 28 कि.ग्रा. प्रति मास के बीच था।

**1.6.2.1** उन राज्यों में जहां गरीबी का प्रभाव अधिकतम था जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा बिहार में खाद्यान्नों का प्रति परिवार वितरण 1993-94 में केवल 8.37 कि.ग्रा. तथा 2.16 कि.ग्रा. प्रति मास के बीच था। 1994-95 में इन राज्यों में यह 7.35 कि.ग्रा. तथा 1.40 कि.ग्रा. प्रति मास के बीच था।

लगभग सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. में ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत खाद्यान्नों का प्रति परिवार वितरण 5 कि.ग्रा. से 25 कि.ग्रा. के बीच कम था।

**1.6.2.2** तथापि, 1998-99 में ल.सा.वि.प्र., के अन्तर्गत ग.रे.नी. के परिवार के लिए जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड तथा दमन व दीव के लिए खाद्यान्नों का अधिकतम वितरण 11 कि.ग्रा. तथा 25 कि.ग्रा. प्रति मास के बीच था, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा दादर एवं नगर हवेली में यह केवल 5 कि. से 8 कि.ग्रा. प्रति मास के बीच था।

<sup>11</sup> राज्यों के लिए खुले बाजार मूल्य की गणना, राज्य अथवा पड़ोसी राज्य की प्रमुख मण्डी में चावल तथा गेहूँ की निम्नतम मूल्य की किस्मों के लिए वर्ष में औसत परचून मूल्य को लेकर की गई है।



खाद्यान्नों का प्रति परिवार प्रति मास वितरण आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा पंजाब में 5 कि.ग्रा. से भी कम था। आन्ध्र प्रदेश के मामले में ग.रे.नी. की दरों पर वितरित खाद्यान्नों की मात्रा केन्द्रीय सरकार के आबंटनों से अधिक थी, जो कि राज्य सरकार से अतिरिक्त आर्थिक सहायता द्वारा सम्भव हुई थी।

### 1.6.3 प्रति परिवार आय अन्तरण

**1.6.3.1** सा.वि.प्र. मध्यस्थता के कारण एक परिवार को आय अन्तरण<sup>12</sup> उसे सा.वि.प्र. के माध्यम से प्रदान की गई मात्रा के लिए खुले बाजार तथा उ.द.दु. के बीच मूल्य का अन्तर है। 1993-94, 1994-95 तथा 1998-99 के लिए राज्य-वार आय अन्तरण (ग.रे.ऊ. तथा ग.रे.नी. के लिए) थे जो अनुबन्ध 15 से 18 में दिए गए हैं।

सहायतायुक्त खाद्यान्नों के वितरण के कारण प्रति परिवार प्रति मास अन्तरण नगण्य था जो कि 70 रु तथा 440 रु प्रति मास के बीच था।

**1.6.3.2** 1993-94 तथा 1994-95 में, केवल केरल तथा गोवा का प्रति परिवार प्रति मास आय अन्तरण 50 रु. से अधिक था। उत्तरपूर्वी राज्यों में, जिनमें खाद्य की कमी थी तथा जिनमें प्रति परिवार खाद्यान्न वितरण अधिक था तथा जहां खुली बाजार दरें उ.द.दु. मूल्यों से बहुत अधिक थी, प्रति परिवार प्रति मास आय अन्तरण 70 रु से 440 रु के बीच था। सा.वि.प्र. के वितरण के आधार पर स्पष्टतया अधिक आय अन्तरण का यह लाभ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सा.वि.प्र. से बहुत कम खरीद के सर्वेक्षण परिणामों की दृष्टि में संदिग्ध है। वास्तव में 1994-95 के दौरान, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश के लिए प्रति परिवार आय अन्तरण एक रुपए से भी कम था, जबकि बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में यह चार रुपए से कम था, गुजरात तथा कर्नाटक के लिए यह नौ रुपए से कम था। यदि कमियों, जिनका इस पुनरीक्षण में बाद में विश्लेषण किया गया है, को आय अन्तरण की राशि में निकाला जाए तो आय अन्तरण के लाभ और भी कम हो जाएंगे।

ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत प्रति परिवार प्रति मास आय अन्तरण अधिकतर राज्यों में केवल 22 रु. तथा 46 रु. तक था। पंजाब में यह सात रु. प्रति मास से भी कम था।

**1.6.3.3** जून 1997 से ल.सा.वि.प्र. के प्रारम्भ होने के पश्चात् परिदृश्य बदल गया क्योंकि कीमत, ग.रे.नी. के लोगों के लिए भा.खा.नि. की लगभग आधी आर्थिक लागत पर रखी गई थी जिसके कारण बाजार की तुलना में कीमतें बहुत कम हो गईं। ग.रे.नी. के परिवारों को प्रति परिवार आय अन्तरण तुलनात्मक रूप से बेहतर था। ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत खाद्यान्नों की घटी दरों के कारण 1998-99 में अधिकतम प्रति परिवार आय अन्तरण 64 रु. तथा 86 रु. के बीच था, केरल, असम, मेघालय, त्रिपुरा के मामले में 78 रु. प्रतिमास था, तथा अन्य अधिकतर राज्यों में 22 रु. प्रति मास से 46 रु. प्रति मास के बीच था। तथापि, बहुत कम कीमतों के बावजूद, पंजाब में यह सात रु. प्रति मास रहा।

<sup>12</sup> वास्तविक आय अन्तरण कम होगा क्योंकि व्यापारी का कमीशन तथा परिवहन प्रभारों, जो कि उपभोक्ता मूल्य निकालने के लिए के.नि.मू. में जोड़े गए थे, पर विचार नहीं किया गया था। यह विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी गई और आर्थिक सहायता के प्रभाव को समाप्त करने तथा राज्यों के आर-पार सा.वि.प्र. निष्पादन की वस्तुपरक तथा उचित तुलना के लिए किया गया था। आय अन्तरण की गणना सा.वि.प्र. से विपथन तथा पुनर्विनियोगों का हिसाब लगाए बिना की गई, जिससे आय अन्तरण में आगे भी मंदी आयेगी।



#### 1.6.4 प्रति परिवार खाद्य सहायता<sup>13</sup>

1.6.4.1 1993-94, 1994-95 तथा 1998-99 के लिए सा.वि.प्र. पर प्रति परिवार प्रति मास आर्थिक सहायता क्रमशः 16.45 रु., 12.18 रु. तथा 32.93 रु. प्रति मास थी। इन आंकड़ों में प्रति परिवार खाद्य आर्थिक सहायता निकालने के लिए कुल आर्थिक सहायता में से प्रतिरोधक भण्डार की रखाव लागत को शामिल नहीं किया गया है, जबकि वितरण हेतु प्रतिरोधक लागत में रखाव लागत भी शामिल थी।

1.6.4.2 कुछ राज्यों में, जिनके आंकड़े उपलब्ध थे, यह पता लगाने के लिए कि प्रति परिवार दी गई आर्थिक सहायता की तुलना में लाभभोगियों को आय अन्तरण की शर्तों के अनुसार सा.वि.प्र. के कार्यान्वयन में किन राज्यों का बेहतर योगदान था, राज्यवार प्रति परिवार आर्थिक सहायता तथा प्रति परिवार आय अन्तरण की तुलना की गई थी।

1.6.4.3 यह पता चला था कि 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान *अरुणांचल प्रदेश, असम, गोवा, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा* तथा *महाराष्ट्र* का इन राज्यों की औसत प्रति परिवार आर्थिक सहायता की तुलना में अधिक औसत प्रति परिवार आय अन्तरण था। अन्य राज्यों के लिए, प्रति परिवार आर्थिक सहायता की तुलना में प्रति परिवार आय अन्तरण बहुत कम था।

1.6.4.4 सा.वि.प्र. खाद्यान्नों का मूल्य अन्तर 1998-99 में ग.रे.ऊ. समुदाय के लिए कम हो गया। विश्लेषण ने दर्शाया कि केवल *केरल, गोवा, मेघालय* तथा *त्रिपुरा* में 1998-99 में प्रति परिवार आय अन्तरण 40 रु. प्रति मास से अधिक था। *आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश* तथा *पश्चिम बंगाल* में आय अन्तरण नकारात्मक था क्योंकि ग.रे.ऊ. समुदाय को उपलब्ध कराए गए खाद्यान्नों का मूल्य वर्ष भर के औसत परचून मूल्यों से अधिक था।

1.6.4.5 इस प्रकार, उन राज्यों में जहां सा.वि.प्र. सही ढंग से प्रबन्धित थी अथवा उन राज्यों में, जहां पर खाद्य की कमी थी, यह देखा जा सकता है कि सा.वि.प्र. के परिणामस्वरूप प्रति परिवार आय अन्तरण हुआ जिससे औसत प्रति परिवार आर्थिक सहायता बढ़ गई। तथापि, अधिकतर राज्यों जैसे *आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश* तथा *पश्चिम बंगाल* में ग.रे.नी. के परिवारों के लिए प्रति परिवार आर्थिक सहायता के बजाए प्रति परिवार आय अन्तरण का निम्न स्तर था। इस प्रकार संकेन्द्रित लक्ष्यों के बावजूद, ग.रे.नी. के परिवारों को वांछित लाभ नहीं मिल रहा था। उसके विपरीत, ग.रे.ऊ. के परिवार कुल निकासी के 70 प्रतिशत से भी अधिक का उपभोग कर रहे थे। प्रति परिवार के आधार पर भी, ग.रे.नी. के लोगों के लिए, खाद्यान्नों का आहरण ग.रे.ऊ. के समुदाय से काफी कम था। प्रति परिवार 10 कि.ग्रा. का अत्यन्त अपर्याप्त प्रावधान भी सा.वि.प्र. के द्वारा पूर्णरूप से पूरा नहीं किया गया था। प्रति परिवार आर्थिक सहायता की तुलना में सा.वि.प्र. के द्वारा आय अन्तरण के निम्न स्तर के साथ खाद्यान्नों की यह निम्न उपलब्धता सूक्ष्म स्तर खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करने में अक्षमता की ओर संकेत करती थी। प्रति परिवार आय अन्तरण की प्रति परिवार आर्थिक सहायता से यह तुलना कमियों, बड़े पैमाने पर विपथन, विनियोगों तथा

ग.रे.नी. के समुदाय को खाद्यान्नों के सहायता वितरण के वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो रहे थे।

<sup>13</sup> यह भा.खा.नि. को दी गई कुल आर्थिक सहायता (प्रतिरोधक भण्डार की रखाव लागत के प्रति दी गई निवल आर्थिक सहायता) को कुल जनसंख्या से भाग करके निकाली गई है।

अन्य कमियों को ध्यान में रखे बिना ही की गई थी जिससे आय अन्तरण का महत्व और भी कम होगा।

## 1.7 खाद्य तथा पौषणिक सुरक्षा

सा.वि.प्र. के अन्तर्गत वितरित खाद्यान्नों की नगण्य मात्रा लक्षित समूहों की पौषणिक मांग को सुनिश्चित नहीं करती थी।

1.7.1 सा.वि.प्र. के माध्यम से खाद्यान्नों की कम उपलब्धता, भोजन में अत्यधिक पौषणिक अपर्याप्तता तथा देश में ग.रे.नी. के लोगों द्वारा बहुत कम प्रति व्यक्ति कैलोरी लेने के कारण यह महत्वपूर्ण हो गई है। अनेक अध्ययनों से यह पता चला था कि गरीब लोगों में अनाज की प्रति-व्यक्ति खपत उनके प्रति व्यक्ति वास्तविक व्यय में महत्वपूर्ण सुधार तथा गैर-खाद्यान्नों के मूल्यों की तुलना में खाद्यान्नों के मूल्यों में कमी के बावजूद वही बनी रही, जो उपभोक्ता की खाद्यान्न से गैर-खाद्यान्न की खपत की प्राथमिकता में परिवर्तनों के कारण थी।

1.7.2 यदि गरीब लोगों के खाद्य ऊर्जा स्तर पौषणिक रूप से पर्याप्त होते तो अनाज के उपभोग में स्थिरता चिन्ता का विषय नहीं बनती। 1993-94 में न्यूनतम 30 प्रतिशत लोगों के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी अन्तर्ग्रहण ग्रामीण क्षेत्रों में 1678 कैलोरी प्रति दिन तथा शहरी क्षेत्रों में 1682 कैलो. प्रति दिन था। 1993-94 में प्रति व्यक्ति प्रोटीन अन्तर्ग्रहण ग्रामीण क्षेत्रों में 46 ग्राम प्रति दिन तथा शहरी क्षेत्रों में 47 ग्राम प्रति दिन था। इस प्रकार, निम्नतम 30 प्रतिशत लोग पौषणिक रूप से पर्याप्त भोजन से वंचित थे जिससे उनको उनका स्वास्थ्य तथा पौषणिक स्तर प्रभावित करने वाली अपेक्षित खाद्य ऊर्जा मिलती। राष्ट्रीय पोषण अनुश्रवण ब्यूरो के प्रतिवेदनों से 1994 में पता चला था कि ग्रामीण वयस्क समुदाय के 46 प्रतिशत लोग दीर्घकालिक ऊर्जा की कमी से ग्रस्त थे जो वयस्कों में कुपोषण को 51 प्रतिशत बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के नजदीक लाते थे। इसके अतिरिक्त 1993-94 में किए गए एन एस एस ओ सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि पांच प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तथा दो प्रतिशत शहरी परिवारों को एक दिन में दो बार का भोजन भी नहीं मिलता था - कुछ को महीने में केवल कुछ दिन तथा कुछ अन्य को एक वर्ष में केवल कुछ महीने ही भोजन मिलता था। इस संदर्भ के दृष्टिगत, 1997 में एन एस एस ओ की एक अन्य जांच से ज्ञात हुआ कि खाद्यान्नों (चावल तथा गेहूँ) की मासिक आवश्यकता पांच सदस्यों के प्रति परिवार के लिए 52.5 कि.ग्रा. प्रति मास थी, ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत निर्धारित 10 कि.ग्रा. प्रति मास का राशन जो कि एक परिवार की खाद्यान्न की आवश्यकता के 20 प्रतिशत से भी कम था, काफी अपर्याप्त था। अपर्याप्तता के अतिरिक्त, पात्रता के इस स्तर ने राज्यों में गरीबी के पार्श्वदृश्य की उपेक्षा की, महिलाओं, बढ़ती उम्र के बच्चों, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों, विगलांग लोगों आदि की अन्तर्परिवारिक तथा विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा।

## 1.8. कमियां

1.8.1 सहायतायुक्त खाद्यान्नों का एक बड़ा भाग तथा अन्य अनिवार्य वस्तुएं खुले बाजार में उन्हें बेचने के कारण लाभभोगियों तक नहीं पहुंच पाई। तथापि, इस विषय के विस्तार के संबंध में कोई पक्के अनुमान विद्यमान नहीं थे।

18.47 लाख टन खाद्यान्न उन प्रयोजनों को विपथित किए गए थे जो सा.वि.प्र. से जुड़े हुए नहीं थे।

नागालैंड में 3.58 लाख टन चावल के वितरण के अभिलेख नहीं रखे गए थे।

सा.वि.प्र. की चीनी अविद्यमान यूनिटों, सरकारी विभागों आदि को विपथित की गई थी।

## 1.8.2 सहायतायुक्त सा.वि.प्र. वस्तुओं का विपथन

1.8.2.1 16 राज्यों तथा अं. तथा नि. द्वीप समूह में, 18.47 लाख टन खाद्यान्न, सा.वि.प्र. से न जुड़े हुए उद्देश्यों अथवा अन्य विभागों, संगठनों तथा योजनाओं को विपथित किए गए थे जिसका विवरण अनुबन्ध 19 में दिया गया है।

नागालैंड में 3.58 लाख टन चावल के वितरण के अभिलेख खाद्य तथा सिविल आपूर्ति निदेशालय तथा व्यापारी द्वारा नहीं रखे गये थे।

केरल में, 10.18 लाख टन खाद्यान्न छात्रावास, अस्पताल, कैटीन आदि को विपथित किए गए थे।

### 1.8.2.2 चीनी का विपथन

हरियाणा, मेघालय, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश तथा पंजाब में, 11672 टन चीनी अविद्यमान यूनिटों, सरकारी विभागों को दे कर, आवश्यकता से अधिक निकालकर विपथित की गई थी जिसका विवरण अनुबन्ध 20 में दिया गया है।

### 1.8.2.3 मिट्टी के तेल का विपथन

5.83 लाख किलो लीटर मिट्टी का तेल जिसमें 157.33 करोड़ रु. की आर्थिक सहायता अन्तर्ग्रस्त थी, चार राज्यों को विपथित कर दिया गया था।

केरल, पंजाब, हरियाणा तथा असम में सा.वि.प्र. उपभोक्ताओं के वितरण हेतु रखा हुआ 5.83 लाख किलो लीटर मिट्टी का तेल, जिसमें 157.33 करोड़ रु. की आर्थिक सहायता अन्तर्ग्रस्त थी, विपथित कर दिया गया था तथा मत्स्य पालन, कृषि, औद्योगिक प्रयोग के लिए परमिट धारकों, सरकारी विभागों, राशन कार्ड न रखने वालों को बेच दिया गया था, औद्योगिक दरो की बजाए निर्धारित मानदण्डों से अधिक सा.वि.प्र. दरों आदि पर वितरित कर दिया गया था जिसका विवरण अनुबन्ध 21 में दिया गया है।

### 1.8.2.4 दुर्विनियोग

84.37 करोड़ रु. मूल्य की सा.वि.प्र. वस्तुओं का 12 राज्यों में दुर्विनियोग किया गया था।

84.37 करोड़ रु. मूल्य की सा.वि.प्र. वस्तुओं का आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, नागालैंड, जम्मू व कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार तथा मिजोरम में दुर्विनियोग किया गया था जिसका विवरण अनुबन्ध 22 में दिया गया है। दुर्विनियोग के महत्वपूर्ण मामले आन्ध्र प्रदेश : 8.21 करोड़ रु., बिहार : 13.30 करोड़ रु., उड़ीसा : 6.96 करोड़ रु., मणिपुर : 3.15 करोड़ रु. तथा मिजोरम : 7.41 करोड़ रु. में देखे गए थे।

### 1.8.2.5 मार्गस्थ हानि

सिक्किम, तमिलनाडु, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में 4.30 करोड़ रु. मूल्य की सा.वि.प्र. वस्तुओं की मार्गस्थ हानि की पहचान की गई थी जैसा कि अनुबन्ध 23 में दर्शाया गया है।



5.53 करोड़ रु. की राशि की सा.वि.प्र. वस्तुएं विभिन्न कारणों से भण्डारण में गुम हो गई थी।

#### 1.8.2.6 भण्डारण में हानि/भण्डार का लेखांकन न किया जाना

तमिलनाडु तथा जम्मू व कश्मीर में 5.53 करोड़ रु. मूल्य की सा.वि.प्र. वस्तुएं गोदामों तथा मालगोदामों में भण्डारण में गुम हो गई थी जिनका विवरण अनुबन्ध 24 में दिया गया है।

#### 1.8.2.7 कर्मचारियों की गलतियों के कारण हानि

अरुणाचल प्रदेश तथा उड़ीसा में, 15.28 लाख रु. मूल्य का खाद्यान्न भण्डार, सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा यथोचित-कर्तव्यपरायणता का पालन न करने के कारण गुम हो गया था जिनका विवरण अनुबन्ध 25 में दिया गया है।

#### 1.8.2.8 भण्डारों/गोदामों के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान देखी गई हानि

उत्तर प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, त्रिपुरा, नागालैंड, तथा अरुणाचल प्रदेश में भण्डार के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान 25.20 करोड़ रु. मूल्य की सा.वि.प्र. वस्तुएं कम पाई गई थी जिनका विवरण अनुबन्ध 26 में दिया गया है।

#### 1.8.2.9 नकली राशन कार्ड

13 राज्यों में 1.93 करोड़ नकली राशन कार्ड परिचालन में पाए गए थे।

13 राज्यों में 1.93 करोड़ से अधिक नकली राशन कार्डों का परिचालन देखा गया था जिसके कारण खुले बाजारों को बड़े पैमाने पर विपथनों, खाद्यान्नों, चीनी, आदि के अधिक आहरण की संभावना थी जिनका विवरण अनुबन्ध 27 में दिया गया है।

1.8.3 गेहूं, चावल, चीनी तथा खाद्य तेलों को शामिल करते हुए एक नमूना सर्वेक्षण के आधार पर फरवरी 1998 में खाद्य तथा उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के लिए टाटा आर्थिक परामर्श सेवा द्वारा तैयार किए गए एक अध्ययन के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं में 36 प्रतिशत, चावल में 31 प्रतिशत तथा चीनी में 23 प्रतिशत तथा खाद्य तेलों<sup>14</sup> में 55 प्रतिशत विपथन था। गेहूं की निकासी से 50 प्रतिशत से अधिक का विपथन, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम, असम, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में हुआ था तथा चावल के संबंध में यह बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तथा मिजोरम में था। असम में सा.वि.प्र. चीनी का 52 प्रतिशत विपथन हुआ था। गेहूं, चावल, चीनी तथा खाद्य तेल के विपथनों के राज्य-वार अनुमानों का विवरण अनुबन्ध 28 में दिया गया है।

1.8.3.1 अध्ययन के परिणामों में कमियों के जो कारण बताए गए थे वे थे: बिहार में राज्य गोदामों से भारी मात्रा में विपथन, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर में भण्डारण तथा मार्गस्थ हानियां, असम, दिल्ली तथा पश्चिम बंगाल में कम तेल, असम, दिल्ली तथा पश्चिम बंगाल में नकली इकाइयां, पश्चिम बंगाल में चल जनसंख्या का निरन्तर आवागमन; असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, नागालैंड, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश आदि में

<sup>14</sup> टा.आ.प.से. के अध्ययन के अनुसार, आंकड़ों के रूप में विश्वसनीय स्तर पर 90 प्रतिशत पर गेहूं का वास्तविक विपथन 32-40 प्रतिशत के बीच, चावल का 27-35 प्रतिशत के बीच तथा चीनी का 20-26 प्रतिशत के बीच हुआ होगा।

उचित दर दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को कम लाभ तथा कम वेतन तथा उ.द.दु. के व्यापारियों को कमीशन।

### 1.9. वितरण नेटवर्क-उचित दर दुकानें

1.9.1 खाद्यान्नों तथा दैनिक प्रयोग की अन्य अनिवार्य वस्तुओं के तीव्रता से वितरण के लिए सा.वि.प्र. में उचित दर दुकानों के नेटवर्क की व्यवस्था की गई थी। उ.द.दु. के माध्यम से उपभोक्ताओं को सा.वि.प्र. वस्तुओं के वितरण तथा उ.द.दु. खोलने सहित सा.वि.प्र. के प्रशासन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ.शासित प्रशासनों का था। उ.द.दु. की आर्थिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों/सं.शा.प्रशासनों को लगभग 2000 लोगों के लिए एक उचित दर दुकान के प्रतिमान का सुझाव दिया गया था क्योंकि उ.द.दु. के साथ कम संख्या में जुड़े हुए लोग इसे आर्थिक दृष्टि से अव्यवहार्य बना देंगे तथा उ.द.दु. के स्वामियों द्वारा कुप्रथाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। तथापि, जनसंख्या घनत्व, क्षेत्रों के भू-भाग आदि की दृष्टि से कोई अपवाद हो सकता है। राज्यों/सं.शा.क्षे. को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया था कि किसी भी उपभोक्ता/कार्ड धारक को उसकी उ.द.दु. पर पहुंचने के लिए तीन कि. मी. से अधिक नहीं चलना पड़े।

प्रति उ.द.दु. से जुड़ी हुई राशन इकाइयों की औसत संख्या 10 राज्यों में 2000 इकाइयों के प्रतिमान से कम थी जो उन्हें आर्थिक रूप से अव्यवहार्य बनाती थी।

1.9.2 जून 1999 तक कुल 4.53 लाख उ.द.दु. खोली गई थी। राज्यवार वितरण अनुबन्ध 29 में दर्शाया गया है। यह देखा जाएगा कि समस्त देश के लिए प्रति उ.द.दु. राशन इकाइयों की औसत संख्या सन्तोषजनक थी जो कि लगभग 2167 थी, कई राज्यों में यह सुखद नहीं थी। *आन्ध्र प्रदेश, अरुणांचल प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा* तथा *सिक्किम* में प्रति उ.द.दु. से जुड़ी हुई राशन इकाइयों की औसत संख्या सन्तोषजनक नहीं थी जो कि 2000 इकाई के प्रतिमान के प्रति 616 तथा 1872 के बीच थी। प्रति उ.द.दु. औसतन राशन इकाइयों, पांच राज्यों/एक सं.शा.क्षे. में 2500 से अधिक चार राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे. में 3000 से अधिक तथा दो राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे. में 4000 से अधिक थीं।

### 1.9.3 राज्यों/सं.शा.क्षे. की नमूना लेखापरीक्षा से निम्नलिखित बातों का पता चला :

उत्तर प्रदेश: नमूना जांच किए गए दस जिलों में 14024 से 18959 उ.द.दु. की आवश्यकता के प्रति, केवल 12643 से 16878 उ.द.दु. थी। 1993-99 के दौरान कमी 10 प्रतिशत तथा 11 प्रतिशत के बीच थी।

हरियाणा: 6988 गांवों में से जिनमें कम से कम एक उ.द.दु. की आवश्यकता थी, मार्च 1999 तक केवल 5137 उ.द.दु. कार्य कर रही थी। शेष 1851 गांवों में कोई उ.द.दु. नहीं थी।

गुजरात: सूरत, मेहसाना, गोधरा तथा भडूच जिलों में, शहरी क्षेत्रों में 784 की आवश्यकता के प्रति 856 उ.द.दु. थी। इसके विपरीत, ग्रामीण क्षेत्रों में 2011 उ.द.दु. की आवश्यकता के प्रति केवल 1860 उ.द.दु. खोली गई थी।

उड़ीसा: कालाहांडी, कोरापुट, मयूरभंज, क्योझर, बोलंगीर तथा फूलबनी जिलों में 7301 उ.द.दु. की आवश्यकता के प्रति 1998 तक केवल 5172 उ.द.दु. कार्य कर रही थी। इन जिलों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या थी तथा दुर्गम क्षेत्र थे। इसके विपरीत कटक तथा पुरी जिलों में आवश्यकता से अधिक 746 उ.द.दु. खोली गई थी।

कालाहांडी, कोरापुट, मयूरभंज, क्योझर, बोलंगीर तथा फूलबनी जिलों में 7301 उ.द.दु. की आवश्यकता के प्रति केवल 5172 उ.द.दु. कार्य कर रही थी, जिसके कारण परिवारों को खाद्यान्नों की आसानी से पहुंच सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी।

**चंडीगढ़:** 183 उ.द.दु. सामान्य प्रावधान भण्डारों के रूप में कार्य कर रही थी जिनमें खाद्यान्न भी खुली बिक्री के अन्तर्गत बेचे जा रहे थे।

**जम्मू व कश्मीर:** 3791 विक्रय केन्द्रों की आवश्यकता के प्रति, वास्तविक विक्रय केन्द्रों की संख्या 3421 थी।

**नागालैंड:** 605 उ.द.दु. की आवश्यकता के प्रति, मार्च 1999 तक केवल 323 दुकानें कार्य कर रही थी, जिससे लाभभोगी राशन की दुकानों से आसानी से राशन प्राप्त करने से वंचित रहे।

**आन्ध्र प्रदेश:** पांच जिलों, अदीलाबाद, अनन्तपुर, विशाखापत्तनम, महबूबनगर तथा पूर्वी गोदावरी में 65010 परिवार उ.द.दु. चलाने वाले व्यापारियों की नियुक्ति न होने के कारण उन उ.द. दुकानों से खाद्यान्न का अपना कोटा लेने के लिए मजबूर थे जो उनके समीप स्थित नहीं थी। विशाखापत्तनम जिले में 8 गांवों के 19800 लाभभोगियों को 12 उ.द.दु. से अपनी अनिवार्य वस्तुएं लेने के लिए 10 से 15 कि.मी. की दूरी तय करनी पड़ती थी।

लाभभोगी सर्वेक्षण से राशन की दुकानों से कुछ अन्य समस्याओं का पता चला जो नीचे दर्शाई गई हैं:

लाभभोगी सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 48 प्रतिशत राशन की दुकानें सप्ताह में एक बार खुलती थी तथा शहरी क्षेत्रों में 16 प्रतिशत सप्ताह में एक बार से भी कम खुलती थी।

लाभभोगी सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि यद्यपि सभी राशन की दुकानें पूरा वर्ष खुलनी चाहिए थी, लेकिन वे कभी-कभी खुलती थी। औसत के आधार पर लगभग 30 प्रतिशत उ.द.दु. सप्ताह में एक बार से भी कम खुलती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में, 48 प्रतिशत राशन की दुकानें सप्ताह में एक बार अथवा इस से भी कम खुलती थी जबकि शहरी क्षेत्रों में 16 प्रतिशत सप्ताह में एक बार से भी कम खुलती थी। वे राज्य जिनमें बड़ी संख्या में दुकानें सप्ताह में एक बार से भी कम खुलती थी वे थे **बिहार:** 81 प्रतिशत, **जम्मू व कश्मीर:** 70 प्रतिशत, **राजस्थान:** 57 प्रतिशत, **पंजाब:** 53 प्रतिशत, **उड़ीसा:** 52 प्रतिशत, **उत्तर प्रदेश:** 51 प्रतिशत, **आन्ध्र प्रदेश:** 41 प्रतिशत तथा **हरियाणा:** 40 प्रतिशत। दुकानों के कम खुलने के अतिरिक्त, 26 प्रतिशत लाभभोगियों ने महसूस किया कि राशन की दुकानों पर वस्तुएं ठीक से नहीं तोली जाती थी तथा लगभग 19 प्रतिशत उपभोक्ता इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि जारी किए गए राशन की मात्रा की प्रविष्टियां उ. द.दु. रजिस्ट्रों तथा राशन कार्डों में की जानी थी। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों में लगभग 29 प्रतिशत उपभोक्ता मुख्यतः लम्बी लाइनों अथवा भण्डार न होने तथा वस्तुओं को ठीक से न तोलने के कारण राशन की दुकानों पर परेशानी महसूस करते थे।


### 1.10. उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य लेना-435.71 करोड़ रु

**1.10.1** सा.वि.प्र. के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को उपभोक्ता परचून मूल्य निर्धारित करने के लिए के.नि.मू. के अतिरिक्त संचालन तथा परिवहन प्रभारों में व्यापारी के कमीशन को भी जोड़ने की अनुमति दे दी गई थी। न.सा.वि.प्र. के संबंध में मंत्रालय द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक यह था कि गेहूँ तथा चावल का के.नि.मू. सामान्य सा.वि.प्र. के अन्तर्गत आपूर्त इन वस्तुओं के मूल्य की तुलना में न.सा.वि.प्र. ब्लाकों में 50 रु तक कम होना था। न.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत, 50 रु. प्रति क्विंटल की अतिरिक्त आर्थिक सहायता में से, कम से कम 25 रु प्रति क्विंटल उपभोक्ता को सीधे ही दिए जाने थे तथा शेष 25 रु का परिवहन तथा संचालन प्रभारों के लिए उपयोग किया जाना था। निर्दिष्ट क्षेत्रों में खाद्यान्नों का उपभोक्ता परचून मूल्य देश में लगभग एक जैसा ही होना चाहिए था तथा यह निर्दिष्ट न.सा.वि.प्र. क्षेत्रों के लिए इन वस्तुओं के विशेष रूप से सहायतायुक्त के.नि.मू. से अधिक नहीं होना चाहिए था।



मानचित्र 4

सप्ताह में केवल एक बार अथवा उस से भी कम खुलने वाली राशन की दुकानों का प्रतिशत



उपर्युक्त राज्य/राष्ट्रीय सीमाएं केवल सूचक हैं तथा हो सकता है कि वे राजनैतिक सीमाओं को सही स्थिति में निरूपित न करती हों

**1.10.1.1** ल.सा.वि.प्र. के संबंध में, राज्य सरकारों को उपभोक्ता परचून मूल्य को ग.रे.नी. के लोगों के लिए घटे के.नि.मू. से अधिकतम 50 पैसे प्रति कि.ग्रा. रखने के लिए कहा गया था। अपवादिक मामलों में जहां ऊपरी खर्चे ग.रे.नी. के लोगों के लिए न.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत 25 रु. प्रति क्विंटल तथा ल.सा.वि.प्र. के मामले में 50 रु. प्रति क्विंटल के अन्दर पूरे नहीं हुए थे; राज्य सरकारों को अतिरिक्त खर्च उसके अपने स्रोतों से ही वहन करने थे। जहां तक ग.रे.ऊ. के लोगों के लिए मूल्यों का संबंध है, राज्य सरकारें, किए गए वास्तविक व्यय तक इसकी सीमा नियत करने के लिए स्वतन्त्र थी।

अतिरिक्त व्यय को राज्य बजटों से पूरा करने के बजाए उसे उपभोक्ताओं से पूरा करने के कारण उपभोक्ताओं से 435.71 करोड़ रु. अधिक प्रभारित किए गए थे।

**1.10.1.2** संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि राज्य सरकारों ने 25 रु. प्रति क्विंटल से अधिक के अतिरिक्त व्यय को पूरा नहीं किया बल्कि परिवहन की उच्चतर लागत, ऊपरी खर्चों, राशन कार्डों के मुद्रण, व्यापारकर, मण्डी कर, मिट्टी का तेल रिसने का भत्ता, खाद्य तेलों के प्रशासनिक, भण्डारण प्रभार, उचित दर दुकानों में उपलब्ध सा.वि.प्र. वस्तुओं की बिक्री में उच्च थोक विक्रय/परचून में विक्रय लाभों आदि को शामिल करके अतिरिक्त भार को उपभोक्ता पर ही थोप दिया। इस प्रकार गेहूं तथा चावल को एक समान तथा समुचित दर पर उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था। नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि राज्य सरकारों द्वारा 435.71 करोड़ रु. उपभोक्ताओं से अधिक प्रभारित किए गए थे क्योंकि उन्होंने अतिरिक्त लागत को पूरा करने के विषय में अनुदेशों का अनुसरण नहीं किया था जिसका विवरण अनुबन्ध 30 में दिया गया है।

तमिलनाडु में, खाद्यान्नों तथा मिट्टी के तेल के लिए उपभोक्ताओं को परचून का लाभ देने के कारण, उपभोक्ताओं से 251.44 करोड़ रु. प्रभारित किए गए थे, हालांकि ये प्रभार राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने थे।

गुजरात तथा त्रिपुरा में, अतिरिक्त संचालन प्रभारों की वसूली के प्रति उपभोक्ताओं से क्रमशः 64.47 करोड़ रु. तथा 5.20 करोड़ रु. अधिक प्रभारित किए गए थे।

### 1.10.2 मिलमालिकों को अनुचित वित्तीय लाभ

**1.10.2.1** स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सा.वि.प्र. के अन्तर्गत मासिक रूप से आपूर्त गेहूं की सीमित मात्रा को आटे, मैदे तथा सूजी में बदलने की अनुमति दे दी थी, परन्तु उसमें यह शर्त थी कि ये मदे राज्य सरकारों द्वारा नियत मूल्यों पर सा.वि.प्र. की दुकानों आदि से वितरित की जानी चाहिए। राज्य सरकारों को इससे कोई लाभ नहीं कमाना था। सा.वि.प्र. की आवश्यकता से अधिक मात्रा की खुले बाजार में बिक्री के मामले में, नियंत्रित मूल्य तथा खुले बाजार में बेचे गए मूल्य के बीच अन्तरात्मक लागत भारत सरकार को क्रेडिट की जानी थी। किसी भी हालत में रोलर फ्लोर मिलों को जारी की गई मात्रा, मास के दौरान सा.वि.प्र. गेहूं के सामान्य आबंटन के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। मिल से उत्पादित चोकर की बिक्री से प्राप्त समस्त राशि भारत सरकार को भेजी जानी थी।

8 राज्य सरकारों ने सरकारी आदेशों का पालन न करने के कारण मिलमालिकों को 372.56 करोड़ रु. का अनुचित लाभ पहुंचाया।

**1.10.2.2** असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा तथा दिल्ली राज्य सरकारों ने मिलमालिकों को अनुबन्ध 31 में दिए गए विवरणानुसार कम से कम 372.56

करोड़ रु. का अनुचित लाभ पहुंचाया क्योंकि उन्होंने भारत सरकार के अनुदेशों का पालन नहीं किया था। इस प्रकार, जबकि भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के लाभ के लिए आर्थिक सहायता दी थी, वास्तव में लाभ मिलमालिकों को हुआ।

अधिकतर राशि असम सरकार से संबंधित थी, जिसने मिलमालिकों से आटे के बाजार मूल्य तथा सा.वि.प्र. मूल्य के बीच अन्तर को एकत्र न करके मिलमालिकों को 322.76 करोड़ रु. का अनुचित लाभ पहुंचाया। इसके अतिरिक्त, त.ना.ना.आ.नि.<sup>15</sup> ने आटे के बाजार मूल्य तथा सा.वि.प्र. मूल्य की अन्तरात्मक लागत लगभग 62.75 करोड़ रु. वापस नहीं की।

### 1.10.3 गुणवत्ता नियंत्रण

सा.वि.प्र. की वस्तुओं की गुणवत्ता घटिया किस्म की थी तथा कुछ राज्यों में घटिया किस्म के खाद्यान्न वितरित किए गए थे।

**1.10.3.1** यह सुनिश्चित करने के लिए कि उ.द.दु. के माध्यम से सा.वि.प्र. के अन्तर्गत आपूर्त खाद्यान्न तथा अन्य अनिवार्य वस्तुएं अच्छी गुणवत्ता की थी, राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्यान्न अच्छी किस्म के थे तथा खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम में निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप थे, हर स्तर पर अनुश्रवण किया जाना अपेक्षित था। उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरित खाद्यान्नों की गुणवत्ता उ.द.दु. से नमूने लेकर तथा केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला में उनका विश्लेषण करके सुनिश्चित की जानी थी। प्रयोगशाला परीक्षणों के दौरान ध्यान में आई गुणवत्ता से संबंधित कमियां उपचारी उपाय करने के लिए संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाई जानी थी।

**1.10.3.2** नमूना जांच से पता चला कि मई 1992 तथा मार्च 1999 के बीच लाभभोगियों को घटिया किस्म के खाद्यान्न वितरित किए गए थे जिनका विवरण अनुबन्ध 32 में दिया गया है।

**1.10.3.3** असम, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात तथा पश्चिम बंगाल सरकारों ने उपभोक्ताओं को 2.90 लाख टन घटिया चावल जारी किया। 8757 टन घटिया गेहूं उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, पांडिचेरी तथा पश्चिम बंगाल में वितरित किया गया था। हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में 837 टन घटिया चीनी जारी की गई थी।

लाभभोगी सर्वेक्षण से भी पता चला कि बहुत से राज्यों/सं.शा.क्षे. में उपभोक्ताओं को औसतन घटिया खाद्यान्न वितरित किए गए थे। लाभभोगियों द्वारा घटिया गुणवत्ता के जो मुख्य कारण बताए गए थे वे थे: चावल तथा गेहूं में बहुत अधिक रेत/धूल, छोटे-छोटे पत्थर, टूटे चावल, दुर्गन्ध, फीका-रंग खराब स्वाद, अधिक भूसा, कीड़े आदि।

### 1.10.4 राशन के कोटे में मनमानी कटौती

**1.10.4.1** भारत सरकार ने न.सा.वि.प्र. ब्लॉकों में परिवारों को गेहूं तथा चावल जारी करने का माप अधिकतम 20 कि.ग्रा. प्रति परिवार की शर्त पर 5 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति नियत किया था। ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत, ग.रे.नी. के परिवारों को विशेष रूप से सहायतायुक्त दरों पर प्रति

<sup>15</sup> तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड



परिवार प्रति मास 10 कि.ग्रा. की दर से खाद्यान्न आपूर्त किए जाने थे। राशन की मात्रा में की गई कोई कटौती, लाभभोगियों को योजना के अन्तर्गत अभिप्रेत लाभ से वंचित करती थी।

**1.10.4.1.1** राज्यों/सं.शा.क्षे. में अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नलिखित कमियों का पता चला:

चार राज्य सरकारों ने, राशन की मात्रा में मनमाने ढंग से कटौती की थी।

*आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु* तथा *बिहार* सरकारों ने राशन के निर्धारित कोटे में मनमाने ढंग से कटौती की थी तथा इस प्रकार, लाभभोगी सहायतायुक्त खाद्यान्नों से वंचित रहे थे जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

*आन्ध्र प्रदेश* में, न.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत, अधिकतम 20 कि.ग्रा. प्रति परिवार की शर्त पर 5 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति की परिकल्पित दर के प्रति जून- दिसम्बर 1992 के दौरान अधिकतम 16 कि.ग्रा. प्रति परिवार तथा अगस्त 1996 से मई 1997 के बीच अधिकतम 20 कि.ग्रा. की शर्त पर 4 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति मास खाद्यान्न की मात्रा जारी की गई थी, जिसके कारण इन दोनों अवधियों के दौरान क्रमशः 25.79 लाख परिवारों को 65598 टन तथा 13.60 लाख परिवारों को 44011 टन के सहायतायुक्त चावल पर 5.48 करोड़ रु की आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त नहीं हुआ था। इसी प्रकार, ल.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत, राज्य सरकार ने अधिकतम 10 कि.ग्रा. प्रति परिवार प्रति मास के बजाए 20 कि.ग्रा. प्रति परिवार की शर्त पर विशेष ल.सा.वि.प्र. दरों पर 4 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति प्रति मास खाद्यान्न जारी किए थे। इसके परिणामस्वरूप 4.02 लाख एकल व्यक्ति परिवारों तथा 13.02 लाख दो सदस्यीय परिवारों को प्रति मास 6 कि.ग्रा. खाद्यान्न नहीं मिले।

*उड़ीसा* के कालाहांडी जिले में, ग.रे.नी. के प्रति परिवार 10 कि.ग्रा. से 5 कि.ग्रा. की मात्रा में मनमाने ढंग से कटौती के कारण ग.रे.नी. के परिवारों को नवम्बर 1998 मास के लिए 3080 क्विंटल ग.रे.नी. का चावल आपूर्त नहीं किया गया था।

*तमिलनाडु* में, न.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत प्रति परिवार प्रति मास 20 कि.ग्रा. चावल/गेहूँ की ग्राह्य मात्रा के प्रति, राज्य सरकार ने जून 1992 से दिसम्बर 1995 के दौरान 12 कि.ग्रा. प्रति परिवार प्रति मास की मात्रा जारी की थी। इस कटौती के कारण, न.सा.वि.प्र. लाभभोगियों को जनवरी 1996 से मई 1997 के दौरान उनकी हकदारी की तुलना में, धर्मपुरी जिले में 21230 टन चावल कम जारी किए गए थे।

*बिहार* में, न.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत 20 कि.ग्रा. प्रति परिवार प्रति मास के निर्धारित प्रावधान के प्रति, राज्य खाद्य निगम ने प्रति वर्ष कम खाद्यान्न उठाए जाने के कारण केवल 14 कि.ग्रा. खाद्यान्न वितरित किए।

### **1.10.5 परिहार्य परिवहन प्रभार**

**1.10.5.1** परिवहन प्रभारों में भा.खा.नि./रेल पर्यन्त के नामित आधार डिपुओं से खाद्यान्नों की आवाजाही के लिए किए गए रेल, सड़क तथा स्टीमर भाड़ा प्रभार शामिल थे। ये प्रभार राज्य सरकारों को प्रतिपूर्त किए गए थे। राज्य सरकारों को परिवहन प्रभारों को नियंत्रित करने के लिए खाद्यान्नों की आड़ी तिरछी आवाजाही से बचना था।

खाद्यान्नों की आड़ी तिरछी आवाजाही, उच्च परिवहन प्रभारों के भुगतान, आदि के कारण परिवहन पर 41.51 करोड़ रु का परिहार्य व्यय हुआ।

**1.10.5.1.1** तथापि विभिन्न राज्यों/सं.शा.क्षे. के अभिलेखों की नमूना जांच से परिहार्य व्यय का पता चला कि खाद्यान्नों की आड़ी तिरछी आवाजाही, उच्च परिवहन प्रभारों के नियतन तथा भुगतान, लम्बी दूरी से खाद्यान्नों को उठवाने आदि पर 41.51 करोड़ रु का परिहार्य व्यय हुआ जिसका विवरण अनुबन्ध 33 में दिया गया है।

**तमिलनाडु** में सहकारी समितियों द्वारा निर्धारित दरों की तुलना में अधिक दरें प्रभारित करने तथा भा.खा.नि. की दरों की तुलना में त.ना.ना.आ.नि. द्वारा परिवहन हेतु उच्च दरों के नियतन के कारण 11.37 करोड़ रु के अधिक परिवहन प्रभार खर्च हुए थे। **जम्मू व कश्मीर** में राज्य सरकार ने सम्बन्धित जिलों के भा.खा.नि. गोदामों में स्टॉक उपलब्ध होने के बावजूद भी चार जिलों में दूरस्थ डिपुओं से खाद्यान्नों की उठवाई के कारण 6.57 करोड़ रु का अतिरिक्त व्यय किया।

### 1.10.6 गोदामों का निर्माण

**1.10.6.1** न.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत, भण्डारण को सुविधाजनक बनाने तथा अच्छी किस्म के खाद्यान्नों को उपलब्ध कराने के लिए गोदामों का निर्माण करना अपेक्षित था। मंत्रालय ने खाद्यान्नों की सामयिक तथा नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेषकर अन्तरंग तथा असुविधा वाले क्षेत्रों में प्रति 2000 टन तक की क्षमता वाले 551 गोदामों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों तथा सं.शा.क्षे. प्रशासनों को 1983-99 के दौरान 58.73 करोड़ रु जारी किए। केन्द्रीय सरकार ने 50 प्रतिशत कर्ज तथा 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की। 17 राज्यों तथा एक सं.शा.क्षे. में गोदामों के निर्माण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि लगभग सभी राज्य सरकारें गोदामों के निर्माण, अथवा उन स्थानों, जहां पर वर्तमान गोदामों की क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा था, गोदाम अप्रयुक्त पड़े थे, आदि के निर्माण में विफल रही थी जैसा कि अनुबन्ध 34 में दर्शाया गया है।

बिहार में राज्य खाद्य निगम ने भारतीय स्टेट बैंक के पास कैश क्रेडिट के अन्तर्गत अपने अन्य उधारों की चुकौती पर 2.31 करोड़ रु का दुरुपयोग किया।

**बिहार** में, 11.52 करोड़ रु राज्य खाद्य निगम के पास अप्रयुक्त पड़े रहे जिसमें से, निगम ने भारतीय स्टेट बैंक के पास कैश क्रेडिट के अन्तर्गत अपने अन्य उधारों की चुकौती पर 2.31 करोड़ रु का दुरुपयोग किया।

**उत्तर प्रदेश** में, 1995-97 के दौरान जारी किए गए 6.23 करोड़ रु में से, 5.78 करोड़ रु अप्रयुक्त रहे।

आयुक्त, खाद्य तथा सिविल आपूर्ति, कर्नाटक ने 1.32 करोड़ रु की केन्द्रीय सहायता आहरित की तथा फरवरी 1993 में व्य.ज. खाते में रख दी, जिसमें से 45.89 लाख रु मार्च 1996 तथा जनवरी 1997 के बीच क.खा.ना.आ.नि.<sup>16</sup> को जारी कर दिए गए थे तथा शेष मार्च 1999 तक व्य.ज. खाते में पड़ा था।

### 1.10.7 गाड़ियों की खरीद

**1.10.7.1** ग्रामीण, पर्वतीय, दूरस्थ तथा भौगोलिक रूप से असुविधा वाले अन्य क्षेत्रों में, जहां स्थायी तथा नियमित उ.द. दुकानें चलने योग्य अथवा व्यवहार्य नहीं थी, मंत्रालय ने वितरण

<sup>16</sup> कर्नाटक खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

वाहन/बड़े ट्रक खरीदने के लिए 50:50 के अनुपात में कर्जे तथा आर्थिक सहायता के रूप में राज्यों/सं.शा.क्षे. को वित्तीय सहायता प्रदान की। मंत्रालय ने 1536 गाड़ियों की खरीद के लिए 1985-99 के दौरान 23 राज्य सरकारों तथा तीन सं.शा.क्षे. को 62.96 करोड़ रु की आर्थिक सहायता प्रदान की।

14 राज्यों में चालकों की तैनाती न होने के कारण 201 वाहन निष्क्रिय रहे अथवा उनका प्रयोग सा.वि.प्र. के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था।

**1.10.7.2** नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि 14 राज्यों में 201 वाहन, चालकों की तैनाती न होने के कारण बेकार पड़े रहे अथवा उनका सा.वि.प्र. आदि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया गया था, जिसके कारण वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ जिसके लिए गाड़ियों के प्रावधान की योजना प्रारम्भ की गई थी अनुबन्ध 35।

**हरियाणा** सरकार ने, केन्द्रीय सहायता में से 40 लाख रु मूल्य से खरीदे गए सभी 10 वाहन हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति तथा विपणन संघ लि. (हिफेड), वह एजेंसी जो सा.वि.प्र. से संबद्ध नहीं थी, को अन्तरित कर दिए।

**हिमाचल प्रदेश** सरकार ने 3.65 करोड़ रु की केन्द्रीय सहायता में से तेल के दो टैंकर खरीदे तथा उन्हें वाणिज्यिक आधार पर चल रहे पेट्रोल पम्पों को पै.ते.लु. भेजने के लिए प्रयोग किया।

**कर्नाटक** सरकार ने 48 लाख रु की सहायता में से कोई गाड़ी नहीं खरीदी। उसने 1994-98 के दौरान ब्याज सहित 24 लाख रु का कर्ज वापिस किया परन्तु 24 लाख रु की आर्थिक सहायता का भाग, जो कि गाड़ियों की खरीद हेतु प्रयोग नहीं किया गया था, वापिस नहीं किया।

**1.10.7.3 बिहार** सरकार ने 1985-93 के दौरान 269 चल गाड़ियां खरीदने के लिए राज्य खाद्य निगम को 7.44 करोड़ रु जारी किए। निगम ने 185 गाड़ियों की खरीद के लिए 5.26 करोड़ रु खर्च किए तथा 1990-91 में अन्य प्रयोजनों के लिए कैश क्रेडिट खाते पर 2.01 करोड़ रु समायोजित कर दिए तथा 17.15 लाख रु का अन्य प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग किया। केन्द्रीय सरकार से प्राप्त 1.33 करोड़ रु का कर्ज तथा उस पर 1.41 करोड़ रु का ब्याज राज्य खाद्य निगम से वसूली हेतु लम्बित था। केवल 36 गाड़ियां ही चालू हालत में थी।

**नागालैंड** में 1992-93 के दौरान प्राप्त 24 लाख रु की सहायता में से कोई वाहन नहीं खरीदा गया था।

### 1.11. अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

**1.11.1** सा.वि.प्र. की दक्ष कार्यप्रणाली केन्द्र तथा राज्य सरकारों/सं.शा.प्रशासनों का संयुक्त उत्तरदायित्व था। केन्द्रीय स्तर पर खाद्यान्नों की 'उपलब्धता', 'समर्थता' तथा 'स्वीकार्यता' 'सुनिश्चित' करने के लिए मंत्रालय उत्तरदायी था जबकि राज्य सरकारों को लोगों को 'अभिगम्यता' सुनिश्चित करनी थी। राज्य सरकारें परचून उचित दर दुकानों के कुशल वितरण नैटवर्क के सर्जन के लिए भी जिम्मेवार थीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सा.वि.प्र. वस्तुओं के उपभोक्ताओं के उद्देश्य से बने खाद्यान्न वास्तव में लक्षित लाभभोगियों को पहुंचते हैं, दिशानिर्देशों में राज्य, जिला तथा उ.द.दु. स्तर पर सा.वि.प्र. के कार्यान्वयन तथा निष्पादन के पर्यवेक्षण पर विचार किया गया था। राज्य सरकारों/सं.शा.प्रशासनों को उ.द.दु. के निरीक्षण की अनुसूचियां तैयार करनी थी तथा निरीक्षणों की उपलब्धियों की रिपोर्ट मंत्रालय को आगे भेजने के लिए राज्य सरकारों/सं.शा. प्रशासनों द्वारा प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। जिला



समाहर्ता/दण्डाधिकारी को साप्ताहिक समीक्षा बैठकें यह सुनिश्चित करने के लिए करनी थी कि समस्याओं अथवा वाधाओं का उपचारी उपाय करने के लिए पहचान कर ली गई थी। सम्बद्ध राज्य सरकारों/सं.शा. प्रशासन के सा.वि.प्र. के प्रभारी सचिवों को एक माह में कम से कम एक बार इसी प्रकार की समीक्षा बैठकें करने के लिए कहा गया था। योजना के अन्तर्गत गतिविधियों की राज्य/जिला /उ.द.दु. स्तर पर सतर्कता समिति के माध्यम से अनुश्रवण पर विचार किया गया था। भारत सरकार के स्तर पर योजना का अनुश्रवण प्रतिमाह राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत की गई प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से किया गया था।

सा.वि.प्र. के अनुश्रवण में शिथिलता थी क्योंकि कई राज्यों में यह लक्षित समूह तक पहुंचने में विफल रहा। सा.वि.प्र. के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण हेतु सतर्कता समितियों का कई राज्यों में गठन नहीं किया गया था।

1.11.1.1 अनुश्रवण तथा निरीक्षण संबंधित दस्तावेजों की संवीक्षा से पता चला कि *सिक्किम, गोआ तथा अ. एवं नि. द्वीप समूह* में सा.वि.प्र. के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण हेतु सतर्कता समितियों का गठन नहीं किया गया था। यद्यपि *असम, जम्मू व कश्मीर, चण्डीगढ़, मेघालय, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम तथा उत्तर प्रदेश* में समितियों का गठन तो किया गया था परन्तु अप्रभावी था। *गुजरात, केरल तथा दा. एवं न. हवेली* में सतर्कता समितियों की बैठकें अपर्याप्त थीं। इस प्रकार अधिकतर राज्यों/सं.शा.क्षे. में प्रभावी तथा कुशल सतर्कता तंत्र का अभाव था।

1.11.2 सा.वि.प्र. के मूल्यांकन अध्ययन, कार्यान्वयन पर महत्वपूर्ण प्रतिपुष्टि उपलब्ध करवा सकते थे। सा.वि.प्र. कार्यान्वयन की प्रभावकारिता जाली इकाईयों के प्रचलन, निकास की पद्धति, रिसाव की मात्रा, खुले बाजार को सा.वि.प्र. वस्तुओं के विपथन इत्यादि निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने जून 1987 तथा दिसम्बर 1997 के बीच 30.63 लाख रु की लागत पर विभिन्न एजेन्सियों द्वारा 8 अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन चालू किये थे।


1.11.3 इसके अतिरिक्त योजना आयोग के अधीन कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने 1992-94 की अवधि के लिए न.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत कार्यक्रम परिदान का मूल्यांकन किया था। अध्ययन से बहुत सी कमियों जैसे (क) जाली राशन कार्डों का बहुजनन (ख) अपर्याप्त भण्डारण प्रबन्ध (ग) सतर्कता समितियों की अप्रभावी कार्यप्रणाली तथा (घ) सभी पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करने में विफलता का पता चला था। इसके अतिरिक्त, अध्ययन ने इस पर बल दिया था कि भा. खा.नि. को भण्डारण सुविधाओं का सुधार करने की आवश्यकता है तथा अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए सुदृढ़ गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता है। द्वार वितरण तथा चल उचित दर दुकान सेवाओं के सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया गया था। अध्ययन ने सतर्कता समिति के रखवाली की भूमिका पर भी बल दिया था जिसके बिना सा.वि.प्र. को प्रभावी रूप से संचालित करना बहुत कठिन होगा।

1.11.4 इस निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकट हुई कार्यान्वयन में बहुत सी कमियां तथा समस्याएं यह सुझाव देती हैं कि मूल्यांकन अध्ययन की मुख्य उपलब्धियों पर प्रभावकारी विधि से कार्यवाही नहीं की गई थी। उड़ीसा के कालाहांडी जिले ने कार्यक्रम कार्यान्वयन की कमी में एक सूक्ष्मदर्शीय जानकारी प्रस्तुत की।

उड़ीसा के कोरापुट, बोलनगीर, कालाहांडी (को.बो.का.) जिलों के आर्थिक पिछड़ापन तथा गरीबी ने पूरे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया था। कालाहांडी ने वास्तव में अपने निरन्तर सूखे तथा परिणामतः गरीबी, भूख, बाह्य प्रवसन, गम्भीर बीमारियों के फैलने तथा कुछ जिलों में बच्चों की बिक्री ने विश्व का ध्यान आकर्षित किया था। कालाहांडी में सा.वि.प्र. के कार्यान्वयन से, बहुत सी कमियों तथा योजना के कार्यान्वयन के लगभग सभी पहलुओं में विफलता का पता चला:

- 3026 जाली राशन कार्ड प्रचलन में थे। इनमें से 2457 ग.रे.नी. कार्ड भवानीपटना नगरपालिका से ही संबंधित थे।
- इस जिले के चार खण्ड नामतः भवानीपटना धर्मगढ़, जूनागढ़ तथा कलामपुर भारत सरकार द्वारा 1994 में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पात्र घोषित किये गए थे, उन्हें राज्य सरकार द्वारा न.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत सहायतायुक्त दर पर खाद्यान्न का लाभ प्रदान नहीं किया गया था।
- इस जिले में 1995-96 के दौरान, 2767 टन चावल कम उठाया गया था जिससे 11528 उपभोक्ता घटी दर पर खाद्यान्न के लाभ से वंचित रह गए।
- केसिंगा खण्ड में 14 ग्राम पंचायतों में 1994-97 के दौरान स्टॉक की उपलब्धता के बावजूद 4-34 माह तक सहायतायुक्त चावल वितरित नहीं किया गया था। इसी प्रकार, भवानीपटना नगर पालिका में जून 1997 से दिसम्बर 1998 के दौरान ग.रे.नी. का चावल वितरित नहीं किया गया था क्योंकि अधिशासी अधिकारियों ने ग.रे.नी. व्यक्तियों की सूची जारी नहीं की थी यद्यपि आबंटन प्राप्त हो गया था।
- खाद्यान्नों की प्राप्ति में कमी के सम्बन्ध में खं.वि.अ., ग्राम पंचायतों, विधायकों इत्यादि द्वारा बहुत सी शिकायतें दर्ज की गई थी। इससे 123960 लाभभोगियों को सहायतायुक्त चावल का वितरण प्रभावित हुआ।
- कुछ खण्डों में प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान निर्धारित अभिलेख तैयार न करने तथा कुछ खण्डों में विभागीय भण्डारण एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहे विपणन निरीक्षकों द्वारा मासिक स्टॉक विवरणियां प्रस्तुत न करने के कारण 15.31 लाख रु मूल्य की कमी का पता चला।
- ना.आ.अ. कालाहांडी ने 23.4 लाख रु के मूल्य का 6698.24 क्विंटल खाद्यान्न अन्य योजनाओं को विपथित कर दिया।

मानचित्र 5  
राष्ट्रीय औसत से सा.वि.प्र. की दक्षता



उपर्युक्त राज्य/राष्ट्रीय सीमाएं केवल सूचक हैं तथा हो सकता है कि वे राजनैतिक सीमाओं को सही स्थिति में निरूपित न करती हों।



**1.11.5** दक्षता सूचकांक (द.सू.)<sup>17</sup> अपनाकर लाभभोगी सर्वेक्षण ने दर्शाया कि *आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश* तथा *कर्नाटक* में सा.वि.प्र. की दक्षता राष्ट्रीय औसत से उच्च थी। *उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी* तथा *जम्मू व कश्मीर* में दक्षता राष्ट्रीय औसत के लगभग थी। *हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, चण्डीगढ़, असम, मध्य प्रदेश, दमन एवं दीव, मेघालय* तथा *दादरा एवं नगर हवेली* में दक्षता राष्ट्रीय औसत के भाव से नीचे थी। यह नीचे दिये गए दक्षता मानचित्र में दर्शाया गया है। सर्वेक्षण से सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. में ग्रामीण भारत तथा ग.रे.ऊ. के बीच बेहतर दक्षता का भी पता चला। राज्य/सं.शा.क्षे. जिनका जीवन सूचक<sup>18</sup> निम्नस्तर का था, ने निम्नतर दक्षता सूचकांक दर्शाया।

### 1.12. निष्कर्ष

संक्षेप में सा.वि.प्र. में बहुत सी कमियां थी इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण अकुशलता को लक्षित कर रही थी। रिसाव दूर तक फैला हुआ था। अप्रभावी कार्यान्वयन, घटिया प्रशासनिक प्रबन्ध तथा अस्पष्ट उत्तरदायित्व ढांचे ने वितरण की प्रभावकारिता को क्षति पहुंचाई। वितरण अवसंरचना तथा आपूर्त खाद्यान्न की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त सा.वि.प्र. के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति पात्रता अपर्याप्त थी तथा प्रति व्यक्ति कुल खरीद अभी भी बहुत खराब थी। इसने राज्यों में गरीबों को उच्च सहायतायुक्त लागत पर भोजन प्रदान किया जिससे अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध हुई, परन्तु राज्य सरकारें, जिसमें गरीबों की सर्वाधिक जनसंख्या तथा गरीबी का प्रभाव था, ने सा.वि.प्र. का पूर्णतया उपयोग नहीं किया। इसने सा.वि.प्र. की प्रभावोत्पादकता पर प्रभाव डाला।

योजना की मूल कमियां आमतौर पर रूपरेखा तैयार करने में थी।

- (क) प्रत्येक को पात्र बना कर योजना के सार्वभौमिकरण ने योजना को बिना किसी अवगम्य लाभ के बहुत मंहगा बना दिया।
- (ख) एक सार्वभौम कार्यक्रम में चयनात्मक लक्ष्य विफल होने के लिये बाध्य है क्योंकि सीमायें खुल जाती हैं। अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से बहुत से ग.रे.ऊ वाले ग.रे.नी वाले बन जाते हैं। इसने लक्षित ग्रुप को अनिवार्य रूप से लाभ पहुंचाए बिना योजना की लागत को काफी बढ़ा दिया।

<sup>17</sup> दक्षता सूचकांक पांच विभिन्न सूचकांकों अर्थात् सा.वि.प्र. के माध्यम से खरीद के अनुपात को दर्शाने वाले भारित खरीद सूचकांक; सा.वि.प्र. के माध्यम से खरीद के प्रभाव को दर्शाने वाले भारित खरीद सूचकांक; राशन कार्डों के स्वामित्व की प्रतिशतता को दर्शाने वाले राशन कार्ड स्वामित्व का प्रभाव; सा.वि.प्र. में प्रस्तुत विभिन्न वस्तुओं के लिए गुणवत्ता बोध दर्शाने वाले भारित गुणवत्ता सूचकांक तथा चावल एवं गेहूँ के लिए वास्तविक मूल्य तथा केन्द्रीय निर्गम मूल्यों के बीच मूल्य भिन्नता दर्शाने वाले भारित मूल्य सूचकांक को गुणा करके निकाला जाता है। दक्षताओं के सूचकांक प्रत्येक राज्य के लिए संगणित किये गये तथा तत्पश्चात् उपयुक्त रूप से लागू किये गये थे। सूचकांक की गणना करते समय पांचों सूचकांकों को समान रूप से वरीयता दी जानी थी क्योंकि इन सभी का समान महत्व माना जाता था तथा किसी भी अतिरिक्त पैरामीटर का एक अथवा अधिक सूचनाओं के साथ उच्च डिग्री का परस्पर सम्बन्ध होगा।

<sup>18</sup> जीवन स्तर सूचकांक छः सुख सुविधाओं की सुलभता से बना था: पेयजल का स्रोत, मकान का प्रकार, बिजली का स्रोत, भोजन पकाने के लिए ईंधन, शौचालय सुविधा तथा मदों का स्वामित्व। इन सुख सुविधाओं के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न महत्व दिये गये थे तथा विभिन्न स्तरों के लिए समेकित हिसाब लगाये गये थे।

- (ग) न्यूनतम समर्थन मूल्यों में निरन्तर वृद्धि, कभी-कभी बाजार मूल्य से भी अधिक, ने उपभोक्ताओं से अधिक उत्पादकों तथा किसानों को लाभ की ओर अभिमुख किया। इन वृद्धियों ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालन की त्रुटियों के साथ जुड़ कर सहायतायुक्त बिलों पर रोचक प्रभाव डाला।
- (घ) मांग का विचार किये बिना प्रस्तुत किये गए सारे खाद्यान्न को न्यू.स.मू. पर अधिप्राप्त करने की भा.खा.नि. की बाध्यता के कारण अनावश्यक रूप से भारी बफर स्टॉक की लागत वहन करनी पड़ी, तथा
- (ङ.) इस प्रकृति के प्रभावशाली सार्वभौमिक कार्यक्रम को देशव्यापी आधार पर निरन्तर सघन पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण की आवश्यकता थी, यह बहुत बड़ा कार्य है, जिसे गम्भीरता से नहीं लिया गया। इस प्रकार इतनी अधिक छीजन जिस पर उपयुक्त सर्तकता से काबू पाया जा सकता था, जारी रही।

खाद्य की उपलब्धता, आय के अन्तरण, जरूरतमन्द तथा पोषण सहायता के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को समस्त लाभ प्राप्त नहीं हुये। तथापि, सरकार ने कई वर्षों तक इन उद्देश्यों के लिए भारी राशि खर्च की।

## अनुबन्ध 1

## (पैराग्राफ 1.1.2 देखें)

सा.वि.प्र. कार्यान्वयन करने वाले राजकीय विभाग तथा अन्य एजेंसियां

क्र.सं.	राज्य	अन्तर्गत एजेंसियां
1	आन्ध्र प्रदेश	(i) नागरिक आपूर्ति तथा उपभोगता कार्य विभाग। (ii) आ.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड। (iii) उचित दर दुकानें।
2	अरुणाचल प्रदेश	(i) नागरिक आपूर्ति विभाग। (ii) उचित दर दुकानें।
3	असम	(i) खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग। (ii) उचित दर दुकानें।
4	बिहार	(i) खाद्य आपूर्ति तथा वाणिज्य विभाग। (ii) राज्य खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति निगम लि.। (iii) उचित दर दुकानें।
5	गुजरात	(i) खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग। (ii) गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लि.। (iii) उचित दर दुकानें।
6	हरियाणा	(i) खाद्य तथा आपूर्ति विभाग। (ii) हरियाणा राज्य उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार संघ (कोनफेड)। (iii) उचित दर दुकानें।
7	हिमाचल प्रदेश	(i) खाद्य तथा आपूर्ति विभाग। (ii) हि.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लि.। (iii) उचित दर दुकानें।
8	जम्मू व कश्मीर	(i) खाद्य तथा आपूर्ति विभाग। (ii) उचित दर दुकानें।
9	कर्नाटक	(i) खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग। (ii) कर्नाटक खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति निगम लि.। (iii) उचित दर दुकानें।
10	केरल	(i) नागरिक आपूर्ति विभाग। (ii) केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (के.रा.ना.आ.नि.)। (iii) उचित दर दुकानें।
11	मध्य प्रदेश	(i) खाद्य तथा आपूर्ति विभाग। (ii) म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम। (iii) उचित दर दुकानें।
12	महाराष्ट्र	(i) खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग। (ii) उचित दर दुकानें।
13	मणिपुर	(i) खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग। (ii) उचित दर दुकानें।
14	मेघालय	(i) खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग। (ii) उचित दर दुकानें।
15	नागालैण्ड	(i) खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग। (ii) उचित दर दुकानें।
16	उड़ीसा	(i) खाद्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता कल्याण विभाग। (ii) उड़ीसा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लि.। (iii) उचित दर दुकानें।

17	पंजाब	(i) खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग। (ii) पंजाब राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लि। (iii) उचित दर दुकानें।
18	राजस्थान	(i) खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग। (ii) उचित दर दुकानें।
19	सिक्किम	(i) खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग। (ii) उचित दर दुकानें।
20	तमिलनाडु	(i) सहकारी खाद्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग। (ii) तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम लि। (iii) उचित दर दुकानें।
21	त्रिपुरा	(i) खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग। (ii) उचित दर दुकानें।
22	उत्तर प्रदेश	(i) खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग। (ii) उ.प्र. राज्य खाद्य तथा अनिवार्य वस्तु निगम लि। (iii) उचित दर दुकानें।
23	पश्चिम बंगाल	(i) खाद्य तथा आपूर्ति विभाग। (ii) पश्चिम बंगाल अनिवार्य वस्तु आपूर्ति निगम लि। (iii) उचित दर दुकानें।
24	अं. एवं नि. द्वीप समूह	(i) नागरिक आपूर्ति विभाग। (ii) उचित दर दुकानें।
25	चण्डीगढ़	(i) खाद्य तथा आपूर्ति विभाग। (ii) चण्डीगढ़ औद्योगिक तथा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। (iii) सुपर बाजार। (iv) उचित दर दुकानें।
26	दा. एवं. ना. हवेली	(i) खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग। (ii) उचित दर दुकानें।
27	दिल्ली	(i) खाद्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग। (ii) दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम। (iii) उचित दर दुकानें।
28	गोवा	(i) नागरिक आपूर्ति तथा मूल्य नियंत्रण विभाग। (ii) उचित दर दुकानें।
29	लक्षद्वीप	(i) सहकारिता तथा नागरिक आपूर्ति विभाग। (ii) उचित दर दुकानें।
30	पांडिचेरी	(i) नागरिक आपूर्ति विभाग। (ii) पांडिचेरी कृषि उत्पाद, खाद्य तथा आपूर्ति निगम। (iii) उचित दर दुकानें।
31	मिज़ोरम	(i) खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग। (ii) उचित दर दुकानें।



अनुबन्ध 2  
(पैराग्राफ 1.2.3 देखें)

और्ग-मार्ग अनुसंधान लिमिटेड की लाभभोगी सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष

- सभी राज्यों/सं.रा.क्षे. के 140 जिलों में 285 शहरों, 1223 गांवों में उपभोक्ता सर्वेक्षण किया गया तथा जुलाई 1999 से अक्टूबर 1999 के दौरान 64292 उपभोक्ताओं से साक्षात्कार किया गया।
- सर्वेक्षण के मुख्य लक्ष्य थे :-
  - वस्तुओं की पहुंच-सीमा, उपलब्धता मूल्य तथा सा.वि.प्र.की गुणवत्ता निर्धारण
  - अनिवार्य वस्तुओं की खपत का अनुमान लगाना।
  - उपभोक्ताओं द्वारा अनुभूत मुख्य लाभों तथा कठिनाइयों का पता लगाना तथा सुधार हेतु क्षेत्रों का यदि कोई हो तो पता लगाना।
- मुख्य निष्कर्ष
  - अनुमानतः नमूना-जनसंख्या का एक तिहाई गरीबी की रेखा से नीचे था तथा लगभग 45 प्रतिशत की वार्षिक आय 20,000 रुपये से कम थी।
  - उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की सीमा की कम जानकारी थी।
  - सा.वि.प्र. से निकासी की तुलना में प्रति इकाई/प्रति कार्ड/हकदारी से कम थी।
  - उपलब्ध वस्तुओं की गुणवत्ता को घटिया अथवा साधारण समझा जा रहा था।
  - सा.वि.प्र. से गेहूं, चावल, चीनी तथा खाद्य तेलों की खपत की मांग क्रमशः 12 प्रतिशत, 16 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 61 प्रतिशत तथा 3 प्रतिशत पूरी हुई। मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, नागालैण्ड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ तथा बिहार में सा.वि.प्र. से चावल तथा गेहूं की केवल 10 प्रतिशत खपत की मांग पूरी हुई।
  - अनिवार्य वस्तुओं की गरीबी के रेखा के नीचे परिवारों द्वारा की गई खपत कुल खपत की लगभग एक तिहाई थी।
  - शिकायतें प्राप्त करने के लिए क्रियाविधि की कमी के कारण केवल तीन प्रतिशत ने ही कभी शिकायत दर्ज कराई।
  - सा.वि.प्र. में उपभोक्ताओं द्वारा अनुभूत प्रमुख कठिनाई थी- वस्तुओं का अभाव, भण्डार समापन, तथा लम्बी पंक्तियों के कारण असुविधा।
  - उपभोक्ताओं द्वारा सुधार हेतु अनुभूत मूलभूत क्षेत्र थे :-
    - वस्तुएँ नियमित रूप से उपलब्ध होनी चाहिए (36 प्रतिशत)।
    - मूल्य कम होना चाहिए (12 प्रतिशत)।
  - गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों में से 28 प्रतिशत ने महसूस किया कि राशन की दुकानों पर वस्तुएँ ठीक से नहीं तोली जाती थी।

## अनुबन्ध 3

(पैराग्राफ 1.3.1 देखें)

राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 1992-99 के दौरान वहन की गई अतिरिक्त आर्थिक सहायता

राज्य	सहायता की राशि (करोड़ रु. में)	टिप्पणियां
आन्ध्र प्रदेश	4772.58	जनवरी 1995 से जुलाई 1996, जब यह 2 रुपये प्रति किलो बेचा गया, को छोड़ 1992-99 की अवधि में चावल 3.50 रुपये प्रति किलो बेचा गया। लक्षित आबादी लगभग 80 प्रतिशत थी।
केरल	367.83	आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्य पदार्थ ग.रे.ऊ. परिवारों को जारी किए गए।
कर्नाटक	490.55	अप्रैल 1995 से 3.20 रुपये तथा 2 रुपये प्रति किलोग्राम तथा जून 1997 से 3.50 रुपये तथा 2.50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से चावल तथा गेहूं कम दरों पर ग.रे.नी. परिवारों को जारी किए गए।
तमिलनाडु	1223.15	अप्रैल 1995 से मार्च 1999 तक परिवारिक कार्ड धारकों को खाद्यान्न वर्तमान भाव से कम एक रुपये प्रति किलो पर जारी किया गया, जनवरी-दिसम्बर 1996 की अवधि में चावल की अति उत्तम श्रेणी साधारण श्रेणी के भाव पर जारी की गई।
गुजरात	41.90	जून 1997 से मार्च 1999 तक ग.रे.नी. परिवारों के लिये चावल तथा गेहूं के दामों में एक रुपया प्रति किलो की कमी की गयी।
जोड़	6896.01	

अनुबन्ध 4  
(पैराग्राफ 1.3.4.1 देखें)

खाद्यान्न परिचालित सन्तुलन स्तर (आर्थिक लागत) --गेहूं

(दर :- रुपये प्रति क्विंटल)  
(राशि : करोड़ रु. में)

लागत के घटक	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97		1997-98 (अस्थायी)		1998-99 (सं.अ.)	
	दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि
1 बेची गई मात्रा (लाख टन)	80.52		91.47		105.93		126.22		14345		78.12		100.59	
2 गेहूं की सामूहिक लागत	295.51	2379.45	325.31	2976.00	334.80	3546.00	351.04	4504.00	390.73	5605.00	484.34	3784.00	520.55	5236.00
3 प्रापण खर्चे														
क. वैधानिक/अनिवार्य लागत	11.98	96.46	12.89	118.00	17.78	188.00	18.18	233.00	21.23	305.00	21.81	170.00	19.77	199.00
(i) मण्डी के खर्चे	6.99	56.28	11.55	106.00	13.84	147.00	13.56	174.00	13.28	190.00	14.75	115.00	15.91	160.00
(ii) कर (खरीद कच्चे आढ़ती, बाजार, शुल्क, नीलामी शुल्क, ग्रामीण विकास शुल्क, दलाली इत्यादि)	17.21	138.57	17.13	157.00	19.35	205.00	21.16	271.00	25.68	368.00	25.80	202.00	27.18	273.00
(iii) बोरों की लागत														
ख. श्रम तथा यातायात प्रभार														
(i) मण्डी श्रमिक	3.07	34.71	2.76	25.00	3.06	32.00	3.42	44.00	5.06	73.00	4.92	39.00	4.08	41.00
(ii) अग्रेषण लागत	0.62	04.99	0.96	09.00	1.03	11.00	0.53	7.00	1.07	15.00	0.82	6.00	0.31	3.00
ग. प्रांतीय एजेंसियों को भंडारण तथा ब्याज प्रभार का भुगतान									22					
(i) भंडारण व्यय	1.90	50.30	1.13	10.00	1.28	13.00	1.20	15.00	1.98	28.00	1.60	13.00	1.03	10.00
(ii) ब्याज	8.57	69.01	5.08	46.00	4.89	52.00	6.02	77.00	9.39	135.00	9.07	71.00	12.00	121.00
घ. प्रशासनिक व्यय तथा प्रांतीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषण की लागत	5.71	45.98	4.68	43.00	5.78	62.00	6.44	83.00	7.71	111.00	7.31	57.00	8.18	82.00
ड. प्रांतीय एजेंसियों को अग्रेषित प्रभारों का भुगतान	15.52	124.97	16.24	148.00	22.55	239.00	30.51	392.00	41.51	595.00	13.68	107.00	17.45	176.00
च. गारंटी शुल्क (अन्य)	0.58	4.67	0.18	2.00	1.81	19.00	0.63	9.00	0.36	5.00	0.69	5.00	4.23	43.00
छ. गत वर्षों के व्यय	8.15	65.62	9.09	83.00	12.53	133.00	11.36	146.00	8.87	127.00	20.98	164.00	16.01	161.00

ज. वितरण लागत	32.24	259.61	50.22	459.00	47.45	503.00	44.21	567.00	44.07	633.00	66.31	518.00	57.26	576.00
(i) माल भाड़ा	--	--	--	--	--	--	14.17	182.00	17.27	248.00	26.50	207.00	22.94	231.00
(ii) चढ़ाई-उतराई प्रभार	12.53	100.89	8.11	74.00	7.94	84.00	10.97	140.00	11.44	164.00	19.90	132.00	12.52	126.00
(iii) भंडारण प्रभार	39.95	321.68	33.06	303.00	25.23	267.00	28.88	345.00	24.98	358.00	40.32	315.00	26.72	269.00
(iv) ब्याज	13.98	112.58	10.95	100.00	9.21	98.00	12.07	155.00	12.01	172.00	19.58	153.00	16.95	170.00
(v) प्रशासनिक खर्चे	11.17	89.94	10.70	98.00	11.64	123.00	--	--	--	--	--	--	--	--
(vi) बोरी चढ़ाई-उतराई प्रभार	10.15	81.73	4.40	40.00	4.06	43.00	4.30	55.00	5.29	76.00	9.76	76.00	9.45	95.00
(vii) माल प्रबन्धन में कमी	8.27	66.59	7.59	69.00	6.96	74.00	--	--	7.33	105.00	8.06	63.00	9.80	9.90
(viii) आंतरिक संचलन														
झ. खाद्यान्न गेहूं की आर्थिक लागत (भा.खा.नि. गोदामों से बाहर)	504.10	4059.04	532.03	4866.00	551.17	5839.00	583.95	7490.00	640.16	9183.00	786.35	6143.00	797.59	8023.00
ज. बिक्री प्राप्ति	279.36	2249.43	355.88	3255.00	407.89	4321.00	411.94	5284.00	433.20	6214.00	419.12	3274.00	482.75	4856.00
ट. आर्थिक सहायता	224.74	1809.61	176.15	1611.00	143.28	1518.00	172.08	2206.00	206.96	2969.00	367.25	2869.00	314.84	3167.00



अनुबन्ध 5  
(पैराग्राफ 1.3.4.1 देखें)

खाद्यान परिचालित सन्तुलन स्तर, (आर्थिक लागत) -- चावल

(दर :- रुपये प्रति क्विंटल)

(राशि :- करोड़ रु. में)

लागत के घटक	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97		1997-98 (अस्थायी)		1998-99 (सं.अ.)	
	दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि
1. बेची गई मात्रा (लाख टन)	98.98		94.89		100		132.24		13349		122.20		115.26	
2. चावल की सामूहिक लागत	433.72	4292.96	500.40	4748.00	537.77	4787.00	581.38	7688.00	627.99	8377.00	695.66	5801.00	749.46	8638.00
3. प्रापण खर्चे														
वैधानिक/अनिवार्य लागत														
ठ. वैधानिक/अनिवार्य लागत	2.04	20.19	3.50	33	5.77	51	4.98	66	3.33	45	5.72	70	3.91	45
(iv) मण्डी के खर्चे	3.78	37.42	7.74	73	6.36	56	6.75	89	5.97	79	6.60	81	6.74	78
(v) कर (कच्चे आढ़ती, बाजार, शुल्क, नीलामी, शुल्क, ग्रामीण विकास शुल्क, दलाली इत्यादि)	15.40	152.44	17.15	162	21.17	188	24.64	326	26.68	356	25.53	312	29.07	335
(vi) बोरों की लागत														
ज. श्रम तथा यातायात प्रभार														
(iii) मण्डी श्रमिक अग्रेषण लागत	0.34	3.37	0.45	5	0.80	7	0.69	9	0.57	8	0.78	10	0.64	7
	3.03	29.99	3.36	32	3.59	32	3.59	48	4.81	64	4.42	54	6.05	70
ड. प्रांतीय ऐजेंसियों को भंडारण तथा ब्याज प्रभार का भुगतान														
(iii) भंडारण प्रभार	--	--	--	--	--	--	--	--	0.02	--	0.02	--	0.02	--
(iv) ब्याज	0.07	2.67	0.31	3	0.18	2	0.13	2	0.24	3	0.42	5	0.25	3
ण. प्रशासनिक खर्चे तथा राज्य ऐजेंसियों द्वारा वित्त पोषण की लागत	2.05	20.30	2.26	22	3.17	28	4.20	56	3.86	51	2.29	28	4.90	57
त. राज्य ऐजेंसियों को अग्रेनीत प्रभारों का भुगतान														
थ. गारंटी शुल्क (अन्य)	--	--	--	--	0.51	4	--	--	--	--	--	--	--	--
द. गत वर्षों के व्यय	2.38	23.56	2.66	25.00	12.65	112.00	5.48	72.00	12.95	173.00	5.83	71.00	10.33	119.00

घ. वितरण लागत														
(ix) माल भाड़ा	32.24	319.12	41.82	397.00	28.90	256.00	42.65	564.00	55.81	744.00	61.73	747.00	60.35	700.00
(x) भंडारण प्रभार	12.53	124.02	8.07	77.00	7.94	70.00	10.97	145.00	14.45	193.00	16.94	207.00	12.52	144.00
(xi) ब्याज	39.95	395.44	42.96	408.00	33.77	299.00	35.88	475.00	42.20	563.00	49.75	608.00	33.75	389.00
(xii) प्रशासनिक-खर्चे	13.98	138.37	10.94	104.00	9.21	83.00	12.07	160.00	12.67	169.00	19.64	240.00	16.95	196.00
(xiii) बोरी चढ़ाई-उतराई प्रभार	11.17	110.57	10.69	100.00	11.64	103.00	14.17	187.00	18.22	243.00	26.60	325.00	22.94	264.00
(xiv) माल प्रबन्धन में कमी	10.15	100.47	9.97	95.00	7.35	65.00	11.60	153.00	14.94	199.00	14.40	176.00	13.01	150.00
(xv) आंतरिक संचलन	2.24	22.18	2.81	27.00	3.93	35.00	3.64	48.00	2.98	40.00	3.60	44.00	3.59	41.00
न. खाद्यान्नों की आर्थिक लागत (भा.खा. नि. गोदामों से बाहर)	585.27	5793.07	655.10	6311.00	694.71	6158.00	762.82	100.88	847.69	11307	939.33	11479	974.86	11236
प. विक्री प्राप्तियां	442.40	4378.91	500.42	4748	600.75	5325	613.34	8111	610.57	8144	601.31	7348	635.61	7326
फ. आर्थिक सहायता	142.87	1414.16	164.68	1563	93.96	833	149.48	1977	237.12	3163	338.02	4131	339.25	3910

## अनुबन्ध-6

(पैराग्राफ 1.4.1.1 देखें)

राज्यों द्वारा 1993-94 अधिकारिक कार्य प्रणाली तथा विशेष समूह की कार्य प्रणाली द्वारा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या और प्रतिशतता

राज्य/सं.रा.क्षे.	अधिकारिक कार्य प्रणाली द्वारा		विशेष समूह की कार्य प्रणाली द्वारा	
	व्यक्तियों की संख्या (लाखों में)	व्यक्तियों की प्रतिशतता	व्यक्तियों की संख्या (लाखों में)	व्यक्तियों की प्रतिशतता
आन्ध्र प्रदेश	106.10	15.29	153.97	22.19
अरुणाचल प्रदेश	1.20	12.67	3.73	39.35
असम	19.71	8.36	96.36	40.86
बिहार	262.35	29.22	493.35	54.96
गोवा	0.22	1.71	1.91	14.92
गुजरात	34.28	7.89	105.19	24.21
हरियाणा	11.07	6.32	43.88	25.05
हिमाचल प्रदेश	3.47	6.22	15.86	28.44
जम्मू व कश्मीर	2.78	3.35	20.92	25.17
कर्नाटक	79.86	16.92	156.46	33.16
केरल	18.96	6.31	76.41	25.43
मध्य प्रदेश	158.34	22.55	298.52	42.52
महाराष्ट्र	154.87	18.70	305.22	36.86
मणिपुर	0.28	1.41	6.80	33.78
मेघालय	0.29	1.47	7.38	37.92
मिजोरम	0.01	0.20	1.94	25.66
नागालैण्ड	0.00	0.00	5.05	37.92
उड़ीसा	101.20	30.60	160.60	48.56
पंजाब	4.74	2.22	25.11	11.77
राजस्थान	41.73	8.90	128.50	27.41
सिक्किम	0.25	5.53	1.84	41.43
तमिलनाडु	89.95	15.59	202.10	35.03
त्रिपुरा	2.06	6.83	11.79	39.01
उत्तर प्रदेश	303.88	20.54	604.46	40.85
पश्चिम बंगाल	85.21	11.94	254.56	35.66
अ. एवं नि. द्वीप समूह	0.00	0.09	1.06	34.47
चण्डीगढ़	0.01	0.20	0.80	11.35
दा. एवं न. हवेली	0.45	29.46	0.77	50.84
दमन एवं दीव	0.02	1.40	0.18	15.80
दिल्ली	3.57	3.38	15.51	14.69
लक्षद्वीप	0.01	2.11	0.14	25.04
पांडिचेरी	0.67	7.60	3.31	37.40
समस्त भारत	1498.26	16.82	3203.68	35.97

## अनुबन्ध 7

(पैराग्राफ 1.4.3 देखें)

राज्यों/सं.रा.क्षे. द्वारा ग.रे.नी. कुटुम्बों की पहचान में प्रगति

(क) राज्य जहां ग.रे.नी. की पहचान पूरी कर ली गई।

(लाख में)

1.	आन्ध्र प्रदेश	113.00
2.	हरियाणा	6.95
3.	पश्चिम बंगाल	246.02*
4.	मध्य प्रदेश	60.30
5.	जम्मू व कश्मीर	5.09
6.	मणिपुर	1.30
7.	राजस्थान	22.87
8.	गुजरात	33.75
9.	चण्डीगढ़	0.01
10.	अंडमान एवं निकोबार दीप समूह	0.12
11.	पांडिचेरी	0.90
12.	दादरा एवं नगर हवेली	0.17
13.	उड़ीसा	42.37

\* पश्चिम बंगाल सरकार ने पारिवारिक खाद्य पत्रों को व्यक्तिगत खाद्यपत्रों द्वारा परिवर्तित कर दिया। विशेषज्ञ समूह के अनुसार 46.59 लाख ग.रे.नी. कुटुम्ब थे।

(ख) ग.रे.नी. की पहचान पूरी नहीं हुई/प्रगति में

1.	असम	पहचान में प्रगति चल रही थी
2.	केरल	प्रगति में
3.	हिमाचल प्रदेश	प्रगति में
4.	कर्नाटक	प्रगति में
5.	तमिलनाडु	पहचान नहीं हुई (राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं के आर्थिक स्तर को बिना देखें दो वर्गों में एक जिन्होंने चावल को विकल्प चुना तथा जिन्होंने अन्य चीनी को विकल्प चुना, वर्गीकृत किया)
6.	नागालैण्ड	नहीं की गई
7.	त्रिपुरा	नहीं की गई
8.	सिक्किम	नहीं की गई
9.	गोवा	प्रगति में
10.	पंजाब	प्रगति में
11.	दिल्ली	नहीं की गई
12.	उत्तर प्रदेश	प्रगति में
13.	महाराष्ट्र	प्रगति में
14.	लक्षद्वीप	नहीं की गई
15.	बिहार	प्रगति में
16.	मिजोरम	प्रगति में
17.	मेघालय	प्रगति में
18.	अरुणाचल प्रदेश	प्रगति में



अनुबन्ध -8  
(पैराग्राफ 1.5.3.1 देखें)

1992-97 के दौरान गेहूं और चावल का राज्य-वार आवंटन और निकासी

(लाख टन में)

राज्य/सं. रा.क्षे.	विशेषज्ञ समूह द्वारा पहचाने गए व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	समस्त भारत की कुल प्रतिशतता	1992-97							
			गेहूं				चावल			
			आवंटन	निकासी	समस्त भारत के जोड़ के विरुद्ध निकासी की प्रतिशतता	आवंटन के विरुद्ध निकासी की प्रतिशतता	आवंटन	निकासी	समस्त भारत के जोड़ के विरुद्ध निकासी की प्रतिशतता	आवंटन के विरुद्ध निकासी की प्रतिशतता
आन्ध्र प्रदेश	153.97	4.81	8.68	5.81	1.86	66.94	115.52	102.24	22.15	88.50
अरुणाचल प्रदेश	3.73	0.12	0.44	0.38	0.12	86.36	5.3	4.57	0.99	86.23
असम	96.36	3.01	15.36	13.89	4.45	90.43	26.7	20.87	4.52	78.16
बिहार	493.35	15.40	34.83	18.4	5.90	52.83	17.29	3.16	0.68	18.28
गोवा	1.91	0.06	1.94	1.18	0.38	60.82	3.39	2.38	0.52	70.21
गुजरात	105.19	3.28	35.62	23.91	7.66	67.13	19.63	11.98	2.60	61.03
हरियाणा	43.88	1.37	8.33	3.82	1.22	45.86	2.13	0.71	0.15	33.33
हिमाचल प्रदेश	15.86	0.50	6.61	5.57	1.78	84.27	5.21	3.21	0.70	61.61
जम्मू व कश्मीर	20.92	0.65	15.5	6.14	1.97	39.61	24.42	11.3	2.45	46.27
कर्नाटक	156.46	4.88	16.66	13.15	4.21	78.93	58.36	40.6	8.80	69.57
केरल	76.41	2.39	22.53	20.62	6.61	91.52	90.64	71.77	15.55	79.18
मध्य प्रदेश	298.52	9.32	27.76	14.12	4.52	50.86	27.08	11.72	2.54	43.28
महाराष्ट्र	305.22	9.53	51.69	35.12	11.25	67.94	41.7	24.92	5.40	59.76
मणिपुर	6.80	0.21	1.64	1.25	0.40	76.22	5.72	2.44	0.53	42.66
मेघालय	7.38	0.24	1.39	1.32	0.42	94.96	7.39	6.99	1.51	94.59
मिजोरम	1.94	0.06	0.98	0.89	0.29	90.82	4.91	4.58	0.99	93.28
नागालैण्ड	5.05	0.16	1.52	1.29	0.41	84.87	4.38	4.06	0.88	92.69
उड़ीसा	160.60	5.01	18.01	12.8	4.10	71.07	32.42	15.74	3.41	48.55
पंजाब	25.11	0.78	8.46	1.04	0.33	12.29	0.88	0.16	0.03	18.18
राजस्थान	128.50	4.01	65.34	35.28	11.30	53.99	3.12	0.75	0.16	24.04
सिक्किम	1.84	0.06	0.47	0.38	0.12	80.85	2.83	2.17	0.47	76.68
तमिलनाडु	202.10	6.31	14.02	9.57	3.07	68.26	63.98	64.65	14.01	101.05
त्रिपुरा	11.79	0.37	1.11	0.59	0.19	53.15	9.99	7.26	1.57	72.67
उत्तर प्रदेश	604.46	18.87	51.73	22.69	7.27	43.86	26.13	13.27	2.88	50.78

2000 की रिपोर्ट सं 3 (सिविल)

पश्चिम बंगाल	254.56	7.95	51.77	40.32	12.92	77.88	44.87	24.21	5.25	53.96
अं. एवं नि. द्वीप समूह	1.06	0.03	0.47	0.09	0.03	19.15	1.48	0.18	0.04	12.16
चण्डीगढ़	0.80	0.02	1.1	0.36	0.12	32.73	0.2	0.1	0.02	50.00
दा.एवं न. हवेली	0.77	0.02	0.12	0.02	0.01	16.67	0.3	0.05	0.01	16.67
दमन एवं दीव	0.18	0.01	0.1	0.01	0.00	10.00	0.32	0.06	0.01	18.75
दिल्ली	15.51	0.48	42.04	22.09	7.08	52.55	11.96	4.96	1.07	41.47
लक्षद्वीप	0.14	0.00	0.04	0	0.00	0.00	0.3	0.26	0.06	86.67
पांडिचेरी	3.31	0.10	0.45	0	0.00	0.00	1.21	0.16	0.03	13.22
समस्त भारत	<b>3203.68</b>		<b>506.71</b>	<b>312.1</b>		<b>61.59</b>	<b>659.76</b>	<b>461.48</b>		<b>69.95</b>

## अनुबन्ध -9

(पैराग्राफ 1.5.3.1 देखें)

भारत सरकार द्वारा 1992-97 के दौरान गेहूं और चावल का राज्य वार आबंटन और सा.वि.प्र. के अंतर्गत उनकी निकासी

(टन में)

राज्य/सा. रा.क्षे.	1992-93			1993-94			1994-95			1995-96			1996-97		
	आबंटन	निकासी	प्रतिशतता	आबंटन	निकासी	प्रतिशतता	आबंटन	निकासी	प्रतिशतता	आबंटन	निकासी	प्रतिशतता	आबंटन	निकासी	प्रतिशतता
आन्ध्र प्रदेश	323143	311500	96.40	463847	503057	108.45	501344	501344	100.00	690402	685751	99.33	617870	612757	99.1
अरुणाचल प्रदेश	90000	87500	97.22	93824	93862	100.04	90283	90283	100.00	113400	94395	83.24	112287	107080	95.4
असम	0.00	20900	0.00	33674	21063	62.55	20019	20019	100.00	72943	58274	79.89	106003	106003	100.00
बिहार	191600	167600	87.47	121187	127228	104.98	134913	134913	100.00	104708	104708	100.00	132668	132668	100.00
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	337029	249800	74.12	389757	311736	79.98	295844	295844	100.00	533450	401673	75.30	502384	480978	95.7
हरियाणा	79000	65300	82.66	95797	62912	65.67	29749	29749	100.00	191000	51527	26.98	157973	88491	56.0
हिमाचल प्रदेश	11275	11000	97.56	8227	10101	122.78	8908	8908	100.00	11542	9613	83.29	9744	8344	85.6
जम्मू व कश्मीर	13805	5300	38.39	17306	0.00	0.00	111573	111573	100.00	180792	128196	70.91	0.00	0	0.00
कर्नाटक	102709	310800	302.60	156917	326256	207.92	400850	400850	100.00	998160	519371	52.03	853075	602223	70.5
केरल	19210	18700	97.35	21351	18687	87.52	117751	117751	100.00	264892	247570	93.46	271293	271293	100.00
मध्य प्रदेश	253758	290700	114.56	172559	242373	140.46	337172	219818	65.19	632656	209689	33.14	400956	400956	100.00
महाराष्ट्र	309272	281900	91.15	282403	304032	107.66	285145	285145	100.00	538000	476000	88.48	450698	403698	89.6
मणिपुर	32500	34400	105.85	45342	35647	78.62	27412	27412	100.00	63000	29778	47.27	60744	47514	78.2
मेघालय	116000	111300	95.95	137401	148825	108.31	136985	136985	100.00	204887	197091	96.19	219500	207638	94.6
मिजोरम	92680	93500	100.88	116730	108656	93.08	96439	96439	100.00	112119	120755	107.70	103555	103555	100.00
नागालैण्ड	79200	65500	82.70	109375	128184	117.20	135171	135171	100.00	86273	90373	104.75	97438	97438	100.00
उड़ीसा	312732	182800	58.45	249020	199465	80.10	210327	210327	100.00	526121	365272	69.43	501721	449200	89.5
पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	0.00	450000	0.00	177711	495830	279.01	447811	447811	100.00	909662	441158	48.50	840241	748221	89.1
सिक्किम	0	26900	0.00	6951	28562	410.90	24944	24944	100.00	35514	35514	100.00	18407	18407	100.00
तमिलनाडु	176761	8000	4.53	80640	14598	18.10	97951	75417	76.99	241740	150846	62.40	241740	278466	115.2
त्रिपुरा	0	41600	0.00	22344	43224	193.45	51271	51271	100.00	53970	53332	98.82	54240	54240	100.00
उत्तर प्रदेश	311540	233700	75.01	448999	154024	34.30	283956	242755	85.49	695897	307968	44.25	587040	488311	83.2
पश्चिम बंगाल	125240	139700	111.55	274428	220372	80.30	215858	215858	100.00	267065	224979	84.24	265250	219461	82.7
अं. एवं नि. द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4999	4513	90.28	40	40	100.00
चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दा. एवं न. हवेली	6900	300	4.35	6798	498	7.33	53	53	100.00	1561	1561	100.00	7573	7040	92.9

2000 की रिपोर्ट सं 3 (सिविल)

मन	0.00	0.00		535	1035		1879	1879		779	779		1499	1499	
व दीव			0.00			193.46			100.00			100.00			100.00
ल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
क्षत्रीप	200	3400	1700.00	1969	3238	164.45	6823	6823	100.00	6800	2100	30.88	70426	47377	67.27
डिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ड	2984554	3212100	107.62	3535092	3603465	101.93	4070431	3889342	95.55	7542332	5012786	66.46	6684365	5982898	89.51



अनुबन्ध-10  
(पैराग्राफ 1.5.3.1 देखें)

1992-97 के दौरान न.सा.वि.प्र. के अंतर्गत चावल और गेहूं को उठाने और आबंटन का विवरण

(000 टन में)

राज्य/सं.रा.क्षे.	आबंटन	निकासी	समस्त भारत के जोड़ के विरुद्ध निकासी की प्रतिशतता	आबंटन के विरुद्ध निकासी की प्रतिशतता
आन्ध्र प्रदेश	2597	2614	10.53	100.65
अरुणाचल प्रदेश	500	473	1.91	94.60
असम	233*	226	0.91	96.96
बिहार	685	667	2.69	97.37
गोवा	0	0	0	0
गुजरात	0	0	0	0
हरियाणा	2058	1740	7.01	84.55
हिमाचल प्रदेश	554	298	1.20	53.79
जम्मू व कश्मीर	50	48	0.19	96.00
कर्नाटक	323#	245#	0.99	75.85
केरल	2512	2160	8.70	85.99
मध्य प्रदेश	694	674	2.72	97.12
महाराष्ट्र	1797	1364	5.50	75.90
मणिपुर	1866	1751	7.06	93.84
मेघालय	229	175	0.71	76.42
मिजोरम	815	802	3.23	98.40
नागालैण्ड	522	523	2.11	100.19
उड़ीसा	507	517	2.08	102.38
पंजाब	1800	1407	5.67	78.17
राजस्थान	0	0	0	0
सिक्किम	2375*	2583	10.41	108.76
तमिलनाडु	86*	134	0.54	155.81
त्रिपुरा	839	527	2.12	62.81
उत्तर प्रदेश	182*	244	0.98	134.06
पश्चिम बंगाल	2327	1427	5.75	61.32
अं. एवं नि. द्वीप समूह	1148	1020	4.11	88.85
चण्डीगढ़	6	5	0.02	83.33
दा. एवं न. हवेली	0	0	0	0
दमन एवं दीव	23	9	0.04	39.13
दिल्ली	5	5	0.02	100.00
लक्षद्वीप	86	63	0.25	73.26
पांडिचेरी	0	0	0	0
जोड़	24819@	21701		

\* 1992-93 के दौरान आंकड़ों के आबंटन की सूचना उपलब्ध नहीं थी।

# 1996-97 के दौरान आंकड़ों का आबंटन और निकासी की सूचना उपलब्ध नहीं थी।

@ पूर्णांकन के कारण अन्तर।

2000 की रिपोर्ट सं 3 (सिविल)

अनुबन्ध- 11

(पैराग्राफ 1.5.3.1 देखें)

भारत सरकार द्वारा जून 1997 से मार्च 1999 के दौरान राज्य-वार आबंटन और सा.वि.प्र. के अंतर्गत चावल की निकासी

(000 टन में)

राज्य/सं.रा.क्षे.	आबंटन			निकासी			आबंटन के विरुद्ध निकासी की प्रतिशतता			समस्त भारत की निकासी के विरुद्ध कुल निकासी की प्रतिशतता		
	ग.रे.नी	ग.रे.अ.	जोड़	ग.रे.नी	ग.रे.ऊ.	जोड़	ग.रे.नी	ग.रे.ऊ.	जोड़	ग.रे.नी	ग.रे.ऊ.	जोड़
आन्ध्र प्रदेश	3	287	290	2.82	220.29	223.11	94.00	76.76	76.93	0.06	2.52	1.68
अरुणाचल प्रदेश	1.51	11.6	13.11	0	10.91	10.91	0.00	94.05	83.22	0.00	0.12	0.08
असम	7.02	619.66	626.68	8.2	444.42	452.62	116.81	71.72	72.23	0.18	5.08	3.40
बिहार	1133.88	371.36	1505.24	959.54	194.92	1154.46	84.62	52.49	76.70	21.11	2.23	8.68
दिल्ली	35.84	1190.43	1226.27	0	983.27	983.27	0.00	82.60	80.18	0.00	11.24	7.40
गोवा	2.64	57.18	59.82	0	53.13	53.13	0.00	92.92	88.82	0.00	0.61	0.40
गुजरात	320	781.5	1101.5	310.79	494.06	804.85	97.12	63.22	73.07	6.84	5.65	6.05
हरियाणा	161.26	145.84	307.1	81.8	66.79	148.59	50.73	45.80	48.38	1.80	0.76	1.12
हिमाचल प्रदेश	89.82	156.9	246.71	48.33	169.99	218.32	53.81	108.34	88.49	1.06	1.94	1.64
जम्मू एवं कश्मीर	32.22	562.91	595.14	28.34	224.82	258.16	87.96	39.94	43.38	0.62	2.57	1.94
कर्नाटक	126.5	273.5	500	126.17	341.55	474.11	99.74	124.88	94.82	2.78	3.90	3.57
केरल	0	756.68	756.68	0	725.35	725.35		95.86	95.86	0.00	8.29	5.46
मध्य प्रदेश	645.48	323.3	968.78	386.52	177.71	564.23	59.88	54.97	58.24	8.51	2.03	4.24
महाराष्ट्र	864.6	1375.36	2259.96	660.55	1255.04	1915.59	76.40	91.25	84.76	14.54	14.35	14.41
मणिपुर	0.31	53.33	53.66	0	51.39	51.39	0.00	96.36	95.77	0.00	0.59	0.39
मेघालय	1.22	49.84	51.06	1.49	49.79	51.28	122.13	99.90	100.43	0.03	0.57	0.39
मिजोरम	0.04	37.96	38	0.67	37.07	37.74	1675.00	97.66	99.32	0.01	0.42	0.28
नागालैण्ड	4.15	61.44	65.59	3.95	61.03	64.97	95.18	99.33	99.05	0.09	0.70	0.49
उड़ीसा	0	634	634	0	505.35	505.34		79.71	79.71	0.00	5.78	3.80
पंजाब	79.64	33.22	112.86	13.88	1.53	15.41	17.43	4.61	13.65	0.31	0.02	0.12
राजस्थान	471.9	1018.96	1490.86	249.55	488.6	738.14	52.88	47.95	49.51	5.49	5.58	5.55
सिक्किम	0.04	15.12	15.16	0	12.62	12.61	0.00	83.47	83.18	0.00	0.14	0.09
तमिलनाडु	0	550	550	7.14	312.1	319.23		56.75	58.04	0.16	3.57	2.40
त्रिपुरा	0	36.48	36.48	0	28.87	28.87		79.14	79.14	0.00	0.33	0.22
उत्तर प्रदेश	1408	918.26	2326.26	1227.46	468.47	1695.93	87.18	51.02	72.90	27.01	5.35	12.76
पश्चिम बंगाल	477.15	1553.4	2030.55	426.61	1345.87	1772.5	89.41	86.64	87.29	9.39	15.38	13.33
अं एवं नि. द्वीप समूह	1.54	14.96	16.5	0	0.02	0.02	0.00	0.13	0.12	0.00	0.00	0.00
चण्डीगढ़	3.52	32.06	35.4	0.16	7.15	7.31	4.55	22.30	20.65	0.00	0.08	0.05
दा. एवं न. हवेली	0.66	3.82	4.48	0.43	2.9	3.33	65.15	75.92	74.33	0.01	0.03	0.03
दमन एवं दीव	0.22	3.28	3.5	0.16	1.26	1.42	72.73	38.41	40.57	0.00	0.01	0.01

2000 की रिपोर्ट सं 3 (सिविल)

लक्षद्वीप	0	0.75	0.75	0	0.56	0.56		74.67	74.67	0.00	0.01	0.00
पांडिचेरी	0	12.32	12.32	0	0.15	0.15		1.22	1.22	0.00	0.00	0.00
जोड़	5872.16	12042.44	17914.6	4544.54	8748.97	13293.51	77.39	72.65	74.20			

अनुबन्ध-12  
(पैराग्राफ 1.5.3.1 देखें)

भारत सरकार द्वारा जून 1997 से मार्च 1999 के दौरान राज्य-वार आबंटन और ल.सा.वि.प्र. के अंतर्गत चावल की निकासी  
(000 टन में)

राज्य/स.रा.क्षे.	आबंटन			निकासी			आबंटन के विरुद्ध निकासी की प्रतिशतता			समस्त भारत की निकासी के विरुद्ध कुल निकासी की प्रतिशतता		
	ग.रे.नी	ग.रे.ऊ.	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	जोड़
आन्ध्र प्रदेश	791.63	3447.77	4239.4	751.47	2979.18	3730.65	94.93	86.41	88.00	12.90	23.88	20.38
अरूणाचल प्रदेश	15.34	180.52	195.86	15.87	148.73	164.60	103.46	82.39	84.04	0.27	1.19	0.90
असम	412.29	688.56	1100.85	338.92	564.64	903.55	82.20	82.00	82.08	5.82	4.53	4.94
बिहार	755.92	174.24	930.16	378.62	6.26	384.88	50.09	3.59	41.38	6.50	0.05	2.10
दिल्ली	11.52	287.46	298.98	0	190.72	190.72	0.00	66.35	63.79	0.00	1.53	1.04
गोवा	5.72	132.04	137.76	0.79	102.63	103.42	13.81	77.73	75.07	0.01	0.82	0.57
गुजरात	120	474	594	107.76	275.06	382.82	89.80	58.03	64.45	1.85	2.20	2.09
हरियाणा	0	0	0	0	0	0	--	--	--	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0	257.06	257.06	1.76	161.7	163.46	--	62.90	63.59	0.03	1.30	0.89
जम्मू एवं कश्मीर	96.6	632.69	729.29	87.81	487.72	575.53	90.90	77.09	78.92	1.51	3.91	3.14
कर्नाटक	506	1214	1720	504.67	1018.03	1522.69	99.74	83.86	88.53	8.66	8.16	8.32
केरल	337.7	2962.5	3300.2	400.41	2540.15	2940.56	118.57	85.74	89.10	6.87	20.36	16.07
मध्य प्रदेश	528	232.7	760.7	383.42	148.92	532.35	72.62	64.00	69.98	6.58	1.19	2.91
महाराष्ट्र	465.52	792.36	1257.88	416.53	700.54	1117.07	89.48	88.41	88.81	7.15	5.61	6.10
मणिपुर	27.62	176.3	203.92	21.53	56.13	77.66	77.95	31.84	38.08	0.37	0.45	0.42
मेघालय	29.94	344.92	374.86	24.77	275.08	299.85	82.73	79.75	79.99	0.43	2.20	1.64
मिजोरम	11.02	204.25	215.27	9.55	191.05	200.59	86.66	93.54	93.18	0.16	1.53	1.10
नागालैण्ड	16.76	206.01	222.77	14.67	179.95	194.63	87.53	87.35	87.37	0.25	1.44	1.06
उड़ीसा	700.04	472.34	1172.38	682.11	274.12	956.23	97.44	58.03	81.56	11.71	2.20	5.22
पंजाब	14.96	6.16	21.12	2.14	0.16	2.3	14.30	2.60	10.89	0.04	0.00	0.01
राजस्थान	5.5	88.83	94.33	2.14	4.97	7.12	38.91	5.59	7.55	0.04	0.04	0.04
सिक्किम	7.44	147.06	154.50	8.91	95.37	104.38	119.76	64.85	67.56	0.15	0.76	0.57
तमिलनाडु	1007.38	1333.09	2340.47	858.47	1362.07	2220.54	85.22	102.17	94.88	14.73	10.92	12.13
त्रिपुरा	50.64	289.01	339.65	42.82	260.34	303.16	84.56	90.08	89.26	0.73	2.09	1.66
उत्तर प्रदेश	693	380.99	1073.99	523.52	198.56	722.08	75.54	52.12	67.23	8.99	1.59	3.95
पश्चिम बंगाल	530.45	443.7	974.15	244.83	236.05	480.88	46.16	53.20	49.36	4.20	1.89	2.63
अं एवं नि. द्वीप समूह	3.3	56.7	60	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चण्डीगढ़	0.44	5.5	5.94	0.03	3.16	3.19	6.82	57.45	53.70	0.00	0.03	0.02
दा. एवं न. हवेली	2.64	7.91	10.55	2.14	4.4	6.54	81.06	55.63	61.99	0.04	0.04	0.04
दमन एवं दीव	0.44	9.94	10.38	0.42	4.3	4.71	95.45	43.26	45.38	0.01	0.03	0.03
लक्षद्वीप	0.36	11.49	11.85	0	5.73	5.73	0.00	49.87	48.35	0.00	0.05	0.03
पांडिचेरी	14.3	27.84	42.14	0	1.64	1.64	0.00	5.89	3.89	0.00	0.01	0.01
जोड़	7162.47	16687.93	22788.4	5826.16	12477.35	18303.51	81.34	74.77	80.32			



**अनुबन्ध -13**  
(पैराग्राफ 1.5.3.1 देखें)

भारत सरकार द्वारा जून 1997 से मार्च 1999 के दौरान राज्य-वार आबंटन और ल.सा.वि.प्र. के अंतर्गत अन्न की निकासी

(000 टन में)

राज्य/सं.रा.क्षे.	आबंटन			निकासी			आबंटन के विरुद्ध निकासी की प्रतिशतता			समस्त भारत की निकासी के विरुद्ध कुल निकासी की प्रतिशतता		
	ग.रेनी	ग.रे.ऊ	जोड़	ग.रेनी	ग.रे.ऊ	जोड़	ग.रेनी	ग.रे.ऊ	जोड़	ग.रेनी	ग.रे.ऊ	जोड़
आन्ध्र प्रदेश	794.63	3734.77	4529.4	754.29	3199.47	3953.76	94.92	85.67	87.29	7.27	15.07	12.51
अरुणाचल प्रदेश	16.85	192.12	208.97	15.87	159.64	175.51	94.18	83.09	83.99	0.15	0.75	0.56
असम	419.31	1308.22	1727.53	347.12	1009.06	1356.17	82.78	77.13	78.50	3.35	4.75	4.29
बिहार	1889.8	545.6	2435.4	1338.16	201.18	1539.34	70.81	36.87	63.21	12.90	0.95	4.87
दिल्ली	47.36	1477.89	1525.25	0	1173.99	1173.99	0.00	79.44	76.97	0.00	5.53	3.72
गोवा	8.36	189.22	197.58	0.79	155.76	156.55	9.45	82.32	79.23	0.01	0.73	0.50
गुजरात	440	1255.5	1695.5	418.55	769.12	1187.67	95.13	61.26	70.05	4.04	3.62	3.76
हरियाणा	161.26	145.84	307.1	81.8	66.79	148.59	50.73	45.80	48.38	0.79	0.31	0.47
हिमाचल प्रदेश	89.82	413.96	503.77	50.09	331.69	381.78	55.77	80.13	75.78	0.48	1.56	1.21
जम्मू एवं कश्मीर	128.82	1195.6	1324.43	116.15	712.54	833.69	90.16	59.60	62.95	1.12	3.36	2.64
कर्नाटक	632.5	1487.5	2220	630.84	1359.58	1996.8	99.74	91.40	89.95	6.08	6.41	6.32
केरल	337.7	3719.18	4056.88	400.41	3265.5	3665.91	118.57	87.80	90.36	3.86	15.38	11.60
मध्य प्रदेश	1173.48	556	1729.48	769.94	326.63	1096.58	65.61	58.75	63.41	7.42	1.54	3.47
महाराष्ट्र	1330.12	2167.72	3517.84	1077.08	1955.58	3032.66	80.98	90.21	86.21	10.39	9.21	9.60
मणिपुर	27.93	229.63	257.58	21.53	107.52	129.05	77.09	46.82	50.10	0.21	0.51	0.41
मेघालय	31.16	394.76	425.92	26.26	324.87	351.13	84.27	82.30	82.44	0.25	1.53	1.11
मिजोरम	11.06	242.21	253.27	10.22	228.12	238.33	92.41	94.18	94.10	0.10	1.07	0.75
नागालैण्ड	20.91	267.45	288.36	18.62	240.98	259.6	89.05	90.10	90.03	0.18	1.14	0.82
उड़ीसा	700.04	1106.34	1806.38	682.11	779.47	1461.57	97.44	70.45	80.91	6.58	3.67	4.63
पंजाब	94.6	39.38	133.98	16.02	1.69	17.71	16.93	4.29	13.22	0.15	0.01	0.06
राजस्थान	477.4	1107.79	1585.19	251.69	493.57	745.26	52.72	44.55	47.01	2.43	2.33	2.36
सिक्किम	7.48	162.18	169.66	8.91	107.99	116.99	119.12	66.59	68.96	0.09	0.51	0.37
तमिलनाडु	1007.38	1883.09	2890.47	865.61	1674.17	2539.77	85.93	88.91	87.87	8.35	7.89	8.04

2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

त्रिपुरा	50.64	325.49	376.13	42.82	289.21	332.03	84.56	88.85	88.28	0.41	1.36	1.05
उत्तर प्रदेश	2101	1299.25	3400.25	1750.98	667.03	2418.01	83.34	51.34	71.11	16.88	3.14	7.65
पश्चिम बंगाल	1007.6	1997.1	3004.7	671.44	1581.92	2253.38	66.64	79.21	75.00	6.47	7.45	7.13
अं. एवं नि. द्वीप समूह	4.84	71.66	76.5	0	0.02	0.02	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
चण्डीगढ़	3.96	37.56	41.34	0.19	10.31	10.5	4.80	27.45	25.40	0.00	0.05	0.03
दा. एवं न. हवेली	3.3	11.73	15.03	2.57	7.3	9.87	77.88	62.23	65.67	0.02	0.03	0.03
दमन एवं दीव	0.66	13.22	13.88	0.58	5.56	6.13	87.88	42.06	44.16	0.01	0.03	0.02
लक्षद्वीप	0.36	12.24	12.6	0	6.29	6.29	0.00	51.39	49.92	0.00	0.03	0.02
पांडिचेरी	14.3	40.16	54.46	0	1.79	1.79	0.00	4.46	3.29	0.00	0.01	0.01
जोड़	13034.63	28730.37	40703	10370.7	21226.92	31597.02	79.56	73.88	77.63			

## अनुबन्ध -14

(पैराग्राफ 1.5.5.1 देखें)

सा.वि.प्र. के अंतर्गत 1992-99 वर्षों के लिए मिट्टी का तेल जारी करना।

(टन में)

राज्य/सं.रा.क्षे.	1992-93*	1993-94*	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
	जारी किया	जारी किया	जारी किया	जारी किया	जारी किया	जारी किया	जारी किया
आन्ध्र प्रदेश	583005	590946	598379	561666	643639	653488	675382
अरुणाचल प्रदेश	9425	9279	9587	9539	11399	10707	10011
असम	248226	250431	253877	257278	260037	272147	271412
बिहार	466591	512524	557668	606480	651734	682937	858234
दिल्ली	235267	239748	238476	239361	241735	239898	229477
गोवा	26556	27147	29032	27952	28238	28295	28243
गुजरात	782740	792720	806286	808698	830102	854344	847420
हरियाणा	151590	153013	154621	157755	161616	163538	169541
हिमाचल प्रदेश	36603	37637	36342	39585	56319	58119	59045
जम्मू एवं कश्मीर	67585	68142	76263	79577	89004	97247	98458
कर्नाटक	449513	448954	453393	441778	499814	513579	526082
केरल	264237	268083	271820	262947	289128	288592	299066
मध्य प्रदेश	381686	409971	445912	482889	511666	540968	220723
महाराष्ट्र	1460960	1501671	1510225	1525772	1541321	1559443	1573267
मणिपुर	20534	21519	21581	22160	21643	21480	19766
मेघालय	14614	15497	15908	16062	20061	20392	20580
मिजोरम	6297	6137	6332	6395	7715	7951	8159
नागालैण्ड	10628	10180	10532	11277	13852	14226	14234
उड़ीसा	155747	171765	196847	211458	232748	240931	309201
पंजाब	317945	319255	330262	306622	335332	344161	348816
राजस्थान	264422	281779	302696	295070	349697	370525	434339
सिक्किम	7543	7445	7512	7980	8238	8024	7512
तमिलनाडु	556677	662928	665054	618571	687010	691430	707887
त्रिपुरा	21236	21077	22221	22957	28717	31697	32350
उत्तर प्रदेश	914189	966813	1014445	975365	1147452	1189245	1389790
पश्चिम बंगाल	733271	742921	746984	759678	766691	802556	815628
उप-जोड़ :-	8187089	8537592	8782255	8754872	9434908	9705920	10414623
संघ राज्य क्षेत्र							
अं. एवं नि. द्वीप समूह	3737	3703	4358	4647	4941	6744	7125
चण्डीगढ़	19682	18435	17844	19745	19432	17365	19501
दा. एवं न. हवेली	3103	3099	3126	3130	3106	3204	3222
दमन एवं दीव	2940	2884	2844	2699	3012	4558	3020
लक्षद्वीप	128	469	297	70	407	495	622
पांडिचेरी	14231	14184	14570	13327	14580	14015	15369
उप-जोड़	43821	42774	43039	43618	45478	46381	48859
सकल जोड़	8230910	8580366	8825294	8798490	9480386	9752301	10463482

आधार : पेट्रोलियम और प्रकृति गैस मंत्रालय

**अनुबन्ध -15**  
(पैराग्राफ 1.6.1 देखें)

1993-94 के लिए औसत प्रति परिवार को अन्न का वितरण और प्रति परिवार आय का स्थानान्तरण

चावल के लिए के.नि.मू. = 4.37 रु. प्रति कि.ग्रा.

गेहूं के लिए के.नि.मू. = 3.30 रु. प्रति कि.ग्रा.

प्रति कि.ग्रा. चावल पर आर्थिक सहायता = 2.18 रु.

प्रति कि.ग्रा. गेहूं पर आर्थिक सहायता = 2.02 रु.

राज्य/सं.रा. क्षे. का नाम	कुल उपभोक्ता कार्ड (लाख में)	प्रतिमाह प्रति परिवार औसत वितरण (कि.ग्रा./माह में)			प्रति परिवार आर्थिक सहायता			फुटकर भाव (रु./कि.ग्रा. में)		मूल्य में भिन्नता (रु./कि.ग्रा.में)		प्रति माह आय स्थानान्तरण (रु. में)
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	
आन्ध्र प्रदेश	141.74	12.78	0.69	13.46	27.85	1.39	29.24	6.06	6	1.69	2.7	23.45
अरुणाचल प्रदेश	1.52	47.70	3.29	50.99	103.98	6.64	110.63	8.26		3.89	0	185.54
असम	10.51	31.48	19.58	51.06	68.62	39.56	108.18	8.26		3.89	0	122.45
बिहार	86.64	0.82	4.14	4.95	1.78	8.35	10.14	6.42	5.21	2.05	1.91	9.58
गोवा	2.8	11.90	6.85	18.75	25.95	13.83	39.78	8.07	5.65	3.7	2.35	60.13
गुजरात	92.77	2.15	2.77	4.91	4.68	5.59	10.27	4.37	5.21	0	1.91	5.28
हरियाणा	33.91	0.39	1.82	2.21	0.86	3.67	4.53	7.42	4.28	3.05	0.98	2.98
हिमाचल प्रदेश	10.85	5.91	8.29	14.21	12.89	16.76	29.65					
जम्मू व कश्मीर	0.13	955.13	794.87	1750.00	2082.18	1605.64	3687.82					
कर्नाटक	99.09	5.01	2.16	7.17	10.93	4.37	15.29	5.64	3.67	1.27	0.37	7.17
केरल	56.54	23.27	4.66	27.93	50.73	9.41	60.14	7.48	3.67	3.11	0.37	74.10
मध्य प्रदेश	123.31	1.29	1.67	2.96	2.81	3.37	6.19	4.37	4.14	0	0.84	1.40
महाराष्ट्र	174	2.77	2.53	5.30	6.03	5.12	11.15	8.07	5.65	3.7	2.35	16.20
मणिपुर	3.33	12.51	6.01	18.52	27.28	12.13	39.41	8.26		3.89	0	48.67
मेघालय	1.01	101.49	24.75	126.24	221.24	50.00	271.24	8.26		3.89	0	394.78
मिजोरम	1.55	49.46	8.60	58.06	107.83	17.38	125.20	8.26		3.89	0	192.41
नागालैण्ड	0.7	113.10	39.29	152.38	246.55	79.36	325.90	8.26		3.89	0	439.94
उड़ीसा	69.41	2.23	2.65	4.89	4.87	5.36	10.23	5.34		0.97	0	2.17
पंजाब	41.75	0.10	0.26	0.36	0.22	0.52	0.74	7.42	4.28	3.05	0.98	0.56
राजस्थान	88.1	0.17	5.46	5.63	0.37	11.02	11.40	4.37	4.37	0	1.07	5.84
सिक्किम	0.43	87.21	11.63	98.84	190.12	23.49	213.60	8.26		3.89	0	339.24
तमिलनाडु	148.35	4.81	1.33	6.13	10.48	2.68	13.16	6.06	3.67	1.69	0.37	8.62
त्रिपुरा	5.52	22.19	2.11	24.31	48.38	4.27	52.65	8.26		3.89	0	86.33
उत्तर प्रदेश	245.29	0.78	1.38	2.16	1.70	2.79	4.48	6.62	4.21	2.25	0.91	3.01



2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

पश्चिम बंगाल	134.51	3.28	5.09	8.37	7.14	10.29	17.43	5.08	3.9	0.71	0.6	5.38
अं. एवं नि. द्वीप समूह	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		-4.37	0	0.00
चण्डीगढ़	1.43	1.75	6.41	8.16	3.81	12.95	16.76	0		-4.37	0	-7.64
दा. एवं न. हवेली	0.15	5.56	0.00	5.56	12.11	0.00	12.11					
दमन एवं दीव	0.15	5.56	0.00	5.56	12.11	0.00	12.11					
दिल्ली	29.35	4.03	16.16	20.19	8.79	32.63	41.42	7.59	4.68	3.22	1.38	35.28
लक्षद्वीप	0.1	25.00	0.00	25.00	54.50	0.00	54.50					
पांडिचेरी	2.43	1.03	0.00	1.03	2.24	0.00	2.24					
समस्त भारत	1608.26	4.53	2.99	7.51	9.87	6.03	15.90					

अनुबन्ध -16  
(पैराग्राफ 1.6.1 देखें)

1994-95 के लिए औसत प्रति परिवार को अन्न का वितरण तथा औसत प्रति परिवार आय का स्थानान्तरण।

चावल के लिए के.नि.मू. = 5.37 रु. प्रति कि.ग्रा.

गेहूं के लिए के.नि.मू. = 4.02 रु. प्रति कि.ग्रा.

प्रति कि.ग्रा. चावल पर आर्थिक सहायता = 1.58 रु.

प्रति कि.ग्रा. गेहूं पर आर्थिक सहायता = 1.49 रु.

राज्य/सं.रा. क्षे. का नाम	कुल उपभोक्ता कार्ड (लाख में)	प्रति माह प्रति परिवार औसत वितरण (कि.ग्रा./माह में)			प्रति परिवार आर्थिक सहायता			फुटकर भाव (रु./कि.ग्रा. में)		मूल्य में भिन्नता (रु./कि.ग्रा. में)		प्रति माह आय स्थानान्तर ण (रु. में)
		चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	
आन्ध्र प्रदेश	141.74	12.93	0.65	13.58	20.43	0.96	21.39	6.88	6.88	1.51	2.86	21.37
अरुणाचल प्रदेश	1.52	45.50	7.68	53.18	71.90	11.44	83.33	9.22		3.85	0	175.19
असम	10.51	24.66	21.96	46.62	38.96	32.73	71.69	9.22		3.85	0	94.94
बिहार	86.64	0.38	2.14	2.52	0.61	3.18	3.79	7.2	5.04	1.83	1.02	2.88
गोवा	2.8	11.90	5.06	16.96	18.81	7.54	26.35	9.17	6.25	3.8	2.23	56.52
गुजरात	92.77	1.69	3.40	5.09	2.67	5.07	7.74	5.26	6.13	-0.11	2.11	7.00
हरियाणा	33.91	0.15	0.76	0.91	0.23	1.14	1.37	8.61	4.28	3.24	0.26	0.68
हिमाचल प्रदेश	10.85	3.00	9.06	12.06	4.73	13.50	18.24					
जम्मू व कश्मीर	0.13	993.59	705.13	1698.72	1569.87	1050.64	2620.51					
कर्नाटक	99.09	5.70	2.20	7.91	9.01	3.28	12.29	6.8	4.5	1.43	0.48	9.21
केरल	56.54	16.48	5.70	22.18	26.04	8.50	34.53	9	4.5	3.63	0.48	62.55
मध्य प्रदेश	123.31	1.09	0.97	2.06	1.73	1.44	3.17	5.26	4.22	-0.11	0.2	0.07
महाराष्ट्र	174	1.36	2.22	3.58	2.15	3.31	5.46	9.17	6.25	3.8	2.23	10.12
मणिपुर	3.33	7.76	3.25	11.01	12.26	4.85	17.10	9.22		3.85	0	29.87
मेघालय	1.01	94.06	19.80	113.86	148.61	29.50	178.12	9.22		3.85	0	362.13
मिजोरम	1.55	43.01	9.14	52.15	67.96	13.62	81.58	9.22		3.85	0	165.59
नागालैण्ड	0.7	90.48	70.24	160.71	142.95	104.65	247.61	9.22		3.85	0	348.33
उड़ीसा	69.41	2.31	2.19	4.49	3.64	3.26	6.90	6.29		0.92	0	2.12
पंजाब	41.75	0.02	0.04	0.06	0.03	0.06	0.09	8.61	4.28	3.24	0.26	0.08
राजस्थान	88.1	0.13	5.00	5.14	0.21	7.46	7.66	5.26	4.72	-0.11	0.7	3.49
सिक्किम	0.43	62.02	15.50	77.52	97.98	23.10	121.09	9.22		3.85	0	238.76
तमिलनाडु	148.35	6.88	0.87	7.75	10.86	1.30	12.16	6.88	4.5	1.51	0.48	10.80
त्रिपुरा	5.52	19.02	1.21	20.23	30.05	1.80	31.85	9.22		3.85	0	73.23

2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

उत्तर प्रदेश	245.29	0.70	0.71	1.40	1.10	1.05	2.15	6.67	4.37	1.3	0.35	1.15
पश्चिम बंगाल	134.51	2.69	4.66	7.35	4.25	6.94	11.19	5.9	4.55	0.53	0.53	3.89
अं. एवं नि. द्वीप समूह	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
चण्डीगढ़	1.43	0.58	0.58	1.17	0.92	0.87	1.79					
दा. एवं न. हवेली	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
दमन एवं दीव	0.15	11.11	0.00	11.11	17.56	0.00	17.56					
दिल्ली	29.35	1.53	5.82	7.35	2.42	8.67	11.10	8	5.29	2.63	1.27	11.42
लक्षद्वीप	0.1	58.33	0.00	58.33	92.17	0.00	92.17					
पांडिचेरी	2.43	1.03	0.00	1.03	1.63	0.00	1.63					
समस्त भारत	1608.26	4.09	2.43	6.53	6.47	3.63	10.09					

अनुबन्ध -17  
(पैराग्राफ 1.6.1 देखें)

1998-99 के लिए औसत प्रति परिवार को अन्न का वितरण तथा औसत प्रति परिवार आय का स्थानान्तरण

चावल के लिए के.नि.मू. = 9.05 रु. प्रति कि.ग्रा.

गेहूँ के लिए के.नि.मू. = 6.50 रु. प्रति कि.ग्रा.

प्रति कि.ग्रा. चावल पर आर्थिक सहायता = 2.75 रु.

प्रति कि.ग्रा. गेहूँ पर आर्थिक सहायता = 1.48 रु.

राज्य/सं.रा. क्षे. का नाम	कुल उपभोक्ता कार्ड (लाख में)	प्रति माह प्रति परिवार औसत वितरण (कि.ग्रा./माह में)			प्रति परिवार आर्थिक सहायता			फुटकर भाव (रु./कि.ग्रा.में)		मूल्य में भिन्नता (रु./कि.ग्रा.में)		प्रति माह आय स्थानान्तरण (रु. में)
		चावल	गेहूँ	जोड़	चावल	गेहूँ	जोड़	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ	
आन्ध्र प्रदेश	164.55	8.56	0.63	9.19	23.55	0.93	24.48	8.33	7.75	-0.72	1.25	-5.38
अरुणाचल प्रदेश	3.59	19.67	1.33	21.00	54.08	1.98	56.06					
असम	42.48	6.84	5.96	12.80	18.82	8.82	27.64	10.5		1.45	0.00	9.92
बिहार	173	0.02	0.66	0.68	0.05	0.98	1.04	8.13	6.72	-0.92	0.22	0.13
गोवा	3.01	16.43	8.62	25.05	45.18	12.76	57.93	9.67	10.5	0.62	4.00	44.66
गुजरात	104.62	1.15	2.16	3.31	3.17	3.20	6.37	9.75	7.7	0.70	1.20	3.40
हरियाणा	34.22	0.00	0.74	0.74	0.00	1.10	1.10	9.48	6.28	0.43	-0.22	-0.16
हिमाचल प्रदेश	11.77	6.53	7.08	13.61	17.96	10.48	28.44	11.69		2.64	0.00	17.24
जम्मू व कश्मीर	13.48	16.19	7.45	23.64	44.52	11.02	55.54					
कर्नाटक	111.33	4.58	1.58	6.16	12.61	2.34	14.94	9.86	10.21	0.81	3.71	9.57
केरल	61.3	19.07	5.89	24.95	52.44	8.71	61.15	12.15	8.49	3.10	1.99	70.82
मध्य प्रदेश	133.78	0.52	0.64	1.16	1.43	0.94	2.37	8.75	6.25	-0.30	-0.25	-0.32
महाराष्ट्र	193.98	1.87	3.01	4.87	5.13	4.45	9.58	11.14	8.24	2.09	1.74	9.13
मणिपुर	1.8	12.94	14.34	27.29	35.60	21.23	56.82					
मेघालय	1.95	71.84	12.63	84.47	197.57	18.69	216.25	10.55	8.71	1.50	2.21	135.67
मिजोरम	1.73	56.39	11.14	67.53	155.08	16.48	171.56	10		0.95	0.00	53.57
नागालैण्ड	2.01	44.03	14.71	58.73	121.07	21.76	142.84					
उड़ीसा	82.46	1.93	4.06	5.99	5.31	6.01	11.32	8.15	7	-0.90	0.50	0.29
पंजाब	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92	6.59	2.87	0.09	0.00
राजस्थान	98.07	0.03	2.62	2.65	0.09	3.88	3.97	11.83	6.33	2.78	-0.17	-0.35
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0					
तमिलनाडु	153.8	4.36	1.23	5.59	12.00	1.82	13.82	10.21	11.17	1.16	4.67	10.80
त्रिपुरा	6.86	19.01	2.14	21.15	52.28	3.16	55.44	11.2		2.15	0.00	40.88
उत्तर प्रदेश	255.44	0.43	0.85	1.29	1.19	1.26	2.45	7.63	6.1	-1.42	-0.40	-0.96



2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

पश्चिम बंगाल	156.24	0.85	3.79	4.64	2.34	5.61	7.95	11.25	5.5	2.20	-1.00	-1.92
अं. एवं नि. द्वीप समूह	0.85	0.00	0.02	0.02	0.00	0.03	0.03					
चण्डीगढ़	2.03	0.69	1.90	2.59	1.90	2.82	4.72	9.83	6.85	0.78	0.35	1.20
दा. एवं न. हवेली	0.5	4.03	2.95	6.98	11.09	4.37	15.46					
दमन एवं दीव	0.29	3.91	1.67	5.57	10.75	2.47	13.21					
दिल्ली	34.45	2.73	13.55	16.28	7.50	20.05	27.55	10.58	7.25	1.53	0.75	14.33
लक्षद्वीप	0.12	18.19	1.88	20.07	50.03	2.78	52.81					
पांडिचेरी	2.53	0.54	0.05	0.59	1.49	0.07	1.56	10.71	12.21	1.66	5.71	1.18
समस्त भारत	1904.28	3.18	2.27	5.45	8.74	3.37	12.11					

अनुबन्ध -18  
(पैराग्राफ 1.6.1 देखें)

1998-99 (गरे.नी.) के लिए औसत प्रति परिवार को अन्न का वितरण और प्रति परिवार आय का स्थानान्तरण।

चावल के लिए के.नि.मू. = 3.50 रु. प्रति कि.ग्रा.

गेहूँ के लिए के.नि.मू. = 2.50 रु. प्रति कि.ग्रा.

प्रति कि.ग्रा. चावल पर आर्थिक सहायता = 6.25 रु.

प्रति कि.ग्रा. गेहूँ पर आर्थिक सहायता = 5.48 रु.

राज्य/सं.रा. क्षे. का नाम	कुल उपभोक्ता कार्ड (लाख में)	प्रति माह प्रति परिवार औसत वितरण (कि.ग्रा./माह में)			प्रति परिवार आर्थिक सहायता			फुटकर भाव (रु./कि.ग्रा.में)		मूल्य में भिन्नता (रु./कि.ग्रा. में)		प्रति माह आय स्थानान्तरण (रु. में)
		चावल	गेहूँ	जोड़	चावल	गेहूँ	जोड़	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ	
आन्ध्र प्रदेश	113.02	3.14	0.00	3.14	19.61	0.00	19.61	8.33	7.75	4.83	5.25	15.15
अरुणाचल प्रदेश	0.83	9.51	0.00	9.51	59.43	0.00	59.43					
असम	18.81	9.13	0.36	9.50	57.09	1.99	59.08	10.5		7.00	0.00	63.94
बिहार	84.26	2.29	5.70	7.99	14.32	31.25	45.57	8.13	6.72	4.63	4.22	34.67
गोवा	0.07	7.50	0.00	7.50	46.88	0.00	46.88	9.67	10.5	6.17	8.00	46.28
गुजरात	33.79	2.63	3.26	5.89	16.46	17.87	34.33	9.75	7.7	6.25	5.20	33.42
हरियाणा	5.53	0.00	6.75	6.75	0.00	36.99	36.99	9.48	6.28	5.98	3.78	25.51
हिमाचल प्रदेश	2.85	0.51	7.77	8.28	3.22	42.56	45.77	11.69		8.19	0.00	4.21
जम्मू व कश्मीर	3.36	13.99	4.40	18.39	87.44	24.12	111.57					
कर्नाटक	64.82	3.54	0.89	4.43	22.15	4.85	27.00	9.86	10.21	6.36	7.71	29.37
केरल	20.59	9.04	0.00	9.04	56.47	0.00	56.47	12.15	8.49	8.65	5.99	78.16
मध्य प्रदेश	43.37	4.27	4.18	8.46	26.71	22.92	49.63	8.75	6.25	5.25	3.75	38.12
महाराष्ट्र	58.23	3.31	5.64	8.95	20.71	30.91	51.62	11.14	8.24	7.64	5.74	57.69
मणिपुर	0.67	18.67	0.00	18.67	116.68	0.00	116.68					
मेघालय	0.97	12.24	0.03	12.27	76.51	0.14	76.66	10.55	8.71	7.05	6.21	86.47
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	10		6.50	0.00	0
नागालैण्ड	0.36	19.93	5.02	24.95	124.57	27.53	152.09					
उड़ीसा	42.6	7.52	0.00	7.52	47.02	0.00	47.02	8.15	7	4.65	4.50	34.98
पंजाब	4.89	0.13	1.42	1.55	0.83	7.78	8.61	11.92	6.59	8.42	4.09	6.93
राजस्थान	21.15	0.06	5.54	5.60	0.39	30.35	30.74	11.83	6.33	8.33	3.83	21.73
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0					
तमिलनाडु	55	7.23	0.03	7.26	45.19	0.19	45.38	10.21	11.17	6.71	8.67	48.81
त्रिपुरा	2.31	9.51	0.00	9.51	59.43	0.00	59.43	11.2		7.70	0.00	73.22
उत्तर प्रदेश	95.48	2.88	6.47	9.35	17.99	35.44	53.44	7.63	6.1	4.13	3.60	35.17

2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

पश्चिम बंगाल	46.25	1.59	4.32	5.91	9.93	23.69	33.62	11.25	5.5	7.75	3.00	25.28
अं. एवं नि. द्वीप समूह	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	9.83	6.85	6.33	4.35	0
दा. एवं न. हवेली	0.17	6.57	1.18	7.75	41.05	6.45	47.50					
दमन एवं दीव	0.02	5.00	6.25	11.25	31.25	34.25	65.50					
दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	10.58	7.25	7.08	4.75	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0					
पाण्डिचेरी	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71	12.21	7.21	9.71	0.00
समस्त भारत	720.42	3.87	3.03	6.91	24.21	16.62	40.83					

अनुबन्ध -19  
(पैराग्राफ 1.8.2.1 देखें)  
इमदादी सा.वि.प्र. वस्तुओं का विपथन

राज्य	जिले	किसके द्वारा विपथन	अवधि	वस्तु	विपथन की मात्रा (टन में)	टिप्पणियाँ
आन्ध्र प्रदेश	पूरा राज्य	ए.पी.सी.एस. कार्पोरेशन	जून 1992 से मई 1997 तक  जून 1997	गेहूं  गेहूं	31000.00  2491.50	न.सा.वि.प्र. के गेहूं को सा.वि.प्र. को विपथित किया गया तथा 3.90 रु. प्रति किलो के प्रति 4.40 रु. प्रति किलो पर बिक्री की गई। ल.सा.वि.प्र. का गेहूं (250 रुपये प्रति क्विंटल पर मुहैया कराया गया) सा.वि.प्र. लाभभोगियों को 300 रुपये प्रति क्विंटल बिक्री दर के प्रति 500 रुपये प्रति क्विंटल बेचा गया।
अरुणाचल प्रदेश	लोअर सुबनसिरी	उपायुक्त	अप्रैल-दिसम्बर 1997	चावल, आटा	61.00 1.20	उपायुक्त ने मैसर्ज टी. हीमा, उ.द.दु. विक्रेता को वस्तुएं जारी की। विक्रेता ने उपभोक्ताओं को वस्तुएं जारी नहीं की।
	रोईग, ईटा नगर तथा दिबांग घाटी	उपायुक्त	5 अगस्त तथा 21 जनवरी 1993, 17 नवम्बर 1994, 30 मई 1998	चावल	12.71	व्यक्तियों जिनमें एम.एल.ए., अंचल समिति के उप-प्रधान, इत्यादि शामिल थे, को वैयक्तिक पर्ची पर जारी किया गया।
बिहार	पटना, सहरसा, पूर्वी सिंहभूम, रांची, धनवाद, ईलामाऊ तथा मुज्जफरपुर	.....	जून 1997 से जुलाई 1999	खाद्यान्न	4582.72	ग.रे.नी. रहने वाले परिवारों के अतिरिक्त अन्य को ल.सा.वि.प्र. खाद्यान्न जारी किये गये।
महाराष्ट्र	2 जिले	जिला प्राधिकरण	1997-98	गेहूं, चावल	118.80 43.20	ग.रे.नी. के परिवारों के लिए गेहूं और चावल का ग.रे.ऊ के परिवारों को विपथन
मेघालय	पूरा राज्य	मिल मालिक	1992-99	गेहूं	7028.90	मिल मालिकों ने स्टॉक को उठा लिया जो लाभभोगियों तक नहीं पहुंच पाया। व्यक्तिकमी मिल मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।
	पूरा राज्य	राज्य सरकार	जून 1997 से मार्च 1999	चावल	29440	ग.रे.नी. के परिवारों के लिए चावल का ग.रे.ऊ के परिवारों में वितरण।
नागालैण्ड	पूरा राज्य	एफ.सी.एस.डी. निदेशालय,	1995-99	अत्युत्तम चावल	7429.13	न.सा.वि.प्र./ल.सा.वि.प्र. चावल लक्ष्य निर्धारित लाभभोगियों के अतिरिक्त अन्य

2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

राज्य	जिले	किसके द्वारा विपथन	अवधि	वस्तु	विपथन की मात्रा (टन में)	टिप्पणियाँ
		दिमापुर ए.डी. एस. कोहिमा तथा पूर्ति अधीक्षक, दीमापुर				को बेचा गया।
	पूरा राज्य	एफ.सी.एस.डी. निदेशालय तथा थोक व्यापारी	1995-99	चावल	141557.00 216632.00	निदेशालय ने थोक व्यापारियों द्वारा चावल के वितरण के अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया।
उड़ीसा	पूरा राज्य	एफ.एस. तथा सी. डब्ल्यू विभाग	मई 1997 से मार्च 1999	चावल	15330.93	न.सा.वि.प्र./ल.सा.वि.प्र. चावल होस्टलों तथा अन्य योजनाओं को बेचा गया।
पंजाब	3 सर्कल अधिकारी	सर्कल कार्यालयों का प्रभारी	1992-99	गेहूं, चावल	910.50 34.50	इमदादी दरों पर सरकारी विभाग को विपथन
राजस्थान	पाली तथा बांसवाड़ा	राज्य सरकार	जून 1992 - मई 1997	गेहूं	4287.00	न.सा.वि.प्र. गेहूं का गैर-न.सा.वि.प्र. क्षेत्रों को विपथन
सिक्किम	पूरा राज्य	राज्य सरकार	जून 1997 से मार्च 1999	चावल	7480.00	ग.रे.नी. के परिवारों का चावल ग.रे.ऊ. के परिवारों को वितरित किया गया।
त्रिपुरा	पूरा राज्य	राज्य सरकार	1992-98	गेहूं	28000	त्रिपुरा बेकरी संघ को गेहूं जारी किया गया। राज्य विभाग ने 10.21 करोड़ रु. के मूल्य के 22000 टन गेहूं के वितरण के अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया।
तमिलनाडु	दो जिले	जिला प्राधिकरण	1995-99	चावल	1257.60	वृद्धावस्था पेंशनारों को निःशुल्क आपूर्त सा.वि.प्र. के चावलों की मांग तथा वास्तविक वितरण के बीच अन्तर थे।
पश्चिम बंगाल	बांकुरा	डब्लू.बी.ई.सी. एस. कांफेरिशन	सितम्बर 1997 तथा अप्रैल 1998 के बीच	आटा	3457.00	आटा खुले बाजार में बेचा गया।
	बर्दवान	डब्लू.बी.ई.सी. एस. कांफेरिशन	सितम्बर 1997 तथा अक्टूबर 1998 के बीच	आटा	949.00	आटा खुले बाजार में बेचा गया।
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	निकोबार जिला	सं. शा. प्रशासन	अप्रैल 1992 से सितम्बर 1996	खाद्यान्न	9885.00	न.सा.वि.प्र. खाद्यान्नों को आवश्यकता से अधिक प्राप्त किया
कर्नाटक	.....	के.एस.सी.एस. कांफेरिशन द्वारा नियुक्त परिवहन ठेकदार	1994-97	चावल	1227.30	परिवहन ठेकेदार ने चावल को सुपुर्द नहीं किया।



2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

केरल	पूरा राज्य	राज्य सरकार	जून 1994 से मई 1997 तक	खाद्यान्न	311000	न.सा.वि.प्र. के अन्तर्गत राज्य सरकार ने दो किलो/एक किलो खाद्यान्न प्रति वयस्क/अवयस्क प्रति सप्ताह की अनुमति देकर 20 किलो प्रति परिवार प्रति महीना के मापदण्ड से अधिक खाद्यान्न जारी किया।
	पूरा राज्य	राज्य सरकार	अप्रैल 1992 से मार्च 1998 तक	खाद्यान्न	1018000	खाद्यान्न होटलों, अस्पतालों, केन्टीन, अनपूर्णा होटलों, इत्यादि को विपथित किए गए थे।
	पूरा राज्य	राज्य सरकार	जून 1997 से दिसम्बर 1998.	चावल	4509.00	राज्य सरकार ने विशेषज्ञों के वर्ग द्वारा ग.रे.नी के परिवारों के लिए निर्धारित मांग से अधिक खाद्यान्नों को प्राप्त किया।
जम्मू और कश्मीर	फुलवामा बारामूला	--	जून 1997 से मार्च 1999	खाद्यान्न	19.14	खाद्यान्नों का ग.रे.नी. के परिवारों के अतिरिक्त अन्य को विपथित किया गया।
	फुलवामा बारामूला	--	जून 1997 से मार्च 1999	खाद्यान्न	23.32	
	बदमग फुलवामा	---	जून 1997 से मार्च 1999	खाद्यान्न	--	
		जोड़			1846768.45	

## अनुबन्ध 20

(पैराग्राफ 1.8.2.2 देखें )

## चीनी का विपथन

	जिला	किसके द्वारा विपथन	अवधि	योजना	विपथन की मात्रा (टन)	टिप्पणियां
हरियाणा	अंबाला, पंचकुला, फरीदाबाद तथा सोनीपत	राज्य सरकार	अप्रैल 1995 से मार्च 1999 तक	सा.वि.प्र.	675.24	10266 कार्डधारियों को चीनी वितरित नहीं की गई।
मेघालय	पश्चिमी गारो, पूर्वी गारो, तथा दक्षिणी गारो	थोक विक्रेता	1995-99	सा.वि.प्र. /न.सा.वि. प्र./ल.सा. वि.प्र.	240.38	थोक विक्रेताओं ने अपनी मासिक विवरणी में चीनी के अन्त स्टॉक को छिपा लिया। सा.वि.प्र. परिवारों को चीनी वितरित नहीं की गई।
उड़ीसा	5 जिले		अप्रैल 1995 से मार्च 1999 तक	सा.वि.प्र.	1799.50	जिला प्रबंधक एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारियों ने आवश्यकता से अधिक चीनी जारी की।
अरुणाचल प्रदेश	दिबंग घाटी लोअर सुबनसीरी		13 तथा 16 जून 1992, अप्रैल 1997 से दिसम्बर 1997 तक	सा.वि.प्र. सा.वि.प्र.	0.21 2.70	कोरानू तथा न्यू कलोनी के उचित दर की दुकान के दुकानदारों ने अधिक चीनी प्राप्त की तथा उसे उपभोक्ताओं को जारी नहीं किया। मैसर्ज टी. हीमा, उ. द.दु. के दुकानकार, पिस्ताना ने उपभोक्ताओं को चीनी जारी नहीं की।
	रीओंग		5 अगस्त 1993	सा.वि.प्र.	0.43	उपायुक्त ने प्रत्येक व्यक्ति को पर्ची पर चीनी जारी की।
पंजाब	जालन्धर सर्कल	प्रभारी, सर्कल कार्यालय	1992-99	सा.वि.प्र.	8953.1	चीनी विभिन्न सरकारी विभागों को वितरित/जारी की गई।
जोड़					11671.56	

## अनुबन्ध 21

(पैराग्राफ 1.8.2.3 देखें)

मिट्टी के तेल का विपथन - सा.वि.प्र.

राज्य	जिला	अवधि	विपथन की मात्रा (कि. ली. में)	मिट्टी के तेल का मूल्य (लाख रु. में)	अन्तर्ग्रस्त आर्थिक सहायता की राशि (लाख रु. में)	टिप्पणियाँ
पंजाब	4 जिले	(i) अगस्त 1997 से अप्रैल 1999 तक (ii) 1992-1999	29411.43  1155.09	...  ....	1203.00  .....	मिट्टी के तेल को शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों को 60:40 के प्रतिमान से अधिक विपथित किया गया था। एक सर्कल में 17903 कि.ली. मिट्टी का तेल जिसमें 7.47 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता अन्तर्ग्रस्त थी, उ.द.दु. के दुकानदारों को अधिक जारी किया गया। मिट्टी का तेल जो कि गरीब लोगों में वितरण के लिए था, विभिन्न सरकारी विभागों को विपथित किया गया था।
हरियाणा	पूरा राज्य	1997-99	36600	2939.00	1799.00	मिट्टी का तेल काल्पनिक राशन-कार्डधारियों को जारी किया गया।
केरल	पूरा राज्य	जनवरी 1992 - दिसम्बर 1998	369000	...	12731.00	मिट्टी का तेल विपथित किया गया तथा औद्योगिक दरों पर प्रभारित करने के बजाए सा.वि.प्र. दरों पर मछुवाही कृषि उद्योग, आदि के लिए परमिटधारियों को बेचा गया था। 774 कि.ली. मासिक कोटा के प्रति जनवरी 1997 तक 1721 जाली मछुवाही परमिट थे।
असम	5 उप-मण्डल	1992-1999	147241.47	...	...	मिट्टी के तेल के वितरण का रिकार्ड अनुरक्षित नहीं किया गया था।
जोड़			583407.99	2939.00	15733.00	

**अनुबन्ध 22**  
**(पैराग्राफ 1.8.2.4 देखें)**  
**सा.वि.प्र. में संदिग्ध दुर्विनियोग**

राज्य	वस्तु	अवधि	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रु. में)	टिप्पणियाँ
आन्ध्र प्रदेश	सा.वि.प्र. वस्तुएं	मार्च 1999 तक	.....	821.00	मंडल प्राधिकारियों ने 255 मामलों में सा.वि.प्र. वस्तुओं का दुर्विनियोग किया।
मणिपुर	(i) चावल	1994 तथा 1995	1443	85.85	विभाग के 13 कर्मचारियों ने 1443 टन चावल की विक्रय आय का दुर्विनियोग किया। चूककर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध अन्तिम कार्यवाही प्रतीक्षित थी (जून 1999)।
	(ii) चावल	1993	366.96	11.17	13 विधायकों के पास उनकी निजी प्रत्याभूति के प्रति 20.14 लाख रु. मूल्य का चावल, दंगा पीड़ितों को नकद आधार पर बेचने के लिए जमा किया गया था। फरवरी 1994 तक सिर्फ 8.97 लाख रु. की वसूली हुई थी तथा जून 1999 तक 11.17 लाख रु. की शेष विक्रय आय की वसूली नहीं हुई थी।
	(iii) चावल	मई 1992	574.62 667.89	28.83 27.37	अवितरित चावल का मूल्य अप्राप्त रहा।
	(iv) चावल	मई 1998	....	1.30	जिला पूर्ति अधिकारी थाऊबल तथा विष्णुपुर ने विक्रय आय को जमा नहीं किया।
	(v) चावल	जनवरी 1992 तक	2537.24	161.00	सात वाहकों ने भा.खा.नि. डिपो, दिमापुर तथा गोवाहाटी से चावल उठाने के बाद वितरित नहीं किया। 2.28 करोड़ रु. दाण्डिक-ब्याज सहित चावल का मूल्य जून 1999 तक वसूली के लिए लम्बित था। एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई।
अरुणाचल प्रदेश	सा.वि.प्र. वस्तुएं	अप्रैल 1990 से सितम्बर 1995 तक	....	34.08	थोक विक्रेता मैसर्स ए.पी.सी.एम. तथा एस.एफ. लिमिटेड डिब्रूगढ़ ने सा.वि.प्र. वस्तुओं का दुर्विनियोग किया। नवम्बर 1995 में दीवानी मुकदमा दायर किया गया था।
	खाद्यान्न	अगस्त 1997 से मई 1998 तक	....	4.00	थोकविक्रेता मैसर्स ए.एम.सी.एम. लिमिटेड संग्राम ने सा.वि.प्र. खाद्यान्नों का दुर्विनियोग किया। एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गई थी। अन्तिम निर्णय अप्रैल 1999 तक प्रतीक्षित था।
महाराष्ट्र	खाद्यान्न	1985-1999	...	59.97	विभिन्न गोदामों में 59.97 लाख रु. मूल्य के खाद्यान्नों का दुर्विनियोग हुआ समझा गया क्योंकि वसूल करने योग्य राशि का बड़ा भाग 1985-90 से सम्बन्धित था।
उड़ीसा	चावल, गेहूं तथा चीनी	1982-98	...	696.32	1982-98 के दौरान भण्डार एजेंटों ने 119 मामलों में खाद्यान्नों का दुर्विनियोग किया।
बिहार	गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य-तेल इत्यादि	1973-98	....	1199.83	15 करोड़ रु. मूल्य के खाद्यान्नों का दुर्विनियोग हुआ ऐसा पता लगा, जिसमें से 1199.83 लाख रु. मार्च 1999 तक 1280 स्टाफ-सदस्यों से वसूली के लिए लम्बित थे।
ii)	खाद्य-तेल	1982-94	521.31	130.00	खाद्य-तेल राज्य खाद्य निगम के खातों में लेखाबद्ध नहीं किया गया था। जबाबदेही निर्धारित करने की कार्यवाही जून 1999 तक लम्बित थी।

2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

मिजोरम	(i) नकदी/खाद्य-सामग्री	मार्च 1991 तक	--	296.00	84 खा.वि.अ./प्रशासनिक अधिकारियों से राशि की वसूली लम्बित थी, जिन्होंने मार्च 1991 तक बिक्री-प्राप्ति का दुर्विनियोग किया. माना गया।
	(ii) नकदी	मई 1997 मई 1998	-- --	5.30 5.56	चेरहलून तथा मालसुएरी केन्द्रों के भण्डार-प्रभारी ने बिक्री-प्राप्ति को अपने पास रखा तथा उसे सरकारी खातों में लेखाबद्ध नहीं कराया।
	(iii) नकदी	--	--	126.09	82 विभागीय कर्मचारियों से नकदी/खाद्यान्नों की कमी की वसूली लम्बित थी।
	(iv) नकदी	अप्रैल 1997 से मार्च 1998	--	252.74	पांच केन्द्रों के प्रभारियों ने बिक्री-प्राप्ति को अनियमित रूप से रोके रखा।
	(v) चावल	मार्च 1995 से अक्टूबर 1998 तक	79180.00	55.70	आठ केन्द्रों में 55.70 लाख रु. मूल्य के चावल का स्टॉक-खातों से बाहर रख कर दुर्विनियोग किया गया/कम पाया गया।
कर्नाटक	खाद्यान्न	1991-98	--	44.76	12 अधिकारियों से खाद्यान्नों की कमी के बावत 52.61 लाख रु. की वसूली के प्रति, जून 1999 तक 7.85 लाख रु. की वसूली हुई थी।
हरियाणा	चीनी	1995-98	13045.00	1252.00	अविद्यमान इकाईयों को चीनी जारी की गई।
नागालैण्ड	गेहूं	1995-99	88297.00	3108.00	चार जिलों में स्टॉकिस्टों ने खुले बाजार में सम्पूर्ण कोटे का विपथन किया।
जम्मू तथा कश्मीर	खाद्यान्न	जून 1995 से अक्टूबर 1996 तक	103.37	--	जिला-भण्डार जम्मू से मारवाह को भेजे गए खाद्यान्न पूर्ति की अप्राप्ति के कारण लेखाबद्ध किए गए नहीं पाये गये थे। विभाग ने मामले की छानबीन नहीं की तथा दोषी कर्मचारी को बचा लिया।
	खाद्यान्न	अप्रैल 1991 से फरवरी 1995 तक	251.53	20.00	खाद्यान्नों के संचालन में लगे वाहन ठेकेदारों ने जम्मू तथा डोड़ा जिले में खाद्यान्नों को सुपुर्द नहीं किया।
		अगस्त-सितम्बर 1998	38.89	7.36	वाहन-ठेकेदार ने दुर्विनियोग किया।
त्रिपुरा	चावल	मार्च 1994	49.59	2.73	काशीपुर गोदाम के भण्डारकर्त्ता ने चावल लेखाबद्ध नहीं किया।
जोड़				8436.96	



## अनुबन्ध 23

(पैराग्राफ 1.8.2.5 देखें)

सा.वि.प्र. वस्तुओं की मार्गस्थ हानि/कम-प्राप्ति

राज्य	वस्तु	अवधि	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रु. में)	टिप्पणी
सिक्किम	चावल	मई से दिसम्बर 1995	....	21.06	विभाग द्वारा आबंटित चावल कम-प्राप्त हुए।
तमिलनाडु	चावल/धान	1994-98	....	111.00	सात क्षेत्रों में वसूली-योग्य प्रतिमान से अधिक मार्गस्थ हानि।
गुजरात	चावल	1992-97	5140.00	253.00	मार्गस्थ हानि के लिए उचित सीमा की अनुमति के बाद भी 5140 टन चावलों का अन्तर था।
मध्य प्रदेश	खाद्यान्न, चीनी तथा तेल	1985-1998	....	45.05	खाद्यान्नों, चीनी तथा तेल की कमी के लिए दावे निपटान के लिए रेलवे/मारफेड/सी.डबल्यू.सी के पास लम्बित थे।
जोड़				430.11	

अनुबन्ध 24  
(पैराग्राफ 1.8.2.6 देखें)

संचयन में सा.वि.प्र. वस्तुओं की हानि/स्टॉक का लेखे में न लिया जाना

राज्य	वस्तु	अवधि	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रु. में)	टिप्पणी
तमिलनाडु	सा.वि.प्र. वस्तुएं	1993-98	....	224.00	कमी के लिए पथभ्रष्ट कर्मचारियों से वसूली लम्बित थी।
जम्मू तथा कश्मीर	खाद्यान्न	....	....	329.00	दीर्घ संचयन के कारण, 329 लाख रु. मूल्य के खाद्यान्नों को घटिया घोषित किया गया।
जोड़				553.00	

## अनुबन्ध 25

(पैराग्राफ 1.8.2.7 देखें)

कर्मचारियों की गलती के कारण सा.वि.प्र. वस्तुओं की हानि

राज्य	वस्तु	अवधि	मात्रा (टन में)	कीमत (लाख रु. में)	टिप्पणी
अरुणाचल प्रदेश	चावल	अगस्त 1998	68.20	4.70	मैसर्स नोकटे लैम्प लिमिटेड खोनसा, द्वारा स्टॉक का गलत ढंग से संचालन किए जाने के कारण हानि हुई थी। राशि वसूली के लिये लम्बित थी।
उड़ीसा	चीनी	सितम्बर- अक्तूबर 1995	74.80	6.77	बोलनगिर जिले में संचयन अभिकर्ता ने तितलाघर और बोलनगिर के गोदामों से माल को स्थानान्तरित करते समय 74.80 टन चीनी को लेखाबद्ध नहीं किया था।
	चीनी और गेहूं	1993-98	62.10	3.81	प्रतिमानों के उल्लंघन में ये कमियाँ उड़ीसा राज्य सिविल आपूर्ति निगम द्वारा वहन की गई थी चीनी और गेहूं की कमियों को निजी संचयन अभिकर्ताओं ने स्वीकार नहीं किया।
जोड़			205.10	15.28	

## अनुबन्ध 26

(पैराग्राफ 1.8.2.8 देखें)

स्टोरो/गोदामों के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान पता लगी कमियों/हानियों

राज्य	वस्तु	अवधि	मात्रा (टन में)	(लाख रु में)	टिप्पणी
जम्मू और कश्मीर	खाद्यान्न	1993-94 से 1997-98	----	339.00	कमियों के 154 मामलों का पता लगा था।
त्रिपुरा	खाद्यान्न	1992-99	....	165.00	36 गोदामों के प्रत्यक्ष सत्यापन से इन कमियों का पता चला।
नागालैण्ड	चावल	1995-98	298.59	18.20	सहायक निदेशक, (आपूर्ति), कोहिमा, वोखा तथा अधीक्षक (आपूर्ति), दिमापुर से सम्बन्धित स्टोरो के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान कमियों का पता चला था।
उत्तर प्रदेश	खाद्यान्न	1990 तक	....	1998.05	खाद्यान्नों की कमी/हानि के कारण निजी पार्टियों (1260.30 लाख रु.) तथा स्टाफ से (737.75 लाख रु.) राशियां बकाया थीं।
अरुणाचल प्रदेश	चावल	1992-95	29.23	....	उ.द.दु. के निरीक्षण के दौरान पता चली कमियां वसूली/नियमन के लिए लम्बित थीं।
जोड़				2520.25	

**अनुबन्ध 27**  
**(पैराग्राफ 1.8.2.9 देखें)**  
**जाली/अतिरिक्त राशन कार्ड**

राज्य	खोज की अवधि	जाली राशन कार्डों की सं.	टिप्पणी
आन्ध्र प्रदेश	दिसम्बर 1998 तक	906000	
असम	जुलाई 1992 से मार्च 1998	532000	खाद्यान्न परिवारों को वितरित किये गये थे यद्यपि उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
बिहार	मार्च 1999 तक	37221	13 जिलों में आवश्यकता से अधिक राशन कार्ड जारी किये गये थे।
गुजरात	जुलाई 1992 तथा मार्च 1993 के बीच	223000	
हरियाणा	1992-99	आभास (घोस्ट) यूनिटें 1992-93 में 32.60 लाख से कम होकर 1998-99 में 10.21 लाख रह गई थी।	सा.वि.प्र. के अन्तर्गत
मध्य प्रदेश	1992-93 तथा 1998-99 के बीच	448135	
उड़ीसा	1998	1398000	
त्रिपुरा	1996-99	70000	कुल परिवारों की संख्या से अधिक राशन कार्ड जारी किये गए थे।
पश्चिम बंगाल	मार्च 1999 तक	6630000	व्यक्तिगत राशन कार्ड
पंजाब	1998-99	1030000	
तमिलनाडु	जनवरी 1995 तक तथा मई 1999	1800000 1600000	
कर्नाटक	मार्च 1997 तक	2388000 (अनुपयुक्त) 1200000 (जाली)	मुख्य मंत्री के दमदार प्रभाव के कारण अनुपयुक्त कार्डों को रद्द करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।
केरल	1992-93 तथा 1997-98 के बीच	11314	
जोड़		19294670	



अनुबन्ध -28  
(पैराग्राफ 1.8.3 देखें)

खाद्यान्नों का राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर विपथन

(प्रतिशत में)

राज्य का नाम	अनुमानित विपथन			
	गेहूँ	चावल	चीनी	खाद्य तेल
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>				
1. दिल्ली	53	53	25	
2. हरियाणा	53	44	28	
3. हिमाचल प्रदेश	47	28	8	
4. जम्मू एवं कश्मीर	28	29	28	
5. पंजाब	69	40	6	
6. उत्तर प्रदेश	46	49	36	
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>				
1. गोवा	23	28	6	39
2. गुजरात	23	21	18	
3. महाराष्ट्र	26	30	22	
4. मध्य प्रदेश	20	24	32	
5. राजस्थान	31	36	17	
<b>दक्षिण क्षेत्र</b>				
1. आन्ध्र प्रदेश	15	19	16	
2. कर्नाटक	30	18	19	
3. केरल	28	23	25	
4. तमिलनाडु	24	33	28	36
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>				
1. बिहार	44	64	47	
2. उड़ीसा	39	54	28	
3. सिक्किम	52	21	41	
4. पश्चिम बंगाल	40	34	24	
<b>उत्तर पूर्वी क्षेत्र</b>				
1. अरुणाचल प्रदेश	47	56	23	
2. असम	61	64	52	
3. मणिपुर	48	19	37	
4. मेघालय	62	54	39	
5. मिज़ोरम	63	54	41	
6. नागालैण्ड	100	46	24	
7. त्रिपुरा	27	33	13	

संघ शासित क्षेत्र				
1. चंडीगढ़	24	12	35	
2. दादर एवं नगर हवेली	18	7	26	
3. दमन एवं दीव	40	38	13	1
4. पाण्डिचेरी	40	20	39	
राष्ट्रीय स्तर	36	31	23	55

स्रोत : आर्थिक परामर्शी सेवा के आंकड़ों की रिपोर्ट

## अनुबन्ध -29

(पैराग्राफ 1.9.2 देखें)

उचित दर दुकानों की संख्या तथा प्रत्येक उ.द.दु. से जुड़े हुए व्यक्तियों की संख्या

राज्य/सं.शा.क्षे.	उचित दर दुकानों की सं.			प्रति उ.द.दु. व्यक्तियों की सं.
	ग्रामीण	शहरी	जोड़	
आन्ध्र प्रदेश	32813	7040	39853	1872
अरुणाचल प्रदेश	842	103	945	1222
असम	28687	3660	32347	800
बिहार	47293	10242	57535	1705
गोवा	429	161	590	2622
गुजरात	10358	3766	14124	3367
हरियाणा	5153	2622	7775	2514
हिमाचल प्रदेश	3418	240	3658	1789
जम्मू एवं कश्मीर	2237	689	2926	3318
कर्नाटक	14540	5353	19893	2586
केरल	12279	1982	14261	2243
मध्य प्रदेश	20489	3652	24141	3245
महाराष्ट्र	32400	10346	42746	2108
मणिपुर	1753	175	1928	1266
मेघालय	3257	572	3829	616
मिज़ोरम	886	195	1081	853
नागालैण्ड	138	213	351	4641
उड़ीसा	20824	3841	24665	1441
पंजाब	8680	3072	11752	1981
राजस्थान	14041	4551	18592	2831
सिक्किम	519	359	878	616
तमिलनाडु	19958	6220	26178	2340
त्रिपुरा	1185	174	1359	2697
उत्तर प्रदेश	64393	12326	76719	2168
पश्चिम बंगाल	15628	4790	20418	3819
अण्डमान एवं निकोबार दीप समूह	286	118	404	926
चंडीगढ़	46	201	247	3482
दादर एवं नगर हवेली	78	0	78	2359
दमन एवं दीव	7	6	13	10385
दिल्ली	428	2739	3167	4237
लक्षद्वीप	21	14	35	1971
पांडिचेरी	163	229	392	2745
	<b>363229</b>	<b>89651</b>	<b>452880</b>	<b>2167</b>

स्रोत : मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़े

## अनुबन्ध 30

(पैराग्राफ 1.10.1.2 देखें)

उपभोक्ताओं के अधिप्रभार की राज्य-वार विवरणी

राज्य	जिला	नमूना	अवधि	राशि (लाख रु. में)	अधिक प्रभार के कारण
असम	(i)..	9 गांव पंचायत संबंध समितियां (गां.पं.स.स.)	1992-95	11.42	ग्रा.पं.सं.स. ने परिवहन प्रभारों के कारण 16 रु. से 73 रु. प्रति क्विंटल के बीच उच्च दरों पर प्रभारित किया।
	(ii).....	खाद्य सिविल आपूर्ति विभाग	.....	34.26	राशन कार्डों के मुद्रण की निम्नतम दर के बजाय उपभोक्ताओं से उच्च दरें प्रभारित की।
उत्तर प्रदेश	नैनीताल	जिला आपूर्ति अधिकारी	1998-99	8.96	राज्य सरकार द्वारा लगाया गया व्यापार कर गेहूं के बिक्री मूल्य में शामिल किया गया जो सा.वि.प्र. उपभोक्ताओं से वसूला गया
राजस्थान	(i) समस्त न.सा. वि.प्र. खण्ड	खाद्य और सिविल आपूर्ति विभाग	जनवरी 1993 से मई 1997	1667.30	25 रु. प्रति क्विंटल की अनुमत सीमा से ऊपर 5 रु. तथा 8 रु. प्रति क्विंटल उपभोक्ता से अतिरिक्त वसूली की गई थी।
	(ii) टोंक (ड्योली)	थोक व्यापारी	सितम्बर 1994 से नवम्बर 1995	0.30	उच्च दर पर चावल की बिक्री।
हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला, मंडी, शिमला	क्षेत्र प्रबन्धक	1993-97	27.90	निगम द्वारा उपभोक्ताओं से की गई वसूली में पारगमन कमी की 2.60 रु./3.25 रु. प्रति क्विंटल लागत को भूमि लागत में शामिल किया गया था।
	धर्मशाला, मंडी, शिमला	क्षेत्र प्रबन्धक	जून 1997 से फरवरी 1999	94.38	सरकार द्वारा नियत दर से उच्च दरों पर 4.10 क्विंटल आटे की बिक्री। विभाग ने वसूली हेतु तथ्यों को स्वीकार किया।
आन्ध्र प्रदेश	....	राज्य सिविल आपूर्ति निगम	जुलाई 1993 से मई 1997	56.04	44389 टन गेहूं की बिक्री 25 रु. के अनुमत प्रतिमान के प्रति जुलाई 1993 से जनवरी 1994 तक 35 रु. प्रति क्विंटल तथा फरवरी 1994 से मई 1997 तक 38 रु. प्रति क्विंटल जोड़कर की गई।
अरुणाचल प्रदेश	डिबेंग घाटी, लोहित, तिराप	जिला आपूर्ति अधिकारी	दिसम्बर 1997 से फरवरी 1999	19.53	29322.88 क्विंटल 'ए' श्रेणी के चावल के अन्तिम मूल्य में अतिरिक्त परिवहन लागत जोड़ दी गई तथा उपभोक्ताओं से प्रभारित किया गया।
मेघालय	जिला तथा उप-मंडलीय स्तर	व्यापारियों द्वारा	1992-99	3130.09	अधिक परिवहन लागत को जोड़ने के द्वारा 11.58 लाख टन गेहूं और चावल की बिक्री उच्च दरों पर की गई।

राज्य	जिला	नमूना	अवधि	राशि (लाख रु में)	अधिक प्रभार के कारण
मणिपुर	....	राज्य सरकार	1992-99	77.83	सी.आई.पी. से अधिक मूल्य पर 0.55 लाख टन चीनी वितरित की गई थी।
लक्षद्वीप	सं.शा. प्रशासन	लक्षद्वीप प्रशासन	अप्रैल 1995 से सितम्बर 1997 तक	72.18	14583 टन खाद्यान्नों की अंतिम परचून मूल्य में चावल के लिए (1995) 55 रु. तथा (1996-99 के दौरान) 46 रु. और गेहूं के लिए 48 रु. उपरी प्रभारों को मिलाकर बिक्री की गई।
हरियाणा	अम्बाला, फरीदाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत	राज्य सरकार	अगस्त 1998 से मार्च 1999 तक	20.39	6797.98 टन आटे के बिक्री मूल्य में बैगों की लागत को मिलाकर उपभोक्ताओं से वसूल किये गये थे।
गुजरात	न.सा.वि.प्र. खंड	राज्य सरकार	जून 1992 से जनवरी 1993 तक	19.00	7.30 लाख क्विंटल चावल की बिक्री पर 25 रु. प्रति क्विंटल से अधिक, जोड़े गये चढ़ाई उतराई प्रभारों को भी उपभोक्ताओं से वसूल किया गया था।
	....	सिविल आपूर्ति विभाग	फरवरी 1993 से मई 1997 तक	6447.00	फरवरी 1993 से मई 1997 तक 8.17 लाख टन गेहूं तथा 6.63 लाख टन चावल की बिक्री पर क्रमशः 46 रु. तथा 60 रु. प्रति क्विंटल (गेहूं) तथा 61 रु. तथा 91 प्रति क्विंटल (चावल) अतिरिक्त चढ़ाई उतराई प्रभार भी उपभोक्ताओं से वसूल किये गये थे।
मध्य प्रदेश	....	नागरिक आपूर्ति निगम	1992-96	567.30	गेहूं की बिक्री में मंडी कर 1 प्रतिशत तथा निराश्रित शुल्क 0.20 प्रतिशत जो गेहूं की बिक्री पर कृषि उत्पाद पर लगने वाले कर को जोड़कर उपभोक्ताओं से वसूल किये गये थे।
	....	नागरिक आपूर्ति निगम	जून 1997 से दिसम्बर 1997 तक	43.66	87139 टन गेहूं की बिक्री में 50 रु. प्रति टन की दर से मंडी कर शामिल करके उपभोक्ताओं से वसूल किये थे।
केरल	....	राज्य सरकार	सितम्बर 199 से दिसम्बर 1998 तक	824.00	19.33 लाख किलो लीटर मिट्टी के तेल की बिक्री पर 0.30 प्रतिशत की बजाय एक प्रतिशत रिसाव भत्ता अनुमत किया गया जो उपभोक्ताओं पर डाल दिया गया था।
	7 ला.शा.वि.प्रा.	राज्य सरकार	अप्रैल 1996 से मई 1997 तक	69.69	8 रु. से 11 रु. तक प्रति क्विंटल उच्च फुटकर मूल्य नियत करके 3.96 टन खाद्यान्नों की बिक्री की गई।
	4 तालूके	....	1996-99	11.37	दूरस्थ भा.खा.नि. डिपो से 23 प्राधिकृत थोक विक्रेता व्यापारियों द्वारा 4655 टन खाद्यान्नों को उठाने पर हुए अतिरिक्त परिवहन प्रभारों को भी उपभोक्ताओं से अतिप्रभारित किया गया था।
तमिलनाडु	तन्जाबुर, मदुरई	थोक विक्रेता व्यापारी	1996-99	44.00	दूरस्थ डिपो से थोकविक्रेता व्यापारियों द्वारा मिट्टी के तेल को उठाने के कारण उपभोक्ताओं से अतिप्रभारित किया गया।



राज्य	जिला	नमूना	अवधि	राशि (लाख रु. में)	अधिक प्रभार के कारण
	चेन्नई तथा अन्य जिले	राज्य सरकार/विभाग द्वारा	1993 से अक्टूबर 1997	5506.00	थोक विक्रेताओं तथा व्यापारियों को 0.25 रु. प्रति लीटर गुंजाइश अनुमत करने के कारण उपभोक्ताओं से अतिप्रभारित किये गये थे।
	.....	राज्य सरकार	1993-99	19638.00	1993-95 तथा 1995-99 के दौरान क्रमशः 10 रु. तथा 20 रु. प्रति क्विंटल की दर पर विक्रय मूल्य में फुटकर गुंजाइश सरकार द्वारा वहन किया जाना था जो प्रभावित नहीं हुआ तथा उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिला था।
उड़ीसा	.....	राज्य सरकार	फरवरी 1996 से मार्च 1998	578.89	गेहूं पर 4 प्रतिशत बिक्री कर प्रभारित करने तथा पुनः आटे पर 26.83 प्रति क्विंटल बिक्री कर लगाने के कारण।
	7 जिले	जि.म. एवं ना.आ. अ.	--	12.76	उपभोक्ताओं से प्रभारित न्यूनतम दरों से अधिक दरों पर राशन कार्डों की छपाई।
पांडिचेरी	.....	स्थानीय सरकार	1994-98	31.58	पामोलीन तेल की बिक्री पर मूल्यह्रास तथा भण्डारण जोड़ कर 27.90 रु. प्रति किलो की बजाए 28.25 रु. प्रति किलो का खुदरा मूल्य निर्धारित करने के कारण उपभोक्ताओं से अधिक प्रभारित किया गया।
	.....	निदेशक, नागरिक आपूर्ति	सितम्बर 1994-99	4.64	2 प्रतिशत बिक्री कर जोड़ कर मैदा तथा सूजी का अंतिम खुदरा मूल्य निर्धारित करने के कारण उपभोक्ताओं से अधिक प्रभारित किया गया।
	.....	सं.क्षे. प्रशासन	सितम्बर 1993 से अक्टूबर 1997	210.00	70166 लिटर मिट्टी के तेल की बिक्री पर थोक तथा खुदरा कमीशन उपभोक्ताओं से भारत सरकार द्वारा निर्धारित से उच्च दरों पर प्रभारित किया गया।
त्रिपुरा	न.सा.वि.प्र.	राज्य सरकार	जून 1992 से मई 1997	5552.00	24.33 लाख क्विंटल चावल पर संचालन लागत के कारण खाद्यान्नों का अंतिम खुदरा मूल्य 12 से 28 रु. प्रति क्विंटल अधिक निर्धारित करने के कारण उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान का भार उठाना पड़ा।
अण्डमान एवं निकोबार	समस्त	सं.क्षे. प्रशासन	जनवरी 1993 से जून 1998	349.45	थैलों की लागत तथा दोहरी सिलाई उपभोक्ताओं को अन्तरित की गई।
नागालैण्ड	.....	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा उ.द. दू./थोक व्यापरी	जून 1997 से मार्च 1999	677.92	193692 टन चावल की बिक्री पर 0.35 रु. प्रति किलो का अतिरिक्त परिवहन प्रभार उपभोक्ताओं को अन्तरित किया गया।
पश्चिम बंगाल	.....	प.बं.ई.सी.एस.सी.	1991-98	87.70	खाद्य तेल के बिक्री मूल्य पर 20 प्रतिशत राज्य प्रशासन प्रभार जोड़ कर उपभोक्ताओं से प्रभारित किया गया।

2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

राज्य	जिला	नमूना	अवधि	राशि (लाख रु. में)	अधिक प्रभार के कारण
महाराष्ट्र	...	राज्य सरकार	1992-97	2008.00	खाद्य तेल के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों से 5 रु. से 6 रु. प्रति किलो की उच्च दर निर्धारित करने के कारण उपभोक्ताओं से अधिक प्रभार लिया गया।
मिजोरम	न.सा.वि.प्र./ सा. वि.प्र.	राज्य सरकार	जून 1997 से मार्च 1999	55.31	चावल के बिक्री मूल्य में संचालन प्रभार जोड़ने के कारण उपभोक्ताओं पर बोझ डाला गया।
बिहार	ल.सा.वि.प्र.	राज्य सरकार	जून 1997 से आगे	526.00	ग.रे.नी. के गेहूं पर राज्य खाद्य निगम को अनुमत छूट की राशि उपभोक्ताओं से प्रभारित की गई थी।
जोड़				<b>48538.80</b>	

अनुबन्ध -31  
(पैराग्राफ 1.10.2.2 देखें)

राज्य सरकारों द्वारा मिलमालिकों को अनुचित लाभ

राज्य का नाम	अवधि	मात्रा (टन में)	मिलमालिकों को अनुचित लाभ (लाख रु. में)	टिप्पणी
असम	1992-99	1178020.66	32276.00	सा.वि.प्र. हेतु आटे का 75 प्रतिशत आटा 3.60 रु. तथा 6 रु. प्रति कि.ग्रा. के बीच सा.वि.प्र. की दर के प्रति 6 रु. से 10 रु. के बीच की दर पर खुले बाजार में बेचने के लिए विपथित किया गया था। सरकार ने भारत सरकार को क्रेडिट करने के लिए मिल मालिकों से बाजार बिक्री मूल्य तथा सा.वि.प्र. मूल्य के बीच के अंतर का संग्रहण नहीं किया।
	1992-98	29546.57	1305.00	गेहूं से आटे की 93 प्रतिशत वसूली के प्रति राज्य सरकार ने 91 पर निम्नतर प्रतिशतता नियत की।
कर्नाटक	सितम्बर 1996 से मई 1997	37925.00	1293.00	राज्य सरकार ने मिलमालिकों द्वारा वसूले गए आधिक्य की वसूली हेतु मैदे तथा आटे के लिए मनमाने ढंग से 825 रु. तथा 800 रु. प्रति क्विंटल पर खुले बाजार मूल्य की गणना की। तथापि वर्तमान बाजार मूल्य क्रमशः 1300 रु. तथा 1200 रु. थे जिसके कारण मिल मालिकों को सरकार के खर्चे पर 12.93 करोड़ रु. का अनुचित लाभ हुआ।
केरल	मई 1994 से अक्टूबर 1996	-	113.00	राज्य सरकार ने मिलमालिकों से 22.60 लाख बोरियों की लागत वसूल नहीं की।
तमिलनाडु	(i) जुलाई 1993 से मई 1997	394000.00	6275.00	त.ना.ना.आ. निगम ने जैसाकि पुरानी मिल प्रणाली में विचार किया गया है, जून 1999 तक भारत सरकार को आटा मिलों के माध्यम से बाजार दर तथा सा.वि.प्र. दर के बीच अन्तरीय लागत के 62.75 करोड़ रु. प्रेषित नहीं किए।
- वही -	(ii) अगस्त 1993 से मई 1997	77774.00	1674.00	मिल मालिकों द्वारा रखे गए गेहूं के उत्पादों का मूल्य मिल मालिकों को आपूर्त किए गए गेहूं का खुले बाजार में मूल्य जमा मिल प्रभारों के आधार पर नियत किया जाना था। कच्ची सामग्रियों की लागत के संदर्भ के बिना गेहूं उत्पादों के मूल्य की कम

				वसूली हुई जिसके परिणामस्वरूप मिल मालिकों को अनभिप्रेत लाभ हुआ।
महाराष्ट्र	जनवरी-मार्च 1998	0.09	433.43	राज्य सरकार ने मिल मालिकों से आटे में परिवर्तित करने के लिए उनको आपूर्त किए गए गेहूँ की लागत तथा साथ में बोरो की लागत वसूल नहीं की।
मेघालय	1992-99 1995-98	2325.00 322.00	11.63	2325.120 टन आटा चक्की मिलों के पास रहा।
उड़ीसा	जनवरी 1998 से जुलाई 1998	4221	7.60	राज्य सरकार ने रोलरफ्लोर मिल को निम्न चोकर दरें देने की अनुमति दी।
दिल्ली	जनवरी 1998 से मार्च 1999	299.00	141.86	यद्यपि मिल मालिकों को पूरी मात्रा के लिए मिल प्रभागों का भुगतान किया गया था, राज्य सरकार ने मिल मालिकों से 10 प्रतिशत चोकर का मूल्य वसूल नहीं किया।
जोड़			<b>43530.52</b>	

## अनुबन्ध -32

(पैराग्राफ 1.10.3.2 देखें)

## घटिया/गैर मानक खाद्यानों की आपूर्ति

क्र.सं.	राज्य	अवधि	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रु. में)	टिप्पणी
<b>(क) चावल</b>					
1.	असम	फरवरी 1999	1406	49.19	गौरीपुर में ल.सा.वि.प्र. के अंतर्गत घटिया चावल वितरित किए गए।
2.	केरल	1997-98	154000	----	ग.रे.नी. के परिवारों ने घटिया चावल लिए और उनका पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया क्योंकि पशुओं के चारे का बाजार मूल्य 6 रु. तथा 10 रु. प्रति कि.ग्रा. के बीच था जो 3.90 रु. प्रति कि.ग्रा. के ग.रे.नी. के मूल्यों से अधिक था।
3.	उड़ीसा	1995-96 से 1998-99	11543	403.99	घटिया तथा उचित औसत गुणवत्ता से कम के चावल वितरित किए गए।
4.	कर्नाटक	मई-जून 1998	79900	----	भा.खा.नि. द्वारा थोक विक्रेताओं को घटिया विनिर्देशन के अंतर्गत चावल जारी किए गए। भा.खा.नि. द्वारा दिसम्बर 1998 में नमूनों का विश्लेषण करने से यह पता चला कि चावल निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थे।
5.	गुजरात	1994	204	--	चिकली तथा भिलोंदा गोदामों से संबंधित चावल की प्रयोगशाला जांच ने यह दर्शाया कि चावल पी एफ ए मानकों का नहीं था।
6.	पश्चिम बंगाल	1992-99	42610	--	जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया के अभाव में अननुमोदित खाद्यानों के वितरण की संभावना हो सकती है।
<b>(ख) गेहूँ</b>					
7.	उड़ीसा	1995-96 से 1998-99	1459	80.23	चार जिलों में घटिया गेहूँ वितरित किए गए।
8.	हिमाचल प्रदेश	1997-99	....	5.61	लौट के आधार पर लिया गया नमूना उपभोग हेतु अनुपयुक्त घोषित किया गया था इसके बावजूद समस्त मात्रा उपभोक्ताओं को बेची गई थी।
9.	पांडिचेरी	मई 1997 से फरवरी 1999	3146	---	विदेशी खर-पतवार/बीज को निकाले बिना आयातित आस्ट्रेलियन गेहूँ वितरित किए गए थे।
10.	पश्चिम बंगाल	1992-99	4152		गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया के अभाव में अननुमोदित खाद्यानों के वितरण की संभावना हो सकती है।



(ग) चीनी					
11.	हिमाचल प्रदेश	सितम्बर 1998 से दिसम्बर 1998	686	78.23	यमुनानगर स्थित चीनी मिल से प्राप्त अत्यधिक नमी वाली लेवी चीनी उपभोक्ताओं को बेची गई थी।
12.	पंजाब	नवम्बर 1998	151	----	उपभोक्ताओं को घटिया गुणवत्ता तथा मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त चीनी बेची गई थी। संबंधित जिला प्रबन्धक ने यह स्वीकार किया कि चीनी मिलों से चीनी उठाने के समय उनके नमूने लेने की कोई नियमित प्रणाली नहीं थी।

**अनुबन्ध -33**  
(पैराग्राफ 1.10.5.1.1 देखें)  
परिहार्य परिवहन प्रभार

राज्य	अवधि	खाद्यान्नों की मात्रा टन में	अतिरिक्त परिहार्य परिवहन लागत (लाख रु. में)	टिप्पणी
उत्तर प्रदेश	1995-99 1998-99	-	118.07 54.04	यू.पी.एस.ई निगम में चीनी के लिए अनुमत 1.00 रु. प्रति क्विंटल के प्रति 2.50 रु. प्रति क्विंटल संचालन प्रभार दिए। यू.पी.एस.एफ.ई.सी. निगम ने सरकार द्वारा अनुमत 5.35 रु. प्रति क्विंटल के प्रति 6.72 रु. तथा 10.46 रु. के बीच प्रति क्विंटल अधिक परिवहन दरों का भुगतान किया।
राजस्थान	1972-99	.....	186.96	निकटतम डिपु से अतिरिक्त अन्य डिपु से आपूर्तियों के प्रबन्ध के कारण
कर्नाटक	1991-99	65355	47.56	युगार से बंगलौर तक चीनी का संचालन जिसमें 83 कि.मी. की अधिक गमन दूरी शामिल थी।
	1991-99	39221	137.00	आयुक्त ने चीनी के वितरण की अनुमति दी जिसमें आड़ा तिरछा संचालन शामिल था क्योंकि माण्डया, चित्रदुर्ग, धारवाड़ तथा रायचूर जिलों में स्थित फैक्ट्रियों में उपलब्ध चीनी जिलों से बाहर ले जाई गई थी जबकि नज़दीकी जिलों में स्थित फैक्ट्रियों से चीनी इन्हीं जिलों में लाई गई थी।
	1996-99	.....	60.16	बीजापुर, बेलगाम, गुलबर्गा तथा टुमकूर जिलों में भा.खा.नि. के नामित गोदामों में भण्डार उपलब्ध न होने के कारण खाद्यान्नों के परिवहन पर किया गया अतिरिक्त व्यय
तमिलनाडु	1997-99	6081.00	1006.00 131.00	खाद्यान्नों के परिवहन की दरें सहकारी समितियों द्वारा तय की गईं दरों से अधिक अनुमत की गईं थी। टी एन सी एस निगम द्वारा तय की गईं दरें भा.खा.नि. द्वारा तय की गईं दरों से अधिक थीं।
पश्चिम बंगाल	1996-99	.....	121.00	जि.धा. वर्धवान, मिदनापुर तथा बंकुरा जिलों में अधिक दरों पर परिवहन प्रभारों का भुगतान किया।
	1995-99	8172	43.51 3.17	वर्धवान सदर उप मंडल तथा बंकुरा जिलों को दूरस्थ डिपुओं से खाद्यान्नों का आबंटन।
	1992-99		27.84	3 जिलों में व्यापारियों को संचालन हानियों पर अनुमत अग्राह्य परिवहन छूट।
जम्मू व कश्मीर	1992-99	.....	657.00	सम्बन्धित जिलों के भा.खा.नि. के गोदामों में भण्डार की उपलब्धता के बावजूद चार जिलों में दूरस्थ डिपुओं से खाद्यान्नों की उठवाई।
	1995-99	.....	118.00	जम्मू में खाद्यान्नों का आड़ा-तिरछा संचालन।
	1993-97 1996-98	.....	6.92 20.00	चढ़ाने/उतारने में विलम्ब के कारण 909 दिनों तक किराए पर लिए गए ट्रक बेकार खड़े रहना। कैम्प स्थल में आवश्यकता से अधिक रखी गई सा.वि.प्र. वस्तुओं को उठवाना जिन्हें बाद में विभागीय भण्डारों को भेजना।

मणिपुर	अगस्त 1997 से 1999	9767	105.00	चीनी तथा चावल के परिवहन हेतु राज्य विभाग द्वारा परिवहन प्रभारों का एकतरफा ऊर्ध्वगामी संशोधन।
उड़ीसा	1992-99	.....	406.99	सड़क द्वारा परिवहन जो कि रेल भाड़े से 3 गुणा अधिक था जिसके कारण अतिरिक्त व्यय हुआ।
	1994-98	-----	5.35	बोलांगीर तथा कालाहांडी जिलों में भंडारण एजेंटों को परिवहन प्रभारों का भुगतान हालांकि भण्डारों का प्रत्यक्ष रूप से कोई संचलन नहीं हुआ था।
	1996-99	-----	4.30 5.12	बोलांगीर तथा भवानी पटना जिलों में दूरस्थ डिपुओं से राशन के सामान को उठवाना
	मई 1997	32368	7.12	खाद्यान्नों का प्रत्यक्ष रूप से संचलन के बिना परिवहन प्रभारों का भुगतान
बिहार	1998-99	-----	707.00	भा.खा.नि. के निर्दिष्ट गोदामों में खाद्यान्न उपलब्ध न होने के कारण 36 जिलों में दूरस्थ गोदामों से खाद्यान्नों की उठवाई के कारण अतिरिक्त परिवहन लागत
	1998-99	-----	0.95	हज़ारी बाग में भा.खा.नि. के गोदामों से सिमरिया तथा रायगढ़ के रा.खा.नि. के गोदामों को खाद्यान्नों के परिवहन हेतु एजेंसी को दी गई अधिक परिवहन दरें।
दिल्ली	अक्टूबर 1998 से दिसम्बर 1998	209555	139.00	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने निजी ट्रांसपोर्टों को प्रचलित परिवहन प्रभारों से 70 प्रतिशत अधिक प्रभार दिए।
मिज़ोरम	1994-95 से मई 1996	38200	31.92	भारत सरकार की अधिकतम दर/भा.खा.नि. की अनुबद्ध दर से अधिक दरों पर खाद्यान्नों को ले जाने के लिए किया गया अतिरिक्त व्यय
जोड़			4150.98	

## अनुबन्ध -34

(पैराग्राफ 1.10.6.1 देखें)

गोदामों के निर्माण की स्थिति

(लाख रु. में)

राज्य	अवधि	गोदामों की संख्या	क्षमता (टन में)	जिसे राशि जारी की गई थी	जारी की गई राशि	निर्मित गोदाम		अप्रयुक्त पड़ी हुई राशि	अन्य टिप्पणी
						संख्या	व्यय		
आन्ध्र प्रदेश	जनवरी तथा मार्च 1998	18	5400	राज्य सरकार/आ. प्र.रा.ना.आ. निगम	137.00	--	--	137.00	राशि का अभी उपयोग किया जाना था। निगम ने ऋण भाग पर ब्याज के प्रति 10.27 लाख रु. का व्यय किया।
अरुणाचल प्रदेश	1992-94	5	800	राज्य सरकार	27.90	3	23.70	4.00	लो.नि.वि. द्वारा पर्याप्त निधि (10.02 लाख रु.) की कमी के कारण गोदामों का निर्माण आरंभ नहीं किया गया था।
असम	1983-97	12	23300	राज्य सरकार	283.70	1	20.00	263.70	263.70 लाख रु. की अप्रयुक्त राशि में से 1995-96 में प्राप्त 95.0 लाख रु. राज्य सरकार द्वारा 1998-99 में जारी किए गए थे तथा 1996-97 में प्राप्त 168.66 लाख रु. मई 1999 तक अप्रयुक्त पड़े थे।
अं. एवं नि. द्वीप समूह	1991-96	2	1000	राज्य सरकार	47.80	2	47.80		दो नए गोदामों का निर्माण उन्हें स्थानों पर दो पहले से विद्यमान गोदामों की क्षमताओं का कम उपयोग होने के कारण फालतू था।
बिहार	1985-95	486	93600	राज्य सरकार/राज्य खाद्य निगम	1283.00	306	131.00	1152.00	11.52 करोड़ रु. की अप्रयुक्त राशि में से निगम ने भारतीय स्टेट बैंक के पास नकद क्रेडिट के अंतर्गत उसकी अन्य देय राशियों को परिसमाप्त करने पर 2.31 करोड़ रु. का दुरुपयोग किया। 1.08 करोड़ रु. 76 अधूरे गोदामों पर खर्च किए गए थे तथा शेष 8.13 करोड़ रु. रा.खा.नि. के पास पड़े थे।  रा.खा.नि. ने 1990-99 के दौरान 1.51 करोड़ रु. के किराए प्रभार पर 154 गोदामों को किराए पर लिया।

गुजरात	1994-98	29	----	राज्य सरकार/ गु. रा.ना.आ. निगम	395.72	17	371.37	24.35	
हिमाचल प्रदेश	नवम्बर 1997	3	----	राज्य सरकार/ हि. प्र.रा.ना.आ. निगम	77.76	शून्य	----	77.76	निगम ने निधि का कार्यचालन पूंजी के प्रति उपयोग किया।
जम्मू व कश्मीर	1993-98	52	----	राज्य सरकार	529.00	46 (30 अधूरे गोदामों सहित)	402.00	127.00	विभाग ने केवल 16 गोदामों का कब्जा लिया था। शेष 30 गोदामों के निर्माण की प्रगति अभिलेख में नहीं थी।
कर्नाटक	जनवरी 1993	31	8200	राज्य सरकार / क.खा.ना. आ. निगम	132.00	एक (अधूरा गोदाम)	28.31	103.69	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति ने राशि आहरित की तथा फरवरी 1993 में व्य.ज. लेखे में रखी। मार्च 1999 तक क.खा.ना.आ. निगम को 45.89 लाख रु. जारी किए गए थे तथा शेष व्य.ज. लेखे में पड़ा था। 17.58 लाख रु. निगम के पास अप्रयुक्त पड़े थे। निगम ने गोदामों के पूरा होने में विलम्ब के कारण गोदामों को किराए पर लेने पर 29.15 लाख रु. खर्च किए।
मध्य प्रदेश	1992-97	30	30000	राज्य सरकार / म.प्र. राज्य माल गोदाम निगम	490.20	20	326.80	----	फरवरी 1994 तथा अक्टूबर 1998 के बीच पूरे किए गए सभी गोदाम मार्च 1999 तक उपयोग हेतु पड़े थे।
महाराष्ट्र	1992-96	21	10542	राज्य सरकार	206.16	13	123.87	82.29	गोदामों को सौंपने के बाद उनके उपयोग में 2 से 15 माह के बीच की अवधि का विलम्ब था। 8 गोदाम अभी पूरे किए जाने थे।
मणिपुर	1993-96	25	5000	राज्य सरकार	195.00	25	195.00	----	जून 1999 तक 21 गोदाम अप्रयुक्त रहे क्योंकि सा.वि.प्र. वस्तुएं परिवहन ठेकेदारों द्वारा भा.खा.नि. गोदामों से सीधे उ.द.दुकानों पर ले जाई गई थी।




नागालैण्ड	1996-97	17	850	राज्य सरकार	60.00	शून्य	--	60.00	स्थल की अनुपलब्धता के कारण गोदामों का निर्माण नहीं किया जा सका। अतिरिक्त गोदामों की को आवश्यकता नहीं थी क्योंकि विद्यमान गोदामों की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो रहा था।
उड़ीसा	1992-93	52	13000	राज्य सरकार उ.रा.ना.आ. निगम	208.00	27	146.00	62.00	निगम ने ख.वि.अ. से 1.46 करोड़ रु. के उ.प्र. की वास्तविक प्राप्ति के प्रति 2.05 करोड़ रु. के उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए। पूर्ण किए गए 27 गोदामों में से केवल 15 का सा.वि.प्र. स्टॉक के लिए उपयोग किया गया था तथा शेष भण्डारण एजेंटों आदि को किराए पर दिए गए थे।
राजस्थान	1993-99	30	----	राज्य सरकार	----	11		----	बांसवाड़ा, पाली तथा प्रतापगढ़ निर्मित किए गए तीन गोदामों का सा.वि.प्र./न.सा.वि.प्र. मर्दों के इलाके उपयोग किया जा रहा था। यद्यपि विद्यमान गोदाम का उपयोग नहीं किया जा रहा था, नागपुर 24.30 लाख रु. की लागत पर एक गोदाम का निर्माण किया गया था।
त्रिपुरा	1992-93 तथा 1997-98	11	5000	राज्य सरकार	113.02	7	42.00	71.02	गोदामों के निर्माण के लिए भारत सरकार की संस्वीकृति अविवेकपूर्ण थी क्योंकि विद्यमान क्षमता का अनुकूल उपयोग नहीं किया जा रहा था।
उत्तर प्रदेश	1995-97	63	20750	राज्य सरकार	622.50	5	45.00	577.50	शेष गोदामों का निर्माण का योजना, अनुमान तैयार न करने भूमि का अधिग्रहण न करने, आदि के कारण आरंभ नहीं किया जा सका।
पश्चिम बंगाल	फरवरी 1993	12	6000	राज्य सरकार	96.46	6		----	प्रवेश कक्ष, गार्ड कक्षों, आदि पूरा न होने के कारण पांच गोदाम अप्रयुक्त पड़े थे।

अनुबन्ध -35  
(पैराग्राफ 1.10.7.2 देखें)

## वैनों की खरीद

(लाख रु. में)

राज्य	भा.स. द्वारा जारी राशि 1985-99 (मंत्रालय के अभिलेखानुसार)	उद्देश्य के प्रयोजन हेतु उपयोग न किए गए वाहनों की सं०	टिप्पणियाँ
असम	179.43	11	निधियाँ या तो सा.वि.प्र. से असम्बद्ध एजेसी के लाभ के लिए उपयोग की गई थी या बिल्कुल जारी नहीं की गई थी।
बिहार	216.73	62	182.49 लाख रु. लागत की 62 वैनों मरम्मत की कमी के कारण सड़क से हटा ली गई थी।
हरियाणा	65.00	10	वाहनों का हैफेड, जो सा.वि.प्र. में सहायक नहीं, द्वारा उपयोग किया गया था।
हिमाचल प्रदेश	365.00	43	राज्य सरकार ने दो तेल टैंकर खरीदे जिनका निगम द्वारा वाणिज्यिक आधार पर चलाए गए पेट्रोल पम्पों को पै.ते.स्ने. के परिवहन हेतु उपयोग किया गया था।
जम्मू व कश्मीर	492.17	6	चालकों की अनुपलब्धता के कारण वैनों का उपयोग नहीं किया जा सका।
कर्नाटक	113.00	--	राज्य सरकार ने 24 लाख रु. की आर्थिक सहायता रोकी तथा केन्द्रीय सरकार को 24 लाख रु. का ऋण 1994-98 में वापस किया।
केरल	282.78	--	के.रा.ना.आ. ने 138.50 लाख रु. की अप्रयुक्त निधि अन्य उद्देश्यों हेतु विपथित की।
मध्य प्रदेश	617.00	--	120.85 लाख रु. का अव्ययित शेष भारत सरकार को अभ्यर्पित नहीं किया गया था।
मणिपुर	156.50	12	12 वाहन खा.ना.आ. दिनेशालय में रोके गए थे जिससे उद्देश्य विफल हो गया।
मेघालय	41.00	7	सभी वैनों खराब पड़ी थी। इस लिए सा.वि.प्र. के लिए उपयोग नहीं की गई थी।
राजस्थान	394.50	32	सा.वि.प्र. के इलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा रही हैं।
त्रिपुरा	128.00	14	वाहनों को खाद्यान्न एक गोदाम से दूसरे गोदाम में ले जाने के लिए उपयोग किया गया था न कि द्वार-द्वार सुपुर्दगी के लिए।
पश्चिम बंगाल	100.00	4	चार वाहन चालकों की तैनाती न होने के कारण बेकार पड़े थे।
नागालैण्ड	50.00	--	1988-89 के दौरान खरीदे गए वाहन 1992-93 के बाद बेकार रहे। 1992-93 के दौरान प्राप्त 24 लाख रु. की सहायता में से कोई वाहन नहीं खरीदा गया था।
जोड़		201	



मानव संसाधन विकास मंत्रालय

राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पौषणिक सहायता कार्यक्रम





## अध्याय-II मानव संसाधन विकास मंत्रालय

### शिक्षा विभाग

#### 2. राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पौषणिक सहायता कार्यक्रम

##### विशिष्टताएं

राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पौषणिक सहायता कार्यक्रम की अभिकल्पना प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को उत्साहित करने, नामांकन करने तथा उन्हें रोके रखने के लिए की गई थी। कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पके हुए भोजन की आपूर्ति करने के लिए राज्य सरकारों को सक्षम बनाने हेतु खाद्यान्नों के आवंटन पर विचार किया गया था, जिसमें बच्चों को आकर्षित करने तथा रोके रखने के अतिरिक्त उनकी पौषणिक स्थिति में सुधार की अपेक्षा भी की गई थी। कार्यक्रम अगस्त 1995 में आरम्भ किया गया था। यद्यपि कार्यक्रम पर लगभग 4000 करोड़ रु. खर्च किए गए फिर भी यह सफल नहीं हुआ। योजना की परिकल्पना, निष्पादन तथा मानीटरिंग में बहुत सी कमियां हैं। लेखापरीक्षा पुनरीक्षण की कुछ विशिष्टताएं निम्नप्रकार हैं:-

लक्ष्य निर्धारण तथा कवरेज करने में निरन्तर भारी उलझन बनी हुई है। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनो ने विद्यार्थियों की कवरेज के आंकड़ों के विभिन्न सैटों के साथ काम किया जो निरन्तर बिना समाधान के रह रहे थे। जबकि केन्द्र सरकार ने लक्ष्यों की कुल प्राप्ति का दावा किया, कार्यान्वयन करने वाली इकाइयों से प्राप्त किये गए आंकड़ों ने सुस्पष्ट कमियां दर्शाईं। लक्ष्य कार्यक्रम की मंजिल से भी कम थे। जिला तथा खण्डों के कम्बलों के कवरेज के दावे का अभिप्राय यह नहीं था कि लाभ लाभभोगियों तक पहुंचा। खाद्यसामग्री के वास्तविक वितरण के सन्दर्भ में लाभभोगी गणना ने दर्शाया कि पूर्ण कवरेज के दावे के प्रति वास्तविकता यह थी कि 58 प्रतिशत विद्यार्थी 1998-99 के अन्त तक, योजना के कार्यान्वयन के चार वर्ष के पश्चात् भी लाभ से वंचित रहे। 80 प्रतिशत उपस्थिति के केन्द्रीय सहायता पैरामीटर का अधिकतर राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनो द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था जिससे शिक्षण जारी रखने की आवश्यकता के बिना अधिक भोजन अनुमत किया गया।

कार्यक्रम के आरम्भ होने के दो वर्षों के भीतर पका भोजन उपलब्ध करवाने के लिए स्थानीय रूप से विकसित करने हेतु अपेक्षित संस्थागत प्रबन्ध नहीं किये गये। नामांकित प्राथमिक विद्यालयी बच्चों को पका भोजन उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। मार्च 1999 के अन्त तक 11.50 करोड़ बच्चों में से केवल 2.18 करोड़ बच्चों को ही पका/संसाधित भोजन उपलब्ध करवाया जा सका। भोजन की गुणवत्ता की जांच नहीं की गई थी तथा वितरित किये गए अनाज में मिलावट के मामलों का पता चला था। इस केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के राज्यों के अपने कार्यक्रम प्रारम्भिक शैक्षिक कार्यक्रम में

अन्तरित हो जाने के कारण बचत को राज्य सरकारों को पुनर्निवेश करने की सौपाधिकता पूरी नहीं की गई थी।

नमूना जांच में खाद्यान्नों की भारी मात्रा में हानियों दुरुपयोग तथा दुर्विनियोजन का पता चला था। विशेषकर महत्वपूर्ण मामले वाहको द्वारा दुर्विनियोजन (5.80 करोड़ रु) स्टॉक कम करके लाभ की अतिरिक्त राशि को अप्राधिकृत रूप से रोके रखने (6.84 करोड़ रु.) कोटि का बदलना (4.20 करोड़ रु.), खाद्यान्नों की बाजार में बिक्री तथा पार्टियों तथा पिकनिकों के लिए बिक्री की आय का उपयोग (14.63 लाख रु.), खाद्यान्नों को डम्प करना जिससे अन्ततः क्षति हुई (2.39 करोड़ रु.) थे।

कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा को साधारण बनाने पर विचार किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए आवंटित संसाधन उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित कुल मांग से बहुत कम थे। विभाग कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी खाद्यान्नों की मात्रा के लिए भारतीय खाद्य निगम को भुगतान करने में असमर्थ था। परिणामस्वरूप भा.खा.नि.<sup>1</sup> ने राज्यों को आपूर्ति रोक दी जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों ने कम से कम उठाया। अब इस की यह दशा हो गई है कि यह कार्यक्रम असंगत बन रहा है। राज्यों को आवंटन मांग से कम पड़ जाता है तथा राज्यों द्वारा आवंटित मात्रा का उठाना भी कम हो गया है। वास्तव में 1998-99 में अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू व कश्मीर तथा दिल्ली ने आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा 10 प्रतिशत से भी कम उठाया।

योजना में विद्यालयों की वस्तु की आपूर्ति की कड़ी के साथ उत्तर दायित्व का स्पष्ट क्षेत्र निर्धारित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किये गए हैं। नैटवर्क के परिवहन तथा वितरण की कोई उपयुक्त यन्त्र रचना नहीं है। कोई भी जिम्मेवारी जुड़ी हुई नहीं थी। फलस्वरूप कार्यक्रम का फोकस नष्ट हो गया। समुदाय सहायोग कार्यान्वित नहीं हुआ जैसी कल्पना की गई थी। पर्यवेक्षण मानीटरिंग तथा मूल्यांकन की प्रणाली अप्रभावी थी। व्यापक नैटवर्क में कार्यक्रम के नोडल विषयों को जोड़ने के लिए प्रस्तावित प्रबन्ध सूचना प्रणाली आरम्भ नहीं हुई। स्वतन्त्र एजेन्सियों द्वारा कोई मॉनीटरिंग आरम्भ नहीं की गई।

कार्यक्रम की अंतिम विफलता इसके आगे रखे गए किसी उद्देश्य को पूरा न करने में थी। बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, पांडिचेरी, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा चण्डीगढ़ के राज्यों में नामाकन प्रवृत्ति ने वृद्धि के बजाए कमी दर्शाई। अवधारण स्तर बहुत खराब हो गया क्योंकि छोड़ जाने वालों की दर बहुत बढ़ गई। 1995-99 के दौरान पोषण स्तर सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि लाभभोगियों तक वास्तव में पहुंचने वाली खाद्यान्नों की प्रक्षेपित मात्रा प्रति छात्र प्रति माह 1.17 कि.ग्र. तक कम हो गई थी।

<sup>1</sup> भारतीय खाद्य निगम

## 2.1 परिचय

### 2.1.1 पृष्ठभूमि

यद्यपि शिक्षा के लिए भोजन का विचार 1982 में किया गया था परन्तु प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन प्रतिधारण को अधिक से अधिक बढ़ाने तथा छोड़ने वालों की दर को घटाने के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पौषणिक कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को आरम्भ किया गया।

15 अगस्त 1995 को प्रारम्भ किया गया राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पौषणिक सहायता कार्यक्रम, पोषण के अनुपूरक तथा प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु आहार प्रदान करने की आवश्यकता के लिए बनाए गए पूर्वगामी अनेक कार्यक्रमों के अनुसरण के तारतम्य में चलाया गया, तदनुसार शिक्षा को गरीबी उन्मूलन से जोड़ा गया। 1950 के दशक में कई राज्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहायता से 'दोपहर का भोजन कार्यक्रम' प्रारंभ किए। 1958-59 के दौरान खा.कृ. सं.<sup>2</sup>, वि.स्वा.सं.<sup>3</sup>, सं.रा.अ.ब.शि.नि.<sup>4</sup> तथा भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से एक विस्तारित पोषण कार्यक्रम चलाया गया था। जिसका बाद में अनुप्रयुक्त पोषण कार्यक्रम के रूप में विस्तार किया गया। 1982 में खा.कृ.सं. वस्तु सहायता के साथ 'शिक्षा के लिए भोजन' का विचार किया गया था। 1983 में, भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक योजना तैयार की। इस प्रस्ताव को राज्य सरकारों से एक रूप स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। 1984-85 में सारे देश के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए दोपहर के भोजन हेतु एक केन्द्रीय सरकार सहायता कार्यक्रम पर पुनः विचार किया गया था। इस कार्यक्रम में एक गरीबी विरोधी उपाय के रूप में प्राथमिक शिक्षा को पौषणिक सहायता का व्यापक औचित्य निर्धारित था जो कि नामांकन में वृद्धि करेगा, छोड़ जाने वालों की दर को घटाएगा तथा भविष्य में मानव संसाधन में निवेश करते समय परिवार का भोजन भार कम करेगा। योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों का एक रूप तैयार किया। तथापि, संसाधनों के दबाव के कारण कार्यक्रम प्रवर्तित नहीं किया जा सका। इसको ए.बा. वि.से.<sup>5</sup> के विद्यालय पूर्व प्रपत्र में 1988 में पुनर्जीवित किया गया था। 1990-91 तक, 17 राज्य (अनुबन्ध-I) उनके अपने संसाधनों से ही दोपहर के भोजन का कार्यक्रम चला रहे थे। परन्तु जब अगस्त 1995 में केन्द्रीय कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया, उनमें से आठ कार्यक्रम बन्द कर चुके थे तथा तीन राज्यों/सं.शा.क्षे. ने अपने कार्यक्रम प्रारंभ कर चुके थे। इस प्रकार, जब केन्द्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ, 12 राज्य/सं.शा.क्षे. पहले ही कार्यक्रम चला रहे थे। राज्य कार्यक्रम के अन्तर्गत विस्तार से संबंधित कोई विवरण उपलब्ध नहीं थे। केन्द्रीय सहायता के मापदण्ड अभी बनाए जाने थे। अन्ततः कार्यक्रम मार्च 1995 में वित्त मंत्री के बजट भाषण के द्वारा केन्द्रीय योजना के रूप में प्रारंभ किया गया था। दोपहर के भोजन की योजनाओं के क्रमबद्ध विस्तार में भाग लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के निर्णय को क्रियात्मक रूप देने हेतु योजना तैयार करने के लिए 19 अप्रैल 1995 को शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट मई 1995 में प्रस्तुत की तथा कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को प्रारम्भ किया गया था।

इससे पूर्व राज्यों के अपने कार्यक्रमों का दिल्ली, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पांडिचेरी में लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण किया गया था। निष्पादन पुनरीक्षणों में अनाच्छादित विद्यालयों, भोजन में कम उष्मीय मात्रा, पेय जल की अनुपलब्धता, पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा अनुश्रवण आदि में शिथिलता से संबंधित गम्भीर त्रुटियों को इंगित किया गया था। निम्नलिखित से यह देखा जाएगा कि कार्यक्रम की वृद्धि में कमियां जारी रहीं जिन्होंने उद्देश्यों पर विपरीत प्रभाव डाला।

<sup>2</sup> खाद्य तथा कृषि संगठन

<sup>3</sup> विश्व स्वास्थ्य संगठन

<sup>4</sup> संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा निधि

<sup>5</sup> एकीकृत बाल विकास सेवा



### 2.1.2 कार्यक्रम के उद्देश्य

प्राथमिक शिक्षा पौषणिक सहायता कार्यक्रम के उद्देश्य दोहरे हैं :

- प्राथमिक विद्यालय (कक्षा I से V) के बच्चों की पौषणिक सहायता करते समय नामांकन बढ़ाना, प्रतिधारण सुनिश्चित करना तथा छोड़ने वाले बच्चों की दर को कम करना,
- अधिक विस्तार के द्वारा तथा राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों के प्रयासों को बढ़ा कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करना।

ध्यान देने से पता चलता है कि दूसरा उद्देश्य एक पृथक उद्देश्य न हो कर केवल पहले उद्देश्य का ही परिणाम है। पहले उद्देश्य के निम्नलिखित दो भाग हैं :

- (1) नामांकन बढ़ाना, प्रतिधारण सुनिश्चित करना तथा छोड़े जाने वालों की दर कम करना तथा
- (2) प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पौषणिक सहायता प्रदान करना।

### 2.1.3 रणनीति

कार्यक्रम रणनीति तीन प्रमुख संयोजनों पर अवलंबित थी:

- (क) प्राथमिक विद्यालय पौषणिक सहायता विद्यालय-पूर्व स्तर पर ए.बा.वि.से. के क्रम में होगी।
- (ख) यह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की सम्पूर्ण विषय वस्तु का भाग होगी ;
- (ग) योजना को वस्तु सहायता प्रदान करना तथा लाभभोगियों को प्रोत्साहन देना, राज्य सरकारों की दोपहर के भोजन की वर्तमान योजना में हस्तक्षेप करना होगा, तथा उन राज्यों को बचत किए गए व्यय को प्राथमिक शिक्षा के अन्य कार्यक्रमों में स्थानान्तरित कर देना चाहिए।

### 2.2 पुनरीक्षण का कार्यक्षेत्र

कार्यक्रम राज्य सरकारों तथा संघशासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से वस्तु आवश्यकता को पूरा करना है। इस प्रकार, लेखापरीक्षा पुनरीक्षण का क्षेत्र आबंटन की संवीक्षा, खाद्यान्नों की उठाई तथा वितरण को सम्पन्न करता है। इसमें निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा कार्यक्रम के वास्तविक निष्पादन तथा कार्यक्रम द्वारा अपेक्षित परिणाम की अन्ततः प्राप्ति की जांच भी शामिल है। पुनरीक्षण में कार्यक्रम प्रबन्धन की गुणवत्ता का निर्धारण भी शामिल है। पुनरीक्षण 1995-96 से 1998-99 का समय आवृत्त करता है। अगस्त 1995 में प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का मार्च 1998 तक व्यापक विस्तार हो जाना था।

### 2.2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रारंभ करने से पहले निम्नलिखित विशिष्ट लेखापरीक्षा उद्देश्य परिभाषित किए गए थे :

- नामांकन, प्रतिरोधन तथा छोड़ जाने पर प्रभाव।
- कार्यक्रम प्राप्ति की सीमा
- लाभभोगियों का अनुमान तथा खाद्यान्नों का आबंटन
- खाद्यान्नों की ढुलाई तथा वितरण
- प्रभारों का भुगतान
- वितरित किए गए खाद्यान्नों की गुणवत्ता
- लाभभोगियों का विस्तार
- ढुलाई तथा वितरण में त्रुटियां तथा लाभभोगियों का विस्तार
- समाज की भागीदारी की सीमा

### 2.2.2 पुनरीक्षण कार्यप्रणाली

कार्यक्रम ने योजनाबद्ध आरूप का अनुसरण नहीं किया। जिला समाहर्ता को खाद्यान्नों की व्यवस्था, ढुलाई तथा स्थानीय समितियों के माध्यम से विद्यालयों को वितरण का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। स्थानीय निकायों को देखभाल तथा विद्यार्थियों को खाद्यान्नों के वितरण से तैयार भोजन व्यवस्था में संभावित परिवर्तन के लिए संस्थागत प्रबन्ध करने को लेखापरीक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा निधिगत एवं शासित विद्यालय तथा समाहर्ता कार्यालयों में नामित कार्यालय शामिल थे। सम्बन्धित राज्यों के महालेखाकारों ने निरूपक व्यापकता पर आधारित नमूनों का चयन किया।

### 2.2.3 व्यवरोध

आंकड़ों की गुणवत्ता में बहुत सुधार की आवश्यकता थी। राज्यों द्वारा दिए गए आंकड़े, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों से प्रायः भिन्न थे।

लेखापरीक्षा को सूचना की प्रतिपरीक्षा तथा मामलों के आकस्मिक नमूनों से उपलब्ध सीमित आंकड़ा पुष्टीकरण अवसर पर विश्वास करना पड़ा।

### 2.3 कार्यक्रम: केन्द्रीय सहायता का पैरामीटर

- केन्द्र का हिस्सा नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर भा. खा.नि. गोदामों में अपेक्षित मात्रा में खद्यान्न उपलब्ध करवाकर प्राथमिक शिक्षा को पोषणिक सहायता कार्यान्वित करने की लागत तक सीमित है।
- प्रत्येक राज्य की खाद्यान्नों में उपयुक्त अवसंरचना तथा वितरण प्रणाली सहित अपनी स्वयं की योजना होगी तथा वो राज्य भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित विकल्प के अधीन केन्द्रीय सहायता के पात्र होंगे।
- पोषण सहायता के चल रहे कार्यक्रम भी इन पैरामीटरों के अधीन केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र होंगे।
- गांव/विद्यालय में खाद्यान्नों के परिवहन तथा सुपुर्दगी तथा विभिन्न गर्म भोजन के मामले में माइक्रो पौष्टिक भोजनों को पकाने, परोसने तथा आपूर्त करने के प्रबन्धों को सुनिश्चित करके केन्द्रीय प्रयास को बढ़ाने वाले राज्य।
- राज्यों को केन्द्रीय सहायता भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पैरामीटरों तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए किए जा रहे संतोषजनक प्रबन्ध के अनुरूप सर्शत दी गई थी।
- खाद्यान्नों के आबंटन के मुख्य सिद्धान्त ये थे :
  - आबंटन की इकाई ज़िला माना जायेगा
  - भारत सरकार द्वारा आबंटन प्रत्येक तिमाही में एक बार किया जाएगा
  - प्रारंभिक आबंटन 1993-94 की तिथि को अनुक्रमांक तथा अस्सी प्रतिशत उपस्थिति की औसत पर आधारित एक तिमाही के लिए होगा।
  - एक राज्य में योजना के आरंभ होने की दूसरी तिमाही से तिमाही आबंटन भा.खा.नि. से प्राप्त कुल खरीद के आंकड़ों तथा राज्यों से प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र तथा अनुक्रमांक आंकड़ों पर आधारित होगा।
- शिक्षा विभाग, भारत सरकार में कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख संस्था थी; राज्य सरकारों को शिक्षा विभाग को प्रमुख संस्था के रूप में प्राथमिकता देते हुए एक उपयुक्त विभाग के रूप में पदनामित किया जाना था।

### 2.4. संसाधनों का आबंटन

#### 2.4.1 बजटीय नियंत्रण

कार्यक्रम बजटीय नियंत्रणों के कारण ठीक से चल नहीं पा रहा है/योजना के लिए आबंटित खाद्यान्नों की मात्रा तथा बजट में वित्तीय प्रावधान के बीच कोई संयोजन नहीं है। इससे योजना की प्रगति में काफी बाधा उत्पन्न हुई है। निम्नलिखित तालिका प्रत्येक वर्ष में लक्षित कवरेज, बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमानों के लिए निधियों की आवश्यकता के आंकड़े दर्शाती है :



## वित्तीय आबंटन

(करोड़ रु. में)

	आवश्यकता	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1995-96	--	--	611.79
1996-97	1400.00	1400.00	800.00
1997-98	2300.00	960.00	1070.00
1998-99	2700.00	1092.15	1600.15

टिप्पणी : योजना अगस्त 1995 में आरंभ की गई थी; 1995-96 में निधियों के प्रावधान संशोधित अनुमानों में किए गए थे।

निधियों की निरन्तर कमी के कारण केन्द्रीय सरकार अब योजना को छोटा करने/भार निष्कासित करने विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है।

मंत्रालय ने भा.खा.नि. को खाद्यान्नों की आपूर्ति के प्रति राज्यों/सं.रा.क्षे. द्वारा उठाई गई मात्रा के साथ उसकी दुतरफा जांच किए बिना भुगतान किया।

## 2.4.2 भा.खा.नि. को भुगतान

(क) चूंकि मंत्रालय ने, भा.खा.नि., द्वारा राज्यों/संघ क्षेत्र प्रशासनों को खाद्यान्नों की आपूर्तियों के संबंध में किए गए दावों की सच्चाई की उनसे प्राप्त विवरणों के साथ दुतरफा जांच नहीं की इसलिए यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं हुआ कि क्या किए गए सभी भुगतान वास्तव में भा.खा.नि. को देय थे। भा.खा.नि. को किए गए भुगतानों के वर्षवार ब्यौरे निम्नानुसार थे :

(करोड़ रु. में)

वर्ष	भा.खा.नि. से प्राप्त बिल	इन बिलों के प्रति भा.खा.नि. को किए गए भुगतान
1995-96	407.03	441.21
1996-97	895.41	537.67
1997-98	1714.00	1004.09
1998-99	1349.10	1574.84
आवर्ती निधि	300.00	300.00
जोड़	4665.54	3857.81

(ख) 1995-96 में विभाग ने कार्यक्रम को आबंटित संसाधनों में बचत को टालने के लिए भा.खा.नि. को परिवहन प्रभारों के रूप में 34.18 करोड़ रु. के अधिक भुगतान किए। मंत्रालय ने मई 1999 में बताया कि चूंकि जि.ग्रा.वि.ए. से 1995-96 के दौरान परिवहन प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावे प्राप्त नहीं हुए थे इसलिए भा.खा.नि. को सभी भुगतान 'लेखे पर' भुगतानों के रूप में किए गए थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि परिवहन प्रभार जि.ग्रा.वि.ए. को देय थे न कि भा.खा.नि. को। 1995-96 में भा.खा.नि. के दावों से अधिक 34.18 करोड़ रु. का भुगतान (407.03 करोड़ रु. के दावे के प्रति 441.21 करोड़ रु.) गलत था।

शिक्षा विभाग ने सभी लक्षित लाभभोगियों को आवृत करने का विचार नहीं किया क्योंकि कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार 3 किग्रा. प्रति विद्यार्थी प्रति मास के प्रति 2.14 किग्रा. से 2.85 किग्रा. खाद्यान्न आबंटित किए गए थे।

## 2.5. वस्तु सहायता

### 2.5.1 निम्नतर आबंटन

योजना में 1995-96, 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 वर्षों के दौरान क्रमशः 3.34 करोड़, 5.57 करोड़, 9.10 करोड़ तथा 9.79 करोड़ विद्यार्थी लाभभोगी थे। मंत्रालय को एक वर्ष में 10 शैक्षिक मासों के लिए 3 कि.ग्रा. प्रति विद्यार्थी प्रति मास की दर पर खाद्यान्नों का आबंटन करना अपेक्षित था जबकि वर्षवार वास्तविक आबंटन तथा राज्य/सरकार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उठाई गई मात्रा निम्न प्रकार थी :

वर्ष	विद्यार्थी लाभभोगियों की सं.	आबंटित खाद्यान्नों की मात्रा	उन विद्यार्थियों की संख्या जो एक वर्ष में 10 शैक्षिक मासों के लिए 3 कि.ग्रा. प्रति विद्यार्थी प्रति मास की दर पर आवृत किए जा सके	उन खाद्यान्नों की मात्रा जो खाद्यान्नों के आबंटन के आधार पर एक वर्ष में 10 शैक्षिक मासों के लिये प्रति मास प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उपलब्ध होगी	उठाया जाना	उन खाद्यान्नों की मात्रा जो खाद्यान्नों के उठाए जाने के आधार पर विद्यार्थियों को एक वर्ष में 10 शैक्षिक मासों के लिए प्रति मास उपलब्ध कराया जा सका
	(करोड़ में)	(टनों में)	(करोड़ में)	(किलोग्राम में)	(टनों में)	(किलोग्राम में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1995-96	3.34	713347	2.38	2.14	536016	1.60
1996-97	5.57	1585652	5.29	2.85	1112489	2.00
1997-98	9.10	2567636	8.56	2.82	1808827	1.99
1998-99	9.79	2715274	9.05	2.77	1147047	1.17

इस प्रकार, यदि सभी विद्यार्थियों को खाद्यान्नों का पूरा कोटा दिया जाता तो विभाग उसके द्वारा लक्षित सभी लाभभोगियों को आवृत करने के लिए कभी कोई विचार नहीं करता। यह माना जाए कि सभी विद्यार्थियों को खाद्यान्न या पकाया हुआ भोजन दिया गया था। तो भी प्रत्येक विद्यार्थी को 1995-99 वर्षों के दौरान एक वर्ष में 10 शैक्षिक मास के लिए प्रति मास केवल 2.14 किग्रा. से 2.85 किग्रा. खाद्यान्नों की आपूर्ति हेतु आबंटित मात्रा पर्याप्त थी।

राज्य सरकार की खाद्यान्नों के कम आबंटन को उठाने में असमर्थ होने से विद्यार्थियों के लिए 1.17 किग्रा. प्रति मास तक खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और घट गई। पिछले वर्ष अर्थात् 1998-99 के दौरान खाद्यान्न उठाने का कार्य निष्पादन बहुत घटिया था जिसके दौरान प्रत्येक विद्यार्थी को 1.17 किग्रा. की आपूर्ति हेतु ही पर्याप्त थी।

इससे अधिक क्या हो कि उठाई गई समस्त मात्रा का वास्तव में विद्यार्थियों को पौषणिक सहायता देने के उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि खाद्यान्नों की भारी मात्रा विपथित/लापता हो गई थी। इस प्रकार, खाद्यान्नों की वास्तविक उपलब्धता वास्तव में उठाए गए खाद्यान्नों के आधार पर परिकलित औसत से अपेक्षाकृत कम थी।

## 2.5.2 अनाज कम उठाना

राज्य सरकारों ने आबंटित अनाज को पूरा नहीं उठाया। आरम्भ में यह आबंटन के प्रति 70 प्रतिशत था जो 1998-99 में गिर कर 47 प्रतिशत रह गया।

कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों ने प्राथमिक विद्यालय में एक वर्ष में 10 एकादमी माह के लिए कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करने वाले प्रति छात्र प्रति माह 3 किग्रा. की दर से कुल छात्रों की संख्या के आधार पर भारत सरकार द्वारा किये गए आबंटन के अनुसार भा.खा.नि. के निकटतम गोदाम/डिपो से अनाज उठाना था। सम्बद्ध जिलों में उनके प्रत्येक विद्यालय की मांग के अनुसार वितरण हेतु विद्यालयों को अनाज पहुंचाने के लिए जिला समाहर्ता उत्तरदायी थे। उप पैराग्राफ 5.1 में तालिका के कालम 3 एवं 6 से 1995-99 के दौरान आबंटन के संदर्भ में अनाज के उठाने की स्थिति का पता चलेगा। आबंटन तथा अनाज उठाने की मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई राज्य-वार स्थिति अनुबन्ध-2 में दी गई है।

निम्नलिखित तालिका आबंटित अनाज के प्रति कम उठाने की प्रतिशतता को दर्शाती है :

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनाज के आबंटन के प्रति उठाने में कमी की प्रतिशतता			
		1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
1.	आन्ध्र प्रदेश	--	12.41	5.89	27.74
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.68	100	79.57	94.96
3.	असम	9.25	71.85	60.00	92.98
4.	बिहार	53.70	71.41	76.19	92.89
5.	गुजरात	37.14	46.08	76.53	63.90
6.	हरियाणा	--	12.92	22.07	41.49
7.	हिमाचल प्रदेश	5.65	4.73	11.80	39.76
8.	जम्मू व कश्मीर	44.77	29.51	51.72	92.68
9.	कर्नाटक	23.38	32.47	15.94	44.02
10.	केरल	--	--	3.19	10.48
11.	मध्य प्रदेश	10.96	20.33	25.76	उ.न.
12.	महाराष्ट्र	26.66	21.73	13.36	19.63
13.	मणिपुर	13.16	67.79	13.41	36.82
14.	मेघालय	10.56	33.47	27.82	71.64
15.	मिजोरम	5.75	--	--	30.00
16.	नागालैंड	33.00	--	--	3.00
17.	उड़ीसा	35.00	23.00	14.00	--
18.	पंजाब	17.00	19.00	59.00	70.00
19.	राजस्थान	11.00	45.00	24.00	उ.न.
20.	सिक्किम	6.60	36.00	16.00	53.00
21.	तमिलनाडु	--	6.00	10.00	37.00
22.	त्रिपुरा	20.00	25.00	48.00	उ.न.
23.	उत्तर प्रदेश	16.25	4.00	3.55	40.52
24.	पश्चिम बंगाल	26.59	23.00	12.00	69.00
25.	अं. एवं निकोबार द्वीपसमूह	41.00	60.00	20.00	30.00

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनाज के आबंटन के प्रति उठाने में कमी की प्रतिशतता			
		1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
26.	चण्डीगढ़	68.39	72.00	63.00	74.68
27.	दादरा एवं नगर हवेली	--	60.00	10.36	30.78
28.	दिल्ली	84.00	48.00	57.00	91.00
29.	पाण्डिचेरी	78.00	20.00	2.50	31.00
	<b>औसत प्रतिशतता</b>	<b>30.14</b>	<b>37.14</b>	<b>30.24</b>	<b>53.14</b>

उ.न. = उपलब्ध नहीं।

-- = कोई कमी नहीं को दर्शाता है।

राज्यों, को आबंटित अनाज तथा उनके द्वारा अनाज उठाने में कमी की प्रतिशतता के साथ उठाने का राज्य-वार, वर्ष-वार विवरण अनुबन्ध-3 में दिया गया है।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि लगभग सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा वर्षानुवर्ष अनाज उठाने में घटती हुई प्रवृत्ति थी।

राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा अनाज की राष्ट्र व्यापी औसत उठाई योजना के आरम्भ में केवल 70 प्रतिशत थी जो कि 1998-99 में गिर कर 47 प्रतिशत रह गई थी।

लगातार कम उठाने के लिए कारणों की अगली जांच के पता चला कि जिला प्राधिकारी अधिकतर मामलों में नामांकन तथा उपस्थिति आंकड़े तैयार नहीं कर सके जो कि आबंटन हेतु अनाज की मात्रा की गणना करने का मूल आधार बनता था।

### 2.5.3 अन्य टिप्पणियां

#### (क) अनाज उठाने के अविश्वसनीय आंकड़े

उत्तर प्रदेश सरकार ने 1995-96 से 1998-99 के दौरान, भा.खा.नि. द्वारा 978761 टन अनाज के वास्तविक निर्गम के प्रति 986115 टन अनाज उठाने की सूचना दी जो कि प्रमाणिक रूप से असम्भावित था।

#### (ख) आदेश से अधिक आबंटन

भा.खा.नि. ने उत्तर प्रदेश को भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को आबंटित किये गए अनाज से 2.56 करोड़ रु. के मूल्य का 5541 टन अधिक अनाज जारी किया।

#### (ग) अनाज न उठाना

मन्त्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार लक्षद्वीप (1995-99 में) अरुणाचल प्रदेश (1996-97 में) जम्मू व कश्मीर, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा पाण्डिचेरी (1997-99) की राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों ने प्रत्येक के प्रति उल्लिखित अवधियों के दौरान आबंटित 45769 टन में से अनाज बिलकुल भी नहीं उठाया गया।

पांच राज्यों/सं.रा.  
क्षे. जिन्हें 45769  
टन अनाज  
आबंटित किया  
गया था ने अनाज  
बिलकुल नहीं  
उठाया।



## 2.6. अनाज का परिवहन

छात्रों में वितरित करने के लिए लाभभोगी विद्यालयों को आगे भेजने के लिए जिला समाहर्ता के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत जि.ग्रा.वि.ए. द्वारा अनाज भा.खा.नि. के समीप के गोदाम से उठाया जाना था।

**2.6.1** अनाज उठाने के परिवहन प्रभार सम्बद्ध जि.ग्रा.वि.ए. को मन्त्रालय द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य हैं। पुनरीक्षण से परिवहन प्रबन्धों के कार्यों में बहुत सी अनियमितताओं का पता चला। यह परिवहन के अधोद्वन, अधिक बिल बनाने क्षति तथा दुर्विनियोजन के मामले भी प्रकाश में आये जिसके परिणामस्वरूप 19.59 करोड़ रु. की हानि हुई जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है।

### 2.6.1.1 तमिलनाडु

अधिक परिवहन प्रभार-1.07 करोड़ रु.

परिवहन प्रभारों की प्रतिपूर्ति 25 रु. प्रति क्विंटल तथा जून 1997 से 50 रु. प्रति क्विंटल की सीमा तक थी वशर्ते कि यह वास्तविक प्रभार से अधिक न हो। 29 क्षेत्रों में से 12 के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि मन्त्रालय ने उन्हें 1.47 करोड़ रु. के वास्तविक व्यय पर प्रतिबंधित किये बिना 2.54 करोड़ रु. के दावे स्वीकार किये। इसके परिणामस्वरूप जून 1997 से मार्च 1998 की अवधि के दौरान 1.07 करोड़ रु. के परिवहन प्रभारों का अधिक भुगतान हुआ।

### 2.6.1.2 हिमाचल प्रदेश

(क) परिवहन लागत बचत बैंक खाते में जमा करवाई गई

निदेशक प्राथमिक शिक्षा सोसायटी ने परिवहन प्रभारों की राशि की जि.ग्रा.वि.ए. को प्रतिपूर्ति करने की बजाय 27.43 लाख रु. बैंक खाते में जमा करा दिये।

भारत सरकार ने अगस्त 1995 से मार्च 1997 की अवधि के दौरान अनाज की परिवहन लागत के लिए 31.67 लाख रु. जि.ग्रा.वि.ए. को प्रतिपूर्ति करने की बजाए निदेशक प्राथमिक शिक्षा समिति को प्रतिपूर्ति किये। निदेशक ने राशि सम्बद्ध जि.ग्रा.वि.ए. को जारी करने की बजाए सम्पूर्ण राशि हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षा समिति के बचत बैंक खाते में जमा करवा दी। भारत सरकार के निर्देश पर 31.67 लाख रु. में से केवल 4.24 लाख रु. कुल्लू तथा सोलन के दो जिला समाहर्ताओं को परिवहन प्रभारों के लिए भुगतान किये गए तथा 27.43 लाख रु. की शेष राशि बचत बैंक खाते में जमा रही।

(ख) परिवहन प्रभारों की अधिक प्रतिपूर्ति-6.58 लाख रु.

विभाग ने अगस्त 1995 से मार्च 1997 के दौरान 26268 क्विंटल चावल के परिवहन के लिए भेजे गए दावे के आधार पर, यह सत्यापित किये बिना कि उन्हें राशि की वास्तव में अदा कर दी गई थी, बिलासपुर, चम्बा, सिरमौर, सोलन तथा उना जिले के 5 जि.ग्रा.वि.ए. को 6.58 लाख रु. के अधिक परिवहन प्रभारों का भुगतान किया। दिसम्बर 1999 तक अधिक भुगतान की वसूली नहीं हुई थी।



(ग) वास्तविक लागत के सन्दर्भ के बिना परिवहन प्रभारों की प्रतिपूर्ति

बिलासपुर, मण्डी तथा सिरमौर के जिलों में वास्तविक परिवहन प्रभार 25 रु. तथा 50 रु. प्रति क्विंटल की सीमा से कम थे। फिर भी जि.ग्रा.वि.ए. को परिवहन पर वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रतिबन्ध लगाए बिना 25 रु. तथा 50 रु. प्रति क्विंटल की समान दर पर भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप मई 1996 तथा मार्च 1998 के बीच 4.16 लाख रु. का अधिक भुगतान हुआ।

(घ) आबंटित मात्रा पर परिवहन प्रभारों की प्रतिपूर्ति - 3.95 लाख रु

मंत्रालय ने जि.ग्रा.वि.ए. को अगस्त 1995 तथा मार्च 1997 के बीच वास्तव में वाहित 1.11 लाख क्विंटल चावल के प्रति 1.27 लाख क्विंटल चावल के खाद्यान्नों की आबंटित मात्रा की प्रतिपूर्ति की। इसके परिणामस्वरूप 3.95 लाख रु का अधिक भुगतान किया गया।

2.6.1.3 राशन कार्डों के मुद्रित कराने की लागत की प्रतिपूर्ति: कर्नाटक

कर्नाटक सरकार ने राशन कार्डों के मुद्रण पर 50.77 लाख रु खर्च किए जो कि योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाने वाली प्रतिपूर्ति के अन्दर नहीं आता था। राशि की जांच के बिना वाहन लागत के रूप में प्रतिपूर्ति की गई थी।

2.6.1.4 सीमान्त लाभ तथा कमीशन का अनियमित भुगतान-2.56 करोड़ रु : असम

रा.स.वि.उ.सं. लि.<sup>6</sup> ने असम में भा.खा.नि. से विद्यालयों तक खाद्यान्नों के परिवहन प्रभारों के अतिरिक्त, 3.80 करोड़ रु की अतिरिक्त परिवहन लागत, सीमान्त लाभ तथा कमीशन का दावा किया, जिसमें से अप्रैल 1999 तक 2.56 करोड़ रु का भुगतान कर दिया गया था। यह ग्राह्य नहीं था।

2.6.2 परिवहन तथा सरकारी वितरण एजेंसियों द्वारा 12.64 करोड़ रु मूल्य के 1.40 लाख क्विंटल खाद्यान्नों का दुर्विनियोग

12.64 करोड़ रु की लागत के 1.40 लाख क्विंटल खाद्यान्नों का ट्रांसपोर्टों तथा वितरण एजेंसियों द्वारा दुर्विनियोग किया गया।

1995-98 के दौरान परिवहन ठेकेदारों तथा एजेंटों के नमूना जांच किए गए पांच राज्यों के जिलों में भा.खा.नि. के गोदामों से 1.40 लाख क्विंटल खाद्यान्न उठाए परन्तु उन्हें वितरण करने वाले स्थानों पर नहीं पहुंचाया तथा 12.64 करोड़ रु की लागत के खाद्यान्नों का दुर्विनियोग किया जिससे 4.66 लाख विद्यार्थी कार्यक्रम के लाभों से वंचित रहे। राज्य-वार स्थिति नीचे दी गई है:

(क) असम में ट्रांसपोर्टों तथा जिला अधिकारियों के मध्यस्थों ने 3 कि.ग्रा. के कोटे से सीमान्त लाभ के रूप में 250 ग्रा. से 500 ग्रा. खाद्यान्न अप्राधिकृत रूप से अपने पास रख लिए

<sup>6</sup> राज्य सहकारी विपणन तथा उपभोक्ता संघ लि.

(इसका योजना में कोई प्रावधान नहीं था) जिसके परिणामस्वरूप 6.84 करोड़ रु मूल्य के 75534 क्विंटल खाद्यान्नों जो लाभभोगियों के पास नहीं पहुंचे थे, की हानि हुई।

(ख) अरुणांचल प्रदेश में भा.खा.नि. से उठाए गए 46.89 लाख रु मूल्य के 5531 क्विंटल चावलों का विद्यालयों में वितरण नहीं किया जा सका क्योंकि वह संबंधित जिला नामितियों द्वारा संबंधित ब्लॉकों को वितरित नहीं किया गया था। कलक्टरों द्वारा जिला नामितियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

(ग) महाराष्ट्र में, खाद्यान्न निजी परिवहन ठेकेदारों द्वारा उठाए गए थे जिन्होंने 1995-96 से 1997-98 के दौरान नमूना जांच किए गए तीन जिलों (पुणे, शोलापुर तथा थाणे) में 3.73 करोड़ रु, मूल्य के 41551 क्विंटल खाद्यान्न उठाए, परन्तु उन्हें उनके वितरण करने वाले स्थानों पर पहुंचाने के बजाए समस्त मात्रा का दुर्विनियोग किया, जिससे इन जिलों में 13.25 लाख विद्यार्थियों को कार्यक्रम का लाभ नहीं मिल पाया। इसके अतिरिक्त, ठेकेदारों से खाद्यान्नों की लागत के रूप में 3.73 करोड़ रु वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

(घ) नागालैंड में स्टाकिस्टों/वाहन ठेकेदारों द्वारा उठाए गए 32.90 लाख रु मूल्य के 3133 क्विंटल चावल उनके द्वारा 1996-97 से 1998-99 के दौरान वितरित नहीं किए गए थे। लागत को वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

(ड) (i) उत्तर प्रदेश में, आठ जिलों के 38 ब्लॉकों में 1131 प्राथमिक विद्यालयों के मुख्याध्यापकों ने सूचित किया कि वितरित कर दिए गए दर्शाए गए 1.18 करोड़ रु मूल्य के 12695 क्विंटल खाद्यान्न 1995-96 से 1998-99 के दौरान राज्य सरकार द्वारा वास्तव में वितरित नहीं किए गए थे।

(ii) उत्तर प्रदेश के खाद्य तथा आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों ने 1997-98 में 9.41 लाख रु मूल्य के 1219 क्विंटल का दुर्विनियोग किया। दुर्विनियोग के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति कार्यवाही नहीं की गई थी।

### 2.6.3 खाद्यान्नों की क्षति

दो राज्यों-महाराष्ट्र (1.22 करोड़ रु) तथा नागालैंड (1.17 करोड़ रु) में 2.39 करोड़ रु लागत के खाद्यान्नों का वितरण नहीं किया जा सका क्योंकि वे खराब हो गए थे।

(क) 1996-97 के दौरान महाराष्ट्र के थाणे जिले में, 1.22 करोड़ रु मूल्य के 15380 क्विंटल अखाद्य मिलावटी खाद्यान्न ठेकेदार द्वारा विद्यालयों को वितरित किए गए थे। मिलावटी खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए उत्तरदायित्व नियत नहीं किया गया था।

(ख) नागालैंड सरकार ने जि.ग्रा.वि.ए. के माध्यम से खाद्यान्नों के परिवहन के बजाए खाद्यान्नों के परिवहन हेतु एजेंट नियुक्त किए। एजेंटों ने दिसम्बर 1995 से मार्च 1996 के दौरान दीमापुर में भा.खा.नि. के गोदाम से 14,600 क्विंटल चावल उठाया तथा स्टॉक को 17 महीने तक अपने गोदामों में रखा जहां घटिया भण्डारण प्रणाली के कारण समस्त स्टॉक खराब हो गया था, जो कि बाद में मानव उपभोग हेतु सही नहीं पाया गया था। राज्य अधिकारियों ने

1.22 करोड़ रु लागत के 15380 क्विंटल अखाद्य तथा मिलावटी खाद्यान्न विद्यालयों को वितरित किए गए थे।

1.17 करोड़ रु लागत के 14600 क्विंटल चावल जो ठेकेदारों के गोदामों में खराब हो गए थे, घटी दरों पर बेचे गए थे जिसके कारण 62.05 लाख रु की हानि हुई। 54.75 लाख रु की विक्रय आय खेलकूद की वस्तुओं, वार्षिक पिकनिकों, खेलकूद, चाय तथा नाश्ते के लिए इस्तेमाल की गई थी।

बताया कि प्राप्त चावल, नागालैंड राज्य में योजना के कार्यान्वयन को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण वितरित नहीं किया जा सका। खराब खाद्यान्नों के बाद में घटी दरों पर बेचा गया जिसमें 62.05 लाख रु की हानि हुई।

1.17 करोड़ रु मूल्य के खराब चावल की घटी दरों पर की गई बिक्री से प्राप्त 54.75 लाख रु का नामित अधिकारियों (जि.क./स.क.) द्वारा वर्ष 1998-99 में खेलकूद की वस्तुओं, वार्षिक पिकनिक, खेलकूद, चाय तथा नाश्ते आदि की खरीद के लिए उन्हें इस्तेमाल करके फिर दुरुपयोग किया गया था।

राज्य सरकार के अतिरिक्त विद्यालय निदेशक ने भारत सरकार को हानि की सूचना नहीं दी।

## 2.7 खाद्यान्नों का वितरण

कार्यक्रम का लक्ष्य एक वर्ष में दस शैक्षिक महीनों के लिए सरकारी, स्थानीय निकायों तथा सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्राथमिक श्रेणियों ( I से V ) के सभी बच्चों को स्कूल दिनों में निःशुल्क 100 ग्राम गेहूं/चावल के बराबर केलोरियुक्त पौष्टिक तथा स्वास्थ्यकर पका हुआ भोजन/संसाधित भोजन प्रदान करना था। तथापि, अन्तरिम अवधि में 3 कि.ग्रा. प्रति मास प्रति विद्यार्थी की दर से खाद्यान्न उन विद्यार्थियों को वितरित किए जाने थे जिनकी मास के दौरान न्यूनतम 80 प्रतिशत उपस्थिति हो।

कार्यक्रम में विद्यार्थियों को खाद्यान्नों/पके हुए भोजन के वितरण हेतु किसी नियन्त्रण तन्त्र का प्रावधान नहीं है तथा उसमें सिर्फ यही प्रावधान है कि योजना का ग्राम पंचायतों जैसी स्थानीय निकायों की समिति द्वारा निरीक्षण का ही प्रावधान है। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि स्थानीय संस्थाओं पर सरकार के विश्वास को धक्का लगा था क्योंकि दस राज्यों में किसी भी समिति का गठन नहीं किया गया था। समितियों के अभाव में, खाद्यान्नों का वितरण काफी कम हो गया था। राज्यों में वितरण में निम्नलिखित त्रुटियां देखी गई थी।

### 2.7.1 विपथन

खाद्यान्नों का गैर योजना प्रयोजनों हेतु उपयोग-31.07 करोड़ रु.

लेखापरीक्षा में 12 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, यह देखा गया था कि 31.07 करोड़ रु. मूल्य के 38274.45 टन खाद्यान्न उन विभिन्न अन्य प्रयोजनों हेतु इस्तेमाल किए गए थे जो योजना के अन्तर्गत नहीं आते थे।

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्नों के इन विपथनों के विवरण नीचे दिए गए हैं :

चार राज्यों में 21.62 करोड़ रु. लागत के 25707.70 टन खाद्यान्न कक्षा I से कक्षा V के अतिरिक्त अन्य विद्यार्थियों को वितरित किए गए थे

(क) केरल में, योजना के प्रावधानों की उपेक्षा करते हुए ओणम, क्रिसमस तथा रमजान के त्यौहारों के दौरान कक्षा VI तथा कक्षा VII के विद्यार्थियों को 5 कि.ग्रा. प्रति विद्यार्थी की दर पर 16.90 करोड़ रु. लागत के 189020 क्विंटल खाद्यान्न वितरित किए गए थे।

गुजरात में (55000 क्विंटल) तथा तमिलनाडु में (12838 क्विंटल) कुल मिलाकर 4.70 करोड़ रु. मूल्य के कुल 67838 क्विंटल खाद्यान्न कक्षा VI से कक्षा VIII के विद्यार्थियों को वितरित किए गए थे जो कि योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं थे।

हिमाचल प्रदेश में अगस्त 1995 से फरवरी 1999 के दौरान 2.17 लाख रुपये मूल्य के 219 क्विंटल खाद्यान्न पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के 297 विद्यार्थियों को वितरित किये गए जो योजना में सम्मिलित नहीं थे।

(ख) निजी विद्यालयों के बच्चों को खाद्यान्नों का वितरण

छः राज्यों में 4389 क्विंटल खाद्यान्न निजी विद्यालयों में वितरित किए गए थे

खाद्यान्नों का वितरण केवल सरकारी/स्थानीय निकायों तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के छात्रों के बीच में ही होना था, परन्तु निम्नलिखित राज्यों में 26.81 लाख रुपये मूल्य के 4389 क्विंटल खाद्यान्नों का योजना के प्रावधानों के विरुद्ध निजी विद्यालयों को विपथन किया गया।

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों की संख्या	खाद्यान्नों की मात्रा (क्विंटल में)	खाद्यान्नों का मूल्य (लाख रु. में)
1	केरल	दो	39.94	00.35
2.	मध्य प्रदेश	एक	28.20	00.28
3.	मिजोरम	एक	335.61	2.86
4.	मेघालय	एक	559.95	5.58
5.	राजस्थान	चार	2860.00	11.98
6.	उत्तर प्रदेश	दो	564.94	5.76
	जोड़		4388.64	26.81

(ग) 1996-99 के दौरान बाढ़ राहत प्रयोजन के लिए खाद्यान्नों का विपथन/वितरण

बाढ़ राहत कार्यों के लिए 1.97 करोड़ रुपये मूल्य के 21789.39 क्विंटल खाद्यान्नों का विपथन

(i) असम में, 1.97 करोड़ मूल्य के 21789.39 क्विंटल खाद्यान्न 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान असम के तीन जिलों में बाढ़ राहत कार्यों को विपथित किए गए थे, जबकि राज्य सरकार के पास विपत्ति राहत कोष तथा विपत्ति राहत के लिए 'राष्ट्रीय कोष' के अन्तर्गत 218.66 करोड़ रुपयों का अव्ययित शेष उपलब्ध था। यह दिसम्बर 1999 तक पुनः पूर्ति नहीं किया गया।

(ii) बिहार में 8.92 लाख रुपये मूल्य का 1585.32 क्विंटल खाद्यान्न, राहत कार्यों के लिए इस्तेमाल किया गया जो कि योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं थे।

(घ) योजना के अन्तर्गत गैर-शामिल कार्यक्रमों के लिए 7.12 करोड़ रुपये मूल्य के खाद्यान्नों का उपयोग

तीन राज्यों में, 7.12 करोड़ रुपये मूल्य के 97904 क्विंटल खाद्यान्न गैर-लक्षित कार्यक्रमों में उपयोग किए गए थे

निम्नलिखित राज्यों में, योजना के उपबंधों का उल्लंघन करके 7.12 करोड़ रुपये मूल्य के 97904 क्विंटल खाद्यान्न जो कि सरकारी, स्थानीय निकायों, तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए थे, अन्य कार्यक्रमों में भी उपयोग किये गये थे :

क्र.सं.	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए जिलों के नाम	खाद्यान्नों की मात्रा (क्विंटल में)	खाद्यान्नों का मूल्य (लाख रु. में)	प्रयोजन जिस के लिए उपयोग किए गए
1.	केरल	ईदुकी, वायानाड, मालापुरम, तिरुअनन्तपुरम पुरम, कोलम, कोट्टयम कसरगोड, पलाकड़	48524.88	382.35	शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा अन्य गैर लक्षित कार्यक्रम
2.	उड़ीसा	कटक, गंजम, कोरापुट, कलाहंडी, खुरदा	25304.82	136.79	अन्य गैर लक्षित कार्यक्रम
3.	तमिलनाडु	वीरुधुनगर	24074.65	193.00	अन्य गैर लक्षित कार्यक्रम
	जोड़		97904.35	712.14	

### 2.7.2 उच्च कोटि के खाद्यान्नों का निम्न कोटि के खाद्यान्नों द्वारा प्रतिस्थापन

1997-99 के दौरान तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु सिविल आपूर्ति निगम द्वारा प्रयोजन के लिए भारतीय खाद्य निगम से उठाए गए अच्छे किस्म के चावल के बदलें साधारण किस्म के 15324 टन चावलों का प्राथमिक विद्यालयों में वितरण किया। जि.ग्रा.वि.ए. के बजाए सिविल आपूर्ति विभाग से उठाए गए खाद्यान्नों के कारण रिकॉर्ड में नहीं थे। भा.खा.नि. से उठाए गए बढ़िया किस्म के चावल तथा वितरित किए गए साधारण किस्म के चावलों के बीच 4.20 करोड़ रुपये का लागत अन्तर था। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को वंचित रख कर विपथित बढ़िया किस्म के चावलों के उपयोग करने के तरीकों का पता लगाने में लेखापरीक्षा के प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि इस अदला-बदली की प्रक्रिया का कोई अलग से लेखा नहीं रखा गया था। प्रतिस्थापन का ब्यौरा इस प्रकार से है :

तमिलनाडु में, 15324 टन बढ़िया किस्म के चावल उठाए गए परन्तु बच्चों में साधारण किस्म के चावल वितरित किए गए। 4.20 करोड़ रुपये का लागत अन्तर राज्य सरकार ने अपने पास रखा।



जिला	अवधि	तमिलनाडु सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा उठाए गए बढ़िया किस्म के चावलों की मात्रा (टन)	प्रतिस्थापित साधारण चावलों की मात्रा (टन)	बढ़िया तथा साधारण किस्म के चावलों के बीच लागत अन्तर (करोड़ रु में)
धर्मपुरी	अप्रैल 1997 से मार्च 1998	7963.223	4406.297	2.36
	जून 1998 से नवम्बर 1998	1822.956	3601.690	
कुडलोर	जुलाई 1997 से मार्च 1998	5062.776	2336.544	0.92
	जून 1998 से नवम्बर 1998	1179.252	1165.868	
विरुधुनगर	अप्रैल 1997 से मार्च 1998	5487.787	3814.050	0.92
	जोड़	21515.994	15324.449	4.20

पांच राज्यों में, योजना के लाभ से 1.26 करोड़ बच्चे वंचित रहे थे क्योंकि एजेसियों द्वारा उठाये गये खाद्यान्नों के गोदामों में ढेर लगाए गए थे।

### 2.7.3 खाद्यान्नों का ढेर लगाना

पांच राज्यों आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में भा.खा.नि. डिपुओं से खाद्यान्नों को उठाने तथा इन्हें वितरण स्थल पर सुपुर्द करने के लिये उत्तरदायी एजेसियों ने 1995-96 से 1998-99 की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के अन्त में अपने गोदामों में भारी मात्रा में स्टॉक संचित कर लिया था क्योंकि उनके द्वारा उठाये गये खाद्यान्न निर्दिष्ट विद्यालयों को सुपुर्द नहीं किये गये थे। खाद्यान्नों के ऐसे संचयन के ब्यौरे इस प्रकार थे :

वर्ष	प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को स्टॉक में रखे गए खाद्यान्नों की मात्रा (क्विंटलों में)						दस शैक्षिक महीने के लिये 3 कि.ग्रा. प्रति बच्चा प्रति माह की दर से योजना के लाभ से वंचित विद्यार्थियों की सं.
	आन्ध्र प्रदेश	असम	बिहार (10 जिले)	उत्तर प्रदेश	तमिलनाडु	जोड़	
1995-96	126000	4796.88	33224.00	22121.45	31168.25	217310.58	724369
1996-97	288000	6381.18	39406.00	129022.47	32224.66	495034.31	1650115
1997-98	748000	10697.19	99027.00	232755.05	626879.90	1717359.14	5724530
1998-99	658000	1823.54	65786.00	198361.46	421969.85	1345940.85	4486470
जोड़	1820000	23698.79	237443.00	582260.43	1112242.66	3775644.88	12585484

उठाने वाली एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों के स्टॉक करने से योजना के लाभों से 1.26 करोड़ विद्यार्थी वंचित थे। यह भी देखा गया कि स्टॉक में रखे गये कुल खाद्यान्न 808 रु. प्रति क्विंटल की दर से 305.10 करोड़ रु. मूल्य के 37.76 लाख क्विंटल थे। यहां पर यह भी उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि सभी लाभभोगियों को संसाधन चरमराने के कारण आवृत नहीं किया जा सका जबकि स्टॉक में खाद्यान्नों की बड़ी मात्रा पड़ी हुई थी। चूंकि स्टॉक का सत्यापन नहीं किया गया था, वास्तविक प्रत्यक्ष शेष आसानी से निश्चय नहीं था।

#### 2.7.4 खाद्यान्नों का अत्यधिक वितरण

खाद्यान्न दस शैक्षिक महीनों के लिए विद्यार्थियों को वितरित किए जाने थे, परन्तु आन्ध्र प्रदेश के दो जिलों में खाद्यान्न 11 महीनों तक वितरित किए गए थे। परिणामस्वरूप 1.80 करोड़ रुपये मूल्य के 1699 टन चावल योजना के उपबन्धों के विरुद्ध वितरित किए गए थे।

#### 2.7.5 1393 क्विंटल खाद्यान्नों का अवितरण-14.63 लाख रुपये-नागालैण्ड

नागालैण्ड में 32 विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए उठाए गए 1393 क्विंटल चावल वितरित नहीं किए गए थे।

नागालैण्ड के चार जिलों में, नमूना जांच किए गए 62 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में से 32 विद्यालयों में, भा.खा.नि. से उठाए गए 1478 क्विंटल चावल में से सिर्फ 85 क्विंटल चावल नवम्बर 1995 से मार्च 1999 के दौरान वितरित किए गए। विभाग यह नहीं बता पाया कि जिला प्राधिकारियों द्वारा 14.63 लाख रुपये मूल्य के 1393 क्विंटल चावल क्यों नहीं वितरित किए गए थे। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि अल्प मात्रा अर्थात् चावल के एक या दो थैले वर्ष में एक या दो बार ही विद्यालयों द्वारा प्राप्त की गई थी। इसका वार्षिक पिकनिकों तथा क्रीड़ा उत्सवों के लिए उपयोग किया गया था, जबकि कुछ अन्य विद्यालयों में, चावल को बेचा गया तथा उससे हुई आमदनी को विद्यार्थियों को चाय तथा नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए इस्तेमाल किया।

नवम्बर 1995 में कार्यक्रम के कार्यान्वित होने के बाद से 22 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के 1675 सक्षम विद्यार्थियों को कुछ भी खाद्यान्नों की प्राप्ति नहीं हुई। इस कम कवरेज का विभाग द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया।

#### 2.7.6 खाली बोरियां - 30.90 करोड़ रु की हानि

30.90 करोड़ रु. कीमत की खाली बोरियां बेहिसाब रही, परिणामतः सरकारी खजाने को हानि हुई।

भारत सरकार से किसी तरह के अनुदेशों के अभाव में 13 राज्यों/सं.रा.क्षे. में खाली बोरियों के निपटान न होने के कारण 30.90 करोड़ रु अर्थात् असम (45.32 लाख रु.) गुजरात (86.80 लाख रु.), हरियाणा (40.93 लाख रु.), कर्नाटक (2.51 करोड़ रु.), मणिपुर (16.50 लाख रु.), उड़ीसा (23.87 लाख रु.), पंजाब (0.91 लाख रु.), सिक्किम (6.46 लाख रु.), पश्चिम बंगाल (68.38 लाख रु.), उत्तर प्रदेश (25.24 करोड़ रु.), चण्डीगढ़ (0.63 लाख रु.), दिल्ली (23.25 लाख रु.) तथा दादर एवं नागर हवेली (2.12 लाख रु.) की हानि हुई।

#### 2.8 संसाधित/पके भोजन का वितरण

कार्यक्रम के अनुसार, कार्यान्वयन राज्यों में स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका तथा पंचायतों से स्थानीय क्षेत्र में कार्यक्रम के आरंभ होने की तिथि से दो वर्षों की अवधि के भीतर पके भोजन को उपलब्ध कराने के लिए संस्थागत प्रबंध उन्नत करना अपेक्षित था।

राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ होने तक गुजरात, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा पाण्डिचेरी पका भोजन उपलब्ध करा रहे थे जबकि गोवा, सिक्किम, कर्नाटक, त्रिपुरा तथा दिल्ली संसाधित भोजन उपलब्ध करा रहे थे, असम और महाराष्ट्र अपने प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को दूध वितरित कर रहे थे। राष्ट्रीय कार्यक्रम के आरंभ होने के पश्चात, गुजरात, केरल, उड़ीसा तमिलनाडु तथा पाण्डिचेरी ने पका भोजन बांटना जारी रखा जबकि असम, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सिक्किम तथा त्रिपुरा ने संसाधित भोजन तथा दूध के स्थान पर खाद्यान्नों का वितरण करना आरंभ कर दिया। तथापि, दिल्ली ने संसाधित भोजन बांटना जारी रखा।

इसके अतिरिक्त, जम्मू एवं कश्मीर तथा हरियाणा जो कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ से ही पका भोजन उपलब्ध करा रहे थे, ने खाद्यान्नों को पके भोजन में बदलने में असुविधा होने के कारण क्रमशः जनवरी 1997 तथा जुलाई 1996 से खाद्यान्नों का वितरण आरम्भ कर दिया। शेष राज्यों ने राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों का वितरण अपना लिया।

इस प्रकार, राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रारंभ होने के चार वर्षों के पश्चात अर्थात् 1998-99 के अन्त तक भी पका हुआ भोजन सिर्फ पांच राज्यों/सं.रा.क्षे.- गुजरात, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा पाण्डिचेरी में ही उपलब्ध कराया जा सका। योजनानुसार दो वर्ष की अवधि के भीतर 9.79 करोड़ नामांकित बच्चों को आवृत करने की योजना के प्रति, सिर्फ 2.18 करोड़ जो कि 22.4 प्रतिशत बनने थे, को ही 1998-99 के अन्त तक पका भोजन उपलब्ध कराया जा सका तथा 7.61 करोड़ बच्चे योजना के लाभ से वंचित रहे।

कार्यक्रम आरंभ होने के तीन वर्ष के पश्चात् भी 9.79 करोड़ नामांकित बच्चों में से 2.18 करोड़ बच्चों को पका भोजन उपलब्ध कराया जा सका

### 2.8.1 (क) 95.41 लाख रु मूल्य के घटिया भोजन की आपूर्ति

उड़ीसा में उड़ीसा उपभोक्ता सहकारी फेडरेशन द्वारा आपूर्ति किया गया 95.41 लाख रु. कीमत का घटिया भोजन बच्चों के बीच वितरित किया गया

उड़ीसा में, 1995-96 से 1998-99 के दौरान उड़ीसा उपभोक्ता सहकारी फेडरेशन द्वारा 95.41 लाख रु लागत की 4061 क्विंटल घटिया मूंग की दाल की आपूर्ति के कारण कालाहांडी, गंजम तथा भद्रक जिलों में घटिया दर्जे का पका भोजन वितरित किया गया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। यह स्पष्ट है कि वहां गुणवत्ता की जांच करने के लिए तथा घटिया दाल के वितरण को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।

जिले का नाम	अवधि	आपूर्ति की गई घटिया मूंग दाल की मात्रा (क्विंटलों में)	मूंग की दाल की कीमत (रु में)
कालाहांडी	1995-96	267.30	538609
	1998-99	406.00	963438
गंजम	1997-98	2577.55	6116526
भद्रक	1997-98	810.00	1922130
जोड़		4060.85	9540703

गंजम जिले में, 2577 क्विंटल मूंग दाल से लिए गए आठ नमूनों की रसायनिक विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार पदार्थ निर्धारित मानकों से घटिया थे तथा वे 23 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त तथा बाहरी सामग्री युक्त थे। मानक दाल की दर पर भुगतान की गई इस मात्रा की कीमत 14.06 लाख रु

संगणित की गई। बच्चों को घटिया खाद्य सामग्री खिलाकर पोषणिक आवश्यकताओं से गंभीर रूप से समझौता किया गया।

**(ख) फर्जी वितरण-1.89 लाख रु की हानि**

रायगढ़ जिले के काशीपुर खंड में 1.89 लाख रु कीमत का चावल, दाल तथा तेल फरवरी 1996 से अप्रैल 1997 के दौरान 21 प्राथमिक विद्यालयों तथा फरवरी 1996 से मई 1998 के दौरान दो प्राथमिक विद्यालयों को जारी किया बताया गया, जबकि ये विद्यालय अकार्यात्मक थे। खंड विकास अधिकारी ने खाद्य सामग्री के वितरण में फर्जी कार्रवाई को स्वीकार किया। तथापि कोई जांच की कार्यवाही नहीं की गई।

**(ग) ठेकेदारों द्वारा घटिया दर्जे के खाद्यान्नों का वितरण-29.90 लाख रु**

नागालैण्ड में 1996-97 से 1998-99 के दौरान एक ठेकेदार ने कोहिमा खंड में 113 प्राथमिक विद्यालयों के 6237 बच्चों को घटिया दर्जे के 3737 क्विंटल खाद्यान्न सुपुर्द तथा वितरित किये। विद्यालय प्राधिकारियों द्वारा कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं दी गई।

**(घ) कम दिनों के लिए पका भोजन बांटा गया**

जम्मू एवं काश्मीर में नमूना जांच किए गए 228 विद्यालयों में न्यूनतम अनुबद्ध 120 और 200 दिनों के प्रति 1995-96 और 1996-97 के दौरान औसतन क्रमशः 28 से 53 दिनों और 29 से 117 दिनों के लिए बच्चों को पका हुआ भोजन वितरित किया गया। उधमपुर जिले में 1995-96 के दौरान 38 से 69 दिनों के लिए एवं 1996-97 के दौरान 90 से 149 दिनों के लिए पका भोजन वितरित किया गया। उधमपुर जिले के 455 विद्यालयों में 1996-97 में पका भोजन वितरित नहीं किया गया।

**(ङ) भोजन पकाना बंद किए जाने के पश्चात 12.47 लाख रु कीमत का पकाने का तेल खरीदा गया**

कुपवाड़ा जिले में मार्च 1997 में मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा 12.47 लाख रु कीमत का पकाने का तेल खरीदा गया यद्यपि राज्य सरकार द्वारा पके भोजन का वितरण जनवरी 1997 में बंद कर दिया गया था। भोजन पकाना बंद किए जाने के पश्चात पकाने के साधन की खरीद निष्फल थी। पकाने के तेल के संभावित निपटान की तरफ इंगित करने वाले कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

**2.8.2 पके भोजन के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का दुरुपयोग**

कर्नाटक में, चित्रदुर्ग, बिदर, मैसूर, कोलार, धारवाड़ तथा बंगलौर में छः जिला परिषदों ने अपने-अपने जिलों में पका भोजन उपलब्ध कराने के लिए बर्तन आदि की खरीद के लिए जनवरी से मार्च 1996 के दौरान 43.44 लाख रु आहरित किए। उपर्युक्त राशि में से 7.72 लाख रु वापिस कर दिए गए क्योंकि पके भोजन की योजना अप्रैल 1996 से बंद कर दी गई थी। शेष 23.84 लाख रु दिसम्बर 1999 तक उनके द्वारा अपने पास रख लिए गए थे तथा

43.44 लाख रु में से, 11.88 लाख रु की राशि ग्राम पंचायत द्वारा खर्च कर दी गई, जिसके लिए कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया।

### 2.8.3 मध्य-दिवस भोजन योजना के अन्तर्गत कम से कम 193.09 करोड़ रु की बचत-

राज्यों द्वारा अन्य प्राथमिक शिक्षा योजनाओं के लिए उपयोग न किया जाना

कार्यक्रम दिशानिर्देशों में यह प्रावधान था कि राज्यों में स्थानीय निकायों के विद्यालय जहां राज्य मध्य-दिवस भोजन योजना प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पहले ही प्रचालन में थी, केन्द्रीय सहायता के लिए इस शर्त पर पात्र होंगे कि राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा विद्यालय पोषणिक कार्यक्रम के लिए प्रतिपूर्त किए गए व्यय को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अन्य कार्यक्रमों में अंतरित कर देगी। मध्य दिवस खाद्य योजना गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा दिल्ली राज्यों के प्राथमिक विद्यालयों में पहले से ही विद्यमान थी फिर भी 1995-99 के दौरान प्राप्त किया गया 193.09 करोड़ रु (70.31 करोड़ रु गुजरात को, 44.68 करोड़ रु महाराष्ट्र को, 62.00 करोड़ रु तमिलनाडु को तथा 16.10 करोड़ रु दिल्ली को) का अनुदान इस तरह से उपयोग नहीं किया गया जो कि बचत को अन्य प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों में पुनर्निवेश कर पाता। महाराष्ट्र में 1995-96 से 1997-98 के दौरान राज्य बजट में 44.68 करोड़ रु की बचत प्राथमिक शिक्षा के बजाय 'एकीकृत बाल विकास सेवा' कार्यक्रम के लिए उपयोग की गई। महाराष्ट्र में वर्ष 1998-99 में मध्य दिवस योजना कार्यक्रम के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया। प्राचलों का पालन न करना राज्य कार्यक्रम के अनभिप्रेत सहायीकरण का सूचक था।

राज्य सरकार/सं.रा.क्षे.  
ने अपने बजट में बचत  
को प्राथमिक शिक्षा के  
अन्य कार्यक्रमों में  
पुनर्निवेश नहीं किया

#### 2.8.3.1 राज्यों द्वारा निधियों का उपयोग न करना

रा.प्रा.शि.पो.स.का. प्रारम्भ होने के पश्चात भी केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने वाले राज्यों से उनके अपने मध्य दिवस भोजन योजना के लिए वार्षिक बजट प्रावधान जारी रखना अपेक्षित था। राष्ट्रीय कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार ये निधियां प्राथमिक शिक्षा के अन्य कार्यक्रमों के लिए उपयोग की जानी थी।

असम, गोवा, महाराष्ट्र तथा त्रिपुरा की सरकारों ने उपर्युक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया क्योंकि न तो पिछले वर्षों के स्तर के बजट प्रावधान किए गए थे और न ही उपलब्ध कराई गई निधियां पूर्णत उपयोग की गई थी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

(लाख रु. में)

		राज्य की अपनी मध्य-दिवस भोजन योजना के लिए बजट प्रावधान/व्यय				राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषणिक सहायता कार्यक्रम के प्रारंभ होने के पश्चात् बजट प्रावधान तथा व्यय					
		1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		1998-99	
राज्य का नाम	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	
असम	लागू नहीं	लागू नहीं	400.00	316.72	400.00	400.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
गोवा	9.00	6.20	9.10	7.59	9.50	9.47	5.00	4.66	9.50	0.70	
महाराष्ट्र	5869.15	5507.54	2466.86	1249.75	2715.37	448.62	1127.30	137.65	शून्य	शून्य	
त्रिपुरा	नहीं भेजे गए	350.00	नहीं भेजे गए	232.03	शून्य	56.85	34.00	71.27	30.00	शून्य	



अन्य राज्यों केरल, उड़ीसा, सिक्किम तथा पांडिचेरी सं.रा.क्षे. के विषय में कोई वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

## 2.9. कवरेज

1995-96 से प्रारंभ होने वाले कार्यक्रम में 1998-99 के अन्त कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी सरकारी/स्थानीय निकायों तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से आवृत्त करना था।

वर्ष	जिलों की कुल संख्या	खंडों की कुल संख्या	विद्यालयों की कुल संख्या	विद्यार्थियों की कुल संख्या (करोड़ में)
	लक्षित	लक्षित	लक्षित	
1995-96	378	2499	3.22 लाख	3.70
1996-97	475	4426	4.74 लाख	7.15
1997-98	510	5451	6.41 लाख	10.82
1998-99	544	5763	6.88 लाख	11.50

1995-96 से 1998-99 की अवधि के लिए विभागीय अभिलेखों के अनुसार जिलों तथा खंडों की राज्य-वार कवरेज के विवरण अनुबन्ध-4 में दिए गए हैं तथा विद्यालयों की कवरेज अनुबन्ध-5 में दी गई है। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा जांच से पता चला कि विभाग द्वारा दावा की गई व्यापकता गलत है चूंकि राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों ने आंकड़ों के विभिन्न समुच्चय प्रस्तुत किये हैं जैसे कि नीचे पैरा 9.3 में दिया गया है। यह भिन्नता निर्गम के सूचित आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सन्देह प्रकट करती है। इसके अतिरिक्त सभी जिलों तथा सभी खण्डों में सभी विद्यालय कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तव में आवृत्त नहीं थे जैसा कि विभाग द्वारा दावा किया गया। नमूना जांचों में प्रकट हुई कमियों का आगे के उप अनुच्छेदों में विश्लेषण किया गया है।

### 2.9.1 विस्तार कार्य में कमियां

(क) पश्चिम बंगाल में 18 जिलों में से एक जिला, नामतः कलकत्ता, योजना के क्षेत्र में नहीं लाया गया था इस प्रकार 2.54 लाख बच्चों को लाभ से वंचित रखा गया।

(ख) अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी सियांग, उपरी सियांग, निचला सुबनसिरी, उपरी सुबनसिरी तथा पपम्परो नामक पांच जिलों को बिल्कुल आवृत्त नहीं किया गया था तथा आठ अन्य जिले अंशतः आवृत्त किये गए थे।

(ग) असम से 23 जिलों में से 1996-97 में पांच जिले, 1997-98 में तीन जिले तथा 1998-99 में 16 जिले योजना से छोड़ दिए गए थे।



(घ) बिहार में यद्यपि विस्तार कार्य का अधिकतम दावा किया गया था, परन्तु लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान नामांकित छात्रों की व्याप्ति सम्बद्ध वर्षों के लिए क्रमशः 18.19 प्रतिशत, 19.61 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत मात्र थी।

(ड) चण्डीगढ़ में नामांकन में वृद्धि, अवधारण तथा छोड़ जाने वालों की कमी पर योजना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नामांकन आकड़े 1995-96 में 43510 से कम होकर 1998-99 में 42262 हो गए थे जो कि नीचे की तालिका से स्पष्ट होता है:

क्र.सं.	वर्ष	बच्चों के नामांकन की संख्या	आवृत्त किये गए छात्र	अनावृत्त छात्र	अनावृत्त की प्रतिशतता
1.	1995-96	43510	10209	33301	76.54
2.	1996-97	42864	19500	23364	54.50
3.	1997-98	43284	19500	23784	54.94
4.	1998-99	42262	19500	22762	53.86

उपर्युक्त तालिका से आगे यह पता चला था कि मंत्रालय ने चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में नामांकित छात्रों को योजना के अन्तर्गत पूरी तरह आवृत्त नहीं किया तथा 1995-96 से 1998-99 के दौरान छात्रों को आवृत्त करने में 53.86 प्रतिशत से 76.54 प्रतिशत के बीच की कमी थी। इसके अतिरिक्त इस संघ राज्य क्षेत्र के 65 विद्यालयों में योजना कार्यान्वित नहीं की गई थी।

(च) दिल्ली में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के 99 विद्यालयों में योजना लागू न करने के कारण 1995-96 से 1998-99 के दौरान 0.34 लाख से 0.41 लाख छात्र योजना के लाभ से वंचित रहे।

(छ) मिजोरम में 1995-99 के दौरान 133 विद्यालयों में योजना लागू नहीं की गई थी।

(ज) आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के तीन राज्यों में 2940 विद्यालयों में 9.32 लाख छात्र इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि इनमें 1995-96 से 1998-99 के दौरान योजना लागू नहीं की गई थी। इसका विवरण निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	विद्यालयों की संख्या	छात्रों की संख्या (लाख में)
1	आन्ध्र प्रदेश	254	1.12
2	महाराष्ट्र	2331	7.67
3	राजस्थान	355	0.53
	जोड़	2940	9.32

### 2.9.2 नामांकन के विपरीत छात्रों को आवृत्त करने में कमी

कार्यक्रम में 1997-98 तक निजी विद्यालयों को छोड़ देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों को आवृत्त करके लगभग 12 करोड़ बच्चों को लाभ पहुंचाना शामिल था परन्तु विभाग ने इस अवधि में आवृत्त करने के लिए केवल 10.82 करोड़ बच्चों का लक्ष्य रखा। इसके परिणामस्वरूप विभाग के अभिलेख के अनुसार आवृत्त किये जाने वाले बच्चों की वास्तविक संख्या के विपरीत आरम्भिक लक्ष्य 1.18 करोड़ बच्चों (9.83 प्रतिशत) से कम किया गया।

यहां तक कि 1998-99 तक विभाग ने 11.50 करोड़ छात्रों को आवृत्त करने का लक्ष्य रखा, इस प्रकार लगभग 50 लाख बच्चों को योजना से बाहर रखा गया।

1998-99 के दौरान 11.50 करोड़ बच्चों के लक्ष्य के विपरीत लाभ भोगियों की संख्या को 2.45 करोड़ बच्चों तक कम करके खाद्यान्न का आबंटन केवल 9.05 करोड़ बच्चों के लिए किया गया था। इस वर्ष के दौरान 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 2216546 टन अनाज के आबंटन के विपरीत केवल 1087767 टन अनाज उठाया। उठाने में कमी के परिणामस्वरूप इस योजना के अन्तर्गत अन्य 3.76 करोड़ बच्चे अनावृत्त रह गए। इस अवधि के दौरान शेष राज्यों द्वारा उठाई गई अनाज की मात्रा सूचित नहीं की गई थी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, नागालैंड, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश के सात राज्यों में 49.50 लाख बच्चे भी योजना के लाभ से वंचित रह गए क्योंकि 1998-99 के दौरान ठेकेदारों द्वारा अनाज के भण्डारण एवं दुर्विनियोजन के कारण तथा एजेसियों द्वारा अन्य उद्देश्यों के लिए विपथन के कारण इन राज्यों द्वारा उठाया गया अनाज वितरित नहीं किया गया था।

1998-99 के अन्त तक 11.5 करोड़ बच्चों के लक्ष्य के प्रति केवल 4.79 करोड़ बच्चे आवृत्त किये गये थे

इस प्रकार वर्ष 1998-99 तक प्राथमिक विद्यालयों के 11.5 करोड़ छात्रों को आवृत्त करने के लक्ष्य के विपरीत योजना के अन्तर्गत केवल 4.79 करोड़ छात्र आवृत्त किये गए थे तथा 6.71 करोड़ छात्र (58 प्रतिशत) इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सके।

### 2.9.3 मंत्रालय तथा राज्य सरकारों द्वारा दिए गए छात्रों को आवृत्त करने वाले दो समुच्चयों में भारी भिन्नता

निम्नलिखित तालिकाएं विभाग तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत छात्रों को आवृत्त करने वाले आंकड़ों (वर्षवार) में भिन्नता दर्शाती हैं।

तालिका 'क'  
(जहां पर विभाग ने राज्यों/संघ राज्य सरकारों के आंकड़ों से अधिक का दावा किया)  
(आंकड़े लाख में)

राज्य	1995-96			1996-97			1997-98			1998-99		
	मा.सं. वि.म.	राज्य	अंतर	मा.सं. वि.म.	राज्य	अंतर	मा.सं. वि.म.	राज्य	अंतर	मा.सं. वि.म.	राज्य	अंतर
अरुणाचल प्रदेश	0.94	0.49	0.45	0.96	--	0.96	0.96	0.31	0.65	1.51	0.35	1.16
असम	19.60	17.79	1.81	20.94	5.89	15.05	23.35	9.34	14.01	23.35	1.64	21.71
गोवा	--	--	--	--	--	--	0.99	0.55	0.44	0.84	0.73	0.11
हरियाणा	6.00	5.92	0.08	--	--	--	17.21	16.96	0.25	--	--	--
महाराष्ट्र	37.54	33.78	3.76	--	--	--	--	--	--	--	--	--
पंजाब	--	--	--	5.45	4.95	0.50	--	--	--	--	--	--
तमिलनाडु	11.58	10.03	1.55	11.63	9.97	1.66	74.47	35.13	39.34	59.36	43.35	16.01
त्रिपुरा	3.59	2.90	0.69	3.79	3.17	0.62	4.67	3.05	1.62	--	--	--
पश्चिम बंगाल	19.03	15.69	3.34	36.37	27.31	9.06	78.40	59.50	18.90	87.86	26.71	61.15
चण्डीगढ़	0.64	0.10	0.54	0.64	0.19	0.45	--	--	--	0.50	0.19	0.31
जोड़	98.92	86.70	12.22	79.78	51.48	28.30	200.05	124.84	75.21	173.42	72.97	100.45

..... अन्तर नहीं का संकेत करता है।

तालिका 'ख'  
(जहां राज्यों/संघ राज्य सरकारों ने विभागीय आंकड़ों से अधिक का दावा किया)  
(आंकड़े लाख में)

राज्य	1995-96			1996-97			1997-98			1998-99		
	मा.सं. वि.म.	राज्य	अन्तर	मा.सं. वि.म.	राज्य	अन्तर	मा.सं. वि.म.	राज्य	अन्तर	मा.सं. वि.म.	राज्य	अन्तर
आन्ध्र प्रदेश	27.35	30.17	3.18	--	--	--	--	--	--	--	--	--
कर्नाटक	28.37	29.39	1.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--
मेघालय	2.19	2.32	0.13	2.19	2.45	0.26	2.89	3.20	0.31	3.20	3.87	0.67
उड़ीसा	15.02	38.15	23.13	22.20	42.12	19.92	--	--	--	44.97	45.03	0.06
पंजाब	4.95	5.47	0.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
राजस्थान	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55.34	55.39	0.05
अण्डमान एवं निकोबार	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.36	0.41	0.05
दादरा एवं नगर हवेली	0.22	0.23	0.01	--	--	--	0.20	0.26	0.06	0.22	0.28	0.06
जोड़	78.10	105.73	27.63	24.39	44.57	20.18	3.09	3.46	0.37	104.09	104.98	0.89

..... अन्तर नहीं का संकेत करता है।

क्योंकि आंकड़ों का समाधान नहीं किया गया था, कार्यक्रम की वास्तविक उपलब्धियों का विभाग तथा कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य सरकारों के दावों तथा प्रतिदावों के साथ सत्यापन नहीं किया जा सकता। आंकड़ों के दोनों समुच्चयों के समेकन का आधार अविश्वसनीय है। जबकि अनुबंध

6 में दिखाए गए विभागीय आंकड़े अधूरी रिपोर्ट से संकलित किए गए हैं, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा संकलित आंकड़े वितरण ब्यौरों के अभाव में सत्यापन योग्य नहीं हैं।

#### 2.9.4 निम्नतम उपस्थिति मानदण्ड का पालन न करना

बारह राज्यों ने एक मास में अस्सी प्रतिशत उपस्थिति के मानदण्ड की उपेक्षा करते हुए बच्चों को खाद्यान्नों का वितरण किया।

योजना के अनुसार, वे विद्यार्थी जो एक मास में 80 प्रतिशत उपस्थिति का मानदण्ड पूरा करते थे, 3 कि.ग्रा. प्रति मास की दर पर खाद्यान्न के पात्र थे।

लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया था कि 31 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में से केवल आन्ध्र प्रदेश, गोवा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा के आठ राज्यों तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा दादरा एवं नागर हवेली के संघ शासित क्षेत्रों ने खाद्यान्नों के वितरण हेतु 80 प्रतिशत उपस्थिति के मानदण्ड का अनुसरण किया था। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, सिक्किम, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल नामक 12 राज्यों ने एक मास में 80 प्रतिशत उपस्थिति का मानदण्ड बिल्कुल भी पूरा नहीं अपनाया। शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने इस संबंध में कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया। दिल्ली के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

80 प्रतिशत उपस्थिति के मानदण्ड का पालन न करना बच्चों में खाद्यान्नों के भेदभावपूर्ण वितरण के समान है जिससे विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए बच्चों को आकर्षित करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

#### 2.10. पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

योजना में प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने के लक्ष्य को सामुदायिक सहायता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न, खण्ड, जिला तथा राज्य स्तरों पर समितियों का गठन करके राज्य तथा केन्द्रीय स्तरों पर पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन का प्रावधान था।

##### 2.10.1 पांच राज्य सामुदायिक सहायता प्रणाली को स्थापित करने में विफल रहे।

जम्मू व कश्मीर, सिक्किम, उड़ीसा, केरल, असम राज्य प्राथमिक शिक्षा में सभी बच्चों की भागीदारी को व्यापक बनाने के लिए सामुदायिक सहायता उत्पन्न करने की समुचित व्यवस्था में विफल रहे।

##### 2.10.2 प्रबन्ध सूचना प्रणाली

कार्यक्रम के समुचित अनुरक्षण हेतु योजना में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के परामर्श से शिक्षा विभाग द्वारा कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन सूचना प्रणाली के विकास का प्रावधान था।

विभाग ने बताया कि कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली रा.सू.के. के परामर्श से विकसित की गई थी, परन्तु प्रणाली के माध्यम से बनाई गई रिपोर्टों की प्रतियां राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हो रही थी। विभिन्न राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया था कि प्रणाली प्रचलित नहीं थी तथा राज्यों द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही थी। अतः केन्द्रीय/राज्य स्तर पर पर्याप्त पर्यवेक्षण तथा कार्यक्रम का अनुश्रवण अस्तित्व में नहीं था। यह भी स्पष्ट है कि

कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रति भारत सरकार की ओर से अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण की कमी।

विभाग इस तथ्य से अवगत नहीं था कि क्या विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली विद्यमान थी।

### 2.10.3 स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा अनुश्रवण

योजना के अनुसार, भारत सरकार ने कार्यक्रम का सहगामी अनुश्रवण तथा मूल्यांकन, स्वतंत्र संस्थाओं को सौंपना था। विभाग ने बताया कि योजना के मूल्यांकन हेतु किसी विशेषज्ञ समिति का गठन नहीं किया गया था। केन्द्रीय/राज्य स्तर पर ऐसी किसी संस्था को नामित नहीं किया गया था।

### 2.11 प्रभाव

नामांकन में वृद्धि हेतु वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित किए बिना, भारत सरकार ने यह आशा की थी कि योजना के कार्यान्वयन से बच्चे आकर्षित होंगे तथा प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों के नामांकन, उपस्थिति तथा प्रतिधारण में वार्षिक वृद्धि होगी।

#### 2.11.1 नामांकन

रा.प्रा.शि.पौ.स.का. का विद्यार्थियों के नामांकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। 14 राज्यों में यह 20.3 प्रतिशत तक घट गया तथा तीन राज्यों में यह स्थिर रहा

दोपहर का भोजन देने के कार्यक्रम का 1995-99 की अवधि में नामांकन में वृद्धि तथा छोड़ जाने वाले विद्यार्थियों की दर को घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था क्योंकि वास्तविक नामांकन की प्रवृत्ति 14 राज्यों/सं.शा.क्षे. बिहार (15 प्रतिशत), गोवा (8.16 प्रतिशत), गुजरात (4.4 प्रतिशत), हरियाणा (16 प्रतिशत), जम्मू व कश्मीर (8 प्रतिशत), कर्नाटक (2.7 प्रतिशत), केरल (10.4 प्रतिशत), मिजोरम (8 प्रतिशत), उड़ीसा (5 प्रतिशत), पंजाब (14.26 प्रतिशत), तमिलनाडु (20.3 प्रतिशत), पांडिचेरी (13.84 प्रतिशत), अंडमान तथा निकोबर द्वीप समूह (10.6 प्रतिशत) तथा चंडीगढ़ (2.87 प्रतिशत) में गिरावट की ओर थी।

#### (क) बिहार

1995-99 के दौरान विद्यार्थियों के नामांकन के संदर्भ में नमूना जांच किए गए 10 जिलों में योजना का निष्पादन निम्न प्रकार से था:

क्र.सं.	जिले का नाम	विद्यार्थियों की संख्या		प्रतिशतता वृद्धि	विद्यार्थियों की संख्या 1997-98	प्रतिशतता वृद्धि/कमी	विद्यार्थियों की संख्या 1998-99	प्रतिशतता वृद्धि/कमी
		1995-96	1996-97					
1.	दरभंगा	1,99,459	2,31,799	16	2,68,983	16	2,72,877	1
2.	देवघर	93,761	1,16,320	24	1,25,460	8	1,26,450	1
3.	धनबाद	1,73,918	1,83,524	6	1,78,327	(-)3	1,58,938	(-)11
4.	गिरिडिह	1,90,489	2,45,993	29	2,46,265	--	2,61,974	6
5.	खगड़िया	1,44,447	1,57,638	9	1,76,169	11	1,87,022	6
6.	मधुबनी	2,14,431	2,71,391	26	2,78,909	3	3,10,367	11
7.	मोतिहारी	2,32,627	2,44,402	5	2,71,636	11	2,07,567	(-)24
8.	नालंदा	2,46,473	2,48,049	--	2,58,241	4	2,64,252	2
9.	पूर्णिया	1,71,689	1,87,597	9	1,63,435	(-)12.87	1,76,659	8
10.	रांची	2,76,744	3,57,432	29	2,60,609	(-)12	2,68,209	2

वर्ष-प्रति वर्ष नामांकन में तीव्र कमी हो रही थी। इन दस जिलों में नामांकन में औसत वृद्धि जो कि 1996-97 में 15.3 प्रतिशत थी 1998-99 में घट कर 0.2 प्रतिशत हो गई थी।

इस प्रकार, 1998-99 के अन्त में विद्यालयों (कक्षा I से 5) में प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि, नमूना जांच किए गए 8 जिलों में नगण्य थी जबकि नमूना जांच किए गए 2 अन्य जिलों में विद्यार्थियों के नामांकन में कमी हुई थी।

### (ख) पंजाब

पंजाब के चार जिलों में लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई नामांकन की स्थिति नीचे दी गई है:

जिला	1994-95 में प्रथम श्रेणी का नामांकन	1998-99 में प्रथम श्रेणी का नामांकन	प्रतिशतता वृद्धि (+) कमी (-)
भटिंडा	24017	20591	(-) 14.26
फतेहगढ़ साहिब	9994	9600	(-) 3.94
पटियाला	31451	31025	(-) 1.35
रोपड़	16110	15304	(-) 5.00

### (ग) उत्तर-पूर्वी राज्य

1995-99 के दौरान असम, नागालैण्ड तथा सिक्किम राज्यों में नामांकन के अनुसार योजना की प्रतिक्रिया नगण्य थी चूंकि न तो नामांकन में बढ़ोतरी हुई और न ही बच्चों की उपस्थिति में सुधार हुआ, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन तथा उपस्थिति स्थिर बनी रही, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

#### विद्यार्थियों का नामांकन

(लाख में)

राज्य	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
असम	उ.न.	43.82	44.65	45.40
नागालैण्ड	0.97	0.97	0.97	0.97
सिक्किम	0.83	0.83	0.85	0.85

(घ) हरियाणा में 7 नमूना जांच किए गए जिलों के 16 खण्डों के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन 1996-97 में 2.48 लाख से घटकर 1998-99 में 2.08 लाख रह गया अर्थात् 16 प्रतिशत तक जबकि अन्य 12 खण्डों में विद्यार्थियों का नामांकन 1997-98 में 1.87 लाख से घटकर 1998-99 में 1.72 लाख रह गया अर्थात् 8 प्रतिशत तक। 1996-99 के दौरान इन 28 खण्डों में नामांकन में अलग-अलग खंड-वार कमी 3 से 56 प्रतिशत के बीच रही।



## 2.11.2 (i) प्रतिधारण तथा छोड़ जाना

कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों का प्रतिधारण तथा छोड़ जाने की दर को कम करना सुनिश्चित करना था। केवल 19 राज्यों/सं.रा.क्षे. आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादर एवं नागर हवेली एवं दिल्ली द्वारा विद्यार्थियों के नामांकन तथा छोड़ जाने के विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे। इन राज्यों/सं.रा.क्षे. (अनुबन्ध-7 में दिये गये) के लिये सूचनाओं का अवलोकन करने से प्रकट हुआ कि विद्यार्थियों का छोड़कर जाना रोका नहीं जा सका तथा यह प्रतिकूल बना रहा जैसा कि निम्न तथ्यों से सुस्पष्ट होता है:-

क्र.सं.	राज्यों/सं.रा.क्षे. का नाम	वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान छोड़-जाने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता जैसी अनुबन्ध VII में दी गई		
		1996-97	1997-98	1998-99
1.	आन्ध्र प्रदेश	50.97	45.56	उ.न
2.	असम	17.27	17.23	39.29
3.	बिहार	17.16	17.26	उ.न
4.	गुजरात	36.23	35.60	28.52
5.	हरियाणा	3.30	3.41	1.93
6.	कर्नाटक	1.52	1.54	1.58
7.	केरल	6.96	4.89	4.87
8.	मध्य प्रदेश	32.14	23.85	23.36
9.	महाराष्ट्र	11.00	10.00	9.00
10.	मणिपुर	14.40	14.30	9.03
11.	उड़ीसा	43.00	47.3	43.2
12.	पंजाब	6.20	6.05	5.80
13.	राजस्थान	14.54	14.30	उ.न
14.	तमिलनाडु	15.1	15.1	14.5
15.	त्रिपुरा	54.55	50.3	उ.न
16.	उत्तर प्रदेश	48.64	51.28	उ.न
17.	अ. एवं नि. द्वीप समूह	27.32	29.50	15.00
18.	दादर एवं नागर हवेली	39.96	37.52	41.80
19.	दिल्ली	7.64	6.7	6.93

उ.न. : उपलब्ध नहीं

गोवा, जम्मू एवं कश्मीर तथा सिक्किम ने छोड़-जाने वाले विद्यार्थियों के आंकड़े अनुरक्षित नहीं किए थे

**2.11.2 (ii) छोड़-जाने को रोकने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई**

शेष राज्यों/सं.रा.क्षे. में सरकारों ने छोड़ - जाने से सम्बन्धित कोई आंकड़े अनुरक्षित नहीं किए। राज्यों में कार्यान्वयन एजेंसियों ने नामांकन उपस्थिति, प्रतिधारण तथा छोड़ जाने पर कार्यक्रम में संघात का मूल्यांकन करने के लिए किसी भी समय पर कोई समीक्षा नहीं की।

इस समीक्षा से उद्भूत हुए परिणाम मंत्रालय को जनवरी 2000 में भेजे गए थे, उनका उत्तर सितम्बर 2000 तक प्रतीक्षित था।

## अनुबन्ध-1

(पैराग्राफ 2.1.1 देखें)

रा.प्रा.शि.पौ.स.का. के आरम्भ होने से पूर्व संचालन में मध्य दिवस भोजन योजना

क्र.सं.	राज्य	
	1990-91 तक	1990-91 के बाद किन्तु 15.8.1995 से पहले
1.	आन्ध्र प्रदेश	बंद कर दिया
2.	गोवा	जारी रहा
3.	गुजरात	जारी रहा
4.	कर्नाटक	जारी रहा
5.	केरल	जारी रहा
6.	मध्य प्रदेश	बंद कर दिया
7.	महाराष्ट्र	जारी रहा
8.	मेघालय	बंद कर दिया
9.	मिजोरम	बंद कर दिया
10.	नागालैण्ड	बंद कर दिया
11.	उड़ीसा	जारी रहा
12.	राजस्थान	बंद कर दिया
13.	सिक्किम	जारी रहा
14.	तमिलनाडु	जारी रहा
15.	त्रिपुरा	जारी रहा
16.	उत्तर प्रदेश	बंद कर दिया
17.	पश्चिम बंगाल	बंद कर दिया
18.	--	असम
19.	--	दिल्ली
20.	--	पांडिचेरी

अनुबन्ध-2  
(पैराग्राफ 2.5.2 देखें)

रा.प्र.शि.पौ.स.का. के अन्तर्गत अनाज की आबंटन और उठाने को दर्शाने वाला विवरण  
(मध्य दिवस भोजन योजना)

(आंकड़े टन में)

राज्य के नाम	1995-96			1996-97			1997-98			1998-99		
	अनाज का आबंटन	अनाज को उठाना	प्रतिशतता	अनाज का आबंटन	अनाज को उठाना	प्रतिशतता	अनाज का आबंटन	अनाज को उठाना	प्रतिशतता	अनाज का आबंटन	अनाज को उठाना	प्रतिशतता
आन्ध्र प्रदेश	63664.22	52347.00	82.22	147415	129164	87.62	217229	188652	86.84	228544	144954	63.42
अरुणाचल प्रदेश	2126.69	1098.00	51.63	2908	0	0	2908	489	16.82	4531	135	2.98
असम	44115.93	29648.00	67.20	62815	17653	28.10	70042	27801	39.69	70042	5899	8.42
बिहार	61214.46	28193.00	46.06	183767	53926	29.34	241412	76443	31.66	280597	20452	7.29
गोवा	66.20	66.20	100.00	105.	101	96.19	2973	1470	49.45	2513	862	34.30
गुजरात	31532.83	22001.00	69.77	42088	26929	63.98	107481	24356	22.65	88118	24792	28.14
हरियाणा	10342.78	10334.00	99.92	35172	33296	94.67	51634	38622	74.80	53306	26246	49.24
हिमाचल प्रदेश	3549.47	3151.00	88.77	9117	8684	95.25	19742	17098	86.61	20826	12627	60.63
जम्मू व कश्मीर	7520.64	3232.00	42.98	14889	5986	40.20	18611	0	0	18611	0	0
कर्नाटक	65588.23	50485.00	76.97	111053	70766	63.72	164604	135767	82.48	169759	80795	47.59
केरल	5127.59	5127.00	99.99	7550	7567	100.23	62797	53795	85.66	48023	35679	74.30
मध्य प्रदेश	81238.75	78996.00	97.24	178317	141549	79.38	221545	161140	72.23	220669	126254	57.21
महाराष्ट्र	84478.61	50903.00	60.26	128932	100730	78.13	251552	215278	85.58	288718	161553	55.96
मणिपुर	2361.80	1367.00	57.88	4129	1430	34.63	6499	5650	86.94	7637	4810	62.98
मेघालय	4918.07	4396.00	89.38	6557	4363	66.54	8691	6218	71.55	9615	2650	27.56
मिजोरम	2030.92	1917.00	94.39	2902	2664	91.80	2899	2900	100.03	2918	1752	60.04
नागालैण्ड	2190.05	1460.00	66.67	2920	3212	110.00	2920	2608	89.32	2920	1752	60.00
उड़ीसा	25992.95	25767.00	99.13	53297	32886	61.70	96105	77049	80.17	89940	55766	62.00
पंजाब	11150.98	5502.00	49.34	16359	6908	42.23	52992	15416	29.09	52992	13793	26.03
राजस्थान	62096.93	54965.00	88.51	109096	60130	55.12	123594	92585	74.91	166046	59337	35.74

राज्य के नाम	1995-96			1996-97			1997-98			1998-99		
	अनाज का आबंटन	अनाज को उठाना	प्रतिशतता	अनाज का आबंटन	अनाज को उठाना	प्रतिशतता	अनाज का आबंटन	अनाज को उठाना	प्रतिशतता	अनाज का आबंटन	अनाज को उठाना	प्रतिशतता
सिक्किम	1397.75	1651.00	118.12	1864	1145	61.43	1864	1077	57.78	2550	632	24.78
तमिलनाडु	18929.17	18737.00	98.98	27915	26373	94.48	163848	108225	66.05	118735	63252	53.27
त्रिपुरा	8085.94	8085.00	99.99	11371	11082	97.46	14012	11728	83.70	14576	8697	59.67
उत्तर प्रदेश	57179.20	48390.00	84.63	297289	285768	96.12	393891	367483	93.30	457857	225935	49.35
पश्चिम बंगाल	39996.73	25193.00	62.99	109134	70992	65.05	235206	164028	69.74	263596	66354	25.17
अ. एवं नि. द्वीप समूह	122.03	106.00	86.86	165	66	40	1211	0	0	1106	0	0
चण्डीगढ़	1457.35	69.00	4.73	1943	357	18.37	585	145	24.79	10000	134	1.34
दा.एवं.ना.हवेली	399.98	399.00	99.75	734	292	39.78	594	484	81.48	663	198	29.86
दमन एवं दीव	169.07	142	83.99	245	211	86.12	430	265	61.63	446	76	17.04
दिल्ली	13500.00	2150.00	15.93	14400	7540	52.36	28150	12055	42.82	18101	1661	9.16
लक्षद्वीप	124.41	0	0	264	0	0	264	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	677.42	139.00	20.52	940	719	76.49	1351	0	0	1319	0	0
जोड़	713347.15	536016.20	75.14	1585652	1112489	70.16	2567636	1808827	70.45	2715274	1147047	42.24



अनुबन्ध-3  
(पैराग्राफ 2.5.2 देखें)

1995-96 से 1998-99 वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा सूचित अनाज का आबंटन, उठाना और कमी की प्रतिशतता के विवरण दर्शाने वाली सारणी।

(आंकड़े टन में)

राज्य के नाम	1995-96			1996-97			1997-98			1998-99		
	अनाज का आबंटन	अनाज को उठाना	कमियों की प्रतिशतता	अनाज का आबंटन	अनाज को उठाना	कमियों की प्रतिशतता	अनाज का आबंटन	अनाज को उठाना	कमियों की प्रतिशतता	अनाज का आबंटन	अनाज को उठाना	कमियों की प्रतिशतता
आन्ध्र प्रदेश	63700	63100	--	147400	129100	12.41	217200	204400	5.89	228500	165100	27.74
अरुणाचल प्रदेश	2126	1155	45.68	2908	--	100	2908	594	79.57	4531	228	94.96
असम	44115	40035	9.25	62815	17676	71.85	70042	28016	60	70042	4912	92.98
बिहार	62245	28815	53.70	183767	52525	71.41	241412	57467	76.19	329625	23435	92.89
गुजरात	31500	19800	37.14	42100	22700	46.08	107400	25200	76.53	88100	31800	63.9
गोवा	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
हरियाणा	10342	10331	0.10	35171	30625	12.92	50257	39163	22.07	53305	31185	41.49
हिमाचल प्रदेश	3623	3418	5.65	9116	8684	4.73	19742	17412	11.80	20762	12505	39.76
जम्मू व कश्मीर	6974	3856	44.77	14338	5933	29.51	17923	8653	51.72	17923	1311	92.68
कर्नाटक	65900	50490	23.38	111053	74985	32.47	164604	138603	15.94	169758	95030	44.02
केरल	5127	5127	--	7466	7466	--	62797	60788	3.19	48022	42987	10.48
मध्य प्रदेश	81238	72331	10.96	175663	139947	20.33	221544	164463	25.76	उ.न.	उ.न.	--
महाराष्ट्र	56319	41303	26.66	128932	100912	21.73	251552	217920	13.36	288718	232031	19.63



राज्य के नाम	1995-96			1996-97			1997-98			1998-99		
	अनाज का आबंटन	अनाज को उठाना	कमियों की प्रतिशतता	अनाज का आबंटन	अनाज को उठाना	कमियों की प्रतिशतता	अनाज का आबंटन	अनाज को उठाना	कमियों की प्रतिशतता	अनाज का आबंटन	अनाज को उठाना	कमियों की प्रतिशतता
मणिपुर	1574	1367	13.16	4129	1430	67.79	6499	5627	13.41	7637	4825	36.82
मेघालय	4918	4398	10.56	6557	4362	33.47	8691	6272	27.82	9615	2726	71.64
मिजोरम	2030	1914	5.75	2902	2665	--	2899	2899	--	2918	2042	30
नागालैण्ड	2190	1460	33	2920	2920	--	2920	2920	--	2920	2044	3
उड़ीसा	25992	16913	35	53297	41263	23	96105	82491	14	89940	उ.न.	--
पंजाब	2200	1822	17	2934	2368	19	11610	4711	59	9971	2944	70
राजस्थान	61506	54965	11	109096	60131	45	123594	93112	24	166046	उ.न.	--
सिक्किम	1397	1305	6.60	1864	1191	36	1864	1554	16	2550	1206	53
तमिलनाडु	18929	18892	--	27915	26373	6	150821	135914	10	118735	74906	37
त्रिपुरा	8085	6450	20	11371	8494	25	14012	7220	48	--	--	--
उत्तर प्रदेश	57179	47881	16.26	297289	286042	4	393891	379891	3.55	457857	272300	40.52
पश्चिम बंगाल	40035	30588	26.59	106076	81942	23	203356	178506	12	263596	80119	69
अं. एवं नि. द्वीप समूह	122	72	41	165	66	60	1211	968	20	1106	774	30
चण्डीगढ़	978	154	68.39	1285	352	72	1298	476	63	1267	321	74.68
दा. एवं ना. हवेली	400	399	--	734	292	60	594	532	10.36	663	458	30.78
दमन एवं दीव	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

राज्य के नाम	1995-96			1996-97			1997-98			1998-99		
	अनाज का आबंटन	अनाज को उठाना	कमियों की प्रतिशतता	अनाज का आबंटन	अनाज को उठाना	कमियों की प्रतिशतता	अनाज का आबंटन	अनाज को उठाना	कमियों की प्रतिशतता	अनाज का आबंटन	अनाज को उठाना	कमियों की प्रतिशतता
दिल्ली	13500	2150	84	14400	7389	48	28150	12055	57	18101	1660	91
लक्षद्वीप	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
पांडिचेरी	673	148	78	940	754	20	1351	1317	2.5	1319	910	31

## अनुबन्ध-4

## (पैराग्राफ 2.9 देखें)

1995-96 से 1998-99 (संचयी) के दौरान जिलों / खण्डों के कवरेज को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96		1996-97		1997-98		1998-99	
		जिलों की संख्या	ई.एस. खण्डों की सं.	जिलों की संख्या	ई.एस. और एल. एफ.एल. खण्डों की सं.	जिलों की संख्या	खण्डों की संख्या	जिलों की संख्या	खण्डों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	18	155	22	330	23	330	23	330
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	56	12	56	12	56	13	57
3.	असम	23	142	23	157	23	221	23	221
4.	बिहार	35	266	50	715	50	725	51	751
5.	गोवा	1	4	2	3	2	11	2	11
6.	गुजरात	17	131	18	138	19	218	19	219
7.	हरियाणा	6	44	16	88	17	111	19	111
8.	हिमाचल प्रदेश	6	18	10	33	12	72	12	115
9.	जम्मू व कश्मीर	14	84	14	121	14	121	14	121
10.	कर्नाटक	16	119	18	147	20	175	27	175
11.	केरल	7	21	7	21	14	152	14	155
12.	मध्य प्रदेश	37	297	45	453	45	459	45	459
13.	महाराष्ट्र	25	171	27	200	30	300	30	309
14.	मणिपुर	5	22	7	25	8	31	9	32
15.	मेघालय	7	32	7	32	7	32	7	35
16.	मिजोरम	3	20	3	20	3	20	3	20
17.	नागालैण्ड	7	28	7	28	7	28	7	28
18.	उड़ीसा	23	175	27	235	30	314	30	328
19.	पंजाब	6	37	7	40	17	147	17	147
20.	राजस्थान	30	172	31	237	31	240	32	248
21.	सिक्किम	4	8	4	8	4	8	4	8
22.	तमिलनाडु	14	89	20	185	22	391	29	447
23.	त्रिपुरा	3	17	4	27	4	31	4	31
24.	उत्तर प्रदेश	37	248	66	889	66	967	81	975
25.	पश्चिम बंगाल	15	128	17	216	18	394	18	405
26.	अं. एवं नि. द्वीप समूह	1	2	1	2	2	5	2	5

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96		1996-97		1997-98		1998-99	
		जिलों की संख्या	ई.ए.एस. खण्डों की सं.	जिलों की संख्या	ई.ए.एस. और एल. एफ.एल. खण्डों की सं.	जिलों की संख्या	खण्डों की संख्या	जिलों की संख्या	खण्डों की संख्या
27.	चण्डीगढ़	1	1	1	1	1	1	1	1
28.	दा.एवं न. हवेली	1	1	1	1	1	1	1	1
29.	दमन एवं दीव	2	2	2	2	2	2	2	2
30.	दिल्ली			1	1	1	6	1	6
31.	लक्षद्वीप	1	5	1	9	1	9	0	0
32.	पांडिचेरी	1	4	4	6	4	7	4	10
	जोड़	378	2499	475	4426	510	5585	544	5763

अनुबन्ध-5  
(पैराग्राफ 2.9 देखें)

1995-96 से 1998-99 वर्षों के दौरान रा.प्रा.शि.पौ.स.का. के अंतर्गत विद्यालयों के कवरेज को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष तक के दौरान कवर विद्यालयों की कुल संख्या			
		1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	26548	46628	49125	54248
2	अरुणाचल प्रदेश	1210	1210	1210	1641
3	असम	14299	28167	28464	28464
4	बिहार	21430	45230	53220	53220
5	गोवा	16	16	1281	1202
6	गुजरात	19091	19621	28782	28730
7	हरियाणा	3209	6108	8874	8976
8	हिमाचल प्रदेश	1860	3518	7659	9150
9	जम्मू व कश्मीर	8407	8407	8407	8407
10	कर्नाटक	23953	29033	36480	41577
11	केरल	1452	1452	10104	11278
12	मध्य प्रदेश	33825	61915	73158	87909
13	महाराष्ट्र	28029	32344	61305	64900
14	मणिपुर	1718	2240	2649	2997
15	मेघालय	4353	4591	4657	4837
16	मिजोरम	821	1166	1219	1109
17	नागालैण्ड	1627	1627	1627	1627
18	उड़ीसा	20548	28030	42104	40132
19	पंजाब	3688	3688	12585	12585
20	राजस्थान	31892	33735	34504	41564
21	सिक्किम	1479	1490	1490	1490
22	तमिलनाडु	33715	33748	33748	36175
23	त्रिपुरा	2604	2604	2920	2924
24	उत्तर प्रदेश	21528	54349	82407	87799
25	पश्चिम बंगाल	11530	20047	49734	51720
26	अं.एवं नि. द्वीप समूह	280	280	280	283
27	चण्डीगढ़	15	37	105	105
28	दा. एवं. न. हवेली	176	176	176	176
29	दमन एवं दीव	75	75	75	87
30	दिल्ली	2127	2127	2474	2098
31	लक्षद्वीप	32	32	32	@
32	पांडिचेरी*	83	102	245	285
	भारत	321620	473793	641100	687695

@ छूट प्राप्त

\* करेकल क्षेत्र में स्कूलों की संख्या शामिल नहीं है।

## अनुबन्ध-6

## (पैराग्राफ 2.9.3 देखें)

1995-96 से 1998-99 वर्षों के दौरान रा.प्रा.शि.पौ.स.का. के अंतर्गत विद्यार्थियों के कवरेज को दर्शाने वाला विवरण

क.स.	राज्य/ संघराज्य क्षेत्र	वर्ष तक के दौरान कवर किये गये विद्यार्थियों की संख्या			
		1995-96 3	1996-97 4	1997-98 5	1998-99 6
1	आन्ध्र प्रदेश	2735630	4913832	7240977	7618122
2	अरुणाचल प्रदेश	94519	96934	96934	151031
3	असम	1960708	2093846	2334724	2334724
4	बिहार	2892137	6125567	8047068	9353231
5	गोवा	3508	3508	99089	83784
6	गुजरात	1576120	1753695	4478388	4405872
7	हरियाणा	600172	1172399	1721155	1776838
8	हिमाचल प्रदेश	155455	303895	658067	694203
9	जम्मू व कश्मीर	411624	620364	620364	620364
10	कर्नाटक	2837432	3701781	5486803	5658630
11	केरल	314576	314576	2616547	2401144
12	मध्य प्रदेश	4061937	7429866	8326302	9007942
13	महाराष्ट्र	3754603	4297718	8385065	9623944
14	मणिपुर	104969	137631	216623	254585
15	मेघालय	218581	218581	289692	320496
16	मिजोरम	96748	96748	96626	97282
17	नागालैंड	97335	97335	97335	97335
18	उड़ीसा	1502480	2220702	4004353	4496999
19	पंजाब	495599	545284	1766396	1766396
20	राजस्थान	2733892	3636521	4119792	5534862
21	सिक्किम	62122	62122	62122	84986
22	तमिलनाडु	1158441	1163122	7447642	5936774
23	त्रिपुरा	359375	379028	467075	485857
24	उत्तर प्रदेश	2541295	9909644	13129698	15261900
25	पश्चिम बंगाल	1903928	3637813	7840201	8786558
26	अ.एवं नि.द्वीप समूह	5483	5483	40373	36865
27	चण्डीगढ़	64770	64770	19500	50000



2000 की रिपोर्ट सं-3 (सिविल)

28	दा.एवं न. हवेली	21994	24456	19812	22096
29	दमन एवं दीव	7938	8150	14342	14866
30	दिल्ली	600000	600000	1172900	905038
31	लक्षद्वीप	5922	8786	8786	*
32	पांडिचेरी	15497	46996	67534	65971
	भारत	33394790	55691153	90992235	97948695

\* छूट प्राप्त

## अनुबन्ध-7

(पैराग्राफ 2.11.2 देखें)

छोड़ जाने वाले विद्यार्थियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.स.	राज्य का नाम	छोड़ जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या								
		1996-97			1997-98			1998-99		
		नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	छोड़ गए विद्यार्थियों की संख्या	छोड़ गए विद्यार्थियों की प्रतिशतता	नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	छोड़ गए विद्यार्थियों की संख्या	छोड़ गए विद्यार्थियों की प्रतिशतता	नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	छोड़ गए विद्यार्थियों की संख्या	छोड़ गए विद्यार्थियों की प्रतिशतता
1.	आन्ध्र प्रदेश	7898481	4025855	50.97	8370079	3808385	45.5	879762	उ.न.	उ.न.
2.	असम	4381568	756753	17.27	4465203	769783	17.23	4540093	1784256	39.29
3.	बिहार	9626855	1651908	17.16	10266989	1772050	17.26	उ.न.	उ.न.	उ.न.
4.	गुजरात	5908752	2140741	36.23	6003862	2137374	35.60	6146281	1752919	28.52
5.	हरियाणा	2416187	80625	3.30	2536646	86633	3.41	2476967	47909	1.93
6.	कर्नाटक	6325318	96199	1.52	6460962	99662	1.54	6528979	103202	1.58
7.	केरल	507072	35305	6.96	475301	23228	4.89	464925	22640	4.87
8.	मध्य प्रदेश	9615000	3090261	32.14	10161000	2423398	23.85	10773000	2519000	23.36
9.	महाराष्ट्र	11662101	1296248	11	11827416	1196152	10	11913673	1086601	9
10.	मणिपुर	198007	28448	14.40	231668	33140	14.30	254585	22999	9.03
11.	उड़ीसा	4483000	1927690	43.00	4551000	2152623	47.30	4991000	2156112	43.20
12.	पंजाब	1736018	107803	6.20	1740580	105417	6.05	1727276	100249	5.80

क्र.सं.	राज्य का नाम	छोड़ जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या								
		1996-97			1997-98			1998-99		
		नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	छोड़ गए विद्यार्थियों की संख्या	छोड़ गए विद्यार्थियों की प्रतिशतता	नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	छोड़ गए विद्यार्थियों की संख्या	छोड़ गए विद्यार्थियों की प्रतिशतता	नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	छोड़ गए विद्यार्थियों की संख्या	छोड़ गए विद्यार्थियों की प्रतिशतता
13.	राजस्थान	6558000	954000	14.54	6895000	986000	14.30	उ.न.	उ.न.	उ.न.
14.	तमिलनाडु	6730000	1010173	15.10	6814000	1028914	15.10	6669000	967005	14.50
15.	त्रिपुरा	492523	268671	54.55	551538	277423	50.30	उ.न.	उ.न.	उ.न.
16.	उत्तर प्रदेश	18400000	8949760	48.64	1940000	9948320	51.28	20600000	उ.न.	उ.न.
17.	दादरा एवं नगर हवेली	24080	9622	39.96	24990	9376	37.52	23791	9945	41.8
18.	दिल्ली	914018	69861	7.64	920797	61657	6.70	939417	65168	6.93
19.	अ. एवं नि. द्वीप समूह	39843	11076	27.32	36865	10875	29.5	37475	5621	15

उ.न. - उपलब्ध नहीं



मानव संसाधन विकास मंत्रालय

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना





## महिला एवं बाल विकास विभाग

### 3. एकीकृत बाल विकास सेवा योजना

#### विशिष्टताएं

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य सेवाओं के एक पैकेज का प्रदान करना है जो छः वर्ष तक की आयु के बच्चों को व्यापक विकास प्रदान करेगा। यह एक महत्वकांक्षी योजना है जो शिशु स्वास्थ्य, शिशु पोषण, मातृ स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शिक्षा को एकल योजना में सुधार करने के प्रयासों को सम्पूर्ण करेगी। राज्यों द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा अनुपूरक पोषण भी कार्यक्रम में जोड़े गये थे। तथापि, योजना के लेखापरीक्षा पुनरीक्षण ने प्रयासों के घटिया एकीकृत मुख्य भाग को अलग-थलग दर्शाया है। योजना के संचालन के पच्चीस वर्षों में बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में बहुत कम सुधार हुआ है और न ही इससे बाल विकास शिशु स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा की प्रचलित दशा में कोई सराहनीय सुधार हुआ है।

निधियों के प्रतिबन्ध के कारण मंत्रालय योजना के साधारणीकरण की नीति को पूर्णतया लागू करने में विफल रहा। निधियों तथा अवसंरचना की आवश्यकता की गणना किये बिना पूरे देश को आवृत करने के लिए मंत्रालय ने 1997 में कार्यक्रम का साधारणीकरण किया। साधारणीकरण की नीति अप्राप्त रही। पूरे देश को आवृत करने के लिए 5618 की आवश्यकता के प्रति केवल 4200 परियोजनाएं चालू की गई थी। इस प्रकार लक्षित ग्रुप के लगभग 25 प्रतिशत आवृत किया जाना बाकी रह गया। मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार संस्वीकृत तथा राज्यों द्वारा सूचित की गई संचालित परियोजनाओं की संख्या में भिन्नता थी।

1992-99 के दौरान मंत्रालय ने ए.बा.वि.यो. सामान्य, प्रशिक्षण तथा विश्व बैंक के अन्तर्गत 4348.55 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया तथा पुनर्विनियोजन के माध्यम से इसके प्रति 4444.56 करोड़ रु. जारी किये गये। स.स.रा.स. तथा स्वी.अ.वि.ए. ने क्रमशः 1421.86 करोड़ रु. तथा 55.59 करोड़ रु. की सहायता प्रदान की। इसी प्रकार 27 राज्यों में अनुपूरक पोषण के लिए 3247.21 करोड़ रु. के बजट प्रावधान के प्रति 3042.80 करोड़ रु. जारी किये गए थे। 1992-99 के दौरान योजना पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों द्वारा किया गया व्यय लगभग 8534 करोड़ रु. था।

योजना ने अपनी सफलता की कल्पना बहुत से तथ्यों, जैसे बच्चों को समक्षणिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अन्तर्विभागीय समन्वयन, उपयुक्त पोषण प्रदान करवाने के लिए राज्य सरकारों तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के शामिल होने तथा कार्यक्रम की बेहतर मानीटरिंग, की कल्पना की थी। तथापि कार्यक्रम में विविध एजेन्सियों के निवेश होने के बावजूद भी कार्यक्रम की अविश्वसनीय/अनियन्त्रित जटिलता के कारण योजना वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी जैसा कि दवाई किटों, विटामिन 'ए' के प्रावधानों तथा

नकद/वस्तु इत्यादि के रूप में विदेशी सहायता के उपयोग पर पुनरीक्षण निष्कर्षों से प्रमाण मिलता है।

अनुपूरक पोषण घटक विभिन्न कारणों जैसे लाभभोगियों की पहचान न करने, लाभभोगियों की अपर्याप्त कवरेज, पोषण में महत्वपूर्ण रुकावटें, भोजन के पोषक मूल्य में कमियों, अवस्तरीय भोजन इत्यादि के कारण लाभभोगियों के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने में विफल रहा था। अनेक राज्य सरकारों ने अनुपूरक पोषण के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं करवाया। 9 राज्यों में गम्भीर कुपोषित बच्चों के लिए/रोगहर/दूध छुड़ाई भोजन की व्यवस्था नहीं की गई थी। चार राज्यों में अवस्तरीय तथा मिलावटी भोजन के मामलों का पता चला था।

विश्वबैंक निधिबद्ध परियोजना के उपयोग के पुनरीक्षण ने दर्शाया कि वर्तमान परियोजना के अन्तर्गत मार्च 1999 तक उपयोग केवल 39 प्रतिशत था जबकि आबंटन के शेष 61 प्रतिशत के उपयोग के लिए केवल एक वर्ष शेष रह गया था। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों में इस मूल्यवान सहायता के 25.13 करोड़ रु. को सिविल जमा, व्यक्तिगत जमा, इत्यादि अथवा गैर-ए.बा.वि.से. के लिए कहीं और विपथित किया गया था। परियोजना का प्रभाव सन्देहपूर्ण था क्योंकि उड़ीसा में प्रथम विश्व बैंक परियोजना के पूर्ण होने पर बच्चों के बीच गम्भीर कुपोषण की बढ़ती हुई दर की प्रवृत्ति दर्शाई। प्रोजेक्टों, जीपों, तेल पैमानों इत्यादि के रूप में यूनीसेफ से प्राप्त सहायता का भारी रूप से अनुपयोग हुआ अथवा ए.बा.वि.से. के असम्बद्ध अन्य कार्यों को विपथन किया गया जैसा कि नौ राज्यों में नमूना जांच से पता चला। निर्धारित अवधि के भीतर राज्यों द्वारा विश्व आहार कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध करवाये गए आहार के घटिया उपयोग को ध्यान में रखते हुये वि.आ.का. के उपयोग का समय इक्कीस माह तक बढ़ा दिया तथा 1994-95 से आबंटन भी 80 प्रतिशत तक कम कर दिया। तीन राज्यों में आहार सामग्री को राज्य स्तर पर बढ़ाने तथा उपयोग करने में कुप्रबन्ध तथा वि.आ.का. आहार की घटिया क्वालिटी के मामले भी ध्यान में आये।

10 राज्यों के लिए स.स.रा.स. से प्राप्त आहार सहायता के सम्बन्ध में, राज्यों द्वारा कम उपभोग के कारण स.स.रा.स. ने 1992-97 के दौरान 10.50 लाख टन के प्रावधान के प्रति केवल 7.61 लाख टन की आपूर्ति की तथा साथ ही 1996-97 के आगे पोषण दिवसों को 300 दिनों से घटा कर 260 दिन कर दिया। तमिलनाडु के तीन जिलों में स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाई गई 51.17 लाख रु. की सहायता का आशा के अनुरूप उपयोग नहीं किया गया था।

पहचान के लिए आधार रेखा सर्वेक्षणों की कमी सम्बद्ध अभिलेखों/रजिस्ट्रों के न बनाने/अधूरे बनाने, राज्य स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वयन की कमी के कारण स्वास्थ्य जांच तथा प्रेषणीय सेवाओं के घटक का कार्यान्वयन विशेष रूप से त्रुटिपूर्ण पाया गया था।



योजना के घटक के रूप में टीकाकरण की व्यवस्था करने में मुख्य सत्यवरोध कवरेज में कमी के बहुत से मामलों के अतिरिक्त लक्ष्यों का निर्धारण न करना, पूरी कवरेज सुनिश्चित करने के लिए मानीटरिंग तन्त्र की कमी, अभिलेखों का न बनाना/अधूरा बनाना था।

आंगनवाड़ी केन्द्र में दवाई किटों की व्यवस्था करना जैसा कि मन्त्रालय द्वारा विचार किया गया था, दवाई किटों की खरीद तथा सपुर्दगी प्रणाली में त्रुटियों के कारण विफल हो गया था। 16 राज्यों में किटों की प्राप्ति में कमियों का पता चला था। इसके अतिरिक्त 5.83 करोड़ रु. के मूल्य की किटों की अधिक खरीद का भी पता चला था।

पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा घटक को स्पष्ट योजना की कमी के कारण हानि उठानी पड़ी क्योंकि ऐसी शिक्षा का मानदण्ड निर्धारित करने के लिए कोई विचारशील प्रयास नहीं किये गये थे तथा इस घटक की सपुर्दगी हेतु संसाधन काफी मात्रा में अप्रयुक्त रहे। सात राज्यों में फिल्मों/स्लाइडों की अनुपलब्धता, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, प्रोजेक्टरों की अप्राप्ति, त्रुटिपूर्ण उपकरणों के कारण फिल्म शो के आयोजन नहीं किये गये थे। 15 राज्यों ने 1992-99 के दौरान फिल्मों/स्लाइड शो के द्वारा कवरेज में 91 प्रतिशत की कमी सूचित की थी। पांच राज्यों में 1992-99 के दौरान इस घटक के अन्तर्गत कोई गतिविधि नहीं हुई अथवा इसके कोई अभिलेखे नहीं बनाए गये थे।

अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा मुख्यतः एडबल्यू.सी. पर उपलब्ध करवाए गए अनुपूरक पोषण पर निर्भर पाई गई थी। 15 राज्यों में पात्र बच्चों के केवल 54 प्रतिशत ही कक्षाओं में उपस्थित हुए। असम, हरियाणा तथा जम्मू एवं कश्मीर में अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा के मूल अभिलेखे तैयार नहीं किये गये थे। राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश के पात्र बच्चों के प्रति नामांकन तथा उपस्थिति में कमी की प्रतिशतता सुस्पष्ट थी।

बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ., पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायक योजना के मुख्य कर्मचारी हैं। 1992-99 के दौरान 10 राज्यों में संस्वीकृत पदों के प्रति वास्तविक संख्या में 13 से 38 प्रतिशत की कमी के बावजूद 5.06 करोड़ रु. के ए.बा.वि.से. स्टाफ के गैर ए.बा.वि.से. को विपथित करने तथा बेकार मजदूरी के मामलों का पता चला था। मन्त्रालय तथा राज्यों द्वारा सूचित आंकड़ों तथा संस्वीकृत पदों तथा कार्यरत व्यक्तियों के आंकड़ों के बीच कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के बीच भिन्नता का पता चला था।

ए.बा.वि.से. कर्मचारियों का प्रशिक्षण अधिकांशतः अप्रभावी रहा क्योंकि प्रशिक्षण को उतनी उच्च प्राथमिकता नहीं दी गई जितनी कि दी जानी चाहिए थी। प्रेरणा तथा कार्यान्वयन में निरन्तर कमी थी। कुछ राज्यों में लक्ष्यों के कम निर्धारण, विभिन्न कर्मचारियों के प्रशिक्षण में भारी कमी, अभिलेखों के अधूरे बनाने, प्रशिक्षण संसाधनों के कम उपयोग, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मानीटरिंग में कमी का पता चला था।

1991-92 में ए.बा.वि. योजना के भाग के रूप में आरम्भ की गई किशोर बालिका योजना न तो राज्यों द्वारा उपयुक्त ढंग से लागू की गई थी न ही मन्त्रालय द्वारा

मानीटरिंग की गई थी। आठ राज्यों में 1991-92 से एक भी लाभभोगी को आवृत्त नहीं किया गया था परिणामस्वरूप 9 करोड़ रु. का निष्फल निर्गम हुआ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विटामिन ए घोल तथा आइरन एवं फॉलिक एसिड गोलियों की आपूर्ति सन्तोषजनक स्तर से बहुत कम थी। 1992-99 के दौरान कुछ राज्यों में विटामिन ए की प्राप्ति तथा वितरण के अभिलेखे नहीं बनाए गए थे जबकि अधिकतर राज्यों में विटामिन ए घोल की कोई आपूर्ति नहीं की गई थी।

योजना न तो विवेकपूर्ण ढंग से निधिबद्ध की गई थी और न ही संसाधनों का उपयोग उपयुक्त था। मंत्रालय ने परियोजनाओं की संख्या के आधार पर अंकगणितीय ढंग से अनुदान जारी किये। मंत्रालय द्वारा राज्यों में मानीटरिंग के अभाव तथा वित्तीय नियन्त्रण के अन्तर्निमित यन्त्र की कमी के कारण सात राज्यों के लगभग 121 करोड़ रु. की योजना निधियों का विपथन हुआ।

मंत्रालय द्वारा जारी तथा राज्यों द्वारा प्राप्त किये गए अनुदानों के आंकड़ों का समाधान न करना योजना के वित्तीय प्रबन्धन में एक मुख्य त्रुटि थी जो कि मंत्रालय द्वारा तैयार किये गए वित्तीय आंकड़ों की विश्वसनीयता को सन्देहास्पद बनाते थे।

ए.बा.वि.से. योजना के मानीटरिंग की प्रणाली राज्य सरकारों की ओर से ए.बा.वि.यो. के लिए उचित वचनबद्धता की कमी तथा मंत्रालय के मासिक प्रगति रिपोर्ट तथा मूल्यांकन हेतु मासिक मानीटरिंग रिपोर्टों पर ही निर्भर रहने के कारण अधिकतर अप्रभावी रही। 14 राज्यों में योजना को मॉनीटर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर समन्वयन समितियों का गठन नहीं किया गया था। परियोजनाओं के केवल 41 प्रतिशत मासिक मानीटरिंग रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे। मासिक प्रगति रिपोर्ट या तो भेजी नहीं गई थी अथवा गलत या अधूरी थीं। 16 राज्यों में बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ. तथा पर्यवेक्षकों के क्षेत्रीय दौरों में भारी कमी का पता चला था। दिल्ली में 1996-98 के दौरान पर्यवेक्षकों ने 29 से 196 आंगनवाड़ियों में कोई दौरा नहीं किया।

योजना का मूल्यांकन विभिन्न सस्थाओं जैसे राष्ट्रीय जन सहकारिता तथा बाल विकास संस्थान, केन्द्रीय तकनीकी समिति-एकीकृत मातृ एवं बाल विकास तथा राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। इन संस्थानों द्वारा दिए गए सुझाव अधिकांश अकार्यान्वित रहे। समय-समय पर निर्देश-चिन्ह-सर्वेक्षण नहीं किए गए जिसके कारण कार्यक्रम के वास्तविक प्रभाव का निर्धारण नहीं हुआ।

### 3.1. प्रस्तावना

#### 3.1.1 भूमिका

बाल-कल्याण, पंचवर्षीय योजनाओं में सदैव एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उभरा है। इस संबंध में समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं।

पांचवीं पंच-वर्षीय योजना ने कार्यक्रम में परिवर्तन करके इसे 'बाल कल्याण' से 'बाल विकास' में संकेद्रित किया तथा व्यापक उद्देश्य की सीमा के अन्दर परस्पर संबंधित सेवाओं के बाहुल्य

के एकीकरण तथा समन्वय पर बल दिया। अगस्त 1974 में 'राष्ट्रीय बाल नीति' की परिगणना 'एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के विस्तार में एक महत्वपूर्ण घटना थी। योजना में यह प्रावधान था कि राज्य को बच्चों के सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए जन्म से पूर्व तथा जन्म के पश्चात् उनके विकास की अवधि में राज्य को पर्याप्त सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। इस उद्देश्य के पालन हेतु 2 अक्टूबर 1975 को 'एकीकृत बाल विकास सेवा योजना प्रारम्भ की गई थी।

### 3.1.2 योजना

#### 3.1.2.1 कार्य-क्षेत्र

योजना 1975 में देश के 33 खण्डों में प्रारम्भ की गई थी।

ए.बा.वि.से.<sup>1</sup> छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के सम्पूर्ण विकास को प्रोन्नत करने के लिए बनाई गई थी। चूंकि बाल्यावस्था के विकास में मां की देखभाल एक निर्णायक विषय है, योजना में संभावित माताओं के रूप में अल्पवयस्क बालिकाओं सहित माताओं के स्वास्थ्य तथा उनमें जागरूकता उत्पन्न करने वाला एक संघटक शामिल था।

योजना देश के 33 खण्डों में प्रायोगिक आधार पर 1975 में प्रारम्भ की गई थी। इसमें 22 राज्यों तथा उस समय संघशासित क्षेत्र दिल्ली में 18 ग्रामीण, 11 जनजातीय तथा 4 शहरी गन्दी बस्ती परियोजनाएं शामिल थीं।

आठवीं योजना ने 'मानव विकास' पर महत्वपूर्ण बल दिया था। इस चेष्टा के साथ ए.बा.वि.से. व्यापक बना दी गई थी तथा इसका तीव्रता से विस्तार हुआ। नौवीं योजना के प्रारम्भ में ए. बा.वि.से. का देश के समस्त 5320 विकास खण्डों तथा 310 प्रमुख शहरी गन्दी बस्ती परियोजनाओं में विस्तार किया गया था।

अल्पवयस्क बालिकाओं के लिए मध्यस्थता तथा गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए पुनर्पोषण कार्यक्रम आन्ध्र प्रदेश (110 खण्ड), उड़ीसा (191 खण्ड), बिहार (210 खण्ड), तथा मध्यप्रदेश (244 खण्ड) के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यान्वित किए गए हैं।

#### 3.1.2.2 उद्देश्य

ए.बा.वि.यो. के निम्नलिखित उद्देश्य थे :

- 0-6 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों के पोषण तथा स्वास्थ्य की स्थिति सुधारना ;
- बच्चे के समुचित मनोवैज्ञानिक, भौतिक तथा सामाजिक विकास की नींव रखना ;
- मृत्यु-दर, अस्वस्थता, कुपोषण तथा निश्चित रूप से स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों का दायित्व कम करना ;
- बाल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति का प्रभावी सामंजस्य तथा उसका कार्यान्वयन निष्पादित करना ;
- बच्चे के स्वास्थ्य तथा पोषण की आवश्यकताओं की देखभाल के लिए समुचित स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी शिक्षा के माध्यम से मां की क्षमता को बढ़ाना ;

<sup>1</sup> 'एकीकृत बाल विकास सेवा योजना



- समाज के गरीब वर्गों की गर्भवती महिलाओं तथा पोषक माताओं की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना।

### 3.1.2.3 लाभभोगी

योजना की प्रारम्भिक अवस्था में आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों, सूखाग्रस्त क्षेत्रों, उन क्षेत्रों जिनमें पोषक कमियां स्थानिक थी तथा जहां सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता कम थी, को प्राथमिकता दी गई थी।

छः वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा 15-45 आयु वर्ग की महिलाएं इस योजना के लाभभोगी हैं।

छः वर्ष से कम आयु-वर्ग के बच्चे ए.बा.वि.यो. के लक्ष्य केन्द्र हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि बच्चे का स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी स्तर, गर्भावस्था के दौरान मां के स्वास्थ्य तथा उसके द्वारा बचपन में स्तनपान में की जाने वाली सावधानी एवं देखभाल से बहुत अधिक प्रभावित होता है, 15-45 वर्ष आयु-वर्ग की प्रजनक महिलाएं भी लक्षित वर्ग के अन्तर्गत आवृत्त की गई हैं। इस प्रकार, 1991 की जनगणना के आधार पर पूरे देश की लक्षित जनसंख्या, 0-6 वर्ष आयु वर्ग के 150 मिलियन बच्चे तथा 15-44 वर्ष आयु-वर्ग की 181 मिलियन महिलाएं परिकलित की गईं। 330 मिलियन से भी अधिक का यह कुल लक्षित वर्ग देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत बना।

### 3.1.2.4 संगठन

ए.बा.वि.यो., राज्य सरकारों तथा संघ-शासित प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली एक केन्द्र-प्रवर्तित योजना है। सभी प्रशासनिक व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं तथा पोषण अनुपूर्ति पर होने वाले व्यय को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी निधियों से पूरा किया जाता है।

भारत सरकार का महिला तथा बाल-विकास विभाग कार्यक्रम की योजना बनाने तथा प्रावधान करने के लिए केन्द्र बिन्दु है, जबकि राज्य/सं.शा. सरकारें योजना के कार्यान्वयन तथा अनुपूरक पोषण संघटक निधीयन के लिए उत्तरदायी हैं।

केन्द्रीय स्तर पर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत महिला तथा बाल विकास विभाग, कार्यनीति तैयार करने, संसाधन का प्रावधान, मागदर्शन तथा योजना के कार्यान्वयन अनुश्रवण के लिए एक उत्तरदायी केन्द्र बिन्दु है।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्तर पर, महिला तथा बाल विकास/समाज कल्याण/स्वास्थ्य/ग्रामीण विकास/सामुदायिक विकास/जनजातीय कल्याण अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य किसी निस्पन्द विभाग का सचिव, कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं।

ज़िला स्तर पर, ज़िला अधिकारी, योजना के समन्वयन तथा कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं। एक ए.बा.वि.यो. परियोजना, ग्रामीण क्षेत्र में एक सामुदायिक विकास खण्ड, जनजातीय क्षेत्र में एक जनजातीय विकास खण्ड, तथा शहरी क्षेत्र में गन्दी बस्तियों के एक वर्ग को आवृत्त करती है।

पांच अथवा अधिक ए.बा.वि.यो. परियोजनाओं वाले ज़िलों ने कक्ष के मुखिया के रूप में कार्यक्रम अधिकारी सहित ए.बा.वि.यो. अनुश्रवण कक्ष स्थापित किए हैं। 80 प्रतिशत आवरण वाले ज़िलों को एक पोषण विज्ञानी, एक पूर्व-विद्यालय अनुदेशक, एक समाज-कार्य अनुदेशक, एक स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक आदि दिया गया है।



खण्ड स्तर पर, बा.वि.प.अ.<sup>2</sup> कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का समग्र प्रभारी है। औसत के आधार पर प्रत्येक खण्ड में 100 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। सुविधाजनक पर्यवेक्षण के लिए, खण्ड को ए.बा.वि.यो. प्रयोजनों के लिए प्रत्येक उपखण्ड में 20-25 आंगनवाड़ी केन्द्रों सहित चार-पांच उपखण्डों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक उपखण्ड में एक पर्यवेक्षक होता है जो बा.वि.प.अ. को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

चूंकि स्वास्थ्य, ए.बा.वि.यो. का एक प्रमुख संघटक है, अतः खण्ड तथा ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य अवसंरचना के साथ निकट सम्पर्क बनाना होता है। प्रत्येक खण्ड में तीन-चार चिकित्सा अधिकारियों का कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होता है। एक स्वास्थ्य सहायक सहित एक चिकित्सा अधिकारी, एक उपखण्ड में स्वास्थ्य संघटक के कार्यान्वयन की देखभाल करता है। उनके बीच, इस प्रकार, तीन-चार चिकित्सा अधिकारी समस्त ए.बा.वि.यो. खण्ड को आवृत करते हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल म.ब.क.<sup>3</sup> अथवा सहायक उपचारिका द्वारा सुनिश्चित की जाती है जो स्वास्थ्य सहायक के अधीन कार्य करते हैं। प्रत्येक म.ब.क. एक उपखण्ड में चार-पांच आंगनवाड़ी केन्द्रों की देखभाल करता है।

गांव अथवा शहरी क्षेत्रों की गन्दी बस्तियों में ए.बा.वि.यो. सेवाएं आंगनवाड़ी केन्द्र के माध्यम से सम्पादित की जाती हैं जिसे शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1000 की जनसंख्या तथा जनजातीय क्षेत्रों में बिखरी हुई बस्तियों के कारण 700 को आवृत्त करना होता है।

क्षेत्र में कार्यरत अन्य तृणमूल संगठन, जैसे महिला मंडल, पंचायतें, पाठशालाएँ, सहकारिताएँ तथा गैर सरकारी संगठन, भू-स्तर पर प्रबन्धकों के तंत्र का आधार बनते हैं।

### 3.2 पुनरीक्षण का कार्य-क्षेत्र

इससे पूर्व योजना का पुनरीक्षण 1989-90 में किया गया

योजना के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण इससे पूर्व लेखापरीक्षा में 1989-90 में (भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन सं. 14) किया गया था। पिछले पुनरीक्षण में अन्य के साथ-साथ परियोजना रूपण की कुछ कमियों, अवसंरचना की वृद्धि में असंतुलन, परिचालन विफलताओं, वितरण में त्रुटियों, संसाधनों के अनुपयोग आदि पर प्रकाश डाला गया था। वर्तमान पुनरीक्षण से प्रकट हुआ कि पिछले पुनरीक्षण में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित संगठनात्मक तथा परिचालनात्मक कमियां अभी विद्यमान हैं।

#### 3.2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

वर्तमान पुनरीक्षण, सामान्य रूप से पिछले पुनरीक्षण के पाठों तथा निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया :

- यह पता लगाना कि क्या वित्तीय संसाधन मानकों के अनुसार उपलब्ध कराए गए थे, समुचित रूप से प्रयोग किए गए थे तथा क्या निधियों का प्रवाह सामान्य था ;

<sup>2</sup> बाल विकास परियोजना अधिकारी

<sup>3</sup> महिला बहुदेशीय कर्मचारी

- यह पता लगाना कि क्या आर्थिक तथा भौतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के मानदण्ड विश्वसनीय थे ;
- यह पता लगाना कि क्या योजना के लिए चिन्हित जनशक्ति को काम में लगाया गया था तथा क्या कर्मचारियों की कमी एक बाधा थी।
- अवस्थापना के स्थिति निर्धारण में कमियों का पता लगाना।
- एक साथ सेवा वितरण का आकलन करना तथा विशेष रूप से यह पता लगाना कि:
  - पात्र लाभभोगियों को मापक्रम के अनुसार अनुपूरक पोषण प्रदान किया गया था तथा तापजनक मूल्य तथा आहार मानदण्डों का अनुश्रवण किया गया था।
  - योजना को कार्यान्वित करने के लिए परामर्श सेवाएं तथा स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं पर्याप्त थीं तथा कार्य विस्तार आशावादी था।
  - 'आंगनवाड़ी' अवसंरचना का कार्य पर्याप्त तथा योजना की सहायता में कुशल था।
  - असंक्रमणीकरण आंकड़े विश्वसनीय थे तथा कार्य विस्तार आशावादी था।
  - औषधि सामग्री पुंज समुचित क्रय प्रक्रिया अपना कर खरीदी गई थी तथा उन्हें कुशलता से वितरित किया गया था।
  - लक्षित जनसंख्या में पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा के प्रचार हेतु प्रभावी कार्यवाही की गई थी।
  - अनौपचारिक पूर्व-विद्यालय शिक्षा योजना सफल थी, तथा विश्वसनीय नामांकन आंकड़े उपलब्ध थे।
- यह सुनिश्चित करना कि क्या प्रशिक्षण प्राचलों का पालन किया गया था तथा कार्य विस्तार एवं गुणवत्ता दोनों को बनाए रखा गया था  
यह जांच करना कि -
- क्या संसाधनों के उपयोग तथा विश्व बैंक एवं सं.रा.बा.नि.<sup>4</sup> जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सहायता से वांछित सुधार हुआ था ;
- क्या वि.खा.का.<sup>5</sup> एवं स.स.रा.स.स.<sup>6</sup> द्वारा प्रदत्त आहार उचित था तथा क्या पार्ष्विक मध्यस्थता का कोई महत्वपूर्ण परिणाम निकला ;
- क्या तमिलनाडु में स्वी.अ.वि.ए.<sup>7</sup> की परियोजना वास्तविक पैरामीटर के सन्दर्भ में कार्यान्वित की गई थी।

### 3.2.2 प्रणाली

1992-99 की अवधि से सम्बंधित आकड़ों तथा सूचना की जांच मंत्रालय तथा राज्यों में नमूना जांच के माध्यम से की गई थी। नमूना विवरण अनुबंध-I में दिए गए हैं। राज्यों के महालेखाकारों द्वारा चुनी गई नमूना इकाइयां चालू परियोजनाएं थीं। नमूनों ने ग्रामीण,

<sup>4</sup> संयुक्त राष्ट्र बाल निधि

<sup>5</sup> विश्व खाद्य कार्यक्रम

<sup>6</sup> सर्वत्र सहायता तथा राहत सहकारी समिति

<sup>7</sup> स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी

शहरी अथवा जन जातीय हस्तियों से सम्बन्धित विशिष्टता की सूची नहीं दर्शाई क्योंकि योजना का साधारणीकरण हो चुका है।

### 3.2.3 प्रतिबन्ध

एकरूप आधार पर सूचना सभी कार्यान्वयन इकाइयों से उपलब्ध नहीं थी। आंकड़ों के अनुरक्षण की कोटि साधारणतया असन्तोषजनक थी। पर्याप्त मानीटरिंग प्रमाण पर्यवेक्षी तथा आधारीक कार्यात्मक स्तरों पर तैयार नहीं किये गए थे। संचालनात्मक स्तर से नीति स्तर तक आंकड़ों का प्रवाह अनियमित तथा प्रायः अविश्वसनीय था। आंकड़ों के प्रतिबन्ध के बावजूद उपलब्ध सूचना को देशव्यापी फार्मेट में सूत्रबद्ध करने का प्रयास किया गया है। योजना की कमियों की व्यापक तस्वीर उपलब्ध आंकड़ों से प्रकट होती है।

## 3.3 संसाधनों का उपयोग

### 3.3.1 निधियन का स्रोत

योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने संचालनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ण लागत की व्यवस्था की, जबकि सम्बद्ध राज्य सरकारों ने अनुपूरक पोषण घटक के लिए निधियों की व्यवस्था की। विश्व बैंक ने आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा में केन्द्र सरकार के माध्यम से वित्तीय सहायता की व्यवस्था की। अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियां जैसे यूनीसेफ, स.स.रा. स., वि.खा.का. तथा स्वी.अं.वि.ए. ने भी नकद/वस्तु में योजना को सहायता दी। तथापि धन विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से भिन्न केन्द्र सरकार के माध्यम से दिये बिना राज्यों को सीधे दिया गया था।

मंत्रालय ने विश्व बैंक सहायता शामिल करते हुये 4348.55 करोड़ रु. बजट का प्रावधान किया जिसके प्रति इसने 1992-99 वर्षों के दौरान पुनर्विनियोग के माध्यम से 4444.56 करोड़ रु. के अनुदान जारी किए।

तथापि जारी की गई निधियों के घटकों के विश्लेषण ने दर्शाया कि स.बा.वि.यो. कर्मचारियों के केवल प्रशिक्षण हेतु आबंटित 61.04 करोड़ रु. में से ए.बा.वि. से के वितरण प्रणाली को निर्णायक घटक माना गया, आठवीं योजना अवधि के दौरान 11.76 करोड़ रु. बिना जारी किये रह गए तथा 35.73 करोड़ रु. अगले दो वर्षों में बिना जारी किए रह गए। इसी प्रकार योजना के लिए दी गई विश्व बैंक की सहायता आठवीं योजना के दौरान 39.80 करोड़ रु. तक बिना जारी किये गए रह गई तथा अनुवर्ती दो वर्षों 1997-99 के दौरान 253.52 करोड़ रु. बिना जारी किये रह गए। विवरण अनुबन्ध-2 में दिए गए हैं।

27 राज्यों में राज्य सरकारों ने अनुपूरक पोषण के लिए 3247.21 करोड़ रु. के बजट प्रावधान किये जिसके प्रति 3042.80 करोड़ रु. जारी किये गए थे। अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों जैसे यूनीसेफ, स.स.रा.स., वि.खा.का. तथा स्वी.अं.वि.ए. ने भी योजना में नकद/वस्तु के रूप में सहायता दी, स.स.रा.स. ने 1992-98 के दौरान 1421.86 करोड़ रु. की आहार सहायता दी, स्वी.अं.वि.ए. ने मार्च 1989 से जून 1999 के दौरान 55.59 करोड़ रु. की वस्तुओं के रूप में सहायता दी। यूनीसेफ तथा वि.खा.का. द्वारा की गई सहायता निर्धारित नहीं की जा सकी।

विश्व बैंक, यूनीसेफ, स.स.रा.स., वि.खा. का. तथा स्वी.अं.वि.ए. ने भी योजना को सहायता उपलब्ध करवाई

4348.55 करोड़ रु. के बजट प्रावधान के प्रति मंत्रालय ने 4444.56 करोड़ रु. जारी किये

राज्य सरकारों ने 3247.21 करोड़ रु. के बजट प्रावधान के प्रति 3042.80 करोड़ रु. जारी किए

राज्य/सं.रा. सरकारों ने ए.बा.वि.से. सामान्य तथा प्रशिक्षण पर 3524.10 करोड़ रु. तथा विश्व बैंक सहायता से 655.13 करोड़ रु. का व्यय किया

### 3.3.2 राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया व्यय

राज्य सरकारों ने 1992-99 के दौरान संघ सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई निधियों में से ए.बा.वि.यो. सामान्य तथा प्रशिक्षण पर 3524.10 करोड़ रु. का व्यय सूचित किया। राज्य-वार विवरण अनुबन्ध-3 में दिया गया है। कुल 32 राज्यों/सं.रा. क्षेत्र की सरकारों में से, 13 राज्य/सं.रा. क्षेत्र की सरकारों ने योजना पर 100.40 करोड़ रु. का अधिक व्यय किया जबकि शेष 19 राज्यों/सं.रा. क्षेत्र की सरकारों ने 300.06 करोड़ रु. का कम व्यय किया। इसमें से केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने ही 177.64 करोड़ रु. की बचत की।

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य सरकारों ने 1992-99 के दौरान विश्व बैंक सहायता में से 655.13 करोड़ रु. का व्यय किया।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने 1992-99 के दौरान अनुपूरक पोषण कार्यक्रम पर 2878.08 करोड़ रु. का व्यय किया।

केन्द्र सरकार द्वारा अनुदानों में से राज्य सरकारों द्वारा व्यय की गणना करते हुये राज्य सरकारों द्वारा अनुपूरक पोषण पर व्यय तथा विश्व बैंक स्वी.अं.वि.ए. तथा स.स.रा.स. द्वारा उपलब्ध करवाई गई नकद/वस्तु के रूप में से 1992-99 के दौरान परियोजना पर कुल व्यय 8534 करोड़ रु. से अधिक था।

120.76 करोड़ रु. निकाले गए तथा सिविल/व्यक्तिगत जमा आदि में रखे गए थे तथा इनमें से 87.85 करोड़ अभी भी पड़े हुए

### 3.3.3 निधियों का विपथन

बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश सात राज्यों में 1992-99 के दौरान नमूना जिलों में निकाले गए 120.76 करोड़ रु. में से 87.85 करोड़ रु. अभी तक सिविल जमा अथवा व्यक्तिगत जमा अथवा बैंकों में पड़े हुये थे जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है :

(करोड़ रु. में)

राज्य का नाम	आहरित राशि	शेष पड़ी राशि
(क) सिविल जमा में पड़ी निधियां		
बिहार	28.44	1942
मध्य प्रदेश	7.43	0.48
उड़ीसा	0.12	0.12
जोड़	35.99	20.02
(ख) व्यक्तिगत जमा में पड़ी निधियां		
राजस्थान	0.70	0.40
उत्तर प्रदेश	45.16	29.09
जोड़	45.86	29.49
(ग) बचत बैंक में पड़ी निधियां		
हिमाचल प्रदेश	38.26	38.26
तमिलनाडु	0.65	0.08
जोड़	38.91	38.34
कुल जोड़	120.76	87.85

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि जमा में भारी विपथन उत्तर प्रदेश : 45.16 करोड़ रु. इसके बाद हिमाचल प्रदेश : 38.26 करोड़ रु. तथा बिहार : 28.44 करोड़ रु. था। आकस्मिक रूप से ये वे राज्य हैं जहां पर योजना को गहरा धक्का लगा।

### 3.3.4 उत्तरदायित्व

मंत्रालय ने राज्य सरकारों से लेखापरीक्षित व्यय विवरणियां प्राप्त नहीं की।

#### 3.3.4.1 लेखापरीक्षित व्यय विवरणियों की अप्राप्ति

अनुदान जारी करने की संस्वीकृति के लिए एक शर्त यह थी कि भुगतान पूरे वर्ष के लिए वास्तविक व्यय के लेखापरीक्षित आंकड़ों को ध्यान में रख कर अंतिम रूप से समायोजित किया जाएगा। तथापि, मंत्रालय ने राज्य सरकारों द्वारा लेखापरीक्षित विवरणियों को प्रस्तुत करने के लिए उन पर दबाव डाले बिना उन्हें अनुदान देना जारी रखा।

#### 3.3.4.2 लेखाओं का समाधान न किया जाना

मंत्रालय ने जारी किये गए अनुदानों की राशि का भु.ले.का. अथवा राज्यों के साथ समाधान नहीं किया।

राज्य सरकारों को अनुदान जारी करने के लिए मंत्रालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया यह थी कि मंत्रालय के सम्बद्ध क्रियात्मक अनुभाग अर्थात् बाल विकास II, प्रशिक्षण एवं विश्व बैंक संस्वीकृतियां जारी करते थे, जो कि भुगतान एवं लेखा अधिकारी को बिल प्रस्तुत करने हेतु रोकड़ तथा बजट अनुभाग को भेजी जाती थीं।

प्रशासनिक अनुभागों, रोकड़ तथा बजट अनुभाग तथा भुगतान एवं लेखा अधिकारियों द्वारा भेजे गए जारी की गई कुल राशि के आंकड़े से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे जैसा कि नीचे दिया गया है :-

वर्ष	के अनुसार जारी निधियां		
	भुगतान एवं लेखा कार्यालय	रोकड़ एवं बजट	सम्बद्ध अनुभाग
1992-93	366.69	366.78	364.56
1993-94	441.88	418.25	474.19
1994-95	534.98	534.98	536.65
1995-96	668.72	644.85	667.73
1996-97	690.79	691.07	692.43
1997-98	766.09	766.09	766.24
1998-99	975.41	975.44	934.92
जोड़	4444.56	4397.46	4436.72

यह आ.सं.अ. द्वारा भु.ले.का. के साथ अभिलेखों के समाधान न करने के कारण हुआ जैसा कि सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 66 के अन्तर्गत अपेक्षित है। उपर्युक्त तथ्यों की पुष्टि भु.ले.का. द्वारा जून 1999 में तथा रोकड़ एवं बजट अनुभाग द्वारा जुलाई 1999 में की गई थी।

इसके अतिरिक्त भुगतान एवं लेखा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गए राज्य-वार नकद अनुदान के आंकड़ों की सम्बद्ध सरकारों द्वारा लेखाबद्ध किए गए आंकड़ों के साथ तुलना करने से निम्नलिखित मामलों में भिन्नता प्रकट हुई :-

(लाख रु. में)

राज्यो का नाम	अवधि	मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान (दवाई किटों को छोड़कर)	राज्य सरकारों के अभिलेखों में लेखाबद्ध अनुदान	अन्तर कमी (-) आधिक्य (+)
अरुणाचल प्रदेश	1992-98	2557.85	2510.22	(-) 47.63
अ.नि. द्वीप समूह	1994-98	253.25	265.98	(+) 12.73
बिहार	1992-98	17351.15	16996.38	(-) 354.77
गोवा	1992-98	960.16	994.88	(+) 34.72
पश्चिम बंगाल	1992-98	24311.04	22801.77	(-) 1509.27
उत्तर प्रदेश	1992-98	42724.07	41181.00	(-) 1543.07
मणिपुर *	1992-98	2771.43	2794.84	(+) 23.41
तमिलनाडु *	1992-98	11667.00	9699.00	(-) 1968.00
दिल्ली	1994-98	2328.08	2315.25	(-) 12.83
जोड़		104924.03	99559.32	(-) 5364.71

\* ए.बा.वि.यो. सामान्य एवं ए.बा.वि.यो. प्रशिक्षण दोनों अनुदानों का निरूपण करता है।

उपर्युक्त स्थिति से पता चला कि राज्य सरकारों ने 1992-98 के दौरान 53.65 करोड़ रु. कम लेखाबद्ध किये थे जिनका समाधान नहीं किया गया था।

वित्तीय प्रतिबन्ध के कारण 1418 परियोजनाओं का परिचालन नहीं किया गया। इस प्रकार साधारणीकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया

### 3.3.5 परियोजनाओं का प्रचालन

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 2236 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई थीं जबकि मार्च 1990 तक 1617 परियोजनाएं प्रचालन में थीं। इसके पश्चात् संस्वीकृत परियोजनाओं तथा उन्हें प्रचालन करने की वर्षवार स्थिति निम्न प्रकार थी :

वर्ष	संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत परियोजनाओं का प्रगामी जोड़	परिचालनात्मक परियोजनाओं का प्रगामी जोड़
1989-90 तक	-	2236	1617
1990-91	105	2341	1924
1991-92	165	2506	2428
1992-93	369	2875	2600
1993-94	312	3187	2766
1994-95	255	3442	3066
1995-96	1631	5073	3378



1996-97	37+190*	5300	3946
1997-98	318*	5618	4153
1998-99	शून्य	5618**	4200

\* केन्द्रीय सेक्टर परियोजनाओं के रूप में आरम्भ की गई राज्य सेक्टर परियोजनाएं

\*\* सभी सामुदायिक विकास खण्ड 1997-98 तक आवृत किये गए थे। आगे कोई भी परियोजना संस्वीकृत होनी नहीं रह गई थी।

मन्त्रालय ने मार्च 1995 में योजना को साधारण बनाने का निर्णय लिया। आठवीं योजना के अन्त तक देश में सभी 5239 सामुदायिक विकास खण्डों तथा पहचाने गए 684 मुख्य शहरी गन्दी बस्तियों को आवृत्त करने पर ध्यान दिया गया था। तथापि, मन्त्रालय ने कार्यक्रम अभियान के नीति निर्णय को लागू करने के लिए अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं का कोई सुव्यवस्थित निर्धारण नहीं किया। मानव शक्ति, भवन, आहार सामग्री, दवाइयों, परिवहन आदि की आवश्यकता का वितरण प्रणाली की पेचीदगी के सन्दर्भ में विचार नहीं किया गया था। मांग तथा आबंटन के बीच में निरन्तर असमानता थी। यदि कुछ मामलों में संसाधन प्रक्षेपित मांग से कम पड़ गए थे, तो कहीं और आबंटित संसाधनों का अल्प उपयोग हुआ था। साधारणीकरण के लक्ष्य के लिए साधनों, एजेन्सियों तथा वितरण की प्रणाली के बीच ठोस समन्वयन की आवश्यकता है। ऐसा कोई समन्वय सुनिश्चित नहीं किया गया था। निधियों के प्रतिबन्ध के कारण परिचालनात्मक परियोजनाओं की संख्या 4200 पर सीमित हो गई। साधारणीकरण का लक्ष्य प्राप्त किये बिना रह गया।

मन्त्रालय द्वारा संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या के प्रति राज्य/सं.रा. क्षेत्र की सरकारों द्वारा सूचित की गई संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या को सत्यापित किया गया था। इसने राज्यों में 730 परियोजनाओं की कमी को दर्शाया जिसके विस्तृत ब्यौरे नीचे दिये गये :-

राज्य/सं.रा. क्षेत्र	मन्त्रालय के अभिलेखों के अनुसार संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कार्यान्वयन राज्यों/सं.रा. क्षेत्र द्वारा सूचित संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	अन्तर
अरुणाचल प्रदेश	51	48	(-) 3
असम	196	203	(+) 7
बिहार	598	323	(-) 275
गुजरात	227	203	(-) 24
महाराष्ट्र	352	328	(-) 24
मणिपुर	34	32	(-) 2
मेघालय	30	32	(+) 2
उड़ीसा	326	279	(-) 47
राजस्थान	257	270	(+) 13
उत्तर प्रदेश	935	580	(-) 355
पश्चिम बंगाल	358	365	(+) 7
जोड़	3364	2663	(-) 730 (+) 29 = - (-) 701

संस्वीकृत तथा परिचालनात्मक परियोजनाओं की बेमेलता के आंकड़े

संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या में अन्तर दो बड़े राज्यों बिहार और उत्तर प्रदेश में अधिक था जो कमी का लगभग 90 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया। परियोजनाओं की संख्या में विसंगतियां अर्न्तनिहित थी क्योंकि न मंत्रालय न कार्यान्वयन राज्यों/सं.रा. क्षे. के पास व्यक्तिगत रूप से परियोजनाओं की निगरानी रखने के लिये कोई तन्त्र व्यवस्था नहीं थी।

उसी तरह, वास्तविक रूप से कार्यान्वित की गई परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी विभिन्नतायें देखी गई थी। यह भी कार्यान्वयन प्रक्रिया में बहुत गंभीर कमी है क्योंकि परिचालनात्मक परियोजनाएं योजनाओं के निधिकरण का आधार बनाती है। विभिन्नतायें नीचे तालिका में दी गई हैं :-

राज्य/सं.रा.क्षे.	मंत्रालय के अनुसार परिचालनात्मक परियोजनाओं की संख्या	राज्यों/सं.रा.क्षे. के अभिलेखों के अनुसार परिचालनात्मक परियोजनाओं की संख्या	अन्तर
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	209	251	(+) 42
अरुणाचल प्रदेश	45	46	(+) 1
बिहार	323	266	(-) 57
गुजरात	203	187	(-) 16
हरियाणा	114	116	(+) 2
हिमाचल प्रदेश	72	71	(-) 1
जम्मू एवं कश्मीर	113	117	(+) 4
मध्य प्रदेश	355	407	(+) 52
महाराष्ट्र	271	268	(-) 3
मणिपुर	32	34	(+) 2
मेघालय	30	32	(+) 2
नागालैण्ड	41	52	(+) 11
उड़ीसा	279	251	(-) 28
पंजाब	110	142	(+) 32
तमिलनाडु	432	431	(-) 1
त्रिपुरा	31	28	(-) 3
उत्तर प्रदेश	560	526	(-) 34
पश्चिम बंगाल	294	229	(-) 65
दिल्ली	29	28	(-) 1
<b>जोड़</b>	<b>3543</b>	<b>3482</b>	<b>(-) 209 (+) 148 = (-) 61</b>

इस प्रकार, मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार परिचालनात्मक परियोजनाओं की संख्या 357 राज्यों/सं.रा.क्षे. द्वारा सूचित परिचालनात्मक परियोजनाओं की संख्या से भिन्न है।

संस्वीकृत संख्याओं तथा परिचालनात्मक संख्याओं में अन्तर संचय रूप से आंकड़ों, संसूचना, सूचना तथा पुनर्निवेशन के अनुरक्षण में गंभीर विफलता की ओर ध्यान दिलाया।

### 3.4 मानवशक्ति का परिनियोजन

#### 3.4.1 ए.बा.वि.यो. कार्यकर्ता

ए.बा.वि.यो. योजना की संघटनात्मक और कार्यात्मक तालिका निम्नानुसार है।

कार्यकर्ता का स्तर	कार्यात्मक उत्तरदायित्व
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग)	नोडल मंत्रालय केन्द्र से योजना के बजटीय नियन्त्रण तथा प्रशासन के लिये उत्तरदायी है।
योजना के लिये सामाजिक कल्याण विभाग अथवा नोडल विभाग जैसे राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया गया।	नोडल विभाग राज्य स्तर पर कार्यक्रम के समग्र निर्देशन तथा कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी है।
जिला स्तर अधिकारी/जिला महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी इत्यादि	जिला स्तर पर योजना के समन्वयन तथा कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी है।
बाल विकास परियोजना अधिकारी-प्रत्येक परियोजना का प्रभारी	प्रत्येक खण्ड/परियोजना के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी है वह खण्ड में वितरण सेवाओं में पर्यवेक्षकों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पर्यवेक्षण और मार्ग-दर्शन करता है/करती है।
पर्यवेक्षक अथवा मुख्य सेविका	लगभग 17-25 आंगनवाड़ी के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पर्यवेक्षण और मार्ग-दर्शन के लिये उत्तरदायी हैं। वह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्य का प्रशिक्षण देती है तथा आंगनवाड़ी केन्द्र में गृहवीक्षा रिकार्डिंग में उनकी सहायता करती है तथा अन्य कार्य क्रिया कलापों के प्रबन्ध की व्यवस्था करती है समुदाय सभाओं का आयोजन करती है तथा स्वास्थ्य कार्मिक का निरीक्षण करती है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	समुदाय आधार पर समुदाय आधारित कार्यक्रम के ऐच्छिक अग्रणी कार्यकर्ता लाभभोगियों को योजना के अन्तर्गत सभी सेवा प्रदान करने के लिये उत्तरदायी हैं। वह अपने आंगनवाड़ी केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले गांव का सर्वेक्षण करती है तथा समस्त जनसंख्या का रिकार्ड भी रखती है। उसे कार्यक्रम द्वारा निर्धारित विभिन्न रजिस्ट्रों में सभी अपने क्रिया-कलापों का रिकार्ड अनुरक्षण करना आवश्यक है।

बत्तीस राज्यों में मानवशक्ति के परिनियोजन के अध्ययन से अनेक वमेलताओं का पता चला। यद्यपि परिनियोजन में कमी थी, फिर भी कार्य की अन्य मद्दों में स्टाफ के विपथन के

भी कई उदाहरण थे। वहां फालतू स्टॉक के भी उदाहरण थे। इससे यह प्रकट हुआ कि परिनिर्माण पद्धति तर्कसंगत नहीं थी। उपलब्धियों के ब्यौरे अनुवर्ती पैराग्राफों में दिये गये हैं :

### 3.4.2 सांख्यिकीय असंगति

नमूना जांच से प्रकट हुआ कि संस्वीकृत संख्या की तुलना में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में कमियां थी जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

पदनाम तथा श्रेणी	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
परिचालनात्मक परियोजनाओं की संख्या	2600	2766	3066	3378	3946	4153	4200
परिचालनात्मक आंगनवाड़ियों की संख्या	254312	260979	270126	298002	347408	354846	461246
ck-fi-i-v-@l-ck-fi-i-v- संस्वीकृत कार्यरत कर्मचारी रिक्त पद रिक्त पदों की प्रतिशतता	3466 2503 963 28	3702 2515 1187 32	4200 2678 1522 36	4513 3019 1494 33	4932 3300 1632 33	4932 3351 1581 32	5467 3826 1641 30
पर्यवेक्षक संस्वीकृत कार्यरत कर्मचारी रिक्त पद रिक्त पदों की प्रतिशतता	15430 11306 4124 27	16591 11345 5246 32	18874 12262 6612 35	21058 13251 7807 37	22114 14380 7734 35	22114 14648 7466 34	24244 17174 7070 29
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संस्वीकृत कार्यरत कर्मचारी रिक्त पद रिक्त पदों की प्रतिशतता	298047 259185 38862 13	318872 263748 55124 17	396865 288215 108650 27	421378 322319 99059 24	562091 349227 212864 38	562091 356435 205656 37	591921 454306 137615 23

ए.बा.वि.यो. कार्यकर्ताओं के सभी संवर्गों में रिक्त पद बेमेलता के रूप में विद्यमान थे।

उपर्युक्त तालिका से प्रकट हुआ कि बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ., पर्यवेक्षकों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों की औसत प्रतिशतता क्रमशः 32, 33 तथा 26 के आस-पास थी। 1996-97 के दौरान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों की प्रतिशतता 38 से अधिक थी। इस प्रकार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं जो वितरण प्रणाली का आधार होते हैं, के संवर्ग में एक तिहाई से अधिक रिक्त पद होने से योजना की कार्यप्रणाली को धक्का पहुंचा।

मंत्रालय में दस्तावेजों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि कार्यकर्ताओं की सभी श्रेणियों के लिये राज्यों के सम्बन्ध में इसके द्वारा अनुरक्षित आंकड़ों का राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए आंकड़ों के साथ मेल नहीं खाते थे। निम्नलिखित तालिका, जो 31 मार्च 1999 तक की स्थिति दर्शाती है, कुछ मुख्य राज्यों के संबंध में विसंगतियां दर्शाती हैं।

राज्य का नाम	बा.वि.प.अ./स.बा. वि.प.अ.		पर्यवेक्षक		आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	
	सं.	का.	सं.	का.	सं.	का.
<b>आन्ध्र प्रदेश</b>						
मंत्रालय के आंकड़े	279	160	1457	762	31404	21474
राज्य के अनुसार आंकड़े	456	380	1909	1327	न.भे.	न.भे.
<b>बिहार</b>						
मंत्रालय के आंकड़े	409	185	2029	691	42975	35601
राज्य के अनुसार आंकड़े	323	185	2043	668	44260	35360
<b>गुजरात</b>						
मंत्रालय के आंकड़े	406	229	1826	1043	35933	29848
राज्य के अनुसार आंकड़े	429	190	1826	1032	35933	27810
<b>महाराष्ट्र</b>						
मंत्रालय के आंकड़े	500	399	2187	2187	55281	45779
राज्य के अनुसार आंकड़े	496	399	2191	1923	45374	43179
<b>उड़ीसा</b>						
मंत्रालय के आंकड़े	238	227	1250	1023	33859	22261
राज्य के अनुसार आंकड़े	279	262	1523	926	न.भे.	न.भे.
<b>पंजाब</b>						
मंत्रालय के आंकड़े	110	62	355	355	14827	11976
राज्य के अनुसार आंकड़े	153	151	753	733	14827	11976
<b>तमिलनाडु</b>						
मंत्रालय के आंकड़े	443	107	633	564	55263	13152
राज्य के अनुसार आंकड़े	न.भे.	न.भे.	229	501	14216	13531
<b>उत्तर प्रदेश</b>						
मंत्रालय के आंकड़े	659	429	3460	2450	66359	48913
राज्य के अनुसार आंकड़े	689	379	3460	2451	न.भे.	न.भे.

सं. संस्वीकृत                      का. कार्यरत कर्मचारी                      न.भे. नहीं भेजे गए

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि न तो संस्वीकृत पदों के सम्बन्ध में और न ही वास्तविक तैनाती संख्या के सम्बन्ध में आंकड़े सुसंगत हैं। जारी की गई संस्वीकृति के सम्बन्ध में परिचालित पदों के आवधिक समाधान के अभाव के परिणामस्वरूप इस मैगनिटयुड सांख्यिकीय असंगति का सृजन हुआ। वास्तविक तैनाती के ब्यौरों के अभाव में स्टाफ से सम्बन्धित पद्धति में, विचारित तैनाती का अनुपात लागू करने योग्य नहीं है।



सभी संवर्गों में  
कार्यकर्ताओं की  
कम भर्ती

### 3.4.3 स्टाफ को भर्ती करने में राज्य सरकारों की असफलता

समाधान आकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा को कार्यान्वित करने वाले की ओर से प्राप्त राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये आकड़ों पर विश्वास करना पड़ा। 16 राज्यों के सम्बन्ध में परियोजना कार्यकर्ताओं से प्राप्त संकलित आकड़ों से मार्च 1999 तक की निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई :

राज्य का नाम	बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ.				पर्यवेक्षक				आंगनवाड़ी कार्यकर्ता			
	सं	का	रि	%	सं	का	रि	%	सं	का	रि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	456	380	76	17	1909	1327	582	30	-	-	-	-
अरुणाचल प्रदेश	46	35	11	24	116	108	8	7	2072	2072	-	-
बिहार	323	185	138	43	2043	668	1375	67	44260	35360	8900	20
गुजरात	429	190	239	56	1826	1032	794	43	35933	27810	8123	23
हरियाणा	121	96	25	20	674	508	166	25	13546	13449	97	1
हिमाचल प्रदेश	102	80	22	22	372	117	255	69	-	-	-	-
केरल	176	171	5	3	826	632	194	23	-	-	-	-
महाराष्ट्र	496	399	97	20	2191	1923	268	12	45374	43179	2195	5
मेघालय	36	33	3	8	125	95	30	24	2202	2064	138	6
उड़ीसा	279	262	17	6	1523	926	597	39	-	-	-	-
पंजाब	153	151	2	1	753	753	20	3	14827	11976	2851	19
सिक्किम	5	5	-	-	24	22	2	8	483	458	25	5
तमिलनाडु					529	501	28	5	14216	13531	685	5
त्रिपुरा	28	24	4	14	159	80	79	50	3537	3250	287	8
उत्तर प्रदेश	689	379	310	45	3460	2451	1009	29	न.भे.	न.भे.	न.भे.	न.भे.
अ. एवं नि. द्वीपसमूह	5	3	2	40	25	13	12	48	न.भे.	न.भे.	न.भे.	न.भे.

\* दिसम्बर 1998 तक की स्थिति : सं संस्वीकृति पद, का. कार्यरत व्यक्ति  
रि रिक्त : % संस्वीकृति पदों से रिक्त पदों की प्रतिशतता, न.भे. नहीं भेजे।

पर्यवेक्षक पदों के काफी संख्या में न भरने के कारण सामान्यतः उपलब्ध नहीं थे। कुछ राज्यों में जहां कारणों को दर्ज किया गया था वे गुजरात, मेघालय, त्रिपुरा में पदों की भरने में प्रशासनिक कार्यवाही का अभाव ; हिमाचल प्रदेश में भर्ती नियमों को अन्तिम रूप न दिया जाना; पंजाब में भर्ती पर रोक; महाराष्ट्र में भर्ती समिति के संविधान में लगातार बदलाव किया जाना इत्यादि कारण थे।

### 3.4.4 निष्फल तैनाती के कारण अनावश्यक मजदूरी

स्टाफ गैर- ए.बा.वि.  
यो. कार्य के लिये  
तैनात/विपथित  
पाया।

निम्नलिखित राज्यों में, स्टाफ/कार्यकर्ता 1992-99 के दौरान बिना किसी कार्य के तैनात किए गए थे या गैर ए.ब.वि.यो. कार्य के लिये विपथित किए गए थे, जिससे, 5.06 करोड़ रु. की राशि की अनावश्यक मजदूरी का भुगतान किया गया।



राज्य का नाम	कार्यकर्ता का पदनाम	बेकार अवधि	वित्तीय विवक्षा (लाख रु. में)	कारण
आन्ध्र प्रदेश	बा.वि.प.अ. पर्यवक्षक तथा अन्य लिपिकवर्गीय (स्टाफ) कर्मचारी	मार्च-जून 1997	22.81	सात परियोजनाओं में आंगनवाड़ी केन्द्र खोले बिना स्टाफ की नियुक्ति
असम	15 वर्ग III तथा IV कर्मचारी	अप्रैल 1996 से मार्च 1999	16.90	निदेशालय/जिला समाज कल्याण कार्यालय में तैनाती
जम्मू एवं कश्मीर	चालक	अप्रैल 1997 से मार्च 1999	3.72	वाहनों की अनुपलब्धता तथा अप्राधिकृत नियुक्तियां
कर्नाटक	3 बा.वि.प.अ. का नौ लिपिक वर्गीय स्टाफ	1992-99	9.50	अन्य कार्यालयों में तैनाती की गई।
केरल	स.बा.वि.प.अ., पर्यवक्षक एवं मुख्य लेखाकार	1994-99	147.04	परियोजनाओं का चालू न करने के कारण
	चालक	नवम्बर 1996 से नवम्बर 1998	1.92	चार परियोजनाओं में वाहन मरम्मतधीन होने के कारण
मणिपुर	विभिन्न कार्यकर्ता	1995-99	61.95	अधिक तैनाती
नागालैंड	चालक, चपरासी तथा लिपिक	1992-99	14.09	निदेशालय (सैल)/ परियोजनाओं में अधिक/बेकार स्टाफ
त्रिपुरा	चालक	नवम्बर 1992 से मार्च 1999	2.60	तीन परियोजनाओं में वाहन सड़क से हटा लिए जाने के कारण
	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/	अप्रैल 1991 से		98 आंगनवाड़ी केन्द्रों में ए.वा.वि. यो.के. अ.पो.का.

	आंगनवाड़ी सहायक	मार्च 1999	57.50	पी.एस.ई. तथा अन्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन न होना।
उत्तर प्रदेश	चालक	उ.न.	उ.न.	चार चालक अन्य विभागों के साथ लगाए गए तथा 21 चालक बेकार बैठे रहे
पश्चिम बंगाल	पर्यवेक्षक, लिपिक तथा चपरासी	अप्रैल 1992 से नवम्बर 1997	168.24	कृष्णानगर-I परियोजना में चयन समिति के मतान्तर के कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/ आंगनवाड़ी सहायकों की भर्ती न करना, परियोजनाओं के चालू करने में विलम्ब, वाहनों के बिना चालकों की तैनाती।

### 3.5 ए.बा.वि.यो. सेवा पैकेज की सुपुर्दगी

योजना में एकीकृत सेवा पैकेज की सुपुर्दगी के लिये व्यवस्था है जिसमें लक्षित बच्चों, किशोर बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनापान कराने वाली माताओं को अनुपूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच तथा परामर्श सेवाएं शामिल हैं। निम्नलिखित तालिका पैकेज की लाभभोगीवार रचना दर्शाती है :-

लाभभोगी	पैकेज की रचना
बच्चे (6-12 माह तथा 1-3 वर्ष)	○ अनुपूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, प्रतिरक्षण परामर्श सेवाएं, वृद्धि प्रौन्नति, विटामिन ए की खुराकें, आयरन तथा फोलिक एसिड अनुपूरक।
बच्चे (3-6 वर्ष)	○ अनुपूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच प्रतिरक्षण, परामर्श सेवाएं, वृद्धि प्रौन्नति, विटामिन ए की खुराकें, आयरन तथा फोलिक एसिड अनुपूरक, अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा।
किशोर बालिकाएं (11-18)	○ अनुपूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, परामर्श सेवाएं, वृद्धि प्रौन्नति विटामिन ए की गोलियां, आयरन तथा फोलिक एसिड अनुपूरक, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा, साक्षरता, मनोरंजन तथा कौशल विकास
महिलाएं (15-45 वर्ष)	○ अनुपूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, प्रतिरक्षण, परामर्श सेवाएं, वृद्धि प्रौन्नति विटामिन ए की गोलियां, आयरन तथा फोलिक एसिड अनुपूरक, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा, जन्म से पूर्व तथा जन्म के बाद की देखभाल।

मूल सेवाओं से अलग 3-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा दी जानी है जबकि किशोर बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी है। इसके अतिरिक्त, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को जन्म से पूर्व तथा जन्म के बाद की देखभाल तथा किशोर बालिकाओं को साक्षरता, मनोरंजन तथा कौशल विकास की शिक्षा दी जानी है।

पैकेज का वितरण करने के लिए यह आवश्यक है कि लाभभोगियों की पहचान की जाए, अवसंरचना तैयार की जाए तथा वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं तथा सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। लेखापरीक्षा संवीक्षा से लक्ष्य तथा साधनों के बीच बड़े पैमाने की बेमेलता, आधारिक स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुविध विफलताएं, पर्याप्त अनुश्रवण तंत्रावली का अभाव, घटिया खाद्य पदार्थों के वितरण को रोकने, दूध-छुड़ाई भोजन देने तथा गंभीर कुपोषण को रोकने में विफलता प्रकट हुई। लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियां अनुवर्ती पैराग्राफों में दी गई हैं :

### 3.5.1 विषमताएं

निम्नलिखित तालिका लक्ष्य-साधनों में विषमताएं दर्शाती है :

ए.बा.वि.यो. ने अभी तक वितरण के प्रभावशाली साधनों को बनाने में सफलता प्राप्त नहीं की है।

लक्ष्य	साधन
योजना में उन लाभभोगियों जिनके लिए पोषण मध्यस्थता करना कठिन है, को पहचान करने का लक्ष्य रखा गया ताकि योजना के प्रभाव को उनके पौषणिक स्तर में परिवर्तन के अनुसार मापा जा सके	क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न श्रेणियों के लाभभोगियों की प्रामाणिक सूचियां अनुरक्षित नहीं की गई थी। पौषणिक स्तर का माप करने के लिए निष्पक्ष रूप से जांच योग्य संकेतक भी उपलब्ध नहीं थे।
लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया के उपसिद्धांत में समस्त पात्र गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों का नाम लिखना तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार प्रक्रिया में (i) मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं तथा उनके स्तर का अद्यतन अभिलेख रखना (ii) जन्म से पूर्व तथा जन्म के पश्चात् स्वास्थ्य जांच के अंतर्गत समस्त गर्भवती महिलाओं को सम्मिलित करने की व्यवस्था (iii) असंकमित किए जाने वाले सभी बच्चों के अभिलेख अद्यतन करना (iv) बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के कुल असंकमीकरण का अभिलेख रखना तथा उसमें सहायक होना। योजना में कास सेक्टर संयोजनों का सेवाओं के प्रदान हेतु आवश्यक रूपात्मकता के रूप में विचार किया गया था।	योजना को लक्षित वर्गों के पूर्ण अभिलेख, उनके स्तरों में परिवर्तनों, यहां तक कि आधारहीन सूचना के पूर्ण अभिलेखों के अनुरक्षण करने की क्रमबद्ध यंत्रावली के अभाव से हानि हुई। इस प्रकार, यदि सभी पात्र बच्चों, माताओं तथा किशोर बालिकाओं को सम्मिलित कर लिया गया था, तो उसकी निश्चितता की मात्रा का दावा नहीं किया जा सकता था। कोई साधन उपलब्ध नहीं है। क्योंकि योजनाबद्ध अंतरापृष्ठ सामंजस्य स्थापित करने की व्यवस्थाओं तथा कास सेक्टर परिचालनों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि परिचालन के चौबीस वर्ष बीत जाने के बाद तक योजना ने वितरण के सुव्यवस्थित प्रभावशाली साधनों को प्राप्त नहीं किया है। योजना के कार्यान्वयन में पात्र लाभभोगियों का उचित कवरेज तथा उनके स्वास्थ्य की हालत का अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए आधार स्तर पर योजनाबद्ध तंत्रव्यवस्था के अभाव सहित उचित प्रशासन तथा आवश्यक अन्तर्विभागीय समन्वयन की कमी को एक गंभीर समस्या का दिखावा किया गया था।

### 3.5.2 अनुपूरक पोषण

अनुपूरक आहार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से आने वाले छः वर्ष से कम सभी बच्चों तथा गर्भवती तथा स्तन्यदा महिलाओं, जिनके परिवारों की कुल मासिक आय 500 रु. प्रति माह से अधिक नहीं हो, को दिया जाता है। यह आहार लाभभोगियों के दैनिक भोजन के अनुपूरक के रूप में दिया जाता है तथा आंगनबाड़ी केन्द्र में ही उसका उपभोग किया जाना होता है। दिए जाने वाले आहार का प्रकार एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है। योजना में अनुपूरक पोषण के अंतर्गत आहार पैकेज में लाभभोगियों के प्रकार पर आधारित

होने वाले कैलोरी तथा प्रोटीन का निम्नलिखित मिश्रण दिया जाता है जिसका नीचे वर्णन किया गया है :

बच्चे		गर्भवती/ स्तन्यदा माताएं		गंभीर कुपोषण बच्चे	
कैलोरी	प्रोटीन (ग्राम में)	कैलोरी	प्रोटीन (ग्राम में)	कैलोरी	प्रोटीन (ग्राम में)
300	10	500	15-20	600	20

**3.5.2.1 अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (अ.पो.का.) के लिए बजट प्रावधान/नियमों का जारी किया जाना।**

पांच राज्यों में, 1992-99 के दौरान अ.पो.का. के लिए अपेक्षित निधियों के संदर्भ में बजट प्रावधान तथा व्यय आवश्यकता से बहुत कम था। अपेक्षित निधियों से बजट प्रावधान तथा किए गए व्यय की प्रतिशतता क्रमशः 20 एवं 68 तथा 16 एवं 69 के बीच अलग-अलग थी जो निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रु. में)

राज्य/सं. राक्ष. का नाम	अवधि	क्रियात्मक परियोजनाओं में 1 रु. प्रतिदिन प्रति लाभभोगी की दर पर अपेक्षित निधियां	बजट प्रावधान	जारी की गई निधियां	कॉलम (4) की (3) से प्रतिशतता	किया गया व्यय	कॉलम (7) की (3) से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
कर्नाटक	1992-99	585.84	385.33	363.82	66	359.88	61
मणिपुर	1995-99	25.31	7.85	7.85	31	-	-
मिजोरम	1992-98	19.96	11.01	11.01	55	10.83	54
पंजाब	1992-99	87.52	17.91	14.36	20	14.37	16
सिक्किम	1992-99	13.13*	8.99*	8.99	68	9.01	69
जोड़		731.76	431.09	406.84	59	394.09	54

\* संस्वीकृत परियोजनाओं के आधार पर

**3.5.2.2 लाभभोगियों की पहचान करना**

योजना के अंतर्गत लाभभोगियों की पहचान करने तथा उनका मानदण्ड के सदृश होने का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा ने राज्य सरकारों से सूचना मंगायी थी। अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों ने अनुपूरक पोषण के लिए 1992-99 की अवधि के दौरान पहचाने गए लाभभोगियों की संख्या से संबंधित सूचना नहीं भेजी। असम, दिल्ली, मणिपुर तथा नागालैंड में लाभभोगियों की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। महाराष्ट्र में 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' को कार्यक्रम के निर्दिष्ट पैरामीटरों के संदर्भ

कुछ राज्य सरकारों ने अनुपूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत पहचाने गए लाभभोगियों की संख्या नहीं भेजी।



के बिना तदर्थ मानदण्ड के रूप में लिया गया था। इसी प्रकार मध्यप्रदेश में, यह लाभ सभी बच्चों को उनके परिवारों के आय-स्तर का ध्यान किए बिना दिया गया था।

### 3.5.2.3 कवरेज

21 राज्यों में 23 प्रतिशत पहचाने गए लाभभोगियों को कवर नहीं किया गया था। 11 राज्यों में कवर किए गए लाभभोगियों के अभिलेखों का अधूरा/अनुरक्षण न होना देखा गया था।

पहचाने गए लाभभोगियों के कवरेज में कमी थी। लेखापरीक्षा ने कवरेज की प्रतिशतता का पता लगाने के लिए मासिक प्रगति रिपोर्टों की जांच करने का विचार किया। तथापि, अरूणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के 11 राज्यों में मासिक प्रगति रिपोर्टों पर आधारित संकलित आंकड़े उपलब्ध नहीं थे क्योंकि या तो इनका अनुचित ढंग से अनुरक्षण किया गया था या बिल्कुल अनुरक्षण नहीं किया गया था। उन 21 राज्यों जहां आंकड़े उपलब्ध थे, के संबंध में पहचाने गए लाभभोगियों के कवरेज की स्थिति ने यह दर्शाया कि पहचाने गए 224.55 लाख लाभभोगियों का संचय जो इन राज्यों में पहचाने गए लाभभोगियों की कुल संख्या का 23 प्रतिशत बना, अनुपूरक पोषण कार्यक्रम में कवर नहीं किया गया था। इन 21 राज्यों के संबंध में कमी के वर्षवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(आंकड़े लाखों में)

वर्ष	पहचाने गए लाभभोगियों की संख्या	कवर किए गए लाभभोगियों की संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
1992-93	127.70	99.23	28.47	22
1993-94	132.76	102.44	30.32	23
1994-95*	101.87	82.29	19.58	19
1995-96	152.67	119.67	33.00	22
1996-97	166.23	128.23	38.00	23
1997-98	178.00	135.67	42.33	24
1998-99*	125.12	92.27	32.85	26
जोड़	<b>984.35</b>	<b>759.80</b>	<b>224.55</b>	<b>23</b>

\* इसमें महाराष्ट्र शामिल नहीं है।

इसके अतिरिक्त, पहचाने गए लाभभोगियों को कवर करने में विफल रहने की राज्यवार स्थिति के विस्तृत विश्लेषण से प्रकट हुआ कि बहिष्करण होने की अधिकतम संख्या बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, सिक्किम तथा त्रिपुरा में थी। निम्नलिखित तालिका में इन राज्यों में लाभभोगियों के कवरेज में वर्षवार कमी दी गई है :

राज्य का नाम	वर्ष के दौरान प्रतिशतता कमी						
	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
बिहार	15	20	13	17	19	38	42
गुजरात	-	17	20	21	27	35	28
हरियाणा	29	31	25	21	25	24	27
केरल	30	33	31	31	39	32	35
सिक्किम	25	42	26	32	29	36	29
त्रिपुरा	66	64	63	61	62	61	57



अन्य राज्यों में देखी गई अन्य अनियमितताएं निम्नानुसार थी :

महाराष्ट्र में, 1992-98 के दौरान ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में क्रमशः 36 प्रतिशत तथा 51 प्रतिशत की कमी थी। जुलाई 1998 की मासिक रिपोर्ट से प्रकट हुआ कि 14 ग्रामीण परियोजनाओं में कमी 60 तथा 100 प्रतिशत के बीच थी।

मणिपुर में, नौ परियोजनाओं में, 1992-99 के दौरान पूर्ण अवधि के लिए अनुपूरक पोषण उपलब्ध नहीं कराया गया। 1998-99 में दो परियोजनाओं में लाभभोगियों को बिलकुल भी पोषण की आपूर्ति नहीं की जबकि चूड़ाचन्द्रपुर की एक परियोजना ने 1997-98 में पोषण की आपूर्ति नहीं की।

नागालैंड में, अनुरक्षित किए गए अभिलेखों ने आपूर्त भोजन की मात्रा, लाभभोगियों की संख्या एवं नाम तथा दिनों की संख्या जिसके लिए अनुपूरक पोषण उपलब्ध कराया गया, नहीं दर्शाया।

तमिलनाडु में, नमूना जांच की गई 22 परियोजनाओं में, 1992-93 के दौरान कमी का प्रतिशत 38 था जो कि सुधर कर 1994-95 में 23 हो गया, किन्तु पुनः बिगड़ कर 1997-98 में 38 एवं 1998-99 में 44 हो गया। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच की गई 21 परियोजनाओं के 301 आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण कार्यक्रमों को महत्व प्रदान न करने के कारण छः माह से छः वर्ष की आयु वर्ग के 17 से 68 प्रतिशत कुपोषित बच्चों को अनुपूरक पोषण प्राप्त नहीं हुआ।

उत्तर प्रदेश में, पहचान किए गए एवं आवृत्त किए गए लाभभोगियों की स्थिति निदेशालय /विभाग में मासिक प्रगति विवरण संकलित नहीं किए जाने के कारण सत्यापित नहीं की जा सकी। तथापि नमूना जांच की गई 87 परियोजनाओं में, 1992-99 के दौरान पहचान किए गए 91.41 लाख लाभभोगियों में से, केवल 52.26 लाख लाभभोगियों को अनुपूरक पोषण उपलब्ध कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप 39.15 लाख लाभभोगियों को आवृत्त करने में कमी हुई जो कि कुल का 43 प्रतिशत बनता था। आगे यह भी पता चला कि मंत्रालय के सभी पात्र लाभभोगियों को अनुपूरक पोषण उपलब्ध कराने के जनवरी 1995 के आदेश का उल्लंघन करते हुए प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र में लाभभोगियों की संख्या 84 तक सीमित करने के कारण सभी लाभभोगियों को आवृत्त नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त 1998-99 के दौरान, 774 प्रचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के विपरीत केवल 585 आंगनवाड़ी केन्द्रों को अनुपूरक पोषण उपलब्ध कराया गया था।

लगभग सभी राज्यों में सभी पहचान किए गए लाभभोगियों को या तो वर्ष में सभी 300 दिनों के लिए अनुपूरक आहार उपलब्ध नहीं कराया गया अथवा इससे सम्बन्धित अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए।

#### 3.5.2.4 निरंतरता में रुकावट

अनुपूरक पोषण स्थायी रूप से लगातार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सभी राज्यों में विस्तृत रूप से विघटन जानकारी में आए। लेखा संवीक्षा के लिए नमूना माप मूल अभिलेखों के 15-20 प्रतिशत पर परिकल्पित किया गया था। अधिकतर राज्यों में अभिलेखों के अनुरक्षण की साधारण स्थिति के कारण, केवल आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर एवं पश्चिम बंगाल के लक्षित नमूना क्षेत्र ही आवृत्त किए जा सके। 1992-93 से 1998-99

की अवधि के लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुपूरक आहार में विघटन की सीमा नीचे तालिकाबद्ध की गई है :-

विघटन के वर्ष एवं दिनों की संख्या	राज्यों में आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या					कुल
	आन्ध्र प्रदेश	असम	बिहार	मणिपुर	पश्चिम बंगाल	
<b>1992-93</b> क) 250-300 दिन ख) 200-249 दिन ग) 100-200 दिन	2030	100	700	100	2528	3428
		200	1500			
		200		200		
<b>1993-94</b> क) 250-300 दिन ख) 200-249 दिन ग) 100-200 दिन	2030		700	100	2677	3477
		300	1500			
		300		500		
<b>1994-95</b> क) 250-300 दिन ख) 200-249 दिन ग) 100-200 दिन	2030	100	700		3083	3883
		600	1500			
		100		700		
<b>1995-96</b> क) 250-300 दिन ख) 200-249 दिन ग) 100-200 दिन	2030	600	700		2998	4298
		400	1500			
				700		
<b>1996-97</b> क) 250-300 दिन ख) 200-249 दिन ग) 100-200 दिन	2030	800	700		3506	5006
		200	1500			
				800		

1997-98						
क) 250-300 दिन		300	700	700	4159	5850
ख) 200-249 दिन		600	1500			2100
ग) 100-200 दिन	2030	100		200		2330
1998-99						
क) 250-300 दिन		500	700		3882	5082
ख) 200-249 दिन		200	1500			1700
ग) 100-200 दिन	2030			700		2730
कुल जोड़ 1998-99	2030	700	2200	700	3882	9512
राज्य में आंगनवाड़ी की कुल संख्या	26948	15527	35360	4153	33061	115049
नमूना जांच की गई आंगनवाड़ियों की संख्या	5534	2200	6000	900	7157	21791

खाद्य सामग्री पहचानने में व्यवधान, जिसने लक्षित लाभभोगियों को पोषण की लगातार उपलब्धता को विघटित किया, के कारणों की जांच से प्रकट हुआ कि आन्ध्र प्रदेश में खाद्य आपूर्ति कम थी, असम में, आवश्यक खाद्य-सामग्री को प्राप्त करने के लिए बजट प्रावधान पर्याप्त नहीं थे तथा बिहार में खाद्य सामग्री प्राप्त नहीं की गई तथा आंगनवाड़ियों को समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई थी। मणिपुर में, अभिलेखों की संवीक्षा से कोई ठोस कारण सामने नहीं आए। किन्तु खाद्य सामग्री की भण्डारण स्थिति के सामान्य सर्वेक्षण से प्रकट हुआ कि खाद्य सामग्री के वितरण में उपयुक्त योजना तथा वितरण प्रणाली में अंतर्निहित कमियों ने खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में व्यवधान में योगदान दिया। सर्वव्यापकता के कारण प्रचलित परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार द्वारा अ.पो.का. को पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने में असमर्थता, खाद्य सामग्री पहचानने में व्यवधान का अन्य कारण हो सकती है।

अन्य राज्यों में, अनुपूरक पोषण की व्यवस्था में प्रकाश में आई कमियां निम्न प्रकार से थी :-

हिमाचल प्रदेश : पहचान किए गए लाभभोगियों को वर्ष 1992-99 के दौरान एक वर्ष में केवल 177 से 268 दिनों के लिए अनुपूरक पोषण उपलब्ध कराया गया था, यद्यपि पर्याप्त निधियां उपलब्ध थी जैसा कि कुल 18.29 करोड़ रु. के पिछले अव्ययित शेष से सुस्पष्ट था।

जम्मू एवं कश्मीर : राज्य सरकार ने निधियां जारी की जो कि वर्ष 1992-99 के दौरान केवल 180 से 220 दिनों के लिए पोषण उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त थी। 1993-95 में, राज्य में कुल 2828 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से, 1315 आंगनवाड़ी केन्द्रों में 120 दिनों से

कम के लिए तथा 565 आंगनवाड़ी केन्द्रों में 60 दिनों से कम के लिए पोषण उपलब्ध कराया गया था।

**कर्नाटक :** वर्ष 1992-99 के दौरान चार परियोजनाओं के 71 आंगनवाड़ी केन्द्रों में, अनुपूरक पोषण 250 से 300 दिनों के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया।

**मध्य प्रदेश :** सात परियोजनाओं की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 119, 42 और 196 आंगनवाड़ी केन्द्रों में क्रमशः 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान 61 और 274 दिनों, 61 और 300 दिनों एवं 30 और 132 दिनों के बीच की अवधि के लिए खाद्य आपूर्ति स्थगित रही।

**महाराष्ट्र :** नमूना जांच की गई आठ परियोजनाओं में, वर्ष 1996-97 और 1998-99 के दौरान 9 से 163 दिनों के लिए अनुपूरक पोषण उपलब्ध नहीं कराया गया।

**पंजाब :** नमूना जांच की गई 28 परियोजनाओं में 1992-99 के दौरान सामग्री उपलब्ध करने के दिनों की संख्या में 175 और 291 दिनों के बीच कमी रही।

**राजस्थान :** 1992-99 के दौरान 12 आंगनवाड़ी केन्द्रों में 61 दिनों के लिए 222 आंगनवाड़ी केन्द्रों में 100-200 दिनों के लिए और 756 आंगनवाड़ी केन्द्रों में 201-299 दिनों के लिए अनुपूरक पोषण उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 1992-99 के दौरान सामग्री उपलब्ध करने में 18 परियोजनाओं के 77 आंगनवाड़ी केन्द्रों में दो से 20 माह तक का व्यवधान प्रकाश में आया।

**उत्तर प्रदेश :** वर्ष 1998-99 में नमूना जांच किए गए 257 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से, 140 आंगनवाड़ी केन्द्रों में 100 से 250 दिनों के बीच अनुपूरक पोषण में विघटन जानकारी में आया।

मंत्रालय के अन्तर्गत एक निकाय, खाद्य एवं पोषण बोर्ड ने भी लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को परिपुष्ट किया तथा जून 1999 में बताया कि दिनों की संख्या, जिनमें बच्चों को अनुपूरक पोषण उपलब्ध करवाया गया, वर्ष में अनुशंसित 300 दिनों से निरपवाद रूप से कम थी।

### 3.5.2.5 पोषण की गुणवत्ता

आवश्यक पोषक तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशाला जांच नहीं की गई थी।

अनुपूरक पोषण की आपूर्ति में विच्छिन्नता के अतिरिक्त, पोषण की गुणवत्ता के प्रमाणों की जांच से प्राप्त की गई सामग्री तथा आपूर्त सामग्री, दोनों ही अर्थों में गंभीर कमियां प्रकाश में आईं। मंत्रालय ने माह में कम से कम एक बार खाद्य सामग्री की (योजना की) एक अनिवार्य प्रयोगशाला जांच निर्धारित की हुई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाद्य सामग्री में आवश्यक पोषण तत्व उपलब्ध है।

आठ राज्यों, असम, कर्नाटक, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में पोषण की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए कोई प्रयोगशाला जांच नहीं की गई।

चार राज्यों, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में खाद्य सामग्री की प्रयोगशाला जांच कभी-कभार अव्यवस्थित रूप से हुई, जिससे खाद्य सामग्री की एक बड़ी मात्रा की जांच नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त पांच राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं मिज़ोरम ने एक रूपए की लागत सीमा के भीतर आवश्यक पोषण पदार्थ उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता प्रकट की।

अनुपूरक पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना में खाद्य व्यवस्था के भीतर उष्मांक और पोषक तत्व के एक निश्चित मिश्रण का प्रावधान था। तथापि, अधिकतर राज्यों में असंदिग्ध लाभभोगियों को आपूर्त भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कोई क्रियाविधि नहीं थी। यहां तक कि, जहां गुणवत्ता के लिए कभी-कभार जांच की भी गई, आपूर्त किए गए खाद्य पदार्थों के आवश्यक स्तर में बहुत गिरावट थी। प्रतिकूल प्रयोगशाला प्रतिवेदनों की प्राप्ति के पश्चात भी, राज्य सरकारों की ओर से गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए किसी प्रयास के प्रमाण नहीं मिले। उदाहरण के रूप में आगे आने वाले अनुच्छेदों में कुछ राज्यों में अव-स्तरीय तथा किटाणुग्रस्त अन्न की आपूर्ति के विशिष्ट मामले दिए गए हैं।

### 3.5.2.6 अव-स्तरीय एवं किटाणुग्रस्त अन्न वितरण :

अव-स्तरीय तेल, किटाणुग्रस्त चना, मिलावटी 'सूजी' मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त खाद्य सामग्री तथा अखाद्य भोजन सामग्री का उपयोग किया गया था।

गुजरात में, जुलाई 1997 में, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने स्थानीय उत्पादकों से प्राप्त किया गया 360 टन खाद्य तेल बा.वि.प.अ., गोंडल को आपूर्त किया। एक प्रयोगशाला जांच से पता चला कि आपूर्त किया गया तेल अपेक्षानुसार बिनौले का तेल नहीं था अपितु तोरिया तेल था, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। जांच रिपोर्ट की प्राप्ति के समय तक विषाक्त तोरिया तेल के 316 टन पहले ही निरापद महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन पकाने में उपभोग किए जा चुके थे।

जम्मू एवं कश्मीर में, श्रीनगर परियोजना में, मिलावट का एक गंभीर मामला सामने आया। 1996-97 के दौरान परियोजना में आंगनवाड़ी केन्द्रों को 105 क्विंटल चना, 5.5 क्विंटल नमक तथा 17 क्विंटल सूजी की आपूर्ति की गई थी। सरकारी विश्लेषक द्वारा नमूना जांच से प्रकट हुआ कि चने में फंफूद लगी हुई थी, सूजी मिलावटी थी तथा नमक में आयोडीन नहीं था। जब तक रिपोर्ट प्राप्त हुई, खाद्य अवयवों की सम्पूर्ण मात्रा लाभभोगियों द्वारा उपभोग की जा चुकी थी।

मध्य प्रदेश में, पोहारी परियोजना में जहां ग्राम पंचायत को आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए खाद्यान्नों को सुव्यवस्थित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, दो अवसरों पर इकट्ठा किए गए नमूनों की जांच से प्रकट हुआ कि खाद्य सामग्री मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त थी तथापि आपूर्ति के उसी स्रोत से योजना जारी रही। आपूर्तिकर्ताओं या व्यवस्थापकों के विरुद्ध कोई दांडिक उपायों का भी आह्वान नहीं किया गया।

उड़ीसा में, जुलाई-अगस्त 1997 में, उड़ीसा उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा 633.50 क्विंटल 'मूंग दाल' सुन्दरगढ़ के जनजातीय जिले के आंगनवाड़ी केन्द्रों को आपूर्त की गई। प्रयोगशाला जांच रिपोर्टों ने खाद्य सामग्री को अव-स्तरीय एवं अखाद्य वर्गीकृत किया। जब

तक रिपोर्ट प्राप्त हुई अखाद्य 'मूंग दाल' का पूरा भण्डार लाभभोगी महिलाओं एवं बच्चों द्वारा उपभोग किया जा चुका था।

### 3.5.2.7 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को रोगनिवारक शिशु आहार की आपूर्ति

गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान न हो पाने के परिणामतः नौ राज्यों में रोगनिवारक/शिशु आहार की आपूर्ति नहीं हुई।

गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को रोगनिवारक आहार दिया जाना था जिसका नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर प्रबंध किया जाना था। यह छः माह से एक वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिशु आहार को भी आवृत्त करता है। तथापि, वास्तविक प्रचालन में, रोगनिवारक आहार की व्यवस्था या तो की ही नहीं गई या व्यवस्था समयानुसार नहीं थी, न ही पर्याप्त थी। यह गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान में प्रमुख अड़चन रही। पर्याप्त तलचिह्न सर्वेक्षण नहीं किए गए। इसकी अनुपस्थिति में, बच्चों की जनसंख्या के सर्वाधिक अभावग्रस्त वर्ग को रोगनिवारक आहार की आपूर्ति आंशिक बनी रही। चूर्ण रूप में खाने के लिए तैयार उच्चस्तरीय पोषक आहार की संकल्पना जून 1990 में मंत्रालय द्वारा रूपांतरित करके तीसरी और चौथी श्रेणी कुपोषण से पीड़ित बच्चों के लिए दूध को रोगनिवारक आहार के रूप में शामिल किया गया। मंत्रालय का यह बोध था कि दुगना आहार देने की विद्यमान व्यवस्था कुपोषण की स्थिति के सुधार के लिए पर्याप्त नहीं थी क्योंकि 'खाने हेतु तैयार' आहार का उपभोग करना कठिन था। अवबोधन में इस परिवर्तन का प्रभाव तुरन्त प्रकट नहीं हुआ क्योंकि कार्यक्रम जहां भी लागू हुआ निरन्तर तदर्थ आधार पर प्रबन्धित किया जा रहा था। लेखापरीक्षा के परिणामों ने दर्शाया कि कार्यक्रम सफल नहीं था।

आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली के नौ राज्यों में अल्पपोषित बच्चों अथवा दूध छोड़े हुये जरूरमंद बच्चों को कोई रोगहर आहार नहीं दिया गया था।

### 3.5.3 स्वास्थ्य जांच तथा परामर्श सेवाएं

योजना का यह घटक लाभभोगियों को रक्षात्मक, निवारक तथा परामर्श स्वास्थ्य देखभाल के विवरण की कल्पना करता है। योजना की छाया के अन्तर्गत स्वास्थ्य स्थिति की मानीटरिंग, विभिन्न रोगों के प्रति टीकाकरण तथा स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा अस्पतालों को उपचार हेतु परामर्श देना मुख्य सेवायें शामिल हैं। योजना के अन्तर्गत छः वर्ष के कम आयु तक के बच्चों को स्वास्थ्य सेवाओं, जिसमें मुख्यतः उनके स्वास्थ्य की स्थिति की आवधिक मानीटरिंग करना, डिपथिरिया, कुकुरखांसी, टेटनेस, पोलियो क्षयरोग तथा टाइफाइड के प्रति टीकाकरण तथा परामर्श सेवाओं के पैकेज की व्यवस्था किया जाना थी। महिलाओं के सम्बन्ध में, योजना में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करनी थी जिसमें उम्मीदवार माताओं की प्राक्प्रसव देखभाल तथा स्तन्यदा माताओं को प्रस्वोत्तर देखभाल शामिल थी। योजना की सफलता, वितरण प्रणाली की अन्तःअनुशासनिक प्रकृति का समन्वयन करने वाले राज्य सरकारों के चिकित्सा विभागों के सहयोग की भूमिका पर निर्भर थी।



### 3.5.3.1 लाभभोगियों की पहचान तथा शामिल करना

अधिकतर राज्यों में स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श सेवाओं हेतु लाभभोगियों की पहचान के लिए आधार रेखा सर्वेक्षणों की सूचना प्राप्त नहीं हो रही थी।

छः वर्ष तक की आयु के बच्चों की प्रत्येक परियोजना के आधार रेखा सर्वेक्षण उत्तरदायित्व द्वारा टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जांच के लिए उनके आंकड़ों को अभिलिखित करने के लिए ज.स्वा.के.<sup>8</sup> द्वारा गणना की जानी थी तथा इसका पुनः सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किया जाना था।

ऐसे सर्वेक्षणों पर सूचना अधिकतर राज्यों से तुरन्त प्राप्त नहीं हो रही थी। बिहार, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम तथा तमिलनाडु पांच राज्यों में यह देखा गया था कि या तो आधार रेखा सर्वेक्षण, जो पहचान करने के लिए निर्णायक है या तो किये नहीं गये थे अथवा मूल अभिलेख बनाए नहीं गए थे या पात्र जनसंख्या की तुलना में पहचान किये गये की मात्रा बहुत ही कम थी।

असम, जम्मू व कश्मीर तथा तमिलनाडु में 1992-99 की अवधि के दौरान नमूना जांच की गई 73 परियोजनाओं में से 40 परियोजनाओं में महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य जांच के लिये कवरेज नहीं की गई थी।

निम्नलिखित राज्यों में नमूना जांच की गई परियोजनाओं के लिए लाभभोगियों को कवरेज में कमी निम्न प्रकार थी :-

राज्य का नाम	वर्ष	प्रतिशतता में कमी
हरियाणा	1992-98	17 से 32
त्रिपुरा	1992-99	83 से 90
पंजाब	1992-99	31 से 69
जम्मू व कश्मीर	1992-99	39 से 79
मेघालय	1992-99	43 से 87
मिजोरम	1992-99	0 से 56

### 3.5.3.2 परामर्श सेवायें

योजना में यह व्यवस्था थी कि समस्याग्रस्त बच्चों तथा गर्भवती माताओं जिन्हें विशेष उपचार की आवश्यकता हो को ज.स्वा.के. के चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित परामर्श पत्रों के साथ उन्नत ज.स्वा.के. अथवा उप-मण्डल अथवा जिला मुख्य अस्पतालों को भेजा जाना था। चूंकि राज्य सरकारों ने सुव्यवस्थित आंकड़े नहीं बनाए इसलिये परामर्श सेवाओं की देश व्यापी स्थिति का पता नहीं चल सका। तथापि, निम्नलिखित राज्यों में कमियों का पता चला :-

असम, बिहार, जम्मू व कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा तथा दिल्ली आठ राज्यों में नमूना जांच से पता चला कि या तो परामर्श सेवाओं के लिए आवश्यक अभिलेख/कार्ड नहीं बनाए गए थे अथवा सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी या परामर्श कार्डों की अनुपलब्धता के कारण ज.स्वा.के. को मामले भेजे नहीं गए थे। आन्ध्र प्रदेश में चल रही 251 परियोजनाओं में से 55 की नमूना जांच से पता चला कि ज.स्वा.के. इत्यादि को भेजे

<sup>8</sup> जन स्वास्थ्य केन्द्र

गए मामलों में कमी की प्रतिशतता 71 तथा 79 के बीच थी। आरोपित कारण परिवहन प्रभारों तथा दवाइयों की लागत के भुगतान का प्रावधान न होना था। मध्य प्रदेश के 407 परियोजनाओं में से नमूना जांच की गई 33 परियोजनाओं से पता चला कि 1992-99 के दौरान पहचाने गए 13029 कुपोषण बच्चों में से केवल 2928 बच्चों (22 प्रतिशत) को भेजा गया था।

### 3.5.3.3 टीकाकरण

15 राज्यों में सम्बद्ध राज्य सरकारों ने न तो टीकाकरण के लिए लाभभोगियों की पहचान की और न ही उपलब्धियों की मानीटरिंग की।

योजना में छः वर्ष की आयु के नीचे के सभी शिशुओं/बच्चों को छः टीका निवार्य रोगों नामतः डिफ्थीरिया कुकुर खांसी, टेटनेस, पोलियो, क्षयरोग तथा खसरा के प्रति टीकाकरण पर विचार किया गया था। 5-6 वर्ष की आयु के बच्चों को डिफ्थीरिया टेटनेस के लिए बूस्टर खुराक तथा टाइफाइड टीके की दो मात्रा दी जानी थी। चूंकि नए जन्मे बच्चों के बीच टेटनेस आम तथा प्रायः घातक होता है सभी उम्मीदवार माताओं को टेटनेस के प्रति टीका लगाया जाना था।

बिहार, गोवा, गुजरात, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, उत्तर प्रदेश, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप ग्यारह राज्यों/सं.रा.क्षे. में नमूना जांच से पता चला कि सम्बद्ध सरकारों ने विविध प्रकार टीकाकरण के अन्तर्गत बच्चों तथा महिलाओं की कवरेज में न तो पहचान की और न ही उपलब्धियों को मानीटर किया।

17 राज्यों में टीकाकरण में औसत कमी 20 प्रतिशत पाई गई।

अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश चार राज्यों में सम्बद्ध विभागों जैसे समाज कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आदि ने न तो टीकाकरण का कोई अभिलेख तैयार किया अथवा न ही उन्हें नियमित रूप से अद्यतन किया गया।

शेष 17 राज्यों में 1992-99 के दौरान सभी प्रकार के टीकाकरणों के अन्तर्गत लक्षित तथा आवृत्त लाभभोगियों की वर्षवार स्थिति निम्न प्रकार थी।

वर्ष	लाभभोगियों की संख्या (लाख में)			कमी की प्रतिशतता
	लक्षित	आवृत्त	कमी	
1992-93	186.60	141.31	45.29	24
1993-94	188.38	148.53	39.85	21
1994-95	188.25	159.42	28.83	15
1995-96	192.24	152.09	40.15	21
1996-97	197.29	162.57	34.72	18
1997-98	196.03	167.82	28.21	14
1998-99	192.53	139.83	52.70	27
<b>जोड़</b>	<b>1341.32</b>	<b>1071.57</b>	<b>269.75</b>	<b>20</b>

टिप्पण : टीका-वार विवरण अनुबन्ध-4 में दिए गए हैं।

इस प्रकार, टीकाकरण पर बल देने के बावजूद, कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ।

1992-99 के दौरान निम्नलिखित छः राज्यों में परियोजनाओं में नमूना जांच से टीकाकरण में निम्न प्रकार की कमियों का पता चला :-

पांच राज्यों में टीका-वार प्रतिशतता कमी अधिक घोषित की गई थी।

राज्य का नाम	प्रतिशतता में कमी				
	बी.सी.जी.	डी.पी.टी.	पोलियो	खसरा	टेटनेस
गुजरात	56	32	29	63	29
हरियाणा	3 से 21	5 से 25	4 से 25	8 से 33	17 से 44
मध्य प्रदेश	55 से 71	53 से 67	47 से 65	62 से 82	58 से 68
मणिपुर	72 से 95	36 से 87	37 से 86	76 से 96	8 से 69
त्रिपुरा	60	60	59	66	28
पश्चिम बंगाल	48	53	54	58	4

इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में समग्र तथा विशिष्ट कमियां निम्न प्रकार थी :-

नमूना जांच की गई परियोजनाओं के आवृत किये गए लाभभोगी पहचाने गए लाभभोगियों से अधिक थे।

आन्ध्र प्रदेश : नमूना जांच की गई 55 परियोजनाओं में 1992-99 के दौरान वर्षवार कमी 14 तथा 49 प्रतिशत के बीच रही।

दिल्ली : 1992-99 के दौरान पूरे राज्य के लिए पहचाने गए लाभभोगियों की कवरेज की कमी 79 तथा 93 प्रतिशत के बीच थी। तथापि, नमूना जांच की गई छः परियोजनाओं में 8.67 लाख लाभभोगियों का टीकाकरण किया गया था, जबकि लाभभोगियों के रूप में पहचाने गये की संख्या केवल 2.57 लाख थी। यह आंकड़े चालबाजी का संकेत करते हैं।

कवरेज में कमी का कारण परियोजनाओं में वाहनों की अनुपलब्धता थी।

जम्मू व कश्मीर : नमूना जांच से पता चला कि 17 परियोजनाओं में 1992-99 के दौरान किसी भी बच्चे को टीके नहीं लगाए गए थे। नमूना जांच की गई अन्य सात परियोजनाओं में चिकित्सा अधिकारियों द्वारा कवरेज में कमी को परियोजना के पास वाहनों की अनुपलब्धता पर आरोपित किया गया था। आर.एस.पुरा, पुरमण्डल तथा रेयसी की तीन परियोजनाओं में 1994-98 के दौरान टीकाकरण द्वारा निरोध्य रोगों, टेटनेस : 8 डिफ्थीरिया : 3 खसरा : 5 क्षयरोग : 3 तथा पोलियो : 1 के कारण 20 बच्चों की मृत्यु हो गई। इसके अतिरिक्त आर.एस.पुरा तथा श्री नगर की दो परियोजनाओं में एक से आठ वर्ष की आयु के बच्चों में 17 पोलियो के मामलों का पता चला था।

गलत सूचना के उदाहरण : 11,148 पात्र लाभभोगियों के प्रति 19,733 लाभभोगियों को टीके लगाए गए थे।

महाराष्ट्र : शहरी क्षेत्रों में लक्ष्य तथा सफलता उपलब्ध नहीं थी। तथापि, 1997-98 के लिए औरंगाबाद तथा पूना की दो परियोजनाओं की नमूना जांच से पता चला कि 11,148 पात्र लाभभोगियों के प्रति 19,733 लाभभोगियों को टीके लगाए गए थे जिससे यह संकेत हुआ कि टीके लगाए गए लाभभोगियों के आंकड़े वास्तव में सही नहीं थे। विभाग ने बताया कि गलत रिपोर्ट करने के कारणों की जांच की जाएगी।

उड़ीसा : नमूना जांच की गई 30 परियोजनाओं में वर्ष 1998-99 के दौरान कमी 14 प्रतिशत थी।

पंजाब : 1992-99 के लिए नमूना जांच की गई 28 परियोजनाओं में टेटनेस को छोड़कर सभी प्रकार के टीकों (बी.सी.जी., डी.पी.टी., पोलियो एवं खसरा) में प्रतिशतता कमी 16 तथा 67 के बीच थी।



**राजस्थान :** 1992-99 के दौरान टीकाकरण में कमी 49 तथा 82 प्रतिशत के बीच थी। संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने जून 1999 में बताया कि कमी बच्चों/गर्भवती महिलाओं द्वारा निकट के स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों आदि में टीके लगवाने के कारण थी। तथापि इस दावे का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था।

डी.पी.टी. तथा पोलियो के खुराकों के पूरे कोर्सों का प्रबन्ध नहीं था।

**सिक्किम :** वर्ष 1995-99 के लिए बा.वि.प.अ. द्वारा मंत्रालय को भेजी गई मासिक रिपोर्टों की संवीक्षा से पता चला कि डी.पी.टी. तथा पोलियो खुराकों के पूरे कोर्सों का प्रबन्ध नहीं था तथा तीसरी खुराक के अन्तर्गत डी.पी.टी. तथा पोलियो के लिए कवरेज में कमी 23 प्रतिशत थी। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रबन्धित टेटनेस टीके के मामले में कमी 82 प्रतिशत थी।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को निर्धारित तिथि पर टीके लगवाने के लिए प्रेरित करने हेतु उनकी सूची तैयार करनी तथा टीकाकरण रजिस्टर बनाना था। वास्तविक टीकाकरण स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा किया जाना था। अवसंरचना में कमी ने असाध्य जटिलता के इस कार्यक्रम के निष्पादन ने समस्या संयोजित कर दी।

### 3.5.3.4 दवाई किटें

योजना में लाभभोगियों को आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से कुछ साधारण दवाइयों की आपूर्ति की व्यवस्था थी। राज्य सरकारों को दवाइयां खरीदने में सक्षम बनाने के लिए 300 रु. प्रति आंगनवाड़ी प्रतिवर्ष का प्रावधान किया गया था। मंत्रालय द्वारा यह देखा गया था कि कई बार या तो अपेक्षित दवाइयों की मात्रा बिल्कुल उपलब्ध नहीं थी अथवा कुछ समय के लिए उपलब्ध थी अथवा केवल कुछ दवाइयां उपलब्ध थीं। इसलिए मंत्रालय ने अगस्त 1984 में दवाइयां केन्द्रीय रूप से अधिप्राप्त करने तथा अनुमोदित विनिर्माताओं के माध्यम से आपूर्ति करने का निर्णय लिया। पूरे देश में फेले लाभभोगियों के वितरण हेतु केन्द्रीय अधिप्रापण व्यावहारिक प्रस्ताव नहीं था। यह देखा गया था कि 1992-95 तथा 1998-99 के वर्षों के दौरान दवाई किटें आपूर्ति नहीं की गई थी।

दवाई किटें कार्यशील आंगनवाड़ी केन्द्रों के आधार पर नहीं खरीदी गई थीं।

#### 3.5.3.4.1 5.83 करोड़ रु. की अधिक दवाई किटों की खरीद

मंत्रालय ने 1995-98 के दौरान 2.98 लाख, 3.47 लाख तथा 3.55 लाख कार्यशील आंगनवाड़ी केन्द्रों के प्रति 3.49 लाख, 3.81 लाख तथा 4.65 लाख दवाई किटें प्राप्त की थी।

मंत्रालय ने जून 1999 में बताया कि दवाई किटों की मांग की गणना देश में कार्यशील आंगनवाड़ी केन्द्रों के आधार पर की गई थी। मंत्रालय का उत्तर सही नहीं है। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि मंत्रालय ने सम्बद्ध राज्यों से दवाई किटों की मांग के लिए पूछा था। चूंकि सभी राज्यों से सूचना प्राप्त नहीं हुई थी मंत्रालय ने 1995-96 में मांग 25 प्रतिशत बढ़ा दी क्योंकि निर्धारित मांग तथा दवाई किटों की आपूर्ति की वास्तविक तिथि में समय का एक बड़ा अन्तराल था। 1996-97 में इस मांग को 5 प्रतिशत बढ़ाकर 3.64 लाख किटों से 3.82 लाख किटें कर दिया गया था। 1997-98 में अपनाए गए आधार का सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि संबंधित फाईल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास थी। मंत्रालय की इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप 5.83 करोड़ रु. मूल्य की औषधि किटों की अधिक खरीद की गई।

### 3.5.3.4.2 औषधि किटों के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की अनुचित प्रणाली

सम्बन्धित बा. वि.प.अ. से औषधि किटों की प्राप्ति के प्रमाण के बिना ही औषधि किटों का भुगतान कर दिया गया था।

औषधि किटों की खरीद तथा आंगनवाड़ियों को आपूर्ति की प्रक्रिया यह थी कि मंत्रालय औषधि किटों की खरीद तथा वितरण के लिए विख्यात सा.क्षे.उ. से निविदाएं आमंत्रित थी। सा.क्षे.उ. अन्तरिम परेषितियों को, सामान्यतः उन्हें मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए जिला मुख्यालयों पर औषधि किटें आपूर्त करते थे। अन्तरिम परेषिति के रूप में पहचाने जाने वाले परेषिति, जिला स्तर अधिकारी, फिर उन किटों को आंगनवाड़ी केन्द्रों को वितरित करने के लिए 'परेषिति' के रूप में जाने वाले बाल विकास परियोजना अधिकारी को आपूर्त करने की व्यवस्था करते थे। अन्तरिम परेषितियों के नाम तथा पतों की सूची भी किटें आपूर्त करने वाले सा.क्षे.उ. को आपूर्त की गई थी।

औषधि किटों की आपूर्ति से संबंधित अनुबन्ध की शर्तों में यह प्रावधान था कि आपूर्त की गई औषधि किटों की कुल लागत के 95 प्रतिशत का भुगतान अन्तरिम परेषिति/जिला मुख्यालयों से 'पावती एवं प्राप्ति' प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित सा.क्षे.उ. को करना होगा। यह अस्थायी रसीद है। यह 'कथित नियंत्रण आधार' पर जारी की जाती है जिसमें वास्तव में सौंपी गई कुल मात्रा को प्रमाणित करने के लिए आपूर्तिकर्ता उत्तरदायी होता है। यह अन्तरिम परेषिति द्वारा भण्डार की प्राप्ति का संकेत है तथा निरीक्षण से संबंधित उसके अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना होता है।

बाद में संबंधित बा.वि.प.अ. ने यह पुष्टि करनी होती थी कि परियोजना के लिए अभिप्रेत औषधि किटों की निर्धारित मात्रा प्राप्त हो गई थी तथा प्रत्येक औषधि किटों की सामग्री का सत्यापन कर लिया गया था। विसंगति/क्षति/हानि/टूट-फूट से संबंधित दावे/शिकायत, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा संबंधित बा.वि.प.अ. द्वारा औषधि किटों की प्राप्ति की तिथि से 120 दिन तक स्वीकार किए जाने थे। मंत्रालय को किटों की सामग्री की पूरी संख्या/मात्रा तथा उचित स्थिति के विषय में सूचना प्राप्त होने तक कुछ समय के लिए शेष पांच प्रतिशत भुगतान रोकना था।

मंत्रालय में अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान 2.75 लाख तथा 4.65 लाख औषधि किटों के लिए मंत्रालय द्वारा 95 प्रतिशत राशि का भुगतान किया गया था, यद्यपि बा.वि.प.अ., जिन्होंने अन्तरिम परेषितियों से औषधि किटें प्राप्त की थी, ने केवल 40,252 तथा 72,829 किटों की प्राप्ति की पावती स्वीकार की थी। मात्र दो वर्षों में ही बा.वि.प.अ. द्वारा 6.27 लाख औषधि किटों की पावती नहीं की गई थी। तथापि, मंत्रालय ने सभी बा.वि.प.अ. से पावती की प्राप्ति के बिना पांच प्रतिशत भुगतान जारी किया था। औषधि किटों की समुचित प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली की विफलता की पुष्टि अगले अनुच्छेदों में वर्णित कुछ राज्यों में की गई खोज से होती है।

मंत्रालय द्वारा औषधि किटों की अधिक खरीद के प्रति, राज्यों ने मंत्रालय द्वारा औषधि किटों की कम आपूर्ति/आपूर्ति न करने के कारण आंगनवाड़ी केन्द्रों के औषधि किटें आपूर्त नहीं की।

### 3.5.3.4.3 औषधि किटों की प्राप्ति तथा उन्हें जारी करने में अनियमितताएं

राज्यों में नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि जबकि मंत्रालय ने अधिक औषधि किटें खरीद ली थी, अधिकतर राज्य सरकारों ने मंत्रालय द्वारा औषधि किटों की कम आपूर्ति/आपूर्ति न



करने के कारण आंगनवाड़ी केन्द्रों को औषधि किटें आपूर्त नहीं की। राज्य सरकारों द्वारा औषधि किटों की प्राप्ति तथा उन्हें जारी करने में देखा गई त्रुटियां निम्न प्रकार से थी :

**आन्ध्र प्रदेश :** 1992-99 के दौरान, नमूना जांच की गई 55 परियोजनाओं में 36449 किटों की मांग के विपरीत केवल 22963 किटें प्राप्त हुई थी। इस अवधि में 10 तथा 72 प्रतिशत के बीच कमी थी।

1996-97 में प्राप्त 6.45 लाख रु. की औषधि किटें, मार्च 1999 तक अप्रयुक्त रही।

**असम :** 1994-97 के दौरान प्राप्त 10,289 औषधि किटों में से, 72 प्रतिशत किटों को निरूपित करने वाली 7362 किटों की वितरण सूची उपलब्ध नहीं थी, जिसकी जांच की आवश्यकता है। 1995-97 में पांच परियोजनाओं को जारी 840 किटों के विपरीत, केवल 295 किटों की पावतियां प्राप्त हुई थी। निदेशालय द्वारा 1996-97 में प्राप्त 6.45 लाख रु. मूल्य की 1681 किटें मार्च 1999 तक अप्रयुक्त रहीं।

42.54 लाख रु. की औषधि किटें प्रयोग नहीं की गई थी तथा 8.15 लाख रु. की 2074 किटें गैर ए.बा. वि.यो. कर्मचारियों को वितरित की गई थी।

**बिहार :** मंत्रालय ने जुलाई 1995 तथा अप्रैल 1996 में क्रमशः 6491 तथा 8024 औषधि किटें आपूर्त की थी। उनमें से 1126 किटें उपयुक्त रूप से वितरित की गईं, 8.15 लाख रु. मूल्य की 2074 किटें योजना के साथ संबंध न रखने वाले कर्मचारियों को वितरित की गई थी तथा 11315 किटें उपयोग में नहीं लाई गईं एवं मई 1998 तथा फरवरी 1999 में कालातित हो गईं जिसके कारण केन्द्रों को किटों से वंचित रखने के अतिरिक्त 42.54 लाख रु. की हानि हुई। हानि के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

लिए गए नमूने में घटिया अवशोषक कपास पट्टियां/रूई देखी गई थी।

**चंडीगढ़ :** सितम्बर 1997 के पश्चात्, औषधि किटें न तो मंत्रालय द्वारा दी गई थी और न ही कोई स्थानीय खरीद की गई थी। 1992-93, 1994-95, 1996-97 तथा 1998-99 के दौरान, 300 आंगनवाड़ियों में से क्रमशः 220, 222, 78 तथा 300 आंगनवाड़ियों की औषधि किटें प्राप्त नहीं हुई थी। सरकारी विश्लेषक, पंजाब द्वारा नवम्बर 1997 में लिए गए नमूने में घटिया अवशोषक कपास की पट्टियां/रूई भी देखी गईं।

**दिल्ली :** 1994-98 के दौरान मंत्रालय द्वारा 58.61 लाख रु. मूल्य की औषधि किटें आपूर्त की गई थी, परन्तु रा.रा.क्षे. सरकार, दिल्ली द्वारा उनकी प्राप्ति, वितरण तथा उपयोग से संबंधित कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।

**हरियाणा :** नमूना जांच किए गए चार जिलों में, 16371 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 1992-98 के दौरान 6934 आंगनवाड़ी केन्द्रों में औषधि किटें प्राप्त नहीं हुई थी।

**जम्मू व कश्मीर :** 1992-98 के दौरान यूनिसेफ द्वारा आपूर्त 46252 औषधि किटों की प्राप्ति तथा प्रेषण का कोई प्रमाण नहीं रखा गया था। इसके अतिरिक्त नमूना जांच की गई आठ परियोजनाओं में 1994-99 के दौरान की गई आपूर्ति 40 से 69 प्रतिशत कम थी।

1997-98 में मंत्रालय के पास औषधि किटों की कोई मांग प्रस्तुत नहीं की गई थी। अन्य वर्षों के लिए प्रस्तुत की गई मांग भी कम पाई गई थी।

**कर्नाटक :** 1992-97 तथा 1998-99 के दौरान, 2.43 लाख औषधि किटों की मांग के विपरीत, निदेशक द्वारा केवल 1.83 लाख किटों की मांग की गई थी तथा मंत्रालय के पास 1997-98 के लिए कोई मांग प्रस्तुत नहीं की गई। नमूना जांच की गई 39 परियोजनाओं



में, औषधि किटों की आपूर्ति में मांग के 50 से 60 प्रतिशत के बीच कमी रही। कार्यान्वयन अधिकारियों द्वारा औषधि किटों की अनापूर्ति मंत्रालय पर आरोपित की गई।

लिए गए नमूनों से औषधि किटों में घटिया चिकित्सा सामग्री का पता चला।

केरल : 1996-98 के दौरान, 30251 क्रियाशील आंगनवाड़ी केन्द्रों में से, 36662 औषधि किटें अर्थात् 26.04 लाख रु. मूल्य की 6411 अधिक किटें प्राप्त हुई थी। मंत्रालय के कहने पर, 1996-98 के दौरान सात जिलों में नमूनों की जांच की गई, जिनमें घटिया स्तर की चिकित्सा सामग्री पाई गई। तब भी इसकी सूचना मंत्रालय को नहीं दी गई।

मणिपुर : 1994-99 के दौरान औषधि किटों की प्राप्ति में 53 तथा 84 प्रतिशत के बीच कमी थी।

नागालैंड : 1994-99 के दौरान, 184 परियोजनाओं में से 104 में औषधि किटें प्राप्त नहीं हुई।

पंजाब : 28 परियोजनाओं में, 16700 औषधि किटों की मांग के विपरीत, 1992-99 के दौरान 7744 किटें प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, 1992-99 के दौरान, आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा औषधि किटों की प्राप्ति में 14 दिन तथा 9 महीने के बीच का विलम्ब था।

राजस्थान : जांच की गई 39 परियोजनाओं में, 20667 आंगनवाड़ियों की संचित संख्या में से, 1992-98 के दौरान 8690 आंगनवाड़ियों में औषधि किटें प्राप्त नहीं हुई थी।

30067 क्रियाशील आंगनवाड़ी केन्द्रों के प्रति, मंत्रालय ने 40382 औषधि किटें आपूर्ति की।

तमिलनाडु : 1994-97 के दौरान, 30067 क्रियाशील आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए, निदेशक समाज कल्याण द्वारा 29805 किटों की मांग प्रस्तुत की गई जिसके विपरीत राज्य को 40382 किटें आपूर्ति की गई, फलस्वरूप 41.78 लाख रु. मूल्य की 10315 औषधि किटों की अधिक आपूर्ति हुई। निदेशक (समाज कल्याण) ने बताया कि अधिक आपूर्ति को नए खोले गए आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा राज्य कक्ष में बांटा गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उक्त अवधि के दौरान केवल 169 नए आंगनवाड़ी केन्द्र खोले गए थे। जबकि एक ओर राज्य सरकार को अधिक आपूर्ति हुई, दूसरी ओर आंगनवाड़ी केन्द्रों को औषधि किट रहित रखा गया। नमूना जांच की गई 11 परियोजनाओं में औषधि किटें प्राप्त न करने वाली आंगनवाड़ियों की प्रतिशतता 30 तथा 100 के बीच थी।

उत्तर प्रदेश : 1995-96 के दौरान 36396 क्रियाशील आंगनवाड़ी केन्द्रों के विपरीत 22492 औषधि किटें प्राप्त हुई थी। फिर भी राज्य सरकार द्वारा कोई स्थानीय खरीद नहीं की गई थी।

औषधि किटों के वितरण से संबंधित कोई अभिलेख नहीं रखा गया था।

पश्चिम बंगाल : 1994-99 के दौरान नमूना जांच किए गए चार जिलों में 22041 औषधि किटें प्राप्त हुई थी तथा वितरित हो चुकी बताई गई थी। औषधियों के वितरण से संबंधित कोई अभिलेख नहीं रखा गया था।

#### 3.5.4 पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा

योजना का एक मूल तत्व अज्ञान का सामना करने के लिए जागरूकता के वांछित स्तर का सृजन है ताकि कार्यक्रम केवल लाभभोगियों को ही उपलब्ध न कराए जाएं, बल्कि ये लाभभोगियों द्वारा स्वयं व्यवहार में लाए गए उत्तम स्तर को बनाए रखने के लिए मार्गदर्शक

के रूप में भी कार्य करते रहें। योजना के इस संघटक के अन्तर्गत, 15-45 वर्ष आयु-वर्ग की सभी महिलाओं को व्यावहारिक पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है तथा विशेषकर स्तन्यदा एवं संभावित माताओं को बाल संरक्षण के अनिवार्य सिद्धान्त सिखाए जाते हैं। योजना के अन्तर्गत सभी प्रकार के जन संचार माध्यमों का उपयोग करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अनिवार्य गृह भेंटों के अतिरिक्त लघु प्रदर्शनोन्मुखी पाठ्यक्रमों सहित विशेष अभियान प्रारंभ करना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, तथा कृषि मंत्रालयों द्वारा विशेष रूप से अभिकल्पित कार्यक्रम, वितरण प्रणाली में प्रमुख भागीदारों के स्तर पर होने वाले परिवर्तन का अवसर छोड़ते हुए शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बाल संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम के कुछ मूल संघटकों में स्तनपान, छोटे बच्चों के लिए सन्तुलित आहार, प्रतिरक्षण के लाभ आदि शामिल हैं।

योजना के इस संघटक के कार्यान्वयन के पुनरीक्षण से, प्रयास के अभाव के रूप में एवं साधनों के बहुत कम उपयोग के रूप में तथा तृण मूल स्तर पर सावधानी की कमी के कई मामलों का पता चला।

91 प्रतिशत परियोजनाओं में कोई फिल्म/पट्टिका प्रदर्शन नहीं हुआ था।

आन्ध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, पांडिचेरी, दादरा एवं नगर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा दीव के 15 राज्यों/सं.शा.क्षे. में 41,326 कुल परियोजनाओं के विपरीत 1992-99 के दौरान फिल्म/पट्टिका प्रदर्शन केवल 3529 परियोजनाओं में हुए थे। इस प्रकार 37,797 परियोजनाओं में, जो परियोजनाओं की कुल संख्या का 91 प्रतिशत बनता है, जागरूकता बढ़ाने की कोई गतिविधि नहीं थी। फिल्म/पट्टिका प्रदर्शन तथा गृह भेंटों का वर्ष वार विवरण अनुबन्ध-5 में दिया गया है।

11 राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा गृह भेंटों में 27 प्रतिशत की कमी देखी गई थी।

आन्ध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, केरल, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, पांडिचेरी, दादरा एवं नगर हवेली, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह तथा दमन एवं दीव के 11 राज्यों/सं.शा.क्षे. में, 15-45 वर्ष आयु वर्ग की 5.16 करोड़ महिलाओं के प्रति आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा 1992-99 के दौरान 3.74 करोड़ महिलाओं के साथ गृह भेंट की गई थी जिसके परिणामस्वरूप विस्तार कार्य में 1.42 करोड़ रु. की कमी हुई।

असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तथा राजस्थान के पांच राज्यों में नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि 1992-99 के दौरान इस संघटक के अन्तर्गत या तो कोई कार्यवाही नहीं की गई थी या उसका अभिलेख नहीं रखा गया था।

गुजरात, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश के सात अन्य राज्यों में फिल्म/पट्टिकाओं की अनुपलब्धता प्रशिक्षित कर्मियों/ संचालकों का अभाव, चित्रदर्शियों की प्राप्ति न होने, त्रुटिपूर्ण चित्रदर्शियों आदि के कारण कोई फिल्म/पट्टिका प्रदर्शन आयोजित नहीं किए गए।

रा.ज.स.बा.वि.सं.<sup>9</sup> द्वारा किए गए मूल्यांकन से ज्ञात हुआ कि 25 प्रतिशत स्तन्यदा माताओं ने अपने शिशुओं को अर्द्ध ठोस आहार देना शुरू कर दिया था। इससे सकारात्मक स्तनपान प्रथा को प्रोत्साहित करने में पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा के प्रभाव की कमी का पता चला तथा

<sup>9</sup> राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान

यह 0-3 वर्ष आयु-वर्ग के बच्चों में कुपोषण की अधिक प्रतिशतता का सम्भवतः मुख्य कारण था।

### 3.5.5 अनौपचारिक विद्यालय-पूर्व शिक्षा

योजना के व्यापक चरित्र के संदर्भ में न केवल पोषाणिक सहायता देने तथा बीमारी के बचाव की आशा की गई थी बल्कि उसमें औपचारिक विद्यालय पाठ्यचर्या के लिए एक स्वस्थ बालक बनाने की भी आशा की गई थी। इस प्रकार 3-6 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनौपचारिक विद्यालयपूर्व शिक्षा देना अपेक्षित था। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र लगभग 40 बच्चों का एक मंच उपलब्ध कराता है तथा विद्यालय-पूर्व आवश्यक भावुक तथा अभिवृत्तीय शिक्षा के लिए स्थिति का सृजन करता है। राज्य सरकारों द्वारा अनौपचारिक विद्यालय-पूर्व शिक्षा के लिए कोई औपचारिक पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अनौपचारिक विद्यालय-पूर्व शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कार्यो का एक अधिकार पत्र निर्धारित किया गया था। इन क्रियाकलापों में शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए व्यायाम, भाषा विकास के लिए अभ्यास, रचनात्मक तथा कल्पनाशक्ति के लिए अभ्यास सामूहिक क्रियाकलाप, लेखन-पूर्व क्रियाकलाप जैसे चित्रकला तथा सांचा बनाना आदि शामिल हैं।

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, उड़ीसा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली तथा दीव के 15 राज्यों/सं.रा.क्षे. में जहां अनौपचारिक विद्यालय-पूर्व शिक्षा के सांख्यिकी ब्यौरे उपलब्ध थे, लेखापरीक्षा ने इस संघटक के प्रभाव का पता लगाने के लिए नामांकित बच्चों हेतु तथा उनकी उपस्थिति की प्रतिशतता परिकलित की जिसका विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है

अनौपचारिक विद्यालय-पूर्व शिक्षा के लिए 66 प्रतिशत पात्र बच्चों को नामांकित किया गया था जिनमें से 54 प्रतिशत ने ही वास्तव में कक्षाओं में भाग लिया।

वर्ष	बच्चों की संख्या				
	नामांकन के लिए पात्र	वास्तव में नामांकित किए गए	कक्षाओं में भाग लिया	कॉलम सं. (3) की (2) से प्रतिशतता	कॉलम सं. (4) की (2) से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
		(आंकड़े लाखों में)			
1992-93	65.55	44.58	37.01	68	56
1993-94	71.44	48.37	39.22	68	55
1994-95	77.22	50.95	41.50	66	54
1995-96	81.82	56.23	44.72	69	55
1996-97	88.95	58.08	48.00	65	54
1997-98	98.27	63.82	51.71	65	53
1998-99	101.47	63.99	52.87	63	52
जोड़	584.72	386.02	315.03	66	54

अनौपचारिक विद्यालय-पूर्व शिक्षा के मूल अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे।

असम, हरियाणा तथा जम्मू व कश्मीर में अनौपचारिक विद्यालय-पूर्व शिक्षा के मूल अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे। अन्य पांच राज्यों में पात्र बच्चों की तुलना में नामांकन किए गए तथा वास्तव में कक्षाओं में भाग लेने वाले बच्चों की प्रतिशतता में कमी निम्नानुसार थी। राजस्थान, तमिलनाडु, तथा उत्तर प्रदेश में घोषित कमी निम्नानुसार थी :

राज्य	वर्ष	नमूना जांच की गई परियोजनाओं की संख्या	बच्चों की सं.		कक्षाओं में भाग लिया	कमी की प्रतिशतता	
			नामांकन हेतु पात्र	वास्तव में नामांकित		कॉलम 5 की 4 से	कॉलम 6 की 4 से
1	2	3	4	5	6	7	8
					आंकड़े लाख में		
हिमाचल प्रदेश	1992-99	16	2.52	1.58	1.51	37	40
राजस्थान	1994-98	191 (सम्पूर्ण राज्य)	54.99	22.96	भे.न.	58	भे.न.
सिक्किम	1995-99	5 (सम्पूर्ण राज्य)	0.70	0.44	0.38	37	46
तमिलनाडु	1992-99	15	7.38	3.95	3.35	46	55
उत्तर प्रदेश	1992-99	87	28.59	18.31	12.92	36	55

भे. न. : राज्य सरकार द्वारा भेजे नहीं गए।

दो राज्यों में नमूना जांच की गई परियोजनाओं में पात्र बच्चों की संख्या लाभभोगी बच्चों तथा नामांकन से अधिक पाई गई थी।

गुजरात में 16 परियोजनाओं में अनौपचारिक विद्यालय-पूर्व शिक्षा के लिए पात्र बच्चों की संख्या 25.02 लाख दर्शाई गई थी जिसमें से 23.96 लाख बच्चों के नामांकन तथा 13.74 लाख बच्चों द्वारा अनौपचारिक शिक्षा में भाग लेने का दावा किया गया था। ये आंकड़े गलत थे तथा सम्पूर्ण राज्य के आंकड़े क्रमशः 21.45 लाख, 20.28 लाख तथा 13.70 लाख से अधिक थे। इसी प्रकार महाराष्ट्र में दो परियोजनाओं की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि बच्चों की उपस्थिति लाभभोगी बच्चों की संख्या से अधिक थी तथा अन्य पांच परियोजनाओं में सूचित किए गए बच्चों की उपस्थिति नामांकन से अधिक थी। इनसे यह प्रकट हुआ कि निष्पादन अभिलेखों में हेरा-फेरी की गई थी।

शिशुओं को प्रति छमाही विटामिन ए का घोल दिया जाना था। मंत्रालय द्वारा वितरण के कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) ने राज्य सरकारों को विटामिन ए की आपूर्ति की स्थिति सूचित नहीं की थी।

### 3.6 विटामिन ए घोल तथा लौ.फौ.अ. गोलियों की आपूर्ति

विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधेपन की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय रोगनिदान कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय ने यह निर्धारित किया था कि ए.बा.वि.से. योजना के अंतर्गत शिशुओं को उनकी नौ माह की आयु पर विटामिन ए घोल की 1,00,000 अंतर्राष्ट्रीय इकाइयां दी जानी थी। तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्राथमिकता देते हुए एक से पांच वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के प्रति छमाही विटामिन ए घोल की 2,00,000 अंतर्राष्ट्रीय इकाइयां लेनी थी। राज्य के प्रमुख विभाग को ए.बा.वि.यो. परियोजना क्षेत्रों में लाभभोगियों के लिए विटामिन ए तथा लौह फौलिक अम्ल गोलियों की सारी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए राज्य स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग के साथ समन्वय करना था। इस संबंध में की गई कार्यवाही मंत्रालय को सूचित की जानी थी।

मंत्रालय को जून 1999 में यह सूचित करने कि क्या राज्य प्रमुख विभागों द्वारा की गई कार्यवाही मंत्रालय को सूचित की गई थी तथा विटामिन ए तथा लौह फौलिक अम्ल गोतियों के वितरण की रिपोर्टों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। जनवरी 2000 तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भी जून तथा जुलाई 1999 में राज्य सरकारों से प्राप्त वर्षवार मांगपत्रों तथा की गई आपूर्तियों के बारे में सूचित करने का अनुरोध किया गया था किन्तु जनवरी 2000 तक उनका उत्तर भी प्राप्त नहीं हुआ था।

पांच राज्यों में नमूना जांच की गई 72 परियोजनाओं में विटामिन ए की प्राप्ति तथा वितरण के कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे।

केरल, त्रिपुरा, मिज़ोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं हिमाचल प्रदेश के पांच राज्यों में नमूना जांच की गई 72 परियोजनाओं में यह पाया गया था कि विटामिन ए घोल की प्राप्ति तथा वितरण के कोई ब्यौरे तथा अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे। इसी प्रकार, हरियाणा में नमूना जांच किए गए चार जिलों में से फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र तथा सोनीपत के तीन जिलों में 1992-99 के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्रों में विटामिन ए घोल के वितरण से संबंधित कोई आंकड़े अनुरक्षित नहीं किए गए थे।

चार राज्यों में विटामिन ए की कोई आपूर्ति नहीं थी।

बिहार, दिल्ली, मणिपुर, नागालैंड में, राज्य की सभी परियोजनाओं में 1992-99 के दौरान विटामिन ए घोल की कोई आपूर्ति नहीं की गई थी।

आठ राज्यों में 234 परियोजनाओं में लाभभोगियों को विटामिन ए घोल नहीं दिया गया था।

निम्नलिखित आठ राज्यों की 283 परियोजनाओं में से 234 परियोजनाओं की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि लाभभोगियों को 1992-99 के दौरान कोई विटामिन ए घोल नहीं दिया गया था।

राज्य का नाम	नमूना जांच की गई परियोजनाओं की संख्या	उन परियोजनाओं की संख्या जिनमें घोल नहीं दिया गया
आन्ध्र प्रदेश	55	53
अरुणाचल प्रदेश	4	4
असम	22	20
जम्मू व कश्मीर	29	14
महाराष्ट्र	8	6
उड़ीसा	39	34
राजस्थान	39	16
उत्तर प्रदेश	87	87
जोड़	283	234



नमूना जांचों में देखी गई अन्य अनियमितताएं निम्न प्रकार थी :-

1992-99 के दौरान विटामिन ए घोल की आपूर्ति अनियमित थी।

1996-99 के दौरान आवृत्त करने में 66 तथा 83 प्रतिशत के बीच कमी थी।

दूसरी खुराक के लिए बच्चों को आवृत्त करने में 93 प्रतिशत कमी थी।

चंडीगढ़ में, 1992-99 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विटामिन 'ए' घोल की आपूर्ति अनियमित थी। 1992-98 के दौरान 1.37 लाख बच्चों में से केवल 0.11 लाख बच्चों को विटामिन 'ए' का घोल दिया गया था।

सिक्किम में, 1996-99 के दौरान पात्र बच्चों को आवृत्त करने में 66 तथा 83 प्रतिशत के बीच कमी थी।

तमिलनाडु में, 1992-99 के दौरान पहली खुराक के लिए बच्चों को आवृत्त करने में कमी की प्रतिशतता 56 तथा 75 के बीच तथा दूसरी खुराक के लिए 79 तथा 93 के बीच थी।

कर्नाटक में, 1998-99 के दौरान राज्य में 185 परियोजनाओं में विटामिन 'ए' घोल बिल्कुल आपूर्त नहीं किया गया था।

लक्षद्वीप में, सभी 74 आंगनवाड़ी केन्द्रों में 1992-99 के दौरान कोई विटामिन 'ए' घोल नहीं दिया गया था।

विटामिन 'ए' की आपूर्ति में ये कमियां स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में योजना की उपयुक्त वचनबद्धता का अभाव तथा मंत्रालय की राज्य तथा केन्द्रीय स्तर पर प्रभावशाली समन्वय/अनुश्रवण करने की विफलता की ओर भी ध्यान दिलाती हैं।

### 3.7 किशोर बालिका योजना

मंत्रालय ने इस योजना के लिए 1.10 लाख रु. प्रति खण्ड प्रति वर्ष की दर पर अनुदान जारी किया किन्तु योजना के अंतर्गत आवृत्त किए गए लाभभोगियों की संख्या का अनुश्रवण करने के लिए अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया।

देश में, 1991-92 में 11-18 वर्ष की आयु वर्ग की सभी किशोर बालिकाओं की आवश्यकता के लिए विद्यमान ए.बा.वि.से. योजना में विशेष मध्यस्थता के रूप में 507 खंडों में किशोर बालिका योजना लागू की गई थी। उसके उद्देश्य आत्म विकास, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, मनोरंजन तथा कुशल प्रशिक्षण की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, उनकी समर्थता में संवृद्धि लाना तथा सामाजिक-आर्थिक एवं लिंग भेद दोनों को घटाना है। किशोर बालिका योजना दो उप योजनाओं अर्थात् योजना 11-15 वर्ष आयु वर्ग के लिए बालिका से बालिका तक पहुंच तथा योजना II : 11-18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए बालिका मंडल, के माध्यम से कार्यान्वित की जानी थी।

मंत्रालय ने 1.10 लाख रु. प्रति खण्ड प्रति वर्ष की दर पर अनुदान जारी किए जिसमें से 80,000 रु. 'बालिका से बालिका तक पहुंच' तथा 30,000 रु. 'बालिका मंडल' के लिए थे।

यद्यपि यह योजना लगभग एक दशक से प्रचलन में है तथापि मंत्रालय ने आवृत्त किए गए लाभभोगियों की संख्या का अनुश्रवण करने के लिए किसी अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने इस योजना के अंतर्गत पहचाने गए तथा लक्षित लाभभोगियों के आंकड़े सूचित किए जिसका विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :

राज्य का नाम	वर्ष	पहचान की गई बालिकाओं की सं.	आवृत्त की गई बालिकाओं की सं.	आवृत्त करने में कमी की प्रतिशतता
कर्नाटक	1993-98	53050	39797	25
उड़ीसा	1992-99	257546	56744	78
मध्य प्रदेश	1992-98	547486	218822	60
उत्तर प्रदेश	1992-99	105420	4409	96

आगे बिहार में नमूना जांच की गई 25 परियोजनाओं में से केवल चार परियोजनाएं : गया-आर, हज़ारीबाग-आर, बोचाहा तथा हाजीपुर योजना को कार्यान्वित कर रही थी। पश्चिम बंगाल में, 1992-99 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई लक्ष्य नियत नहीं किए गए थे। कर्मचारियों की कमी के कारण उप योजना-II 1992-94 में बेहरामपुर तथा 1992-95 के दौरान पुरुलिया-II एवं मालदा की परियोजनाओं में कार्यान्वित नहीं की गई थी।

### 3.7.1 अनुश्रवण उपयोग के बिना 9.01 करोड़ रु. जारी करना

1992-99 के दौरान आठ राज्यों द्वारा एक भी लाभभोगी को आवृत्त नहीं किया गया था किन्तु मंत्रालय ने इन राज्यों को अनुदान देना जारी रखा।

मंत्रालय के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैण्ड, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा लक्षदीप के आठ राज्यों में 1992-99 के दौरान योजना के अंतर्गत आवृत्त लाभभोगियों की संख्या शून्य सूचित की गई थी।

मंत्रालय ने 1992-93 से राज्य सरकारों द्वारा इस योजना के निष्पादन के अनुश्रवण का कोई प्रयास नहीं किया। मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष अनुदान देना जारी रहा। उपर्युक्त आठ राज्यों ने 1992-93 से शून्य निष्पादन सूचित किया। मंत्रालय ने 1992-93 से जारी अनुदान राशि के समायोजन की कोई कार्यवाही नहीं की बल्कि उनको आगे अनुदान देना जारी रखा।

इसके परिणामस्वरूप, 1992 से 99 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत इन आठ राज्यों को 9.01 करोड़ रु. की अनुदान राशि अधिक जारी की।

### 3.8 बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सहायता

विश्व बैंक, यूनिसेफ, ए.बा.वि.यो. कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु सहायता प्रदान करते रहे हैं। यूनिसेफ द्वारा वित्तीय सहायता राज्यों में क्रियान्वित परियोजनाओं के आधार पर प्रदान की जाती है। कार्यक्रम पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकारों से दावों की प्राप्ति पर की जाती है। अ.पो.का. के अंतर्गत सरकार के प्रयास वि.खा. का. तथा केयर से प्राप्त अंशदानों द्वारा पूरे किए गए थे। पारिष्वक सहायता उपायों में विफलता के मामलों की अनुवर्ती उप-अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

### 3.8.1 विश्व बैंक

विश्व बैंक ने दो परियोजनाओं के अंतर्गत चार राज्यों में 755 परियोजनाओं में सहयोग दिया।

1992-99 के दौरान विश्व बैंक ने अपने 'सामाजिक सुरक्षा तंत्र' कार्यक्रम के अंतर्गत दो परियोजनाओं में सहयोग दिया। परियोजना-I जनवरी 1995 में आरंभ होकर दिसम्बर 1997 में समाप्त हो गई। उसने आन्ध्र प्रदेश : 110 परियोजनाएं तथा उड़ीसा राज्यों : 191 परियोजनाएं को आवृत्त किया। दूसरी परियोजना सितम्बर 1993 से आरंभ हुई तथा मार्च 2000 में समाप्त होनी थी। यह भी दो राज्यों, बिहार : 210 परियोजनाएं तथा मध्य प्रदेश : 244 परियोजनाएं को आवृत्त करती है।

उसकी अनुश्रवण प्रक्रिया के रूप में नियत लक्ष्यों तथा उसकी उपलब्धियों के अनुसार विश्व बैंक के कुछ विशिष्ट प्रक्रिया उद्देश्य जैसे असंकमणीकरण, भोजन अनुपूरण, विटामिन की मात्रा निर्धारित किए थे। तत्पश्चात् परियोजना पूर्ण होने के बाद सहायता का सम्पूर्ण प्रभाव कुछ प्रभाव संकेतको जैसे शि.मृ.द.,<sup>10</sup> गं.सा.कु.<sup>11</sup> के अनुसार आंका गया था।

#### 3.8.1.1 वित्तीय आबंटन तथा व्यय

विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता 266.48 मिलीयन अमेरिकी डालर जो कि 939.90 करोड़ रु. के बराबर थी।

विश्व बैंक से परियोजना I एवं II के लिए वित्तीय सहायता क्रमशः 72.48 मिलीयन अमेरिकी डालर तथा 194 मिलीयन अमेरिकी डालर जो कि 343.67 करोड़ एवं 596.23 करोड़ रु. के बराबर थी। ये निधियां केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जारी की गई थी तथा बाद में उनके द्वारा सूचित किये गये व्यय के आधार पर विश्व बैंक से प्रतिपूर्ति प्राप्त की गई थी। राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाला व्यय, व्यय वित्त समिति द्वारा घटक-वार अनुमोदित किया गया था।

परियोजना-II के लिए 61 प्रतिशत सहायता मार्च 1999 तक अप्रयुक्त रही जबकि परियोजना के पूर्ण होने में एक वर्ष शेष है।

परियोजना-I के लिए कुल 72.48 मिलीयन अमेरिकी डालर की वित्तीय सहायता उपयोग की गई थी। जबकि परियोजना-II के लिए, मार्च 1999 तक 194 मिलीयन अमेरिकी डालर की संस्वीकृति के प्रति व्यय दावों की प्रतिपूर्ति केवल 75.54 मिलीयन अमेरिकी डालर थी। इस प्रकार परियोजना-II के प्रचालन में सिर्फ एक और वर्ष के साथ कुल वित्तीय सहायता के 61 प्रतिशत के बराबर 118.46 मिलीयन अमेरिकी डालर के उपयोग की संभाव्यता क्षीण है। अतः परियोजना-II के दौरान, राज्य सरकारें बहुमूल्य बाह्य सहायता को समय से उपयोग करने में सफल नहीं हुईं।

कार्यान्वयन राज्यों के अभिलेखों की नमूना जांच से दुष्प्रयोग तथा संसाधनों के विपथन के कई मामले प्रकाश में आए।

निजी जमा खाते में रखे गये 5.86 करोड़ रु. में से 1.17 करोड़ रु. वापस कर दिए गए तथा 2.33 करोड़ रु. के विस्तृत बिल प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

आन्ध्र प्रदेश में, राज्य सरकार ने मार्च 1992 में सामग्री की खरीद के लिए 5.86 करोड़ रु. जारी किए। आयुक्त ने यह राशि अग्रिम बिल के रूप में मार्च 1992 में आहरित की तथा इसे सरकार के निर्देशानुसार आ.प्र. महिला सहकारी वित्त निगम के निजी जमा खाते में रखा गया। इस आहरित की गई राशि में से, 1.17 करोड़ रु. की अव्ययित शेष राशि फरवरी 1997 में अर्थात् पांच वर्ष बीतने के पश्चात्, सरकारी खाते में वापस कर दी गई

<sup>10</sup> शिशु मृत्यु दर

<sup>11</sup> गंभीर तथा साधारण कुपोषण

ए.बा.वि.यो.  
परियोजनाओं के लिए  
उद्दिष्ट 17.40 करोड़  
रु. आहरित किए तथा  
फिर राज्य की प्राप्ति के  
रूप में क्रेडिट कर दिए

थी। इसके अतिरिक्त, शेष बचे हुए 4.69 करोड़ रु. जो खर्च कर दिए बताए गए, में से जून 1999 तक अर्थात् सात वर्षों से अधिक बीत जाने के पश्चात् भी, 2.33 करोड़ रु. के विस्तृत बिल आयुक्त द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

बिहार में, ए.बा.वि.यो. परियोजनाओं के लिए उद्दिष्ट 17.40 करोड़ रु. की राशि को खाते में खर्च की गई दशाति हुए, एक से 12 माह तक के लिए अनधिकृत रूप से सिविल जमा में रखा गया। यह राशि बाद के वर्षों में सिविल जमा से आहरित कर ली गई तथा राज्य की प्राप्ति के रूप में क्रेडिट कर दी गई। परिणामतः बच्चों को, रोगनिवारक भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा सका। यह लेखा अधिकारी परियोजना प्रबन्धन एवं विशेष पोषण अधिकारी द्वारा किया गया था।

आहरित एवं बैंक खाते में  
जमा किए गए 1.87  
करोड़ रु. अन्तिम व्यय के  
रूप में दर्शाए गए थे।

उड़ीसा में, 1.87 करोड़ रु. का अव्ययित शेष आहरित किया गया तथा महिला विकास सम्बन्धी निगम, भुवनेश्वर के बैंक खाते में जमा करा दिया गया तथा इसे दिसम्बर 1997 में अन्तिम व्यय के रूप में दर्शाया गया। इसमें से जून 1999 के अन्त तक 1.48 लाख रु. अभी भी बैंक खाते में जमा थे।

### 3.8.1.2 संघटक-वार व्यय

संघटक-वार व्य.  
वि.स. प्रावधान  
एवं व्यय में भारी  
अक्षरों का पता  
चला था।

व्यय वित्त समिति ने राज्यों द्वारा किया जाने वाला संघटक-वार-व्यय निर्धारित किया था। संघटक-वार व्य.वि.स. प्रावधान एवं उसके प्रति किए गए व्यय के बीच बहुत अधिक अन्तर था। आन्ध्र प्रदेश द्वारा मार्च 1997 तक, बिहार द्वारा फरवरी 1999 तक एवं मध्य प्रदेश द्वारा अगस्त 1998 तक किए गए संघटक-वार व्यय अनुबन्ध-6 में दर्शाए गए हैं। उड़ीसा, के विवरण उपलब्ध नहीं थे। निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते थे :-

आन्ध्र प्रदेश में 15.62 करोड़ रु. के प्रावधान के प्रति खण्ड स्तर तक अन्य व्ययों के संघटक एवं हैण्डपम्पों के प्रतिष्ठापन पर कोई व्यय नहीं किया गया था।

85.19 करोड़ रु. के  
व्य.वि.स. प्रावधान  
के प्रति केवल  
6.01 करोड़ रु. का  
व्यय किया गया  
था।

बिहार में 8.41 करोड़ रु. के प्रावधान के प्रति रोगनिवारक भोजन, अनुश्रवण, अनुसंधान एवं मूल्यांकन, पर्यवेक्षकों हेतु गतिशीलता पर कोई व्यय नहीं किया गया था। कुछ मदों जैसे कि खंड स्तर तक अन्य व्यय, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, संचार तथा समुदाय गतिशीलता पर 85.19 करोड़ रु. के व्य.वि.स. प्रावधान के प्रति फरवरी 1999 तक सिर्फ 6.01 करोड़ रु. का व्यय किया गया था। इसके अतिरिक्त, बिहार की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी 1999 तक 114.58 करोड़ रु. का व्यय किया गया जो कि 257.13 करोड़ रु. के कुल प्रावधान का केवल 45 प्रतिशत था। बाकी के एक वर्ष में शेष 55 प्रतिशत सहायता के उपयोग की संभाव्यता क्षीण थी। 10 करोड़ रु. के प्रावधान के प्रति फरवरी 1999 तक समुदाय गतिशीलता पर व्यय 0.40 लाख रु. था।

7.67 करोड़ रु. के  
प्रावधान के प्रति  
रोगनिवारक भोजन पर  
कोई व्यय नहीं किया  
गया था।

मध्य प्रदेश में, 7.67 करोड़ रु. के प्रावधान के प्रति पोषण पुनर्वास केन्द्र, रोगनिवारक भोजन तथा निखरे हुए गांवों के लिए आरंभिक परियोजना पर अगस्त 1998 तक कोई व्यय नहीं किया गया था। व्य.वि.स. के 67.57 करोड़ रु. के प्रावधान के प्रति अगस्त 1998 तक प्रशिक्षण, परियोजना प्रबंधन तथा संचार पर व्यय 8.55 करोड़ रु. था। व्य.वि.स. के कुल प्रावधान की व्यय प्रतिशतता अगस्त 1998 तक 53 प्रतिशत थी जो कि शेष बचे समय की तुलना में कम था।

आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश से प्राप्त विश्व बैंक सहायता के व्यय की गुणवत्ता जांच नीचे दर्शाई गई है :-

न तो हैण्डपम्पों की आवश्यकता निर्धारित की गई और न ही राज्य सरकारों को आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची भेजी गई।

आन्ध्र प्रदेश : आयुक्त, महिला विकास एवं बाल कल्याण ने न तो राज्य में हैण्डपम्पों की आवश्यकता का निर्धारण किया और न ही राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग को उन आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची भेजी, जहां हैण्डपम्प प्रतिष्ठापित किए जाने थे। 1992-99 के दौरान विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत, नमूना जांच की गई 55 में से 44 परियोजनाओं में, 25000 रु. प्रति हैण्डपम्प की अनुमानित लागत पर संस्वीकृत 868 हैण्डपम्पों के प्रति केवल 604 हैण्डपम्प ही प्रतिष्ठापित किए गए थे। इसमें से, 17.75 लाख रु. की लागत पर प्रतिष्ठापित किए गए 71 हैण्डपम्प, मार्च 1999 तक चालू हालत में नहीं थे। शेष 11 परियोजनाओं में, यद्यपि संस्वीकृत 167 हैण्डपम्प, प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे।

कार्यालय एवं गोदाम तथा आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए अभिकरणों, को किए गए 9.96 करोड़ रु. के भुगतान को अन्तिम व्यय के रूप में दर्ज किया गया। 33.29 लाख रु. की अतिरिक्त अनुरक्षण निधियां भी जारी की गई।

मध्य प्रदेश : कार्यालय सहगोदाम और आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए 8914 सिविल कार्यों में से 898 निर्माण कार्य दो से पांच वर्ष बीतने के पश्चात् भी आरम्भ नहीं हुए थे। इसके अतिरिक्त, इन कार्यों के निष्पादन के लिए विभिन्न अभिकरणों को भुगतान किए गए 9.96 करोड़ रु. को अन्तिम व्यय के रूप में दर्ज कर लिया गया। 19 वीं राज्य स्तरीय अधिकृत समिति में, जनवरी 1999 में यह निर्णय लिया गया कि दो वर्ष पूर्व से समय से निर्मित एवं सम्पूर्ण किए गए आंगनवाड़ी तथा बा.वि.यो.अ. कार्यालय-सह-गोदाम के अनुरक्षण के लिए भवन की लागत के दो प्रतिशत की दर पर निधियां उपलब्ध कराई जाए। प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ 3864 आंगनवाड़ी भवन तथा 171 बा.वि.यो.अ. भवन जनवरी 1999 से दो वर्ष पूर्व अर्थात् मार्च 1997 तक पूर्ण हुए थे किन्तु 1993-94 से 1998-99 के दौरान पूर्ण हुए भवनों के लिए 2200 रु. प्रति आंगनवाड़ी की दर पर 4643 आंगनवाड़ी भवनों तथा 8000 रु. प्रति भवन की दर पर 176 बा.वि.यो.अ. भवनों के लिए अनुरक्षण अनुदान जारी किए गए थे। अतः 17.54 लाख रु. की अतिरिक्त अनुरक्षण निधियां, 1997-98 में निर्मित भवनों के लिए, जारी की गईं, जिन्होंने निर्माण के पश्चात् दो वर्ष पूर्ण नहीं किए थे। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, खारगौने के अभिलेखों से प्रकट हुआ कि निर्माण के लिए दी गई राशि पर 5.63 लाख रु. ब्याज के रूप में अर्जित हुआ जिसमें से 3.08 लाख रु. प्राप्ति के रूप में सरकारी खाते में जमा करा दिए गए तथा 2.55 लाख रु. अभी भी बैंक में पड़े थे।

हैण्डपम्पों की प्रतिष्ठापन की लागत दर में 0.35 लाख रु. से 0.40 लाख रु. प्रति हैण्डपम्प की बढ़त अनावश्यक पायी गई। प्रतिष्ठापित किए गए लगभग दस प्रतिशत हैण्डपम्प विफल रहे।

इसके अतिरिक्त, जून 1997 में, हैण्डपम्प के प्रतिष्ठापन की लागत दर में 0.35 लाख रु. से 0.40 लाख रु. का बदलाव आने के साथ ही भारत सरकार ने 1996-97 में 4000 हैण्डपम्पों के लिए 2 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि संस्वीकृत कर दी। मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 8.02 करोड़ रु. की लागत पर दिसम्बर 1997 तक 2292 हैण्डपम्पों का प्रतिष्ठापन पूर्ण हो गया था जिससे यह इंगित हुआ कि 0.35 लाख रु. प्रति पम्प की दर से वास्तविक व्यय औसत आधार पर किया गया था। इस प्रकार, पहले से ही पूर्ण हुए 2292 हैण्डपम्पों के सम्बन्ध में 1.15 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि को जारी करना अनावश्यक था तथा उसकी वसूली वैध थी। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर 1998 तक प्रतिष्ठापित 5314 हैण्डपम्पों में से 4724 सफल सूचित किए गए थे जबकि 590 विफल रहे जिनपर 2.36 करोड़ रु. का व्यय किया गया था।



राज्य सरकार के इस दावे के प्रति कि लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया था, 49 आंगनवाड़ी भवन अपूर्ण थे।

उड़ीसा : राज्य सरकार द्वारा यह दावा किया गया था कि भौतिक तथा वित्तीय, दोनों लक्ष्य, मई 1999 के अन्त तक पूर्णतः प्राप्त कर लिए गए थे। तथापि, मयूरभंज तथा सम्बलपुर जिलों में, आठ परियोजनाओं में, 73 प्रस्तावित आंगनवाड़ी भवनों में से, 49 अपूर्ण थे तथा 33.51 लाख रु. खण्ड विकास अधिकारियों के पास पड़े थे।

### 3.8.1.3 प्रक्रिया के उद्देश्य

राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने परियोजना के प्रभावी उद्देश्यों का मूल्यांकन किया तथा यह पाया कि उपलब्धियां निर्धारित लक्ष्यों से काफी कम थीं।

परियोजना के प्रभावी उद्देश्य सुदृढ़ सेवा प्रदान करना, पोषण बढ़ोतरी तथा माता के स्वास्थ्य सामर्थ्य इत्यादि के द्वारा प्राप्त किए जा सकते थे जिसके लिए विश्व बैंक ने कुछ प्रक्रिया उद्देश्यों की रूपरेखा रखी थी। इस सम्बन्ध में मिली उपलब्धियां रा.पो.सं.<sup>12</sup> द्वारा 1998 में मूल्यांकित की गई थी। आन्ध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के सम्बन्ध में मूल्यांकित लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्न प्रकार से थी :-

(आंकड़े प्रतिशतता में)

क्र.स.	प्रक्रिया सूचक	उड़ीसा		आन्ध्र प्रदेश	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1.	गर्भवती महिलाओं का शीघ्र पंजीकरण	50	13.4	50	71.5
2.	गर्भवती मलाओं का कुल पंजीकरण	80	72	80	87.2
3.	पंजीकृत महिलाओं का प्रसूति एवं पोषण जोखिम निर्धारण	100	5.5	100	39.7
4.	गर्भवती महिलाओं का टिटनेस टाकसाइड प्रतिरक्षीकरण	80	84.3	90	93.5
5.	गर्भवती महिलाओं द्वारा आयरन तथा फॉलिक एसिड दवाओं का कम से कम 12 सप्ताह तक उपभोग	60	33.1	60	21.8
6.	परिचर्या प्रसवों के लिये प्रसवोत्तर विटामिन 'ए' का प्रबन्ध	80	16.0	80	4.7
7.	अपर्याप्त पोषण स्थिति वाली पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को कम से कम 20 सप्ताह के लिए खाद्य अनुपूरण	60	33.5	80	49.5
8.	गर्भावस्था में कुपोषण वाली पंजीकृत स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए कम से कम 16 सप्ताह तक खाद्य अनुपूरण	90	43.2	90	42.9
9.	बाल प्रतिरक्षीकरण (यू.आई.पी.सी.-6)	85	63.1	90	71.0
10.	6-36 माह के बच्चों को प्रति छमाही विटामिन 'ए' की महा खुराक (100,000 - 2,00,000)	80	14.8	80	35.8
11.	0-3 वर्ष के बच्चों की नियमित विकास परिरीक्षा (> वर्ष में 9 बार)	80	69.8	80	65.2

<sup>12</sup> राष्ट्रीय पोषण संस्थान

12.	ग्रेड -II IV कुपोषण वाले परिवीक्षित 0-3 वर्ष के बच्चों का अनुपूरण	90	17.5	90	67.2
13.	गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों (ग्रेड III एवं IV ) या 0-3 वर्ष के बच्चों की वी.एच.एन /एम.पी.डब्ल्यू.एफ तथा पी.एच.सी. को पूर्णतः सुपुर्दगी	80	13.3	80	6.0
14.	3-5 वर्ष के बच्चों की प्रति तिमाही विकास परिवीक्षा, जांच एवं सारणी तैयार करनी (वर्ष में >3 बार)	60	74.2	80	53.4
15.	3-5 वर्ष की आयु के गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की एम.पी.डब्ल्यू.एफ/पी.एच.सी. को सुपुर्दगी।	90	उ.न.	90	6.0
16.	3-5 वर्ष की आयु के बच्चों को विटामिन ए की महाखुराक का अर्धवार्षिक आधार पर प्रबन्ध	70	उ.न.	80	35.8
17.	प्रांम्विद्यालय उपस्थिति (कार्य दिवसों का >80%)	60	30.7	80	52.0
18.	परजीवी सर्वेक्षणों द्वारा निर्धारित, मुख्य रूप से संक्रमित समुदायों में परिवीक्षित बच्चों का नियमित तौर पर अपरजीवीकरण	80	17.7	90	16.9
19.	लक्षित समूह में अतिसार के अन्तिम प्रभाव में मुखवर्ती पुनः जययोजन का घरेलू उपयोग	50	84.1	60	6.5
20.	तीव्र श्वसन संक्रमण के मामलों में एन.पी. डब्ल्यू.एफ/आंगनवाड़ी सेवकों द्वारा निमोनिया का कोठीमैक्साज़ोल से उपचार ए.आर.आई.	20	12.3	30	64.3
21.	6 माह के शिशुओं द्वारा प्रारंभ किये गए भोजन को स्थानीय दूध छुड़ाई अतिरिक्त भोजन	50	28.6	60	93.9
22.	9 माह के शिशुओं द्वारा 4 अतिरिक्त दूध छुड़ाई/दिवस भोजनों का प्रावधान	50	उ.न.	60	उ.न.
23.	सक्रिय कार्यरत महिला वर्ग (>वर्ष में 9 समाएं)	70	उ.न.	80	उ.न.

इससे यह प्रकट होता है कि आन्ध्र प्रदेश में कम संख्या 1, 2, 4, 20 एवं 21 तथा उड़ीसा में कम सं. 4 एवं 19 के अलावा उपलब्धियां लक्ष्यों से काफी कम थी।

#### 3.8.1.4 संघात सूचक

विश्व बैंक परियोजना I एवं II के उद्देश्यों में से एक 6-36 माह के बच्चों के ग्रेड III तथा IV के कुपोषण की व्यापकता को उस आधार रेखा से 50 प्रतिशत तक कम करना था, साधारण तथा ग्रेड I की स्थिति को आधार रेखा से 25 प्रतिशत तक बढ़ाना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना तथा निम्न जन्म भार की व्यापकता की दर को कम करना था। आधार रेखा

के सन्दर्भ में निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्त की गई उपलब्धियां जैसे कि रा.पो.सं., हैदराबाद द्वारा 1998 में मूल्यांकित स्थिति निम्न प्रकार थी :

सूचक का नाम	आन्ध्र प्रदेश		उड़ीसा	
	लक्ष्य *	उपलब्धि **	लक्ष्य *	उपलब्धि **
6-36 माह तक के बच्चों के गम्भीर कुपोषण में कमी-प्रतिशत में	50	61	50	(-) 12.5
साधारण तथा ग्रेड I स्थिति द्वारा 6-36 माह तक के बच्चों के अनुपात में वृद्धि प्रतिशत में	25	36	25	(-) 1.3
शिशु मृत्यु दर में कमी (शि.मृ.द.)	70/1000	***	100/1000	56 ***
निम्न जन्म भार के विस्तार में कमी	30	नहीं की गई	20	नहीं की गई

- \* आधार रेखा सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्य  
 \*\* समापन रेखा सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उपलब्धि  
 \*\*\* शि.मृ.द. के विश्वसनीय अनुमान के लिए निकटस्थ क्षेत्रों से लगभग कम से कम 10000 जनसंख्या को आवृत किया जाना था जो सर्वेक्षण में नहीं किया गया तथा इसलिए शि.मृ.द. के विश्वसनीय अनुमान प्राप्त नहीं हुये।

उड़ीसा के ग्रेड III तथा IV में बच्चों में गम्भीर कुपोषण की कमी की स्थिति वास्तव में बहुत खराब हो गई थी।

उपर्युक्त स्थिति से पता चला कि उड़ीसा में विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम ने न केवल ग्रेड III तथा IV के गम्भीर कुपोषण की कमी में वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किये बल्कि बच्चों के साधारण तथा ग्रेड I स्थिति के अनुपात में वृद्धि हुई, वास्तव में स्थिति बहुत खराब हो गई थी। निम्न जन्म भार के सम्बन्ध में अध्ययन की कम अवधि के कारण रा.पो.स. द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया था।

विश्व बैंक परियोजना II के लिए नवम्बर 1996 तक किया जाने वाला मध्यावधि मूल्यांकन अगस्त 1999 तक आरम्भ नहीं किया गया था।

विश्व बैंक परियोजना II के सम्बन्ध में नवम्बर 1996 तक किया जाने वाला मध्यावधि मूल्यांकन अगस्त 1999 तक आरम्भ नहीं किया गया था। इसके अभाव में बिहार तथा मध्य प्रदेश के लिए निर्धारित लक्ष्यों के सुधारों का पता नहीं लगाया जा सका।

### 3.8.2 संयुक्त राष्ट्र बाल निधि

यूनिसेफ जो कार्यशील परियोजनाओं के लिए जीपों आदि की आपूर्ति करता है ने 1992-98 के दौरान सभी 1725 परियोजनाओं को किसी मद की आपूर्ति नहीं की थी।

यूनिसेफ ए.बा.वि.यो. कार्यक्रम को 1976 से सहायता प्रदान कर रही है। यूनिसेफ द्वारा राज्यों में कार्यशील परियोजनाओं के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है जिनकी पुष्टि यूनिसेफ के अधिकारियों द्वारा की जाती है। प्रत्येक कार्यशील परियोजना, जिला तथा राज्य सैल के लिए यूनिसेफ डीजल जीप, ट्रैलर, टंकण मशीन, डुप्लीकेटर तथा स्लाइड प्रोजेक्टर की आपूर्ति करता है। जीप को छोड़कर वही मदे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों को आपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त यूनिसेफ आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए तोल मापक, स्वास्थ्य तथा पोषण कार्डों की छपाई के लिए कागज, शहरी परियोजनाओं के लिए स्लाइडों/फिल्मों स्ट्रिप्स तथा टीकाकरण किटों की आपूर्ति करती है। 1992-98 के दौरान 1725 परियोजनायें कार्यशील थीं। एक वर्ष में चालू की गई परियोजनाओं को अगले वर्ष सामग्री दी जाती थी। वर्ष 1995 को छोड़कर जिसकी सूचना उपलब्ध नहीं थी 1993 से

पांच वर्षों के दौरान डीजल जीप, टंकण मशीन, डुप्लीकेटर तथा स्लाइड प्रोजेक्टर की आपूर्ति निम्न प्रकार थी :

मदों का नाम	आपूर्तियों की संख्या
डीजल जीपें	1177
ट्रेलर	प्रस्तुत नहीं
टंकण मशीन	1231
डुप्लीकेटर	1227
प्रोजेक्टर	1162

राज्य सरकारों ने यूनिसेफ द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की प्राप्ति की नियमित पुष्टि नहीं की।

बहुत सी मदें स्टॉक में बिना उपयोग के पड़ी थीं।

प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के कारण यूनिसेफ द्वारा आपूर्ति उपकरणों बिना उपयोग के पड़े थे।

यूनिसेफ द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की राज्य सरकारों द्वारा नियमित रूप से पुष्टि नहीं की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि राज्य सरकारें सामग्री की प्राप्ति पर पुष्टिकरण भेजती हैं तथा यूनिसेफ के क्षेत्रीय अधिकारी भी स्टॉक स्थिति की पुष्टि करते हैं। अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 1996 तथा 1997 के दौरान 19 राज्यों में से केवल मध्य प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश की दो राज्य सरकारों ने ही सामग्री की प्राप्ति की पुष्टि की।

उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित कमियों का पता चला था :-

**उड़ीसा :** फालतू/बेकार पड़े उपकरणों/वस्तुओं जो कि यूनिसेफ द्वारा आपूर्ति की गई थी के बारे में सूचना राज्य स्तर पर उपलब्ध नहीं थी। गृह आर्थिक प्रशिक्षण केन्द्र भुवनेश्वर के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि बहुत सी उड़िया टंकण मशीनें, वृद्धि चार्ट, और हैड प्राजेक्टर, डुप्लीकेटर, वेवी कं. चाइल्ड तोलमाप, समुदाय वृद्धि चार्ट, वृद्धि मानीटरिंग मैनुअल, वेवी तौल माप, स्लाइड प्राजेक्टर तथा फिलप चार्टस जून 1999 तक बिना उपयोग के पड़े थे।

**सिक्किम :** ए.बा.वि.यो. प्रारम्भिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन तथा अवधारण के सुधार तथा प्रोत्साहित भागीदारी के लिए आनन्दित, विनोदशील ज्ञान विधि के उन्नति करने के लिये यूनिसेफ से बाह्य सहायता के अन्तर्गत मंत्रालय द्वारा अप्रैल 1996 में जारी किये गए 3.91 लाख रु. जून 1999 तक बिना उपयोग के पड़े थे।

**पश्चिम बंगाल :** ए.बा.वि.यो. परियोजनाओं के बीच 1991 से वितरित यूनिसेफ से प्राप्त 136 प्राजेक्टर तथा यूनिसेफ से प्राप्त निधियों से तैयार की गई कैसिटें प्रशिक्षित स्टॉक की कमी के कारण बिना उपयोग के पड़ी थीं।

**मध्य प्रदेश :** 1992-99 के दौरान वस्तु के रूप में सहायता जैसे जीप, ट्रेलर, फिल्म स्लाइड प्राप्त हुई थी परन्तु इसका विवरण निदेशालय के पास उपलब्ध नहीं था।

**असम :** नमूना जांच की गई 22 परियोजनाओं में से केवल चार के पास जीपें थीं 11 के पास डुप्लीकेटिंग मशीनें थीं तथा सात ने टंकण मशीनें प्राप्त की थीं, दो परियोजनाओं ने प्रोजेक्टर प्राप्त किये तथा पांच परियोजनाओं ने तौल मापक प्राप्त किये। दस परियोजनाओं ने कोई भी मद प्राप्त नहीं की थी।

26 वाहनों में से 18 अ. म.व्य तथा अन्य उच्च अधिकारियों के पास थे।

फरवरी 1997 में प्राप्त किये गए 26 वाहनों में से, 18 अप्राधिकृत रूप से अ.म.व्य. तथा अन्य उच्च अधिकारियों के पास थे। निदेशालय में यूनिसेफ सामग्री के लिए स्टॉक रजिस्टर सही ढंग से नहीं बनाया गया था। रजिस्टर में सामग्री की प्राप्ति तथा विवरण की अद्यतन प्रविष्टियां नहीं थीं। शेष अग्रोनित नहीं किये गए थे तथा कोई भी प्रविष्टि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रमाणित नहीं की गई थी।

यूनिसेफ से प्राप्त 100 जीपें परियोजनाओं से सम्बन्ध न रखने वाले व्यक्तियों को वितरित की गई थीं।

राजस्थान : यूनिसेफ से प्राप्त वाहनों, टंकण मशीनों, प्रोजेक्टरों, तौल मापकों इत्यादि के सम्बन्ध में सूचना निदेशक द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

बिहार : यूनिसेफ ने राज्य को 1992-99 के दौरान 100 जीपों की आपूर्ति की। यद्यपि सभी जीपें नई परियोजनाओं को वितरित की जानी थी तो भी ये परियोजनाओं के कार्यान्वयन से न जुड़े हुए व्यक्तियों को वितरित की गई थी। नमूना जांच की गई परियोजनाओं के कार्यालय में कोई वाहन नहीं था। 14 बा.वि.प.का. में उपलब्ध करवाये गए वाहन जिला न्यायाधीशों/उपायुक्तों के नियन्त्रण में थे।

यूनिसेफ से प्राप्त वित्तीय सहायता को सरकारी लेखे में लेने की बजाए निदेशक के बचत बैंक खाते में जमा किया गया था।

तमिलनाडु : जनवरी 1994 से अप्रैल 1999 के दौरान निदेशक, समाज कल्याण ने यूनिसेफ से 64.70 लाख रु. प्राप्त किये तथा 56.25 लाख रु. का व्यय किया। यद्यपि निदेशक समाज कल्याण ने यूनिसेफ से प्राप्त सहायता के लिये उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया यूनिसेफ से प्राप्त की गई सहायता के साथ इसके द्वारा आपूर्त जीपों, रेफ्रीजरेटरों, स्लाइड प्रोजेक्टरों इत्यादि की कीमत को सरकारी लेखे में नहीं लिया गया। यूनिसेफ से प्राप्त निधियां भारतीय स्टेट बैंक में निदेशक समाज कल्याण के बचत बैंक खाते में डाली गई थी।

1992-93 के दौरान प्राप्त किये गए 81 में से 78 प्रोजेक्टर, फिल्मों/ स्लाइडों के प्राप्त न होने के कारण बेकार पड़े थे।

हरियाणा : 1992-93 के दौरान प्राप्त किये गए 81 प्रोजेक्टरों में से तीन खराब पड़े थे। शेष 78 प्रोजेक्टर फिल्मों/स्लाइडों के प्राप्त न होने के कारण विभिन्न खण्डों/परियोजनाओं में बेकार पड़े थे। इसी प्रकार 19 में से 7 जिलों में 910 रेडियों सैट था तो बन्द पड़े थे या खराब थे।

### 3.8.2.1 15.18 करोड़ रु. का कम दावा करना

1992-98 के दौरान यूनिसेफ से 15.18 करोड़ रु. के दावे नहीं किये गये थे।

प्रशिक्षण पर पूरा व्यय पहले केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। भारत सरकार के माध्यम से आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों से व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दावे की प्राप्ति पर अनावर्ती व्यय, पूंजीगत व्यय तथा किराया घटक पर व्यय को छोड़कर सभी व्ययों की यूनिसेफ द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की समाप्ति पर मंत्रालय ने राज्य सरकारों/अनुदान प्राप्त कर्ता निकायों से वार्षिक अनुदानों के उपयोग की वार्षिक रिपोर्टें तथा आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों, सी.टी.सी. राज.स.बा.वि.सं. से व्यय के अलेखापरीक्षित विवरण प्राप्त किये। तब मंत्रालय ने आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों आदि द्वारा भेजे गये अलेखापरीक्षित विवरणियों के आधार पर व्यय विवरणियों समेकित की तथा यूनिसेफ को दावा प्रस्तुत किया। 1992-93 से 1997-98 के दौरान सूचित व्यय के ब्यौरे, प्रस्तुत किए गए दावे तथा यूनिसेफ से वास्तविक प्राप्ति निम्न प्रकार थी :-



(करोड़ रु. में)

वर्ष	राज्यों तथा अनुदान प्राप्त कर्ता निकायों द्वारा रजिस्टर में दर्शाये गए अनुसार सूचित व्यय	आ.बा.प्र.के सी.टी.सी. तथा रा.ज.स.बा.वि.सं. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मंत्रालय द्वारा यूनिसेफ को प्रस्तुत किया गया दावा	यूनिसेफ से प्राप्त किया गया चैक
1992-93	6.89	6.31	4.10
1993-94	6.25	5.28	6.44
1994-95	7.83	4.53	4.53
1995-96	7.28	4.72	4.61
1996-97	7.09	5.13	3.94
1997-98	9.17	3.36	3.32
<b>जोड़</b>	<b>44.51</b>	<b>29.33</b>	<b>26.94</b>

यह दर्शाता है कि मंत्रालय ने 29.33 करोड़ रु. का दावा प्रस्तुत किया था जिसमें कम से कम 15.18 करोड़ रु. शामिल नहीं थे जिनका अच्छी तरह से दावा प्रस्तुत किया जा सकता था। मंत्रालय द्वारा अगस्त 1999 तक कम दावे प्रस्तुत करने के कारण नहीं भेजे गए थे।

स्वीडन सरकार तमिलनाडु में योजना में सहायता भी कर रही है। जुलाई 1993 में 44 करोड़ रु. की सहायता के साथ दो और जिले आवृत किये गए थे।

### 3.8.3 स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी

तमिलनाडु जिले में चेंगलपट्टु-एम.जी.आर. जिले में ए.बा.वि.यो. कार्यक्रम में सहायता करने के लिए स्वीडन सरकार ने जनवरी 1989 से भारत सरकार से समझौता किया। परियोजना मार्च 1989 में प्रारम्भ की गई तथा जून 1993 में पूरी हुई। परियोजना की लागत 11.59 करोड़ रु. के बराबर 63 मिलियन एस.ई. के थीं। परियोजना का-II चरण जुलाई 1993 से प्रारम्भ हुआ तथा पुडुकोट्टई तथा नीलगिरी के दो और जिलों को आवृत किया गया। इस परियोजना के लिए कुल सहायता 44.00 करोड़ रु. के बराबर 115 मिलियन एस.ई.के. थी। परियोजना की अवधि आरम्भ में जून 1997 तक थी जो जून 1999 तक बढ़ाई गई थी।

परियोजनाओं की रूप रेखा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, आंगनवाड़ी केन्द्रों को सामग्री की आपूर्ति, नए भवनों के निर्माण, आय संवर्धन गतिविधियों तथा प्रोत्साहन के प्रावधान सहित मानक, ए.बा.वि.यो. पैकेज की सहायता करना थी। स्वीडिश योगदान ए.बा.वि.यो. कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों में सुधार लाना था। निम्नलिखित कमियों का पता चला था :

(क) नीलगिरी जिले में आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए 60 भवनों का निर्माण किया जाना था। जुलाई 1993 से गणना करने पर यहां तक कि पांच वर्षों के पूरा होने के पश्चात् भी अक्टूबर 1998 तक निर्माण कार्य आरम्भिक अवस्था में था।

(ख) किशोर बालिकाओं के लिए 2248 शिविरों के लक्ष्य के प्रति केवल 969 शिविरों का आयोजन किया गया था।

(ग) निदेशक समाज कल्याण ने चेंगलपट्टु एम.जी.आर. जिले के स्वी.अ.वि.ए. सहायता प्राप्त परियोजनाओं में बहिरंग खेलकूद उपकरणों की आपूर्ति के लिए अगस्त 1992 में 17 सहकारी समितियों को आदेश दिये तथा उन्हें 1.08 करोड़ रु. का अग्रिम भुगतान किया।

सभी 60 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण पांच वर्षों में भी पूरा नहीं हुआ था।

दो सरकारी समितियों ने न तो उनके आदेशों की आपूर्ति की और न ही असमायोजित 15.57 लाख रु. के अग्रिम की वापसी की थी।

इनमें से दो ने मई 1999 तक न तो अपनी आपूर्ति को पूरा किया और न ही असमायोजित 15.57 लाख रु. के अग्रिम की वापसी की। मामला मई 1999 में निदेशक सर्तकता तथा भ्रष्टाचार निरोध द्वारा जांच के अधीन बनाया गया था।

(घ) उपयोग में न लाने तथा लम्बे समय तक भण्डारण किये जाने के कारण बहुत से खेल उपकरणों को जंग लग रहा था।

तमिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम को अग्रिम दिये गए 32.40 लाख रु. में से 23.10 लाख रु. की दवाईयां प्राप्त नहीं हुई थी। 12.50 लाख रु. योजना से अलग उद्देश्य को विपथित किये गए थे।

(ड.) तीन जिलों में स्वी.अ.वि.ए. सहायता प्राप्त ए.बा.वि.यो. परियोजनाओं में 4496 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए तमिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम से दवाईयों की खरीद के लिए सरकार द्वारा संस्वीकृत 44.96 लाख रु. निदेशक समाज कल्याण द्वारा मार्च 1996 में आहरित किये गए तथा वे बचत बैंक खाते में रखे गये थे। इसमें से 12.50 लाख रु. अप्रैल 1996 में योजना से अलग उद्देश्य के लिए विपथित किये गये तथा 32.40 लाख रु. जून 1998 में दवाईयों की खरीद के लिए निगम को 32.46 लाख रु. के आदेश के प्रति अग्रिम के रूप में दिये गये थे। तथापि दिसम्बर 1998 तक 23.10 लाख रु. के मूल्य की दवाईयां प्राप्त नहीं हुई थीं। निदेशक समाज कल्याण ने कोई कार्यवाही नहीं की।

उच्च दरों पर दालों की खरीद के परिणामस्वरूप 1.61 करोड़ रु. का अधिक व्यय हुआ।

(च) निदेशक समाज कल्याण द्वारा अक्टूबर 1994 से मई 1996 के दौरान अनुपूरक आहार के लिए प्रचलित बाजार दर से उच्च दर पर की गई 1899.80 टन दालों की खरीद के परिणामस्वरूप सरकार का 1.61 करोड़ रु. का अधिक व्यय हुआ। मामला अपराध शाखा द्वारा जांच अधीन था।

### 3.8.4 विश्व खाद्य कार्यक्रम का योगदान

विश्व खाद्य कार्यक्रम के अर्न्तगत दी गई सहायता की प्राप्ति तथा उपयोग के लिये राज्यों द्वारा सहायक अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए।

अनुपूरक पोषण कार्यक्रम, वि.खा.का. की परियोजना 2206 द्वारा समर्थित है। वि.खा.का. सहायता ए.बा.वि.यो. के प्रारंभ होने के छः महीने बाद मार्च 1976 में आरंभ हुई। अ.पो.का. में प्रयोग की जाने वाली खाद्य सामग्री जैसे प्रत्येक लाभभोगी के लिए सोया पुष्ट बलगार गेहूं, सोया मिश्रित अन्न तथा तेल की निर्धारित मात्रा की आपूर्ति, सहायता प्रतिमान में शामिल थी। चरण V अक्टूबर 1990 में आरंभ हुआ और सितम्बर 1992 में सम्पन्न किया जाना था परन्तु यह कम खरीद तथा चरण VI को अन्तिम रूप न मिलने के कारण इसे 31 मार्च 1995 तक बढ़ा दिया गया। चरण VI के लिये 4 जुलाई 1995 को भारत सरकार तथा वि.खा.का. के बीच एक नया अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया। इसमें पांच राज्यों, असम : 1.72 लाख, केरल 8.56 लाख, मध्य प्रदेश : 3.30 लाख, राजस्थान : 4.29 लाख तथा उत्तर प्रदेश : 4.13 लाख, में प्रति वर्ष 22 लाख लाभभोगियों को 3 वर्ष के बढ़ाए गए लाभ को आवृत्त करना अपेक्षित था।

सितम्बर 1997, में, वि.खा.का. ने खाद्य सहायता की मात्रा कम कर दी। परिणामतः प्रारंभ में अभिकल्पित 22 लाख लाभभोगियों की व्यापकता घटकर 16.8 लाख लाभभोगी रह गई।

विभिन्न राज्यों में अभिलेखों की समीक्षा ने दर्शाया कि राज्य प्रमुख संस्थाओं द्वारा पर्याप्त सहायक अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए। परिणामस्वरूप वि.खा.का. सहायता की प्राप्ति

तथा उपयोग के ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे। परियोजना संचालन का कम से कम अस्थायी विचार जानने के लिए, लेखापरीक्षा द्वारा उपलब्ध सूचना एकत्र की गई। इस प्रकार उत्पन्न स्थिति असन्तोषजनक परिस्थिति चित्रित करती है।

मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित मात्रा प्राप्त की गई थी।

राज्य का नाम	खाद्य सामग्री प्राप्ति के वर्ष तथा मात्रा (टन में)						
	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99*
असम	3532	1884	4332	3101	985	2156	3332
केरल	17085	11886	26630	17270	15902	3708	10421
मध्य प्रदेश	3621	3171	5649	7967	7135	7438	8047
राजस्थान	5028	3014	8169	5927	9092	12506	12452
उत्तर प्रदेश	5469	5437	10412	4884	9102	9554	8492
जोड़	34735	25392	55192	39149	42216	35362	42744

\* अभिकल्पित आंकड़े

कम उपयोग के कारण आहार के आंबटन को 100 प्रतिशत से कम करके 80 प्रतिशत कर दिया गया।

राज्य सरकारों द्वारा कम उपयोग को देखते हुए वि.खा.क्रा. ने चरण V तथा VI के लिये सहायता के उपयोग की अवधि को क्रमशः अक्टूबर 1992 से सितम्बर 1993 तक तथा जुलाई 1998 से मार्च 1999 तक बढ़ा दिया तथा 1994-95 से आगे आहार के आंबटन को 100 प्रतिशत से कम करके 80 प्रतिशत कर दिया। मंत्रालय ने मार्च 1999 में सभी राज्य सरकारों को अनुस्मरण कराया कि जब तक वि.खा.क्रा. आहार के उपयोग में कोई सुधार नहीं होता तब तक वि.खा.क्रा. द्वारा खाद्य सहायता के कुल आंबटन में कमी की सम्भावना थी। जनवरी 1998 से दिसम्बर 1998 की अवधि के लिए वि.खा.क्रा. आहार की उपलब्धि तथा उपयोग की स्थिति निम्नानुसार थी :-

(आंकड़े टन में)

राज्य का नाम	आहार उपलब्धि	आहार उपयोग	आहार उपयोग की प्रतिशतता
असम	4816	2544	53
केरल	10126	6256	61
मध्य प्रदेश	15470	7055	46
राजस्थान	15771	9737	62
उत्तर प्रदेश	14833	6520	44
जोड़	61016	32112	53

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि उपयोग की प्रतिशतता उत्तर प्रदेश में सबसे कम उसके बाद मध्य प्रदेश, असम, केरल तथा राजस्थान में कम थी। असम द्वारा कम उपयोग के लिये, परिवहन अवतरण तथा वितरण लागतों के निर्वाह हेतु पर्याप्त निधियों का अभाव जैसे कारण आरोपित किए गए थे। अन्य राज्यों द्वारा कोई कारण नहीं भेजे गये थे।

निम्नलिखित तीन राज्यों में राज्य स्तर पर खाद्य सामग्री उठाने तथा उपयोग के कुप्रबन्ध तथा वि.खा.का. खाद्यान्न की घटिया गुणवत्ता के मामले भी देखे गये थे।

राज्य सरकार ने 6048.82 टन के आबंटन के प्रति केवल 3908.15 टन उठाया। 3.53 लाख रु. मूल्य की खाद्य सामग्री की कमी भी देखी गई।

असम में, राज्य सरकार के अधिकारियों तथा वि.खा.का. के साथ मंत्रालय द्वारा नवम्बर 1998 में किए गए निरीक्षण के दौरान यह देखा गया था कि सोया मिश्रित अन्न का उपयोग 20 प्रतिशत से कम था। समाज कल्याण निदेशालय में स्टॉक पंजी की संवीक्षा से पता चला कि अक्टूबर 1996 से अगस्त 1998 के दौरान 6048.82 टन सोया मिश्रित अन्न के आबंटन के प्रति, राज्य सरकार ने निकासी और अग्रेषण अभिकर्ता से केवल 3908.15 टन उठाया। राज्य सरकार द्वारा 1.07 करोड़ रु. मूल्य की शेष 2140.67 टन मात्रा की विद्यमानता के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। स्टॉक में 3.53 लाख रु. मूल्य के सोया मिश्रित अन्न के 2004 थैलों की कमी देखी गई दायित्व निश्चित करने के लिए कोई छानबीन नहीं की गई थी।

खाद्य सामग्री के नमूने में रेत समाविष्ट पाई गई।

केरल में, 'भारत मिश्रण', जो गेहूं बाजरा चीनी तथा विटामिनो का मिश्रण है, के 1992.50 टन भण्डार से किए गए नमूने में, जब मिश्रण को पानी में घोला गया तो उसमें रेत की मिलावट पाई गई। खाद्य पदार्थ के ग्यारह नमूनों की के.खा.प्रौ.अ.सं.<sup>13</sup> मैसूर द्वारा जांच की गई थी जो कि अनुमत स्तर से बहुत अधिक मात्रा में तेजाब अविलेय भस्म की पुष्टि करती थी। तथापि, वि.खा.का. ने तर्क दिया कि के.खा.प्रौ.अ.सं. द्वारा विश्लेषण के लिए अपनाया गया मानक विनिर्देशन सही नहीं था तथा सही विनिर्देशन के अन्तर्गत विश्लेषण करने पर, उत्पादक मानव उपभोग हेतु सही घोषित किया जाएगा। विभाग ने और कोई जांच किए बिना, छः महीने से तीन वर्ष की आयु-वर्ग के बच्चों को छोड़ कर, लाभभोगियों को इस उत्पाद का वितरण जारी रखने के लिए अगस्त 1998 में आदेश दिया। तथापि, आंगनवाड़ी केन्द्रों में समस्त मात्रा का उपभोग नहीं किया जा सका तथा कुछ मात्रा को नष्ट कर दिया गया क्योंकि लम्बे समय तक भण्डारण के कारण मानव उपभोग हेतु यह सही नहीं थी।

फरवरी 1992 में प्राप्त, अप्रैल 1994 में उठाये गए दलिये को अगस्त 1994 में मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया था।

उत्तर प्रदेश में वि.खा.का. के अन्तर्गत फरवरी 1992 में प्राप्त तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम, लिमिटेड, गोरखपुर में रखे गए 15.46 लाख रु. मूल्य के दलिये के 1645 बैग, विभाग द्वारा किराए का भुगतान न करने के कारण मार्च 1994 तक नहीं उठाए गए थे। अप्रैल 1994 में उन्हें उठा लिया गया था और कहीं रख दिया गया था। तत्पश्चात् अगस्त 1994 में, समस्त मात्रा को मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया था।

### 3.8.5 सर्वत्र सहायता तथा राहत सहकारी समिति का अंशदान

वि.खा.का. के अतिरिक्त स.स.रा.स.स. भी ए.बा.वि.से. कार्यक्रम के अन्तर्गत छः वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तन्यदा माताओं को अनुपूरक पोषण हेतु खाद्य सहायता उपलब्ध कराती है। स.स.रा.स.स. खाद्य सहायता में एक वर्ष में 300 दिनों के लिए प्रति दिन प्रति लाभभोगी दो मर्दे अर्थात् 78 ग्राम मक्का सोया सम्मिश्रण तथा 9.6 ग्राम तेल शामिल होता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पूर्व, स.स.रा.स.स. आगामी वर्ष में राज्यों को स.स.रा.स.स. सहायता देने के लिए मंत्रालय को एक प्रा.सू.<sup>14</sup> प्रस्तुत करनी है।

<sup>13</sup> केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान

<sup>14</sup> प्रावधान सूची



खाद्य पदार्थ चार पत्तनों अर्थात् विशाखापत्तनम, जामनगर, पारादीप तथा कलकत्ता पर प्राप्त किए जाते हैं। तत्पश्चात् सम्बन्धित राज्य सरकारें पत्तनों से खाद्य पदार्थ उठाती हैं तथा उन्हें आंगनवाड़ी केन्द्रों को बांट देती है।

खाद्य के कम उपभोग के कारण स.स.रा.स.स. ने खाद्य सहायता की अवधि को 300 दिनों से घटाकर 260 दिन कर दिया।

राज्यों के लिए खाद्य का बाढ़ में किया गया प्रावधान, पहले से आपूर्ति खाद्य के उपभोग पर निर्भर था। राज्य सरकारें स.स.रा.स.स. द्वारा प्रदत्त खाद्य की आपूर्ति तथा उपभोग सुनिश्चित नहीं कर सकी जिसके कारण मात्रा में कमी हुई। मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित दस्तावेजों के अनुसार 1992-93 से 1996-97 की अवधि के लिए निम्नलिखित दस राज्यों में प्रदत्त बच्चों को आपूर्ति वास्तविक आहार तथा प्रा.सू. के अनुसार प्रावधान के विवरण निम्नानुसार थे:

(आंकड़े टनों में)

राज्य का नाम	प्रा.सू. के अनुसार आहार की मात्रा	वास्तव में आपूर्ति आहार की मात्रा	प्रदत्त तथा आपूर्ति आहार में अन्तर	प्रा.सू. के अनुसार आंबटन से कम आपूर्ति की प्रतिशतता
आन्ध्र प्रदेश	112488	86583	25905	23
बिहार	108640	51957	56683	52
गुजरात*	90405	74472	15933	18
कर्नाटक*	112474	90517	21957	19
मध्य प्रदेश	115025	87255	27770	24
महाराष्ट्र*	71737	67449	4288	6
उड़ीसा	143421	117382	26039	18
राजस्थान	64654	48449	16205	25
उत्तर प्रदेश	66655	28649	38006	57
पश्चिम बंगाल	164648	108817	55831	34
जोड़	<b>1050147</b>	<b>761530</b>	<b>288617</b>	<b>27</b>

\* फेज आउट होने के कारण 1996-97 में खाद्य का कोई आंबटन तथा आपूर्ति नहीं हुई।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि आहार की आपूर्ति में कमी की प्रतिशतता उत्तर प्रदेश में अधिकतम 57 तथा उससे कम बिहार में 52 थी। इसके अतिरिक्त 1996-97 से स.स.रा.स.स. ने राज्यों द्वारा उप-अभीष्टत में उपयोग के दृष्टिगत खाद्य-सामग्री की अवधि 300 दिनों से घटा कर 260 दिन प्रति वर्ष कर दी।

राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों में प्राप्त तथा प्रयुक्त खाद्य सहायता की मात्रा से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं थी। मंत्रालय में स.स.रा.स.स. के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त आहार की पावती से संबंधित रिपोर्टों के विषय में उनके पास कोई कमबद्ध अभिलेख उपलब्ध नहीं था। मंत्रालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, 1992-93 से 1996-97 वर्षों के लिए शतमक शर्तों के अनुसार स.स.रा.स.स. आहार के उपयोग के वर्ष-वार आंकड़ों के संकलन का विवरण नीचे दिया गया है :



राज्य का नाम	वास्तविक प्राप्ति के प्रति प्रयुक्त खाद्य सामग्री के वर्ष तथा प्रतिशतता									
	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97	
	अ.	ते.	अ.	ते.	अ.	ते.	अ.	ते.	अ.	ते.
आन्ध्र प्रदेश	62	55	60	56	81	77	103	100	70	68
बिहार	40	34	51	44	33	25	51	47	61	58
गुजरात	89	83	96	85	93	77	88	85	फेज	आउट
कर्नाटक	83	77	88	84	94	86	75	82	फेज	आउट
मध्य प्रदेश	66	54	68	64	72	61	91	84	83	75
महाराष्ट्र	96	96	100	100	88	88	94	94	फेज	आउट
उड़ीसा	63	63	66	58	74	67	114	108	87	83
राजस्थान	67	62	55	51	62	57	104	86	86	82
उत्तर प्रदेश	23	21	35	25	35	36	63	78	63	63
पश्चिम बंगाल	60	49	65	58	74	65	87	78	86	79

अ : अनाज

ते. : तेल

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि बिहार में उपभोग की प्रतिशतता अनाज के लिए 33 तथा 61, तथा तेल के लिए 25 तथा 58 के बीच रही। उत्तर प्रदेश के संबंध में, यह अनाज के लिए 23 तथा 63 तथा तेल के लिए 21 तथा 78 के बीच रही।

बिहार में अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि विशेष अधिकारी (पोषण), समाज कल्याण निदेशालय, पटना ने कलकत्ता पत्तन से बिहार में चार जिलों के दस बा.वि.प.अ. को स.स. रा.स.स. द्वारा आपूर्त खाद्य के 7268 बैगों तथा परिष्कृत वनस्पति तेलों के 703 डोलों के लिए मोटर साइकिल, स्कूटर, मोपेड, कार, आदि पर दुलाई के लिए 1997-99 के दौरान पटना में एक कम्पनी को 0.73 लाख रु. के परिवहन प्रभारों का भुगतान किया। कलकत्ता से गंतव्य स्थानों पर कारों, स्कूटरों तथा मोपेडों पर खाद्य मदों की दुलाई का दावा धोखाधड़ी का सूचक है। इसके अतिरिक्त इस खाद्य सामग्री के वितरण का कोई विवरण न होने के कारण, 36.34 लाख रु. मूल्य की सामग्री के दुर्विनियोग की संभावना भी हो सकती है। धोखाधड़ी की संभावना का स्पष्ट अंदेशा होने के बावजूद भी राज्य सरकार ने इसकी कोई जांच नहीं करवाई।

कलकत्ता से बिहार के चार जिलों में मोटर-साइकिल, स्कूटर, मोपेड आदि पर खाद्य मदों की दुलाई के लिए परिवहन प्रभारों का भुगतान धोखाधड़ी का सूचक है। उसके वितरण के भी कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं किए गए थे।

### 3.9. प्रशिक्षण

सेवा के ए.बा.वि.से.यो. पैकेज की सुपुर्दगी एक विशिष्ट कार्य है जिसके लिए आधारीक क्रियात्मक स्तर की योजना के पर्यवेक्षीय स्तर तथा नीति स्तर के साथ समन्वय की आवश्यकता है। लाभभोगी, जो कि अपनी हानि की स्थिति का पता लगाने के लिए सामाजिक रूप से सक्षम नहीं होता, को सेवा के उपाय को वहन करने के लिए कार्य के पर्यवेक्षक तथा कर्मचारी की योजना की अपेक्षाओं की स्पष्ट समझ तथा धीरे-धीरे हो रहे सामाजिक परिवर्तन के गति-विज्ञान का अनुमान लगाने तथा उनकी नकल करने में बहुविज्ञता की मात्रा को उनके कार्य पर लाना चाहिए। इस प्रकार कार्य में पदाधिकारियों के प्रशिक्षण में तत्काल तथा प्रक्षेपित परिप्रेक्ष्य दोनों शामिल हैं जो लाभग्राही रूपरेखा तथा पैकेज के प्रशासन

के व्यावहारिक तरीकों तथा व्यक्तिगत निवेश की जटिलता के लिए पर्यवेक्षण तथा श्रमिकों को सुग्राही बनाते हैं। प्रशिक्षण रा.ज.स. बा.वि.सं. तथा आ.वा.प्र.के.<sup>15</sup> द्वारा प्रदान किया जाता है। राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, भारतीय बाल कल्याण परिषद तथा उत्तर प्रदेश स्काउट एवं गाईड के नियंत्रणाधीन कार्यरत मार्च 1999 तक देश में 318 आं.वा.प्र.के. थे। मार्च 1999 तक अपने 18 म.स्त.प्र.के.<sup>16</sup> सहित रा.ज.स. बा.वि.सं. भी प्रशिक्षण देने के कार्य में लगा हुआ है।

### 3.9.1 पद्धति

ए.बा.वि.से.यो. अधिकारियों के प्रशिक्षण की पद्धति का नीचे एक तालिका में सारांश दिया गया है:

प्रशिक्षु	प्रशिक्षक	प्रशिक्षण का प्रकार	अवधि	टिप्पणी
बा.वि.प.अ./ स.बा.वि.प.अ. <sup>17</sup>	रा.ज.स. बा.वि.सं.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● नौकरी</li> <li>● पुनश्चर्या</li> </ul>	2 मास 7 दिन	
पर्यवेक्षक	म.स्त. प्र.के.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● नौकरी</li> <li>● पुनश्चर्या</li> </ul>	65 दिन 7 दिन	म.स्त.प्र.के., रा.ज.स.बा. बि.सं. के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	आं.वा. प्र.के.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● नौकरी</li> <li>● पुनश्चर्या</li> </ul>	3 मास 15 दिन	3 मास के एक सतत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के बजाए 1995 से एक क्रमबद्ध प्रशिक्षण पद्धति अपनाई गई है : चरण I : 2 मास का संस्थागत प्रशिक्षण चरण II : आं.वा.के. में 4 मास का क्षेत्रीय कार्य
आंगनवाड़ी सहायक	आं.वा.प्र.के.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● अभिविन्यास</li> </ul>	13 दिन	चरण III : 1 मास का अनुभव बांटना तथा सीखना

किसी भी राज्य अथवा संघशासित क्षेत्र में प्रशिक्षण की पद्धति पूरी तरह से लागू नहीं की गई थी।

<sup>15</sup> आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र

<sup>16</sup> मध्यम स्तर प्रशिक्षण केन्द्र

<sup>17</sup> सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी

### 3.9.2 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

#### 3.9.2.1 कम लक्ष्य कम प्राप्तियां

यह देखा गया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के कम लक्ष्य नियत किए गए थे तथा आंगनवाड़ी सहायकों के लिए लक्ष्य नियत ही नहीं किए गए।

मंत्रालय, विशेषकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नौकरी तथा पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा आंगनवाड़ी सहायकों के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण के लिए वार्षिक लक्ष्य नियत करता है। ये लक्ष्य, दिनों की निर्धारित संख्या के लिए आं.वा.प्र.के. के श्रेष्ठतम उपयोग के आधार पर नियत किए जाते हैं। तथापि, यह देखा गया था कि मंत्रालय ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के संबंध में तदर्थ आधार पर 1992-93 से 1997-98 तक के सभी वर्षों के लिए कम लक्ष्य नियत किए थे, जबकि आंगनवाड़ी सहायकों के प्रशिक्षण हेतु कोई लक्ष्य नियत नहीं किए गए थे। उपलब्धि का स्तर निम्नलिखित तुलनात्मक तालिका से देखा जा सकता है :

#### आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण :

वर्ष	मानकों के अनुसार लक्ष्य	वास्तव में लक्षित	उपलब्धि	मानक के संदर्भ में कमी
1992-93	नौकरी : 39,150 पुनश्चर्या : 29,000	35,000 (संयुक्त)	29,239	38911
1993-94	नौकरी : 37,935 पुनश्चर्या : 28,100	35,000 (संयुक्त)	31,157	34878
1994-95	नौकरी : 38,070 पुनश्चर्या : 28,200	35,000 (संयुक्त)	31,708	34562
1995-96	नौकरी : 38,340 पुनश्चर्या : 28,400	35,000 (संयुक्त)	35,494	31246
1996-97	नौकरी : 40,500 पुनश्चर्या : 30,000	35,000 (संयुक्त)	38,520	31980
1997-98	नौकरी : 40,500 पुनश्चर्या : 30,000	40,500 (संयुक्त)	41,195	29305
जोड़	408195	215500	207313	200882

#### आंगनवाड़ी सहायकों का प्रशिक्षण

वर्ष	प्रतिमानों के अनुसार लक्ष्य	वास्तव में लक्षित	उपलब्धि	प्रतिमान के संदर्भ में कमी
1992-93	14500	-	3536	10964
1993-94	14050	-	5732	8318
1994-95	14100	-	5563	8537
1995-96	14200	-	7978	6222
1996-97	15000	-	4734	10266
1997-98	15000	-	5751	9249
जोड़	86850	-	33294	53556

### 3.9.2.2 अप्रशिक्षित कार्यक्रमों, लक्ष्यों की प्राप्ति न होना

कुछ राज्यों में नियत किए गए लक्ष्यों के अनुसार प्रशिक्षण में कमी

बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के सात राज्यों में, नियत किए गए लक्ष्यों, वास्तव में प्रशिक्षित, तथा प्रशिक्षण में कमी की राज्य-वार स्थिति अनुबन्ध-7 में दी गई है।

अनुबन्ध से यह देखा जा सकता है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ. पर्यवेक्षकों के लिए प्रतिशतता कमी मार्च 1999 तक 26 तथा 42 थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी प्रशिक्षण तथा पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा सहायकों को पुर्वाभिमुख प्रशिक्षण के संबंध में बिहार, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में प्रतिशतता कमी मार्च 1999 तक 34,28 तथा 55 थी।

अन्य राज्यों में देखी गई कुछ अन्य अनियमितताएं नीचे दी गई हैं :

आन्ध्र प्रदेश में जांच की गई 55 परियोजनाओं में, मार्च 1999 को नामांकित 22 स.बा.वि.प.अ., 338 पर्यवेक्षकों, 6547 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा 6591 आंगनवाड़ी सहायकों के प्रति केवल क्रमशः 14, 280, 5839 तथा 5855 को प्रशिक्षित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा कमी के कोई कारण नहीं बताए गए थे।

हिमाचल प्रदेश में, यह योजना 56 प्रशिक्षित बा.वि.प.अ. तथा 5140 प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से चलाई जा रही है। 15 बा.वि.प.अ. तथा 1983 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मार्च 1999 तक अभी भी प्रशिक्षित किये जाने थे।

उड़ीसा में, 1992-99 के दौरान प्रशिक्षण हेतु कोई लक्ष्य नियत नहीं किए गए थे, जिनके अभाव में, दिए गए प्रशिक्षण के स्तर तथा सीमा का आकलन असम्भव था। तथापि, यह देखा गया था कि महिला तथा बाल विकास विभाग ने मांग प्रस्तावित की थी तथा लक्ष्य नियत किए बिना ही प्रशिक्षण की वार्षिक आवश्यकता का आकलन किया था।

यह देखा जा सकता है कि कई वर्षों से कार्यक्रमों की योजना तथा लक्ष्य दोनों क्षेत्रों में, प्रेरणा तथा अनुप्रयोग का निरन्तर अभाव था। कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण लगभग अपर्याप्त था। अधिकतर राज्यों ने आयोजित किये गए सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पूरा अभिलेखा तैयार नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षण संसाधनों का उपयोग सत्यापित नहीं किया जा सका। अधिकतर राज्यों में प्रशिक्षण संसाधनों का अल्प उपयोग हुआ था। ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में कार्य प्रशिक्षण तथा दिग्विन्यास प्रशिक्षण की उपेक्षा से संबंधित थी।

### 3.9.2.3 प्रमुख संस्थाओं का निष्पादन

मंत्रालय द्वारा पर्यवेक्षणीय प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने का दायित्व राज.स.बा.वि. सं. तथा के.त.स.ए.मा.बा.वि.<sup>18</sup> को सौंपा गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराने में भारी

<sup>18</sup> केन्द्रीय तकनीकी समिति - एकीकृत मातृ एवं बाल विकास

गतिरोध को ध्यान में रखते हुये उनकी भूमिका के निर्धारण हेतु इन संस्थाओं के अभिलेखों की लेखापरीक्षा द्वारा केन्द्रीय रूप से जांच की जाती थी।

### 3.9.2.3.1 रा.ज.स.बा.वि.सं. का निष्पादन

रा.ज.स.बा.वि.सं. को जारी किये गए 7.36 करोड़ रु. के अनुदान के प्रति 5.94 करोड़ का व्यय किया गया था।

रा.ज.स.बा.वि.सं. को योजना तैयार करके, समन्वयन तथा ए.बा.वि.यो. के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के परिवीक्षण का दायित्व सौंपा गया था जिसमें बा.वि.प.अ., स.बा.वि.प.अ., पर्यवेक्षकों तथा प्रशिक्षकों को कार्य तथा पुनश्चर्या प्रशिक्षण शामिल था। 1992-99 की अवधि में मंत्रालय ने प्रशिक्षण हेतु 7.36 करोड़ रु. का अनुदान जारी किया जिसके विपरीत रा.ज.स. बा.वि.सं. ने 5.94 करोड़ रु. व्यय किये।

1992-99 की अवधि के लिए रा.ज.स.बा.वि.सं. के अभिलेखों की संवीक्षा से निम्न बातों का पता चला :-

पाठ्यक्रम का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी (-) आधिक्य (+)
बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ.का कार्य प्रशिक्षण	2130	2418	(+) 228
बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ.का पुनश्चर्या प्रशिक्षण	1725	1556	(-) 169
पर्यवेक्षकों का कार्य प्रशिक्षण	6500	5614	(-) 886
पर्यवेक्षकों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण	4500	6643	(+) 2143
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	2950	2624	(-) 326

तालिका दर्शाती है कि पर्यवेक्षकों के पुनश्चर्या प्रशिक्षण पर बल दिया गया था जबकि कार्य प्रशिक्षण को हानि पहुंची।

### 3.9.2.4 केन्द्रीय तकनीकी समिति-एकीकृत मातृ एवं बाल विकास

मंत्रालय तथा यूनिसेफ द्वारा जारी किये गए 6.52 करोड़ रु. के प्रति 6.96 करोड़ रु. का व्यय किया गया

तत्कालीन समाज कल्याण मंत्रालय की सहायता के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण पर केन्द्रीय तकनीकी समिति का 1976 में गठन किया गया था। एकीकृत प्रशिक्षण तथा समुदाय आधारित गतिविधियों के क्षेत्र में ए.बा.वि.यो. की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए फरवरी 1989 में इसका विस्तार किया गया था। इसके कार्यों को सफल बनाने के लिए इसे के.त.स.-एकीकृत मातृ एवं बाल विकास (के.त.स.-ए.भा.बा.वि.) के रूप में मान्यता दी गई थी। इसका मुख्य कार्य राज्य स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य एवं पोषण घटक का परिवीक्षण कर के सहायता तथा सतत शिक्षा प्रदान करना था।

1992-99 के दौरान मंत्रालय ने के.त.के.-ए.मा.बा.वि. को 5.40 करोड़ रु. के अनुदान जारी किये। 1997-99 के दौरान यूनिसेफ द्वारा 1.12 करोड़ रु. का भुगतान किया गया था। 1992-98 के दौरान के.त.के.-ए.मा.बा.वि. द्वारा किया गया व्यय 6.96 करोड़ रु. था।



के.त.के.-ए.मा.बा.वि. का एक मुख्य कार्य स्वास्थ्य एवं ए.बा.वि.यो. कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का आयोजन करना था। इसने समस्त देश में विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्य कर रहे परामर्श दाताओं, जो कि निवारक एवं सामाजिक चिकित्सा विभाग के संकाय के सदस्य थे, के माध्यम से चिकित्सा अधिकारियों, महिला स्वास्थ्य परिदर्शकों, सहायक उपचारिकाओं तथा बा.वि.प.अ. को प्रशिक्षण दिया।

मंत्रालय के 19 मार्च 1999 के उत्तर से यह पता चला कि 1992-97 के दौरान परामर्श दाताओं की संख्या तथा आयोजित किये गये पाठ्यक्रमों की संख्या निम्न प्रकार थी:-

वर्ष	परामर्शदाताओं की संख्या	आयोजित किये गए पाठ्यक्रमों की संख्या	उपर्युक्त मानदण्डों के अनुसार किये जाने वाले पाठ्यक्रमों की संख्या
1992-93	150	255	150x7=1050
1993-94	143	508	143x7=1001
1994-95	133	300	133x7=931
1995-96	135	405	135x7=945
1996-97	147	306	147x7=1029
जोड़	708	1774	4956

उपर्युक्त स्थिति ने दर्शाया कि आयोजित किये गए पाठ्यक्रमों की संख्या 3182 कम थी जो कि लक्ष्य का 64 प्रतिशत बनती थी।

के.त.स.-ए.मा.बा.वि. द्वारा प्रशिक्षण देने में कमी थी। 1992-93 के दौरान 2503 बा.वि.प.अ./ स.बा.वि.प.अ. की विद्यमानता के विपरित भी के.त.स. ने 4968 बा.वि.प.अ. के प्रशिक्षित होने की सूचना दी।

इसके अतिरिक्त के.त.स. ने अपने अगस्त 1999 के उत्तर में बताया कि 1992-93 के दौरान 4968 बा.वि.प.अ. प्रशिक्षित किये गए थे जबकि मंत्रालय ने मार्च 1999 में अपने उत्तर में 1992-93 के दौरान 634 बा.वि.प.अ. को प्रशिक्षित करने की सूचना दी थी। मंत्रालय के उत्तर को ध्यान में रखते हुये कि 1992-93 के दौरान केवल 2503 बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ. ही विद्यमान थे, 4968 प्रशिक्षित बा.वि.प.अ. के आंकड़े गलत थे।

### 3.10. विविध अभिमत

#### 3.10.1 बेकार पड़ी सामग्री तथा उपकरण

विभिन्न प्रकार के उपकरण या तो बेकार पड़े थे अथवा खराब थे।

नमूना जांच से पता चला कि विभिन्न प्रकार के उपकरण/सामग्री नीचे प्रत्येक के आगे दिये गए कारणों से या तो बेकार पड़े थे अथवा खराब थे:

राज्य का नाम	बेकार पड़ी सामग्री/ उपकरण	अभ्युक्तिया
असम	1996-97 में जारी की गई काकरी, फर्नीचर आदि	छायागांव परियोजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायकों की नियुक्ति न होना।
लक्षद्वीप	पट्टिका चित्र प्रक्षेपक, प्रतिलिपि यंत्र दूरदर्शन यंत्र, टंकण यंत्र	अप्रयोज्य हो गए थे तथा बदले नहीं गए थे।
केरल	पट्टिका चित्र प्रक्षेपक (24) तौल मापक (59) मोपेड (3) प्रतिलिपि यंत्र (1) कम्प्यूटर (1)	प्रशिक्षित कर्मियों की कमी तथा खराब होने के कारण।
चण्डीगढ़	मार्च 1998 में जारी किये गए प्रक्षेपक (3) चलचित्र पट्टिका, (12)	1992-99 के दौरान चलचित्र/चित्र पट्टिका प्रदर्शन आयोजित नहीं किये गए।
अरुणाचल प्रदेश	प्रक्षेपक (2)	बिना किसी लिखित कारण के 1993 से बेकार पड़े हैं।
मेघालय	बर्तन	1996 में अधिक खरीदे गए।
मणिपुर	विभिन्न सामग्री तथा शिक्षण सहायता	निदेशक के भण्डार में पड़े थे तथा कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया।
तमिलनाडु	पट्टिका चित्र प्रक्षेपक (12) तथा 10 परियोजनाओं में जीपे	चलचित्रों की अनुपलब्धता प्रक्षेपक मरम्मत अधीन थे तथा जीपे पांच माह से सात वर्ष तक मरम्मत अधीन/प्रयोग में नहीं थी।
कर्नाटक	प्रक्षेपक (132) वाहन (22)	पट्टिका चित्रों/प्रशिक्षित कर्मचारियों की अनुपलब्धता, तथा कार्य करने हेतु प्रतिकूल स्थिति, चालकों को तैनात न किया जाना तथा 2 से 7 वर्षों तक जीपों की मरम्मत।
नागालैंड	1997-98 में आपूर्त प्रक्षेपक (8)	पट्टिका चित्रों/चलचित्रों का अधिप्रापण न करना।
हिमाचल प्रदेश	ट्राजिस्टर (59) तौल मापक (104) प्रक्षेपक (11)	पट्टिका चित्रों/चलचित्रों की खराबी तथा अनुपलब्धता के कारण
दिल्ली	1998 में आपूर्त प्रक्षेपक	पट्टिका चित्रों/चलचित्रों की अप्राप्ति/खरीद न होने के कारण
राजस्थान	जीपे (5)	-
आन्ध्र प्रदेश	जिला कार्यालयों में उपयोग हेतु विश्व बैंक परियोजना I की निधियों में से जनवरी 1998 में खरीदे गए कम्प्यूटर (13)	आयुक्त कार्यालय को विपथित जहां प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे।
दमन एवं दीव	टंकण मशीने, प्रक्षेपक जीपे, तौल मापक इत्यादि	मरम्मत के कारण

### 3.10.2 वाहनों का विपथन

14 राज्यों में योजना के 229 वाहन गैर योजना उद्देश्यों के लिए उपयोग किये गये थे।

मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार यूनिसेफ द्वारा आपूर्त वाहनों का उपयोग केवल ए. बा.वि.यो. हेतु ही किया जाना था। तथापि, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल चण्डीगढ़ तथा लक्षद्वीप के 14 राज्यों में 229 वाहनों का उपयोग गैर-ए.बा.वि.यो. उद्देश्यों, जैसे मन्त्रियों, सचिवालय/निदेशक कार्यालय इत्यादि, द्वारा किया गया था। ए.बा.वि. वि.यो. वाहनों के विपथन के परिणामस्वरूप उन पर व्यय के गलत वर्गीकरण के अतिरिक्त पर्यवक्षण की गम्भीर गड़बड़ हुई।

दिल्ली: छः परियोजनाओं की नमूना जांच से ए.बा.वि.यो. परियोजना वाहनों का निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग का पता चला जिसके परिणामस्वरूप 1992-99 के दौरान पर्यवक्षण के बाधा पड़ने के अतिरिक्त चालकों को 13.74 लाख रु. के वेतन एवं भत्तों का निष्फल व्यय हुआ।

27 वाहन जो कि खराब/नष्ट हो गए थे कि अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये गए।

जम्मू व कश्मीर 1992-98 के दौरान आपूर्त किये गए 54 वाहनों के विपरीत राज्य सरकार ने केवल 27 वाहनों को लेखावद्ध किया था। शेष वाहनों के लिए प्रमुख विभाग ने अक्टूबर 1998 में बताया कि ये खराब/नष्ट हो गए थे परन्तु उनका विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया। कोई विभागीय जांच आरम्भ नहीं की गई थी तथा प्राथमिकी यदि कोई दाखिल की गई, भी अभिलेख में नहीं थी।

12.19 करोड़ रु. के अग्रिम असमायोजित पड़े थे।

### 3.10.3 असमायोजित अग्रिम

निम्नलिखित राज्यों में 1992-99 के दौरान विभिन्न उद्देश्यों के लिए कुल 12.19 करोड़ रु. के आहरित अग्रिम मार्च 1999 तक असमायोजित पड़े थे।

राज्य का नाम	अवधि	असमायोजित अग्रिम की राशि (करोड़ रु. में)	उद्देश्य जिसके लिए अग्रिम आहरित किया गया था
बिहार	1986-99	4.77	पत्तन से स.स.रा.स. खाद्य वस्तुयें उठाने के लिए राज्य खाद्य निगम को 4.42 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया गया था। समायोजन नहीं किया गया है। निकासी तथा अग्रेषण अभिकर्ता के पास 0.10 करोड़ रु. का अग्रिम बकाया था। जून 1999 तक विभिन्न अधिकारियों/संस्थाओं के पास 0.25 करोड़ रु. के अग्रिम बकाया थे।

मध्य प्रदेश	1992-99	1.05	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को विभिन्न मदों की खरीद के लिए तथा चार बा.वि.प.अ. तथा तीन जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारियों को अस्थाई अग्रिम।
राजस्थान	1992-98	0.62	कम्प्यूटरों, फर्नीचर की आपूर्ति के लिए निजी संस्था को तथा ममता किटो की आपूर्ति के लिए-सरकारी अधिकारियों को।
तमिलनाडु	1992-98	5.75	विभिन्न मदों की खरीद, प्रशिक्षण आदि पर व्यय।
जोड़		12.19	

### 3.10.4 हानियां/क्षतियां

कुल व्यय की गणना करते समय गै.स.सं. के पास पड़े अव्ययित अनुदान का समायोजन नहीं किया गया था।

असम: राज्य सरकार ने 1992-99 के दौरान केन्द्रीय सहायता से गैर सरकारी संगठन को 9.91 करोड़ रु. जारी किये। इसमें से गै.स.सं. ने योजना हेतु केवल 8.44 करोड़ रु. जारी किये। 1.47 करोड़ रु. गै.स.सं. के पास अव्ययित शेष के रूप में पड़े थे। इसके अतिरिक्त 1.14 करोड़ रु. विभाग द्वारा बुलावे पर निक्षेप के अन्तर्गत रखे गये थे। इस प्रकार विभाग ने व्यय को 2.61 करोड़ रु. अधिक बताया था।

खुली बाजार दर तथा सा.वि.प्र. दर के बीच की भिन्नता को सरकारी खाते में जमा नहीं करवाया गया था।

कर्नाटक: निदेशक ने 1996-97 के दौरान गेहूं उत्पाद जैसे रवा, मैदा, भूसी, आटा तथा अपवर्तन के उत्पादन एवं ए.बा.वि.यो. परियोजनाओं को रवा की आपूर्ति के लिए एक निजी मिल को अल्प दर पर 10100 टन गेहूं आबंटित किया। मिल मालिक को रवा को छोड़कर अन्य मदें भुगतान पर खुले बाजार में बेचने तथा खुलीबाजार दर एवं सा.वि.प्र. दर के बीच की भिन्नता को सरकारी खाते में जमा करवाने की अनुमति दी गई थी। मिल मालिक ने अन्य गेहूं उत्पाद खुले बाजार में बेच दिये परन्तु 1.18 करोड़ रु. के अन्तर को सरकारी खाते में जमा नहीं करवाया।

मंत्रालय द्वारा जारी 3.67 करोड़ रु. का अनुदान सरकारी खाते में जमा नहीं करवाया गया था।

नागालैंड: भुगतान एवं लेखा अधिकारी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली ने 2.72 करोड़ रु. तथा 94.64 लाख रु. के दो मांग पत्रों के द्वारा 3.67 करोड़ रु. का अनुदान राज्य सरकार के खाते में जमा करने के लिए मार्च 1996 में जारी किया जो मार्च 1996 में निदेशक सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण की रोकड़ बही के लेखाबद्ध हो गया था। इसके पश्चात् इसे सरकारी खाते में जमा कराने की बजाए पत्रों को भुना लिया गया तथा बिल संख्या एवं तिथि जिसके प्रति भुगतान किया गया था, कोई सन्दर्भ दिये बिना इसका उपयोग ए.बा.वि.यो. सामग्री के भुगतान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेश, फर्नीचर की खरीद इत्यादि पर किया गया तथा ऐसे भुगतानों के समर्थन में लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। निधियों के अंतिम उपयोग की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए मामले की जांच की आवश्यकता है।

उच्च दर पर बिस्कुटों की खरीद के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान हुआ।

लहरदार जस्तेदार लोहे की चादरों की अविवेकपूर्ण खरीद

इसके अतिरिक्त 1996-99 के दौरान 7.85 करोड़ रु. के 13.26 लाख कि.ग्रा. बिस्कुट 52 रु./55 रु. प्रति किलोग्राम जमा कर, पर खरीदे गये थे। तथापि दीमापुर परियोजना को जारी बिस्कुटों के नमूने से पता चला कि 750 ग्राम बिस्कुट के पैकट का मूल्य 30 रु. (सभी करों सहित) था। इस प्रकार प्रति किलोग्राम दर की गणना भुगतान किये गए 52/55 रु. की बजाए 40 रु. बनती थी, इसके परिणामस्वरूप 2.55 करोड़ रु. का अधिक भुगतान हुआ।

निदेशक (समाज सुरक्षा एवं कल्याण), कोहिमा ने जब सितम्बर 1996 में आंगनवाड़ी शैजे के निर्माण के लिए 3101 बंडलों की खरीद का आदेश दिया, इसके पास 11750 लहरदार जस्तेदार लोहे की चादरों के बंडलों का भण्डार था। संस्था ने 26 नवम्बर 1996 को 1030 बंडलों की आपूर्ति की। दिनांक 26 नवम्बर 1996 का बिल भी 1030 बंडलों के लिये था परन्तु सुधार करके 29.99 लाख रु. के मूल्य पर 1310 कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप 280 बंडलों के लिए 6.41 लाख रु. का अधिक भुगतान हुआ तथा यह बिल की हेराफेरी का सूचक है। स्टॉक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 3110 बंडलों का यह क्रय आदेश प्रथम दृष्टया अनावश्यक था।

### 3.11. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अनुश्रवण तथा मूल्यांकन मासिक प्रगति रिपोर्ट तथा मासिक अनुश्रवण रिपोर्ट के माध्यम से किया जाता है।

ए.बा.वि.यो. कार्यक्रम मूल्यांकन को प्रोत्साहित करने, विभिन्न स्तर जहां पर आंकड़े उत्पन्न होते हैं, विश्लेषण एवं कार्यवाही के लिए आभ्यन्तरिक अनुश्रवण तंत्र के द्वारा अभिलक्षित होता है। एक राष्ट्रीय ए.बा.वि.यो. प्रबन्धन सूचना तंत्र कार्य समूह इस प्रक्रिया को सुगम करता है। प्रत्येक राज्य सरकार के पास एक प्र.सू.त. समन्वय कक्ष भी होता है जो कि प्रत्येक आंगनवाड़ी एवं परियोजना के मध्य, ए.बा.वि.यो. परियोजना तथा राज्य सरकार के मध्य, एवं राज्य सरकार तथा भारत सरकार के मध्य सूचना का नियमित प्रवाह तथा प्रतिपुष्टि सुनिश्चित करता है। यह मासिक प्रगति रिपोर्ट एवं मासिक अनुश्रवण रिपोर्ट के माध्यम से किया जाता है। मा.प्र.रि. योजना के अन्तर्गत मुख्य आगत/प्रक्रिया एवं सेवाओं के निर्गम निर्देशकों की स्थिति का परिमाण निर्धारण करती है तथा मा.अ.रि., के.त.स. - उन्नत रूपण में स्वास्थ्य तथा पोषण क्रियाकलापों पर एक रिपोर्ट होती है। दोनों ही आंगनवाड़ी स्तर पर उत्पन्न होती है।

#### 3.11.1 समन्वय समितियों द्वारा अनुश्रवण

कई राज्यों में न तो समन्वय समितियां गठित की गईं न ही बैठकें आयोजित की गईं।

ए.बा.वि.यो. एक बहु-खण्डीय योजना है तथा इसमें विभिन्न विभाग जैसे कि समाज कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आदि सम्मिलित हैं जिनकी सेवाएं गांव, प्राथमिक सेवा केन्द्र, परियोजना, जिला एवं राज्य स्तर पर समन्वित होती हैं। योजना के समन्वित एवं सरल प्रचालन के लिए, खण्ड/परियोजना, जिला तथा राज्य स्तर पर ए.बा.वि.यो. अनुश्रवण के लिए समन्वय समितियां बनाए जाने की आवश्यकता थी। समन्वय समिति की बैठक खंड स्तर पर प्रत्येक माह तथा जिला एवं राज्य स्तर पर त्रैमासिक आयोजित की जानी अपेक्षित है।

खंड/जिला/राज्य स्तर पर समन्वय समितियों के गठन के सम्बन्ध में स्थिति तथा 1992-99 के दौरान बैठकों के आयोजन में कमी नीचे तालिका में दर्शाई गई है:



समिति का वर्ग	राज्य जहां समितियां गठित नहीं हुई	राज्य जहां बैठकों की कमी 50 प्रतिशत से अधिक थी	राज्य जहां कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।
1	2	3	4
खंड/परियोजना स्तर	14 राज्यों (असम, बिहार, गुजरात, -8 जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, पाण्डिचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल तथा दमन एवं दीव)	नौ राज्य (आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात 3, कर्नाटक-31, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, पश्चिम बंगाल तथा हिमाचल प्रदेश)	दो राज्य (मणिपुर, नागालैंड)
जिला स्तर	11 राज्य (बिहार, गुजरात-4, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश -8, पंजाब, पाण्डिचेरी, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, केरल, तथा दमन एवं दीव)	सात राज्य (आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक-3, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, पश्चिम बंगाल तथा हिमाचल प्रदेश)	तीन राज्य (मणिपुर, नागालैंड तथा असम)
राज्य स्तर	छः राज्य (केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम, उत्तर प्रदेश तथा दमन एवं दीव)	सात राज्य (आन्ध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मिजोरम, पाण्डिचेरी, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश)	पांच राज्य (मणिपुर नागालैंड, मध्य प्रदेश असम एवं बिहार)

नौ राज्यों दिल्ली, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा एवं महाराष्ट्र में 1992-99 के दौरान योजना का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया।

मासिक अनुश्रवण रिपोर्टों से प्रचालित एवं सूचित परियोजनाओं के आंकड़ों के बीच अन्तर प्रकट हुये। इसके अतिरिक्त 4178 प्रचालित परियोजनाओं के विपरीत केवल 1720 परियोजनाओं से मा.प्र. रि. प्राप्त हुई।

### 3.11.2 मासिक अनुश्रवण रिपोर्ट

केन्द्रीय तकनीकी समिति- एकीकृत मातृ एवं बाल विकास (के.त.स.-ए.मा.बा.वि.) मासिक अनुश्रवण रिपोर्टों को संकलित करके तथा मंत्रालय को समेकित मासिक रिपोर्ट भेजकर ए.बा. वि.यो. के स्वास्थ्य तथा पोषण संघटक का अनुश्रवण करती है।

मई 1998 एवं जुलाई 1998 की ऐसी समेकित मासिक रिपोर्टों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मंत्रालय की स्थिति सूचक रिपोर्ट के अनुसार तथा समेकित मासिक रिपोर्टों के अनुसार प्रचालित तथा सूचित परियोजना के आंकड़ों के बीच अन्तर थे जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:-

परियोजना के विवरण	31.3.98 एवं 30.6.1998 को मंत्रालय के स्थिति सूचक विवरण/ मा.प्र. रि. के अनुसार	मई 1998 के लिए के.त.स. के समेकित विवरण के अनुसार	जुलाई 1998 के लिए के.त.स. के समेकित विवरण के अनुसार	का.न.(3) से (2) की प्रतिशतता	का.न.(4) से (2) की प्रतिशतता
प्रचालित	4178	2684	2707	64	65
सूचित	3095	1720	1719	56	56

**टिप्पणी:** वे परियोजनाएं जिनके लिए मासिक रिपोर्टें मंत्रालय को बा.वि.प.अ. से प्राप्त होती थी उन्हें सूचित परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार, वे परियोजनाएं जिनके लिए के.त.स. ने मा.अ.रि. परियोजना सलाहकार से प्राप्त की थी, उन्हें सूचित परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि मई 1998 तथा जुलाई 1998 के दौरान मंत्रालय द्वारा मा.प्र.रि. में आवृत्त की गई प्रचालित तथा सूचित परियोजनाओं की संख्या के संदर्भ में के.त.स. की समेकित विवरणी से सम्मिलित प्रचालित एवं सूचित परियोजनाओं की संख्या में 36 प्रतिशत तथा 44 प्रतिशत की कमियां थी। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 4178 प्रचालित परियोजनाओं में से मई 1998 तथा जुलाई 1998 में कमशः केवल 1720 तथा 1719 परियोजनाओं से मा.अ.रि. प्राप्त हुई थी, जो कि के.त.स.- ए.मा.बा.वि. द्वारा केवल 41 प्रतिशत विस्तार को निरूपित करती है। जुलाई 1999 में मंत्रालय ने बताया कि मा.अ.रि. केवल के.त.स.- ए.मा.बा.वि. तंत्र द्वारा आवृत्त क्षेत्रों से प्राप्त हुई थी, जबकि मंत्रालय की सूचक रिपोर्ट/मा.प्र.रि. में दर्शाई गई परियोजनाओं की संख्या पूरे देश के लिए थी। अतः के.त.स.- ए.मा.बा.वि. तंत्र का उन परियोजनाओं में अभाव के कारण, पूरे देश में 59 प्रतिशत ए.बा.वि.यो. परियोजनाओं के अन्तर्गत आवृत्त लाभभोगियों की स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति का अनुश्रवण नहीं किया जा सका।

### 3.11.3 मासिक प्रगति रिपोर्टें

13 राज्यों में मासिक प्रगति रिपोर्टों के लिए अभिलेख या तो अनुरक्षित नहीं किए गए या अपूर्ण थे। भेजी गई मा.प्र.रि. अशुद्ध/अपूर्ण थी।

13 राज्यों असम, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल में या तो मूल अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए या वे अपूर्ण थे, मा.प्र.रि. नहीं भेजी गई या भेजी गई मा.प्र.रि. अशुद्ध/अपूर्ण थी, राज्य कक्ष द्वारा अनुश्रवण के सम्बन्ध में कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए। यह भी पता चला कि ए.बा.वि.यो. कक्ष ने न तो सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों से मा.प्र.रि. को समेकित/संकलित/प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया, न ही उपचारात्मक उपायों के लिए मा.प्र.रि. का विश्लेषण किया।

केन्द्र स्तर पर भी अनुश्रवण की स्थिति काफी खराब थी। राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मार्च 1999 को 23 राज्यों में प्रचालित 2.94 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों के प्रति, मंत्रालय 2.77 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों से मा.प्र.रि. प्राप्त कर रहा था। यह भी पाया गया कि

सात राज्यों में प्रचलित 76107 आंगनवाड़ी केन्द्रों के प्रति मंत्रालय ने 84566 आंगनवाड़ी केन्द्रों से मा.प्र.रि. प्राप्त की।

बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ. तथा पर्यवेक्षकों ने आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्धारित निरीक्षण पूर्ण नहीं किए। तीन राज्यों में निरीक्षण में कमी कर्मचारियों के अभाव इत्यादि के कारण थी।

पर्यवेक्षकों ने आंगनवाड़ियों का एक भी निरीक्षण नहीं किया।

बा.वि.प.अ./पर्यवेक्षक द्वारा अपेक्षित कोई भी रात्रि वास नहीं किए गए।

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, छः राज्यों बिहार, गोवा, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, तथा पश्चिम बंगाल में, 76107 प्रचलित आंगनवाड़ी केन्द्रों के प्रति, मंत्रालय ने 84566 से मा.प्र.रि. प्राप्त की थी, जो कि आंकड़ों में हेराफेरी का सूचक था।

### 3.11.4 क्षेत्र निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण

बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ. द्वारा मुख्यालय से बाहर दस रात्रि निवासों सहित माह में कम से कम 18 दिनों के लिए आंगनवाड़ियों का क्षेत्र निरीक्षण करना आवश्यक था। एक पर्यवेक्षक से यह अपेक्षित था कि वह प्रत्येक आंगनवाड़ी का माह में कम से कम एक बार निरीक्षण करे तथा सप्ताह में एक बार एक आंगनवाड़ी केन्द्र के संयुक्त निरीक्षण के लिए महिला स्वास्थ्य निरीक्षक के साथ संपर्क करे तथा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार केन्द्रीय मुख्यालय से 5 कि.मी. से अधिक की दूरी पर स्थित एक गांव में रात्रि वास करे।

वर्ष 1992-99 के दौरान 16 राज्यों आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं काश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम तथा त्रिपुरा में नमूना जांच की गई 148 परियोजनाओं में बा.वि.प.अ./स.बा.वि.प.अ. ने आंगनवाड़ियों के निर्धारित निरीक्षण कार्यान्वित नहीं किए तथा कमी की प्रतिशतता महत्वपूर्ण थी, कुछ मामलों में 100 प्रतिशत तक अधिक थी।

इसी प्रकार, उपर्युक्त 16 राज्यों में नमूना जांच की गई 150 परियोजनाओं में अधीक्षकों ने निर्धारित निरीक्षण कार्यान्वित नहीं किए थे तथा कमी की प्रतिशतता की सीमा 11 से 100 प्रतिशत के बीच थी।

गुजरात, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एवं काश्मीर सरकारों द्वारा कमियों के कारण पर्यवेक्षण कर्मियों की कमी, अधीक्षक स्टाफ का गैर- ए.बा.वि.यो. क्रियाकलापों में शामिल होना, वाहनों की अनुपलब्धता/वाहनों का निदेशालय/सचिवालय को विपथन को आरोपित किए गए थे।

दिल्ली में, अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 1996-98 के दौरान, 29 से 196 आंगनवाड़ी केन्द्र ऐसे थे, जहां माह के दौरान पर्यवेक्षकों द्वारा एक बार भी निरीक्षण नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश में, 87 परियोजनाओं की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि न तो बा.वि.प.अ. ने और न ही पर्यवेक्षकों ने रात्रि वास किए, जैसा कि आवश्यक था। कुछ ही आंगनवाड़ी केन्द्रों का क्षेत्र निरीक्षण बार-बार किया गया, या बिल्कुल भी निरीक्षण नहीं किया गया था।

रा.ज.स.बा.वि.सं. रिपोर्ट से प्रकट हुआ कि केवल 29 प्रतिशत पर्यवेक्षक ही माह में एक बार सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करने के निर्धारित कार्यक्रम को पूर्ण करने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त, लगभग 50 प्रतिशत आंगनवाड़ी गृह वीक्षा पर एक घंटा व्यतीत कर रहे थे जो कि एक घर के निरीक्षण के लिए तथा कोई सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए काफी कम था।

### 3.11.5 मंत्रालय द्वारा निरीक्षण

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सलाह पर नवम्बर 1998 में आन्ध्र प्रदेश राज्य में मंत्रालय द्वारा योजना का निरीक्षण संचालित किया गया। अप्रैल 1999 में प्रस्तुत रिपोर्ट में, योजना के प्रचालन में विभिन्न कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया परन्तु अगस्त 1999 तक मंत्रालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

### 3.11.6 मूल्यांकन

योजना का व्यापक मूल्यांकन नहीं किया गया।

समय-समय पर संचालित मूल्यांकनों से संगठनात्मक विफलता तथा वितरण तंत्र में जान बूझकर गलती के कई उदाहरण प्रकट हुए तथा कोई प्रभावी उपाय नहीं किए गए।

प्राथमिक तौर पर आधार-स्तरीय आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण ए.बा.वि.यो. का व्यापक मूल्यांकन नहीं किया गया। तथापि 1992-99 की अवधि में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान द्वारा 1992 में, एकीकृत मातृ तथा बाल विकास द्वारा 1996 में तथा राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा 1998 में छोटे नमूनों का उपयोग करते हुए आवधिक मूल्यांकन कार्यान्वित किए गए। इन मूल्यांकनों से सुपुर्दगी प्रणाली भी संगठनात्मक विफलताओं तथा कमजोरियों के कई दृष्टांत सामने आए हैं। कुछ स्थानीय मूल्यांकन, यूनिसेफ, गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संस्थान तथा और कई संस्थानों द्वारा किए गए हैं। इन सभी मूल्यांकनों में कई कमियां ध्यान में आई थी परन्तु मंत्रालय द्वारा कोई प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं।

### 3.12 प्रभाव

लाभभोगियों के स्तर पर घटिया सेवाओं तथा क्या शि.मृ.द./बा.मृ.द. के लिए विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति पर योजना के प्रभाव का आकलन किया जाना था। परन्तु इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था के प्रमाण नगण्य हैं।

यह सोचा गया था कि योजना के अन्तर्गत सेवाओं के पैकेज के प्रावधान का बच्चों के साकल्यवाद संबंधी विकास पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उदाहरणार्थ, टीकाकरण तथा स्वास्थ्य जांच तथा परामर्श सेवाओं सहित अनुपूरक पोषण का प्रावधान यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चा तथा गर्भवती/स्तन्यदा माता समुचित पोषक आहार लेती है तथा विभिन्न संक्रमणों के प्रति उन्मुक्त हैं। इसके अतिरिक्त पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा और अनौपचारिक पूर्व-विद्यालय शिक्षा की सेवाओं से लाभभोगियों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा तथा बच्चे में वांछित अंगविन्यास, मान्यताओं, व्यवहार पद्धति को भी प्रोत्साहन मिलेगा जिससे वह आवश्यक भावात्मक तथा मानसिक तैयारी के साथ प्रारम्भिक विद्यालय में प्रवेश करेगा। बाद में नवयुवतियों की कवरेज भी ए.बा.वि.से. योजना के अन्तर्गत एक विशेष हस्तक्षेप के रूप में की गई थी।

इस भूमिका के प्रति पहले इस बात का मूल्यांकन करके कि क्या योजना ने सेवाओं का पैकेज सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है तथा दूसरे घटिया सेवाओं के पीछे कारणों का पता लगाना तथा तीसरे यह आकलन करना कि क्या मंत्रालय द्वारा निर्धारित शि.मृ.द./बा.मृ.द.<sup>19</sup> के लिए विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं, के मूल्यांकन द्वारा लाभभोगियों की स्थिति पर ए.बा.वि.से.यो. के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास किया गया था।

लेखापरीक्षा में मालूम हुआ कि उपर्युक्त अपेक्षाओं के प्रति इन प्रशंसनीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये निम्न दिये गये अनुसार, प्रमाण न के बराबर हैं :-

<sup>19</sup> बाल मृत्यु दर



- ◆ अनुपूरक पोषण हेतु राज्यों द्वारा पर्याप्त बजटीय प्रावधान नहीं किए गए थे। अपर्याप्त, निम्नस्तरीय/बाधित आहार के अन्तर्ग्रहण, आरोग्यकर/दूधछुड़ाई आहार की अनापूर्ति के कारण लाभभोगियों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार नहीं किया जा सका।
- ◆ स्वास्थ्य जांच तथा परामर्श सेवाओं के संबंध में, लाभभोगियों को पहचान, निर्विष्ट लाभभोगियों की पहचान में कमी तथा अभिलेखों को पूरा न करने/उनका अनुरक्षण न करने के मामले ध्यान में आए थे। टीकाकरण के संबंध में, लक्ष्य नियत न करना, कवरेज में कमी, अनुश्रवण का अभाव,/टीकाकरण अभिलेख का अनुरक्षण न करना/अनियमित अनुरक्षण देखा गया था जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक लाभभोगी के लिए प्रत्येक बीमारी के प्रति पूरा टीकाकरण नहीं किया जा सका जिससे उसकी टीका प्रतिरोधक बीमारी की सम्भावना बनी रही। राज्यों द्वारा विटामिन ए की प्राप्ति न होने के मामले भी देखे गए थे।
- ◆ ए.बा.वि.यो. योजना में पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा संघटक कमजोर लिंक था क्योंकि सूचना तथा शिक्षा के प्रचार हेतु परियोजनाओं को आपूर्त उपकरण बहुत कम इस्तेमाल किए गये थे।
- ◆ आंगनवाड़ी तथा प्राथमिक विद्यालय के बीच लिंक के अभाव तथा इस संघटक के अन्तर्गत मूल अभिलेखों का अनुरक्षण न करने के कारण पूर्व विद्यालय शिक्षा के लाभ निर्धारित नहीं किए जा सके।
- ◆ इस योजना के अन्तर्गत नवयुवतियां सबसे अधिक उपेक्षित लाभभोगी थीं, क्योंकि इस संघटक के निष्पादन का गम्भीरता से अनुश्रवण करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे।

‘भारत पोषण पार्श्विका’ के द्वारा मंत्रालय ने सूचित किया था कि आन्ध्र प्रदेश तथा बिहार में कुपोषण की प्रतिशतता क्रमशः 89 तथा 80 तक बहुत अधिक थी।

जुलाई 1998 में मंत्रालय द्वारा जारी “भारत पोषण पार्श्विका” दस्तावेज़ से यह पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तथा दादरा एवं नागर हवेली राज्यों/सं.शा.क्षे. में 1-5 वर्ष की आयु-वर्ग के 50 से अधिक प्रतिशत बच्चे कुपोषण से ग्रस्त थे, यह स्थिति अरुणाचल प्रदेश तथा बिहार में बहुत ही खराब थी जहां यह प्रतिशतता बहुत अधिक अर्थात् क्रमशः 89 तथा 80 थी।

एन.सी.ए.ई.आर. प्रतिवेदन 1997 लेखापरीक्षा जांच की पुष्टि करती है।

इसके अतिरिक्त, एन.सी.ए.ई.आर. प्रतिवेदन 1997 लेखापरीक्षा जांच की पुष्टि करती है जिसमें यह अवलोकित हुआ है कि भारत में गहन सर्वेक्षणों ने यह दर्शाया है कि बच्चों, गर्भवती तथा स्तन्यदा माताओं का आहार विशेष कर महत्वपूर्ण पोषकों में कम था। शिशु तथा पांच वर्ष की उम्र से कम के बच्चों की मृत्यु दर में काफी सुधार के बावजूद, कुपोषण तथा खराब स्वास्थ्य की मूक आकस्मिकता अभी भी विद्यमान है।

ए.बा.वि.से.यो. की कम सेवाओं के कारणों का निम्नलिखित बातों से पता लगाया जा सकता है :



- आंगनवाड़ी केन्द्र में जो कि सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए केन्द्रीय बिन्दु था, उसके अपने परिसर के बिना, सुरक्षित पेय जल, सफाई, भण्डारण स्थान की कमी आदि जैसी पर्याप्त संरचनात्मक सुविधाएं नहीं थी।
- यह देखा गया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (योजना में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता) सभी सेवाओं की सुपुर्दगी का भार वहन करने में सक्षम नहीं था। मूल-भूत स्तर पर अन्य कार्यकर्ताओं के कार्य में शामिल न होने से योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इसके अतिरिक्त फालतू स्टाफ, स्टाफ की कमी, गैर-ए.बा.वि.से.यो. उद्देश्यों को विपथित स्टाफ तथा स्टाफ की तैनाती न करने के कारण योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। यह जन-शक्ति की तैनाती में पूर्व-योजना के अभाव को दर्शाता था।
- शुरू से ही योजना ने शिक्षित कर्मिकों द्वारा सेवाओं की सुपुर्दगी पर अपनी सफलता की कल्पना की थी। यह देखा गया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मामले में, 62 प्रतिशत प्रशिक्षित थे। यह उन प्रेरित लोगों का संवर्ग सृजित करने में विफल रहा है, जो सुपुर्दगी की अग्रिम लाईन में अनुकरणीय सेवा प्रदान करते हैं।
- यह योजना अनुश्रवण हेतु अपर्याप्त प्रयास तथा यथार्थ में जांच योग्य संकेतकों के आधार पर स्वतन्त्र मूल्यांकन से ग्रस्त है। योजना के परिणामों के निर्धारण हेतु कोई स्वतन्त्र संकेतक नहीं हैं। मंत्रालय केवल लाभभोगियों की कवरेज के सांख्यिकीय आंकड़ों तथा शि. मृ.द., बा.मृ.द. जैसे विशिष्ट संकेतकों पर ही विश्वास करता है। अब तक किए गए अनुश्रवण तथा मूल्यांकनों के बावजूद योजना के कार्यान्वयन में अवगम्य सुधार नहीं देखा गया है। विभिन्न लाभभोगियों की पोषण तथा स्वास्थ्य आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा कुपोषण की वर्तमान समस्या को ठीक करने के लिए समय-समय पर योजनाओं को पुर्नपरिभाषित नहीं किया गया है।
- योजना के कार्यान्वयन के साथ स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण आदि जैसे अन्य क्षेत्रों का समन्वयन भी बहुत कम था।
- अनुपूरक पोषण हेतु 1991 में नियत 1 रु. की दर अपर्याप्त है। राज्य सरकारों ने भी इस निर्धारित सीमा के अन्दर पर्याप्त केलोरी तथा प्रोटीन के प्रावधान के विषय में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।
- इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सहायता या तो पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं की गई थी या फिर कम अर्थपूर्ण प्रयोजनों के लिए विपथित की गई थी। डब्ल्यू एफ पी तथा सी.ए.आर.ई. द्वारा आर्बटित आहार की मूल्यवान मात्रा का राज्य सरकारों की शिथिलता तथा प्रशासनिक विलम्बों के कारण उपयोग नहीं किया जा सका।

मंत्रालय की 1992 की राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसार, वर्ष 2000 ई.पू. तक नियत किये गये निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त किए जाने थे।

राष्ट्रीय कार्य योजना (1992) में, मंत्रालय ने लक्ष्य 2000 प्रा.ई.उ. तक प्राप्त करने नियत किए थे। परन्तु शि.मृ.द./बा.मृ.द. में कमी की दर बहुत धीमी थी।

- \* शि.मृ.द. में प्रति हजार जीवित जन्मों के प्रति 60 से भी कम तक की कटौती।
- \* बा.मृ.द. में प्रति हजार बाल संख्या (0-4 वर्ष) के प्रति 10 से भी कम तक की कमी।

भारतीय महा पंजीयक की नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार शि.मृ.द. तथा बा.मृ.द. 1987 से 1994 की स्थिति निम्नानुसार थी :

संकेतक	1992	1993	1994	1995	1996
शिशु मृत्यु दर	79	74	74	74	72
बाल मृत्यु दर	26.5	23.7	23.9	उ.न.	उ.न.

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 1993 से 1995 तक शि.मृ.द. में कोई कमी नहीं हुई थी तथा 1996 में शि.मृ.द. केवल 2 अंक तक कम हुई है। बा.मृ.द. के मामले में, कमी की दर बहुत कम थी। इस योजना के द्वारा अंतराक्षेपण किए जाने के बावजूद इन वर्षों के दौरान शि.मृ.द. तथा बा.मृ.द. दोनों में कोई सुधार नहीं हुआ था।

1996 में शि.मृ.द. की राज्य-वार तुलना से ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित राज्यों में, यह जीवित जन्मों का 60 प्रति हजार थी।

राज्य	शि.मृ.द.
आन्ध्र प्रदेश	66
असम	75
बिहार	72
गुजरात	62
हरियाणा	68
हिमाचल प्रदेश	62
मध्य प्रदेश	97
उड़ीसा	95
राजस्थान	86
उत्तर प्रदेश	85

उन देशों में जिनकी 5 वर्ष से कम की मृत्यु दर भारत के समान थी, उनकी दर में सुधार हुआ था जबकि भारत में यह अभी भी अधिक है।

इसके अतिरिक्त, यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित विश्व बाल 2000 की स्थिति में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर शि.मृ.द. तथा 5 वर्ष से नीचे की भारतीय तथा अन्य विकासशील देशों की मृत्यु दर की तुलना से निम्नलिखित बातों का पता चलता है :

देश का नाम	घटते हुए क्रम में 5 वर्ष से कम की मृत्यु दर (1998)	5 वर्ष से कम की मृत्यु दर (हजार में)		शिशु मृत्यु दर (हजार में)	
		1960	1998	1960	1998
इरान	100	233	33	145	29
विएतनाम	85	219	42	147	31
चीन	79	209	47	140	38
इंडोनेशिया	71	216	56	128	40
मिश्र	68	282	69	189	51
भारत	49	236	105	144	69

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जायेगा कि इन देशों ने, जिनकी 5 वर्ष से कम की मृत्यु दर 1960 में भारत के लगभग समान थी, वर्ष 1998 तक 33-69 की दर प्राप्त कर ली थी जबकि भारत के लिए यह अभी भी 105 तक काफी अधिक बनी हुई है। इसी प्रकार, शिशु मृत्यु दर (शि.मृ.द.) के मामले में, सभी देशों ने 1998 तक 29-51 की दर प्राप्त कर ली है, जबकि भारत में यह 69 ही है।

मामला मंत्रालय को जनवरी 2000 में भेजा गया था; उनका उत्तर सितम्बर 2000 तक प्रतीक्षित था।

## अनुबन्ध-1

(पैराग्राफ 3.2.2 देखें)

## परीक्षण जांच के लिए नमूनों का विवरण

क्र.स.	राज्य/सं.रा.क्षे. का नाम	राज्य/सं.रा.क्षे. में परिचालन परियोजना की कुल संख्या	नमूना जिलों में परियोजनाओं की संख्या	परीक्षण जांच के लिये नमूने के रूप में चुनी गयी परियोजनाओं की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	251	55	55
2	अरुणाचल प्रदेश	46	46	4
3	असम	107	72	22
4	बिहार	266	85	60
5	गोवा	11	11	11
6	गुजरात	187	59	16
7	हरियाणा	116	25	25
8	हिमाचल प्रदेश	71	23	16
9	जम्मू व कश्मीर	117	न.भे.	29
10	कर्नाटक	185	39	39
11	केरल	120	107	25
12	मध्य प्रदेश	407	228	33
13	महाराष्ट्र	268	87	51
14	मणिपुर	34	20	9
15	मेघालय	32	32	7
16	मिजोरम	21	21	4
17	नागालैण्ड	52	16	8
18	उड़ीसा	251	117	50
19	पंजाब	142	35	28
20	राजस्थान	191	43	39
21	सिक्किम	5	5	5
22	तमिलनाडु	431	47	24
23	त्रिपुरा	28	28	9
24	उत्तर प्रदेश	526	112	87
25	पश्चिम बंगाल	229	82	57
26	अं. एवं नि. द्वीप समूह	5	4	1
27	चण्डीगढ़	3	3	3
28	दिल्ली	28	28	6
29	दादर एवं नगर हवेली	1	1	1
30	दमन एवं दीव	2	2	2
31	लक्षद्वीप	1	1	1
32	पांडिचेरी	5	5	5
	जोड़	4139	1439	732

## अनुबन्ध-2

(पैराग्राफ 3.3.1 देखें)

## 1992-99 के दौरान जारी की गई निधियां और बजट प्रावधान के विवरण

(करोड़ रु. में)

वर्ष	संघटक	बजट प्रावधान	जारी की गई निधियां	बचत (-) आधिक्य (+) कॉलम 3-4
1	2	3	4	5
1992-93	ए.बा.वि.यो.	271.74	324.46	(+) 52.72
	ए.बा.वि.यो. (लक्ष्य)	13.00	9.14	(-)3.86
	विश्व बैंक से सहायता	75.00	33.09	(-)41.91
	योग	359.74	366.69	(+)6.95
1993-94	ए.बा.वि.यो.	408.55	404.84	(-)3.71
	ए.बा.वि.यो. (लक्ष्य)	12.12	7.72	(-)4.40
	विश्व बैंक से सहायता	53.21	29.32	(-)23.89
	योग	473.88	441.88	(-)32.00
1994-95	ए.बा.वि.यो.	434.00	433.18	(-)0.82
	ए.बा.वि.यो. (लक्ष्य)	12.60	11.84	(-)0.76
	विश्व बैंक से सहायता	89.96	89.96	शून्य
	योग	536.56	534.98	(-)1.58
1995-96	ए.बा.वि.यो.	512.00	567.85	(+) 55.85
	ए.बा.वि.यो. (लक्ष्य)	11.66	10.91	(-)0.75
	विश्व बैंक से सहायता	63.96	89.96	(+)26.00
	योग	587.62	668.72	(+)81.10
1996-97	ए.बा.वि.यो.	515.94	526.86	(+)10.92
	ए.बा.वि.यो. (लक्ष्य)	11.66	9.67	(-)1.99
	विश्व बैंक से सहायता	154.26	154.26	शून्य
	योग	681.86	690.79	(+)8.93
	8वीं योजना योग	2639.66	2703.06	(+)63.40
1997-98	ए.बा.वि.यो.	479.40	608.58	(+)129.18
	ए.बा.वि.यो. (लक्ष्य)	40.00	4.28	(-)35.72
	विश्व बैंक से सहायता	214.46	153.23	(-)61.23
	योग	733.86	766.09	(+)32.23
1998-99	ए.बा.वि.यो.	603.14	795.82	(+)192.68*
	ए.बा.वि.यो. (लक्ष्य)	40.00	39.99	(-)0.01
	विश्व बैंक से सहायता	331.89	139.60	(-)192.29
	योग	975.03	975.41	(+)0.38
	कुल योग	4348.55	4444.56	(+)96.01



## अनुबन्ध-3

(पैराग्राफ 3.3.2 देखें)

1992-99 के दौरान जारी की गई निधियां तथा राज्य सरकारों द्वारा किये गये व्यय के

## विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/सं.रा.क्षे. का नाम	जारी की गई सहायता	व्यय	कमी (-)	आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	183.65	197.74		14.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	33.11	31.21	1.90	
3.	असम	112.39	96.69	15.70	
4.	बिहार	215.40	219.40		4.00
5.	गोवा	13.10	14.65		1.55
6.	गुजरात	231.51	234.17		2.66
7.	हरियाणा	95.99	103.19		7.10
8.	हिमाचल प्रदेश	51.28	53.91		2.63
9.	जम्मू व कश्मीर	64.88	59.71	5.17	
10.	कर्नाटक	280.39	268.84	11.55	
11.	केरल	134.28	153.97		19.69
12.	मध्य प्रदेश	279.19	270.51	8.68	
13.	महाराष्ट्र	348.69	368.96		20.27
14.	मणिपुर	37.11	35.03	2.08	
15.	मेघालय	27.59	24.37	3.22	
16.	मिजोरम	25.14	22.53	2.61	
17.	नागालैण्ड	43.16	37.17	5.99	
18.	उड़ीसा	158.31	129.67	28.64	
19.	पंजाब	91.58	98.17		6.59
20.	राजस्थान	187.73	199.91		12.18
21.	सिक्किम	7.18	6.37	0.81	
22.	तमिलनाडु	190.55	160.21	30.34	
23.	त्रिपुरा	24.72	22.51	2.21	
24.	उत्तर प्रदेश	503.90	326.26	177.64	
25.	पश्चिम बंगाल	316.83	326.02		9.19
26.	अं. एवं नि. द्वीप समूह	4.76	3.20	1.56	
27.	चण्डीगढ़	3.79	3.29	0.50	
28.	दिल्ली	45.75	44.50	1.25	
29.	दादर एवं नागर हवेली	1.46	1.38	0.08	
30.	दमन एवं दीव	2.01	2.06		0.05
31.	लक्षद्वीप	1.12	0.99	0.13	
32.	पांडिचेरी	7.21	7.61		0.40
	जोड़	3723.76	3524.10	300.06	100.40

## अनुबन्ध-4

(पैराग्राफ 3.5.3.3 देखें)

राज्य/सं.रा.क्षे. में वास्तव में उन्मुक्त किये जाने वाले तथा उन्मुक्त किये गये बच्चों/महिलाओं की संख्या

क्र.सं.	टीके का नाम	वर्ष						
		1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
1	बी.सी.जी.							
	लक्ष्य	3663564	3759279	3661504	3826985	3864973	3842654	3786698
	उपलब्धियां	2968567	3197331	3328523	3267731	3399598	3484596	2944240
2	डी.पी.टी.							
	लक्ष्य	3738518	3459195	3829767	3630324	3964488	3959623	3888046
	उपलब्धियां	3002829	3069749	3356246	3113403	3382548	3506385	2903279
3	पोलियो							
	लक्ष्य	3735381	3862330	3835308	3931517	3961391	3955191	3873184
	उपलब्धियां	3015130	3083450	3376781	3190050	3424449	3549717	2960410
4	खसरा							
	लक्ष्य	3665411	3737952	3648944	3816392	3847125	3823241	3764253
	उपलब्धियां	2517036	2638862	2893782	2699236	2905140	2979031	2535468
5	टेटनस							
	लक्ष्य	3856980	4019120	3849803	4018338	4091357	4022628	3940938
	उपलब्धियां	2627757	2863253	2986196	2938475	3145590	3262554	2639676
	कुल							
	लक्ष्य	18659854	18837876	18825326	19223556	19729334	19603337	19253119
	उपलब्धियां	14131319	14852645	15941528	15208895	16257325	16782283	13983073

ल. लक्ष्य 134061666  
उ. उपलब्धियां 107157068

## अनुबन्ध-5

(पैराग्राफ 3.5.4 देखें)

## होम विजिट और फिल्म/स्लाइड प्रदर्शनों के वर्ष-वार विवरण

क्र. सं.	सेवा के प्रकार	वर्ष							जोड़
		1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	
1	फिल्म/स्लाइड प्रदर्शन परियोजना का नाम	3956	4301	3642	4214	5220	7863	12130	41326
2	सम्मिलित की गई परियोजनाओं की संख्या	399	464	559	549	609	604	345	3529
1	होम विजिट (15-45 वर्ष) की उम्र समूह के बीच में महिलाओं की संख्या	5991920	6821950	7364963	7488199	7934442	8054161	7989849	51645484
2	होम विजिट द्वारा सम्मिलित की गई महिलाओं की संख्या	4189950	4871266	5278458	5286956	5757787	6207911	5859491	37451819

## अनुबन्ध -6

## (पैराग्राफ 3.8.1.2)

## संघटक वार ई.एफ.सी. प्रावधान और किये गये व्यय के विवरण

(लाख रु. में)

क्र. सं.	संघटक	आन्ध्र प्रदेश		बिहार		मध्य प्रदेश	
		कुल व्य.वि.सं. प्रावधान	1997 मार्च तक व्यय	कुल व्य.वि.सं. प्रावधान	28.2.99 तक व्यय	कुल व्य.वि.सं. प्रावधान	1998 अगस्त तक व्यय
1	ब्लाक स्तर तक वेतन, मानदेय यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	6192.19	5546.09	9933.29	3942.70	1162.92	5029.34
2	खण्ड स्तर तक अन्य व्यय	1226.00	-	4204.08	360.40	5642.86	1608.80
3	सिविल कार्य	2194.50	2649.50	2999.64	6047.05	3888.46	7628.57
4	वाहन	-	-	646.25	347.74	941.88	418.38
5	हैण्ड पम्प	336.00	-	-	-	-	-
6	सज्जा सामग्री और उपस्कर	526.67	472.09	1142.37	203.30	1465.57	1538.06
7	प्रशिक्षण	651.52	657.04	1439.25	126.60	2594.84	392.02
8	संचार	610.03	461.41	903.43	34.70	1292.31	139.70
9	स्वास्थ्य	1154.04	684.86	972.91	79.20	1288.37	434.26
10	समुदाय संघटन	1906.80	-	1000.00	0.40	1000.00	359.89
क)	आय उत्पत्ति		1143.31	-	-	-	-
ख)	वसीयतनामा		130.27	-	-	-	-
ग)	किशोर कन्या योजना		310.77	-	-	-	-
14	पोषण संबंधी पुनर्वास केन्द्र	57.78	41.78	55.79		55.79	-
15	बाल्यावस्था से पहले की शिक्षा	204.74	102.09	232.44	55.60	314.56	161.14
16	चिकित्सा संबंधी खर्च	80.00	39.37	687.97	-	687.97	-
17	परियोजना प्रबन्ध	691.04	353.38	1342.29	260.40	2870.41	323.91
18	मांनरीटिंग, अनुसंधान एवं मूल्यांकन	59.63	19.43	70.00	-	70.00	39.11
19	पर्यवेक्षकों के लिए गतिशीलता	49.50	22.02	83.16	-	109.92	38.24
20	परिक्षिप्त पी.ओ.पी. के लिए आरम्भिक परियोजना	-	-	-	-	23.84	-
	जोड़	15940.34	12633.42	25712.87	11458.09	33909.69	18111.42


## अनुबन्ध -7

(पैराग्राफ 3.9.2.2 देखें)

कार्मिकों के प्रशिक्षण के लक्ष्य, उपलब्धि तथा कमी के विवरण

राज्य	वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियां	
		बा.वि.प.अ./सं.बा.वि.प.अ.	पर्यवेक्षक	बा.वि.प.अ./सं.बा.वि.प.अ.	पर्यवेक्षक
कर्नाटक	1992-99	312	221	216	105
महाराष्ट्र	जुलाई 1998 तक	350	1818	277	1143
राजस्थान	1992-99	200	750	149	371
योग		862	2789	642	1619
प्रतिशतता					

राज्य	वर्ष	लक्ष्य			उपलब्धियां		
		आंगनवाड़ी कर्मचारी		आंगनवाड़ी सहायक	आंगनवाड़ी कर्मचारी		आंगनवाड़ी सहायक
		कार्य	पुनश्चर्या		कार्य	पुनश्चर्या	
बिहार	1992-99	13050	7950	19050	10121	5365	14039
केरल	न.भे.	2181	1041	3455	1513	586	2588
मध्य प्रदेश	1992-99	5406	4785	2130	3423	3355	1514
महाराष्ट्र	जुलाई 1998 तक	40815	शून्य	34595	32298	शून्य	8101
राजस्थान	1992-99	16100	5460	शून्य	8341	4487	शून्य
उत्तर प्रदेश	1994-99	18238	शून्य	33707	7879	शून्य	15126
योग		95790	19236	92937	3575	13793	41368
प्रतिशतता							





ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण रोजगार उत्पादन कार्यक्रम



## अध्याय-III : ग्रामीण विकास मंत्रालय

### ग्रामीण विकास विभाग

#### 4. ग्रामीण रोजगार उत्पादन कार्यक्रम

##### विशिष्टताएं

मंत्रालय तथा 25 राज्यों में जवाहर रोजगार योजना तथा रोजगार आश्वासन योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि लोक लेखा समिति<sup>1</sup> तथा आकलन समिति<sup>2</sup> द्वारा उपाय करने, कार्यान्वयन नियंत्रण पद्धति को सुदृढ़ करने तथा परिवीक्षा करने की सिफारिशों के बावजूद समीक्षाधीन क्षेत्रों में लक्ष्य निश्चित करने, संसाधनों की पर्याप्तता के चलते नगण्य रोजगार उत्पत्ति, वास्तव में उत्पादित रोजगार एवं सर्जित परिसम्पत्तियों में कमी के साक्ष्य तथा काल्पनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, विद्यमान रहा।

नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के 1990, 1995 तथा 1997 के प्रतिवेदनों में कमियों की ओर ध्यान दिलाए जाने पर भी, कार्यक्रमों के असन्तोषजनक निष्पादन के कारण, इन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के उद्देश्य पूरे नहीं हुए।

मंत्रालय, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार प्रदान के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को लक्षित करने तथा रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत रोजगार के इच्छुक लोगों के पंजीकरण के मामलों पर सन्तोष जनक ढंग से ध्यान देने में असमर्थ रहा है। योजना के अन्तर्गत न तो पंजीकरण किया गया है और न ही लाभभोगियों को परिवार-पत्र जारी किए गए हैं। इस प्रकार अपंजीकृत मजदूरों को ही रोजगार प्रदान कराया गया है तथा अधिकतर मामलों में उनके पास या तो परिवारपत्र नहीं थे अथवा जहां वे उपलब्ध थे उनमें रोजगार विवरण नहीं लिखे गए थे। अतः न तो यह निश्चित था कि योजनाओं के अन्तर्गत जिन अभिप्रेत लोगों को रोजगार प्रदान किया गया, वे वास्तव में समग्र रूप से लक्षित थे न ही यह कि जिन लोगों को रोजगार दिया गया वे मजदूरी रोजगार प्रदान करने के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते थे। वास्तव में, निर्धारण हेतु दिये गए मानदण्ड आसानी से कार्यान्वयन के लिए बहुत जटिल थे।

बजट में प्रदत्त स्रोत, लक्षित, गरीबी परिवारों<sup>3</sup> को रोजगार प्रदान करने के लिए बहुत कम था। यहां तक कि सक्षम विचार से भी, ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो. के अन्तर्गत प्रदत्त मजदूरी संघटक लक्षित लोगों तथा पंजीकृत मजदूरों को क्रमशः 15 तथा 16 दिनों का रोजगार

<sup>1</sup> रा.ग्रा.रो.यो.-पर लो.ले.स. का प्रतिवेदन-अप्रैल 1987

<sup>2</sup> आकलन समिति का प्रतिवेदन- अप्रैल 1993

<sup>3</sup> ज.रो.यो. : प्रत्येक परिवार में एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने के लिए अनुमानित बी.पी.एल. समुदाय को 5 (सदस्यों की अनुमानित सं.) से भाग करके (कृ. पैराग्राफ 6.3 देखें)।



प्रदान करने के लिए पर्याप्त थे। कार्यक्रमों के अन्तर्गत उत्पादित अतिरिक्त रोजगार के इस स्तर से ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने अथवा ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन करने में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ सकता है।

व्यय की राशि तथा उत्पादित रोजगार दोनों पर जि.ग्र.वि.ए. तथा राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई रिपोर्टें प्रामाणिक नहीं थी। अधिकतर मामलों में राज्य सरकारों द्वारा सूचित रोजगार उत्पादन केवल अंकगणितीय गणना पर आधारित थे। उन्होंने उत्पादित रोजगार उपस्थित नामावली की वास्तविक गणना के आधार पर करने के बजाए कुल व्यय के मजदूरी संघटक को न्यूनतम मजदूरी से भाग करने पर प्राप्त आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया। नमूना सूक्ष्म जांच से सूचित किए गए रोजगार आंकड़ों तथा वास्तव में प्रदान किए गए रोजगार आंकड़ों के बीच भारी अन्तरों का पता चला। इसी प्रकार कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्यय की रिपोर्टें भी भ्रान्तिपूर्ण थी क्योंकि कार्यान्वयन एजेंसियों को उधार दी गई, विभिन्न जमाओं/बैंकों में रखी गई, अन्य कार्यक्रमों में दिक्कपरिवर्तित, इत्यादि राशियां भी कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय के रूप में मानी तथा सूचित की गई थी। यहां तक कि सैद्धान्तिक रूप में परिकल्पित रोजगार उत्पादन की गणना में भी इन जमाओं को व्यय के रूप में गिना गया।

नमूना सूक्ष्म जांच के माध्यम से सुस्पष्ट प्रत्येक ग.रे.नी. श्रमिक/रोजगार जिज्ञासु को कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादित किया गया वास्तविक रोजगार, ज.रो.यो. के अन्तर्गत प्रतिवर्ष दो तथा 27 दिनों के बीच तथा रो.आ.यो. के अन्तर्गत एक से 84 दिन के बीच था। दिनों की औसत संख्या, जिनके लिए प्रत्येक ग.रे.नी. कार्यकर्ता/रोजगार जिज्ञासु ने रोजगार प्राप्त किया, ज.रो. यो. तथा रो.आ.यो. के अन्तर्गत क्रमशः 7 तथा 21 के बीच 9 तथा 18 के बीच थी। रोजगार के इन थोड़े से दिनों की संख्या से न तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में विशेष अन्तर की और न ही ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए सुसंगत उद्देश्य की आशा की जा सकती है।

वास्तविक रोजगार उत्पादन का प्रमाण उपस्थित नामावलियों के माध्यम से स्थापित किया जाता है जिनमें रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम तथा अन्य विवरण, कार्य जिनमें रोजगार प्रदान किया गया, शामिल होते हैं। इन विवरणों में रोजगार के इच्छुक लोगों के परिवार-पत्रों के रूप में गौण प्रमाण सहित उपस्थित नामावलियों से संबद्ध परिसम्पत्तियों की सूची भी शामिल होती है। इनमें से कोई भी व्यवस्थित ढंग से अनुरक्षित नहीं किए गए हैं। यदि रोजगार आंकड़ों पर सैद्धान्तिक प्रतिवेदन के संदर्भ में देखा जाए तो रोजगार उत्पादन के प्रमाण का अभाव इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत वास्तविक रोजगार उत्पादन पर सन्देह उत्पन्न करता है।

ग्रामीण रोजगार पर कार्यक्रमों की विविधता, समानान्तर तथा कमी, परस्पर व्यापी हैं। योजनाओं का नवीकरण तथा उनके पुनः नामकरण का बार-बार प्रयास किया गया है। तथापि, औचित्य के आधार पर समुचित कार्यान्वयन तथा समुचित अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किए गए हैं। 1992-93 से इन कार्यक्रमों पर व्यय की गई 33000 करोड़ रु. से भी अधिक राशि के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए।

कार्यान्वयन का अनुश्रवण तथा कार्यक्रमों का निष्पादन सन्तोषजनक नहीं था। यदि केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर प्रभावी अनुश्रवण की व्यवस्था होती तो बार-बार होने वाली अधिकतर विफलताओं से बचा जा सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी यथार्थता की जांच किए बिना धन खर्च करने तथा रोजगार उत्पादन पर आंकड़े एकत्र करने को महत्व दिया गया है। वर्ष प्रति वर्ष यह स्पष्ट होने के बाद भी कि समस्त राशि खर्च नहीं की गई, रोजगार उत्पादन पर अविश्वसनीय आंकड़े प्राप्त हो रहे थे, अस्थायी परिसम्पत्तियां धीरे-धीरे सर्जित की जा रही थी तथा गरीबों का अप्रभावी लक्ष्य निर्धारित किया गया एवं सभी ओर छीजन थी, ग्रामीण विकास मंत्रालय अथवा राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर प्रभावी रूप से आकृष्ट नहीं किया गया।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन में देखी, गई अन्य कमियां- निधियों का अन्य कार्यक्रमों को विपथन, कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित न किए कार्य प्रारम्भ करना, भारी मात्रा में निधियों का दुर्विनियोग, मजदूरी के भुगतान में विलम्ब तथा न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर मजदूरी का भुगतान, रोजगार उत्पादन के प्रमुख उद्देश्य को अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए मजदूरी संघटक पर कुल व्यय के निर्धारित न्यूनतम 60 प्रतिशत का दृढ़ता से पालन न करना, परियोजनाओं की सूचिका तथा वार्षिक कार्य योजना तैयार करने एवं उनका अनुसरण करने में असफलता, रोजगार उत्पादन को विरहित करने वाले ठेकेदारों को ज.रो.यो./रो.आ.यो. में नियुक्त करना जिसका प्रावधान ठेकेदारों के लाभ में से ही किया जा सकता था, से संबंधित थी। अस्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन, विशेषकर ग्रामीण कच्ची सड़कों, छोड़े गए कार्यों, कार्यक्रमों के अन्तर्गत सर्जित परिसम्पत्तियों का प्रयोग न करने तथा उनका अनुरक्षण न करने आदि से संबंधित थी।

भोगाधिकार बोध सुनिश्चित करने की दृष्टि से, जो कि सामान्यतः सरकारी विभागों द्वारा अनुरक्षित दस्तावेजों से उपलब्ध नहीं था, लेखापरीक्षा द्वारा सम्पूर्ण देश में एक लाभभोगी सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वेक्षण ओ.आर.जी. समाज अनुसंधान केन्द्र द्वारा किया गया। सर्वेक्षण ने उपर्युक्त लेखापरीक्षा उपलब्धियों की तत्त्वतः पुष्टि की है। इनके अतिरिक्त, लाभभोगी सर्वेक्षण से निम्नलिखित तथ्य सामने आए :

- गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोगों को भी एक महत्वपूर्ण अनुपात में ज.रो.यो. के अन्तर्गत रोजगार प्रदान कराया गया ;
- सामान्यतः लाभभोगियों को योजना के आम लक्षणों का ज्ञान नहीं था ;
- लाभभोगियों ने क्षेत्र से संबंधित विकास कार्यों पर निर्णय लेने के लिए ग्राम सभा बैठकों में भाग नहीं लिया ;
- अनुदेशों के विपरीत कार्य के निष्पादन में ठेकेदारों की अधिक उपस्थिति रही ;
- बहुत से मामलों में प्रभावशाली लोगों की निजी भूमि पर परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया था ;

ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन के उद्देश्यों को हतोत्साहित करने वाली निरन्तर चल रही कमियों का पता लगाने के लिए ग्रामीण रोजगार/विकास कार्यक्रमों की वर्तमान रूप रेखा, कार्यान्वयन पद्धतियों, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एवं प्रलेखन आरूपों तथा उत्तरदायित्व प्रक्रियाओं का शीघ्र पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है। सरकार को विभिन्न मंत्रालयों द्वारा

चलाए जा रहे समस्त ग्रामीण रोजगार/विकास कार्यक्रमों को अधिक संकेन्द्रित क्षेत्र-विशिष्ट परिदृश्य में समेकन की दृष्टि से भी उन्हें केन्द्रित करना चाहिए। इसके बिना कार्यक्रम अधिकतर अलग-अलग ढंग से चालू रहेंगे तथा इससे ग्रामीण रोजगार उत्पादन एवं गरीबी उन्मूलन के कार्यान्वयन तथा प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना कठिन होगा।

#### 4.1 प्रस्तावना

छठी योजना में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य को दी गई प्रमुखता के संदर्भ में, भारत सरकार ने 1980 तथा 1983 में क्रमशः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार आश्वासन कार्यक्रम नामक दो मजदूरी रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ किए। जबकि रा.ग्रा.रो.का.<sup>4</sup>, उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अल्प-रोजगार लोगों के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार उत्पादन पर लक्षित था, ग्रा.भू.रो. आ.का.<sup>5</sup> में प्रत्येक भूमिहीन श्रमिक घराने के कम से कम एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिन तक का रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था भी की। अप्रैल 1989 में रा.ग्रा.रो.का. तथा ग्रा.भू.रो. यो.का. को एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम में मिला दिया गया था जिसे जवाहर रोजगार योजना के नाम से पुकारा गया।

4.1.1 गरीबी उन्मूलन तथा लाभप्रद रोजगार उत्पादन, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी कम करने वाले कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण संघटक थे। योजना आयोग<sup>6</sup> के अनुसार, गरीबी का भार 1973-74 में 54.9 प्रतिशत से घटकर 1993-94 में लगभग 36 प्रतिशत हो गया। तथापि, गरीबों की निरपेक्ष संख्या में उल्लेखनीय कमी नहीं आई क्योंकि 1973-74 में 321 मिलीयन की तुलना में 1993-94 में 320 मिलीयन गरीब लोग थे। ग्रामीण गरीबों की संख्या क्रमशः 244 मिलीयन तथा 261 मिलीयन थी। अल्प-रोजगार तथा बेरोजगार लोगों की संख्या भी बढ़ रही थी। अतः रोजगार का स्तर बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता थी।

4.1.2 योजना आयोग ने सदैव यह माना कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के मुख्य निर्णायक तत्व थे (i) उत्पादक रोजगार की कमी तथा यथेष्ट बेरोजगारी, के कारण आय तथा क्रय शक्ति का अभाव, न कि रोजगार का अभाव ; (ii) खाद्य-पदार्थों के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि, विशेषकर खाद्यान्नों में जो कि उपभोग का 70-80 प्रतिशत बनने थे ; तथा (iii) सामाजिक अवसंरचना की अपर्याप्तता जिसमें लोगों के जीवन की गुणवत्ता तथा रोजगार पाने की योग्यता को प्रभावित किया।

4.1.3 तीसरी पंचवर्षीय योजना की 'अद्योगामी अवधारणा' छोड़ दी गई क्योंकि ऐसा अनुभव हुआ था कि अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि समुचित रूप से प्रवेश नहीं कर पाई तथा गरीब, गरीब ही बना रहा। इस प्रकार उनकी आय तथा पोषण में सुधार की दृष्टि से कार्य हेतु भोजन कार्यक्रम जैसा नया कार्यक्रम 1977-78 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार उत्पादन के लिए प्रमुख ग्रामीण कार्यक्रम के रूप में लिया गया।

4.1.4 जवाहर रोजगार योजना: ज.रो.यो. का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अल्प-रोजगार पुरुषों तथा महिलाओं, दोनों को अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार प्रदान करना था।

<sup>4</sup> राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम।

<sup>5</sup> ग्रामीण भूमिहीन रोजगार आश्वासन कार्यक्रम।

<sup>6</sup> नवीं पंच-वर्षीय योजना (1997-2000), भाग II, भारत सरकार, योजना आयोग, नई दिल्ली।



यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों पर लक्षित था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को वरीयता दी जानी थी। कम से कम 30 प्रतिशत रोजगार महिलाओं को दिया जाना था। ज.रो.यो. राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित केन्द्रीय प्रायोजित योजना थी। कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय केन्द्र तथा राज्यों में 80:20 के अनुपात में बांटा जाना था। जवाहर रोजगार योजना निधि राज्यों/सं.शा.क्षे. में रहने वाले भारत के ग्रामीण गरीब लोगों की प्रतिशतता के अनुपात में राज्यों/सं.शा.क्षे. के आबंटित की गई थी। ज.रो.यो. निधि जि.ग्रा.वि.ए./जि.प.<sup>7</sup>, मध्यवर्ती ब्लॉक पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के बीच 20:15:65 के अनुपात में बांटी गई थी।

स्थायी उत्पादक परिसम्पत्तियां सर्जित करने वाले कार्य भी ज.रो.यो. के अन्तर्गत लिए गए थे। ज.रो.यो. कार्यों के लिए मजदूरी तथा सामग्री अनुपात 60:40 था। मजदूरी का भुगतान अंशतः नकद तथा अंशतः खाद्यानों में किया गया था।

**4.1.5 रोजगार आश्वासन योजना (रो.आ.यो.)** 2 अक्टूबर 1993 से 261 जिलों के उन 1778 प्रखण्डों में प्रारम्भ की गई थी जिनमें नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली चालू थी। 1994-95 में इसे जि.ग्रा.वि.ए./सू.ग्र.क्षे.का/म.वि.का.<sup>8</sup> तथा सं.क्षे.वि.अ.<sup>9</sup> के अन्तर्गत जनजातीय समुदाय के अपेक्षाकृत बड़े संकेन्द्रण वाले 409 प्रखण्डों में प्रसारित किया गया था। मार्च 1995 में इसे अन्य 256 प्रखण्डों में बढ़ा दिया गया था जिनमें से 233 ब्लॉक बाढ़ ग्रस्त थे। इस योजना के अन्तर्गत 1997 से देश के समस्त 5448 ग्रामीण ब्लॉक आवृत्त हुए।

यह योजना उन ग्रामीण गरीबों को, जिन्हें रोजगार की आवश्यकता थी तथा जो इसे क्षीण कृषि-मौसम में पाना चाहते थे, 100 दिनों का आश्वास्त अकुशल शारीरिक रोजगार प्रदान करने के लिए लक्षित थी। इस योजना का गौण उद्देश्य दीर्घकालीन रोजगार उत्पादन के लिए आर्थिक अवसंरचना तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन था। 100 दिनों के रोजगार का आश्वासन रो.आ.यो. के अन्तर्गत आवृत्त खण्डों के गावों में रहने वाले 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम आयु के पुरुषों तथा महिलाओं तक बढ़ाया गया था। योजना के अन्तर्गत प्रति परिवार अधिकतम दो वयस्कों को 100 दिन का आवश्स्त रोजगार उपलब्ध करवाया जाना था।

आ.रो.यो. के अन्तर्गत किये जाने वाले सभी कार्य श्रम-प्रगाढ़ होने अपेक्षित थे अर्थात् वे कार्य जिनका उपकरण, सामग्री तथा अन्य कुशल कार्यों से अकुशल श्रम की मजदूरी का अनुपात 60:40 से कम न हो। सामग्री के बड़े संघटकों की आवश्यकता वाले कार्यों को योजना के अन्तर्गत तब तक संस्वीकृत नहीं किया जाना था जब तक कि सामग्री की अधिकता की लागत अन्य क्षेत्रवार योजनाओं से उपलब्ध न करवाई गई हो।

ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो. दोनों केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण मजदूरी रोजगार कार्यक्रम थे। जबकि संघ सरकार को दोनों कार्यक्रमों पर व्यय का 80 प्रतिशत वहन करना था सम्बद्ध सरकारों को शेष 20 प्रतिशत का अंशदान करना था। कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण अभिलक्षण निम्न प्रकार थे :-

<sup>7</sup> जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां/जिला परिषदें।

<sup>8</sup> सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरुस्थल विकास कार्यक्रम।

<sup>9</sup> संशोधित क्षेत्र विकास अवधारण।

अभिलक्षण	ज.रो.यो.	रो.आ.यो.
➤ आरम्भ होने का वर्ष	➤ अप्रैल 1989	➤ अक्टूबर 1993
➤ कार्यान्वयन का क्षेत्र	➤ पूरे देश में	➤ पहचान किए गये 261 जिलों में 1778 न.सा.वि.प्र. <sup>10</sup> प्रखण्ड बाद में सू.क्षे.वि.का., म.वि.का. तथा संशोधित क्षेत्र विकास अवधारणा के अन्तर्गत आवृत 665 प्रखण्डों तक बढ़ा दिए गए। योजना 1 अप्रैल 1997 से देश के सभी 5448 ग्रामीण प्रखण्डों में प्रसारित की गई।
➤ मूल उद्देश्य	➤ ग्रामीण जनता को रोजगार उपलब्ध करवाना	➤ 100 दिनों के लिए आश्वस्त रोजगार उपलब्ध करवाना
➤ पात्रता	➤ गरीबी रेखा के नीचे बेरोजगार/अल्प-रोजगार व्यक्ति	➤ ग्रामीण गरीब जिन्हें रोजगार की आवश्यकता थी तथा इसे चाहते थे।
➤ विशेष शर्तें	➤ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को प्राथमिकता देना।	➤ 18-60 वर्ष के आयु वर्ग में प्रत्येक परिवार के दो सदस्यों को 100 दिन का आश्वस्त रोजगार।
	➤ रोजगार का कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं को दिया जाना था।	
➤ कार्यान्वयन एजेन्सी	➤ संबद्ध विभागों तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से जि.ग्रा. वि.ए./जि.प.।	➤ संबद्ध विभागों तथा ग्रामीण पंचायतों के माध्यम से जि.ग्रा.वि. ए./जि.प.।
➤ गौण उद्देश्य	➤ टिकाऊ परिसम्पत्तियां अर्जित करना	➤ दीर्घकालीन कृषि उत्पादन तथा रोजगार उत्पादन के लिए उपयोगी अवसंरचना तथा उपयोगी परिसम्पत्तियां अर्जित करना।

<sup>10</sup> नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

➤ कार्यक्रमों के अन्तर्गत आरम्भ किये गए कार्यों का मजदूरी-सामग्री अनुपात	➤ 60:40 से कम नहीं	➤ 60:40 से कम नहीं
--	--------------------	--------------------

आठवीं योजना के दौरान कार्यक्रमों का अधिक उपयुक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने, विशेषकर पिछड़े जिलों में जहां पर बेरोजगार तथा अल्प रोजगार व्यक्तियों का संकेन्द्रण था प्रति व्यक्ति 90-100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज.रो.यो. के कार्यान्वयन की नीति में 1993 में संशोधन किया गया। ज.रो.यो. का कार्यान्वयन तीन भिन्न धाराओं के माध्यम से किया गया। ज.रो.यो. की मूल धारा समस्त देश में लागू की गई। गहन ज.रो.यो. के नाम की दूसरी धारा चयनित 120 पिछड़े जिलों में, इस अनुबन्ध के साथ लागू की गई कि इसका आबंटन 700 करोड़ रु. अथवा ज.रो.यो. के लिए आबंटित कुल निधि के 20 प्रतिशत से कम नहीं होगा। तीसरी धारा विशेष तथा नवीकृत परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए थी। जनवरी 1996 में ज.रो.यो. का दोबारा पुनर्गठन किया गया। ज.रो.यो. की दूसरी धारा बन्द कर दी गई तथा इसके अन्तर्गत आवृत पिछड़े जिलों के कार्यक्रमों का, रोजगार आश्वासन योजना में विलय कर दिया गया। इंदिरा आवास योजना तथा दस लाख कूप योजना जो कि पहले ज.रो.यो. की उप-योजनाएं थी, को पृथक योजना का रूप दिया गया।

जिन व्यक्तियों को रो.आ.यो. के अन्तर्गत रोजगार की आवश्यकता थी तथा चाहते थे उन्हें अपनी ग्राम पंचायतों में अपने आप को पंजीकृत करवाना था। प्रत्येक परिवार को, जिनके वयस्क सदस्य पंजीकृत थे, परिवार पत्र जारी किया जाना था। पंजीकृत परिवार के सदस्यों को रो.आ.यो. अथवा अन्य योजनागत अथवा योजनेत्तर योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करवाया गया रोजगार, परिवार पत्र में अभिलिखित किया जाना था।

दोनों योजनाओं के अन्तर्गत, मन्त्रालय ने निधियों का केन्द्रीय अंश सीधे जि.ग्रा.वि.ए./जि.प. को जारी किया। राज्य सरकारों को अपना अंश केन्द्रीय निर्गम के 15 दिनों के भीतर जि.ग्रा.वि.ए. को जारी करना था।

**4.1.6** मांग चालित समुदाय तथा ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण के मूल उद्देश्य तथा बेरोजगार ग्रामीण गरीबों के लिए अनुपूरक रोजगार के उत्पादन के दूसरे उद्देश्य के साथ 1 अप्रैल 1999 से ज.रो.यो. का पुनर्गठन किया गया तथा उसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का नाम दिया गया।

**4.1.7** 1977-78 से 1998-99 तक सभी केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण रोजगार उत्पादन कार्यक्रमों, जिनमें काम के लिए अनाज कार्यक्रम, रा.ग्रा.रो.का., ग्रा.भू.रो.आ.का., ज.रो.यो.<sup>11</sup> तथा रो.आ.यो.<sup>12</sup> शामिल हैं, पर संघ तथा राज्य सरकारों द्वारा किया गया कुल व्यय निम्न प्रकार था :-

<sup>11</sup> जवाहर रोजगार योजना

<sup>12</sup> रोजगार आश्वासन योजना


अवधि	आबंटन	व्यय (करोड़ रु. में)	
		जोड़	ज.रो.यो./रो.आ.यो.का भाग (1989-99)
V योजना (1977-80)	479.00	511.91	.....
VI योजना (1980-85)	1620.00	1867.25	.....
VIII योजना (1985-90) (ज.रो.यो. 1989-90 में आरम्भ की गई थी)	8117.91	7809.93	2458.08
वार्षिक योजना 1990-91	2627.80	2588.52	2588.52
1991-92	2620.90	2663.23	2663.23
VIII योजना (1992-97) (रो.आ.यो. अक्टूबर 1993 में आरम्भ की गई थी।)	25205.02	22786.74	22786.74
वार्षिक योजना 1997-98	4960.96	5344.35	5344.35
1998-99	5083.70	5249.08	5249.08
<b>जोड़</b>	<b>50715.29*</b>	<b>48821.01</b>	<b>41090.00**</b>

\* आरम्भ में रो.आ.यो. के अन्तर्गत आबंटन 100 दिनों के लिए रोजगार की आवश्यकता वाले प्रत्येक कृषि मजदूर का 60 प्रतिशत अनुमान लगाते हुये तथा मजदूरी दर 35 रु. प्रति श्रम दिवस मानते हुये किया गया था। इसके पश्चात् आबंटन राज्यों से मांग के आधार पर किया गया था।

\*\* 1977-99 के दौरान ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर कुल व्यय का 84 प्रतिशत बनता है।

#### 4.2. संगठनात्मक व्यवस्था

4.2.1 इन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियों का संगठनात्मक ढांचा नीचे दिया गया है:





### 4.3. लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

**4.3.1** दो योजनाओं के कार्यान्वयन के पुनरीक्षण भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के पूर्व के प्रतिवेदनों<sup>13</sup> में शामिल किये जा चुके थे। पिछले प्रतिवेदनों में शामिल/अन्तर्विष्ट कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं :

- राज्य सरकारों के आंकड़ों को उपस्थिति-नामावली की वास्तविक गणना के बजाए व्यय के मजदूरी संघटक के साथ न्यूनतम मजदूरी को विभाजित करके बनी गणितीय गणना के आधार पर आंकड़ों की सूचना देने की साधारण प्रवृत्ति के कारण कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार उत्पादन में त्रुटि।
- उपस्थिति नामावलियों, परिवार पत्रों तथा परिसम्पत्तियों की सूची के अभाव में सूचित रोजगार उत्पादन की अपर्याप्तता अथवा प्रमाणों की कमी से कार्यक्रम के वास्तविक परिदान पर सन्देह।
- अपर्याप्त संसाधन आबंटन जो पूरे तथा विश्वसनीय उपयोग स्तर पर भी ग्रामीण बेरोजगारी/गरीबी पर प्रहार करने के लिए रोजगार के दिनों की उल्लेखनीय संख्या उपलब्ध करवा सकता था।
- रो.आ.यो. के अन्तर्गत एक वर्ष में 100 दिनों के रोजगार के वायदे के प्रति 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान प्रति व्यक्ति वास्तविक औसत रोजगार 18 दिनों तथा 16 दिनों का था।
- वित्तीय निष्पादन की सूचना देने में व्यापक रूप से प्रचलित त्रुटियां, कार्यक्रम के लिए उपलब्ध करवाई गई निधियों का भारी मात्रा में विपथन तथा दुर्पयोग।
- मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम का अपर्याप्त नियन्त्रण, अनुश्रवण तथा पुनरीक्षण

1992-93 से 1998-99 के दौरान कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण पुनः मंत्रालय तथा 25 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों के 148 जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच से दिसम्बर 1998- जुलाई 1999 के दौरान किया गया। पुनरीक्षण का उद्देश्य यह जांच करना था कि क्या पिछले पुनरीक्षण में उजागर की गई कमियों पर ध्यान देने हेतु मंत्रालय ने कोई प्रभावी कार्यवाही की थी तथा कार्यक्रमों के विभिन्न संघटकों की प्रभावोत्पादकता का पता लगाया था। कार्यकर्ताओं को उपलब्ध करवाये गए रोजगार की सीमा एवं पर्याप्तता तथा ग्रामीण रोजगार पर कार्यक्रम के सम्पूर्ण प्रभाव का मूल्यांकन, लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। इसके अतिरिक्त श्रमिकों की पहचान करने में हुई प्रगति, पंजीकण पत्र जारी करना, परिसम्पत्तियों का सृजन, इन परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण तथा रख-रखाव का प्रबन्ध अनुश्रवण की प्रभावोत्पादकता की भी जांच की गई थी।

<sup>13</sup> रा.ग्रा.रो.का., ग्रा.भू.रो.ग्रा.का., ज.रो.यो., रो.आ.यो., पर क्रमशः 1983-84, 1990, 1995 तथा 1997 के वर्षों के लिए भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (केन्द्रीय-सिविल) के प्रतिवेदन।

## 4.3.1.1 पुनरीक्षण के अन्तर्गत आवृत जिले/खण्ड निम्न प्रकार थे :-

जिले की कुल संख्या		आवृत्ति प्रतिशतता	खण्डों की कुल संख्या		आवृत्ति प्रतिशतता	कुल व्यय (करोड़ रु में)		आवृत्ति प्रतिशतता
कार्यक्रम के अन्तर्गत आवृत	नमूना जांच किये		कार्यक्रम के अन्तर्गत आवृत	नमूना जांच किये		कार्यक्रम के अन्तर्गत आवृत	नमूना जांच किये	
547	148	27	2590	511	20	33380.17	9436.10	28.27

लेखापरीक्षा के लिए चुने गए नमूनों का राज्यवार विवरण अनुबन्ध 1 में है।

इस पुनरीक्षण की सभी टिप्पणियां केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर वृहत विश्लेषण तथा नमूना जिलों में विस्तृत जांच पर आधारित है।

4.3.2 इसके अतिरिक्त, ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो. कार्यक्रमों की पहुंच के निर्धारण लक्षित जनसंख्या को आवृत करने तथा लाभभोगियों की अनुभूति के अनुसार ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो. के अन्तर्गत सर्जित परिसम्पत्तियों के सत्यापन के मूल उद्देश्य से लेखापरीक्षा द्वारा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों का लाभभोगी सर्वेक्षण किया गया था। 15106 रो.आ.यो. 20454 ज.रो.यो. तथा 82788 सम्भावित लाभभोगियों के नमूनों को आवृत करते हुये ओ.आर.जी-एम.ए.आर.जी. द्वारा अगस्त-अक्तूबर 1999 के दौरान 141 जिलों, 296 खण्डों तथा 2106 गावों में सर्वेक्षण किया गया। मात्रात्मक (पूर्व जांच की गई लाभभोगी अनुसूची का उपयोग करते हुये आरम्भिक सर्वेक्षण) तथा गुणात्मक (कार्यक्रम अधिकारियों के साथ गहन साक्षात्कार) दोनों तकनीकों का उपयोग करते हुये सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण की मुख्य उपलब्धियां तथा अनुशास्य अनुबन्ध 2 में दी गई है। लाभभोगी सर्वेक्षण की विशिष्ट उपलब्धियां उन पहलुओं से सम्बंधित उपयुक्त पैराग्राफों के अन्तर्गत शामिल की गई।

## 4.4. लक्ष्य निर्धारण में विरूपण

4.4.1 काम इच्छुक लोगों के लिए पंजीकरण प्रणाली का अभाव: लोक लेखा समिति ने 1986-87 में रा.ग्रा.रो.का. पर अपने 94 वें प्रतिवेदन में श्रमिकों की पहचान एवं उत्पन्न रोजगार के श्रमदिवसों की संख्या तथा भुगतान की गई मजदूरी इत्यादि अभिलेखित करने के लिए उन्हें पहचान पत्र एवं पास बुक जारी करने के पश्चात पंजीकरण की प्रणाली का विकास करने की सिफारिश की थी। तत्पश्चात अप्रैल 1993 में अनुमान समिति द्वारा ज.रो.यो. पर अपने प्रतिवेदन में इसे दोहराया गया। मंत्रालय को अभी तक इन सिफारिशों पर कार्यवाही करनी थी। इसके विपरीत ग.रे.नी., अ.जा., अ.ज.जा. तथा महिला श्रमिकों को दिये जाने वाले रोजगार के लिए अलग-अलग मापदण्डों को लेकर श्रमिकों की पहचान का आधार बहुत जटिल बना दिया था। वार्षिक आबंटन का 22.5 प्रतिशत उन कार्यों पर खर्च किया जाना था जो प्रत्यक्ष रूप से अ.जा./अ.ज.जा. को लाभ पहुंचाते थे जबकि रोजगार अवसरों का 30 प्रतिशत महिला श्रमिकों को दिया जाना था जिसने लक्ष्य पर दृढ़ रहना जटिल बना दिया इसलिए ये प्राप्त करने योग्य नहीं थे।

रो.आ.यो. पर दिशानिर्देशों में रो.आ.यो. के अन्तर्गत आवृत खण्डों के भीतर ग्राम पंचायतों द्वारा रोजगार के इच्छुक श्रमिकों के पंजीकरण हेतु विशिष्ट प्रावधान भी अन्तर्विष्ट थे। पंचायतों को पंजियां अनुरक्षित करनी थी तथा इस प्रकार पंजीकृत किये गए व्यक्तियों की संख्या खण्ड विकास अधिकारियों को सूचित करनी थी जिन्होंने विवरणों का समेकन करना तथा कार्यान्वयन प्राधिकारी को सूचित करना था एवं उन्हें परिवार पत्र जारी करने थे।

**4.4.1.1** पश्चिम बंगाल, हरियाणा, कर्नाटक, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा मणिपुर में किसी भी योजना के अन्तर्गत श्रमिकों का पंजीकरण नहीं किया गया। पाण्डिचेरी में पंजीकरण अंशतः था। असम, राजस्थान तथा जम्मू व कश्मीर (जम्मू क्षेत्र) में पंजीकरण का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया था। गुजरात के चार जिलों के सात तालुकों में पंजीकृत व्यक्तियों का कोई अभिलेख नहीं रखा गया। अन्य तालुकों में जहां पंजियां तैयार की गई थी, लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका कि पंजीकरण की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया।

**4.4.1.2** नमूना जांचों ने उन मामलों को दर्शाया जहां रो.आ.यो. के अन्तर्गत अपंजीकृत श्रमिकों को भुगतान किया गया था जिसमें लोक निर्माण मण्डलों के नैमित्तिक श्रमिक शामिल थे।

प्रत्येक श्रमिक को उपलब्ध करवाये गए रोजगार की सीमा की निगरानी के लिए रोजगार चाहने वालों का पंजीकरण तथा उन्हें परिवार पत्र जारी करने की पूर्व शर्त का लो.ले. स./अनुमान समिति की बार-बार सिफारिशों के बावजूद पालन नहीं किया गया था।

**4.4.1.3** लाभभोगी सर्वेक्षण ने रो.आ.यो. के अन्तर्गत श्रमिकों के पंजीकरण की कम प्रतिशतता की भी पुष्टि की। कुल रो.आ.यो. श्रमिकों के एक चौथाई ही पंजीकृत सूचित किये गए। पाण्डिचेरी तथा लक्षद्वीप जैसे संघ राज्य क्षेत्रों तथा अरुणाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा जैसे राज्यों, जहां पर पंजीकरण सन्तोषजनक था, को छोड़कर देश के अन्य भागों में पंजीकरण बहुत कम पाया गया। रो.आ.यो. श्रमिकों के पंजीकरण की कम प्रतिशतता स्पष्ट रूप से संकेत करती थी कि कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के विपरीत अपंजीकृत कार्यकर्ताओं को भुगतान किये गये।

#### 4.4.2 परिवार पत्र

**4.4.2.1** ग्रामीण गरीबों को रोजगार की व्यवस्था के लिए परिवार पत्र अनिवार्य नियन्त्रण हैं। ये अधिकतर पंजीकृत कार्यकर्ताओं को जारी नहीं किये गये। नमूना जांच से पता चला कि हरियाणा, मेघालय, गुजरात के कच्छ जिले, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान की 10 ग्राम पंचायतों, मणिपुर के 14 खण्डों, पाण्डिचेरी, मध्यप्रदेश (भोपाल जिला), कर्नाटक की 124 ग्राम पंचायतों, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में पंजीकृत व्यक्तियों को परिवार पत्र जारी नहीं किये गए अथवा अंशतः जारी किये गए। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने 1995-96 के दौरान पंजीकृत 22.42 लाख व्यक्तियों के बारे में भारत सरकार को सूचित किया। नमूना जांच किए गए किसी भी ग्राम पंचायत में परिवार कार्ड लेखापरीक्षा को नहीं दिखाए गए थे।

सिक्किम में, परिवार कार्ड त्रुटिपूर्ण थे क्योंकि उनमें उपलब्ध कराए गए रोजगार के ब्यौरे अंतर्विष्ट नहीं थे।

इस प्रकार रोजगार के प्रावधान की सीमा की विशुद्धता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसकी पुष्टि लाभभोगी सर्वेक्षण द्वारा भी की गई थी जिससे यह पता चला कि प्रत्यार्थियों में से परिवार कार्ड 14 प्रतिशत लाभभोगियों को जारी किए गए थे तथा केवल 4 प्रतिशत लाभभोगियों के पास ही परिवार कार्ड थे।

#### 4.4.3 महिला को रोजगार

महिला श्रमिकों को उपलब्ध कराया गया रोजगार निर्धारित मानदण्डों से कम था।

4.4.3.1 ज.रो.यो. के दिशानिर्देशों में रोजगार सुविधाओं का 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने पर विचार किया गया था। नमूना जांच से प्रकट हुआ कि मेघालय में चार ब्लॉको, हरियाणा (तीन जिलों), उत्तर प्रदेश के पांच जिलों, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश तथा असम में महिला श्रमिकों को उपलब्ध कराया गया रोजगार नगण्य था। नागालैंड में महिला श्रमिकों को दिया गया रोजगार 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान केवल 17.58 प्रतिशत तथा 13.47 प्रतिशत था। यह मणिपुर में 12 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत तथा पश्चिम बंगाल की सात पंचायत समितियों में 0.07 तथा 26 प्रतिशत के बीच था।

4.4.3.2 लाभभोगी सर्वेक्षण से यह प्रकट हुआ कि कुल लाभभोगियों से महिला लाभभोगियों का अनुपात रो.आ.यो. तथा ज.रो.यो. दोनों में केवल 16 प्रतिशत था। सर्वेक्षण से, विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय भिन्नताएं पता चली। ज.रो.यो. के अंतर्गत, असम, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में महिला लाभभोगियों का अनुपात तीन प्रतिशत से भी कम था। जम्मू एवं कश्मीर में किसी महिला लाभभोगी के बारे में कोई प्रमाण नहीं पाया गया था। रो.आ.यो. के अंतर्गत कई राज्यों, जिनमें पंजाब, असम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश शामिल हैं, में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पांच प्रतिशत से कम था। नागालैंड, मिजोरम तथा पश्चिम बंगाल में महिला लाभभोगियों का अनुपात दस प्रतिशत से कम था।

#### 4.5. ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो. के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन (अनुबंध 3 क एवं 3 ख)

4.5.1 ज.रो.यो. के अंतर्गत 1992-99 के दौरान तथा रो.आ.यो. के अक्टूबर 1993 में आरंभ होने से मार्च 1999 तक निधियों का निर्गम तथा वास्तविक व्यय निम्न प्रकार था :

तालिका I

(करोड़ रु में)

वर्ष	ज.रो.यो.				रो.आ.यो.				जोड़: (ज.रो.यो. + रो.आ.यो.)	
	निर्गम			व्यय	निर्गम			व्यय	निर्गम	व्यय
	केन्द्र	राज्य	कुल निर्गम		केन्द्र	राज्य	कुल निर्गम			
1992-93	2524.88	657.45	3182.34	2709.59	-	-	-	-	3182.34	2709.59
1993-94	3229.66	653.43	3883.09	3878.71	439.10	109.66	548.76	183.75	4431.85	4062.46
1994-95	3497.53	873.14	4370.67	4268.33	1128.52	281.73	1410.25	1235.45	5780.92	5503.78
1995-96	3686.59	920.48	4607.07	4466.91	1705.69	425.95	2131.64	1720.61	6738.71	6187.52
1996-97	1639.10	409.28	2048.38	2163.98	1939.59	484.20	2423.79	2160.41	4472.17	4324.39
1997-98	1941.07	484.72	2425.79	2439.38	1968.72	491.76	2460.48	2904.97	4886.27	5344.35
1998-99	2050.96	495.57	2546.53	2428.31	1988.46	496.69	2485.15	2819.77	5031.68	5248.08
जोड़	18569.79	4494.08	23063.87	22355.21	9170.08	2289.99	11460.07	11024.96	34523.94	33380.17



केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा जि.ग्रा.वि.ए./जि.प. को दोनों योजनाओं के लिए 34523.94 करोड़ रु. के कुल निर्गम के प्रति राज्य सरकारों ने 33380.17 करोड़ रु. का व्यय, जिसमें ज.रो.यो. पर 22355.21 करोड़ रु तथा रो.आ.यो. पर 11024.96 करोड़ रु का व्यय सम्मिलित था, सूचित किया। उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि सूचित किया गया निधियों का उपयोग ज.रो.यो. के लिए निर्गम का 97 प्रतिशत तथा रो.आ.यो. के लिए निर्गम का 96 प्रतिशत था।

उपर्युक्त आंकड़े, आबंटन की राशि का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग दर्शाते हैं। समुचित परिदृश्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए।

- (क) उपयोग को बहुत अधिक बढ़ाया गया है जैसाकि यहां अनुवर्ती पैराग्राफ में प्रस्तुत किया गया है।
- (ख) उपयोग की गई दर्शाई गई राशियों में विभिन्न जमा में रखी गई राशियां भी शामिल हैं तथा इस प्रकार राशि का वास्तव में उपयोग नहीं हुआ है। अनेक मामलों में उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।
- (ग) रोजगार उत्पादन आंकड़े, जिनका लक्ष्य के लगभग बराबर होने का दावा किया गया है, जो नामावलियों के आधार पर वास्तविक रोजगार का पता लगाए बिना यांत्रिकीय रूप से तैयार किए गए हैं।
- (घ) आबंटित किए गए संसाधन ग्रामीण रोजगार मंत्रालय द्वारा मांगी गई कुल राशि से बहुत कम थे। संसाधनों के वास्तविक प्रावधान से पंजीकृत गरीब व्यक्तियों को एक वर्ष में केवल 16 दिनों तक का रोजगार दिया जा सकता है जबकि इन योजनाओं में ऐसे व्यक्तियों को 100 दिनों का रोजगार देने की व्यवस्था है।

इन तथ्यों का निम्नलिखित पैराग्राफों में विस्तृत रूप से विश्लेषण किया गया है।

#### 4.5.2 संसाधनों के आबंटन की पर्याप्तता :

लक्षित जन समुदाय की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, जो ज.रो.यो. के अंतर्गत अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार तथा रो.आ.यो. के अंतर्गत रोजगार के इच्छुक प्रत्येक परिवार के दो सदस्यों को 100 दिनों का आश्वस्त रोजगार प्रदान करने के लिए अभिप्रेत थी, दोनों कार्यक्रमों के लिए मंत्रालय द्वारा निधि का वास्तविक निर्गम केवल रो.आ.यो. के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को भी पर्याप्त रोजगार प्रदान करने के लिए संसाधनों की बहुत कम मात्रा का संकेत देती थी। इस प्रकार, कार्यक्रमों में, सब से अधिक ज़रूरतमंद क्षेत्रों को लक्ष्य बनाने में, क्षेत्र-विशिष्ट उपगमन अपनाने की बजाय सभी क्षेत्रों को आवृत करने के लिए 100 दिनों का आश्वस्त रोजगार प्रदान करने के लिए निधि की बाधाएं अन्तर्विष्ट थी। यदि कार्यक्रमों को बहुत आदर्श रूप, जिसमें समस्त निधि, रोजगार के उद्देश्य के लिए सही रूप से उपयोग की गई हो, में कार्यान्वित किया गया होता तो भी मंत्रालय द्वारा मज़दूरी संघटक के प्रति किए गए निर्गमों से ज.रो.यो. के अंतर्गत ग.रे.नी. के लोगों को 15 कार्यदिवसों से अधिक नहीं तथा रो.आ.यो. के अंतर्गत रोजगार चाहने वालों को 16 कार्य दिवसों से अधिक रोजगार नहीं दिया जा सकता था। रोजगार के अधिकतम कार्य दिवस जो मज़दूरी संघटकों के प्रति निर्गमों की कुल राशि से उत्पन्न किए जा सके, निम्नानुसार थे :

प्रारंभ से उपलब्ध कराई गई निधियां प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक के लिए 100 दिनों के आश्वस्त रोजगार उत्पादन के लिए बहुत कम थी तथा इस प्रकार कार्यक्रमों की सफलता के लिए कार्यान्वयन में बाधाएं सम्मिलित थी।

## ज.रो.यो.

वर्ष	रोजगार दिए जाने वाले लक्षित गरीबी के परिवार (संख्या लाखों में)	केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी कुल राशि (करोड़ रु में)	मजदूरी संघटक के रूप में कुल राशि का 60 प्रतिशत जारी किया गया (करोड़ रु में)	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत न्यूनतम मजदूरी (रु में)	कुल दिनों की संख्या जिनके लिए रोजगार उत्पन्न किया जा सका (लाख में)	औसत प्रतिव्यक्ति कार्यदिवस रोजगार जो उत्पन्न किया जा सकता था (दिनों में)
1992-93	463.76	3182.34	1909.40	25	7637.60	16.47
1993-94	488.06	3883.09	2329.85	25	9319.40	19.09
1994-95	488.06	4370.67	2622.40	25	10489.60	21.49
1995-96	488.06	4607.07	2764.24	25	11056.96	22.65
1996-97	488.06	2048.38	1229.03	25	4916.12	10.07
1997-98	488.06	2425.79	1455.49	35	4158.48	8.52
1998-99	488.06	2546.53	1527.92	35	4365.49	8.95
जोड़	3392.12	23063.87	13838.31		51943.65	15.31

## रो.आ.यो.

वर्ष	रोजगार <sup>14</sup> दिए जाने वाले कुल पंजीकृत श्रमिक (संख्या लाखों में)	केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी कुल राशि (करोड़ रु में)	मजदूरी संघटक के रूप में कुल राशि का 60 प्रतिशत जारी किया गया (करोड़ रु में)	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत न्यूनतम मजदूरी (रु में)	कुल दिनों की संख्या जिनके लिए रोजगार उत्पन्न किया जा सका (लाख में)	औसत प्रतिव्यक्ति कार्यदिवस रोजगार जो उत्पन्न किया जा सकता था (दिनों में)
1992-93	-					
1993-94	-					
1994-95	150	1410.25	846.15	25	3384.60	22.56
1995-96	201	2131.64	1278.98	25	5115.92	25.45
1996-97	263	2423.79	1454.27	25	5817.08	22.11
1997-98	419	2460.48	1476.29	35	4217.97	10.06
1998-99	430	2485.15	1491.09	35	4260.26	9.90
जोड़	1463	10911.31	6546.78		22795.83	15.58

**4.5.3** कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा से यह पता चला कि मंत्रालय तथा राज्य सरकारों द्वारा चाहे जो भी उपलब्ध कराया गया वह जि.ग्रा.वि.ए./जिला परिषदों द्वारा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अनेक विषयों तथा मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा प्रभावकारी आंतरिक निरीक्षण के अभाव में वास्तविक लाभभोगियों तक नहीं पहुंचा। सीमित संसाधनों में कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता अधिकतर किए गए व्यय की कोटि पर निर्भर थी। उनमें कई अनियमितताएं थी जिन्होंने लक्षित जन समुदाय को रोजगार देने के इन कार्यक्रमों के कुशल कार्यान्वयन को प्रभावित किया।


<sup>14</sup> रो.आ.यो. के अन्तर्गत पंजीकृत कुल श्रमिकों की संख्या



4.5.4 1992-99 के दौरान ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो. के अंतर्गत खर्च किए गए 33380.17 करोड़ रु. के कुल व्यय में से विस्तृत जांच के लिए लेखापरीक्षा द्वारा चयनित नमूनों में लगभग 9436.10 करोड़ रु. सम्मिलित थे। संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला :

1992-99 की अवधि के लिए ग्रा.रो.उ. का. के संबंध में फाइनेंस इन्वर्स ट्री :

(करोड़ रु में)



#### 4.5.5 व्यय को बढ़ाकर सूचित करना (अनुबन्ध-4)

राज्यों के अभिलेखों से पता चला कि 12 राज्यों में ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो. पर व्यय को वास्तविक व्यय से 160.47 करोड़ रु. तक अधिक सूचित किया गया था।

#### 4.5.6 कार्यान्वयन/निष्पादन एजेंसियों को केन्द्रीय/राज्य का हिस्सा जारी करने में विफलता (अनुबन्ध 5)

ज.रो.यो. के अंतर्गत संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से मार्च 1999 तक राज्य का हिस्सा और 236.14 करोड़ रु. की कुल जारी राशि केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा राजस्थान (14.36 करोड़ रु.), मणिपुर (12.36 करोड़ रु.), पश्चिम बंगाल (6.18 करोड़ रु.), हिमाचल प्रदेश (0.61 करोड़ रु.), पंजाब (2.10 करोड़ रु.), जम्मू व कश्मीर (1.93 करोड़ रु.), मध्य प्रदेश (82.76 करोड़ रु.), बिहार (88.00 करोड़ रु.) तथा असम (27.84 करोड़ रु.) में कार्यान्वयन/निष्पादन एजेंसियों को कम जारी किए गए थे। इस सीमा तक यह राशि रोजगार का उत्पादन कर सकी, ग्रामीण निर्धन रोजगार सुविधाओं से वंचित था।

#### 4.5.7 निष्पादन एजेंसियों को निधि जारी करने में विलम्ब (अनुबन्ध 6)

राज्य सरकारों/जि.ग्रा.वि.ए./जिला परिषदों ने मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, दादरा एवं नागर हवेली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा राजस्थान, तमिलनाडु, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, कर्नाटक गोवा, केरल तथा पश्चिम बंगाल में कार्यान्वयन एजेंसियों को 36 माह तक के विलम्ब से 2777.46 करोड़ रु. जारी किए। निधि के विलम्बित निर्गम तथा वर्ष के बिल्कुल अंत में निधि के निर्गम से योजना तथा निष्पादन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

निधि जारी करने में विलंब के कारण प्रत्यक्ष प्रगति प्रभावित हुई थी।

#### 4.5.8 निधि का विपथन (अनुबन्ध 7 क एवं 7 ख)

नमूना जांच से 1992-99 के दौरान कार्यक्रमों से असम्बद्ध क्रियाकलापों को तथा व्यक्तिगत लेजर खाते, व्यक्तिगत जमा, सावधि तथा आवधिक जमा आदि में निधि रखने से 2178.07 करोड़ रु. का विपथन प्रकट हुआ। लेखापरीक्षा में देखे गए निधियों के महत्वपूर्ण विपथन निम्न प्रकार थे :

राज्य सरकारों द्वारा सूचित वित्तीय उपलब्धि में 2178.07 करोड़ रु की गलती थी।

##### 4.5.8.1 निधि जमा करना (अनुबन्ध 7 ख)

व्यक्तिगत लेजर खाते, व्यक्तिगत जमा खाते, सावधि जमा या आवधिक जमा, सिविल जमा तथा राजस्व जमा, आदि में 1747.52 करोड़ रु. निम्न प्रकार रखे गए थे जिन्होंने रोजगार के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था।

तीन राज्य सरकारों ने व्यक्तिगत जमा लेखे में 905.11 करोड़ रु. रखे।

क्र. सं.	निम्नलिखित में निधि का रखा जाना	राज्य	राशि (करोड़ रु. में)
1.	व्यक्तिगत लेजर खाता	गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश	238.51
2.	व्यक्तिगत जमा खाता	आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान तथा कर्नाटक	905.11
3.	सावधि जमा/आवधिक जमा/मांग-जमा/बैंक खाता	आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पांडिचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, असम, हिमाचल प्रदेश तथा नागालैंड	138.64
4.	सिविल जमा	बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा मणिपुर	345.94
5.	राजस्व जमा	असम	41.87
6.	अन्य राज्य प्राप्तियां	बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक तथा पंजाब	77.45
		जोड़	1747.52

#### 4.5.8.2 कार्यक्रमों से असम्बद्ध कार्यकलापों को विपथन (अनुबंध 7 क)

राज्य सरकारों ने निर्माण कार्यकलापों पर 251.81 करोड़ रु. खर्च किए जो योजना के दिशानिर्देशों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं थे।

आन्ध्र प्रदेश, मिजोरम, जम्मू व कश्मीर, असम, मेघालय, पंजाब, मध्यप्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तथा त्रिपुरा में योजना के अंतर्गत आरंभ किए गए कार्यों जैसे कार्यालय भवन, बालीबॉल मैदान, उच्च विद्यालय, मन्दिर, अस्पतालों, विद्युतीकरण, महाविद्यालय, भवन, लघु क्रीडा स्थल आदि के निर्माण, जो कार्य की मदों पर जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं थे, पर 251.81 करोड़ रु. खर्च किए गए थे।

जम्मू व कश्मीर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, पांडिचेरी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, बिहार, नागालैंड, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल में रंगीन टी.वी. सैट, गीजर, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर, डिनर सैट, फोटोकॉपियरो, एयर कंडीशन कार तथा जीप की खरीद तथा जि.ग्रा.वि.ए. के नियमित स्टाफ के वेतन तथा भत्तों, यात्रा भत्तों आदि पर 15.19 करोड़ रु. खर्च किए गए थे।

कर्नाटक, गोवा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पांडिचेरी, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, नागालैंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम तथा बिहार में 123.57 करोड़ रु. अन्य योजनाओं जैसे सं.स.स्था.क्षे.वि.यो.<sup>15</sup>, ए.ग्रा.वि.का.<sup>16</sup>, ग्रा.क्षे.म.ब.वि.<sup>17</sup>, सू.ग्र.क्षे.का.<sup>18</sup>, स्व.रो.ग्र.यु.प्र.<sup>19</sup> तथा राज्य योजनाओं, शहरी क्षेत्रों आदि को दे दिए गए थे।

<sup>15</sup> संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

<sup>16</sup> एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

<sup>17</sup> ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास

<sup>18</sup> सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

<sup>19</sup> स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण

#### 4.5.9 अप्रयुक्त पड़ी राशि/असमायोजित अग्रिमों को अन्तिम व्यय मान लिया गया (अनुबन्ध-8)

अप्रयुक्त/असमायोजित 754 करोड़ रु. अन्तिम व्यय के रूप में मान लिए गए थे हालांकि वे वास्तव में खर्च नहीं हुए थे।

22 राज्यों में, निष्पादन एजेंसियों तथा जि.ग्रा.वि.ए. आदि को दी गई 754 करोड़ रु. की अप्रयुक्त राशि/असमायोजित अग्रिम अन्तिम व्यय के रूप में मान लिए गए थे हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि वह वास्तव में पूरी खर्च हो गई थी क्योंकि उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए थे। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि असमायोजित पड़ी हुई वह राशि असम : 4.87 करोड़ रु.; तमिलनाडु : 29.85 करोड़ रु.; मध्यप्रदेश : 4.77 करोड़ रु.; उड़ीसा : 40.24 करोड़ रु.; उत्तर प्रदेश : 311.08 करोड़ रु.; त्रिपुरा : 47.40 करोड़ रु.; तथा आन्ध्रप्रदेश : 70.54 करोड़ रु. से संबंधित थी।

#### 4.5.10 प्रावधान से अधिक प्रशासनिक व्यय

राज्य सरकारों ने प्रशासनिक व्यय पर निर्धारित सीमा से 14.50 करोड़ रु. अधिक खर्च किए।

कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिशानिर्देशों में प्रशासन तथा आकस्मिकताओं पर एक वर्ष में प्रयुक्त निधि के अधिकतम दो प्रतिशत व्यय का प्रावधान था। तथापि 1992-93 तथा 1998-99 के बीच असम ( पी एण्ड आर डी: 5.88 करोड़ रु. ), गुजरात (3 जि.ग्रा.वि.ए. :0.36 करोड़ रु.), हिमाचल प्रदेश (0.83 करोड़ रु. ), अरुणाचल प्रदेश (2.62 करोड़ रु.), राजस्थान (जि.ग्रा. वि.ए. सीकर : 0.18 करोड़ रु.), सिक्किम (0.28 करोड़ रु.), गोवा (0.74 करोड़ रु.), कर्नाटक (तीन जिलों में 0.30 करोड़ रु.), उड़ीसा (जि.ग्रा.वि.ए. झारसूगुड़ा : 0.14 करोड़ रु.), पश्चिम बंगाल (जि.प., बीरभूम तथा जलपाइगुड़ी : 2.10 करोड़ रु.) मेघालय (0.02 करोड़ रु.), मिजोरम (0.09 करोड़ रु.), पांडिचेरी (0.91 करोड़ रु. ) तथा आन्ध्र प्रदेश (0.05 करोड़ रु.) में 14.50 करोड़ रु. निर्धारित सीमा से अधिक खर्च किए गए थे।

#### 4.5.11 निधि का सन्देहास्पद दुर्विनियोग/काल्पनिक भुगतान

त्रुटिपूर्ण नियंत्रण के कारण 10 राज्यों में निधियों का 9.52 करोड़ रु. का सन्देहास्पद दुर्विनियोग/काल्पनिक भुगतान हुआ।

गुजरात, पंजाब, मणिपुर, कर्नाटक (1.14 करोड़ रु.), तमिलनाडु, बिहार, असम, आन्ध्र प्रदेश (2.28 करोड़ रु.), नागालैंड (3.50 करोड़ रु.), तथा उत्तर प्रदेश में निधि का सन्देहास्पद दुर्विनियोग तथा काल्पनिक भुगतान 9.52 करोड़ रु. था जैसा कि अनुबन्ध 9 में दर्शाया गया है :

#### 4.5.12 भारी व्यय

नौ राज्यों में 1182.27 करोड़ रु. अन्तिम तिमाही में खर्च किए गए थे जिसमें से 910.31 करोड़ रु. मार्च मास में खर्च किए गए थे। अन्तिम तिमाही/मार्च में अनुबन्ध 10 में शामिल एजेंसियों द्वारा किए गए 3079.58 करोड़ रु. के कुल व्यय का 38.39 प्रतिशत तथा 29.55 प्रतिशत था। कर्नाटक में, समस्त राज्य में 1995-98 के दौरान खर्च किए गए 984.53 करोड़ रु. में से 261.02 करोड़ रु. अर्थात् 27 प्रतिशत मार्च में खर्च किए गए थे। वर्ष के बिल्कुल अन्त में व्यय की अधिकता पांच कार्यक्रमों के समनुरूप नहीं है। रोजगार उत्पादन के लिए मांग

सम्पूर्ण वर्ष में सामान्यतः एक जैसी रहती है अथवा यदि वह बनी रहे तो क्षीण सत्र में अधिक गाढी हो जाती है।

#### 4.5.13 संस्वीकृति के बिना निष्पादन (अनुबन्ध-11)

95.41 करोड़ रु. सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति के बिना उन कार्यों के निष्पादन में खर्च किए गए थे जो कि वार्षिक कार्ययोजना में शामिल नहीं थे।

अभिलेखों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि कार्यान्वयन एजेंसियों ने 1992-99 के दौरान सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन/तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना तथा/अथवा उन कार्यों पर जो संबंधित जि.ग्रा.वि.ए. की वार्षिक कार्य योजना में शामिल नहीं थे, 95.41 करोड़ रु. मूल्य के कार्य निष्पादित किए। अधिक महत्वपूर्ण मामलों में से कुछ गुजरात (3.32 करोड़ रु.), अरुणाचल प्रदेश (22.91 करोड़ रु.), हरियाणा (2.15 करोड़ रु.), जम्मू व कश्मीर (1.16 करोड़ रु.), उड़ीसा (1.08 करोड़ रु.), महाराष्ट्र (3.15 करोड़ रु.), राजस्थान (एक करोड़ रु.), मिजोरम (1.41 करोड़ रु.), कर्नाटक (8.80 करोड़ रु.), बिहार (0.85 करोड़ रु.), पांडिचेरी (0.34 करोड़ रु.) तथा पश्चिम बंगाल (48.50 करोड़ रु.) से संबंधित थे।

#### 4.6. रोजगार उत्पादन

**4.6.1** ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में स्थायी आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने पर विचार किया गया था। रो.आ.यो. एक मांग-आधारित योजना थी जहां प्रति श्रमिक 100 दिन का रोजगार आश्वासित था जबकि ज.रो.यो. के अन्तर्गत ग.रे.नी. श्रमिकों के लिए पर्याप्त रोजगार प्रदान किया जाना था।

रोजगार उत्पादन पर सूचित किए गए आंकड़े प्रामाणिक नहीं थे क्योंकि अधिकतर राज्यों ने यांत्रिक रूप से निकाले गए आंकड़े सूचित किए हैं।

**4.6.2** जैसा कि पैराग्राफ 5.2 में उल्लेख किया गया है, मंत्रालय ने शुरू से ही ग्रामीण रोजगार तथा ग्रामीण गरीबी पर कोई गम्भीर आघात करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराए। एक औसत के आधार पर ज.रो.यो. के अन्तर्गत 15 दिन तथा रो.आ.यो. के अन्तर्गत 16 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने वाले बजट प्रावधान से ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या को दूर करने की आशा नहीं की जा सकती थी।

प्रत्येक ग.रे.नी. श्रमिक/रोजगार के इच्छुक को प्रदान किए गए रोजगार के दिनों की औसत संख्या नगण्य थी तथा ज.रो.यो. के अन्तर्गत 7 तथा 21 के बीच तथा रो.आ.यो. के अन्तर्गत 9 तथा 18 के बीच थी।

**4.6.3** इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के अनुसार, 244 मिलियन ग.रे.नी. लोगों के प्रति, मार्च 1999 तक रो.आ.यो. के अन्तर्गत केवल 43 मिलियन लोगों का ही पंजीकरण किया गया था। इस प्रकार सकल स्तर पर मंत्रालय के अनुमान ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो. के अन्तर्गत सर्जित सीमित रोजगार की ओर संकेत करते थे। मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार 1992-99 के दौरान, सर्जित रोजगार के औसत प्रति व्यक्ति कार्य दिवस ज.रो.यो. के अन्तर्गत 7-21 श्रम-दिवस तथा रो.आ.यो. के अन्तर्गत 9 -18 श्रम दिवस के बीच थे।

1992-99 के दौरान ज.रो.यो. के अन्तर्गत लक्ष्य के प्रति सर्जित रोजगार के औसत श्रम दिवस तथा रो.आ.यो. के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्ति निम्न प्रकार से थे :



वर्ष	ज.रो.यो.			रो.आ.यो.					
	योजना आयोग के विशेषज्ञ ग्रुप के निर्धारण के अनुसार गरे. नी. लोगों की सं. (लाख में)	गरे.नी. परिवार <sup>20</sup> (लाख में)	लक्ष्य (लाख श्रम दिवसों में)	वास्तविक सर्जित श्रम दिवस (लाख में)	प्रदान किए गए रोजगार के औसत श्रम दिवस (दिनों में)	पंजीकृत व्यक्ति (लाख में)	100 दिन प्रति व्यक्ति पर लक्ष्य	सर्जित वास्तविक कार्य दिवस (लाख में)	एक पंजीकृत श्रमिक को प्रदान किए गए रोजगार के औसत श्रम दिवस (दिनों में)
1992-93	2318.79	463.76	7537.95	7821	16.86	-	--	--	--
1993-94	2440.31	488.06	10383.26	10258	21.01	शून्य	--	494.74	---
1994-95	2440.31	488.06	9865.45	9517	19.50	150	15000	2740	18.27
1995-96	2440.31	488.06	8480.05	8958	18.35	201	20100	3463	17.23
1996-97	2440.31	488.06	4141.37	4006	8.21	263	26300	4030	15.32
1997-98	2440.31	488.06	3864.90	3949	8.09	419	41900	4685	11.18
1998-99	2440.31	488.06	3966.57	3305	6.77	430	43000	3927	9.13
जोड़									

स्रोत : 1. ज.रो.यो., रो.आ.यो. तथा द.ला.कु.यो., तथा इ.आ.यो. पर आंकड़ों का संकलन 1995-96 ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय।

2. 1996-97 से मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

\* गरे.नी. व्यक्ति 1987-88 में 232 मिलियन व्यक्ति से बढ़ कर 1993-94 में 244 मिलियन तथा 1996 में 350 मिलियन व्यक्ति हो गए।

#### 4.6.4 सर्जित रोजगार के प्रति व्यक्ति श्रम दिवसों की निराशाजनक दर।

व्यक्तिक कार्यान्वयन एजेंसियों में की गई नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि रो.आ.यो. के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति रोजगार के 100 श्रम-दिवसों के आश्वस्त उत्पादन के प्रति 1993-94 तथा 1998-99 के बीच औसत उत्पादन, कुल श्रम-दिवसों के आधार पर, जो कि पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या को भाग कर के उत्पादित किए गए बताए गए थे, गुजरात के दो जिलों में शून्य तथा 73, कर्नाटक में 7 तथा 38, दादरा तथा नागर हवेली में 12 तथा 33, अरुणाचल प्रदेश में 8 तथा 40, महाराष्ट्र में 7 तथा 84, मध्य प्रदेश में 5 तथा 30, उड़ीसा में 6 तथा 80, असम में 50 तथा 65, उत्तर प्रदेश में 8 तथा 71, बिहार में 1 तथा 2 केरल में 9 तथा 24, हिमाचल प्रदेश में शून्य तथा 35 तथा पंजाब में 10 तथा 17 के बीच था।

4.6.4.1 ज.रो.यो. के अन्तर्गत भी, जो कि गरे.नी. व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार के सृजन पर लक्षित थी, प्रति व्यक्ति प्रदान किए गए रोजगार के श्रम दिवस नगण्य थे। राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि रोजगार के श्रम-दिवसों का सृजन त्रिपुरा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, मणिपुर तथा बिहार में 2 तथा 27 के बीच था।

<sup>20</sup> गरे.नी. परिवारों की गणना गरे.नी. समुदाय से प्रत्येक परिवार से 5 व्यक्ति लेकर की गई।

#### 4.6.5 सर्जित रोजगार का यांत्रिक निर्धारण (अनुबन्ध 12 क तथा 12 ख)

जि.ग्रा.वि.ए./जि.  
प. तथा राज्य  
सरकारों द्वारा  
न्यूनतम श्रम दर  
से श्रम संघटक  
की यांत्रिक रूप से  
गणना के कारण  
रोजगार उत्पादन  
कम सूचित  
करना।

प्रतिवेदित रोजगार उत्पादन की पद्धति सन्तोषजनक नहीं थी। उत्पादित रोजगार के श्रम दिवसों की संख्या असम, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू व कश्मीर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर द्वारा मजदूरी संघटकों पर कुल व्यय भाग कर के राष्ट्रीय आधार पर संगणित करके 54.09 लाख तक बढ़ाई गई थी। इसके अतिरिक्त, कर्नाटक, हरियाणा, केरल, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, नागालैंड तथा पश्चिम बंगाल में सर्जित रोजगार के 24.04 करोड़ श्रम दिवस, उनके प्रति नामावलियों अथवा निष्पादन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार रोजगार के आंकड़े गलत सूचित करने के कारण बढ़ाकर दर्शाए गए थे। बिहार सरकार ने रोजगार उत्पादन के अधिकतम से अधिक 22.27 करोड़ दिवस सूचित किए जो कि व्यय के मजदूरी संघटक के पूर्ण उपयोग से उत्पादित किए जा सकते थे। त्रिपुरा में कोई संकलित तथा समेकित आंकड़े अथवा वास्तव में उत्पादित श्रम दिवसों की संख्या किसी भी स्तर पर उपलब्ध नहीं थी, अतः उत्पादित किए गए 3.47 करोड़ श्रम दिवसों के सूचित किए गए आंकड़े तथा लाभभोगियों की संख्या प्रामाणिक नहीं थी।

4.6.6 लाभभोगियों का सर्वेक्षण प्रदान किए गए प्रति व्यक्ति रोजगार दिवसों की समग्र अपर्याप्त प्रतिशतता को भी रेखांकित करता है। सर्वेक्षण के अनुसार, ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो. के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति उत्पादित रोजगार कमशः केवल 21 तथा 27 श्रम दिवस था।

#### 4.7. नामावलियों का गलत अनुरक्षण (अनुबन्ध-13)

ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो. मूलतः मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के तथा नामावलियों को ठीक प्रकार से बनाना जरूरी था क्योंकि उनमें निर्माण कार्यों में कार्यरत श्रमिकों के विवरण नोट किए जाने अपेक्षित थे। दिशानिर्देशों में नामावलियों के प्रमाण पत्रों के आधार पर रोजगार उत्पादन के आंकड़ों का संकलन भी किया जाना था।

लोक लेखा समिति ने भी पंजीकृत श्रमिकों को रोजगार उत्पादन की देखभाल करने हेतु अपने प्रतिवेदन में इस पहलू पर जोर दिया था।

18 राज्यों में  
नामावलियां,  
प्रामाणिक अभिलेख,  
या तो अनुरक्षित ही  
नहीं की गई थी या  
फिर गलत ढंग से  
अनुरक्षित की गई थी।

बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र, असम तथा नागालैंड में नामावलियां या तो अनुरक्षित नहीं की गई थी या अपूर्ण ढंग से अनुरक्षित की गई थी या छलयोजित की गई थी। इनमें से कुछ में, अदायगियां कार्य के बिना माप किये की गई थी।

गोवा में, 10.58 करोड़ रु. कार्य के माप के बिना ही अंदा कर दिए गए थे जबकि पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में कमशः 2.06 करोड़ रु. तथा 3.11 करोड़ रु. अप्रमाणित अंगूठे के निशान/व्यक्तियों के सत्यापन के प्रमाण के बिना ही अंदाकर दिए गए थे।

जम्मू व कश्मीर में, नामावलियां अकाल्पनिक तिथियों को किए गए भुगतान दर्शाती थी।

जम्मू व कश्मीर में, नामावलियों में आठ मामलों में भलवाल, दनसाल, तथा चेन्नई खण्ड में एक-एक श्रीनगर खण्ड में दो तथा पमपोर खण्ड में तीन भुगतान 31 सितम्बर 1995, 29 फरवरी 1997, 31 अप्रैल 1997, 31 जून 1997, 29 फरवरी 1999 को किए गए दर्शाए गए थे।

तमिलनाडु में, राज्य सरकार ने सितम्बर 1990 में ज.रो.यो. के लिए नामावलियों का अनुरक्षण बन्द कर दिया तथा उसके बजाए केवल उपस्थिति रजिस्टर बनाने का प्रावधान कर दिया। कुछ नामावलियां, कार्यों की विशेष मदों को प्रभारित की गई थी, इस प्रकार उनकी समाप्ति से रोजगार तथा विशिष्ट कार्य, जिस पर लोग कार्यरत थे, के बीच संबद्ध नहीं रहा।

लाभकारी सर्वेक्षण से भी यह पता चला कि बहुत सी पंचायतों में नामावलियां उपलब्ध नहीं थी। उन कुछ मामलों में भी जिनमें पंचायतों ने नामावलियां उपलब्ध कराई थी, बहुत से नाम नकली पाए गए थे। यह प्रवृत्ति सभी राज्यों में एक जैसी ही पाई गई थी। कर्नाटक तथा जम्मू व कश्मीर में नमूना गांवों की नामावलियों में सभी नाम नकली थे। इस तथ्य के बावजूद कि सभी लाभभोगियों को भुगतान प्राप्त करते समय नामावलियों पर हस्ताक्षर करने अथवा अंगूठे के निशान लगाने थे, केवल आधे प्रत्यार्थियों ने ही भुगतान प्राप्त करते समय नामावलियों पर अपने हस्ताक्षर किए थे अथवा अंगूठे के निशान लगाए थे। सर्वेक्षण रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि लगभग आधे भुगतान, लाभभोगियों की प्राप्ति की पावती के बिना ही किए गए थे जिससे अभिलेखों में छलयोजना की संभावना थी। जिन राज्यों में अधिकतर लाभभोगियों ने नामावलियों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे वे थे आन्ध्र प्रदेश (98%), तमिलनाडु (85%), केरल (79%), जम्मू व कश्मीर (66%), बिहार (60%), मिजोरम (88%), मेघालय (83%), मणिपुर (83%), असम (62%) तथा उड़ीसा (69%)। सर्वेक्षण के अनुसार, रो.आ.यो. में भी लगभग आधे लाभभोगियों ने भुगतान प्राप्त करते समय नामावलियों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे तथा बिहार में लगभग दो तिहाई लाभभोगियों ने नामावलियों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।

#### 4.8. मजदूरी संबंधी मामले

दिशानिर्देशों में यह प्रावधान था कि विभिन्न कार्यों पर किए गए समस्त व्यय में से, 60 प्रतिशत अकुशल श्रमिकों की मजदूरी पर खर्च किया जाना था। सामग्री संघटक हेतु निधि की अनुपूरक आवश्यकता के मामले में, यह राज्य सरकार के योजनागत/योजनेत्तर/सेक्टर संबंधी कार्यक्रम निधि से डबजोड़ संसाधनों द्वारा प्रदान कराया जाना था।

#### 4.8.1 मजदूरी तथा गैर-मजदूरी संघटकों पर व्यय के बीच अनुपात का पालन न करना (अनुबन्ध 14)

राज्य सरकारों ने मजदूरी तथा सामग्री संघटकों पर व्यय के बीच अनुपात का पालन नहीं किया।

नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, नांगालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, जम्मू व कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान, मणिपुर, पांडिचेरी, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, दादरा एवं नागर हवेली तथा आन्ध्र प्रदेश में मजदूरी तथा सामग्री संघटकों पर व्यय के बीच न्यूनतम अनुपात का पालन नहीं किया गया था। मजदूरी पर व्यय की प्रतिशतता बहुत कम थी वह उड़ीसा में 3 तथा मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में 59 के बीच रही। 16 राज्यों/सं.शा.क्षे. में

गैर मजदूरी संघटक पर 95.15 करोड़ रु. का आधिक्य व्यय हुआ था। चूंकि कार्यक्रम मूलतः मजदूरी रोजगार के लिए थे तथा व्यय, जो कि सामग्री पर किया जा सकता था, पर 40 प्रतिशत की सीमा रोजगार उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए निर्धारित की गई थी, राज्य सरकारों द्वारा सामग्री पर किया गया आधिक्य व्यय अप्राधिकृत था तथा ग्रामीण गरीबों के बारे में उनकी संवेदनशीलता पर अपर्याप्तता को दर्शाता था। परिणामस्वरूप, रोजगार के श्रम दिवसों का उत्पादन कम हुआ। 35 रु. प्रति श्रम-दिवस की न्यूनतम दर पर, रोजगार के उत्पादन में कमी की मात्रा 2.72 करोड़ श्रम-दिवस बनेगी।

#### 4.8.2 मजदूरी का भुगतान

कार्यक्रमों के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी की दरें अप्रशिक्षित श्रमिकों के लिए न्यूनतम कृषि मजदूरी होनी थी जैसा कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी थी तथा ये दरें पुरुष तथा महिला मजदूरों के लिए समान होनी थी। मजदूरी स्थानीय व्यक्तियों जैसे सरपंचों, पंचों तथा ब्लॉक समिति सदस्यों आदि की उपस्थिति में कार्य-स्थल पर हर सप्ताह अदा की जानी थी। राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच से मजदूरी के भुगतान में निम्नलिखित कमियों का पता चला।

##### 4.8.2.1 मजदूरी के भुगतान में विलम्ब (अनुबन्ध 15)

16 राज्यों में मजदूरी के भुगतान में विलम्ब था।

गुजरात, पांडिचेरी, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गोवा, कर्नाटक, नागालैंड, तमिलनाडु, तथा उड़ीसा में निधि की देर से प्राप्ति के कारण कुछ मामलों में मजदूर बिना मजदूरी के कार्य करते रहे तथा मजदूरी के भुगतान में एक से 38 महीने का विलम्ब हुआ था। लाभभोगी सर्वेक्षण ने भी दर्शाया कि हर सप्ताह मजदूरी के भुगतान के विपरीत लगभग 21 प्रतिशत लाभभोगियों को परियोजनाओं की समाप्ति पर भुगतान किया गया था।

##### 4.8.2.2 मजदूरी का कम भुगतान/भुगतान न करना (अनुबन्ध 16)

हरियाणा, गोवा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम तथा बिहार में जि.ग्रा.वि.ए./पंचायतों/लाइन विभाग के कार्यान्वयन/निष्पादन अधिकारियों ने निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम दरों पर भुगतान के कारण मजदूरों को 43.90 करोड़ रु.की कम मजदूरी का भुगतान किया।

##### 4.8.2.3 अन्य कमियां

निर्धारित दरों से कम दरों पर मजदूरी के भुगतान के कारण नौ राज्यों में मजदूरों को 43.90 करोड़ रु. का कम भुगतान हुआ।

1992-93 तथा 1998-99 के बीच अरुणाचल प्रदेश (3 ब्लॉक-10.53 लाख रु.), हरियाणा (2 जिले-1.86 करोड़ रु.), उड़ीसा (52 निष्पादन एजेंसियां-3.11 करोड़ रु.), असम (छः जिले-1.62 करोड़ रु.) तथा मध्य प्रदेश में मजदूरी का भुगतान 'सरपंच' 'पंच' खण्ड समिति सदस्यों आदि की उपस्थिति में नहीं किया गया था। सिक्किम में स्थानीय व्यक्तियों की उपस्थिति में मजदूरी के भुगतान के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, मजदूरी भुगतान के आश्वासन का महत्वपूर्ण साधन राज्य सरकारों द्वारा व्यर्थ कर दिया गया था।



लाभभोगी सर्वेक्षण ने यह भी प्रकट किया कि ज.रो.यो. के अन्तर्गत 10 प्रतिशत लाभभोगियों को तथा रो.आ.यो. के अन्तर्गत 40 प्रतिशत लाभभोगियों को घर पर भुगतान किया गया था।

गुजरात (4 जिले) मणिपुर (खं.वि.अ., मोरेह खण्ड, चन्देल जिला) तथा आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकारों ने कार्यकर्ताओं को सीधे भुगतान करने की बजाए गैंगमैन, जमादारों, विधायकों तथा ग्रामीण विकास समिति के प्रधान के माध्यम से 32.71 लाख रु. का भुगतान किया।

लाभभोगी सर्वेक्षण से पता चला कि सूचित किये गए लाभभोगियों के लगभग 1/3 को ठेकेदारों द्वारा भुगतान किया गया।

अरुणाचल प्रदेश के बामडिला जिलों में खं.वि.अ. डिराग ने जनवरी 1996 से दिसम्बर 1998 के दौरान रोकड़ बही में भुगतानों को दर्ज किये बिना ही मजदूरी के लिए 99.76 लाख रु. का भुगतान सूचित किया। मजदूरी के भुगतान के बिलों को सत्यापन हेतु लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया जा सका था।

#### 4.9. परिसम्पत्ति रचना

दिशानिर्देशों में रोजगार प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आर्थिक अवसंरचना तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों की रचना के लिए कार्यक्रमों के अन्तर्गत गतिविधियों की प्राथमिकीकरण पर निम्नलिखित अनुपात में विचार किया गया था।

राज्य सरकारों ने निर्धारित क्षेत्रवार प्राथमिकताओं का अनुरक्षण नहीं किया। कच्ची सड़कों तथा भवनों के निर्माण पर प्रबलता थी।

क्षेत्र	रो.आ.यो.	ज.रो.यो.
1- मितव्ययी उत्पादक परिसम्पत्तियां :-		
(i) वाटरशैड विकास के अन्तर्गत जल एवं भू संरक्षण उपाय, भूमि सुरक्षा, प्ररोही रोधिका कृषि-बागवानी, वन रोपण सिल्वी पाश्चर आदि	40 प्रतिशत	
(ii) लघु सिंचाई कार्य तथा	20 प्रतिशत	
(iii) सम्बद्ध जिलों के मास्टर प्लान में प्रस्तुत सर्म्पक रास्ते	20 प्रतिशत	60 प्रतिशत
2. अ.जा./अ.ज.जा. के लिए व्यक्तिक लाभभोगी परियोजनायें		22.5 प्रतिशत
3. भवन एवं सड़कें/सार्वजनिक सामुदायिक भवनों सहित निर्माण कार्य	20 प्रतिशत	17.5 प्रतिशत

राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच से निर्धारित क्षेत्र वार महत्व का अपालन 'कच्चा' ग्रामीण सर्म्पक सड़को के निर्माण को उच्च प्राथमिकता तथा भूमि एवं आद्रता संरक्षण को कम प्राथमिकता देने इत्यादि का पता चला।

उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र (थाने जिला), सिक्किम, गोवा, जम्मू व कश्मीर, केरल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दादरा एवं नगर हवेली, नागालैंड तथा बिहार में निधि के क्षेत्रवार चिह्नित निर्धारण का अनुसरण नहीं किया गया था।

उत्तर प्रदेश, सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, दादरा तथा नगर हवेली, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, नागालैंड

तथा बिहार में 'कच्चा' ग्रामीण सड़कों तथा भवनों के निर्माण को उच्चतम प्राथमिकता दी गई थी जहां पर सड़कों एवं भवनों के निर्माण पर व्यय बहुत भारी था तथा कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्यय के 22 तथा 99 प्रतिशत के बीच था।

लाभभोगी सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि सम्पर्क सड़कों तथा सिविल निर्माण कार्य जैसे विद्यालय भवन, पंचायत घर, सामुदायिक भवन आदि का अनुपात 1996-99 के दौरान सर्जित अन्य परिसम्पत्तियों की तुलना में बहुत अधिक था।

सत्रह राज्यों में भूमि एवं वाटर शैड विकास आदि के कार्यों जिससे गरीबों को निरन्तर तथा सीधा लाभ था को आरम्भ करने को निम्नतम प्राथमिकता दी गई थी।

सिक्किम, गोवा, जम्मू व कश्मीर, केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात (दो जिले) हरियाणा, मिजोरम, मध्य प्रदेश, दादरा तथा नगर हवेली, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, नागालैंड तथा बिहार में मितव्ययी उत्पादक परिसम्पत्तियों अर्थात् जल निकास विकास/जल एवं भूमि संरक्षण कार्यों, सामाजिक वानिकी, इत्यादि को आरम्भ करने को निम्नतम प्राथमिकता दी गई थी।

सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड तथा बिहार में लघु सिंचाई कार्यों पर, दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित 20 प्रतिशत के प्रति 4 प्रतिशत से 17 प्रतिशत तक व्यय किया गया था जबकि कुछ अन्य राज्यों जैसे गोवा, केरल, तमिलनाडु तथा गुजरात में लघु सिंचाई पर व्यय 53 प्रतिशत तक हुआ था।

आन्ध्र प्रदेश, सिक्किम, गोवा तथा जम्मू व कश्मीर में रो.आ.यो. के अन्तर्गत अ.जा./अ.ज.जा. को लाभ पहुंचाने वाली विशेष योजना/कार्य आरम्भ नहीं किये गये यद्यपि दिशानिर्देशों के अन्तर्गत कुल व्यय का 22.5 प्रतिशत ऐसी योजनाओं पर खर्च किया जाना था, जबकि उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में आरम्भ किये गए कार्य निर्धारित महत्व से कम थे। इससे कार्यक्रम के अन्तर्गत अ.जा./अ.ज.जा मितव्ययी परिसम्पत्तियों के लाभों से बंचित रह गये।

इस पद्धति को अनुमान समिति<sup>21</sup> की टिप्पणियों के प्रति देखा जाना है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्जित की जा रही परिसम्पत्तियों का कोई सुस्पष्ट प्राथमिकीकरण नहीं था। समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायतों की स्वतंत्रता पर कोई हस्तक्षेप किये बिना, उत्पादक तथा श्रम गहन कार्यों जैसे सिंचाई जल एवं भूमि संरक्षण तथा बंजर भूमि सुधार, आदि के लिए परिसम्पत्ति रचना योजना का पहली प्राथमिकता के साथ क्षेत्र के विकास की समग्र योजना में समन्वय किया जाना चाहिए।

#### 4.10. परियोजनाओं/वार्षिक कार्यवाही योजना के सेल्फ तैयार करने में विफलता

कार्यक्रमों के दिशानिर्देशों में स्थानीय संसाधनों के विस्तृत सर्वेक्षण तथा लोगों की आवश्यकताओं का पता लगाने के पश्चात जिले में वर्तमान तथा आने वाले वर्षों में आरम्भ किये जाने के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्यवाही योजना/परियोजनाओं के सेल्फ तैयार करने के लिए कार्यान्वयन प्राधिकारी को आदेश दिया गया था। कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्पादित प्रत्येक परियोजना का ग्राम

<sup>21</sup> ज.रो.यो पर अनुमान समिति 30वीं रिपोर्ट, अप्रैल 1993



सभा ने अनुसमर्थन करना था। परियोजनाओं के सैल्फ वार्षिक कार्यवाही योजनाओं में शामिल किये गए कार्यक्रम इस प्रकार के होने थे जो कि साधारणतया दो वर्ष के भीतर समाप्त हो जाएं।

परियोजना का सैल्फ तैयार नहीं किया गया था अथवा त्रुटिपूर्ण था तथा कार्य निरुत्साह विधि से निष्पादित किये गये थे।

केरल (पलाकाड जिला), त्रिपुरा, नागालैंड, मध्य प्रदेश (बिलासपुर जिला), सिक्किम, हरियाणा (सिरसा जिला), मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम (छः जिले) तथा आन्ध्र प्रदेश में तथापि परियोजनाओं का सैल्फ तैयार नहीं किया गया था अथवा स्थानीय संसाधनों तथा उनकी आर्थिक सम्भाव्यता, उत्पन्न किये जाने वाले रोजगार के श्रम दिवसों इत्यादि को सुनिश्चित किये बिना बनाये गये थे। इसके परिणामस्वरूप बहुत से राज्यों में संस्वीकृति के बिना कार्यनिष्पादन हुआ जैसा कि पैराग्राफ 4.5.13 में दिया गया है।

ग्यारह राज्यों में वार्षिक कार्यवाही योजनाएं/एकीकृत योजनाएं तैयार नहीं की गई थी।

आन्ध्र प्रदेश (कुडपा), असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, मणिपुर, गोवा, पंजाब तथा केरल (4 पंचायतें) में वार्षिक कार्यवाही योजना/सन्दर्श/एकीकृत योजनाएं भी तैयार/संस्वीकृत नहीं की गई थी।

मध्य प्रदेश (बिलासपुर जिला), जम्मू व कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल तथा केरल में वार्षिक कार्यवाही योजनाएं एक से आठ माह के विलम्ब/कार्यों की स्थिति के विवरण पर विचार किये बिना सर्जित किये जाने वाले रोजगार तथा प्रत्येक क्षेत्र की मूल आवश्यकताओं की पहचान इत्यादि किये बिना बनाई गई थी। सिक्किम तथा मणिपुर में आर्थिक क्षमता परियोजनाओं/कार्यों के चुनाव के लिए जिलावार संसाधनों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। इससे अनियोजित गतिविधियां हुई जिसका समग्र क्षेत्रीय विकास तथा परिणामतः दीर्घकालीन आधार पर रोजगार सर्जन पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं था। मंत्रालय तथा राज्य सरकारों ने परियोजनाओं/वार्षिक कार्यवाही योजना के सैल्फ को सुनिश्चित किये बिना निष्पादन एजेंसियों को निधि का निर्गम जारी रखा।

लाभभोगी सर्वेक्षण से पता चला कि ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो. के अन्तर्गत परियोजनाओं की पहचान तथा चयन के लिए ग्राम सभाओं में लाभभोगियों के एक चौथाई से कुछ ही अधिक ने हिस्सा लिया। गुजरात, दमन व दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर तथा नागालैंड में रो.आ.यो. के अन्तर्गत परियोजनाओं की पहचान के लिए ग्रामसभाओं में हिस्सेदारी उच्च थी। पश्चिम बंगाल में हिस्सेदारी 40 प्रतिशत थी। दक्षिणी क्षेत्र में ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी बहुत कम थी। इसी प्रकार ज.रो.यो. के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा नागालैंड में हिस्सेदारी कुछ उच्च थी जबकि यह आन्ध्र प्रदेश में 7 प्रतिशत तक न्यूनतम थी।

#### 4.11. ठेकेदारों की नियुक्ति (अनुबन्ध 17)

स्थानीय लोगों को वंचित करते हुये 420.90 करोड़ रु के कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराये गए थे।

कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्य स्थानीय मजदूरों को नियोजित करके विभागीय रूप से किया जाना था ताकि भुगतान की जाने वाली मजदूरी के पूरे लाभ स्थानीय मजदूरों तक पहुंचें तथा निधि ठेकेदारों अथवा विचोलिया लाभ पर अपव्यय न हो। तथापि अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि आन्ध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, पांडिचेरी, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, गुजरात, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में 420.90 करोड़ रु की लागत के कार्य ठेकेदारों के

माध्यम से किये गए थे। ठेकेदारों के माध्यम से कार्य के निष्पादन के परिणामस्वरूप कार्य की लागत के 10 प्रतिशत के ठेकेदारों के लाभ के रूप में कम से कम 38.26 करोड़ रु का भुगतान हुआ। इससे कम से कम 1.09 करोड़ श्रम दिवसों के रोजगार सर्जन का बंचन हुआ जिसे 35 रु प्रतिदिन की औसत दर पर लेते हुये ठेकेदारों को उपलब्ध करवाये गए लाभ से सर्जित किया जा सकता था।

ठेकेदारों के माध्यम से कार्यों के निष्पादन मुख्य उदाहरण थे: आन्ध्र प्रदेश : 20.85 करोड़ रु., जम्मू व कश्मीर : 319.10 करोड़ रु., कर्नाटक, 8.92 करोड़ रु., महाराष्ट्र : 17.70 करोड़ रु. तथा पश्चिम बंगाल : 5.19 करोड़ रु.।

लाभभोगी सर्वेक्षण ने लाभभोगियों के साथ मजदूर ठेकेदारों के भारी प्रभाव तथा उनकी भागीदारी होने को भी विशिष्टता दी थी। मजदूर ठेकेदारों ने न केवल परियोजनाएं निष्पादित की बल्कि वे निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान करने, लाभभोगियों को पंजीकृत कराने में सहायता करने तथा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए श्रमिक उपलब्ध करवाने में भी साधन बने हुये पाये गये थे। तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि लगभग 30 प्रतिशत लाभभोगियों ने मजदूर ठेकेदारों के अधीन काम किया, लगभग 28 प्रतिशत ने सूचित किया कि मजदूर ठेकेदारों ने परियोजनाओं की पहचान की, लगभग 40 प्रतिशत ने सूचित किया कि मजदूर ठेकेदारों ने मजदूरों का प्रबन्ध किया तथा लगभग पांच प्रतिशत ने पंजीकरण के लिए बिचौलियों की सहायता ली थी। तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा असम में ठेकेदारों/बिचौलियों का प्रभाव बहुत अधिक था

#### 4.12. कार्यों के निष्पादन में अनियमितताएं

4.12.1 सामाजिक वानिकी :- सामाजिक वानिकी तथा कृषि-बागवानी कार्य यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित किये जाने थे कि इसके लाभ ग्रामीण समुदाय तथा विशेषकर ग्रामीण गरीबों को पहुंचें। इन कार्यों में मिट्टी तथा जल संरक्षण उपाय स्वस्थ वृद्धि तथा पौधों की उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए शामिल किये जाने थे। सामुदायिक भूमि पर पौधारोपण के अनुरक्षण की लागत पौधारोपण के तीन वर्ष की अवधि तक कार्यक्रम की निधि से पूरी की जानी थी। राज्यों में अभिलेखों से पौधारोपण की उत्तरजीविता की कम दर, अनुरक्षण हेतु पौधारोपण सुपुर्द न करना, अनुरक्षण के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान न करना यूकैलिप्टस का पौधारोपण आदि अनियमितताएं प्रकट हुए जो कि संघटक के निरूत्साह निष्पादन संकेत देता है।

उड़ीसा:- उद्यानविद तथा ए.एस.सी.ओ. भवानीपटना तथा ए.एस.सी.ओ. नौरंग-पुर अ.जा./अ.ज. जा. तथा गरीब लाभभोगियों को 1.46 करोड़ रु. पर किये गये 'बेर' तथा मिश्रित पौधारोपण के सूचित अन्तरण के समर्थन के प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहे।

भवानीपटना में, उद्यानविद ने जुलाई 1998 में 13.98 लाख रु. के लगाये गए 22000 पौधे (बेर तथा काजू पौधे) प्राइवेट लाभभोगियों को दिये। तथापि, परियोजना निदेशक जि.ग्रा.वि.ए. ने निरीक्षण करने पर सौंपे गए 22000 पौधों के प्रति केवल 100-150 पौधे पाये गये तथा जिम्मेवार व्यक्ति के प्रति कड़ी कार्यवाही के आदेश दिये। की गई कार्यवाही के अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

ए.एस.सी.ओ. भवानीपटना, ने 1994-96 के दौरान चार खण्डों में 189 हेक्टेयर में 25.41 लाख रु. की लागत पर विविध पौधे उगाये। सत्यापन के दौरान जि.ग्रा.वि.ए. ने पाया कि पौधारोपण की उत्तरजीविता दर 5 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच थी।

कालाहांडी जिले में जि.ग्रा.वि.ए. भवानीपटना ने 1995-97 के दौरान 324 हेक्टेयर में 'बैर' तथा मिश्रित फल पौधों के पौधारोपण करने के लिए उद्यानविद भवानीपटना को प्रति हेक्टेयर 3000-4000 रु. की निर्धारित दर के प्रति, 15000 रु. प्रति हेक्टेयर की दर 84.06 लाख रु. जारी किये परिणामस्वरूप रो.आ.यो. निधि से 35.46 लाख रु. का अधिक भुगतान हुआ।

फुलबानी, भवानीपटना तथा कोरापुट में पांच निष्पादन एजेन्सियों ने 1994-99 के दौरान लाभभोगियों को 79.25 लाख रु. की पौध निःशुल्क वितरित की गई सूचित की। पौधों के वास्तविक पौधारोपण तथा आगे अनुरक्षण सुनिश्चित नहीं किया गया था।

**मध्य प्रदेश :-** ए.डी.एच. मांडला ने सितम्बर 1996 - फरवरी 1997 के दौरान बागवानी अधीक्षक को 6.17 लाख रु. के मूल्य के आम के पौधे वितरित किये बताये गए तथा सी.ई.ओ. मांडला की संस्वीकृति के बिना लखनऊ तथा पश्चिम बंगाल की दो नर्सरियों से अक्टूबर-दिसम्बर 1996 में 9.07 लाख रु. के 58505 आम के पौधे खरीदे। पौधे लाभभोगियों को पौधारोपण मौसम समाप्त होने के पश्चात वितरित हुये बताए गये।

**असम :-** तीन जि.ग्रा.वि.ए. ने नवम्बर 1998 में छोटे एवं सीमांत किसानों को 71.58 लाख रु. मूल्य के बीज निःशुल्क आपूर्त किये।

परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सियों के रूप में नामित न की गई निष्पादन एजेन्सियों को 1.09 करोड़ रु. जारी किये गए।

**महाराष्ट्र :-** वाटरशैड क्षेत्रों में कार्यों के निष्पादन के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सियों के रूप में नामित न की गई 19 विभिन्न निष्पादन एजेन्सियों को जि.ग्रा.वि.ए. अकोला ने 1.09 करोड़ रु. जारी किये। उपयोग की गई निधि के विवरण उपलब्ध नहीं थे। लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति के कारण राशि रोकी रखी गई।

वनरोपण तथा कृषि-बागवानी पर 5.55 करोड़ रु. का व्यय सत्यापन योग्य नहीं था क्योंकि पौधारोपण के अभिलेख तैयार नहीं किये गये थे।

**नागालैंड :-** 1996-99 के दौरान तीन जिलों में रो.आ.यो. के अन्तर्गत वनरोपण तथा कृषि बागवानी पर 5.55 करोड़ रु. का व्यय किया गया था। तथापि तीन जिलों में किसी भी खण्ड में पौधारोपण के क्षेत्र, विशिष्ट पौधे के चुनाव के आधार, वास्तव में रोपे गए पेड़ों की संख्या, बीज तथा पौधों के अधिप्रापण के साधनों इत्यादि के सम्बन्धित सूचना तथा अभिलेख नहीं थे। इस प्रकार व्यय की शुद्धता का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका।

#### 4.12.1.1 पौधारोपण की कम उत्तरजीविता दर

1.28 करोड़ रु. की लागत पर रोपे गए पौधों/बागवानी पौधों की उत्तरजीविता दर असम (करवी अंगलोगं) में नगण्य तथा बिहार (जि.व.अ. आदित्यपुर) तथा हरियाणा (भिवानी) में 50 प्रतिशत थी।

#### 4.12.2 भूमि प्रबन्धन कार्य

भूमि की उत्पादकता के सुधार तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि तथा आर्द्रता संरक्षण सहित भूमि प्रबन्धन कार्य एक महत्वपूर्ण निवेश था। भूमि विकास कार्य में भूमि को आकार देना, नालियों का निर्माण, क्षेत्रीय नहरें, प्ररोही हेजेज अहाता उपलब्ध करवाना आदि शामिल है। कार्य इस प्रकार आरम्भ किये जाने थे जो कि कम से कम दस किसानों के एक समूह की भूमि को आवृत करते हुये टिकाऊ उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण कर सके। भूमि विकास कार्यों में निम्नलिखित कमियां पाई गई।

राज्यों में अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि या तो भूमि प्रबन्धन कार्य आरम्भ नहीं किये गये थे अथवा ऐसे कार्यों के लिए कम प्राथमिकता दी गई थी। इसके साथ ही कम से कम 10 किसानों के समूह को लाभ प्रदान करने की न्यूनतम आवश्यकता पर भी विचार नहीं किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर अगले पैराग्राफों में संक्षिप्त चर्चा की गई है।

कर्नाटक के बंगलौर (ग्रामीण) धारवाड, रायचूर तथा तुमकूर जिलों में 10 कार्यान्वयन कार्यालयों में 1.24 करोड़ रु. की लागत पर 294 जल हार्वेस्टिंग ढाचों का निर्माण किया गया था तो भी प्रत्येक कार्य के प्रति लाभभोगी किसानों की संख्या निर्धारित न्यूनतम किसानों की संख्या से कम थे। उन्हीं जिलों में लगभग छः निष्पादन कार्यालयों ने बड़े किसानों से सम्बन्धित भूमि में 7.02 लाख रु. की लागत के 23 कार्य निष्पादन किये जो कि कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किये जाने के पात्र नहीं थे।

केरल में भूमि प्रबन्धन तथा मिट्टी एवं आर्द्रता संरक्षण कार्यों पर खर्च किये जाने के लिए आवश्यक 40 प्रतिशत व्यय के प्रति 1993-98 के दौरान पन्द्रह खण्डों में रो.आ.यो. के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 1335 कार्यों पर लगभग 30 प्रतिशत की राशि का खर्च किया।

मिजोरम तथा उड़ीसा में 1992-99 के दौरान भूमि प्रबन्धन कार्य बिल्कुल भी आरम्भ नहीं किये गए।

मेघालय के आठ खण्डों में ख.वि.अ. ने 2228 लाभभोगियों को उनकी भूमि के क्षेत्र को ध्यान में रखे बिना उन्हें लघु सिंचाई के निर्माण तथा भूमि विकास कार्यों पर एक समान दर पर 91.80 लाख रु. का नकद भुगतान किया। निदेशालय/जि.ग्रा.वि.ए. ने निधियों के उपयोग का अभिलेखा तैयार नहीं किया। न ही उन्होंने उनसे उपर्जित लाभों की सीमा का पता लगाया था।

#### 4.12.3 कच्चा ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण

कार्यक्रमों के अन्तर्गत आरम्भ किये जाने वाले सड़क कार्य टिकाऊ प्रवृत्ति के होने थे। त्रिपुरा (21.96 करोड़ रु.) मिजोरम (आइजोल तथा लिंगलेई जिले : 28.20 करोड़ रु.) असम (छः जि. ग्रा.वि.ए. 60.46 करोड़ रु.) मध्य प्रदेश (मु.का.अ. 4 जिले : 45.80 करोड़ रु.) तथा नागालैंड (3 जिले 8.22 करोड़ रु.) में कार्यान्वयन एजेन्सियों ने 1992-99 के बीच 164.64 करोड़ रु. पर 'कच्चा' सड़कों का कार्य निष्पादित किया।

5 राज्यों में टिकाऊ प्रकृति के निर्माण की आवश्यकता के विपरीत 'कच्चा' ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण पर 164.64 करोड़ रु. खर्च किये गये थे।

राजस्थान में, जि.ग्रा.वि.ए. जोधपुर ने राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को ग्रामीण सड़क कार्य के निष्पादन के लिए मार्च 1991 तथा फरवरी 1992 के बीच 57 लाख रु. जारी किये। व्यय ज.रो.यो. में से वहन किया जाना था तथा बोर्ड से अंशदान 50:50 के आधार पर किया जाना था। तथापि बोर्ड ने 57.00 लाख रु. में से 56.56 लाख रु. का व्यय किया तथा अपने हिस्से का अंशदान नहीं दिया। जि.ग्रा.वि.ए. ने बोर्ड के हिस्से की अभी वसूली भी की जानी थी।

प्रमाणिकता तथा अनुरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल में रो.आ.यो./ज.रो.यो. के अन्तर्गत सर्जित की गई कुछ परिसम्पत्तियों का लेखापरीक्षा द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था। इससे परिसम्पत्तियों के निर्माण की घटिया गुणवत्ता, अधुरे पड़े कार्यों, परिसम्पत्तियों को न सौपने आदि का पता चला जैसा कि अनुबन्ध 18 में दर्शाया गया है।

#### 4.13. छोड़ दी गई योजनाएँ (अनुबन्ध-19)

परियोजनाओं को बीच में ही छोड़ने से 10.12 करोड़ रु. का निष्फल व्यय हुआ।

11 राज्यों में 5252 योजनाएँ कार्यान्वयन एजेंसियों ने 10.12 करोड़ रु. का व्यय करने के पश्चात छोड़ी दी। योजनाओं का उद्देश्य सड़कों, सिंचाई नहरों, पक्का बांध, जल एकत्रण ढांचों, कुओं, मछली तालाबों इत्यादि जैसी टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सर्जन करना था। छोड़ देने के मुख्य कारण, निधियों की कमी/निधियों के निर्गम में विलम्ब, जन विरोध, भूमि विवाद इत्यादि पर आरोपित थे।

#### 4.14. कार्यों के पूरा करने में विलम्ब (अनुबन्ध 20)

कार्यक्रमों के अन्तर्गत केवल वही परियोजनाएँ आरम्भ की जानी थी जो कि एक या दो वर्ष के भीतर पूरी हो सकती हों। विभिन्न राज्यों में 27779 कार्यों में दो तथा नौ वर्षों के बीच अधिक समय लगा था। कार्यान्वयन एजेंसियों ने कार्यों को पूरा करने में हुए विलम्ब को स्थानीय विवादों, निधि की कमी, तकनीकी ज्ञान की कमी, लाभभोगियों द्वारा रूची लेने में कमी आदि पर आरोपित किया था।

#### 4.15. परिसम्पत्तियों तथा सामान सूची का अनुरक्षण

कार्यक्रमों के अन्तर्गत सर्जित परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण राज्य/जिला स्तर लाइन विभागों/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जाना था। सम्बद्ध विभागों द्वारा ली गई परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए राज्यों द्वारा पर्याप्त निधि उपलब्ध करवाई जानी थी। ज.रो. यो. के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण, अनुरक्षण के लिए उपलब्ध करवाये जाने वाले कुल आबंटन के 10 प्रतिशत सहित ग्राम पंचायत/मण्डल द्वारा किया जाना था। कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्जित की गई सभी परिसम्पत्तियों की सामान सूची कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा तैयार की जानी थी। इससे ग्रामीण गरीबों को लाभ/भोगाधिकार उपार्जन सुनिश्चित करने के लिए परिसम्पत्तियों लाइन विभागों/लाभभोगियों को सौंपी जानी थी।

17 राज्य सरकारों ने न तो सर्जित की गई परिसम्पत्तियों की सामान सूची तैयार की और न ही उन्हें अनुरक्षण के लिए लाइन विभागों को सौंपा गया।

मध्य प्रदेश, मेघालय, गुजरात, हरियाणा, मिजोरम, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गोवा, केरल, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा में राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों ने न तो सर्जित की गई परिसम्पत्तियों की सामान सूची तैयार की और न ही अनुरक्षण के लिए उन्हें लाइन विभागों/स्थानीय संगठनों को



सौंपा गया। परिसम्पत्तियों के महत्वपूर्ण अभिलेखों के अभाव में उनके वास्तविक निर्माण तथा लाभभोगियों को पहुंचे लाभ को प्रमाणित नहीं किया जा सका। कुछ उदाहरण निम्न प्रकार थे।

त्रिपुरा में, परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए निधि उपलब्ध नहीं कराई गई थी। ख.वि.अ. बिशालगढ़ ने 1994-98 के दौरान 24.87 लाख रु. की लागत पर निर्मित 42 बाजार शैड तथा 115 बिक्री स्टाल अगस्त 1999 तक ग्राम पंचायतों तथा ग्राम स्तरीय निकायों को सौंपे नहीं गए।

10.58 करोड़ रु. से किए गए पौधारोपण न तो अनुरक्षित किए गए और न ही अनुरक्षण हेतु निष्पादन एजेंसी को सौंपे गए।

कर्नाटक के चार जिलों में, वन विभाग द्वारा 1986-96 के दौरान 10.58 करोड़ रु. की लागत पर किए गए पौधारोपणों को न तो ग्राम पंचायत को सौंपा गया न ही अनुरक्षित किया गया। धारवाड़ तथा गुलबर्गा जिलों में, डी.सी.एफ. (सामाजिक वनखण्ड) ने रो.आ.यो. के अंतर्गत 41.28 लाख रु. की लागत पर किए गए पौधारोपणों को अनुरक्षित नहीं किया।

2.85 करोड़ रु. से सृजित पौधारोपणों को लाभभोगियों को सौंपने तथा उनका उपयोग दर्शाने वाले रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

उड़ीसा में, जि.ग्रा.वि.ए. कियोझर ने सहायक निदेशक, रेशम उत्पादन को 1994-97 के दौरान 760 हैक्टेयर भूमि पर अर्जुन पौधारोपण करने के लिए 3.20 करोड़ रु. जारी किए। उसने टसर रियरिंग को-ऑपरेटिव सोसायटियों के माध्यम से 2.85 करोड़ रु. से पौधारोपण कराए। सहायक निदेशक ने 2.85 करोड़ रु. से सृजित परिसंपत्ति को लाभभोगियों को सौंपने तथा उनका उपयोग दर्शाने वाले किसी रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया। सरकारी भूमि पर पौधारोपणों के लिए राजस्व प्राधिकारियों की अनुमति प्रतीक्षित थी।

नागालैंड में तीन जिलों के 15 ब्लॉकों में ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो. के अंतर्गत 21.83 लाख रु. से निर्मित 43 आंगनवाड़ी भवन जुलाई 1999 तक समाज कल्याण विभाग को सौंपे नहीं गए थे।

#### 4.16. विविध वित्तीय कमियां

विभिन्न राज्यों में अभिलेखों की जांच के दौरान निम्नलिखित अन्य विविध वित्तीय अनियमितताएं देखी गई थी जिससे यह पता चला कि व्यय के नियमन में उत्तरदायित्व, अनुमोदन तथा संस्वीकृति और संभावित कारणों आदि का अभाव था। कुछ उदाहरणों की जो लेखापरीक्षा में देखे गए थे, नीचे संक्षेप में चर्चा की गई है :

**पांडिचेरी :** परियोजना निदेशक ने 1992-98 के दौरान ज.रो.यो. के अंतर्गत वाउचरों का सत्यापन किए बिना ख.वि.अ. द्वारा सूचित 32.37 लाख रु. का व्यय स्वीकार किया।

**गोवा :** ग्रामीण विकास एजेंसी ने 1994-95 तथा 1998-99 के बीच प्रत्येक वर्ष 188 पंचायतों में से 29,49,52,15 तथा 31 ग्राम पंचायतों को निधियां आबंटित नहीं की। इसके अतिरिक्त, ग्रा.वि.ए. ने 1994-98 के बीच 15 पंचायतों को 8.63 लाख रु. जारी किए जिनको उन्होंने लेखाबद्ध नहीं किया तथा पांच ग्राम पंचायतों ने ग्रा.वि.ए. द्वारा मई 1997 तथा अप्रैल 1999 के बीच उनको जारी किए गए 2.35 लाख रु. लेखाबद्ध नहीं किए।

ग्रामीण मानक अनुसूची दरों की बजाए नियतकार्य दरों पर निर्माणकार्यों के निष्पादन में 7.61 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय किया गया था।

**मध्य प्रदेश :** मु.का.अ. बिलासपुर ने ज.रो.यो. तथा रो.अ.यो. के अंतर्गत 76.07 करोड़ रु. की लागत के निर्माण कार्य नियतकार्य दरों पर निष्पादित कराए जो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नियत ग्रामीण मानक अनुसूचित दरों (एस.ओ.आर.) से अपेक्षाकृत अधिक थी। नियतकार्य दरें

10 से 180 प्रतिशत तक अधिक थी। उपर्युक्त कार्य पर अतिरिक्त व्यय 7.61 करोड़ रु. तक परिकलित होगा।

मु.क.अ., जि.प., मांडला ने मध्यप्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड को 20358.94 क्विंटल बढ़िया किस्म के चावल की आपूर्ति पर उच्चतर दर पर भुगतानों के प्रति 26.47 लाख रु. के अधिक भुगतान किए। इसके अतिरिक्त मु.क.अ., मांडला ने 1992-93 में सा.वि.प्र. के अंतर्गत चावल के वितरण हेतु जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (जि.के.स.बै.) को 56.92 लाख रु. का भुगतान किया। जि.के.स.बै. ने फरवरी 1998 में प्रस्तुत लेखाओं में उपर्युक्त राशि को पुनः शामिल कर दिया जिसके परिणामस्वरूप जि.के.स.बै. को 56.92 लाख रु. का दुगुना भुगतान हुआ। मु.क.अ. मांडला ने अप्रैल 1999 में सूचित किया कि लेखाओं के समाधान हेतु कार्यवाही की जाएगी।

कर्नाटक : राज्य सरकार ने भा.खा.नि. से प्राप्त तथा ज.रो.यो. के श्रमिकों को वितरित खाद्यानों पर सा.वि.प्र. मूल्य तथा केन्द्रीय निर्गम मूल्य के बीच अंतर के प्रति 8.25 करोड़ रु. की आर्थिक सहायता मार्च 1999 तक वापस नहीं की।

जम्मू व कश्मीर : निदेशक, ग्रामीण सफाई, जम्मू ने मार्च 1999 तक 4347 निर्माणकार्यों के लिए प्राप्त 1.53 करोड़ रु. के प्रति 1814 ग्रामीण सफाई निर्माणकार्यों के निष्पादन पर 1.38 करोड़ रु. खर्च किए। इस प्रकार प्रत्यक्ष तथा वित्तीय प्रगति के बीच असामान्य बेमेल था।

इ.ज.रो.यो. के अंतर्गत अब्ययित पड़े 28.19 करोड़ रु. के उपयोग का ढंग अभिलेख में नहीं था।

उत्तर प्रदेश : आयुक्त (ग्रा.वि.), लखनऊ ने जनवरी 1996 से ज.रो.यो. को रो.आ.यो. के साथ मिलाने पर इ.ज.रो.यो. अंतर्गत अप्रयुक्त पड़े 28.19 करोड़ रु. के शेष जून 1999 तक अंतरित नहीं किए जैसाकि दिशानिर्देशों में अपेक्षित है। जिस ढंग से निधि का उपयोग किया गया था वह अभिलेख में नहीं था।

अरुणाचल प्रदेश : जि.ग्रा.वि.ए. बोम्डिला के अंतर्गत ख.वि.अ. सी.डी. ब्लॉक डिरेंग, ने रो.आ.यो. के अंतर्गत जनवरी 1996 से दिसम्बर 1998 के दौरान रोकड़ बही में लेनदेन दर्ज किए बिना श्रमिकों को 99.76 लाख रु. की मजदूरी का संवितरण किया। मजदूरी के भुगतानों के लिए जि.ग्रा.वि.ए. से प्राप्त चैक भी रोकड़ बही में लेखाबद्ध नहीं किए गए थे। 1993-94 से दिसम्बर 1995 तक चैकों/ड्राफ्टों की प्राप्ति दर्शाने वाले अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

बिहार : जि.ग्रा.वि.ए. धनबाद ने मांग का निर्धारण तथा निविदाएं आमंत्रित किए बिना जून से सितम्बर 1998 के दौरान लेखनसामग्री के मुद्रण हेतु मयंक प्रिन्टिंग प्रैस को 43.09 लाख रु. अग्रिम रूप में दिए। मई 1999 तक 18.87 लाख रु. असमायोजित/अवसूले रहे। इसके अतिरिक्त जि.ग्रा.वि.ए. धनबाद तथा पूर्वी चम्परान ने ज.रो.यो. निधि से 1992-97 के दौरान भा.खा.नि. द्वारा आपूर्त खाद्यानों पर बिक्री कर तथा बाजार समिति कर के रूप में 20.37 लाख रु. अदा किए जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था। जि.ग्रा.वि.ए. ने मई 1999 तक प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं की।

उड़ीसा : जि.ग्रा.वि.ए. कालाहांडी ने 1995-99 के दौरान 27 स्वयंसेवी संगठनों को 37.63 लाख रु. जारी किए। जिसमें से केवल तीन संगठनों ने 2.50 लाख रु. की पावती दी। उसी तरह, जि.ग्रा.वि.ए. गंजम ने 1996-99 के दौरान स्वयंसेवी संगठनों को उनकी वित्तीय स्थिति, पिछला अनुभव तथा उनके पास उपलब्ध प्रशासनिक अवसंरचना का पता लगाए बिना निर्माणकार्य के निष्पादन के लिए 66.91 लाख रु. जारी किए। जारी की गई पूरी राशि के उपयोग प्रमाणपत्र/किए गए कार्य के ब्यौरे निधि जारी होने के 3 वर्ष बाद भी लम्बित थे।

पंचायती राज विभाग द्वारा नियत 21640 रु के लागत प्रतिमान के प्रति आठ जिलों में 1995-99 के दौरान कुंओं के निर्माण पर औसत व्यय बहुत अधिक था तथा यह 0.50 लाख रु तथा 2.94 लाख रु के बीच था। इस अवधि के दौरान 15.99 करोड़ रु की कुल लागत पर खोदे गए कुंओं की कुल संख्या 1917 थी जिसके विस्तृत ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(लाख रु में)

जिले	वर्ष	निर्मित किए गए कुंओं की सं.	कुल व्यय	औसत व्यय
भद्रक	1996-97	118	108.42	0.92
गाजापटी	1995-96	152	221.05	1.45
बालासोर	1998-99	85	79.73	0.94
केन्द्रपुरा	1996-97	43	70.75	1.65
कोरापुट	1996-97	382	264.54	0.69
मयूरभंज	1996-97	993	498.95	0.50
नयागढ़	1996-97	28	82.18	2.94
रायगदा	1996-97	93	225.26	2.42
	1997-98	23	47.90	2.08
<b>जोड़</b>		<b>1917</b>	<b>1598.78</b>	

इस प्रकार 1917 कुंओं के खोदने की कुल लागत 15.99 करोड़ रु थी जो 4.15 करोड़ रु की मानक लागत से अपेक्षाकृत 4 गुणा अधिक थी।

#### 4.17. उत्तरदायित्व का स्वरूप तथा उत्तरदायित्व की प्रक्रिया

योजना में उत्तरदायित्व के स्वरूप को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने की व्यवस्था नहीं की गई और न ही आवधिक उत्तरदायित्व प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। रोजगार उत्पादन तथा सही विवरण देने के समर्थन में प्रमाण के उत्तरदायित्व के लिए वार्षिक निरीक्षण की किसी प्रक्रिया के अभाव में उपलब्धियों की अतिशयोक्ति करने तथा वितरण के समर्थन में प्रमाण का अनुरक्षण न करने की एक सामान्य प्रवृत्ति हो गई थी।

#### 4.18. अनुश्रवण

केन्द्रीय स्तर पर, मंत्रालय कार्यक्रमों की योजना बनाने कार्यान्वयन, वित्तपोषण तथा समग्र निष्पादन का अनुश्रवण करने के लिए उत्तरदायी है। एक पुनरीक्षण समिति, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा डाक विभाग के सचिव सम्मिलित हैं, को मध्यावधि शोधक कार्यवाही करने के लिए समस्याग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाने के लिए साप्ताहिक बैठक करनी थी। मंत्रालय को क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा गहन क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित भी करनी थी। दिशानिर्देशों में, कार्यान्वयन की कोटि तथा प्रवृत्ति पर कड़ी निगरानी रखने के लिए राज्य सरकारों/जि.ग्रा.वि.ए. द्वारा आवधिक वित्तीय तथा प्रत्यक्ष प्रगति रिपोर्टों के प्रस्तुतिकरण पर भी विचार किया गया है।

संघ सरकार तथा राज्य सरकारों तथा जिला स्तरों का अनुश्रवण, नियंत्रण, निरीक्षण तथा पुनरीक्षण प्रक्रिया कार्यक्रम के अंतर्गत सूचित की गई वित्तीय तथा भौतिक उपलब्धि की विशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त थी। इसके कारण राज्यस्तरों पर निष्पादन एजेंसियों ने किसी उत्तरदायित्व के बिना बढ़ाकर तथा गलत भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां सूचित करना जारी रखा।

मंत्रालय के पास कार्यान्वयन का अनुश्रवण तथा रोजगार के पर्याप्त श्रमदिवसों के उत्पादन का मूल उद्देश्य की प्राप्ति दर्शाने के लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था। मंत्रालय ने केवल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों के आंकड़े ही संकलित किए। मंत्रालय द्वारा प्राप्त प्रगति रिपोर्टों में कमियों/अनियमितताओं पर अनुवर्ती कार्यवाही करने का कोई प्रमाण नहीं था। मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किए गए क्षेत्रीय निरीक्षण परिमाणात्मक रूप से तथा गुणात्मक रूप से अपर्याप्त थे।

मंत्रालय तथा राज्य सरकारों द्वारा शीर्ष स्तर पर तथा जिला स्तर पर अनुश्रवण नियंत्रण, निरीक्षण तथा पुनरीक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त था।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु राज्य स्तरीय समन्वयन समिति कार्यक्रमों के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन तथा अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी थी। रा.स्त.स.स.<sup>22</sup> को कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति का पुनरीक्षण करने के लिए नियमित रूप से बैठक करनी थी। राज्य सरकार से ब्लॉक स्तर तक प्रत्येक पर्यवेक्षीय स्तर अधिकारी के लिए क्षेत्रीय दौरों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करते हुए निरीक्षणों की एक अनुसूची तैयार की जानी थी तथा रा.स्त.स.स. द्वारा अनुमोदित की जानी थी। राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले तथा ब्लॉक में रो.आ.यो. के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए रोजगार आश्वासन योजना समिति का भी गठन करना था।

जिला, उप-मंडल तथा ब्लॉक स्तरों के अधिकारियों को कार्यस्थलों पर क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से कार्यक्रमों के सभी पहलुओं का ध्यानपूर्वक अनुश्रवण करना था। मंडल आयुक्तों तथा कलक्टर द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन जिलों में कार्यों का नियमित रूप से गहन निरीक्षण करने के लिए सतर्कता दलों का गठन किया जाना था ताकि कार्यों की गुणवत्ता तथा मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

आठ राज्यों में रा.स्त.स.स. ने नियमित रूप से बैठकें नहीं की।

जम्मू व कश्मीर, पांडिचेरी, आन्ध्र प्रदेश (1994-95 के बाद), उड़ीसा तथा राजस्थान में रा.स्त.स.स. ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करने के लिए एक बार भी बैठक नहीं की।

<sup>22</sup> राज्य स्तरीय समन्वयन समिति

राजस्थान में, रा.स्त.स.स. केवल नवम्बर 1998 में गठित की गई थी। मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु में रा.स्त.स.स. द्वारा की गई बैठकों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे। सिक्किम तथा महाराष्ट्र में इनके गठन से केवल एक बार बैठक हुई। कर्नाटक में रा.स्त.स.स. की 1992-96 के दौरान केवल तीन बार बैठक हुई तथा इसके बाद कभी नहीं हुई। सिक्किम, उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक (टुमकुर जिला), तमिलनाडु (2 जिले), असम तथा राजस्थान में जिला तथा खण्ड स्तर समितियां या तो बनाई नहीं गई थी या बनाई गई तो उनकी बैठक नहीं हुई।

सिक्किम, हरियाणा, राजस्थान, मणिपुर, पांडिचेरी, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू व कश्मीर, तमिलनाडु, नागालैंड और बिहार में निरीक्षण की अनुसूची तैयार नहीं की गई थी या उनमें निरीक्षण नहीं किए गए थे।

केरल, मणिपुर, पांडिचेरी, असम, मध्य प्रदेश, दादरा एवं नागर हवेली तथा बिहार में किए गए निरीक्षणों के अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए या प्रस्तुत नहीं किए गए थे। केरल, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तथा जम्मू व कश्मीर में दौरा निरीक्षण टिप्पणियां तैयार नहीं की गई थी या कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई थी।

गोवा, केरल, असम, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में निर्धारित आवधिक प्रत्यक्ष तथा वित्तीय रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की गई थी। मध्य प्रदेश, पांडिचेरी तथा राजस्थान में रिपोर्ट की प्राप्ति में एक माह से 19 माह से अधिक का विलम्ब था।

उड़ीसा, कर्नाटक, सिक्किम, राजस्थान, मणिपुर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा तथा असम में सतर्कता दस्ते या तो बनाए नहीं गए थे या जब बनाए गए तो उनकी उपलब्धियों से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे। यद्यपि आन्ध्र प्रदेश में मार्च 1997 में राज्य स्तरीय सतर्कता समिति का गठन हो गया था फिर भी अक्टूबर 1999 तक उसकी बैठक नहीं हुई थी।

#### 4.19. मूल्यांकन

उत्तर प्रदेश के अलावा सभी राज्यों में समग्र मूल्यांकन अध्ययन नहीं कराए गए थे।

ग्रामीण रोजगार उत्पादन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के प्रभाव का मूल्यांकन उसके प्रभावशाली प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मंत्रालय तथा राज्य सरकारों को यह पता लगाने के लिए, कि किस सीमा तक कार्यक्रम ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पादन करने में सफल हुए थे तथा क्या उपलब्धियां किए गए निवेशों के अनुरूप थी, समय-समय पर मूल्यांकन अध्ययन आरंभ करने थे। तथापि, समग्र मूल्यांकन अध्ययन उत्तर प्रदेश, जहां भारत सरकार के एक दल ने जनवरी 1995 में सीतापुर जिले में रो.आ.यो. का मूल्यांकन अध्ययन किया तथा परिवार कार्डों के अव्यवस्थित पंजीकरण तथा अनुरक्षण, पंजीकृत श्रमिकों को रोजगार के अपर्याप्त प्रावधान, ठेकेदारों के माध्यम से कार्यों के निष्पादन, निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अपेक्षाकृत कम दर पर मजदूरी के भुगतान, अनुपलब्ध/जाली नामावलियों, वास्तविकता के आधार पर आधारित न होने वाले उच्च तथा अक्सर जाली अनुमानों आदि का संकेत दिया, के इलावा समस्त राज्यों में नहीं कराए गए थे फिर भी इसके बाद कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा उनके प्रभाव का आगे कोई समग्र मूल्यांकन नहीं किया गया था।



मई 1994 के बाद ज.रो.यो. पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। जून 1993 तथा मई 1994 में किए गए ज.रो.यो. के पिछले मिश्रित मूल्यांकन से रोजगार के प्रति व्यक्ति श्रमदिवसों का नगण्य प्रावधान, उच्चतर गैर मजदूरी संघटक, रोजगार पर केवल 16.59 प्रतिशत का प्रावधान, सृजित परिसम्पत्तियों की घटिया गुणवत्ता/अनुरक्षण, आदि प्रकट हुआ।

#### 4.20. लो.ले.स. की पिछली सिफारिशें

लोक लेखा समिति की पिछली सिफारिशें तथा लोक लेखा समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों पर प्रशासनिक निष्क्रियता भी प्रमाण थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर उसके 94वें प्रतिवेदन में की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों तथा सिफारिशों में से कुछ निम्न प्रकार थी:

- उसको उत्पादी होने के अतिरिक्त लाभकर बनाने के लिए पर्याप्त रोजगार का प्रावधान करना तथा रोजगार के पर्याप्त श्रमदिवसों के उत्पादन के लिए तथा सतत आधार पर पर्याप्त संसाधनों का प्रावधान करना।
- एकल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभावशाली कार्यान्वयन हेतु उसको जिम्मेवार तथा उत्तरदायी बनाने तथा लाभभोगियों को एक बार में गरीबी रेखा पार करने के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त सहायता प्राप्त करना संभव बनाने के लिए एकल विकास योजना बनाना।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों तथा रोजगार की आवश्यकता वाले लोगों का पता लगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तृत आर्थिक सर्वेक्षण करना।
- श्रमिकों का पंजीकरण तथा पंजीकृत श्रमिकों के रोजगार उत्पादन पर नजर रखने के लिए उनको पहचान पत्र जारी करना।
- प्रामाणिक अभिलेख जैसे रोजगार उत्पादन की उपलब्धियों की सही स्थिति निश्चित करने के लिए सत्यापन की संभाव्यता हेतु नामावलियों का अनुरक्षण।
- सृजित की जाने वाली परिसम्पत्तियों की प्राथमिकता पर सुस्पष्ट ध्यान केन्द्रित करके ग्रामीण विकास हेतु समग्र योजना के साथ सभी कार्यों का सामंजस्य करना।

जैसा कि ऊपर दर्शाए गए लेखापरीक्षा पुनरीक्षण के परिणामों से देखा जा सकता है कि लोक लेखा समिति की किसी भी सिफारिश का मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन नहीं किया गया है। पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गई तथा लोक लेखा समिति द्वारा पता लगाई गई सभी कमियां अक्षुण्ण बनी रहीं।

#### 4.21. निष्कर्ष

आनुक्रमिक निष्पादन लेखापरीक्षा से कार्यक्रमों के निष्पादन में निम्नलिखित मौलिक कमियां सिद्ध हुईं:

- (i) लक्षित समुदाय को बहुत कम संसाधन आबंटित करने के कारण प्रत्येक वर्ष के दौरान औसतन लगभग 16 दिनों से अव अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नगण्य वित्तीय संसाधनों से या तो भारी संख्या में ग्रामीण बेरोजगारी का मुकाबला करने या ग्रामीण गरीबी को दूर करने पर कोई प्रभाव होने की आशा नहीं की जाती है।
- (ii) मंत्रालय, राज्य सरकारें तथा जि.ग्रा.वि.ए./जिला परिषदें, सरकार द्वारा इस क्रियाकलाप के लिए दी गई अल्प राशि में से भी वास्तव में उत्पादित रोजगार की सीमा के बारे में उत्पन्न हुए संदेहों से मुक्त कराने के विश्वसनीय प्रमाण सुनिश्चित करने में विफल रहे। रोजगार उत्पादन की सच्चाई का दावा (क) रोजगार इच्छुकों के पंजीकरण सहित उपयुक्त लक्ष्य बनाने, (ख) परिवार कार्डों का जारी तथा अनुरक्षण करने, (ग) नामावलियों तथा मापन पुस्तकों का उपयुक्त अनुरक्षण करने तथा (घ) पर्याप्त ब्यौरों सहित परिसम्पत्तियों की उपयुक्त सूची का अनुरक्षण करने के माध्यम से किया जाता है ताकि निरीक्षण तथा लेखापरीक्षा दलों द्वारा सत्यापनों को आसान बनाया जा सके। चूंकि इनमें से किसी का अनुरक्षण नहीं किया गया था, रोजगार उत्पादन का दावा असत्यापनीय ही रहा।
- (iii) इसके अतिरिक्त, न्यूनतम मजदूरी के द्वारा व्यय के मजदूरी संघटक की यांत्रिक रूप से गणना करने पर जि.ग्रा.वि.ए./जिला परिषदों तथा राज्य सरकारों द्वारा रोजगार उत्पादन का त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग के मूल मुद्दे का पता लगाने में सरकार की वास्तविक रोजगार उत्पादन हेतु समुचित प्रमाण सुनिश्चित करने की विफलता से समस्या और भी जटिल हो गई है।
- (iv) विश्वसनीयता का अभाव तथा उसके परिणामस्वरूप रोजगार उत्पादन के दावे की भ्रमकता इस तथ्य से और भी प्रमाणित होती है कि जि.ग्रा.वि.ए. तथा राज्य सरकारों ने वो राशियां भी शामिल कर ली हैं जो व्य.खा.ले., राजस्व तथा सिविल जमा लेखाओं, बैंकों में रखी हुई थी अथवा उन कार्यान्वयन एजेंसियों को अग्रिम के रूप में दी गई थी जिनकी उपयोग रिपोर्टें उनके उत्पादित रोजगार की सैद्धान्तिक गणना में प्रतीक्षित थी।
- (v) निर्दिष्ट जनसमुदाय के बीच पंजीकरण की विस्तृत तथा पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करने तथा रोजगार प्राप्त करने वालों के अनिवार्य परिवार कार्डों के माध्यम से नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना का लक्ष्य कम से कम दो दशकों से अधिक समय से चालू रहने के बावजूद अभी प्राप्त किया जाना है।
- (vi) संघ तथा राज्य सरकारों द्वारा शीर्ष स्तर पर तथा जिला स्तर पर अनुश्रवण, नियंत्रण, निरीक्षण तथा पुनरीक्षण प्रक्रियाएं उत्पादनों की विशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त हैं।

इन निरन्तर कमियों ने कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि के मूल्य को कम कर दिया तथा घोषित निवेशों की सीमा पर गंभीर संदेह उत्पन्न कर दिया। कार्यक्रम, कार्यान्वयन में विलम्ब, निष्पादन में अड़चनों तथा असत्यापनीय उत्पादनों से उदासीन एक नेमी प्रकार में चल रहे प्रतीत होते हैं।




(हरप्रसाद दास)

महानिदेशक लेखापरीक्षा  
केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली

दिनांक : 4 दिसम्बर, 2000

प्रतिहस्ताक्षरित




(विजय कृष्ण शिंगलू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक : 5 दिसम्बर, 2000



## अनुबन्ध 1

(पैराग्राफ 4.3.1.1 देखें)

लेखापरीक्षा द्वारा चुने गये नमूना जिलों के राज्यवार विवरण

	राज्य	कार्यक्रमों के अंतर्गत जिलों की कुल संख्या	नमूना जांच किये गए जिले	नमूना जांच किये गये जिलों के नाम
1.	आंध्र प्रदेश	22	6	कुरनूल, कुड़प्पा, गुन्तूर विशाखापत्तनम, महबूब नगर तथा करीम नगर।
2.	अरूणाचल प्रदेश	13	6	पश्चिमी सियांग, पपुमपुर, तवांग, लोहित, पश्चिमी कामेंग और लोअर सुवासिरी
3.	असम	23	6	गोलपारा, दुबड़ी, हैलखंडी, जोरहत, कामरूप और करबी-अंगलगं।
4.	बिहार	55	10	देवगड़, धनवाद, डुमका पूर्वी चंपारण, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, मुज्जफरपुर, पटना, रांची और पश्चिमी सिंहभूम।
5.	दादरा एवं नगर हवेली	1	1	सिलवासा।
6.	गोवा	2	2	उत्तरी गोवा जिला तथा दक्षिणी गोवा जिला।
7.	गुजरात	19	4	राजकोट, वलसद, बसंकथ और कच्छ-भुज।
8.	हरियाणा	19	6	भिवानी, हिसार, जींद, रोहतक, सिरसा और यमुना नगर।
9.	हिमाचल प्रदेश	12	6	बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, किनौर, सोलन तथा ऊना।
10.	जम्मू व कश्मीर	14	5	श्रीनगर, पुलवान, जम्मू, काथुआ और उधमपुर।
11.	कर्नाटक	20	5	बंगलोर-ग्रामीण, दक्षिणी कन्नड़, धारवाड़, रायचूर, तथा तमकूर
12.	केरल	14	4	तिरुवन्तपुरम, ईडुकी, पल्लाकड और कोजीकोड।
13.	महाराष्ट्र	29	7	अहमदनगर, अकोला, बांद्रा, नादेड़, नासिक, पूना तथा थाणे।
14.	मध्य प्रदेश	61	10	बिलासपुर, कोरबा, जान्जगिर, मांडला, थिदिन्डोरी, रायपुर, घमत्तरी, महयामुन्ड, सरगुजा और कौरिया।



15.	मणिपुर	9	5	पश्चिमी इम्फाल चुरचंदपुर चन्देल, उखरल और बिशनुपुर।
16.	मेघालय	7	3	पूर्वी खासी पहाड़िया, जैयन्तिया पहाड़ियां तथा री-भोई जिला।
17.	मिजोरम	3	2	आइजोल और लुंगलेई।
18.	नागालैण्ड	7	3	कोहिमा, जुनहैबोतो और फ़ैक।
19.	उड़ीसा	30	8	बालासोर, कटक, गांजम, झरसुगुड्डा, कालाहान्डी किओंझार, करापुट तथा फ़ुलबानी।
20.	पंजाब	17	5	गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना, पटियाला तथा रोपड़।
21.	पांडिचेरी	1	1	पांडिचेरी
22.	राजस्थान	32	7	अलवर, बांसवाड़ा, नागपुर, सीकर, उदयपुर, डुंगरपुर तथा जोधपुर।
23.	सिक्किम	4	4	पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी, जिले
24.	तमिलनाडु	29	7	कांचीपुरम, पुडोकोटी, विलुपुरम, तिरूवनामलाई, शिवगंगा, तिरूवल्लूर और नीलगिरि।
25.	त्रिपुरा	4	4	उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पूर्वी जिला तथा ढलाई जिला।
26.	उत्तर-प्रदेश	83	16	आगरा, इलाहाबाद, बांदा, बहराईच, बुलन्दशहर, फ़िरोजाबाद, हरदोई, कानपुर देहात, ललितपुर महाराजगंज, पौड़ी गड़वाल, पिथौरागढ़, सहारनपुर, शाहजंहापुर, सोनभद्र तथा वाराणसी।
27.	पश्चिम बंगाल	17	5	बीरभूम, हुगली, जलपाईगुड़ी, नादिया और उत्तरी 24 परगना।
	<b>जोड़</b>	<b>547</b>	<b>148</b>	

## अनुबन्ध 2

(पैराग्राफ 4.3.2 देखें)

## लाभभोगी सर्वेक्षण का कार्यकारी सारांश

## लाभभोगी को ग्रा.रो.उ. कार्यक्रम की जानकारी

- ग्रा.रो.उ. का सामान्यतः सम्बन्ध 'ग्रामीण गरीबों' के लिए मजदूरी रोजगार कार्यक्रम नहीं, बल्कि 'ग्रामीण रोजगार' कार्यक्रमों से है।
- इस तथ्य के बावजूद कि लगभग आधे लाभभोगी साक्षर थे, योजना के विविध संघटक या लक्षण के संबंध में (योजना के अन्तर्गत मजदूरी दर, मजदूरी के श्रोत) जानकारी कम थी। योजना में रोजगार मांग की व्यवस्था, रो.आ.यो. योजना का विशेष लक्षण, से 98 प्रतिशत रो.आ.यो. के लाभभोगी अपरिचित थे। यह कार्यक्रम प्रबन्ध और सुपुर्दगी में गंभीर प्रतिबन्ध और कमजोर संयोजन को दर्शाती है।

## लक्षित वर्ग तक पहुंच

- ग्रा.रो.उ. का कार्यक्रम ने उस क्षेत्र का अनुसरण नहीं किया जो कि निर्धारित पिछड़े क्षेत्रों में लक्षित गरीबों से भी गरीब पर विशिष्ट पहुंच रखती है बल्कि सभी ग्रामों के गरीबों पर संकेन्द्रित रहा।
- कार्यक्रम दिशानिर्देश यह बताते हैं कि मजदूरी रोजगार सिर्फ गरीब (ग.रे.नी) परिवारों को ही दी जानी चाहिए। अध्ययन से यह पता लगा कि ज.रो. यो. और रो.आ.यो. लाभभोगियों का 29 प्रतिशत (वार्षिक आय 19650 रु. से अधिक) गरीबी रेखा से ऊपर है जो कि लाभभोगी चयन प्रक्रिया की सही चयन तंत्र का अभाव तथा अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है। इस तथ्य के बावजूद कि कार्यक्रम का उद्देश्य निर्धारित पिछड़े क्षेत्रों में गरीबों से भी केवल गरीब को लक्ष्य बनाया जाना है, कुल लाभभोगियों का सिर्फ पाचवाँ हिस्सा निर्धन आय वर्ग में से थे (वार्षिक आय प्रति परिवार 9825 रूपयों से कम)।
- ज.रो.यो. और रो.आ.यो. कार्यक्रमों दोनों में से लगभग दो-तिहाई लाभभोगी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से थे।
- कार्यक्रम में महिलाओं के आर्थिक उत्थान तथा अधिकार के लिए महिलाओं के लिए रोजगार के कुल 30 प्रतिशत श्रम दिवसों का आरक्षण करने पर विचार किया गया था। महिलाओं के लिए रोजगार की संख्या अभिलेखों के अनुरक्षण और नामावलियों की अप्रत्याप्तता के कारण सुनिश्चित नहीं की जा सकी। तथापि अध्ययन से हिस्सेदारी के मामले में ज.रो.यो. और रो.आ.यो. के लाभभोगियों में महिलाओं की भागीदारी केवल 15 प्रतिशत थी।

## रोजगार की उपयुक्तता

- निर्धनता के मुख्य निर्धारकों को ग्रामीण उत्पादकता और अल्प रोजगार सहित बेरोजगारी से जोड़ा गया। ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो. दोनों ने प्रत्येक ग्रामीण निर्धन परिवारों में से दो वयस्क व्यक्तियों को 100 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने पर विचार किया जिससे निर्धनता पर पर्याप्त अंकुश लगाया जा सके। अध्ययन यह बताता है कि ज.रो.यो. लाभभोगी 21 दिनों के लिए तथा रो.आ.यो. लाभभोगियों ने औसतन 27 दिनों के लिए काम किया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार में से केवल एक वयस्क को रोजगार दिया गया।

- भुगतान से सम्बन्धित कार्य में पारदर्शिता की कमी थी। एक दिन की मजदूरी न्यायसंगत करने हेतु 40 प्रतिशत से कम ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो. मजदूरों को मानक उत्पादन के बारे में बताया गया था।
- दोनों मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों में से अधिकांश लाभभोगी क्षीण कृषी ऋतु के दौरान कार्य करते पाए गए।
- मानदण्डों के अनुसार ज.रो.यो. के 42 प्रतिशत तथा रो.आ.यो. के 40 प्रतिशत के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सामान्यतः साप्ताहिक भुगतान किया जाता था। ज.रो.यो. कार्यक्रम में भुगतान की आवश्यकता के बारे में लगभग 60 प्रतिशत सूचना सही थी। तथापि रो.आ.यो. में भुगतान क्रियाविधि के पालन में भारी असंगति सूचित की गई।
- अनियमित और अविश्वसनीय घटिया किस्म के अनाज की आपूर्ति के कारण अधिकतर भुगतान नकद में किये गये थे इस से भुगतान विलम्ब में और देरी हुई।
- परिवार के दो सदस्यों को दुबारा रोजगार सुनिश्चित करने के लिए रो.आ.यो. के कार्यकर्ताओं का पंजीकरण अभी इस एक विचार मात्र है। 86 प्रतिशत लाभभोगियों का पंजीकरण नहीं किया गया था। इन पंजीकरणों में से एक तिहाई से भी कम (रो.आ.यो. लाभभोगियों का 4 प्रतिशत) को परिवार कार्ड जारी किया गया था।
- पंजीकरण के अभाव ने अपंजीकृत कार्यकर्ताओं (उस समय और बिना लक्ष्य के) और दिहाड़ी दार कर्मचारीवर्ग (ठेकेदारों सहित) को भुगतानों की वृद्धि सूचित की थी।
- प्रभावी रूप से योजना को तकनीकी तथा प्रशासनिक सहायता प्रदान करने में असमर्थता, कार्यक्रम, की देखभाल तथा मॉनीटर प्रमाण थे।

#### ठेकेदार/मध्यस्थों का आवेष्टन

- विशेष प्रावधानों के प्रति कि. ग्राम पंचायत को कार्यकर्ताओं की सीधी भर्ती करनी थी और उन्हें श्रृंखला बद्ध/लागू करना था, ज.रो.यो. के 17 प्रतिशत और रो.आ.यो. के 31 प्रतिशत के लाभभोगियों को ठेकेदार द्वारा भुगतान किया गया था।
- रो.आ.यो. परियोजनाओं के मामले में सामुदायिक अवसंरचना आवश्यकताओं के पंचायतों के बोध को नकारते हुए तथा प्रामाणिक भरण-पोषण परियोजनाओं तथा मांग पर निरन्तर रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं के सैल्फ की पहचान करने की क्रिया विधि से अप्राधिकृत रूप से बाहर निकल कर कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का चुनाव भी ठेकेदारों ने किया।
- ठेकेदारों के साथ काम करने वाले सूचित किये गए व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति ठेकेदार के माध्यम से भुगतान प्राप्त कर रहे थे।
- सर्वेक्षण से प्रकट हुआ कि ख.वि.अ. पंचायतों द्वारा प्रबंधित परियोजना प्रायः वास्तव में ठेकेदारों द्वारा कार्यान्वित की गई थीं।
- सर्वेक्षण से परियोजनाओं की एक सैल्फ बनाने के लिए ठोस प्रयास की कमी का पता चला जिससे स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा सकता था तथा विशेष रोजगार परियोजनाओं के माध्यम से बेरोजगारी/रोजगार की कमी का सामना किया जा सकता था।

### नामावलियों में हस्ताक्षर करना

- अनेक मामलों में नामावलियों के अनुपयुक्त, अधूरे तथा अनुरक्षण न करना उत्पन्न किये गए रोजगार की सीमा की प्रमाणिकता तथा लाभभोगियों को किये गए भुगतानों की विशुद्धता की कमी स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
- सर्वेक्षण से पता चला कि लगभग आधे लाभभोगियों ने भुगतान प्राप्त करते समय रजिस्टर या नामावली पर कभी भी हस्ताक्षर नहीं किए थे।

### सामग्री अनुपात की तुलना में मजदूरी पर सीमा का अनुपालन

- कार्यक्रमों के अंतर्गत संपूर्ण रचना को सामंजस्य नहीं पाया गया कि आर.ई.जी.पी. का मूल लक्ष्य मजदूरी रोजगार उत्पादन था। अधिकतर आबंटन सामग्री गहन निर्माण कार्यों के लिये निर्दिष्ट किये गये थे।
- सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि सम्पर्क सड़कें जो कि सामग्री गहन थी तथा सामग्री संसाधन आबंटन का केवल 20 प्रतिशत निश्चित किया गया था, में वास्तव में उपलब्ध कुल निधियों का लगभग आधा उपयोग किया गया था। इसी प्रकार सिविल निर्माण विद्यालय भवनों, पंचायत भवनों आदि के निर्माण पर निर्देशित पुनः सामग्री गहन पर अनुबंधित 20 प्रतिशत के प्रति सामग्री आबंटन के लिए निधियों का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा था।
- सामग्री से मजदूरी का अनुपात 60:40 के मानदण्ड के प्रति ज.रो.यो. परियोजनाओं में 53:47 और रो.आ.यो. परियोजनाओं में 54:46 पाया गया।

### परिसम्पत्तियों की सूची तथा सत्यापन

- कुल 5032 परिसम्पत्तियों का सर्वेक्षण किया गया था जिसमें सड़कें, सिविल निर्माण, टैंक, खुदे हुए कुएं, वाटर शैड गतिविधियां, पौधारोपण आदि शामिल थे। सर्वेक्षण के परिणाम ने दर्शाया कि ज.रो.यो. के अंतर्गत सर्जित 3444 परिसम्पत्तियों की संख्या से रो.आ.यो. के अंतर्गत सर्जित 1578 परिसम्पत्तियों से बहुत अधिक थी।
- सर्जित परिसम्पत्तियों में अधिकांश सम्पर्क सड़कें : 2509 तथा सिविल निर्माण : 1808 थीं।

### क्रियात्मक स्थिति एवं उपयोग की पद्धति

- सर्वेक्षण के दौरान सत्यापित परिसम्पत्तियों में ज्यादातर अच्छी स्थिति में पाई गई थीं तथा उसी उद्देश्य के लिए उपयोग की गई थीं जिसके लिए सर्जित की गई थीं। तथापि कुछ परिसम्पत्तियाँ जैसे टैंक : 31 प्रतिशत और खुदे हुए कुएँ : 26 प्रतिशत निजी भूमि पर सर्जित की गई थीं।
- लगभग 55 प्रतिशत सम्पर्क सड़कें प्रभावशाली व्यक्तियों के घरों को जोड़ने वाली पाई गई थीं।

**परिसम्पत्तियों के रख-रखाव में स्थानीय लोगों का आवेष्टन**

- परिसम्पत्तियों के सर्जन और रख-रखाव में स्थानीय जनसंख्या से आवेष्टन का अभाव पाया गया। इसके परिणामस्वरूप परिसम्पत्तियों और परिसम्पत्ति सर्जन तथा अनुरक्षण के प्रति स्वामित्व को सरकार (खण्ड अथवा पंचायत) के उत्तरदायित्व के रूप में महसूस किया गया था। तथापि, कुछ मामलों में समुदाय भी परिसम्पत्तियों के रख-रखाव में सम्मिलित पाया गया, अर्थात् सम्पर्क सड़कों का 5 प्रतिशत समुदाय द्वारा अनुरक्षित किया गया सूचित किया गया का, पौधारोपण का 16 प्रतिशत से अधिक सामाजिक घेराबन्दी द्वारा बचाया गया पाया गया था, खुदे कुओं का लगभग एक चौथाई और टेंकों और तालाबों का लगभग 13 प्रतिशत समुदाय द्वारा अनुरक्षित किया गया सूचित किया गया था।

## अनुबन्ध 3 (क)

(पैराग्राफ 4.5 देखें)

1992-99 के दौरान ज.रो.यो. के अर्न्तगत केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी निधि के प्रति राज्यवार वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रुपयों में)

	कुल जारी की गई निधि	कुल उपयोग की गई निधि
आन्ध्र प्रदेश	1780.37	1744.47
अरुणाचल प्रदेश	17.75	17.72
असम	638.77	529.74
बिहार	3511.32	3227.22
गोवा	19.43	19.89
गुजरात	683.84	662.73
हरियाणा	177.00	157.11
हिमाचल प्रदेश	73.93	70.28
जम्मू और कश्मीर	143.88	135.20
कर्नाटक	1197.28	1163.29
केरल	448.64	429.58
मध्य प्रदेश	2344.19	2294.46
महाराष्ट्र	1915.19	1831.08
मणिपुर	28.18	22.03
मेघालय	30.98	23.43
मिजोरम	17.46	17.66
नागालैंड	42.24	30.43
उड़ीसा	1428.44	1334.94
पंजाब	117.99	99.92
राजस्थान	980.23	950.14
सिक्किम	19.59	21.49
तमिलनाडु	1591.84	1747.31
त्रिपुरा	64.83	64.59
उत्तर प्रदेश	4302.79	4276.90
पश्चिम बंगाल	1472.69	1452.93
अण्डमान और निकोबार द्वीप	5.81	5.81
दादरा और नगर हवेली	4.84	3.93
दमन और दीव	1.90	1.79
लक्षद्वीप	3.61	4.14
पांडिचेरी	8.90	8.44
जोड़	23073.91*	22348.65*

\* 'ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो. पर आंकड़ों के संकलन' में दिये गए राज्यवार आंकड़ों तथा मंत्रालय द्वारा प्रमाणित जारी तथा व्यय के आंकड़ों के थोड़ी भिन्नतायें हैं।



## अनुबन्ध 3 (ख)

(पैराग्राफ 4.5 देखें)

अक्टूबर 1993-99 के दौरान रो.आ.यो. के अर्न्तगत केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई निधि का राज्यवार वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रु. में)

	कुल जारी की गई निधि	कुल उपयोग की गई निधि
आन्ध्र प्रदेश	1026.62	1088.06
अरुणाचल प्रदेश	109.88	99.25
असम	564.40	447.97
बिहार	1117.56	1025.72
गोवा	5.00	4.87
गुजरात	320.19	285.00
हरियाणा	181.63	154.91
हिमाचल प्रदेश	89.69	76.55
जम्मू और कश्मीर	298.81	289.37
कर्नाटक	660.63	652.66
केरल	181.13	161.75
मध्य प्रदेश	1367.28	1329.31
महाराष्ट्र	594.48	561.16
मणिपुर	66.63	64.00
मेघालय	29.62	19.64
मिजोरम	77.50	82.73
नागालैंड	137.82	123.44
उड़ीसा	843.91	820.56
पंजाब	69.25	40.24
राजस्थान	702.25	688.78
सिक्किम	17.07	24.97
तमिलनाडु	819.65	831.37
त्रिपुरा	112.85	122.02
उत्तर प्रदेश	1465.78	1456.03
पश्चिम बंगाल	590.29	551.94
अण्डमान और निकोबार द्वीप	2.10	1.26
दादरा और नगर हवेली	1.75	1.18
दमन और दीव	0.45	0.38
लक्षद्वीप	4.65	3.17
पांडिचेरी	1.20	0.32
जोड़	<b>11460.07</b>	<b>11008.61*</b>

\* ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो. के आंकड़ों के संकलन में दिए गए राज्यवार आंकड़ों तथा मंत्रालय द्वारा प्रमाणित किए गए वार्षिक व्यय के आंकड़ों के बीच थोड़ी भिन्नतायें हैं।

अनुबन्ध -4  
(पैराग्राफ 4.5.5 देखें)  
स्फीत वित्तीय विवरण

(लाख रु. में)

राज्य	जिला	योजना	वर्ष	वास्तविक व्यय	सूचित व्यय/उ.प्र. प्रस्तुत किए गये	आधिक्य/स्फीत विवरण	टिप्पणियां
पश्चिम बंगाल	(i) जि.प. बीरभूम	ज.रो.यो. रो.आ.यो.	1996-97	307.46	398.00	90.54	
	(ii) जि.प. नाडिया	ज.रो.यो. रो.अ.यो.	1992-97	4497.86	5280.78	782.92	
	(iii) जि.प. हुगली	ज.रो.यो.	1990-91 और 1992-98	9401.27	9743.00	341.73	
	(iv) जि.प. जलपाईगुड़ी	ज.रो.यो. रो.अ.यो.	1993-97	3921.33	5087.04	1165.71	
केरल	3 जि.ग्रा.वि. ए.	ज.रो.यो.	1994-98	602.88	831.53	228.65	
असम	6 जि.ग्रा.वि. ए.	ज.रो.यो. रो.आ.यो.	1993-98	9426.34	11122.92	1696.58	
जम्मू और कश्मीर	(i) 5 जि. ग्रा.वि.ए.	ज.रो.यो. रो.आ.यो.	1994-98	--	--	188.18	
उत्तर प्रदेश	(i) जि.ग्रा.वि. ए., ललितपुर	ज.रो.यो. रो.आ.यो.	1997-98	45.30	68.50	23.20	
	(ii) छ: ख. वि.अ.	ज.रो.यो.	1996-98	8.49	63.30	54.81	
पंजाब	(i) 3 जि.ग्रा. वि.ए.	रो.आ.यो.	1997-99	74.08	174.05	99.97	अतिरिक्त उप आयुक्त (विकास), कार्यकारी अभियन्ता पंचायती राज मण्डल और जिला वन अधिकारी ने मजदूरी पर व्यय बढ़ाकर सूचित किया।
राजस्थान	(i) सात जि. ग्रा.वि.ए.	ज.रो.यो. तथा रो. आ.यो.	1992-99	43069.00	47028.00	3959.00	जि.ग्रा.वि.ए. द्वारा लेखापरीक्षा को प्रतिवेदित मांगों और राज्य सरकार द्वारा प्रतिवेदित आंकड़ों में भिन्नता।

## 2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

आन्ध्र प्रदेश	(i) परियोजना निदेशक, करनूल और महबूब नगर	ज.रो.यो. रो.आ.यो.	1995-98	1490.00	2709.00	1219.00	जल संभर विकास कार्य के प्रति दर्ज किया गया अन्तिम व्यय
मध्य प्रदेश	(i) बिलासपुर	रो.आ.यो.	1993-98	4850.00	6901.00	2051.00	राशि निष्पादन एजेन्सियों के पास अप्रयुक्त पड़ी रही।
	(ii) मांडला	रो.आ.यो.	1993-95 और 1997-98	--	--	359.00	यद्यपि 3.59 करोड़ रुपये कार्यान्वयन एजेन्सियों के बैंक बचत खाता में पड़े थे परन्तु अनाज की खरीद के प्रति दर्ज किये गये।
तमिलनाडू	(i) छ: जि. ग्रा.वि.ए.	रो.आ.यो.	31 मार्च 1997, 1998 और 1999	--	--	946.67 1942.64 646.94	जि.ग्रा.वि.ए. ने राज्य सरकार को सूचित करते समय कार्यान्वयन एजेन्सियों के पास रखे शेष को अन्तिम व्यय के रूप में प्रस्तुत किया।
नागालैंड	ग्रामीण विकास निदेशक	रो.आ.यो.	1994-95	--	--	140	राज्य अंश जारी नहीं किया गया, परन्तु उ.प्र. प्रस्तुत किये गये।
हिमाचल प्रदेश	जि.ग्रा.वि.ए. ऊना	ज.रो.यो. रो.आ.यो.	जून 1997 से 1998 तक	49.52	606.68	110.16	भारत सरकार को स्फीत व्यय आंकड़े सूचित किये गये थे।
जोड़				78190.53	90013.80	16046.70	

अनुबन्ध - 5  
(पैराग्राफ 4.5.6 देखें)

जि.ग्रा.वि.ए./जिला परिषदों/ग्राम पंचायतों को निधियों का कम/न जारी करना

(लाख रु. में)

राज्य	किसके द्वारा जारी किए गए	योजना	वर्ष	राशि	टिप्पणियां
राजस्थान	राज्य सरकार	ज.रो.यो.	1992-98	1436.00	केन्द्रीय निधि कम जारी की गई।
मणिपुर	(i) केन्द्र/राज्य सरकार	ज.रो.यो.	1992-99	866.66	केन्द्रीय और राज्य निधि कम जारी की गई।
	(ii) राज्य सरकार	रो.आ.यो.	1993-94 1994-95	3.75 302.50	राज्य अंश कम जारी किया गया।
	(iii) राज्य सरकार	ज.रो.यो.	1997-99	63.29	राज्य अंश कम जारी किया गया।
पश्चिम बंगाल	(i) राज्य सरकार	ज.रो.यो.	1992-99	208.60	राज्य अंश कम जारी किया गया।
	(ii) राज्य सरकार	रो.आ.यो.	1993-95 और 1997-98	250.00	राज्य अनुरूपयोजी अंश
	(iii) नाड़ियां	ज.रो.यो.	1993-96	159.14	ग्राम पंचायत को कम जारी की गई।
हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार	ज.रो.यो. रो.आ.यो.	1994-95	61.39	राज्य अंश कम जारी किया गया।
पंजाब	राज्य सरकार	ज.रो.यो.	1998-99	210.00	राज्य अंश जारी नहीं किया गया।
जम्मू और कश्मीर	राज्य सरकार	ज.रो.यो. रो.आ.यो.	1993-99	193.00	राज्य अंश कम जारी किया गया।
मध्य प्रदेश	(i) राज्य सरकार	ज.रो.यो.	1995-96 और 1997-98	5644.00	जि.ग्रा.वि.ए./जि.प. को केन्द्रीय निधि और राज्य अंश कम जारी किया गया।
	(ii) राज्य सरकार	रो.आ.यो.	1994-95 और 1996-97	340.00	जि.ग्रा.वि.ए./जि.प. को राज्य अंश कम जारी किया गया।
	(iii) जि.ग्रा.वि.ए., बिलासपुर	ज.रो.यो.	1992-99	511.00	ग्राम पंचायतों को कम जारी किया गया।
	(iv) जि.ग्रा.वि.ए., मांडला	ज.रो.यो.	1992-99	417.00	ग्राम पंचायत को कम जारी की गई।
	(v) जि.ग्रा.वि.ए., रायपुर	ज.रो.यो.	1992-99	1364.00	ग्राम पंचायत को कम जारी की गई।
असम	राज्य सरकार	ज.रो.यो.	1992-98	630.24	राज्य अंश कम जारी किया गया।
	राज्य सरकार	रो.आ.यो.	1992-98	2154.00	राज्य अंश कम जारी किया गया।
बिहार	9 जि.ग्रा.वि.ए.	ज.रो.यो.	1992-99	8799.87	पंचायतों को कम जारी की गई।
जोड़				23614.44	

## अनुबन्ध - 6

(पैराग्राफ 4.5.7 देखें)

## निष्पादन एजेंसियों को निधि जारी करने में विलम्ब

राज्य	किसके द्वारा जारी की गई	योजना	वर्ष	राशि (लाख रु. में)	विलम्ब की अवधि	टिप्पणियां
मध्य प्रदेश	(i) राज्य सरकार	ज.रो. यो.	1992-98	34120.00	एक से छः महीने तक	
	(ii) राज्य सरकार	रो.आ.यो.	1993-95 और 1996-98	2652.00	एक से तीन महीने तक	राज्य अनुरूपयोजी अंश
	(iii) विकास आयुक्त	रो.आ. यो.	1993-94	68.75	एक महीने तक	उत्तरवर्ती वर्ष में राज्य अंश जारी किया गया।
	(iv) 4 जि ग्रा वि ए	रो.रो. यो.	1992-99	7913.00	तीन महीनों तक	....
असम	(i) केन्द्र और राज्य सरकार	रो.रो. यो. रो. आ.यो.	1992-99	3423.00	.....	प्रत्येक वर्ष मार्च में राज्य सरकार/जि ग्रा वि ए को निधि जारी की गई।
	(ii) राज्य सरकार	रो. रो. यो. रो. आ. यो.	1992-98	611.92 968.82	एक से 14 महीने से ऊपर	राज्य अनुरूपयोजी अंश
मेघालय	केन्द्र और राज्य सरकार	ज.रो.यो. रो.आ.यो.		1296.00	एक से 14 महीने	केन्द्र और राज्य अनुरूपयोजी अंश
गुजरात	जि ग्रा वि ए	ज. रो. यो. रो. आ. यो.	1993-99	2984.00	4 महीनो तक	केन्द्रीय अंश
अरुणाचल प्रदेश	केन्द्र और राज्य सरकार	ज. रो. यो.	1995-98	196.28	एक से 11 महीने	जि ग्रा वि ए को पांच से बारह किशतों में जारी की गई।
	(ii) जि ग्रा वि ए	ज. रो. यो.	1995-98	196.28	सात महीनों तक	अंचल समितियों को जि ग्रा वि ए ने जारी की।
दादरा और नगर हवेली	ग्रामीण विकास एजेंसी	ज. रो. यो.	1996-97	41.45	एक महीने से ऊपर	
उड़ीसा	(i) राज्य सरकार	ज. रो. यो.	1997-99	3015.96	3 महीनो तक	अनुरूपयोजी राज्य अंश
	(ii) राज्य सरकार	रो. आ. यो.	1993-98	3577.45	5 महीनो तक	अनुरूपयोजी राज्य अंश
राजस्थान	(i) राज्य सरकार	ज. रो. यो.	1993-99	64512.00	7 महीनो तक	अनुरूपयोजी राज्य अंश
	(ii) राज्य सरकार	रो. आ. यो.	1996-99	5766.00	3 महीनो तक	
तमिलनाडू	(i) मंत्रालय	रो. आ. यो.	1994-98	2863.33	....	प्रत्येक वर्ष फरवरी तथा मार्च में जारी की गई।
	(ii) मंत्रालय	ज. रो. यो.	1994-98	4542.95	....	प्रत्येक वर्ष फरवरी तथा मार्च में जारी की गई।
मणिपुर	(i) केन्द्र सरकार	रो. आ. यो.	1993-95	660	12 महीनो तक	प्रत्येक वर्ष का केन्द्रीय अंश उत्तरवर्ती वर्ष में जारी किया गया।

2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

	(ii) केन्द्र सरकार	रो. आ. यो.	1994-95	70.00	12 महीनो तक	केन्द्रीय अंश 1995-96 में जारी किया गया।
	(iii) राज्य सरकार	रो. आ. यो.	1993-94 और 1994-95	330.00	24 महीनो तक	राज्य अंश 1995-96 में जारी किया गया।
	(iv) केन्द्र सरकार	रो. आ. यो.	1996-97 और 1994-95	440.00	2 महीनों तक	
	(v) राज्य सरकार	रो. आ. यो.	1996-97	112.50	2 महीनों तक	अनुरूपयोजी राज्य अंश
	(vi) जि ग्रा वि ए, विष्णुपुर	रो. आ. यो.	1996-97	40.00	4 महीनों तक	ख वि अ को जि ग्रा वि ए ने जारी की।
	(vii) केन्द्र सरकार	ज. रो. यो. रो. आ. यो.	1996-98	433.26	...	मार्च 1997 तथा मार्च 1998 के अन्त में केन्द्रीय निधि जारी की गई।
हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार	ज. रो. यो. रो. आ. यो.	1993-94 और 1996-99	113.00	12 से 36 महीने	राज्य अनुरूपयोजी अंश जारी करने में बिलम्ब।
उत्तर प्रदेश	(i) आयुक्त ग्रा वि	ज. रो. यो. रो. आ. यो.	1992-99	95321.00	7 महीनों तक	जि गा वि ए को निधि जारी करने में बिलम्ब।
	(ii) जि ग्रा वि ए वाराणसी, सहारनपुर, बांदा और पिथौरागढ़	ज. रो. यो. रो. आ. यो.	1994-99	5390.00	7 महीनों तक	ग्राम पंचायतों को निधि जारी करने में बिलम्ब।
सिक्किम	(i) केन्द्र सरकार	रो. आ. यो.	1997-98	110.00	.....	वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन निधि जारी की गई।
	(ii) राज्य सरकार		1996-99	326.25	....	जि ग्रा वि ए को निधि वर्ष के अन्त में जारी की गई।
कर्नाटक	जिला पंचायत	ज रो यो	1992-99	5444.00	7 महीनों तक	ग्राम पंचायतों को निधि जारी करने में बिलम्ब।
हरियाणा	(i) राज्य सरकार	ज रो यो	1996-99	6325.00	4 महीनों तक	अनुरूपयोजी अंश
	(ii) राज्य सरकार	रो आ यो	1993-99	17935.00	4 महीनों तक	-वही-
पश्चिम बंगाल	(i) राज्य सरकार	ज रो यो	1996-98	105.64	3 से 5 महीने	अनुरूपयोजी राज्य अंश
	(ii) राज्य सरकार	रो आ यो	1994-95 और 1996-98	400.00	2 से 4 महीने	
	(iii) राज्य सरकार	रो आ यो	1994-95 और 1995-96	137.50	12 महीनों तक	राज्य अंश उत्तरवर्ती वर्ष में जारी किया गया।
गोवा	परियोजना निदेशक तथा ग्रामीण विकास एजेंसियों का लेखा अधिकारी	ज रो यो	1998-99	24.10	छः महीनों तक	पंचायतों को निधि जारी करने में बिलम्ब।



2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

केरल	(i) केन्द्र सरकार	दलाकुयो/इ आ यो (ज रो यो)	1994-98	3821.00	...	वित्तीय वर्ष के अन्त में निधि जारी की गई।
	(ii) राज्य सरकार	ज रो यो, रो आ यो	1993-98	638.21	2 से 7 महीने	अनुरूपयोजी राज्य अंश
नागालैंड	राज्य सरकार	रो.आ.यो.	1998-99	820.00	7 महीनों तक	जि ग्रा वि ए को अनुरूपयोजी राज्य अंश
जोड़				277745.65		

अनुबन्ध-7क  
(पैराग्राफ 4.5.8 देखें)

## कार्यक्रम से असम्बद्ध अन्य योजना को निधि का विपथन

(लाख रु. में)

राज्य	जिला	योजना	वर्ष	राशि	गतिविधियां जिसमें निधि विपथित की गई थी।
<b>(क) निर्माण अनुरक्षण तथा नवीकरण कार्य</b>					
आन्ध्र प्रदेश	(i) जि.ग्रा.वि.ए./ जिला प.	.....	1994-99	64.00	बायोगैस प्लांट का निर्माण
	(ii) -वही-	.....	1994-99	92.00	कार्यालय भवनों तथा मन्दिरों का निर्माण
	(iii) जि.ग्रा.वि.ए./ जिला प.	.....	1994-99	276.00	अनुरक्षण और मरम्मत कार्य तथा बाढ़ क्षति कार्य संबंधित विभाग के बजट से लागत की जानी थी।
मिजोरम	(i).....	रो. आ. यो.	1993-98	466.76	खेलकूद मैदान, राजगीरी, माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, देशगृह, बोलीवाल कोर्ट सामूहिक बोट इत्यादि का निर्माण।
	(ii) तलैगनाम अ.वि. ब्लाक, जि.ग्रा.वि.ए., आईजोल	रो. आ. यो.	1996-98	24.77	शहरी क्षेत्रों में सामूहिक हालों, आर.सी.सी. पुलों, पवेलियन पुश्ता-दीवार आदि का निर्माण।
	(iii) लूंगल अ. वि. ब्लाक, जि. ग्रा.वि.ए., लूंगल	रो. आ. यो.	1993-99	46.02	शहरी क्षेत्रों में तीन सामूहिक हालों का निर्माण।
जम्मू और कश्मीर	...	ज.रो.यो./रो.आ. यो.	1995-99	333.00	स्नानघर, शौचालय गली/गड्ढे खेलकूद मैदान यात्रीशाला इत्यादि का निर्माण।
असम	जि.ग्रा.वि.ए.	ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो.	1992-99	201.11	विज्ञान पुस्तकालय तथा जलेशवर विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला, मिनी स्टेडियम माध्यमिक/उच्च विद्यालयों, का निर्माण क्लब भवन जो योजना के अर्न्तगत अपेक्षित नहीं का निर्माण।
मेघालय	(i) ख.वि.अ. मऊकलांग और माइलीयम	ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो.	1995-98	11.34	रिभोई जिले के उप आयुक्त अधिकारी ने ख.वि.अ. कार्यालय को पहुंच मार्ग, होस्टल भवन, रसोईघर तथा भोजन कक्ष, होस्टल का विद्युतीकरण तथा जलापूर्ति, स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत, पुश्ता दीवार तथा समाधि-क्षेत्र तथा माध्यमिक इंग्लिश विद्यालय आदि के निर्माण का अनुमोदन किया।
	(ii) 8 ब्लॉक	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1992-99	84.64	तीन उप-आयुक्त तथा तीन परियोजना निदेशकों ने (शिलोंग, जोआई, नंगपोह) 123 गैर-सरकारी विद्यालय भवनों का निर्माण अनुमोदित किया।
	(iii) 7 ब्लॉक	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1993-98	104.87	असम्बद्ध गांवों जो संयोजक से जुड़े नहीं थे वहां 376 पक्के रास्तों का निर्माण।
	(iv) 7 ब्लॉक	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1992-98	34.96	विद्यालयों की बजाय गांव क्षेत्रों में 93 खेल मैदानों का निर्माण।
पंजाब	(i) पांच जिले	ज.रो.यो.	1992-99	2816.56	गलियों, नाली, विद्यालय, पंचायत घर इत्यादि की मरम्मत तथा अनुरक्षण, जोकि स्थानीय निकाय/लाइन विभाग की निधि से किया जाना था।

2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

राज्य	जिला	योजना	वर्ष	राशि	गतिविधियां जिसमें निधि विपथित की गई थी।
	(ii) लुधियाना जिला	रो.आ.यो.	1998-99	134.49	42 उच्च/सेकेण्डरी सरकारी विद्यालयों की मरम्मत तथा अनुरक्षण और प्राथमिक विद्यालय की छत को बदलना।
मध्य प्रदेश	बिलासपुर, मांडला, रायपुर और सरगुजा जिले	ज.रो.यो. ज.रो.यो.	1993-99 1992-99	4727.00 3184.16	विभागीय गतिविधियों/कार्यों के लिये निधि का प्रयोग जैसे वन सड़कों का निर्माण/मरम्मत, बांधों की मरम्मत, अनु.जा./अ.जन.जा. समुदाय के लिये स्टे होस्टल और आश्रम के लिये नहरों तथा टैंकों का निर्माण, फलोद्यान, पम्प हाऊस, चौकीदार आवास पंचायत भवनों, गोदाम के साथ दुकानें, लिफ्ट सिंचाई, सभा हालों, सिंचाई विभाग हेतु कालोनी, स्वास्थ्य केन्द्रों आर्युर्वेदिक तथा पशु चिकित्सक अस्पताल आंगनवाड़ी दूकानें व आवास, महिला आवास यात्री प्रतिकालय, सामुदायिक एवं पंचायत भवनों, 2 विद्यालय भवन, मछली फार्म तथा अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण आरक्षित वन क्षेत्रों में पौधारोपण, वन का नवीकरण तथा बांसों का पुर्नउत्पादन इत्यादि।
हरियाणा	(i) उप-मुख्य अधिशासी अधिकारी तथा ए.डी.सी. स्व मु. का.अ., जि.ग्रा.वि. ए., जिंद	रो.आ.यो.	1996-97	3.31	शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण तथा चीनी मिलों आदि के लिये जल नहर का निर्माण।
	(ii) डी.एफ.ओ., यमुनानगर	रो.आ.यो.	1995-98	1.13	विभागीय मरम्मत तथा नवीकरण के कार्य।
हिमाचल प्रदेश	(i) प.अ., जि. ग्रा.वि.ए., विलासपुर	रो.आ.यो.	1996-97	1.80	कार्यालय भवनों का निर्माण।
	(ii) चार ख.वि. अ. तथा परियोजना अधिकारी, जि. ग्रा.वि.ए., विलासपुर	...	1993-99	41.95	205 चल रहे कार्यों का समापन।
	(iii) ख.वि.अ., कालपा	ज.रो.यो. तथा रो. आ.यो.	सितम्बर 1995 से मार्च 1997	1.58	गृह रक्षी हेतु भोजन कक्ष/स्टोर, प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि का निर्माण। निर्माण के लिये उपायुक्त ने निधि उपलब्ध कराई।
	(iv) सात ख.वि. अ., में विलासपुर, चम्बा, किन्नौर तथा ऊना जिले	.....	1994-97	27.65	पहले से ही दो या अधिक कमरों के प्राथमिक विद्यालय भवन में अतिरिक्त कमरों का निर्माण।
अरुणाचल प्रदेश	(i) उप-आयुक्त पश्चिम सियांग, एलांग, निचला सुहनसिनजारो लोहित तेजू जिले	रो.आ.यो.	1993-98	58.15	ख.वि.अ. कार्यालय तथा पहुंच मार्गों, आंचल समिति भवन जि.ग्रा.वि.ए. के स्टाफ क्वार्टर, केन्द्रीय खरीद संगठन स्टोर की अनुरक्षण, जि.ग्रा.वि.ए. के लिये स्टोर, इत्यादि का निर्माण।

राज्य	जिला	योजना	वर्ष	राशि	गतिविधियाँ जिसमें निधि विपथित की गई थी।
	(ii) 4 जि.ग्रा. वि.ए.	....	....	116.96	अस्थाई 286 खच्चर/कुली रास्तों का निर्माण।
उड़ीसा	(i) - एम.आई. शाखा भवानीपटना	रो.आ.यो.	1995-97	29.74	कलेक्टर कालाहाडी ने 22 लघु सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत तथा नवीकरण कार्य संस्वीकृत किया।
	(ii) अधिशासी इंजीनियर ए. आई. शाखा-II बरहामपुर	रो.आ.यो.	मार्च 1997	36.81	17 लघु सिंचाई परियोजनाओं का नवीकरण तथा मरम्मत, व्यय विभागीय रूप से किया जाना था।
	(iii) ख.वि.अ. गाजीपुर जि.ग्रा. वि.ए., कन्नोर	रो.आ.यो.	1994-98	15.00	जि.ग्रा.वि.ए. ने योजनाओं के अर्न्तगत प्राथमिक विद्यालय के अपेक्षित निर्माण के प्रति एम.ई./यू.जी. एम.ई का निर्माण/समाप्त संस्वीकृत किया।
	(iv) ई.ई., एम. आई. कटक मंडल	रो.आ.यो.	1997-99	55.44	जिलाधीश ने लघु सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत, अनुरक्षण तथा पुनर्प्रतिरूपण संस्वीकृत किया।
	(v) सहायक अभियंता आर. डब्ल्यू मंडल संभलपुर, जि.ग्रा. वि.ए., झरमुगुदा	रो.आ.यो.	1996-98	24.00	पुलों का निर्माण
	(vi) जिलाधीश, कटक जिला	रो.आ.यो.	1996-97	20.00	चार चिकित्सालय भवनों का निर्माण।
	(vii) जि.ग्रा.वि. ए. कालाहान्डी, कटक और कोरापुर	...	1994-98	334.00	पहले के कच्चे मार्गों का सुधार।
मणिपुर	(i) उप-आयुक्त अधिकारी इम्फाल, चूराचांदपुर चंदेल तथा उखरूल	ज.रो.यो./रो.आ.यो.	1993-98	22.82	सरकारी क्वार्टरों की घेराबन्दी, उच्च विद्यालय का निर्माण/मरम्मत, पगडण्डी रास्ता, लघु सचिवालय की अहाता घेराबन्दी, जंगल सफाई, ख.वि.अ. क्वार्टर, शौचालय, गैरज तथा स्टोर रूम इत्यादि।
उत्तर प्रदेश	(i) जि.ग्रा.वि.ए., इटावा	ज.रो.यो./रो.आ.यो.	जनवरी से मई, 1995	40.24	ग्राम सभा, सफाई गांव में तालाबों को सुन्दर बनाना।
	(ii) जि.ग्रा.वि.ए., शाहजानपुर	दर.कु.यो. (ज.रा. यो.) रो.आ.यो.	मार्च 1995 से जुलाई 1998	146.00	भांसर धाई घाट तालाब, एक विभागीय कार्य का निर्माण।
	(iii) जि.ग्रा.वि.ए, पिथौरागढ़	रो.आ.यो.	1997-98	19.73	144 गांवों में आर.सी.सी./ईटों के प्रवेश द्वार का निर्माण।
	(iv) जि.ग्रा.वि.ए, खेड़ी	ज.रो.यो.	फरवरी से जुलाई 1995	152.00	दीवारों की चारदीवारी तथा पुलिया एयर स्ट्रीप में पहुंच मार्गों को मिलाने का निर्माण।
	(v) जि.म. इलाहाबाद	रो.आ.यो.	जनवरी से सितम्बर 1998	87.00	34 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण।

राज्य	जिला	योजना	वर्ष	राशि	गतिविधियां जिसमें निधि विपथित की गई थी।
	(vi) जि.ग्रा.वि.ए.पौड़ी, फिरोजाबाद और सोनभद्रा	ज.रो.यो.	1992-98	17.55	जि.ग्रा.वि.ए. के स्टाफ क्वार्टरों, अतिरिक्त कमरों तथा ब्लॉक की चारदिवारी का निर्माण।
	(vii) जि.ग्रा.वि.ए. बंदा, सोनभद्रा और पौड़ी	रो.आ.यो.	1997-99	91.57	बस स्टैंड की चारदिवारी का निर्माण, शहरी क्षेत्रों में चौराहों का नवीकरण और सुदृढीकरण।
	(viii) 10 जि.ग्रा. वि.ए.	द.कु.यो. (ज.रो.यो.)	1992-99	1425.00	डब्युबैल, निशुल्क बोरिंग, नहरों/नालियों तथा लो. नि.का मार्गों पर पुलिया का निर्माण।
	(ix) जि.ग्रा.वि.ए. इलाहाबाद पिथौरागढ़ और पौड़ी	रो.आ.यो.	1997-99	212.00	योजना के अर्न्तगत न आने वाले सरकारी/सरकार से सहायता प्राप्त उच्च विद्यालय/मध्यवर्ती विश्वविद्यालय के लिये भवन तथा अतिरिक्त कक्षा कमरों का निर्माण।
राजस्थान	(i) पी.डी., जि.ग्रा.वि.ए. नागौर	रो.आ.यो.	1996-97	71.94	योजना के अर्न्तगत न आने वाले पीने के पानी के उद्देश्य के लिये विद्यालय अहाते के 327 पानी के टैंकों का निर्माण।
	(ii) जि.ग्रा.वि.ए. बांसवाड़ा	रो.आ.यो.	1994-95	7.58	चार जल आपूर्ति योजनाएं
	(iii) जि.ग्रा.वि.ए. जोधपुर	ज.रो.यो. और रो.आ.यो.	1995-99	10.00	विद्यालय भवनों के निर्माण के लिये निजी संस्थाओं को विपथित की गई।
	(iv) जि.ग्रा.वि.ए. जोधपुर, नागौर और सीकर	ज.रो.यो. और रो.आ.यो.	1994-96	231.39	सलाहकारों के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए जिला सड़कें तथा राज्य राजमार्ग के 9 कार्यों का निर्माण
	(v) परियोजना निदेशक, सात जिले	ज.रो.यो. और रो.आ.यो.	1993-99	242.00	एयरस्ट्रीप, नहर का अस्तर, बांध का आधुनिकीकरण, बस स्टैंड, पंचायती दुकानों का निर्माण एवं अनुरक्षण तथा मरम्मत।
	(vi) जि.ग्रा.वि.ए. जोधपुर	ज.रो.यो. और रो.आ.यो.	1991-99	52.25	आरक्षित जंगल क्षेत्रों में गार्ड चौकी, टैंक, चारदिवारी, घेराबन्दी, नवीकरण तथा चरागाह की मरम्मत इत्यादि का निर्माण।
	(vii) जि.ग्रा.वि.ए. डुंगरपुर और सीकर	ज.रो.यो. और रो.आ.यो.	1994-99	346.00	वन भूमि में पौधारोपण और अनुरक्षण कार्य।
	(viii) उदयपुर जिला	ज.रो.यो.	1996-99	30.66	निम्नीकृत जंगल का नवीकरण तथा घरों का निर्माण।
तमिलनाडु	(i) तूतीकोरिन	ज.रो.यो.	1994-95	29.53	जिला मार्गों की मरम्मत।
	(ii) तीन जिले	रो.आ.यो.	1993-99	817.99	मंदिर टैंकों तथा गांव के टैंक जिनका सिंचाई उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं होता की मरम्मत तथा नवीकरण।
	(iii) कांचीपुरम	ज.रो.यो.	1992-99	120.52	570 कच्चे कब्रिस्तान के साथ बजरी की सड़क का निर्माण।
केरल	चार जिलों में 19 कार्यालय	रो.आ.यो.	1993-98	966.98	सड़कों का सुधार।
कर्नाटक	पांच जिलों में 21 कार्यान्वयन कार्यालय	.....	1993-99	245.00	शहरी/आधारभूत पर्यटक विकास, स्टाफ के आवासीय क्वार्टर तथा वाणिज्यिक दुकानों का निर्माण।
महाराष्ट्र	जि.ग्रा.वि.ए., बांद्रा	रो.आ.यो.	1998-99	12.42	विभागीय विद्यमान नहरों की मरम्मत तथा विस्तार।

2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

राज्य	जिला	योजना	वर्ष	राशि	गतिविधियां जिसमें निधि विपश्चित की गई थी।
पश्चिम बंगाल	(i) बीरभूम जि.प.	ज.रो.यो.	मार्च 1993 और मार्च 1998 के बीच	1151.96	पुलों, पुलिया, कार्यालय भवनों, क्वार्टर मार्गों की मरम्मत, बांध, विद्युतीकरण को पुनः सक्रिय बना इत्यादि का निर्माण।
	(ii) खोयरासोल, पी.एस	रो.आ.यो.	1994-1999	26.33	उप-स्वास्थ्य केन्द्रों तथा स्टाफ क्वार्टर का निर्माण।
	(iii) नाडिया, जि.प.	ज.रो.यो.	दिसम्बर 1994 तथा फरवरी 1999 के बीच	335.78	सड़कों, पुलों, मत्स्य सहकारी प्राशासनिक भवन, सामूहिक हाल, बाढ़ सुरक्षा बांध, निर्माण/मरम्मत, बिलस, का पुनःउत्पादन/पुनः खुदाई, बिजली सामान की लागत इत्यादि।
	(iv) चाकदाह, पी.एस.	ज.रो.यो.	1992-1993	23.75	बड़े नाले का निर्माण।
	(v) हुगली, जि.प.	ज.रो.यो.	1994-1998	66.64	पंचायत समिति भवन का निर्माण।
	(vi) प्रसुराह, पी.एस.	ज.रो.यो.	1994-1995	0.50	उच्च विद्यालय के लिये भूमि का विकास।
	(vii) उत्तर 24 प्रगनास, जि.प.	ज.रो.यो.	.....	5.00	पंचायत समिति भवन का निर्माण।
	(viii) हरोआ, पी.एस.	ज.रो.यो.	दिसम्बर 1994 से दिसम्बर 1995	14.56	प्रशासनिक भवन का निर्माण।
	(ix) सदेशखाली पंचायत समिति	ज.रो.यो.	दिसम्बर 1994 से जनवरी 1996	14.08	स्टाफ क्वार्टर, उच्च विद्यालय भवनों इत्यादि का निर्माण।
	(x) सिंधरानी ग्राम पंचायत का बगदाह, पी.एस.	ज.रो.यो.	1992-1999	9.38	जन साक्षरता अभियान, कार्यालय भवन का निर्माण, ट्यूबवैल का लगाना, विद्युतीकरण इत्यादि।
	(xi) जलपाइगुड़ी	ज.रो.यो., रो.आ. यो. इत्यादि	जनवरी 1996 जून 1995 से फरवरी 1997	86.68 278.21	ग्रामीण विद्युतीकरण। सड़कों की मरम्मत तथा विकास, पुल का निर्माण।
	(xii) उत्तर 24 - प्रगनास	ज.रो.यो./रो.आ. यो.	नवम्बर 1994 और जुलाई 1996 के बीच	652.72	सड़कों तथा सिंचाई कार्यों का सुधार इत्यादि।
	(xiii) चिलादंगा जी. पी., प्रसुराह पी.एस.	ज.रो.यो., रो.आ. यो.	जनवरी 1998 और जून 1998 के बीच	5.05	पक्के पुल के निर्माण पर ग्राम पंचायत ने 4.01 लाख रु. खर्च किए। निर्माण के दौरान ही पुल ध्वंस हो गया।
त्रिपुरा	ख.वि.अ., बिसालगढ़	ज.रो.यो., रो.आ. यो.	1993-99	122.00	2649 गैर अ.जा./अ.ज.जा. सदस्यों से सम्बन्धित निजि-भूमि पर किशमिश, चाय और रबड़ पौधारोपण इत्यादि।
	9 ख.वि.अ.	...	1992-99	3629.00	पुलिस बैरक, गोदाम, होस्टल भवनों का निर्माण इत्यादि।
जोड़				25189.01	



राज्य	जिला	योजना	वर्ष	राशि	गतिविधियां जिसमें निधि विपणित की गई थी।
<b>(ख) वेतन/मजदूरी का भुगतान, वाहनों, कार्यालय उपकरण तथा अन्य कार्यालय उपकरण इत्यादि की खरीद।</b>					
जम्मू और कश्मीर	विभिन्न सहायक आयुक्त अधिकारी (विकास) और ख.वि. अ.	ज.रो.यो. और रो.आ.यो.	1994-99	291.00	रंगीन टी.वी. सैट, उपपोत्स, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर की खरीद, टैक्सी का किराया, विभागीय मध्यान्तर भोजन का आयोजन, नर्ससरी चौकीदार के लिये मजदूरी, आई.ए.वाई, मरम्मत, और सुधारत्मक कार्य, राज्य/केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत भवनों का निर्माण, खूल की सफाई इत्यादि।
	(ii) जि.ग्रा.वि.ए., जम्मू	ज.रो.यो.	फरवरी 1996 और अगस्त 1997 के बीच	0.64	कार्यालय फर्नीचर की खरीद/मरम्मत, कार्यालय खर्च और वाहन की मरम्मत।
बिहार	(i) दस जि.ग्रा.वि.ए.	ज.रो.यो. और रो.आ.यो.	.....	154.00	फर्नीचर और जुड़नार की खरीद, कार्यालय और आवासों के दूरभाष बिलों का भुगतान, विद्युत प्रभार, मध्यान्तर और रात्रि का भोजन, और वाहनों की मरम्मत और अनुरक्षण एवं ईंधन प्रभार, यात्रा खर्च इत्यादि।
	(ii) 9 जि.ग्रा.वि.ए.	ज.रो.यो. और रो.आ.यो.	1992-99	128.00	3 आयुक्त अधिकारियों को तबादला, 15 उप मंडल अधिकारियों, एक सिविल सर्जन तथा अन्य के आकस्मिक कार्यालय खर्चों का भुगतान।
मेघालय	जि.ग्रा.वि.ए., जोबाई	ज.रो.यो.	1992-93	1.36	जीराक्स मशीनों की खरीद।
कर्नाटक	जि.प., तुमकुर	...	1993-99	14.71	कारों की खरीद, कार्यालय उपकरण, फर्नीचर तथा वाहनों का अनुरक्षण, जि.प. प्रधान के आवास के लिये किराये का भुगतान इत्यादि।
अरुणाचल प्रदेश	जि.ग्रा.वि.ए., एलांग	रो.आ.यो.	नवम्बर, 1995	2.17	डिनर सैट की खरीद, पिप्लो कवर, बैड कवर तथा अनियमित मजदूर को भुगतान इत्यादि।
पंजाब	(i) संयुक्त जि.धी. ग्रामीण विकास	ज.रो.यो.	मार्च 1996 और जून 1996	141.37	143 फोटोकॉपी तथा 31 फैक्स मशीनों की खरीद।
	(ii) चार जि.ग्रा.वि.ए. तथा दो जि.प्र.	रो.आ.यो.	मार्च 1997 और मार्च 1999	53.58	जि.ग्रा.वि.ए. के नियमित स्टाफ के वेतन और भत्ते।
पांडिचेरी	....	ज.रो.यो.	1992-99	122.00	विभिन्न सिविल कार्यों के देख-रेख के लिये साइट मेस्टरीज के वेतन एवं भत्ते।
उत्तर प्रदेश	(i) चार जि.ग्रा.वि.ए.	रो.आ.यो.	1992-93	42.14	उपकरण कार्यालय फर्नीचर की खरीद, ब्लॉक के जूनियर इंजीनियर और सहायक इंजीनियर के वेतन/या.भ. का भुगतान
	(ii) तीन जि.ग्रा. वि. ए.	ज.रो.यो.	1992-98	8.91	एयर कंडिशन कार तथा जीप की खरीद
हरियाणा	ए.डी.सी एवं मु.का. अ., जि.ग्रा.वि.ए., जींद	रो.आ.यो., ज.रो.यो.	1996-97	3.50	जि.ग्रा.वि.ए. के लिए स्टाफ के वेतन
पश्चिम बंगाल	(i) जलपाइगुड़ी जि.प. ,डुपगुड़ी माइनागुड़ी पी.एस. तथा मदरीहट पी.एस.	ज.रो.यो.	मार्च 1994 से मार्च 1999	172.06	ट्यूबवैल सामान की खरीद

राज्य	जिला	योजना	वर्ष	राशि	गतिविधियां जिसमें निधि विपथित की गई थी।
	(ii) वीरपारा पी.एस. का मदरीहट जि.प.	द.कु.यो. (ज.रो.यो.)	1994 से 1998	29.63	बाढ़ प्रभावित सामान हटाना तथा अन्य उद्देश्य
	(iii) हुगली	रो.आ.यो. तथा ज.रो.यो.	दिसम्बर 1995 तथा जून 1996 के बीच	92.82	बिजली माल और ट्रांसमीटरों की खरीद, नौ विभागों के बिटूमैन तथा अन्य सड़क निर्माण कार्य
	(iv) नाडिया	ज.रो.यो.	.....	1.23 50.00	बिजली सामानों की लागत
	(v) जि.प. बीरभूम और नाडिया	ज.रो.यो.	1989-99	51.63	मार्ग रोलर, कार, एयरकंडिशनर, कार्यालय साधन की खरीद इत्यादि
असम	(i) पी. एवं आर. विभाग	ज.रो.यो.	जुलाई 1993 और अगस्त 1992	17.92	स्वतन्त्रता सेनानी की सभा तथा दिसपुर के पंचायत सदस्यों की जानकारी के लिये सेमिनार पर खर्च
	(ii) जि.ग्रा.वि.ए. गोलपारा	ज.रो.यो. रा. आ.यो.	दिसम्बर 1995 और अप्रैल 1996	16.29	पी एण्ड आर विभाग द्वारा वाहनों की खरीद तथा विद्यालय में पोलिंग स्टेशनों की व्यवस्था के लिये निधि की संस्वीकृति।
	(iii) जि.ग्रा.वि.ए. जोरहाट	ज.रो.यो. रा. आ.यो.	जनवरी, फरवरी और अप्रैल 1996, फरवरी 1998	14.91	पी एण्ड आर विभाग/परियोजना निदेशक जि.ग्रा. वि.ए. द्वारा विद्यालय में पोलिंग स्टेशनों के प्रबन्ध तथा दिसपुर में पंचायत सभा के प्रबन्ध में खर्च के लिये निधि की संस्वीकृति।
	(iv) जि.ग्रा.वि.ए. कारबी अएलाग	ज.रो.यो.	मार्च 1996	2.86	पी एण्ड आर विभाग द्वारा वाहनों की खरीद की संस्वीकृति।
नागालैण्ड	(i) जुनहबटो जिला	ज.रो.यो. तथा रा.आ.यो.	1996-97	3.53	सावधि जमा की राशि पर अर्जित ब्याज की राशि पर अर्जित ब्याज की राशि में से 3.5 लाख रु. की एक जिप्सी की खरीद।
	(ii) -कोहिमा, फेक एवं जुके	रा.आ.यो.		7.27	फर्नीचर/जी आई पाइप की खरीद तथा ए.डी.सी. क्वार्टर पर फिल्टर संयंत्र की सीपना।
	(iii) निदेशक ग्रामीण विकास	ज.रो.यो.	1995-96	8.05	7 जि.ग्रा.रो.ए., मंत्री/सचिव, आर.डी. निदेशालय के लिये दस फैक्स मशीन, यू.पी.एस.टेलीफोन तथा अन्सरिंग मशीनें।
	(iv) ग्रामीण विका बोर्ड, ख.वि.अ. जखामा.	ज.रो.यो.	1996-99	...	चालू लेखे में रखने के परिणामस्वरूप 0.83 लाख रु. के ब्याज से वंचित होना।
तमिलनाडू	जि.ग्रा.वि.ए. कोच्चिपुरम	ज.रो.यो.	25 जुलाई 1994	10.28	रंगीन टेलीविजन तथा बुस्टर्ज की खरीद।
आंध्र प्रदेश	जि.ग्रा.वि.ए./जि.प.	....	1994-99	77.00	कम्प्यूटर और फर्नीचर की खरीद।
जोड़				1518.86	
(ग) अन्य योजनाएं					
कर्नाटक	पांच जिलों में मु.का. अ. जि.प्र. तथा अधीनस्थ अधिकारी	ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो.	1992-99	2148.00	ए.ग्रा.वि.क., डी.डी.पी. तथा अन्य राज्य परियोजनाएं अग्राह्य ब्लाक, राहत कार्य का अभाव इत्यादि।

2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

राज्य	जिला	योजना	वर्ष	राशि	गतिविधियां जिसमें निधि विपथित की गई थी।
गोवा	परियोजना निदेशक जि.ग्रा.वि.ए. अहमदनगर	.....	27 जनवरी 1998 से 7 फरवरी 1998	260.15	मु. परियोजना निदेशक ने मु.का.अ./जि.प. का अतिरिक्त प्रभार संभालते हुये 201 भूमि तथा जल कार्यों की संस्वीकृति जिसमें से 200 कार्य सू.ग्र.क्षे.का. से सम्बन्धित थे।
राजस्थान	(i) जि.ग्रा.वि.ए. अलवर, नागौर	ज.रो.यो.	1990-97	401.00	अपना गांव अपना काम (अ.ग.अ.का.) तथा अन्य योजनाओं को कर्जें।
	(ii) राज्य सरकार	ज.रो.यो.	1995-96	161.00	इन्दिरा आवास योजना को विपथित दस लाख कुआं योजना के लिये निधि।
उत्तर प्रदेश	9 जि.ग्रा.वि.ए.	ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो.	1992-99	1040.00	ए.ग्रा.वि.का, स्व.रो.यो. पूर्वांचल विकास निधि, एम.पी.एल.ए.डी. इत्यादि।
पांडिचेरी	(i) 3 ब्लॉक	...	...	2.22	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम तथा अन्य योजनाएं।
	(ii) माहे यानम, ओलगेरत तथा कराईकाल नगर निगम	ज.रो.यो.	1992-98	114.35	परियोजना निदेशक ने शहरी/नगर निगम क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिये योजनाओं को संस्वीकृत किया।
गुजरात	(i) निदेशक जि.ग्रा. वि.ए. बलसाद	ज.रो.यो.	1992-93	41.55	ए.ग्रा.वि.का. छोटे तथा मांदले किसान योजना, इत्यादि।
	(ii) जि.ग्रा.वि.ए. कच्छ, भुज			500.00	दुर्लभ कार्य।
हिमाचल प्रदेश	(i) छ: ख.वि.अ.		1992-99	27.35	ओ.बी.बी., ए.ग्रा.वि.का., सामुदायिक विकास, विकास में जन सहयोग तथा दोपहर का खाना योजनायें।
	(ii) दो ख.वि.ग., ऊना तथा घुमारविन	रो.आ.यो.	1998-99	1.55	शहरी क्षेत्रों में चार निर्माण कार्यों का निष्पादन।
मिजोरम	जि.ग्रा.वि.ए., आइजोल	रो.आ.यो.	1995-99	316.30	कवरेज के लिये दो ब्लॉक अनुमोदित नहीं हुए।
मध्य प्रदेश	(i) 5 जिले	ज.रो.यो.	1992-93	440.00	अन्य जिलों को विपथित की गई यद्यपि अनुज्ञेय नहीं थे। मामले की छानबीन की जा रही थी।
	(ii) जि.ग्रा.वि.ए., बिलासपुर	रो.आ.यो.	1996-98	516.00	सू.ग्र.क्षे.का.
	(iii) मु.का.अ., जि. प. बिलासपुर, मांडला रायपुर सुरगुजा	ज.रो.यो.	1992-99	1862.00	सू.ग्र.क्षे.का., रो.आ.यो., ए.ग्रा.वि.का., योजना मण्डल, इ.आ.यो., द.कु.यो. तथा शिक्षा गारन्टी योजना।
	(iv) मु.का.अ., जि. प. बिलासपुर, मांडला, रायपुर सुरगुजा	रो.आ.यो.	1993-99	2956.00	सू.ग्र.क्षे.का., ए.ग्रा.वि.का., इ.आ.यो., ज.रो.यो. लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, एम.डी.पी. तथा योजना मंडल, फरवरी-मई 1999 में केवल 1828 लाख रु. की प्रतिपूर्ति की गई थी।
पंजाब	(i) जि.प. गुरुदासपुर	ज.रो.यो.	1992-96	153.70	द.कु.यो. की निधि इ.आ.यो.को विपथित।
	(ii) .....	ज.रो.यो.	.....	174.29	शहरी क्षेत्रों में कार्यों का निष्पादन।

राज्य	जिला	योजना	वर्ष	राशि	गतिविधियां जिसमें निधि विपथित की गई थी।
	(iii) पांच जिला परिषद, पटियाला, लुधियाना, गुरुदासपुर होशियार पुर तथा रोपड़	ज.रो.यो.	1992-99	160.21	अन्तर्खण्ड ग्राम कार्यो की निधि को दिशानिर्देश का उल्लंघन करते हुये संयुक्त विकास अधिकारी (स.वि.अ.) को विपथित।
उड़ीसा	जि.ग्रा.वि.ए. बालासुर क्योरझार तथा कालाहांडी	रो.आ.यो. तथा ज.रो.यो.	1994-98	247.72	ए.ग्रा.वि.का. तथा टी.आर.वाई.एस.ई.एम. जून 1999 तक ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो. को निधि की प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी।
पश्चिम बंगाल	(i) नाड़िया, जि.प. तथा पंचायत समिति. तारकेश्वर	द.कु.यो. (ज.रो. यो.)	1996-98	104.16	दस कु.यो. निधि इ.आ.यो. को विपथित।
असम	(i) जि.ग्रा.वि.ए. कामरूप	ज.रो.यो.	1993-97	19.98	जि.धी. ने बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यो के लिये निधि का विपथन संस्वीकृत किया
	(ii) जि.ग्रा.वि.ए. जोरहाट, हेलाकाण्डी तथा गोलपारा	रो.आ.यो., ज.रो.यो.	...	76.38	ज.रो.यो., इ.आ.यो., ए.ग्रा.वि.का., डी.डब्ल्यू.सी. आर.ए. तथा तलकीट योजना तथा बोर्डर क्षेत्र विकास निधि
	जि.ग्रा.वि.ए., गोलपारा	ज.रो.यो.	अक्तूबर 1994	3.00	जि.ग्रा.वि.ए. बोंगईगांव को विपथन, राशि की वापसी नहीं की गई थी।
आन्ध्र प्रदेश	जि.प./जि.ग्रा.वि.ए.	रो.आ.यो., ज.रो.यो.	1994-99	236.00	जन्मभूमि तथा अन्य कार्यक्रम इत्यादि।
तमिलनाडू	त्रिवणामालई	ज.रो.यो.	1995-96	59.82 26.00	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम तथा एम.पी. एल.ए.डी. योजना।
	(ii) शिवगंगा	ज.रो.यो.	1992-93 1994-95	2.70 51.55	एम.पी.एल.ए.डी. योजना तथा सू.ग्र.क्षे.का.
	(iii) पुढुकोटाल	ज.रो.यो.	1988-99 1996-97	16.45 24.36	राउथ योजना नामाकू जीवनधारा कुओं की राज्य योजना।
नागालैंड	(i) जि.ग्रा.वि.ए. कोहिमा मोकोचुंग जुनहेबोटो तथा मोन	ज.रो.यो.	1995-96	29.25	ए.ग्रा.वि.का. इत्यादि।
	(ii) जि.ग्रा.वि.ए. कोहिमा फेक तुयेसांग तथा वोखा	ज.रो.यो.	1996-97	24.03	इ.आ.यो. तथा द.कु.यो.
	(iii) मोकोचुंग	ज.रो.यो.	1997-98	16.70	टी.आर.वाई.एस.ई.एम., ए.ग्रा.वि.का. तथा टूलकिट्स कार्यक्रम।
बिहार	जि.ग्रा.वि.ए., धनवाद	ज.रो.यो.	जनवरी सितम्बर 1998	43.09	मर्यक प्रिंटिंग प्रेस को अन्य योजनाओं नामतः ए.ग्रा.वि.ए., टी.आर.वाई.एस.ई.एम., बी.पी.ए. सर्वेक्षण आदि के लिए लेखन सामग्री की आवश्यकता के लिये अग्रिम।
जोड़				12256.36	

राज्य	जिला	योजना	वर्ष	राशि	गतिविधियां जिसमें निधि विपथित की गई थी।		
<b>(घ) अन्य/विविध विपथन</b>							
गोवा	ग्रा.वि.ऐ.	इ.आ.यो., द.कु.यो.	1994-99	289.86	ज.रो.यो. के अन्य संघटक तथा कोई सामग्री प्रयोग किये बिना 27 सफाई कार्यों के लिये निधि विपथित की।		
महाराष्ट्र	ख.वि.अ., किवात	ज.रो.यो.	...	8.71	अन्य निर्माण कार्य।		
गुजरात	जि.ग्रा.वि.ऐ. कच्छ भुज	रो.आ.यो.	1993-98	884.00	अन्य कार्यकलाप।		
पश्चिम बंगाल	(i) पी.एस, खोयरसलो	(i) ज.रो.यो.	...	252.93	कार्यों की अउल्लेखित मदें। प्रशासनिक भवन।		
		(ii) ज.रो.यो.	....	9.30			
	(ii) जि.पी. मादरीहट, वीरपारा	दस.कु.यो. (ज.रो. यो.)	1994-98	11.02	बाढ़ ग्रस्त सामग्री का स्थानान्तरण। अन्य उद्देश्य।		
			1994-96	18.61			
	(iii) जि.प., जलपाईगुड़ी	ज.रो.यो.	जून 1994	100.00	मलेरिया के वर्धन का बचाव कार्यक्रम। अभिलेख में व्यय/उपयोग प्रमाण नहीं थे।		
बिहार	9 जि.ग्रा.वि.ऐं.	ज.रो.यो., रो.अ.यो.	....	1028.00	अन्य क्रियाकलाप जो कार्यक्रम से सम्बन्धित नहीं। जून 1999 तक 934 लाख रु. शेष की प्रतिपूर्ति नहीं हुई।		
हरियाणा	जि.ग्रा.वि.ऐ, भिवानी तथा सिरसा	रो.अ.यो.	1994-98	103.00	निजी भूमि में पौधारोपण करना।		
आन्ध्र प्रदेश	(i) जि.ग्रा.वि.ऐ, विशाखापटनम	...	1994-99	10.18	निजी भूमि के लिये मैदान किराये का भुगतान।		
	(ii) कार्यान्वयन एजेन्सी	.....	1994-99	314.00	आरक्षित वन क्षेत्रों में पौधारोपण।		
	(iii) - वही -	.....	1994-99	54.00	क्रियाकलाप कार्यक्रम से सम्बन्धित नहीं।		
नागालैंड	(i) कोहिमा, जुनहेबोटो तथा फेक	....	1996-99	225.00	अनुदेशक अ.वि. ने शहरी क्षेत्रों को निधि आबंटन का अनुमोदन किया।		
			(ii) तीन जिले	ज.रो.यो.	1997-99	102.72	ग्रामीण विकास बोर्ड सचिवों को मानदेय का भुगतान।
			(iii) राज्य स्तर	ज.रो.यो.	1997-99	648.74	गैर-विनिर्देशित कार्यों पर व्यय।
तमिलनाडू	कांचीपुरम	ज.रो.यो.	9 फरवरी 1999	4.52	मुख्य मंत्री और गवर्नर के दौरों पर खर्च की गई राशि।		
	पुदुकोट्टाई	ज.रो.यो.	1996-98	6.00	जिला पंचायत।		
	बिलूपुरम	ज.रो.यो.	30 मार्च 1996	19.24	जिला पंचायत।		
	<b>जोड़</b>			4089.83			
<b>कुल योग</b>				<b>43054.56</b>			

अनुबन्ध- 7 ख  
(पैराग्राफ 4.5.8.1 देखें)

राजस्व जमा/व्यक्तिगत लैजर/व्यक्तिगत जमा खाते में रखी गई निधि

(लाख रु. में)

राज्य	जिला	योजना	अवधि	राशि	ब्याज की हानि	रखने का ढंग/रखने के कारण/कमियां
<b>(क) राजस्व जमा खाते</b>						
असम	निदेशक पी. और आर.डी.	ज.रो.यो. और रो. आ.यो.	जून 1992, मार्च 1995 एवं मार्च 1996	4186.77	183.24	4070.72 लाख रु. 2 और 21 महीनों की देरी से जारी किए गए थे और 116.05 लाख रु. जमा में पड़े हुए थे।
	जोड़			4186.77	183.24	
<b>(ख) व्यक्तिगत लैजर खाते</b>						
आन्ध्र प्रदेश	कार्यान्वयन प्राधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारी	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1994-99	3246.00	19.40	
गुजरात	राजकोट, बल्साद, बनासकन्था, पालनपुर और कच्छ, भुज	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1993-98	2268.00	.....	व्य.लै.खा. में पड़ी हुई निधि ने राज्य सरकार को अपनी अर्थोपाय को सुधारने में सहायता की।
पंजाब	अधिसासी अभियंता पी.आर. मंडल लुधियाना, पटियाला और रोपड़, जिला वन अधिकारी और ए.डी.सी.(वि.) पटियाला और सचिव जिला परिषद गुरदासपुर और होशियारपुर		जनवरी 1997 और मार्च 1999 के बीच	803.91	.....	
उड़ीसा	जि.ग्रा.वि.ए. कोरापुट और झारसुगुडा	ज.रो.यो. और रो. आ.यो.	1992-99	141.05	89.77	
उत्तर प्रदेश	(i) आयुक्त, ग्रा.वि.	ज.रो.यो.	1992-99	16806.00	87.73	
	(ii) जि.ग्रा.वि.ए., पौड़ी	ज.रो.यो.	अप्रैल-मई 1994	351.00	1.49	
त्रिपुरा	(i) 13 ख.वि.अ.	ज.रो.यो. और रो. आ.यो.	1992-99	---	153.00	निधि 80.904 लाख रु. के बीच प्रत्येक वर्ष व्य.लै.खा. में रखी गई।
	(ii) जिला मजिस्ट्रेट धलाई	ज.रो.यो. और रो. आ.यो.	1995-99	235.00		अप्रयुक्त राशि मार्च 1999 तक व्य.जै.खा. में पड़ी रही।
	जोड़			23850.96	351.39	
<b>(ग) व्यक्तिगत जमा खाता</b>						
आन्ध्र प्रदेश	जि.प., जि.ग्रा.वि.ए. महबूब नगर	ज.रो.यो.	1996-97	20.00	.....	
राजस्थान	(1992) राज्य सरकार	ज.रो.यो. और रो. आ.यो.	1992-99	89413.00	.....	राशि जि.ग्रा.वि.ए. के व्य.ज.खाते में पड़ी हुई थी।



राज्य	जिला	योजना	अवधि	राशि	ब्याज की हानि	रखने का ढंग/रखने के कारण/कमियां
	(ii) 3 जि.ग्रा.वि.ए.	ज.रो.यो.	अप्रैल 1989 से	707.00	....	व्य.जा. खाते में रखी गई निधि एन.आर.ई.पी. तथा आर.एल.ई. जी.पी. के अन्तर्गत शेषों (ज.रो.यो. में विलय होने पर, से संबंधित है।
	(iii) राज्य सरकार	ज.रो.यो.	मार्च 1994	352.00	....	राज्य सरकार ने जि.ग्रा.वि.ए. के व्य.जा. खाते में रखी गई राशि को निकालने पर रोक लगा दी।
कर्नाटक	बंगलौर (ग्रामीण)	ज.रो.यो. और रो.आ.यो.	1992-93	19.29	9.59	19.20 लाख रु. 6 वर्ष से बकाया पड़े रहे।
		जोड़		90511.29	9.59	
<b>(घ) बैंक खाते, सावधिक जमा, मियादी जमा, इत्यादि</b>						
आन्ध्र प्रदेश	परियोजना निदेशक जि.ग्रा.वि.ए.	ज.रो.यो.	1996-97	80.00	....	सावधिक जमा में रखे गए।
मध्य प्रदेश	(i) बिलासपुर, रायपुर और सरगुजा	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1992-99	3937	.....	कामर्शियल बैंक में चालू खाते में रखे गए।
	(ii) बिलासपुर	ज.रो.यो.	1992-99	40.00 152.00	..... ....	बैंकों के पास सुरक्षा/सावधिक जमा में रखे गए।
	(iii) रायपुर	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1997-99	345.00 195.00	.... ....	सावधिक जमा में रखे गए।
	(iv) बिलासपुर, माण्डला, रायपुर और सरगुजा	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1993-99	473.00	....	ब्याज की राशि प्रगति रिपोर्ट में नहीं ली गई थी। मांडला में इसे रोकड़बही में नहीं लिया गया था।
कर्नाटक	(i) पांच जिलों में सात कार्यान्वयन कार्यालय	रो.आ.यो., ज.रो.यो.	1993-99	....	.....	0.5 लाख रु. और 230 लाख रु. के बीच राशि 30 से 539 दिनों की अवधि तक सावधि जमाओं, सहकारी संस्थानों की मांग जमा में रखे गए।
	(ii) जि.प. दक्षिण कन्नड़	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1995-96 1997-98	3.00 5.00		मार्च 1996 से सावधिक जमा में पड़े रहे। फरवरी 1998 से सावधिक जमा में पड़े रहे।
	(iii) 4 कार्यान्वयन अधिकारी	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1992-99	...	15.00	बचत बैंक खाते की बजाय चालू खाते में रखे गए।
	(iv) जि.ग्रा.वि.ए.	ज.रो.यो.	जनवरी 1996	195.00	.....	अप्रयुक्त राशि बैंक में तीन साल से बची पड़ी रही।
पांडिचेरी	परियोजना निदेशक	रो.आ.यो.	31 दिसम्बर 1998	20.00	.....	विभिन्न अवधि के लिए सावधि जमा में रखे गए।
तमिलनाडु	(i) कांचीपुरम और पुडुकोटाई	ज.रो.यो. और रो.आ.यो.	1992-99	...	38.46	पृथक लेखे में रखने की बजाए जि.ग्रा.वि.ए. के सामान्य बैंक खाते में रखे गए। 1 से 8 महीने के बाद निधि अन्तर्गत की गयी।
	(ii) चार जि.ग्रा.वि.ए.	रो.आ.यो.	1994-99	175.00	...	सावधि/अल्प अवधि जमा और बचत योजना में रखे गए।
	(iii) चार जि.ग्रा.वि.ए.	ज.रो.यो.	1992-99	2962.27	....	सावधि/अल्प अवधि जमा और अल्प बचत योजना में रखे गए।

2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

राज्य	जिला	योजना	अवधि	राशि	ब्याज की हानि	रखने का ढंग/रखने के कारण/कमिया
अरुणाचल प्रदेश	जि.ग्रा.वि.ए., जीरो	ज.रो.यो.	दिसम्बर 1992	26.13	...	46 दिनों के लिए मियादी जमा में रखे गए।
मेघालय	(i) जि.ग्रा.वि.ए., नोनगपोह	रो.आ.यो.	1995-96 1996-97	20.00 40.00	.....	दो साल के लिए सावधिक जमा में रखे गए। एक साल के लिए दीर्घकालीन जमा में रखे गए।
	(ii) जि.ग्रा.वि.ए., नोनगपोह के अंतर्गत उमेशीग ब्लॉक और उमलीग ब्लॉक	रो.आ.यो.	नवम्बर 1995 से जून 1996 अप्रैल 1994 से मई 1996	8.28 5.96	.....	चालू खाते में रखे गए। राशि मई-जून 1996 में बचत बैंक खाते में अन्तरित की गई।
गुजरात	जि.ग्रा.वि.ए., कच्छ भुज	....	अप्रैल 1994 से फरवरी 1999	2635.00	.....	30 दिनों से 366 दिनों के बीच की अवधि के लिए मियादी जमा/सावधि जमा में रखे गए।
उत्तर प्रदेश	जि.ग्रा.वि.ए., इलाहाबाद	ज.रो.यो.	मार्च 1992 और अगस्त 1993	62.00	.....	पोस्ट आफिस में मियादी जमा में रखे गए।
मिजोरम	जि.ग्रा.वि.ए., आइजोल	रो.आ.यो.	1995-96	4.20	...	सचिव, ग्रामीण विकास द्वारा अप्रयुक्त राशि अन्तिम व्यय के रूप में इसे मानते हुए मार्च 1999 तक रोक कर रखा गया।
सिक्किम	उत्तरी जिले	ज.रो.यो.	जनवरी 1996	10.00	.....	अलग बैंक खाते में रखे गए।
असम	जि.ग्रा.वि.ए., जोरहट, दुबड़ी और कर्बी-अंगलोग के 5 ब्लॉक	ज.रो.यो. और रो. आ.यो.	मार्च 1994, जून 1994, जनवरी 1995 और मार्च 1996	...	0.52	5 दिनों से 619 दिनों की अवधि के बीच सावधिक जमा/मांग प्राप्ति जमा में रखे गए।
हिमाचल प्रदेश	(i) ख.वि.अ. बिलासपुर सदर और कुनीहार	....	सितम्बर 1995 तथा नवम्बर 1998 के बीच	1.49	.....	निष्पादन एजेंसियों के पास अप्रैल 1999 तक अप्रयुक्त पड़े रहे।
	(ii) पी.ओ., जि.ग्रा.वि.ए. ऊना	ज.रो.यो.	अगस्त 1996	0.75	.....	ट्रयुक्त राशि मार्च 1999 तक बैंक में पड़ी रही।
	(iii) 4 पी.ओ., जि.ग्रा.वि.ए., सोलन, चम्बा, हमीरपुर और किन्नौर तथा 7 ख.वि.अ.	ज.रो.यो. और रो. आ.यो.	1989-99	...	54.48	जमा पर प्रोद्भूत ब्याज को अप्रैल 1999 तक उपयोग नहीं किया गया।
	(iv) ख.वि.अ., सदर बिलासपुर	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1997-98	....	0.78	जमा पर प्रोद्भूत ब्याज को रोकड़ा वही में नहीं लिया गया।
नागालैण्ड	(i) निदेशक (ग्रा.वि.)	रो.आ.यो.	जुलाई 1996 फरवरी 1997	410.00 410.00	.....	एक माह तक चालू खाते में रखा।

- वही -

राज्य	जिला	योजना	अवधि	राशि	ब्याज की हानि	रखने का ढंग/रखने के कारण/कमियां
	(ii) निदेशक (ग्रा.वि.)	रो.आ.यो.	1997-98 1998-99	820.00 820.00	10.20	चालू खाते में रखा।
	(iii) जि.ग्रा.वि.ए., जुनहबोटो	ज.रो.यो.	1998-99	17.38	0.81	आई.आर.डी.पी. के उद्देश्य के लिए बी.पी.एल. के अंतर्गत लोगों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने पर प्रोद्भूत ब्याज का उपयोग किया गया।
	(iv) जि.ग्रा.वि.ए., जुनहबोटो	....	जून 1996 से मई 1998 के बीच	30 ज.रो.यो., ज.रो.यो.,00	.....	सावधिक जमा खाता।
	(v) ग्रामीण विकास बोर्ड, ख. वि.अ., जाखमा	ज.रो.यो.	1996-97	....	0.83	चालू खाते में रखे गए।
<b>जोड़</b>				<b>13864.46</b>	<b>121.08</b>	
<b>(ड.) सिविल जमा</b>						
बिहार	(i) राज्य सरकार	ज.रो.यो.	मार्च, 1992	1018.00	.....	राशि पटना सचिवालय कोषागार से अनाधिकृत रूप से निकाली गई और सिविल जमा में मार्च 1992 में रखी गई तथा जून 1999 तक जमा में रही।
	(ii) राज्य सरकार	ज.रो.यो.	.....	13024.00	....	कोषागार से अनाधिकृत रूप से 2 से 48 महीनों तक सिविल जमा में रखे गए।
	(iii) राज्य सरकार	रो.आ.यो.	मार्च, 1996	1195.00	533.00	4 माह के लिए सिविल जमा में रखे गए।
	(iv) दस जि.ग्रा.वि.ए.	ज.रो.यो.	.....	8802.00	....	एक से 84 महीनों तक सिविल जमा में रखे गए।
	(v) जि.ग्रा.वि.ए., गुमला	ज.रो.यो.	ज.रो.यो.	300.00	91.13	जून 1999 तक सिविल जमा में पड़े रहे।
	(vi) डुमका में 5 ख.वि.अ. और पश्चिम सिंहभूमि में 3 ख.वि.अ., ख.वि.अ. मनार, पटना और मं.व.अ.(एफ.ई.डी)	ज.रो.यो. और रो.आ.यो.	.....	.....	86.03	निधि बचत बैंक खाते की बजाय चालू खाते में रखी गई।
	(vii) ख.वि.अ., बासिया, गुमला	रो.आ.यो.	जून, 1998	15.80	....	ख.वि.अ. के चालू खाते में रखी गई और ब्लाक के अन्य व्यय के प्रति उपयोग की गई।
मध्य प्रदेश	(i) राज्य स्तर	ज.रो.यो.	1992-93 1996-97	4798.00 3373.00	....	सिविल जमाओं में रखी गई। एक से बारह सप्ताह की देरी से राशि को जारी किया गया था।
	(ii) राज्य सरकार	रो.आ.यो.	1996-97	383.00	....	अनुरूप्योजी राज्य शेयर सिविल जमा में रखे गए और छः सप्ताह की देरी के बाद 1997-98 के दौरान जारी किये गए।
मणिपुर	(i) जि.ग्रा.वि.ए.	ज.रो.यो.	अप्रैल 92 तथा मार्च 93 के बीच	250.80	.....	राशि सितम्बर-अक्टूबर 1992 और मार्च-जून 1994 में निकाली गई थी।

2000 की रिपोर्ट सं: 3 (सिविल)

राज्य	जिला	योजना	अवधि	राशि	ब्याज की हानि	रखने का ढग/रखने के कारण/कमियां
	(ii) परियोजना अधिकारी ग्रा.वि.	रो.आ.यो.	मार्च 1995	302.00	.....	राशि जून 1995 और फरवरी 1996 में निकाली गई थी।
कर्नाटक	5 जिलों की नमूना जांच	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1992-99	1132	.....	सिविल जमा में रखे गए।
जोड़				34593.60	710.16	
<b>(च) अन्य विविध राज्य प्राप्तियां</b>						
बिहार	जि.ग्रा.वि.ए., पूर्वी सिंहभूमि	ज.रो.यो. और रो. आ.यो.	1992-98 1994-98	.... ....	98.98 33.28	अर्जित ब्याज अलग खाते में रखा गया और कार्यक्रम निधि में जमा नहीं किया गया।
	ख.वि.अ. चायवासा सदर, पश्चिम सिंहभूमि	ज.रो.यो.	अक्तूबर 1990 से मार्च 1998 तक	6.48	...	ब्याज की राशि को अलग खाते में रखा गया।
मध्य प्रदेश	बिलासपुर, रायपुर और सरगुजा	रो.आ.यो. और ज. रो.यो.	1992-99	5265.00 848.00 1458.00		कोषागार जमा में रखे गए।
पश्चिम बंगाल	(i) 3 जि.प., बीरभूमि, नादिया और हुगली जिले	ज.रो.यो.	1992-99	....	447.72	कोषागारों के बिना ब्याज के खाते में रखे गए।
	(ii) जि.प. जलपाईगुडी और चार पंचायत समीतियां	ज.रो.यो.	जनवरी 1998 से मार्च 1998 तक	....	5.08	कोषागार से बचत बैंक खाते में निधि के अन्तरण में विलम्ब।
केरल	(i) चार जिलों में 14 ब्लॉक	ज.रो.यो. और रो. आ.यो.	1993-97	151.68	....	कोषागार खाते में रखे गए।
	(ii) 10 ब्लॉक/जि.ग्रा.वि.ए.	ज.रो.यो.	1994-99	....	16.63	निधि जिला/उप-कोषागारों में कोषागार खाते में रखी गई।
नाटक	दक्षिण कन्नड और धारवाड में दो कार्यान्वयन कार्यालय	ज.रो.यो.	1997-99	15.71	....	पौधों की विक्रय आय कार्यक्रम निधि के बजाय सरकारी खाते में क्रेडिट की गई।
पंजाब	जि.ग्रा.वि.ए., लुधियाना, गुरदास पुर और जि.प. लुधियाना	ज.रो.यो. और रो. आ.यो.	....	....	33.59	निधि के जमा पर अर्जित ब्याज अप्रयुक्त पड़ा रहा।
जोड़				7744.87	635.28	
कुल जोड़				174751.95		



अनुबन्ध - 8  
(पैराग्राफ 4.5.9 देखें)

यद्यपि वास्तव में खर्च न किए गए लेकिन अंतिम व्यय के रूप में मान ली गई अप्रयुक्त/असमायोजित अग्रिम पड़ी राशि

(लाख रु. में)

राज्य	जिला	योजना	किसको अग्रिम दिया गया	अवधि	अग्रिम की राशि	उद्देश्य जिसके लिए अग्रिम स्वीकृत किया गया।
असम	कामरूप	ज.रो.यो.	जि.ग्रा.वि.ए. के अधिकारी	1992-97	1.52	जि.ग्रा.वि.ए. के अधिकारियों को सामग्री के उतारने व चढ़ाने के लिए अग्रिम दिये गये थे। सामग्री प्राप्त नहीं हुई थी तथा जि.ग्रा.वि.ए. के परियोजना निदेशकों ने अप्रैल 1999 तक राशि वसूली नहीं की थी।
- वही -	- वही -	ज.रो.यो.	मैं. निजोन ट्यूब्स	मार्च 1997	0.32	काली ट्यूबों की आपूर्ति के लिए।
- वही -	- वही -	ज.रो.यो.	मैं. भारतीय सीमेंट निगम (भा.सी.नि.)	मार्च 1997	0.82	सीमेंट की आपूर्ति के लिए
- वही -	- वही -	रो.आ.यो.	टाटा आइरन और स्टील कं.	मार्च 1997	9.18	मार्च 1997 में स्टील सामग्री की आपूर्ति के लिए
- वही -	- वही -	इ.आ.यो.	मैं. ब्रह्मपुत्र आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	1996-97	3.08	स्टील सामग्री की आपूर्ति के लिए
	दुबड़ी	ज.रो.यो.	जि.ग्रा.वि.ए. के 9 अधिकारी	मई 1994 से अगस्त 1995	4.47	मजदूरी के भुगतान के लिए। कर्मचारियों के द्वारा कार्य का निष्पादन न किए जाने के बावजूद भी जि.ग्रा.वि.ए. के परियोजना निदेशकों ने अग्रिम राशि की वसूली नहीं की।
- वही -	- वही -	श्रो.आ.यो.	जि.ग्रा.वि.ए. के 11 अधिकारी	मार्च 1995 से मार्च 1996	8.69	कार्य के निष्पादन के लिए। काम का निष्पादन नहीं हुआ फिर भी अग्रिम राशि की वसूली नहीं की गई।
	हैलखंडी	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	जि.ग्रा.वि.ए. के अधिकारी	1994-96	6.77	मजदूरी के भुगतान के लिए। नामावली के कर्मचारियों द्वारा कार्य का निष्पादन नहीं किया गया और अप्रैल 1999 तक अग्रिम बिना वसूली के रहा।
- वही -	- वही -	इ.आ.यो.	मि.डी.पाल		3.54	एम.एस. छड़ों की खरीद के लिए, छड़ों की अप्रैल 1999 तक पूर्ति नहीं की गई।
- वही -	- वही -	ज.रो.यो., द.कु.यो.	जि.ग्रा.वि.ए. के अधिकारी	मार्च 1994 तथा मार्च, 1998	85.59 7.58	कार्य के निष्पादन के लिए भुगतान।
	कर्बी-अंगलोग	ज.रो.यो.	आपूर्तिकर्ता	1992-98	1.66	स्टील सामग्री और मोटर पुर्जों की आपूर्ति के लिए। अप्रैल 1999 तक सामग्री की आपूर्ति नहीं की गई थी।
- वही -	- वही -	- वही -	जि.ग्रा.वि.ए. के अधिकारी	1992-98	2.38	मजदूरी के भुगतान के लिए। फरवरी अप्रैल 1999 तक एम.आर. मजदूरों द्वारा कार्य का निष्पादन नहीं किया गया, इसके बाद भी अग्रिम राशि की वसूली नहीं की गई।

2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

राज्य	जिला	योजना	किसको अग्रिम दिया गया	अवधि	अग्रिम की राशि	उद्देश्य जिसके लिए अग्रिम स्वीकृत किया गया।
	- वही -	ज.रो.यो. और रो.आ.यो.	मै. सी.सी.आई. बोकाजन	मार्च 1993 तथा दिसम्बर 1994	31.33	मार्च के अंतिम भाग में सीमेंट की पूर्ति के लिए भुगतान किया गया और इसे अंतिम व्यय के रूप में मान लिया गया।
	- वही -	रो.आ.यो.	मै. कर्ब ह्यूम पाइप लिमिटेड तथा सी.सी.आई. बोकाजन	मार्च, 1994	61.75	ह्यूम पाइपों और सीमेंट की आपूर्ति के लिए।
	जि.ग्रा.वि.ए., जोरहट	ज.रो.यो.	पी.एण्ड.आर.डी. निदेशालय, एफ. सी.आई., ए.टी. ए.टी.एफ.ई.डी., एस.ए.आई.एल., सी.सी.आई. बोकाजन	1984-98	217.21	खाद्यानों और सामग्री की आपूर्ति के लिए जि.ग्रा.वि.ए. के सामग्री के समर्थन में बिना किसी अंतिम बिल, चालान तथा विस्तृत लेखे के अग्रिम समायोजित कर दिए।
	- वही -	ज.रो.यो.	मै. निजोन ट्यूब्स	1994-95	8.30	मार्च 1995 में काली ट्यूबों की आपूर्ति के लिए और इसे अन्तिम व्यय के रूप में मान लिया गया।
	- वही -	ज.रो.यो.	मै. सी.सी.आई. बोकाजन	1994-95	6.72	सीमेंट की आपूर्ति के लिए
	गोलपाड़ा	रो.आ.यो.	मै. सी.सी.आई.	मार्च, 1997	25.68	सीमेंट की आपूर्ति के लिए
	जि.ग्रा.वि.ए., कर्बी-अंगलोग	रो.आ.यो.	निष्पादन एजेंसियां	1994-95	0.65	विद्यालय भवन के निर्माण के निर्माण के लिए। किन्तु कोई विद्यालय भवन विद्यमान नहीं था।
तमिलनाडु	कांचीपुरम	ज.रो.यो.	विभिन्न निष्पादन एजेंसियां	1995-96	94.58	नामपट्टों और सैन्ट्रिंग शीटों की आपूर्ति के लिए। ये सामायोजन के लिए लम्बित थे। रिकार्ड जांच के लिए सी.बी.आई., चेन्नई के पास थे।
	- वही -	ज.रो.यो.	3 औद्योगिक सहकारी समितियां	1993-96	108.71	श्मशान शैडों के निष्पादन के लिए सामायोजन लम्बित थे। रिकार्ड जांच के लिए अगस्त 1996 से सी.बी.आई., चेन्नई के पास थे।
	डिन्डीगुल, विल्लूपुरम और शिवगंगा	ज.रो.यो.	तमिलनाडु स्टील लिमिटेड एराकोनम	1993-97	33.67	यद्यपि कम्पनी सितम्बर 1997 में बन्द हो गई थी, जि.ग्रा.वि.ए. ने बकाया राशि को वापस लेने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।
	तिरुवन्नामलाई	ज.रो.यो.	तमिलनाडु स्टील लिमिटेड एराकोनम	1996-98	26.53	आपूर्तिकर्ता ने फरवरी 1999 तक स्टील की आपूर्ति नहीं की।
	जि.ग्रा.वि.ए., कांचीपुरम, पुदोकोट्टई, शिवगंगा और विल्लूपुरम	ज.रो.यो., रो.आ.यो., द.कु.यो. और 1 ज. रो.यो.		31 मार्च 1996, 1997 और 1998	1169.12 1391.31 160.65	बिना भुनाये चैकों को अंतिम व्यय के रूप में माना गया।
मध्य प्रदेश	(1) जि.प. बिलासपुर,	ज.रो.यो., 1 ज.रो.यो.	मध्य प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति	1993-97	460.00	राशि जून 1999 तक वापस नहीं की गई थी।



राज्य	जिला	योजना	किसको अग्रिम दिया गया	अवधि	अग्रिम की राशि	उद्देश्य जिसके लिए अग्रिम स्वीकृत किया गया।
	मांडला, रायपुर, सरगुजा	और रो.आ. यो.	निगम लिमिटेड			
	(ii) बिलासपुर	ज.रो.यो.	निजी परिवहाक	मार्च 1990	10.00	अग्रिम दी गई राशि को अंतिम व्यय के रूप में मान लिया गया था यद्यपि जनवरी 1999 तक व्यय के प्रति वाउचर समायोजित नहीं किये गये थे।
	(iii) बिलासपुर	रो.आ.यो.	जि.ग्रा.वि.ए., भोपाल	अगस्त, 1995	7.00	खण्डों के वाटकर नक्शों की आपूर्ति के लिए अग्रिम दी गई राशि को अंतिम व्यय माना गया। नक्शों की आपूर्ति फरवरी 1999 तक प्रतीक्षित थी।
गुजरात	जि.ग्रा.वि.ए., कच्छ-भुज	ज.रो.यो.	गुजरात राज्य सिविल आपूर्ति निगम, गांधी नगर	सितम्बर 1997	21.12	खाद्यान्न कूपनों की अधिप्राप्ति के लिए अग्रिम दिया गया। कूपन प्रणाली को सितम्बर 1998 में समाप्त कर दिया गया था परन्तु राशि अप्रैल 1999 तक समायोजित नहीं की गई थी।
अरुणाचल प्रदेश	जि.ग्रा.वि.ए., लोहित	रो.आ.यो.	बी.डी.ओ., हैलीयांग अधिशासी अभियन्ता आर. डब्ल्यू.डी., रोंइग और बी.डी.ओ., हवाई	1993-96	8.38	समायोजन बिल/वाउचर मार्च 1999 तक समायोजन के लिए लम्बित थे।
उड़ीसा	(i) 3 ब्लॉक	द.कु.यो.	240 लाभभोगी	1992-99	17.69	राशि समिति की लेखा-किताबों में समायोजन के लिए लम्बित थी।
	(iii) जि.ग्रा.वि. ए., किंयोझर	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	4 निष्पादन एजेसियां	मार्च 1997 तथा मार्च 1998	4006.00	जि.ग्रा.वि.ए. ने निष्पादन एजेसियों को दिये गए सम्पूर्ण अग्रिम को मार्च 1997 तथा 1998 की प्रगति रिपोर्ट में दर्शाया
मणिपुर	i) बिशनपुर, ारल, तथा राचन्दूर	रो.आ.यो.	लाभभोगियों का सचिव	1995-97	21.89	156 निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए राशि अग्रिम दी गई। निर्माण कार्य अनिष्पादित छोड़ दिये गये। डी.सी.ने अग्रिम राशि की वसूली नहीं की।
	(ii) चुरचन्द्रपुर ब्लॉक	रो.आ.यो.	ब्लॉक का अनुभाग अधिकारी	- वही -	2.50	पक्का डेम के निर्माण के लिए राशि अग्रिम दी गई थी। काम को छोड़ दिया गया।
	2 जिले	.....	बी.डी.ओ./ग्राम पंचायतें	.....	332.38	उपयोग प्रमाण-पत्र नहीं भेजे गये। जि.ग्रा.वि.ए. ने ब्लॉक में उपलब्ध निधि के आधार पर कार्य की प्रगति प्रस्तुत की, न कि वास्तविक व्यय के आधार पर।
उत्तर प्रदेश	(i) आठ जि.ग्रा. वि.ए.	.....	धनष्पादन एजेसियां	1992-98	25713.00	भुगतान किए गए अग्रिम सामायोजन बिलों/उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति के बिना अंतिम व्यय के रूप में मान लिए गये थे।
	(ii) जि.ग्रा.वि. ए.	ज.रो.यो. /रो.आ.यो.	जिला आपूर्ति अधिकारी,	1996-97 तथा 1998- 99 के बीच	109.00	खाद्यान्नों की परिवहन लागत के लिए अग्रिम दी गई राशि जून 1999 तक कार्यक्रम निधि

राज्य	जिला	योजना	किसको अग्रिम दिया गया	अवधि	अग्रिम की राशि	उद्देश्य जिसके लिए अग्रिम स्वीकृत किया गया।
			इलाहाबाद, ललितपुर सोनभद्र और बांदा जिले			पूरी नहीं की गयी थी।
	(iii) 8 जि.ग्रा. वि.ए.	ज.रो.यो., रो.आ.यो. तथा द.कु.यो.	निष्पादन एजेंसियां	-----	5286.00	
सिक्किम			सहायक अभियंता	1996-99	34.22	काम के निष्पादन के लिए भुगतान किए गए अग्रिम असमायोजित पड़े हुए थे।
कर्नाटक	(i) दो जि.प., बंगलौर (ग्रामीण) और दक्षिण कन्नड	.....	भारतीय खाद्य निगम (भा.खा. नि.)	1993-96	45.85	खाद्यान्नों के लिए भा.खा.नि. को अग्रिम दिए गए 298 लाख रु. के प्रति 45.95 लाख रु. मूल्य के खाद्यान्न कार्यान्वयन अधिकारियों द्वारा नहीं उठाए गए थे। राशि मार्च 1999 तक वसूल नहीं की गई थी।
	(ii) जिला पंचायत, बंगलौर (ग्रामीण)		मैं. कर्नाटक भूमि सेना निगम	1990-91	24.28	निर्माण कर््यों के निष्पादन के लिए अग्रिम समायोजन के लिए लंबित थे।
	(iii) जैड.पी.ई. डी. हावेरी और टी.पी. कोपाल		अधीनस्थ अधिकारी	1989-90 और 1995-97	11.76	कार्य के निष्पादन के लिए अग्रिम दी गई राशि अप्रैल 1999 तक बकाया थी।
	(iv) धारवाड, दक्षिण कन्नड और रायचुर जिले		कृषि और वन विभाग के छ: अधीनस्थ अधिकारी	1995-99	169.00	भुगतान किए गए अग्रिम अंतिम व्यय के रूप में मान लिए गये थे।
केरल	(i) पंचायत, 8 ब्लॉक और परियोजना अधिकारी, जि. ग्रा.वि.ए., इडुक्की	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	लाभभोगियों की समितियों के संयोजक	1993-97	12.34	लाभभोगियों की समितियों के संयोजकों को कार्यों के निष्पादन के लिए अग्रिम दी गई राशि मार्च 1999 तक असमायोजित पड़ी रही। संयोजकों ने कार्य आरम्भ/पूरा नहीं किया।
	(ii) जि.ग्रा.वि. ए. इडुक्की	रो.आ.यो.	निरमिथी केन्द्र	जून-सितम्बर 1997	14.00	पांच विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए दिया गया अग्रिम मई 1999 तक असमायोजित पड़ा रहा।
	(iii) कोजीकोड जिला और 3 ब्लॉक	ज.रो.यो.	संयोजक ब्लॉक	1996-99	88.00	अग्रिम असमायोजित पड़े रहे थे।
त्रिपुरा	(i). 13 खं.वि. अ.	.....	कार्यान्वयन अधिकारी	1992-99	4577.00	38.38 लाख रु. के अग्रिम की व्यय की विशुद्धता सुनिश्चित किए बिना तथा 7.39 लाख रु. के समायोजन वाउचर लम्बित होते हुए भी अंतिम व्यय के रूप में माना गया था।

2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

राज्य	जिला	योजना	किसको अग्रिम दिया गया	अवधि	अग्रिम की राशि	उद्देश्य जिसके लिए अग्रिम स्वीकृत किया गया।
	(ii) धलाई जिले में 5 ब्लॉक	ज.रो.यो. और रो.आ.यो.	कार्यान्वयन अधिकारी	1994-99	163.00	अगस्त 1999 तक असमायोजित पड़े रहे।
राजस्थान	(i) .....	रो.आ.यो.	विभिन्न जि.ग्रा. वि.ए. और निष्पादन एजेंसियां	....	4967.00	राशि निष्पादन एजेंसियों/विभिन्न जि.ग्रा.वि.ए. के पास अव्ययित असमायोजित पड़ी रही।
	.....	.....	आवास विकास संस्थान	मार्च 1996	19.00	विद्यालय भवन के निर्माण के लिए आवास विकास संस्थान (आ.वि.सं.) से निधि अग्रिम दी गई। जि.ग्रा.वि.ए. ने सूचित किया कि आ.वि.सं. परिसमापन के अन्तर्गत है और विद्यालय भवन के निर्माण के अवसर बहुत कम थे।
	(ii) सिंचाई विभाग जोधपुर	.....	ए.ई.एन. उप-मंडल-II	नवम्बर 1998	6.40	भुगतान के विस्तृत लेखे विभाग में उपलब्ध नहीं थे।
	(iii) पं.स. धौड, सीकर और जि.ग्रा.वि.ए. जोधपुर	.....	विकास अधिकारी पंचायत समिति धौड और अधिशासी अभियन्ता, लो. नि.वि. मंडल-II जोधपुर	1993-94 तथा 1997-98 के बीच	17.74	विभाग के अधिकारियों ने सूचित किया कि कार्य पूर्ण हो गये, यद्यपि कार्य अपूर्ण पड़े हुए थे।
हरियाणा	19 जि.ग्रा.वि.ए.	ज.रो.यो. और रो.आ.यो.	निष्पादन एजेंसियां	1994-98	383.38	उपयोग प्रमाणपत्र मार्च 1999 तक प्रतीक्षित थे।
पश्चिम बंगाल	(i) जि.प. बीरभूमि, हुगली, जलपाईगुड़ी और नदिया	.....	निष्पादन एजेंसियां	1994-97	17629.00	उपयोग प्रमाणपत्र मार्च 1999 तक प्रतीक्षित थे।
	(ii) 4 जि.प., 3 प.स. और एक ग्रा.प.	.....	वेतन अधिकारी, सहायक अभियन्ता	1992-98	222.85	मजदूरों को मजदूरी के भुगतान के लिए अग्रिम दी गई राशि फरवरी 1999 तक असमायोजित पड़ी रही।
	(iii) 2 प.स. और एक ग्रा.प.	.....	.....	- वही -	27.54	मजदूरी के भुगतान के लिए अग्रिम दी गई राशि अंतिम लेखा शीर्ष को प्रभारित की गई थी।
पंजाब	(i) होशियारपुर जिला	ज.रो.यो.	विभिन्न ग्राम पंचायतें	1992-99	.....	निष्पादन एजेंसियों को 132.43 लाख रु. तथा 213.56 लाख रु. के बीच दी गई निधि को अन्तिम लेखे प्राप्त किए बिना अन्तिम व्यय के रूप में मान लिया गया था।
	(ii) रोपड़	ज.रो.यो.	विभिन्न ग्राम पंचायतें	1992-99	.....	निष्पादन एजेंसियों को 12.70 लाख रु. तथा 28.31 लाख रु. के बीच अग्रिम दी गई निधि को लेखे के समायोजन लंबित होने पर भी अंतिम व्यय के रूप में मान लिया गया था।

2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

राज्य	जिला	योजना	किसको अग्रिम दिया गया	अवधि	अग्रिम की राशि	उद्देश्य जिसके लिए अग्रिम स्वीकृत किया गया।
जम्मू व कश्मीर	सहायक आयुक्त, विकास	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	जिला पंचायत अधिकारी और डी.एफ.ओ.	1995-99	79.00	वनरोपण करने के लिए अग्रिम दिए गए 110.00 लाख रु. में से 79.00 लाख रु. जनवरी 1999 तक अप्रयुक्त पड़े रहे।
आन्ध्र प्रदेश	(i) जि.ग्रा.वि.ए. ज.प.		निष्पादन एजेंसियां	मार्च 1999 तक	5835.00	अग्रिम मार्च 1999 तक असमायोजित पड़े रहे।
	(ii) जि.ग्रा.वि.ए. कुरनूल और महबूब नगर		क्षेत्रीय अधिकारी	1995-98	1219.00	वाटर शैड विकास कार्य के लिए, अंतिम व्यय के रूप में माना गया।
गोवा	(i) ग्रा.वि.ए.	ज.रो.यो.	सरपंच ग्राम पंचायत नवेलीम	दिसम्बर 1992 से पूर्व	0.64	पंचायत घर के निर्माण के लिए निकाली गई ज्यादा राशि मई 1999 तक वापस नहीं की गई थी।
	(ii) ग्रा.वि.ए.	- वही -	26 पंचायतें	.....	22.96	मार्च 1999 की ज.रो.यो. की रोकड़बही तथा संबंधित अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण ग्रा.वि.ए. द्वारा निधि का उपयोग सत्यापित नहीं किया गया था।
मिजोरम	(i) जि.ग्रा.वि.ए. आइजोल		परियोजना निदेशक	मई 1995	7.58	जि.ग्रा.वि.ए. लोहा सामग्री जिसके लिए राशि अग्रिम दी गई थी, का उपयोग दर्शाने वाला अथवा जिस ब्लॉक को आपूर्ति की गई थी उसके पास अप्रयुक्त पड़े होने का कोई अभिलेख/सबूत मार्च 1999 तक प्रस्तुत करने में विफल रही।
हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर, चम्बा, किन्नौर और सोलन	.....	11 ब्लॉक और 4 जि.ग्रा.वि.ए.	1998-99	357.00	योजना के निष्पादन के लिए दी गई अग्रिम राशि अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।
<b>जोड़</b>					<b>75400.31</b>	

## अनुबन्ध 9

(पैराग्राफ 4.5.11 देखें)

## निधि का सदेहास्पद दुर्विनियोजन/काल्पनिक भुगतान

राज्य	किसके द्वारा निधि का दुर्विनियोजन/कल्पित भुगतान किया गया	वर्ष	राशि (लाख रु. में)	टिप्पणियां
गुजरात	तालुका विकास अधिकारी का कार्यालय, मांडवी, कच्छ भुज	1993-98	65.44	65.44 लाख रुपयों में से 27.50 लाख रुपये ज.रो.यो, रो.आ.यो. तथा द.ला.कुं.यो. से संबंधित थे। आहरण तथा संवितरण अधिकारी के बजाय वरिष्ठ लिपिक के पक्ष में चैकों तथा आहरित चैकों की राशि के आंकड़ों में हेर-फेर करके तथा बैंक विवरणी/पास बुक के शेषों में हेर-फेर करके भी राशि का दुर्विनियोग किया गया।
पंजाब	गुरदासपुर जिले में ग्राम पंचायतों के छः प्रखण्ड		32.34	20 ज.रो.यो. कार्यों के अन्तर्गत व्यय बढ़ाकर राशि का दुर्विनियोग किया गया।
मणिपुर	जि.ग्रा.वि.ए. चूरचन्दपुर तथा थालोन प्रखण्डों का खजांची	1995-97	8.02 2.03	राशि श्रमिकों को भुगतान के लिए थी।
कर्नाटक	(i) बंगलौर (ग्रामीण), धारवाड़, रायचूर तथा तुमकुर जिलों में ग्राम पंचायतों के सचिव तथा कार्यान्वयन अधिकारी	1989-99	78.62	राशि का दुर्विनियोजन मुख्यतः रोकड़बही तथा वाउचरों के अनुरक्षण न किए जाने के कारण था। एक मामले में विभागीय पूछताछ संस्थापित नहीं की गई जबकि 11 मामले विभिन्न स्तरों पर लम्बित थे।
	(ii) चार जिलों में कृषि विभाग		26.05	109 जल-एकत्रण ढांचों पर, जिनका कदाचित निर्माण ही नहीं हुआ, राशि व्यय हुई सूचित की गई। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज अपराधिक मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े थे।
	(iii) धारवाड़ जिले में 11 क्षेत्र वन अधिकारी	1986-99	9.15	बागान के अनुरक्षण के लिए जो कि अस्तित्व में नहीं था, श्रमिकों की मजदूरी पर राशि व्यय हुई सूचित की गई। पर्यवेक्षी अधिकारी कल्पित भुगतानों का पता लगाने में असफल रहे।
तमिलनाडु	(i) परियोजना प्रबंधक, कटिटडा मईयम, सेलम	1993-97	51.11	प्रबंधक ने लोक निर्माण कार्यों तथा दरवाजे और खिड़कियों के निर्माण पूर्ण करने की त्रुटिपूर्ण सूचना के द्वारा जि.ग्रा.वि.ए. से यह राशि जारी करवाई। अपराधिक मामला दर्ज किया गया तथा जांच-पड़ताल जारी थी।
	(ii) विस्तार अधिकारी, समाजिक वानिकी, शिवगंगा	1993-94	2.24	कार्य निष्पादन के जाली वाउचर तथा अभिलेख प्रस्तुत करके राशि का दुर्विनियोजन सूचित किया गया।
	(iii) कुडालोर जिले में नल्लूर पंचायत संघ को दो सहायक ख.वि. अ., तीन विस्तार अधिकारी तथा एक लेखाकार	1993-96	8.49	राशि को चैक के शब्द तथा आंकड़ों में रूपान्तर करके तथा स्थानीय निकायों के लेखों में अप्रेषित करके राशि का अधिक भुगतान किया गया। जनवरी 1995 में अधिकारियों को निलंबित किया गया। पुलिस जांच-पड़ताल के अन्तिम परिणाम अप्रैल 1999 तक प्रतिक्षित थे।
	(iv) विशेष अधिकारी, बहुउद्देशीय सहकारी ग्राम उद्योग समिति लिमिटेड	अगस्त 1995	2.32	राशि की वसूली विशेष अधिकारियों से, जो कि निलंबित थे, लंबित थी।



उत्तर प्रदेश	(i) ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा, कानपुर	जुलाई 1997	7.04	सड़क के निर्माण के लिए राशि जारी की गई। लेखापरीक्षा तथा जि.ग्रा.वि.ए. के कर्मचारी द्वारा संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन से यह प्रकट हुआ कि परिमापी पुस्तक में अभिलेखित 10.2 मीटर तथा 10.4 मीटर की चौड़ाई के विरुद्ध सड़क की निचले धरातल की वास्तविक चौड़ाई पहले एक किलोमीटर पर केवल 8 मीटर थी।
	(ii) ख.वि.अ. बड़ोखर खुर्द, बांदा	मई-दिसम्बर 1998		ख. वि. अ. द्वारा मिट्टी की सड़क को परिमापी पुस्तकों में 28 फीट तथा 34 फीट के विपरीत शून्य बिन्दु से गांव के अन्त तक 16 फीट तथा 20 फीट अभिलेखित किया पाया गया।
	(iii) उचित दर की दुकान का स्वामी, बरोडिया मंदवाड़ा, ललितपुर	जून 1997		उ.द.दु. के स्वामी ने 96.02 किंवटल गेहूं का दुरुपयोग किया। प्राथमिकी दर्ज कराई गई तथा जून 1999 तक अन्तिम कार्यवाई प्रतिक्षित थी।
बिहार	(i) ख.वि.का. में कनिष्ठ अभियंता, गुमला जिले का डुमरी प्रखण्ड		11.83	कनिष्ठ अभियंता ने चार रोध-बांधों के निर्माण कार्य के परिमाण को स्फीत कर दिया। क.अ. के विरुद्ध जून 1999 तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।
	(ii) ख.वि.का., फुलवारी- शरीफ, पटना	मई-जून 1995	0.91	जनवरी 1996 में बाबू चाक से बसंत चाक तक दो किलोमीटर सड़क के ऊपर क.अ. द्वारा निष्पादित सुधार-कार्य के परिमाण के आधार पर भुगतान किया गया। वर्षा ऋतु में ढीली मिट्टी के भराव को हानि पहुंचने तथा समय बीतने के कारण ढीली मिट्टी के खोदने के कार्य का परिमाण असम्भव था, जो जाली उपस्थिति नामावली अपनाने तथा कपट-पूर्ण भुगतान जारी करने का सूचक है।
आन्ध्र प्रदेश	सात जिलों में 275 सरपंच तथा 5 दूसरे अधिकारी	1989-99	228.00	सरपंचों तथा अधिकारियों ने लेखा प्रस्तुत नहीं किये तथा राशि का दुर्विनियोजन किया।
असम	(i) वरिष्ठ ख.वि.अ., ख.वि. अ., क.अ., सहायक परियोजना अधिकारी (तकनीकी) तथा ग्वालपाड़ा, धुबरी, जोरहाट, कामरूप और करबी अंगलौंग में उपरहाटी गांव के प्रधान	1992-98	64.09	राशि का दुर्विनियोजन किया गया।
	(ii) ख.वि.क., गोरामारी		5.01	15 चैको को भुनाकर राशि का दुर्विनियोजन किया गया। ख.वि.अ. को मई 1997 में निलंबित किया गया परन्तु जून 1998 में बहाल करके विभागीय कार्यवाही लम्बित रखी गई।
नागालैण्ड	(i) धनसीरीपर, जालुकी अकुलुतो, फटुसेरो, कुहुबोटो, जुनेहेबोटो के ख.वि.अ. तथा उ.मं. अ., चिपोबोजू		217.00	अधिकारियों ने रोकड़बही तथा भुगतान विवरणों का अनुरक्षण नहीं किया जो दुर्विनियोजन की संभावना का सूचक है।
	(ii) ख.वि.अ., जलुकी, तसेमीया, फेक, फटुसेरो, धनसीरीपर, चिपोबोजू तथा अकुलोतो		46.24	रोकड़बही में राशि का लेखा नहीं रखा गया।



	(iii) परियोजना निदेशक, जि.ग्रा. वि.ए., जूनेहेबोटो	मार्च 1999	86.38	परियोजना निदेशक ने बचत बैंक से राशि की निकासी की तथा उसे चालू खाते में जमा करने का दावा किया। बैंक ने राशि की निकासी की पुष्टि की परन्तु जून 1999 तक उसे चालू खाते में जमा करने की कोई पुष्टि नहीं की।
		जोड़	952.31	

अनुबन्ध -10  
(पैराग्राफ 4.5.12 देखें)

## अन्धाधुन्ध व्यय

(लाख रु. में)

राज्य	जिला	योजना	वर्ष	कुल व्यय	अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय	मार्च के दौरान व्यय	कुल व्यय पर व्यय की प्रतिशतता		
							अन्तिम तिमाही के दौरान	मार्च के दौरान	
असम		ज.रो.यो.	1995-96	13631.00	3596.00	2341.00	26	17	
			1996-97	4543.00	2438.00	1170.00	54	26	
			1997-98	5547.00	2177.00	1661.00	39	30	
		रो.आ.यो.	1995-96	9823.00	4039.00	2513.00	41	26	
			1996-97	8790.00	6010.00	3546.00	68	40	
			1997-98	12756.00	6350.00	4212.00	50	33	
मध्य प्रदेश	बिलासपुर	ज.रो.यो.	1992-98	8281.00	4055.00	2373.00	34 से 61	12 से 50	
	मांडला	ज.रो.यो.	1992-98	6229.00	3247.00	2004.00	27 से 71	19 से 46	
	रायपुर	ज.रो.यो.	1992-99	8257.00	3608.00	2475.00	22 से 63	15 से 47	
	सुरगूजा	ज.रो.यो.	1992-97 और 1998-99	7520.00	3358.00	2567.00	31 से 59	16 से 51	
	बिलासपुर	रो.आ.यो.	1993-98	6902.00	3624.00	2395.00	42 से 76	27 से 48	
	मांडला	रो.आ.यो.	1993-98	3763.00	1573.00	1061.00	40 से 94	13 से 75	
	रायपुर	रो.आ.यो.	1993-99	7507.00	2776.00	1377.00	26 से 77	11 से 47	
	सुरगूजा	रो.आ.यो.	1994-96 और 1997-99	7162.00	2374.00	1500.00	26 से 45	17 से 25	
	तमिलनाडु	जि.ग्रा.वि.ऐ. (i) कांचीपुरम	ज.रो.यो.	1993-98	10747.29	5560.27	4134.98	35 से 66	24 से 59
		(ii) नीलगिरि	ज.रो.यो.	1992-98	5661.36	3952.63	3080.24	38 से 88	16 से 78
(iii) तिरुवन्नमलाई		ज.रो.यो.	1992-98	8778.94	3645.67	1933.95	23 से 53	11 से 31	
(iv) तिरुवल्लूर		ज.रो.यो.	1997-98	902.74	359.80	276.77	40	31	
(v) कांचीपुरम		रो.आ.यो.	1996-98	3114.02	2143.80	928.36	43 से .83	13 से 39	
(vi) नीलगिरि		रो.आ.यो.	1993-97	873.55	530.37	376.12	50 से 100	36 से 100	
(vii) तिरुवन्नमलाई		रो.आ.यो.	1993-97 (1995-96) के अलावा	508.13	433.13	425.62	50 से 100	50 to 100	
(viii) विल्लुपुरम		रो.आ.यो.	1995-98	3575.00	2350.33	1446.97	50 से 88	11 से 82	
(xi) पुदुकोट्टई		रो.आ.यो.	1995-97	964.51	546.72	450.00	31 से 68	68	
सिक्किम		राज्य स्तर पर	रो.आ.यो.	1996-99	1455.79	725.26	515.31	49 से 51	18 से 49
उत्तर प्रदेश		10 जिलों में 28 निष्पादित एजेन्सी	द.कु.यो. /स्व.रो. यो. (ज. रो.यो.)	1992-98	3825.00	.....	1540.00	.....	20 से 100
अरुणाचल प्रदेश	राज्य स्तर पर		1992-98	9191.28	5459.87	3776.25	32 से 63	45 से 71	

2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

हिमाचल प्रदेश	निष्पादित एजेंसियों में नमूना जांच युक्त जिले	रो.आ.यो.	1992-97	2782.00	.....	945.00	28 तथा 43 के बीच	.....
केरल	कार्यान्वयन एजेंसियां	ज.रो.यो	1992-99	46414.83		13904.22	...	21 से 37
कर्नाटक	राज्य स्तर पर	....	1995-98	98453.00	43294.00	26102.00	38 से 48	23 से 29
जोड़				307958.44	118226.85	91030.79		

अनुबन्ध -11  
(पैराग्राफ 4.5.13 देखें)

## अनुज्ञा अप्राप्त कार्यों पर व्यय

(लाख रु. में)

राज्य	जिला	योजना	वर्ष	कार्यों की सं.	राशि	जानकारी में आए अनुमोदन न प्राप्त कार्यों के प्रकार
गुजरात	(i) राजकोट, वलसाड, बनासकंथा, पालनपुर तथा कच्छ भुज	रो.आ.यो., ज. रो.यो.	1993-99	183	179.00	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित न किए गए अनुरक्षण तथा मरम्मत निर्माण कार्य।
	(ii) निदेशक, जि.ग्रा. वि.ए. वलसाड, बनासकंथा तथा कच्छ भुज	ज.रो.यो.	1992-99	82	153.00	अनुमोदन न प्राप्त सुधार, मरम्मत कार्यों तथा पंचायत घर के निर्माण पर व्यय।
अरूणाचल प्रदेश	छ: जि.ग्रा.वि.ऐ.	रो.आ.यो., तथा ज.रो.यो.	1992-99	2657	2290.79	समक्ष प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति के बिना अतिरिक्त व्यय।
हरियाणा	अधिकांसी अभियंता, पंचायती राज, सिरसा, ख.वि.अ. उचना तथा जुलाना, जिंद जिला	रो.आ.यो.	1996-99	....	215.00	तकनीकी स्वीकृति के बिना निष्पादित कार्य।
जम्मू और कश्मीर	(i) उधमपुर	रो.आ.यो. तथा ज.रो.यो.	1994-95	357	116.00	कार्यों को वार्षिक कार्यवाही योजनाओं में शामिल नहीं किया गया।
	(ii) 11 नमूना जांचयुक्त प्रखण्ड	रो.आ.यो. तथा ज.रो.यो.	1995-99	593	-----	प्रशासनिक अनुमोदन अथवा तकनीकी स्वीकृति के बिना कार्यों को निष्पादित किया गया।
उड़ीसा	(i) 8 ख.वि.अ.	रो.आ.यो.	1993-98	100	77.07	प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किये बिना व्यय किया गया।
	(ii) सड़क निर्माण मण्डल, फूलबनी जिला	रो.आ.यो.	- वही -	14	31.30	समक्ष प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कार्य निष्पादित किये गए।
हाराष्ट्र	(i) अधिकांसी अभियंता, लघु सिंचाई मण्डल (जि.प.) भण्डारा	ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो.	1995-96	5 सीमेन्ट प्लग बंधरा कार्य 4 नये कार्य	16.56 8.55	जि.ग्रा.वि.ऐ. के कार्यों को अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित नहीं किया परन्तु बाद में परियोजना निदेशक द्वारा अपने हस्ताक्षरों से परिवर्तन करके जोड़ा गया। चार नये कार्य भी जोड़े गये।
	(iii) जि.ग्रा.वि.ऐ., अकोला	रो.आ.यो.	1996-99	पौधारोपण तथा खाइयों पर लगातार समोच्चरेखा कार्य	85.48	उप-निदेशक, सामाजिकी वानिकी द्वारा कार्यों को निष्पादित किया गया जिसे परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित नहीं किया गया था। जल निकास मार्ग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को भी अनुमोदित नहीं किया गया।
	(iv) मंडलीय भू-संरक्षण अधिकारी वाशिम अकोला	रो.आ.यो.	1996-99	....	203.90	मार्च 1999 तक जिला तकनीकी समिति द्वारा विस्तृत जल निकास मार्ग-वार परियोजनाओं को अनुमोदित नहीं किया गया।

2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

राजस्थान	(i) जि.ग्रा.वि.ऐ., नांगौर	रो.आ.यो.	1996-97	327	71.94	नागौर जिले में विद्यालय परिसर के पक्के जलकुओं का निर्माणकार्य भारत सरकार के अनुमोदन बिना निष्पादित किया गया।
	(ii) जि.ग्रा.वि.ऐ., डूंगरपुर	ज.रो.यो.	1993-96	15सड़क कार्य	18.98	जून 1997 तक सड़क निर्माण पर अधिक व्यय नियमित नहीं किया गया।
	(iii) जि.ग्रा.वि.ऐ., जोधपुर	ज.रो.यो.	1990-95	2 सड़क कार्य	8.52	अननुमोदित निर्माण कार्यो पर व्यय किया गया।
कर्नाटक	(i) बंगलौर (ग्रामीण), दक्षिण कन्नड़ तथा रायचूर में चार कार्यान्वयन अधिकारी	रो.आ.यो.	1992-99	23	10.05	वार्षिक कार्य योजना में कार्यो पर किया गया व्यय शामिल नहीं किया गया।
	(ii) तुमकुर जिला	रो.आ.यो.	1998-99	....	870.21	वार्षिक कार्य योजना में कार्यो पर किया गया व्यय शामिल नहीं किया गया।
मिज़ोरम	आइजोल तथा लुंगलेई	रो.आ.यो.	1996-97	....	141.40	1995-96 में वार्षिक कार्य योजना में शामिल न की गई मदों पर किए गए अधिक व्यय में अन्तर्ग्रस्त देयता परिसमापन हेतु किया गया व्यय।
पश्चिम बंगाल	(i) 2 जि.प., 7 पं.स. तथा 2 ग्रा.पं.	ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो.	1993-99	34	186.41	वार्षिक कार्य योजना में कार्यो पर किया गया व्यय शामिल नहीं किया गया।
	(ii) 24 परगना जि. प. में ग्रा.पं.	ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो.	1992-98	...	4664.00	वार्षिक कार्य योजना विल्कुल तैयार नहीं की गई।
	(iii) उत्तरी 24 परगना जि.प. के अंतर्गत पं.स. बगदाह	ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो.	1992-99	103.00	...	वार्षिक कार्य योजना में 35.33 लाख रु. प्रावधान से अधिक जारी किये गये।
उत्तर प्रदेश	जि.ग्रा.वि.ऐ., पौड़ी	ज.रो.यो.	1997-98	322	70.84	वार्षिक कार्य योजना में कार्यो पर किया गया व्यय शामिल नहीं किया गया।
नागालैण्ड	निदेशक, ग्रा.वि.	ज.रो.यो.	1996-97	.....	2.97	राज्य/केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना नई दिल्ली में ग्रामीण आवास प्रदर्शनी पर व्यय।
बिहार	(i) पश्चिम सिंह भूमि तथा गुमला, दो जि. ग्रा.वि.ऐ.	रो.आ.यो. तथा ज.रो.यो.	1994-97	....	72.51	वार्षिक कार्य योजना में शामिल किए बिना आर.सी.सी. पुलिया तथा मिट्टी के बांधों का कार्य निष्पादित किया गया।
	(ii) पूर्व चम्पारन तथा पटना में दो विकास खण्ड	रो.आ.यो.	1995-98	पांच विद्यालय तथा एक समाज सदन	12.29	प्रशासनिक अनुमोदन के बिना कार्यो को निष्पादित किया गया। पटना जिले में ख.वि.अ. द्वारा मुख्य मंत्री के मौखिक निर्देश पर रो.आ.यो. निधि से कार्य निष्पादित किए गये।
पांडिचेरी	3 विकास खण्ड	ज.रो.यो.	1992-99	64 कार्य	34.10	वार्षिक कार्य योजना में शामिल किए बिना जि.ग्रा.वि.ऐ. के कार्यकारी अभियंता ने कार्य निष्पादन स्वीकृत किया।
जोड़					9540.87	

अनुबन्ध -12 क  
(पैराग्राफ 4.6.5 देखें)

## रोजगार उत्पादन

कुल श्रम दर को वर्तमान श्रम दर से विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त अंकगणितीय आंकड़े

(लाख श्रमदिवसों में)

राज्य	जिला	योजना	अवधि	कुल स्फीति श्रमदिवस	महत्वपूर्ण निष्कर्ष/स्फीत श्रमदिवस का मुद्रीकरण
सिक्किम	नमूना जांच जिलों की जि.ग्रा.वि.ए.	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1996-99	4.93	रोजगार उत्पादन के आंकड़ों की अंकगणितीय गणना के कारण 197.09 लाख रु. के व्यय का बढ़ाचढ़ा विवरण।
मध्य प्रदेश	(i) जि.ग्रा.वि.ए., बिलासपुर, मांडला, रायपुर तथा सुरगूजा	रो.आ.यो.	1994-99	8.83	रोजगार उत्पादन के आंकड़ों की अंकगणितीय गणना की गई।
	(ii) - वही -	ज.रो.यो.	1992-99	20.05	- वही -
	(iii) - वही -	इ.आ.यो. तथा द.कु.यो.	1992-96	---	बताए गए 910.73 लाख रु. श्रमदिवस परिकल्पित थे जिसमें लाभभोगियों से आंकड़े प्राप्त किए बिना इ.आ.यो. तथा द.कु.यो. के अर्न्तगत रोजगार उत्पादन का 33 प्रतिशत शामिल था।
	(iv) जि.प. मांडला तथा सुरगूजा	जल निकास मार्ग विकास कार्यक्रम	1995-99	8.28	
	(v) जि.ग्रा.वि.ए., रायपुर	....	1995-98	6.98	
	(vi) मांडला तथा सुरगूजा		1997-99	3.07	
हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर तथा उना में 4 प्रखण्ड		1995-99	1.95	परियोजना अधिकारियों तथा खं.वि.अ. ने रोजगार उत्पादन का कोई भी अभिलेख नहीं रखा तथा रोजगार उत्पादन आंकड़े अंकगणितीय आधार पर परिकल्पित किए गए।
पंजाब	5 जिले	....	.....		जि.ग्रा.वि.ए./जि.प. ने श्रमदिवसों के वास्तविक उत्पादन के आंकड़े प्राप्त नहीं किये। श्रमदिवसों के आंकड़े अंकगणितीय आधार पर परिकल्पित किए गए।
मिज़ोरम	जि.ग्रा.वि.ए., आइजोल तथा लुंगलेई	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1992-99	---	ख.वि.अ. ने रोजगार उत्पादन की भौतिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। श्रम उत्पादन के आंकड़े अंकगणितीय आधार पर परिकल्पित किए गए।
असम	राज्य स्तर पर	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1995-98	---	कार्यान्वयन एजेन्सियों ने श्रम उत्पादन के वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए।
राजस्थान	राज्य स्तर पर	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1992-99	---	उत्पादित श्रमदिवस वास्तविक आधार पर नहीं थे बल्कि अंकगणितीय आधार पर परिकल्पित किए गए तथा ग्राम पंचायत सहायक इंजीनियर द्वारा जि.ग्रा.वि.ए. को उनकी पाक्षिक बैठक में मौखिक रूप से सूचित किये गये।
त्रिपुरा	राज्य स्तर पर	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1992-99	---	वास्तव में उत्पादित श्रमदिवसों की संख्या का किसी भी स्तर पर आंकड़े का कोई समेकन



2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

					उपलब्ध नहीं था तथा उपस्थिति नियमावलियों के वजाय श्रम आदेशों के आधार पर परिकलित किया गया था।
उत्तर प्रदेश	16 जिले	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1992-99	---	रोजगार उत्पादन के आंकड़े उपस्थिति नामावली के आधार पर नहीं थे बल्कि अंकगणितीय आधार पर परिकलित किए गए।
महाराष्ट्र	अकोला जिले में 6 विकास खण्ड	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	---	---	ग्राम पंचायतों द्वारा आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये।
अरुणाचल प्रदेश	राज्य स्तर पर	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1992-99	---	रोजगार उत्पादन के आंकड़े अंकगणितीय आधार पर परिकलित किए गए।
जम्मू तथा कश्मीर	राज्य स्तर पर	रो.आ.यो.	1992-99	---	रोजगार उत्पादन के आंकड़े अंकगणितीय आधार पर निकाले गये। जिन पंजीकृत श्रमिकों को रोजगार दिया गया उनके विवरण अनुरक्षित नहीं किए गए तथा उपस्थिति नामावली अनुरक्षित नहीं की गई/अनुचित रूप से अनुरक्षित की गई।
उड़ीसा	राज्य स्तर पर	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1992-99	---	अंकगणितीय रूप से निकाले गये। उपस्थिति नामावली अनुरक्षित नहीं की गई/अनुचित ढंग से तैयार की गई।
केरल	4 जिलों में 15 प्रखण्ड तथा 25 पंचायतें	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1992-99	---	रोजगार उत्पादन के आंकड़ों की अंकगणितीय आधार पर गणना की गई।
नागालैण्ड	15 प्रखण्ड	रो.आ.यो.	1996-99	---	रोजगार उत्पादन के आंकड़ों की अंकगणितीय आधार पर गणना की गई। 62 लाख के विपरीत केवल 61.29 लाख रु. श्रमदिवस उत्पादित किये गए जबकि यह 1994-99 के दौरान श्रम घटक पर व्यय किए गए 15.50 करोड़ रु. से उत्पादित किये जा सकते थे।
तमिलनाडु	7 जिले	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1992-93	---	रोजगार उत्पादन के आंकड़ों की अंकगणितीय आधार पर गणना की गई।
मणिपुर	उप-आयुक्त	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	---	---	रोजगार उत्पादन के आंकड़ों की अंकगणितीय आधार पर गणना की गई।
<b>जोड़</b>				<b>54.09</b>	

## अनुबन्ध -12 ख

(पैराग्राफ 4.6.5 देखें)

## रोजगार उत्पादन की स्फीत/त्रुटिपूर्ण सूचना

(लाख श्रमदिवसों में)

राज्य	जिला	योजना	अवधि	कुल स्फीत श्रम दिवस	कमिया
कर्नाटक	नमूना जांच किये पांच जिलों में नौ कार्यान्वयन अधिकारी	रो.आ.यो. ज.रो.यो.	1997-99	3.18	कार्यान्वयन अधिकारियों ने स्फीत सूचना प्रस्तुत की।
हरियाणा	जि.ग्रा.वि.ऐ., जिंद तथा यमुना नगर	रो.आ.यो.	1996-99	2.40	उपस्थिति नामावलियों के रोजगार आंकड़े भा.स. द्वारा सूचित किये गये आंकड़ों से भिन्न थे। 1.43 करोड़ रु का व्यय भी अधिक सूचित किया गया।
केरल	प्रखण्ड/जि.ग्रा.वि. ऐ.		1996-99	0.42	41 निर्माणकार्यों में उत्पादित श्रमदिवसों के स्फीत आंकड़े, उपस्थिति नामावलियों के आंकड़ों तथा लो. नि.वि. द्वारा अनुरक्षित आंकड़ों के बीच के अन्तर थे।
मणिपुर	इम्फाल जिले में 5 प्रखण्ड	रो.आ.यो.	1996-99	2.60	जि.ग्रा.वि.ऐ. द्वारा तैयार आंकड़ों के प्रति भारत सरकार को सूचित स्फीत आंकड़ों के कारण सूचना त्रुटिपूर्ण थी।
आन्ध्र प्रदेश	राज्य स्तर पर	ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो.	1994-99	82.81	जि.ग्रा.वि.ऐ. द्वारा बताए आंकड़ों के प्रति राज्य सरकार ने स्फीत आंकड़े प्रस्तुत किये।
पश्चिम बंगाल	जि.प. नाडिया	ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो.	---	0.16	उपस्थिति नामावलियों तथा भारत सरकार द्वारा तैयार रोजगार आंकड़ों में भिन्नता थी।
नागालैण्ड	राज्य स्तर पर	ज.रो.यो.	1997-98	1.50	राज्य सरकार ने भारत सरकार को स्फीत आंकड़े सूचित किये।
हिमाचल प्रदेश	(ii) जि.ग्रा.वि.ऐ., उना तथा चम्बा		जून 1997 से जनवरी 1999	5.53	परियोजना अधिकारी जि.ग्रा.वि.ऐ. चम्बा तथा ऊना द्वारा सूचित तथा निदेशक द्वारा भारत सरकार को सूचित रोजगार उत्पादन के आंकड़ों में भिन्नता थी।
बिहार	(i) राज्य स्तर पर	ज.रो.यो.	1989-99	2227.34	राज्य सरकार ने 8524.31 की उपलब्धि सूचित की। राज्य सरकार के आंकड़े न तो उपस्थिति नामावलियों के आधार पर आधारित थे और न ही दैनिक न्यूनतम श्रम दर के साथ श्रम घटक एक तरफ करके परिकलित किए गए थे। अंकगणितीय निर्धारण के द्वारा भी उत्पादित श्रम दिवस 6296.97 लाख श्रम दिवस बनते हैं।
	(ii) राज्य स्तर पर	रो.आ.यो.	1993-99	75.34	1553.73 लाख श्रमदिवसों के रोजगार उत्पादन लक्ष्य के प्रति, जो कि उपलब्ध निधि से उत्पादित हो सकता था, 1629.07 लाख श्रमदिवसों की उपलब्धि सूचित की गई।
पंजाब	5 जिलों में पी. आर. मंडल	....	1998-99	1.88	1.31 लाख श्रमदिवसों के वास्तविक उत्पादन के प्रति, 3.19 श्रमदिवस सूचित किए गये।
उत्तर प्रदेश	जि.ग्रा.वि.ऐ. ललितपुर तथा आगरा	रो.आ.यो.	1997-99	0.75	निष्पादन एजेसी द्वारा तैयार आंकड़ों के प्रति भारत सरकार को स्फीत आंकड़े सूचित करने के कारण त्रुटिपूर्ण सूचना दी गई।
	जोड़			2403.91	

अनुबन्ध - 13  
(पैराग्राफ 4.7 देखें)

## उपस्थिति नामावलियों का गैर/असंगत अनुरक्षण

(लाख रुपयों में)

राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी	योजना	अवधि	कार्य	व्यय	उल्लेखनीय अवलोकन
गुजरात	चार जिलों में कार्यान्वयन कार्यालय	रो.आ.यो.	....	....	....	उपस्थिति नामावलियों में परिवार.पत्र संख्या दर्ज नहीं थी।
हरियाणा	(i) एएससीओ, भिवानी (ii) डाडेन गांव, जि ग्रा वि ए, भिवानी	रो.आ.यो. रो.आ.यो.	1994-96 1994-95	गुलीप्लग	64.28 ....	उपस्थिति नामावलियां नहीं बनाई गई। 56 मजदूरों को एक ही तिथि में दो अलग-अलग कार्यों पर दिखाया जाना।
गोवा	(i) नमूना जांच युक्त 50 ग्राम पंचायतें	.....	....	....	....	उपस्थिति नामावलियों में अ.जा./अ.ज. जा. वर्ग के पुरुष तथा महिलाओं का कोड संकेत नहीं था।
	(ii) वही.	....	1994-99	....	1058.16	कार्य निष्पादन अभिलेखित किए बिना भुगतान किया गया।
जम्मू और काश्मीर	(i) 11 प्रखण्ड	ज.रो.यो. तथा रो. आ.यो.	...	1058	....	उपस्थिति नामावलियों के बिना ही भुगतान किया गया।
	(ii) -वही-	-वही-	...	1532	....	1532 कार्यों में से 1058 कार्यों का भुगतान उपस्थिति नामावलियों के बिना किया गया। जहां कहीं उपस्थिति नामावलियां तैयार की गईं उनमें श्रमिकों के परिचय, उनके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा इत्यादि का संकेत नहीं था।
	(iii) -वही-	-वही-	....	8	...	उपस्थिति नामावलियों की प्रामाणिकता संदेहास्पद थी, क्योंकि अधिमान तिथियों जैसे, 31 सितम्बर 1995, 29 फरवरी 1997, 31 अप्रैल 1997, 31 जून 1997, 29 फरवरी 1998 तथा 31 सितम्बर 1998, में श्रमिकों को भुगतान किया दिखाया गया।
पंजाब	5 नमूना जांच युक्त जिले	ज.रो.यो. तथा रो. आ.यो.	....	....	....	उपस्थिति नामावलियों ने श्रमिकों के ब्यौरे जैसे, आयु, लिंग, अ.ज./अ.ज.जा. इत्यादि, नहीं दर्शाए गए।
उड़ीसा	(i) छ: जिलों में 24 कार्यकारी एजेंसियां	रो.आ.यो.	....	....	241.00	उपस्थिति नामावलियों में परिवार.पत्र संख्या, श्रमिकों का पता इत्यादि अंतर्विष्ट नहीं थे।
	(ii) 8 जि.ग्रा.वि.ए.	ज.रो.यो. तथा रो. आ.यो.	....	208	82.48	उपस्थिति नामावलियां अनुरक्षित/संलग्न नहीं थी।
	(iii) 8 जि.ग्रा.वि.ए. में 28 कार्यकारी एजेंसियां	-वही-	1993-99	....	98.37	उपस्थिति नामावलियों में श्रमिकों की कार्य अवधि के संकेत नहीं थे।
	(iv) 52 कार्यकारी एजेंसियां	-वही-	...	...	311.00	उपस्थिति नामावलियों में अन्य उच्च प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए लोगों के सत्यापन के प्रमाण का संकेत नहीं था। भुगतानों को सरपंच की उपस्थिति में नहीं किया गया।

राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी	योजना	अवधि	कार्य	व्यय	उल्लेखनीय अवलोकन
महाराष्ट्र	तलुका कृषि अधिकारी, अकोला तथा एस.डी.एस. सी.ओ. पथरडी, अहमदनगर	रो.आ.यो.	जनवरी 1999	....	1.66	उपस्थिति नामावलियों में पंजीकरण/परिवार पत्र संख्या तथा गवाहों के हस्ताक्षर की जानकारी के संकेत नहीं थे।
तमिलनाडु	(i) जि.ग्रा.वि.ए.	ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो.	1992-99	---	---	उपस्थिति नामावलियां अनुरक्षित नहीं की गई/अनुचित ढंग से अनुरक्षित थी क्योंकि इनमें श्रमिकों के वर्गीकरण/दिए गए रोजगार उत्पादन के संकेत नहीं थे।
	(ii) राज्य स्तर पर	ज.रो.यो.	सितम्बर 1990	..	..	भा.स. की संस्वीकृति के बिना राज्य सरकार ने उपस्थिति नामावलियों का अनुरक्षण समाप्त कर दिया।
	(iii) 2 जिले	रो.आ.यो.	...	....	....	उपस्थिति नामावलियों में श्रमिकों की पंजीकरण की संख्या की जानकारी नहीं थी।
केरल	(i) चेलन्नूर प्रखण्ड कोजीकोड	ज.रो.यो.	1996-98	3	...	उपस्थिति नामावलियों का अनुरक्षण नहीं किया गया।
	(ii) 2 प्रखण्ड	-वही-	....	5	...	उपस्थिति नामावलियों में हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान तथा भुगतान की गई मजदूरी दर्ज नहीं थी।
आन्ध्र प्रदेश	(i) छः जिलों में 165 कार्यकारी अधिकारी	....	....	....	....	उपस्थिति नामावलियों का अनुरक्षण नहीं किया गया।
	(ii) नमूना जांच युक्त जिले	रो.आ.यो.	.....	.....	.....	उपस्थिति नामावलियों का जहां भी अनुरक्षण किया गया श्रमिकों को तिथिवार भुगतान की जानकारी नहीं थी।
राजस्थान	चार जिले	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	....	90	84.26	अधिकतर उपस्थिति नामावलियों में कार्य में लगे हुए मजदूरों की पहचान पंजीकरण संख्या तथा वर्ग इत्यादि अंतर्विष्ट नहीं थे।
सिक्किम	नमूना जांच युक्त जिले	रो.आ.यो.	.....	.....	.....	उपस्थिति नामावलियों में पंजीकरण/परिवार पत्र संख्या इत्यादि की जानकारी नहीं थी।
पश्चिम बंगाल	(i) बीरभूम में 7 पं.स. तथा नाडिया में एक पं.स.		....	....	206.42	मजदूरों के अंगूठे के निशान अनुप्रमाणित नहीं किए गए।
	(ii) उत्तर 24 परगनास के अन्तर्गत हीमलगंज प.स., जि.प.		....	....	3.31	उपस्थिति नामावलियों में मजदूरी के भुगतान तथा भुगतान की तिथि में हेरा-फेरी पाई गई।
	(iii) 3 जि.प.		1992-97	5	0.84	67 मजदूरों को दुबारा भुगतान किया गया।
	(iv) जलपाईगुड़ी तथा धुपगुड़ी पी.एस.	ज.रो.यो.	जून 1996 तथा मई 1997	17	31.50	कार्यों के समापन के बाद मजदूरी का भुगतान दिखाया गया। तथापि मजदूरी के भुगतान के लिए निधि, भुगतान किए जाने के बड़े अन्तराल के बाद मार्च 1997 तथा अगस्त 1998 में प्राप्त हुई।

2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी	योजना	अवधि	कार्य	व्यय	उल्लेखनीय अवलोकन
त्रिपुरा	(i) 13 प्रखण्ड	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1998-99	...	...	उपस्थिति नामावलियों में उत्पादन के वितरण की जानकारी अंतर्विष्ट नहीं थी। परिमापी-पुस्तक तथा समापन प्रतिवेदन इत्यादि का अनुरक्षित नहीं किए गए।
	(ii) वही	....	----	----	----	उपस्थिति नामावलियों में भुगतान के भ्रामक तथा त्रुटिपूर्ण आंकड़े अंतर्विष्ट थे तथा विभाग के पर्यवेक्षण अधिकारियों ने किसी भी स्तर पर उपस्थिति नामावलियों की जांच नहीं की। खण्ड विकास कार्यालयों ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया।
बिहार	(i) ख.वि.अ., फुलवारी शरीफ, पटना	रो.आ.यो.	अक्टूबर 1996	ढीली मिट्टी का भराव	0.91	जो कार्य मई-जून 1995 में निष्पादित किया गया उसको केवल जनवरी 1996 में मापा गया। माप मनगढंत सिद्ध हुआ क्योंकि वर्षाकाल के बाद मिट्टी के भराव तथा उसके मापने के बीच की अवधि में ढीली मिट्टी के भराव जैसे कार्य को मापना असंभव था। ख.वि.अ. ने मनगढंत तथा जाली नामावलियों को स्वीकार किया तथा जाली भुगतानों की मंजूरी दे दी।
	(ii) 5 जिलों में 20 प्रखण्ड	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1993-99	...	65.95	उपस्थिति नामावलियां मजदूरों के पंजीकरण संख्या की जानकारी नहीं देती थी, पंचायतें/प्रखण्ड प्राधिकारियों द्वारा भुगतान सत्यापित नहीं किए गए, एक ही उपस्थिति नामावली में नामों को दो/तीन बार दिखाया गया, एक ही अवधि में अलग-अलग स्थानों पर एक ही तरह के मजदूरों को दो/तीन कार्यों में लगाया गया, 29 तथा 30 फरवरी (अविद्यमान तिथियां) को मजदूरों को लगाया गया, इत्यादि।
असम	(i) जि.ग्रा.वि.ए., दुबरी तथा जोरहाट	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	...	...	56.47	लेखापरीक्षा को उपस्थिति नामावली बिल प्रस्तुत नहीं किए गए।
उत्तर प्रदेश	नमूना जांचयुक्त जिले	....	1992-99	----	----	जि.ग्रा.वि.ए. ने कार्यकारी एजेंसियों से निरपवाद उपस्थिति नामावलियां प्राप्त नहीं की।
नागालैण्ड	(i) 3 जि.ग्रा.वि.ए. में 15 प्रखण्ड	रो.आ.यो., ज.रो.यो.	...	....	....	उपस्थिति नामावलियां तैयार/अनुरक्षित नहीं की गई।
	(ii) 7 प्रखण्ड	रो.आ.यो.	.....	....	.....	सीमित कार्य के लिए उपस्थिति नामावलियों का अनुरक्षण किया गया।
जोड़					2306.61	

**अनुबन्ध-14**  
(पैराग्राफ 4.8.1 देखें)

मजदूरी तथा सामग्री संघटकों पर व्यय के अनुपात का पालन न करना

(लाख रु में)

राज्य	जिला	योजना	वर्ष	मजदूरी तथा सामग्री संघटक उपलब्धि के बीच अनुपात	गैर-मजदूरी संघटक पर अधिक व्यय	मजदूरी: सामग्री अनुपात में व्यतिक्रम
पंजाब	लुधियाना, रोपड़, होशि यारपुर तथा गुरुदासपुर में चार पी.आर.मंडलों तथा गुरुदासपुर के पांच ब्लाक	ज.रो.यो.	....	.....	257.88	.....
मध्य प्रदेश	(i) बिलासपुर	रो.आ.यो.	1993-94 1994-95 1995-96 1996-97	19:81 55:45 56:44 59:41	213.00	1997-98 में मजदूरी पर व्यय 60:40 के मजदूरी सामग्री अनुपात के अनुरक्षण करने हेतु 1.64 करोड़ तक बढ़ गया था।
	(ii) बिलासपुर	ज.रो.यो.	1992-93 1993-94 1994-95	57:43 58:42 59:41	79.19	
नमूना जांच	(iii) नमूना जांच जिले	ज.रो.यो.	--	--	--	मजदूरी तथा गैर मजदूरी संघटक पर व्यय की गणना यथानुपात आधार पर की गई थी।
पश्चिम बंगाल	(i) बीर भूम जि.प.	ज.रो.यो. तथा रो. आ.यो.	1994-98	23-56:44-77	----	
	खोयरासोल	ज.रो.यो. तथा रो. आ.यो.	1989-99	19-45:55-81	----	
	(ii) नाडिया	ज.रो.यो. तथा रो. आ.यो.	----	9-29:71-91	----	
	राणाघाट II पी.एस.	ज.रो.यो. तथा रो. आ.यो.	----	16-45:55-84		
	(iii) हुगली जि.प.	ज.रो.यो. तथा रो. आ.यो.	1996-98	46-49:51-54		
	(क) चिलादनागा ग्रा.प.	ज.रो.यो. तथा रो. आ.यो.	1997-98	7-30:70-93		
	(ख) बालीगुडी, ई. जी.पी.	ज.रो.यो. तथा रो. आ.यो.	1992-99	37:63		



2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

राज्य	जिला	योजना	वर्ष	मजदूरी तथा सामग्री संघटक उपलब्धि के बीच अनुपात	गैर मजदूरी संघटक पर अधिक व्यय	मजदूरी: सामग्री अनुपात में व्यतिक्रम
	I भगानीपुर जि.प.	ज.रो.यो. तथा रो. आ.यो.	1995-99	26:74		
	(iv) जि.प. जलपाईगुडी	ज.रो.यो. तथा रो. आ.यो.	---			
	(क) भोयनागुडी, पं. स.	ज.रो.यो. तथा रो. आ.यो.	---	46-50:50-54		
	(ख) मादारीहट, जि. प. बीरपारा पं.स.	ज.रो.यो. तथा रो. आ.यो.	---	17-46:54-83		
त्रिपुरा	13 ख.वि.अ.	ज.रो.यो., रा.आ.यो.	1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99	43:57 51:49 52:48 51:49 50:50 52:48 50:50	27.84 60.97 122.91 127.42 86.78 119.60 175.82	
कर्नाटक	नमूना जांच जिले	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1993-99		6566.00	
जम्मू और कश्मीर	नमूना जांच जिले	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1992-99	40.60	44.00	
उड़ीसा	(i) 8 नमूना जांच जिलों में 38 निष्पादित एजेसियां	ज.रो.यो. रो.आ.यो.	1993-98	3-52:48-97 5-55:45-95		
	(ii) जि.ग्रा.वि.ऐ., कालाहांडी	रो.आ.यो.	1994-98	20:80	16.52	
राजस्थान	(iii) नमूना जांच जि.ग्रा.वि.ऐ. तथा पंचायत समितियां	ज.रो.यो. तथा रो. आ.यो.	1993-99			मजदूरी तथा गैर-मजदूरी संघटकों के निर्धारित प्रतिमान की पालना पर निगरानी रखने के लिये अभिलेखे अनुरक्षित नहीं किये थे।
	(ii) सात जि.ग्रा.वि. ऐ.	ज.रो.यो.	1993-99	10-58:42-90		
मणिपुर	(v) जि.गा.वि.ऐ. चादेल (ii) जि.ग्रा. वि.ऐ. बिसनूपुर		1995-97	50:50 31:69	0.69 3.03	
पांडिचेरी	जि.ग्रा.वि.ऐ.		1992-93 1995-96 1996-97 1997-98	54:46 54:46 58:42 30:70	.....	परियोजना निदेशक जि.ग्रा.वि.ऐ. ने मजदूरी सामग्री अनुपातों 59:41, 63:37 76:24, 80:20 तक बढ़ाकर सूचित किया
उत्तर प्रदेश	(i) जि.ग्रा.वि.ऐ., इलाहाबाद	ज.रो.यो. रो.आ.यो. द.कु.यो. (ज.रो.यो.)	1992-95 1996-98 1996-97		84.00 84.00 42.00	
	(ii) जि.ग्रा.वि.ऐ.,	ज.रो.यो.	1997-98	.....	14.00	

2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

राज्य	जिला	योजना	वर्ष	मजदूरी तथा सामग्री संघटक उपलब्धि के बीच अनुपात	गैर मजदूरी संघटक पर अधिक व्यय	मजदूरी: सामग्री अनुपात में व्यतिक्रम
	आगरा (iii) जि.ग्रा. वि.ऐ. वाराणसी		1994-99	.....	131.00	
	(vi) जि.ग्रा.वि.ऐ. हरदोई (v) जि. ग्रा.वि.ऐ. बांधा	ज.रो.यो. तथा रो. आ.यो.	1997-99 1997-99	..... .....	268.00 130.00	
सिक्किम	चार जिले	रो.आ.यो		40:60	15.57	
गोवा	50 ग्राम पंचायते	ज.रो.यो.	----	----	----	मजदूरी तथा सामग्री संघटकों पर व्यय के निर्धारित प्रतिमान की निगरानी रखने के लिये अभिलेखों के अनुरक्षण नहीं किये थे।
आन्ध्र प्रदेश	छ: जिले	....	----	----	----	छ: मामलों में 17 सम्पूर्ण कार्यों के का अनुपात 20 से कम तथा सात मामलों में 20 तथा 40 के बीच था।
केरल	15 ब्लाक/जि.ग्रा.वि. ऐ.	ज.रो.यो. तथा रो. आ.यो.	1993-98	31:69	----	
मिजोरम	जि.ग्र.वि.ऐ. आईजोल	रो.आ.यो.	1995-96	34:66	7.13	
हिमाचल प्रदेश	नमूना जांच जिले	ज.रो.यो. तथा रो. आ.यो.	1992-99	25:75	46.37	237 निर्माणकार्यों जैसे विद्यालयों की मरम्मत, सराय, सामुदायिक केन्द्र, इत्यादि में मजदूरी पर वास्तविक व्यय 32.33 लाख रु. तथा सामग्री पर 97.58 लाख रु. कोई जिम्मेदारी नियत नहीं की गई थी।
हरियाणा	भिवानी  जिंद  सिरसा  यमुनानगर	ज.रो.यो. रो.आ.यो.  रो.आ.यो.  ज.रो.यो. रो.आ.यो.  ज.रो.यो.	1997-98 1997-98 1998-99  1996-98 1998-99  (के अलावा 1995-96)  1994-99 1994-99  1996-97	56:44 40:60 34:66  55:45 46:54  42-56:40-56 20-58:42-80  55:45	.....	निर्धारित अनुपात को न बनाये रखने के परिणामस्वरूप रोजगार के 7.23 लाख श्रमदिवसों का कम सर्जन हुआ।
गुजरात	जि.ग्रा.वि.ऐ. राजकोट, वलसाद, कच्छ भुज	ज.रो.यो. रो.आ.यो	1995-99	40-49:51-60	54.00	मजदूरी तथा सामग्री अनुपात के गैरपालना के कारण अभिलेख में नहीं थे।
अरुणाचल प्रदेश	छ: जिले	ज.रो.यो. रो.आ.यो	1993-99	.....	109.93	मजदूरी संघटक पर व्यय 60 प्रतिशत से कम होने के परिणामस्वरूप 3.82 लाख श्रमदिवसों का कम सर्जन हुआ।

2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

राज्य	जिला	योजना	वर्ष	मजदूरी तथा सामग्री संघटक उपलब्धि के बीच अनुपात	गैर मजदूरी संघटक पर अधिक व्यय	मजदूरी: सामग्री अनुपात में व्यतिक्रम
दादर एवं नागर हवेली	सं शा स्तर	रो.आ.यो.	1993-98 (के अलावा 1994-95)	34:66	29.00	अगस्त 1999 तक गैर.मजदूरी संघटक पर अधिक व्यय को नियमित नहीं किया गया।
मेघालय	(i) छः ब्लाक (खण्डों)	ज.रो.यो. रो.आ.यो.	1993-97	25:75	.....	सामग्री संघटक पर अधिक व्यय के परिणामस्वरूप रोजगार के 52429 श्रमदिवसों का कम सर्जन हुआ।
	(ii) सात ब्लाक	रो.आ.यो.	1993-99	.....	.....	कुशल मजदूरों की मजदूरी सामग्री संघटक की बजाय मजदूरी संघटक को प्रभारित करने के परिणामस्वरूप 26286 श्रमदिवसों का कम सर्जन हुआ।
नागालैण्ड	राज्य स्तर	...	1996-98	.....	197.52	.....
तमिलनाडु	सात जिले	ज.रो.यो. रो.आ.यो.	1996-99	....	401.73	.....
जोड़					9515.90	

## अनुबन्ध - 15

(पैराग्राफ 4.8.2.1 देखें)  
मजदूरी के भुगतान में विलम्ब

राज्य	जिला/ब्लाक	योजना	अवधि	मजदूरी के भुगतान में विलम्ब	मजदूरी की राशि (लाख रु में)	विलम्ब के कारण
हिमाचल प्रदेश		रो.आ.यो.	1995-98	14 महीने से अधिक	5.52	
अरुणाचल प्रदेश	छ: जि.ग्रा.वि.ऐ.	रो.आ.यो.	1993-99	6 महीने तक	3.21	
हरियाणा	चार जिलों में 28 निष्पादित एजेसियां	रो.आ.यो. एण्ड ज.रो.यो.	1992-99	नौ महीने से अधिक	11744.00	
राजस्थान	सिकार जिला	ज.रो.यो.	1993-98	आठ महीने तक	7.81	जि.ग्रा.वि.ऐ. से निधि की देर से प्राप्ति के कारण मजदूरी के भुगतान में विलम्ब हुआ।
	(ii) सिंचाई विभाग, जोधपुर	ज.रो.यो. रो.आ.यो.	मार्च-मई 1998	छ: महीने तक	6.40	राज्य ब्यूरो अनुसंधान द्वारा एक पूछताछ के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ। भुगतान के विस्तृत लेखे अगस्त 1999 तक उपलब्ध नहीं थे।
गोवा	(i) 43 नमूना जांच पंचायतें	ज.रो.यो.	....	एक से 38 महीने	79.24	ग्रामीण विकास एजेन्सी (ग्रा.वि.ऐ.) द्वारा निधि को जारी करने में विलम्ब के कारण मजदूरी के भुगतान में विलम्ब हुआ था।
	(ii) 20 पंचायतें	रो.आ.यो.	....	छ: महीने तक	18.28	ग्रा.वि.ऐ. द्वारा निधि को जारी करने में विलम्ब के कारण मजदूरी के भुगतान में विलम्ब हुआ सूचित किया गया।
कर्नाटक	पांच जिलों में 16 कार्यान्वयन कार्यालय	रो.आ.यो.	.....	19 महीने से अधिक	59.52	जि.प. से निधि की प्राप्ति में विलम्ब के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ सूचित किया गया।
नागालैण्ड	तीन ब्लाक		....	एक से 12 महीने	....	3 ख.वि.अ. ने निधि की देर से प्राप्ति के कारण मजदूरी के भुगतान में विलम्ब हुआ सूचित किया।
उड़ीसा	5 निष्पादित एजेसियां	....	1994-98	एक से 12 महीने	28.91	
गुजरात	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई मंडल भुज	रो.आ.यो.	1995-97	एक महीने तक	16.21	

## 2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

असम	छ: जि.ग्रा.वि.ऐ.	ज.रो.यो. तथा रो. आ.यो.	----	एक से 3 महीने अधिक	161.54	
पांडिचेरी	3 ब्लाक	ज.रो.यो.	1992-97	नौ महीने तक	11.82	मजदूरी के भुगतान में विलम्ब निधि की अनुपलब्धता के कारण सूचित किया।
महाराष्ट्र	(i) एस.डी.एस.सी.ओ. ऐरी भाद्राश जिला	....	मार्च तथा अप्रैल 1995	2 से 3 महीने	5.75	जि.ग्रा.वि.ऐ. द्वारा अनुदान की देर प्राप्ति के कारण विलम्ब हुआ।
	(ii) उप अभियन्ता एम, हदगांव, जि.ग्रा.वि.ऐ. नानदेड	....	जनवरी से मार्च 1996	4 से 6 महीने	1.28	
	(iii) उप अभियन्ता (लो. नि.) डेगूलुर नानदेड	....	1996-97	24 महीने से अधिक	0.75	
उत्तर प्रदेश	जि.ग्रा.वि.ऐ. हरदोई तथा वाराणसी	....	1997-99	एक से सात महीने अधिक	----	
आन्ध्र प्रदेश	(i) जिला अनुसूचित जाति सेवा निगम सोसायटी	....	1997-98 1998-99	.... ....	67.81 66.48	मार्च में खर्च हुई राशि से प्रकट हुआ कि मजदूरी के भुगतान समय पर नहीं किये जा रहे थे।
पश्चिम बंगाल	(i) 4 जि.प.	....	1995-98	10 महीने तक	75.46	
	(ii) बोनगाँव पी.एस., उत्तर 24 परगनास जि. प.	....	----	एक से 8 महीने अधिक	----	
	(iii) बोनगाँव पी.ए. उत्तर 24 412, जि.प.	....	----	10 महीने	3.69	निर्माण कार्यों के समापन के बाद 38 मजदूरों को एकमुश्त मजदूरी भुगतान की गई थी।
तमिलनाडू	5 जिलों का कार्यान्वयन कार्यालय	ज.रो.यो. रो.आ.यो.	---	12 महीने तक	---	
कुल					12363.68	

अनुबंध- 16  
(पैराग्राफ 4.8.2.2 देखें)

## मजदूरी का कम /आधिक्य /गैर भुगतान

राज्य	जिला	योजना	अवधि	कम /अधिक भुगतान की गई मजदूरी की राशि (लाख रु में)	कम /आधिक्य /गैर भुगतान के कारण
हरियाणा	4 जिलों में 25 निष्पादन एजेंसियां	रो.आ.यो. तथा ज. रो.यो.	1994-99	12.72	संशोधित मजदूरी दर के न अपनाए जाने तथा भारत सरकार से मजदूरी-संशोधन के संबंध में अनुदेशों की विलम्बित प्राप्ति के कारण मजदूरी का कम भुगतान हुआ।
राजस्थान	(i) सिंचाई विभाग उदयपुर तथा लोक निर्माण विभाग बांसवाड़ा	रो.आ.यो.	नवम्बर तथा दिसम्बर 1998	11.51 3.91	निधियों की अनुपलब्धता के कारण मजदूरी का भुगतान न किया सूचित किया गया था।
	(ii) नमूना जांच किए गए 2 जिले		1993-94 तथा 1998-99		ग्राम पंचायतों ने ग्रामीण कार्य निर्देशिका में उल्लिखित कार्य-आधार पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया।
गोआ	(i) नमूना जांच की गई 50 पंचायतें	ज.रो.यो.	..	28.25	79.30 लाख रु की नामावली के भुगतान को उसमें दर्ज श्रमिकों की वास्तविक उपस्थिति तथा सरपंच द्वारा उसका विधिवत रूप से सत्यापन करने के बावजूद नामावलियों के भागों को रद्द करके 51.05 लाख रु तक सीमित किया गया था।
	(ii) 12 पंचायतें	रो.आ.यो.	..	4.81	नामावलियों का भुगतान श्रमिकों की उपस्थिति के आधार पर 13.85 लाख रु की बजाय 9.04 लाख रु तक सीमित किया गया था। ग्रा.वि.ए. ने मजदूरी तथा सामग्री संघटकों का 60:40 के अनुपात में अनुरक्षण करने के लिए नामावलियों का एक भाग रद्द कर दिया।
कर्नाटक	कार्यान्वयन कार्यालय	रो.आ.यो.		169.00	मजदूरी का भुगतान सरकार द्वारा नियत दरों से उच्च दरों पर करने के परिणामस्वरूप मजदूरी का अधिक भुगतान किया गया।
उड़ीसा	खं.वि.अ. फिरिंगिया तथा खुजनीपारा, जि.ग्रा.वि.ए. फुलबनी	ज.रो.यो. तथा रो. आ.यो.	1996-97	0.21	मजदूरी का संशोधित दर पर भुगतान न करने के कारण मजदूरी का कम भुगतान हुआ।
मेघालय	2 ब्लॉक		1993-98	1.12	लो.नि.वि. की वर्तमान दर अनुसूची से अपेक्षाकृत उंची दर पर भुगतान करने के कारण मजदूरी का अधिक भुगतान हुआ।
मणिपुर	उप आयुक्त तथा ख.वि.अ., जि.ग्रा.वि.ए. उखरूल तथा चरणचांदपुर		1994-96	12.16	उच्च मजदूरी दर अपनाए जाने के कारण मजदूरी का अधिक भुगतान किया गया।



उत्तर प्रदेश	रक्षा कृषि अनुसंधान प्रयोगशाला, पिथौरागढ़	रो.आ.यो.	नवम्बर तथा दिसम्बर 1996	0.35	निर्धारित मजदूरी दर से अपेक्षाकृत कम दरों पर मजदूरी का भुगतान किया गया।
मध्य प्रदेश	(i) 4 जिले	ज.रो.यो.	1992-99	555.00	मजदूरी का कम भुगतान न्यूनतम मजदूरी के संशोधन-आदेशों के दर से प्राप्त होने के कारण था।
	(ii) 4 जिले	रो.आ.यो.	1994-99	375.00	
पश्चिम बंगाल	जि.प. जलपाइगुड़ी	....	.....	12.66	निर्धारित मजदूरी दर से कम दरों पर मजदूरी का भुगतान करना।
असम	(i) नमूना जांच किए गए जिले	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	जुलाई 1994 से मार्च 1995 तथा फरवरी से अक्तूबर 1996	3276.54	संशोधित मजदूरी दर के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण मजदूरी का कम दरों पर भुगतान किया गया।
	(ii) ख.वि.अ. दक्षिणी सलमारा ब्लॉक	..	अप्रैल तथा दिसम्बर 1995 के बीच	1.38	संशोधित मजदूरी दर के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण मजदूरी का कम दरों पर भुगतान किया गया।
बिहार	4 ख.वि.अ. गुम्ला, पटना तथा पश्चिमी सिंहभूम जिले		1996-99	1.68	निर्धारित मजदूरी दर से अपेक्षाकृत कम दरों पर मजदूरी का भुगतान किया गया।
अरुणाचल प्रदेश	ख.वि.अ.सी.डी. ब्लॉक, जि.ग्रा.वि.ए. के अंतर्गत डिरेंग, पश्चिमी केमेग जिला बॉमडिला	रो.आ.यो.	जनवरी 1996 से दिसम्बर 1998	99.76	रोकड़ बही में लेन-देन दर्ज किए बिना मजदूरी का भुगतान किया गया था। मजदूरी के भुगतान हेतु चैकों की प्राप्ति की भी रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई थी। रोकड़ बही के अभाव में मजदूरी के भुगतान के बिलों का पता लगाकर लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।
तमिलनाडु	छ: जिले	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1995-98	106.13	कम मजदूरी का भुगतान, दरों की वृद्धि के आदेश प्राप्त करने में विलम्ब के कारण सूचित किया गया था।

## अनुबंध -17

(पैराग्राफ 4.11 देखें)

ठेकेदारों के माध्यम से निर्माण कार्यों का निष्पादन

राज्य	जिला	योजना	वर्ष	राशि (लाख रु में)	निर्माणकार्यों के निष्पादन का तरीका
असम	(i) दुबरी तथा कामरूप	ज.रो.यो.	1993-94. तथा 1996-97	11.75	ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित कराया गया।
	(ii) कामरूप	रो.आ.यो.	1996-97	2.65	
हिमाचल प्रदेश	सात ख.वि.अ.	...	1991-98	13.90	26 निर्माणकार्य पंचायतों द्वारा इन्कार किए जाने तथा स्थानीय श्रमिकों की कमी के कारण निष्पादित कराए सूचित किए गए।
मेघालय	पांच ब्लॉक	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1993-99	71.75	....
पंडिचेरी	अरियाकुप्पम, कराइकल, ऑलग्रेट तथा विलाइनुर ब्लॉक	ज.रो.यो.	1992-99	28.38	30 निर्माण कार्य ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित कराए गए।
पंजाब	ख.वि.पो.आ. गुरदासपुर	ज.रो.यो.	नवम्बर 1996 तथा 1998	26.51	सात फिरनियों का निर्माण कार्य विपणन बोर्ड (मध्यस्थता एजेंसी) के माध्यम से कराया गया।
उड़ीसा	(i) 4 जिलों में 10 निष्पादन एजेंसियां	रो.आ.यो.	1994-98	134.55	निर्माणकार्य ठेकेदारों /ग्राम समिति के नेताओं के माध्यम से निष्पादित कराए गए।
	(ii) आर.डब्ल्यू. मंडल फूलबनी	इ.ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1993-98	0.99	निर्माणकार्य ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित कराए गए।
राजस्थान	(i) अधिशासी अभियंता, लो.नि.वि. सीकर तथा उदयपुर	ज.रो.यो.	1994-98	23.46	विभागीय रोड रोलरों की अनुपलब्धता के कारण 22 सड़क निर्माणकार्य ठेकेदार के माध्यम से निष्पादित कराए सूचित किए गए।
	(ii) आर.एस.ए. एम. बोर्ड	ज.रो.यो.	1990-95	23.12	14 निर्माणकार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराए गए।
सिक्किम	....	.....	1996-99	4.55	
कर्नाटक	5 जिलों में दस कार्यान्वयन अधिकारी	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1992-99	892.00	निर्माणकार्य उजरती कार्य आधार पर मजदूरों के अध्यक्ष के माध्यम से निष्पादित कराए गए।
महाराष्ट्र	(i) मंडलीय अभियंता लो.नि.वि. बालापुर, नैडिड	रो.आ.यो.	1994-96	22.84	25 आंगनवाड़ी निर्माणकार्य उजरती श्रमिकों के माध्यम से निष्पादित कराए गए।
	(ii) अ.अ., (एम आई) मंडल स्थानीय क्षेत्र तथा मंडल सं.1 अहमदनगर	रो.आ.यो.	1994-99	1727.00	318 भण्डारण टैंकों का निर्माणकार्य श्रम सहकारी समितियों के माध्यम से निष्पादित कराए गए।
	(iii) सी.ई.ओ., जि.ग्रा.वि.ए.,	ज.रो.यो.	1992-94	20.00	छः भण्डारण टैंकों का निर्माण संजीवनी सखर कारखाने के माध्यम से कराया गया।

राज्य	जिला	योजना	वर्ष	राशि (लाख रु में)	निर्माणकार्यों के निष्पादन का तरीका
	नासिक				
पश्चिम बंगाल	(i) जि.प., बीरभूम		...	38.92	पंचायत निकाय की सांविधि समिति ने वेतनदाता के नाम पर ठेकेदारों के प्रतिनिधि के माध्यम से निर्माण कार्य कराए।
	(ii) खोयरासोल पी.एस.	...	...	167.33	
	(iii) खोयरासोल जी.पी.	...	....	28.57	
	(iv) पुरसुरा पी. एस. तथा जि.प. हुगली	...	....	23.07	मोरूम और बोल्टर सड़कों का निर्माण
	(v) जि.प. जलपाईगुड़ी	ज.रो.यो.	1994-97	76.54	छ: निर्माणकार्य ठेकेदार के माध्यम से निष्पादित कराए गए।
	(vi) मदारीहट जी.पी. बीरपारा पी. एस., जलपाईगुड़ी	ज.रो.यो.	....	8.71	निर्माणकार्य ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित कराए गए।
	(vii) जि.प., नाडियां	ज.रो.यो.	1992-98	169.99	86 निर्माणकार्य ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित कराए गए।
	(viii) पी.एस. चकदाह	ज.रो.यो.	...	6.22	ठेकेदारों के माध्यम से ट्यूबवैलों को निमग्न करना।
केरल	(i) जि.ग्रा.वि.ए., इदुक्की	...	1996-97	20.00	एक स्वैच्छिक संगठन निर्मिथी केन्द्र के माध्यम से विद्यालय भवनों का निर्माण
	(ii) जि.ग्रा.वि.ए., तिरुवनंतपुरम तथा वम्नापुरम ब्लॉक	ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो.	199 -98	106.05	निर्माणकार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराए गए संयोजक ने विभिन्न निर्माणकार्यों के लिए अनुबंध में विभिन्न पते दिए।
हरियाणा	डी.एफ.ओ., भिवानी, सिरसा तथा यमुनानगर	रो.आ.यो. तथा द.ला.कुं.	1992-99	31.89	निर्माणकार्य ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित कराए गए थे।
जम्मू व कश्मीर	(i) कार्यान्वयन एजेंसियां	ज.रो.यो. रो.आ.यो.	1992-99	31910.00	निर्माणकार्य ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित कराए गए।
गुजरात	जि.ग्रा.वि.ए. बंसकांथा, पालनपुर, कच्छ, भुज	रो.आ.यो.	1995-97	28.96	निर्माणकार्य समूहों के लोगों जमादारों के माध्यम से निष्पादित कराया गया तथा मजदूरी का भुगतान किया गया।
तमिलनाडु	(i) जि.ग्रा.वि.ए. कांचीपुरम, पुडुकोट्टाई तथा सिवागंगाई	ज.रो.यो. रो.आ.यो.	1993-98	189.30	निर्माणकार्य ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित कराए गए।
	(ii) चार जिले	ज.रो.यो. रो.आ.यो.	1993-99	145.27	निर्माणकार्य बुलडोजरों के माध्यम से निष्पादित किए गए।
उत्तर प्रदेश	(i) जि.ग्रा.वि.ए., शाहजहांपुर, महाराजगंज तथा इलाहाबाद	रो.आ.यो. द.ला.कुं.	1994-95 तथा 1996-99	353.00	विद्यालय भवन, स्वास्थ्य केन्द्रों, लिंक रोड आदि का निर्माण ठेकेदार के माध्यम से निष्पादित कराया गया।

## 2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

राज्य	जिला	योजना	वर्ष	राशि (लाख रु में)	निर्माणकार्यों के निष्पादन का तरीका
	(ii) जि.प. रामनगर ब्लॉक, बांदा		...	6.81	ईट की सड़क का निर्माण ठेकेदार के माध्यम से निष्पादित कराया गया।
मध्य प्रदेश	(i) बिलासपुर	रो.आ.यो.	1994-98	214.00	निर्माणकार्य श्रमिकों के प्रधान के माध्यम से निष्पादित कराए गए।
	(ii) रॉयपुर	जलसंभर विकास कार्यक्रम	1996-99	55.43	भुगतान श्रमिकों की बजाय श्रमिकों के प्रधान को किए गए। जलसंभर समितियों द्वारा नामावलियों का अनुरक्षण नहीं किया गया।
	(iii) बिलासपुर	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	1992-99	3421.00	अनुमानों में ठेकेदार का 10 प्रतिशत हिस्सा शामिल था।
आन्ध्र प्रदेश	चार जिलों के पी. आर.डी. के 10 अभियांत्रिकीय मंडल	....		2085.00	निर्माणकार्य ठेकेदारों के प्रतिनिधि के माध्यम से निष्पादित कराए गए।
जोड़				42089.51	

**अनुबन्ध 18**  
(पैराग्राफ 4.12.3 देखें)

पश्चिम बंगाल में लेखापरीक्षा द्वारा परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन में पाई गई कमियां

जिला	कार्य का स्वरूप	निर्माण कार्य सम्पन्न हुआ	लागत (लाख रु में)	कार्य की स्थिति
बीर भूम (i) पं.स खैरासोल	पंचारा सहायक स्वास्थ्य केन्द्र भवन	जुलाई 1997 तथा जनवरी 1998 के बीच	25.26	निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी स्वास्थ्य केन्द्र राज्य सरकार को नहीं सौंपा गया।
(ii) पं.स , खैरासोल डुबराज तथा लाबपुर	17 सड़क कार्य	जून 1994 तथा अप्रैल 1999	110.25	सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त पाई गईं जिनकी मरम्मत तथा नवीकरण आवश्यक था।
(iii) लाबपुर पं.स	4 जलद्वार तथा एक बांध	अगस्त 1993 तथा जुलाई 1998	29.08	जलद्वार क्षतिग्रस्त पाया गया जिसका नवीकरण आवश्यक था।
हुगली (i) पं.स पुरसुराह	धनपट पुल	1997-98	4.80	पुल का निर्माण तकनीकी पर्यवेक्षण के बिना हुआ तथा तकनीकी खराबी के परिणामस्वरूप पुल जुलाई 1999 में ढह गया।
(ii) पं.स , तारकेश्वर	5 एकीकृत बाल विकास केन्द्र	1998-99	1.40	ए.बा.वि.यो. केन्द्रों का निर्माण अदह छत तथा रसोई और शौचालय के रीहत हुआ जिन्हें अप्रयुक्त पाया गया (अगस्त 1999)
(iii) पं.स , तारकेश्वर	5 उच्च माध्यमिक विद्यालय	1998-99	4.40	एक विद्यालय के निर्माण में खराब कारीगरी की तथा अन्य अधूरे पड़े थे।
(iv) पं.स I, गोधर-II	काली पट्टी सड़क की मरम्मत/सुधार	1997-99	9.10	पूरी सड़क पर नालियां तथा गड्ढे पाए गए।
जलपाइगुड़ी (i) पं.स, मटियाली	पुल (कुमई पुल)	अगस्त 1998	21.25	पुल के दोनो ओर सड़क के अभाव में पुल का कम उपयोग हुआ।
(ii) सलबाली गाँव	बाढ़ संरक्षण बांध	1995	6.95	बांध का निर्माण तकनीकी सहायता/पर्यवेक्षण के बिना हुआ, जिसके परिणामस्वरूप बांध नदी में डूब गया/सूचित किया गया।
(iii) पं.स , मटियाली	समाज सदन	सितम्बर 1998	3.36	समाज सदन अप्रयुक्त पड़ा था।
(iv) मैनागुड़ी	धराला नदी के ऊपर छोटी डोमोहानी पुल	1996.-98	62.06	दोनों तरफ की सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थीं जिसके परिणामस्वरूप पुल वाहन योग्य नहीं था।
(v) मैनागुड़ी	पुटीमारी में नहर पर फाटक का निर्माण	1995	5.00	क्षतिग्रस्त होने के कारण फाटक उपयोग करने योग्य नहीं थी।
(vi) पं.स , धुपगुड़ी	मैनातुली - धनकीमारी मार्ग	1998-99	8.76	सड़क पूरी तरह से बह गई तथा बाढ़ से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई।
(vi) पं.स , धुपगुड़ी	गीलांदी नदी के ऊपर पुल	1997-98	36.63	पुल के निर्माण में कमी थी जिसने नदी किनारे के क्षेत्रों को नुकसान पहुँचाया।
नदिया (i) ग्रा.प. देयपारल	अरविन्द नगर प्राथमिक विद्यालय का निर्माण	1996-98	0.15	अधूरा पड़ा है।
(ii) ग्रा.प. दिगनगर	दो सड़कें	.....	0.39	अधूरी पड़ी है।
<b>जोड़</b>			<b>328.84</b>	

अनुबन्ध - 19  
(पैराग्राफ 4.13 देखें)  
छोड़ी गई योजनाएँ

(लाख रु. में)

राज्य	जिला	योजना	कार्य/क्रिया-कलाप	अवधि जल से छोड़ी/निष्क्रिय रही	व्यय किया	छोड़ने का कारण
असम	जि.ग्रा.वि.ए. जोरहाट	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	मत्स्यकी/समाजिक बानिकी	अप्रैल 1998	18.84	एतिहासिक स्थान को मत्स्यकी तथा समाजिक सील में परिवर्तन के विरुद्ध जनता की आपत्ति
सिक्किम	(i) 4 जिले	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	जीप योग्य सड़क कार्य	नवम्बर 1996	4.47	भूस्वामियों को प्रतिपूर्ति नहीं की गई।
	(ii) पाकयोग उप-मण्डल, पूर्वी जिला	रो.आ.यो. तथा ज.रो.यो.	लघु सिंचाई जलमार्ग इत्यादि	जुलाई 1997	1.97	जलमार्ग को जल स्रोतों से नहीं जोड़ने के कारण निष्क्रिय।
	(iii) खानी गाँव	- वही -	संरक्षण तथा स्रोत विकास कार्य	जनवरी से अप्रैल 1998	1.20	जल स्रोतों के उपलब्ध न होने से निष्क्रिय
	(iv) दुरे खेत	- वही -	लघु सिंचाई जलमार्ग	मार्च 1998	1.00	जल उपलब्ध न होने के कारण जलमार्ग अक्रियामत्क रहा।
उत्तर प्रदेश	सिंचाई निर्माण मण्डल, जि.ग्रा. वि.ए., सहारनपुर	द.ला.कु. (ज.रो.यो.)	4 बाढ नियंत्रण	अक्तूबर 1998	14.00	
गुजरात	का.अ. (पीआई) मण्डल, भुज	रो.आ.यो.	79 कार्य	1995-97	71.00	निधि के अभाव में छोड़ा गया, सूचित किया।
मणिपुर	चूडचन्दपुर प्रखण्ड	रो.आ.यो.	पक्का बांध	1995-97	2.50	कार्य अधूरा छोड़ा गया।
जम्मू और कश्मीर	(i) नमूना जांच प्रखण्ड	ज.रो.यो., रो.आ.यो.	31 कार्य	----	25.00	छोड़ दिया गया।
	(ii) बारनोती प्रखण्ड	द.ला.कु. (ज.रो.यो.)	10 कुओ का निर्माण	.....	1.11	छोड़ दिया गया।
आन्ध्र प्रदेश	महबूब नगर तथा विशाखापत्तनम में का.अ. (पीआर) तथा का.अ. डबलूएसएम मण्डल	ज.रो.यो., रा.आ.यो.	चार कार्य	1994-96	6.53	.....
मध्य प्रदेश	(i) बिलासपुर	द.ला.कु. (ज.रो.यो.)	2417 कुए	1992-99	.....	जल उपलब्ध न होने के कारण 1679 कुए विफल तथा निष्क्रिय हो गये।
	(ii) रायपुर और सुआरगूजा	द.ला.कु. (ज.रो.यो.)	400 कुए	1990-98	...	कुए असफल रहे।
महाराष्ट्र	सुशाला, तालूका, मुल्शी, पुणे	ज.रो.यो.	जीव-विविधता संरक्षण परियोजना	जनवरी 1998	10.26	निधि जारी करने में विलम्ब के कारण
बिहार	(i) छ: जि.ग्रा. वि.ए.	ज.रो.यो. तथा रो.आ.यो.	349 कार्य	1992-97	176.76	भूमि विवाद, वनभूमि के प्रयोग के लिए पूर्वानुमति पाने में असमर्थता इत्यादि के कारण



2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

	(ii) ख.वि.अ. बासिया प्रखण्ड गुमला	रो.आ.यो. ज.रो.यो.	एक आर सी सी पुल - वही -	1995-96 1993-94	13.59 4.90	बनाया गया पुल अगस्त 1996 में बह गया। त्रुटिपूर्ण अनुमान तैयार करने, घटिया सामग्री उपयोग करने इत्यादि के लिए कनिष्ठ अभियन्ता के कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। जून 1999 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।
कर्नाटक	चार जिले	ज.रो.यो. रो.आ.यो.	1949 जल एक ऋण संरचनाएं	1996-97	659.00	किनारे की दिवारों के बह जाने तथा रक्षा दिवारों के गिर जाने के इत्यादि के कारण जल-एक ऋण संरचनाएं अनुपयोगी रही।
जोड़			5252		1012.12	

अनुबन्ध - 20  
(पैराग्राफ 4.14 देखें)  
कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब

(लाख रु में)

राज्य	जिला	अवधि	कार्यों की संख्या	पूर्ण हो चुके	चल रहे हैं।	कुल	व्यय	बढ़ी हुई समयवधि (महीनों में)	कार्य पूर्ण होने में विलम्ब का कारण
बिहार	(i) छ: जिले	1992-97	651	.....	651	651	778.39		
	(ii) 7 जिले	1996-97	3573	....	3573	3573	.....	24 माह से अधिक	
मध्य प्रदेश	(i) बिलास पुर	1988-96	776 107	.....	776 107	776 107	..... 11.70		जून 1999 तक कुंओ का कार्य अधूरा पड़ा था।
	(ii) मांडला	1990-98	602	....	602	602	.....		सी.ई.ओ. बिलासपुर तथा मांडला ने कार्यों के अधूरे होने का कारण नहीं बताया
	(iii) 3 जिले	1993-97	543	.....	543	543	1419.00		अगम्यता, स्थानीय विवादों और कार्यन्वयन एजेन्सियों में परिवर्तन के कारण कार्य अधूरे रहे।
केरल	(i) .....	1993-98	9	.....	9	9	12.43		9 विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ा गया।
	(ii) .....	1994-95 और 1997-98	3	.....	3	3	0.35		तीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य अधूरे छोड़े गए।
	(iii) .....	1989-97	79	....	79	79	47.5		सड़कों में सुधार, नहरों/सड़कों का बचाव-कार्य, पुलिया निर्माण कार्य, विद्यालय-भवन तथा आंगनबाड़ी-भवन से सम्बन्धित कार्य अधूरे पड़े थे।
	(iv) 14 प्रखण्ड	1993-97	7755	2638	5117	7755	---		लाभ-भोगियों द्वारा सीमित आर्थिक सहायता से आवासों को पूर्ण करने में असमर्थता के कारण मई 1999 तक आवासों का कार्य अधूरा रहा।
	(v) 33 पंचायतें	1989-98	291	.....	291	291	26.38	.....	अतिरिक्त निधि की मांग के कारण मई 1999 तक आवासों का कार्य अधूरा रहा।

2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

राज्य	जिला	अवधि	कार्यों की संख्या	पूर्ण हो चुके	चल रहे हैं।	कुल	व्यय	बढ़ी हुई समयवधि (महीनों में)	कार्य पूर्ण होने में विलम्ब का कारण
	(vi) 5 प्रखण्ड	1992-97	131	.....	131	131	14.45	.....	मई 1999 तक कार्य अधूरे पड़े रहे।
आन्ध्र प्रदेश	3 जिले	1992-97	1477	.....	1477	1477	252.00	72 तक	खुले कुओं का निष्पादन मार्च 1999 तक पूर्ण नहीं हुआ।
कर्नाटक	4 जिले		156		156	156	80.78	36 से अधिक	अपर्याप्त निधि तथा भूमि अभिग्रहण समस्याओं एवं लाभभोगियों की रुचि में कमी के कारण कार्य अधूरे पड़े रहे।
जम्मू और कश्मीर	.....	1995-99	11281	----	11281	11281	-----	-----	मार्च 1999 तक कार्य अधूरे रहे।
राजस्थान	(i) 6 जिले	1992-99	99	....	99	99	265.98	24 से अधिक	निधि की अप्राप्तता, तकनीकी जानकारी की कमी, न्यायालय सीगिन तथा कृषकों के आपसी विवादों इत्यादि के कारण कार्य अधूरे पड़े रहे।
	(ii) 12 पंचायत समितियां (4 जिले)	1992-97	532	----	532	532	68.04	-----	लाभभोगी कृषकों की रुचि में कमी तथा पथरीली सतह के कारण कार्य अधूरे पड़े रहे।
	(iii)	मार्च 1996	2	1	1	2	19.00	36 से अधिक	आवास विकास संगठन (आ.वि.सं.) ने दो ऐसे भवनों हेतु 45 लाख रुपये के प्रावधान में से 26 लाख रु. की लागत पर केवल एक आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण किया। तत्पश्चात्, आ. वि.सं., का समापन हो गया। जि.ग्रा.वि.ए., उदयपुर ने मार्च 1999 तक राशि की वसूली नहीं की।
उत्तर प्रदेश	(i) 8 जिले	1990-97	53	----	53	53	805.00	24 से 108	निधि की कमी, दोषपूर्ण कार्य इत्यादि के कारण कार्य अपूर्ण थे।

## 2000 की रिपोर्ट सं. 3 (सिविल)

राज्य	जिला	अवधि	कार्यों की संख्या	पूर्ण हो चुके	चल रहे हैं।	कुल	व्यय	बढ़ी हुई समयवधि (महीनों में)	कार्य पूर्ण होने में विलम्ब का कारण
	(ii) जि.ग्रा. वि.ए. पिथौरागढ़	1990-91	4	---	4	4	15.16	72 से अधिक	6.16 लाख रुपये से लागत बढ़ गई।
असम	(i) 8 प्रखण्ड जि.ग्रा.वि.ए. जोरहाट	1996-97	815	406	409	815	142.85	---	---
	(ii) 10 खण्ड जि.ग्रा.वि.ए. करबी अंगलौंग	1994-96	3250	1365	1885	3250	---	---	---
जोड़			32189	4410	27779	32189	3959.01		

